



यूको बैंक
सम्मान आपके विश्वास का



UCO BANK
Honours Your Trust



HO/Finance/Share/49/2025-26

Date: 27.05.2025

National Stock Exchange of India Ltd.
"Exchange Plaza"
Plot no. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051
NSE Scrip Symbol: UCOBANK

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001
BSE Scrip Code: 532505

Madam/Dear Sir

Annual Report of the Bank for the financial year 2024-25

Pursuant to Regulation 34 of SEBI(LODR) Regulations, 2015, we enclose Annual Report of the Bank for the financial year 2024-25. The notice of Annual General Meeting was submitted vide our letter no. HO/Finance/Share/48/2025-26 dated 22.05.2025.

The copy of Annual Report is also made available on Bank's Website in the following link : <https://ucobank.com/annual-reports>

This is for information and dissemination.

Yours faithfully,

Vikash Gupta
Digitally signed
by Vikash Gupta
Date: 2025.05.27
13:13:05 +05'30'
(Vikash Gupta)
Company Secretary

Encl : as stated



83rd YEAR OF THE NATION'S TRUST

2024-2025 ANNUAL REPORT वार्षिक प्रतिवेदन



1800-103-0123 (Toll Free)



8334001234



7666399400

Follow us



यूको बैंक



UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

वार्षिक प्रतिवेदन - 2024-25

Annual Report - 2024-25

विषय-सूची / CONTENTS

मद	पृष्ठ सं.	Item	Page No.
निदेशक मंडल	003	Board of Directors	003
अध्यक्ष का संदेश	004	Chairman's Message	004
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	010	Managing Director & CEO's Message	010
निदेशकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	020	Directors' Report & Management Discussion and Analysis	020
कारोबारी उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट	092	Business Responsibility and Sustainability Report	092
कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	157	Report on Corporate Governance	157
कारपोरेट अभिशासन का अनुलग्नक	192	Annexures to Corporate Governance	192
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	198	Secretarial Audit Report	198
सीवीओ एवं महाप्रबन्धकों का विवरण	202	Details of CVO & General Managers	202
महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक	204	Key Performance Indicators	204
एकल वित्तीय विवरण		Standalone Financial Statements	
> तुलन-पत्र	205	> Balance Sheet	205
> लाभ-हानि लेखा	207	> Profit & Loss A/c	207
> लेखों से संबंधित अनुसूची	209	> Schedule to Accounts	209
> नकदी प्रवाह विवरण	288	> Cash Flow Statement	288
> स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट	291	> Independent Auditor's Report	291
समेकित वित्तीय विवरण		Consolidated Financial Statements	
> तुलन-पत्र	305	> Balance Sheet	305
> लाभ-हानि लेखा	307	> Profit & Loss A/c	307
> लेखों से संबंधित अनुसूची	309	> Schedule to Accounts	309
> नकदी प्रवाह विवरण	388	> Cash Flow Statement	388
> स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट	391	> Independent Auditor's Report	391
लाभांश वितरण दिशानिर्देश	403	Dividend Distribution Guidelines	403
बासेल-III प्रकटीकरण	404	Basel III Disclosure	404

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants

संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants

एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants

पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants

शेयरधारक शिकायतों के लिए, कृपया संपर्क करें / For Shareholder Grievances, please contact:

श्री विकास गुप्ता
कंपनी सचिव
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस (तीसरा तल),
कोलकाता - 700 001
ई-मेल : hosgr.calcutta@ucobank.co.in
दूरभाष : 033-44557227

Mr. Vikash Gupta
Company Secretary
2, India Exchange Place (3rd Floor),
Kolkata-700 001
Email: hosgr.calcutta@ucobank.co.in
Ph. : 033 44557227

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर- कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman



श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer



श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director



श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director



श्री सुधीर श्याम
भारत सरकार के नामिती निदेशक
Shri Sudhir Shyam
Government Nominee Director



डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती
भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक
Dr. Sarada Prasan Mohanty
RBI Nominee Director



श्री रवि कुमार अग्रवाल
अशंकालिक गैर सरकारी निदेशक
Shri Ravi Kumar Agrawal
Part-time Non-Official Director



श्री अंजन तालुकदार
अशंकालिक गैर सरकारी निदेशक
Shri Anjan Talukdar
Part-time Non-Official Director



श्री सुभाष शंकर मलिक
अशंकालिक गैर सरकारी निदेशक
Shri. Subhash Shankar Malik
Part-time Non-Official Director



सुश्री रचना खरे
शेयर धारक निदेशक
Ms. Rachna Khare
Shareholder Director



अध्यक्ष का संदेश

सम्मानित शेयरधारकों, निवेशकों और मूल्यवान ग्राहकों

मुझे एक और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आपको संबोधित करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जिसने हमारी पुनर्प्राप्ति शक्ति और प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वित्तीय वर्ष 2024-25 भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए चुनौतियों और अवसरों दोनों से भरा रहा। मैं अपने सभी मूल्यवान हितधारकों के प्रति उनके अटूट विश्वास और प्रोत्साहन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके निरंतर समर्थन ने यूको बैंक को परिवर्तन को अपनाने, गतिशील वातावरण के अनुकूल होने और निरंतर तथा जिम्मेदारीपूर्वक व्यवसाय विस्तार के माध्यम से भारत की विकास यात्रा में योगदान करने में सक्षम बनाया है।

आर्थिक परिदृश्य:

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का वैश्विक रूप से एक उज्ज्वल स्थान बना रहा, जिसने 6.4 प्रतिशत (एनएसओ अनुमान) की जीडीपी वृद्धि दर्ज की, व्यापार और टैरिफ तनाव में वृद्धि और परिणामस्वरूप वित्तीय बाजार में अस्थिरता ने वैश्विक विकास में मंदी के बारे में चिंताएँ बढ़ाईं। कमजोर होते वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण ने भारत की आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, मुख्य रूप से कमजोर बाहरी मांग के माध्यम से। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगातार उच्च मुद्रास्फीति के कारण कारोबारी माहौल चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। यह स्पष्ट है कि जीडीपी वृद्धि में समभाव्य बने रहने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 के 8.2 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.4 प्रतिशत रहा है।

औद्योगिक उत्पादन में मंदी और कमजोर व्यापारिक निर्यात प्रमुख चिंता का विषय बने हुए हैं। मार्च 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की वृद्धि दर 3.0 प्रतिशत है और संचयी रूप में मार्च-अप्रैल 2025 के लिए 4.0 प्रतिशत है। भारत का व्यापार और सेवाओं का संचयी निर्यात मार्च 2025 में मार्च 2024 से 2.65 प्रतिशत बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में संचयी आयात में 4.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2025 के लिए भारत का कुल व्यापार घाटा नकारात्मक यूएसडी (-) 3.62 बिलियन आंका गया है। नवंबर 2024 में यूएसडी 19.84 बिलियन के उच्चतम स्तर से यह अंतर काफी कम हो गया है। फरवरी-25 के महीने के लिए, भारत 4.43 बिलियन अमरीकी डॉलर के व्यापार अधिशेष पर था, जिसका मुख्य कारण तेल आयात में 29.6 प्रतिशत की कमी थी।

आरबीआई ने फरवरी 2025 और अप्रैल 2025 में दरों में 25 बीपीएस की दो लगातार कटौती के रूप में नीतिगत समर्थन प्रदान किया है, जिससे रेपो दर 6.0 प्रतिशत हो गई है। इसने नीतिगत रुख को 'तटस्थ' से 'समायोज्य' में भी बदल दिया है, जिससे आगे और कटौती की गुंजाइश बनी हुई है। इससे चालू वित्तीय वर्ष में घरेलू मांग को बढ़ावा मिलने, पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलने और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने से विकास की गति को बल मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 4.5 प्रतिशत से घटाकर 4.0 प्रतिशत करने से बैंकिंग क्षेत्र मजबूत होगा और अनुकूल ऋण वातावरण बनाने में मदद मिलेगी।

बैंकिंग क्षेत्र:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय बैंकिंग प्रणाली काफी हद तक स्वस्थ और अच्छी तरह से पूंजीकृत रही, जिसे विवेकपूर्ण विनियामक निरीक्षण और अनुकूल ऋण वातावरण का लाभ मिला। हालांकि, वित्तीय वर्ष के दौरान मौसमी तरलता की तंगी थी, खासकर चौथी तिमाही में। बैंकिंग प्रणाली की तरलता आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने सिस्टम की तरलता बढ़ाने के लिए खुले बाजार परिचालन (ओएमओ), दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी और डॉलर/रुपया खरीद-बिक्री स्वेप नीलामी सहित कई उपाय सक्रिय रूप से लागू किए। जनवरी 2025 के मध्य से शुरू किए गए इन उपायों से प्रणाली में लगभग 7.9 लाख करोड़ रुपये आए और ब्याज दरों में नरमी के साथ मुद्रा बाजार में व्यवस्थित स्थिति बनाए रखने में मदद मिली।

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल जमा राशि एम 3 (किसी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा और जमा राशि) का लगभग 86.3 प्रतिशत थी। वित्तीय वर्ष के दौरान एएससीबी की कुल जमा राशि में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले यह 13.5 प्रतिशत थी)। मार्च 2025 तक एएससीबी ऋण वृद्धि घटकर 11.0 प्रतिशत रह गई (जो एक वर्ष पूर्व 20.2 प्रतिशत थी) जो प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण हुई, जिसने सकारात्मक गति को संतुलित कर दिया।

मार्च-2025 तक एससीबी का ऋण-जमा अनुपात 80.8 प्रतिशत हो गया, जो मार्च-2024 तक 80.3 प्रतिशत था। फरवरी-2025 से पॉलिसी रेपो दर में 50-बीपीएस की कटौती को ध्यान में रखते हुए, बैंकों ने अपने रेपो-लिक्विड ईवीएलआर के साथ-साथ फंड-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की सीमांत लागत में भी इसी तरह की कमी की है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (जीएनपीए) घटकर दशक के निचले स्तर 3.1 प्रतिशत पर आ गई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) औसतन 3.1 प्रतिशत रहा, जबकि निधियों की लागत में वृद्धि हुई है। अप्रैल-2024 से मार्च-2025 की अवधि के दौरान यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन-देन की मात्रा 184.5 बिलियन को पार कर गई, जो वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान के मामले में वैश्विक लीडर के रूप में भारत की स्थिति को रेखांकित करता है।

व्यावसायिक पहल:

यूको बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यवसाय विकास और अपने ग्राहकों को और अधिक डिजिटल संवर्द्धन प्रदान करने के लिए कई रणनीतिक उपाय और पहल की हैं, जिससे वे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु हमसे जुड़े रह सकें। हमारे ग्राहकों के पास अब मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा खाते (एसबी, आरडी और टीडी) खोलने जैसी अभिनव संवर्द्धन और मूल्यवर्धित डिजिटल सेवाओं तक पहुंच है। इसके अलावा रिटेल, कृषि और एमएसएमई ऋणों के तहत 16 डिजिटल कार्यों की मंजूरी 'परियोजना परिवर्तन' के तहत दी गई है, बैंक व इसके अतिरिक्त और 11 ऋण योजनाओं को जोड़ने की प्रक्रिया में है।

डिजिटल अपनाने में हो रही वृद्धि के अलावा आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान 72 शाखाएँ जोड़कर अपनी भौतिक उपस्थिति का भी विस्तार किया है। इससे देश के सभी क्षेत्रों में हमारी कुल घरेलू शाखाएँ 3302 हो गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यावसायिक कार्यनिष्पादन के संबंध में, हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक ने कुल कारोबार में 5 लाख करोड़ रुपये की उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा, मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, आपके बैंक के निदेशक मंडल ने 3.90 प्रतिशत यानी 0.39 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के लाभान्श की सिफारिश की है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन:

लाभ: आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,576 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिचालन लाभ में 31.92% की वृद्धि दर्ज करते हुए 6,037 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में शुद्ध लाभ में 47.80% की वृद्धि दर्ज करते हुए 2,445 करोड़ रुपये की राशि अर्जित की जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 1,654 करोड़ रुपये थी।

ब्याज आय: ब्याज आय 14.70% बढ़कर 25,067 करोड़ रुपये हो गई जो मुख्य रूप से अग्रिम पोर्टफोलियो की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। अग्रिमों से प्राप्त ब्याज आय 20.86% बढ़कर 17,117 करोड़ रुपये हो गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में निवेश से प्राप्त ब्याज आय 3.64% बढ़कर 6,347 करोड़ रुपये हो गई।

गैर-ब्याज आय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर-ब्याज आय 4,406 करोड़ रुपये रही, जो वर्ष-दर-वर्ष 34.92% की वृद्धि दर्ज करती है। यह वृद्धि मुख्य रूप से अग्रिमों पर शुल्क और कमीशन तथा तीसरे पक्ष के उत्पाद से वितरण प्राप्त अधिक आय के कारण हुई।

शुद्ध ब्याज आय: शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 18.88% बढ़कर 9,630 करोड़ रुपये हो गई जो ब्याज व्यय की तुलना में ब्याज आय में उच्च वृद्धि के कारण हुआ। कुल ब्याज व्यय 12.24% बढ़कर 15,437 करोड़ रुपये हो गया। जमा की औसत लागत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4.78% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.85% हो गई।

परिचालन व्यय: परिचालन व्यय, जिसमें कर्मचारी लागत और अन्य परिचालन व्यय शामिल हैं, पिछले वर्ष की तुलना में 17.80% बढ़कर 7999 करोड़ रुपये हो गया। कर्मचारी व्यय (वेतन और कर्मचारी लाभ) 11.58% बढ़कर 5,453 करोड़ रुपये हो गया। अन्य परिचालन व्यय में 33.78% की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण किराया, कर और लाइटिंग (30.95%) और आईटी से संबंधित व्यय (157.06%) पर अधिक व्यय था। आईटी व्यय में वृद्धि बैंक की डिजिटल विस्तार रणनीति के अनुरूप है।

प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ: वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल प्रावधान 3,592 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22.93% अधिक है। प्रावधानों के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

- अनर्जक आस्तियों के लिए 1,633 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,068 करोड़ रुपये)
- मानक आस्तियों के लिए 535 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2023-24 में 357 करोड़ रुपये)
- आयकर के लिए 1,389 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2023-24 में 915 करोड़ रुपये)

पूंजी: आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से इक्विटी शेयरों के आवंटन के जरिए लगभग 2000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसके बाद, बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 11,956 करोड़ रुपये (दिनांक 31.03.2024 तक) से बढ़कर 12,540 करोड़ रुपये (दिनांक 31.03.2025 तक) हो गई।

आरक्षित निधि एवं अधिशेष: दिनांक 31.03.2024 तक कुल आरक्षित निधि और अधिशेष 15,401 करोड़ रुपये की तुलना में 18,465 करोड़ रुपये हो गया।

आस्तियां: मार्च 2024 के अंत में कुल संपत्ति 3,23,692 करोड़ रुपये से 11.98% बढ़कर मार्च 2025 तक 3,62,481 करोड़ रुपये हो गई। सकल निवेश मार्च 2024 के अंत में 92,904 करोड़ रुपये से 1.47% बढ़कर मार्च 2025 के अंत में 94,272 करोड़ रुपये हो गया। वैश्विक अग्रिम मार्च

2024 में 1,86,877 करोड़ रुपये से 17.72% बढ़कर मार्च 2025 में 2,19,985 करोड़ रुपये हो गया।

देनदारियाँ: बैंक की कुल देनदारियाँ (पूंजी और आरक्षित निधियों को छोड़कर) 31 मार्च 2024 को 2,96,335 करोड़ रुपये से 11.86% बढ़कर 31 मार्च 2025 तक 3,31,476 करोड़ रुपये हो गई। ऐसा मुख्य रूप से जमाराशि में वृद्धि के कारण हुआ। वैश्विक जमाराशि एक वर्ष पहले के 2,63,130 करोड़ रुपये से बढ़कर दिनांक 31.03.2025 तक 2,93,542 करोड़ रुपये हो गई, जो वर्ष-दर-वर्ष 11.56% की वृद्धि को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

भविष्य को देखते हुए, हम भारत की विकास संभावनाओं के बारे में आशावादी बने हुए हैं। मुद्रास्फीति में नरमी आने की संभावना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता के संकेत दिखने के साथ, हम बुनियादी ढांचे के विकास, ग्रामीण विकास और डिजिटल नवाचार में निरंतर गति की उम्मीद करते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति और केंद्र सरकार के आर्थिक उपायों के समर्थन से, ऋण की मांग मजबूत रहने की संभावना है, विशेष रूप से एमएसएमई, रिटेल और अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में।

यूको बैंक के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- मजबूत आस्ति गुणवत्ता बनाए रखते हुए उद्योग के रुझान के अनुरूप ऋण संवृद्धि हासिल करना।
- उन्नत डिजिटल पेशकशों के साथ अपने रिटेल और एमएसएमई पोर्टफोलियो का विस्तार करना।
- साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा एनालिटिक्स में और अधिक निवेश करना।
- स्थायी लाभप्रदता और जिम्मेदार बैंकिंग के माध्यम से शेयरधारक मूल्य में वृद्धि करना।

अंत में, मैं अपने सभी ग्राहकों, कर्मचारियों, भागीदारों और हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके अटूट विश्वास और समर्थन ने हमें चुनौतियों का सामना करने और नए अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है। मैं इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार को उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। हम सब मिलकर एक मजबूत, ज़्यादा समावेशी और डिजिटल रूप से सशक्त भारत के निर्माण की आशा करते हैं।

शुभकामनाओं सहित,

अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष



Chairman's Message

Esteemed Shareholders, Investors and Valued Customers.

It gives me immense pleasure to address you at the close of another financial year that tested our resilience and reaffirmed our commitment to progress. FY 2024-25 was marked by both challenges and opportunities for the Indian economy and the banking sector. I extend my sincere gratitude to all our valued stakeholders for their unwavering trust and encouragement. Your continued support has enabled UCO Bank to embrace change, adapt to a dynamic environment, and contribute to India's growth journey through sustained and responsible business expansion.

Economic Scenario:

India continued to remain a global bright spot in FY 2024-25, registering a GDP growth of 6.4 percent (NSO estimate), the escalation of trade and tariff tensions and the resultant financial market volatility raised concerns regarding the slowdown in global growth. The weakening global economic outlook adversely impacted India's economic growth, primarily through weaker external demand. Further, in FY 2024-25, the business environment remained challenging due to persistently high inflation. This is evident from the moderation of GDP growth from 8.2 percent in FY 2023-24 to 6.4 percent in FY 2024-25.

The slowdown in industrial production and sluggish merchandise exports remain major concerns. The Index of Industrial Production (IIP) growth rate for March 2025 is 3.0 percent and for cumulative March-April 2025 is 4.0 percent. India's cumulative exports of merchandise and services increased in March 2025 by 2.65 percent from March 2024. Cumulative Imports increased by 4.90 percent over previous year. India's total trade deficit for March 2025 is estimated at negative USD (-) 3.62 Billion. The gap has significantly reduced from a peak of USD 19.84 Billion in November 2024. For the month of Feb-25, India was at a Trade Surplus of USD 4.43 Billion, largely due to a 29.6 percent reduction in oil imports.

The RBI has provided policy support in the form of two consecutive rate cuts of 25 bps each in February 2025 and April 2025, bringing the Repo Rate to 6.0 percent. It has also changed the policy stance from 'neutral' to 'accommodative', allowing room for further cuts. This is expected to support the growth momentum in the current financial year, by boosting domestic demand, encouraging capital investment, and giving a fillip to the manufacturing sector. Additionally, the reduction in the Cash Reserve Ratio (CRR) from 4.5 percent to 4.0 percent will strengthen the Banking Sector and help to create favourable credit environment.

Banking Sector:

The Indian banking system remained largely healthy and well-capitalized during FY 2024-25, benefiting from prudent regulatory oversight and a conducive credit environment. However, there was seasonal liquidity tightness during the financial year, particularly in the fourth quarter. Responding to the liquidity needs of the banking system, the Reserve Bank proactively deployed a slew of measures, including open market operations (OMOs), daily variable rate repo (VRR) auctions, and dollar/rupee buy-sell swap auctions, to augment system liquidity. These measures, undertaken since mid-January 2025, injected approximately Rs.7.9 lakh crores into the system and helped to maintain orderly conditions in the money market with softening rates.

Aggregate deposits with all Scheduled Commercial Banks accounted for around 86.3 percent of M3 (total currency and deposits within an economy). Aggregate Deposit of ASCBs increased by 10.3 per cent during the financial year (compared to 13.5 per cent a year ago). ASCBs Credit growth moderated to 11.0 per cent as on March 2025 (from 20.2 per cent a year ago) on account of unfavourable base effect, which offset the positive momentum.

ASCBs' credit-deposit ratio increased to 80.8 percent as on March-2025 from 80.3 percent as on March-2024. In response to the 50-bps cut in the policy repo rate since February-2025, banks have reduced their repo-linked EBLRs as well as marginal cost of funds-based lending rate (MCLR) by a similar magnitude.

Gross non-performing assets (GNPA) across scheduled commercial banks declined to a decadal low of 3.1 percent, Net Interest Margins (NIMs) for public sector banks averaged 3.1percent, despite the rising cost of funds. Digital transactions via UPI crossed 184.5 billion in volume during the period April-2024 to March-2025, underscoring India's position as a global leader in digital payments.

Business Initiatives:

UCO Bank has undertaken several strategic measures and initiatives in FY 2024-25 for business development and to provide further digital enhancements to our customers, enabling them to stay connected to their financial needs. Our customers now have access to innovative enhancements and value-added digital services like opening of deposit accounts (SB, RD and TD) digitally through Mobile Banking App. Further, approval of 16 Digital Journeys under Retail, Agriculture and MSME loans has been enabled under 'Project Parivartan', which the Bank is in the process of expanding to additional 11 loan schemes.

Besides increasing digital adoption, your Bank has also expanded its physical presence, by adding 72 Branches during the financial year. This brings our total to 3302 domestic branches across all regions of the country.

Reflecting on the business performance for FY 2024-25, we are pleased to announce that your Bank has achieved the landmark of Rs. 5 lakh crore in Total Business. Furthermore, for the financial year ending March 2025, the Board of Directors of your Bank has recommended a dividend of 3.90 percent i.e. Rs 0.39 per equity share.

Financial Performance:

Profit: Your Bank has registered a 31.92% jump in Operating Profit to Rs.6,037 crores in FY 2024-25 compared to Rs.4,576 crores in FY 2023-24. The Bank recorded a 47.80% growth in Net Profit to Rs. 2,445 crores in FY 2024-25 as against Rs. 1,654 crores in FY 2023-24.

Interest Income: Interest Income increased by 14.70% to Rs. 25,067 crores largely driven by strong growth in the advances portfolio. Interest Income from Advances rose by 20.86% to Rs.17,117 crore. Interest Income from Investments grew by 3.64% to Rs.6,347 crore in FY 2024-25.

Non-Interest Income: Non-interest income stood at Rs.4,406 crore in FY 2024-25, registering a Y-o-Y increase of 34.92%. This growth was primarily due to higher income from fees and commission on advances and from third-party product distribution.

Net Interest Income: Net Interest Income(NII) grew by 18.88% to Rs.9,630 crore, supported by higher growth in interest income compared to interest expenses. Total Interest Expenses increased by 12.24% to Rs.15,437 crore. The average cost of deposits rose from 4.78% in FY 2023-24 to 4.85% in FY 2024-25.

Operating Expenses: Operating Expenses, comprising staff cost and other operating expenses, rose by 17.80% to Rs. 7999 crore over the previous year. Staff expenses (salary and employee benefits) increased by 11.58% to Rs.5,453 crore. Other operating expenses grew by 33.78%, mainly due to higher expenditure on rent, taxes, and lighting (30.95%), and IT-related expenses (157.06%). The increase in IT expenditure aligns with the Bank's digital expansion strategy.

Provisions and Contingencies: Total provisions in FY 2024-25 amounted to Rs.3,592 crore, a 22.93% increase over the previous year. Key components of provisions included:

- Rs.1,633 crore for Non-Performing Assets (Rs.1,068 crore in FY 2023-24)
- Rs.535 crore for Standard Assets (Rs.357 crore in FY 2023-24)
- Rs. 1,389 crore towards Income Tax (Rs.915 crore in FY 2023-24)

Capital: Your Bank had raised Rs. 2000 crore approximately through allotment of equity shares via Qualified Institutional Placement (QIP) during FY 2024-25. Following this, the Bank's paid-up Equity Share Capital increased from Rs.11,956 crore (as on 31.03.2024) to Rs.12,540 crore (as on 31.03.2025).

Reserves and Surplus: As on 31.03.2024, total Reserves and Surplus stood at Rs. 18,465 crores as against Rs. 15,401 crores.

Assets: Total assets increased by 11.98% from Rs. 3,23,692 crores at the end of March 2024 to Rs. 3,62,481 crores as of March 2025. Gross Investments grew by 1.47% from Rs. 92,904 crores at the end of March 2024 to Rs. 94,272 crores at the end of March 2025. Global Advances increased by 17.72% from Rs. 1,86,877 crores in March 2024 to Rs. 2,19,985 crores in March 2025.

Liabilities: The Bank's aggregate liabilities (excluding capital and reserves) rose by 11.86% from Rs. 2,96,335 crores as on 31st March 2024 to Rs. 3,31,476 crores as on 31st March 2025. This was primarily due to growth in deposits. Global Deposits rose to Rs. 2,93,542 crore as of 31.03.2025 from Rs. 2,63,130 crore a year ago, reflecting a Y-o-Y growth of 11.56%.

Conclusion:

Looking ahead, we remain optimistic about India's growth prospects. With inflation likely to soften and the global economy showing signs of stabilization, we expect continued momentum in infrastructure development, rural growth, and digital innovation. With the support of the RBI's Monetary Policy and the Central Government's economic measures, credit demand is likely to remain robust, particularly in the MSME, Retail, and Renewable Energy sectors.

For UCO Bank, our strategic priorities for FY 2025-26 include:

- Achieving credit growth in line with the Industry trends while maintaining strong asset quality.
- Expanding our retail and MSME portfolios with enhanced digital offerings.
- Further investing in cybersecurity, Artificial Intelligence, and data analytics.
- Enhancing shareholder value through sustainable profitability and responsible banking.

In conclusion, I extend my heartfelt gratitude to all our customers, employees, partners, and stakeholders. Your unwavering trust and support have enabled us to navigate challenges and seize new opportunities. I would also like to take this opportunity to thank the Reserve Bank of India and the Government of India for their continued support and guidance. Together, we look forward to building a stronger, more inclusive, and digitally empowered India.

With best wishes,

Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman



एमडी और सीईओ की डेस्क से संदेश

सम्मानित शेयरधारक, मूल्यवान ग्राहक, सहकर्मी और हितधारक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूको बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य और जिम्मेदारी दोनों है। यह वर्ष हमारे बैंक के लिए महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि हमने 5 लाख करोड़ रुपये के वैश्विक कारोबार के मील के पत्थर को पार कर लिया है। हमने 2021 में ही अपनी 5 वर्षीय व्यावसायिक योजना के तहत मार्च 2025 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। बैंक द्वारा अच्छी तरह से क्रियान्वित रणनीतियों के माध्यम से लगातार और वर्ष दर वर्ष बेहतर कार्यनिष्पादन ने इस उपलब्धि को संभव बनाया है। हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अच्छी प्रगति की है और पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2025 के लिए निर्धारित सभी मापदंडों को प्राप्त कर लिया है। हमने जमा और ऋण दोनों में अपने व्यवसाय विकास मार्गदर्शन को पार कर लिया है और एनआईएम, कासा प्रतिशत और रैम प्रतिशत पर अपने मानदंड को भी बनाए रखा है। हमने स्लिपेज अनुपात को सीमित कर दिया है और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित मानदंडों के भीतर बने रहने के लिए अपनी आस्ति गुणवत्ता में सुधार किया है।

आर्थिक सिंहावलोकन: वैश्विक परिदृश्य

पिछले वित्तीय वर्ष की यात्रा हमसबने मिलकर पूरा किया है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा तथा व्यापार और नीतिगत व्यवधानों और भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक आर्थिक गतिशीलता में आए परिवर्तन ने इसे एक रूप दिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था अत्यधिक एकीकृत है जिसमें मिश्रित आपूर्ति श्रृंखलाएं और वित्तीय प्रवाह शामिल हैं। अधिकांश व्यापारिक सामान मध्यवर्ती इनपुट होते हैं जो अंतिम उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले कई देशों से गुजरते हैं। इस प्रकार प्रमुख व्यापारिक साझेदारों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर टैरिफ की अमेरिकी लहरों के कारण होने वाली आर्थिक उथल-पुथल और उपायों तथा प्रतिउपायों के संयोजन के माध्यम से इसके व्यापारिक साझेदारों द्वारा त्वरित जवाबी कार्रवाई सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगी और निकट भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण मंदी लाएगी। हालाँकि घोषित किए गए अधिकांश टैरिफ फिलहाल रोक दिए गए हैं लेकिन देशों के बीच व्यापार नीति और करार के बारे में अनिश्चितता व्यवधान पैदा करेगी क्योंकि फर्म निवेश को रोक देंगी और गंतव्य देश तथा खरीद के लिए जोखिम का पुनर्मूल्यांकन करेंगी। वित्तीय संस्थान भी अपने विदेशी एक्सपोजर के आधार पर व्यवसाय को अपनी ऋण आपूर्ति की फिर से जांच करेंगे।

इन उपायों के प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा अप्रैल 2025 में दिए गए विश्व आर्थिक परिदृश्य में अनुमानित वृद्धि में कमी के माध्यम से स्पष्ट हैं। 2025 में विश्व वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की 3.3 प्रतिशत की वृद्धि से बहुत कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृद्धि दर 2024 में 2.8 प्रतिशत से गिरकर 2025 में 1.8 प्रतिशत रहने वाली है।

भारतीय अर्थव्यवस्था: चुनौतियों के बीच आशाजनक स्थिति

दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की धीमी गति और व्यापार में व्यवधान बढ़ने के बावजूद, भारत के लिए 2025 में विकास का पूर्वानुमान 6.2 प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक स्थिर है (आईएमएफ) और यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि 7.2% के अपने शुरुआती अनुमान से घटाकर 6.4% कर दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी सक्रिय मौद्रिक नीति तथा भारत सरकार द्वारा अपनी राजकोषीय नीति और विदेश नीति के माध्यम से किए गए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों और उपायों ने भारतीय बैंकिंग उद्योग को लाभ पहुंचाया है जिसने गतिशील आर्थिक परिदृश्य के समक्ष लचीलापन दिखाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए शुरू में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की लगातार 12 बैठकों में 6.5 प्रतिशत की उच्च उधार दरों को बनाए रखा जबकि रिटेल मुद्रास्फीति तीव्र खाद्य कीमतों और आवश्यक वस्तुओं पर लागत दबाव के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपरी सहनीय स्तर 6.0 प्रतिशत से ऊपर थी। हालाँकि, नियंत्रित नीति उपायों के कारण मुद्रास्फीति की दर में कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 25 और अप्रैल 25 को दो एक साथ एमपीसी बैठकों में से प्रत्येक में मुख्य दर को 25 बीपीएस घटाकर वर्तमान 6.0 प्रतिशत कर दिया है और नीतिगत

रुख में भी बदलाव किया है पहले तटस्थ और फिर समायोजनात्मक। इससे वित्तीय प्रणाली में ऋण में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है क्योंकि कंपनियों और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को उधार लेने की ब्याज लागत में कमी का लाभ मिलेगा। इससे निवेश निर्णयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कंपनियों को पूंजी योजनाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उपभोक्ता उधार भी सस्ता होगा जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक उपभोग और निवेश होंगे।

हालांकि भारत के विकास पथ को औद्योगिक उत्पादन में कमी, खासकर पूंजीगत वस्तुओं, निर्माण/बुनियादी ढांचे और उपभोक्ता टिकाऊ और गैर-टिकाऊ दोनों में मंदी के कारण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आगामी महीनों में औद्योगिक गति को बनाए रखने और तेज करने के लिए अनुकूल टैरिफ परिणाम और व्यापार समझौता प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में बाधाओं को दूर करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में वृद्धि की जानी चाहिए तथा घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सहायक राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का उपयोग किया जाना चाहिए।

बैंकिंग क्षेत्र: भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज

वित्तीय वर्ष 2021 में शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की लाभप्रदता में सुधार का रुझान लगातार चौथे वर्ष 2024-25 में भी जारी रहा जिसमें उच्च ऋण वृद्धि, बेहतर आय और अनर्जक आस्तियों और प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं से सहायता मिली। 2024-25 में आस्तियों पर रिटर्न (आरओए) और इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) दोनों में सुधार हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समेकित कारोबार में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आस्तियों में इस वृद्धि का मुख्य कारक बैंक ऋण था जिसने 13.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जमा राशि में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई हालांकि यह ऋण वृद्धि से पीछे रही जिसके परिणामस्वरूप उधार लेने की अधिक आवश्यकता हुई। कुल ब्याज आय (57.8 प्रतिशत) की तुलना में जमा पर कुल ब्याज कम होने के कारण बैंकों को उच्च शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) दर्ज करने में मदद मिली।

बेहतर एनपीए प्रबंधन और प्रावधान अनुशासन के कारण पीएसबी में एनपीए में काफी कमी आई है। बेहतर वसूली, समाधान योजनाओं और प्रावधान के कारण पीएसबी मार्च 2024 के 0.87 प्रतिशत में काफी सुधार करते हुए मार्च 2025 में 0.53 प्रतिशत की संचयी शुद्ध एनपीए दर्ज करने में सक्षम हुए। मार्च 2025 में 0.94 प्रतिशत के बेहतर स्लिपेज अनुपात के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। बारह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मार्च 2025 में 1.78 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है जबकि मार्च 2024 में यह 1.41 लाख करोड़ रुपये था जो पिछले वर्ष की तुलना में 26.32 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

तकनीकी नवाचारों ने वित्तीय सेवाओं के विस्तार में दक्षता, उत्पादकता, गुणवत्ता, समावेशन और प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय सुधार किया है खासकर डिजिटल ऋण के क्षेत्र में। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की सफलता और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पायलट प्रोजेक्ट (इए) के कार्यान्वयन से वित्तीय प्रणाली में व्यापक बदलाव आ रहा है। भारत में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम है और यह संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। भारत के डिजिटल ऋण बाज़ार में 10 वर्षों की अवधि में सीएजीआर 39.5% की वृद्धि देखी गई। भारतीय डिजिटल उपभोक्ता ऋण बाज़ार के 2030 तक 720 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार करने का अनुमान है जो देश में डिजिटल ऋण बाज़ार के विशाल अवसर का प्रतिनिधित्व करता है।

यूको बैंक: मुख्य कार्यनिष्पादन

व्यवसाय: यूको बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सभी व्यवसाय मानदंडों के तहत बेहतर परिणाम प्रस्तुत किया हैं। दिनांक 31.03.2025 तक बैंक का वैश्विक कारोबार 5,13,527 करोड़ रुपये रहा जबकि दिनांक 31.03.2024 को यह 4,50,007 करोड़ रुपये था। प्रभावी ढंग से लागू की गई और लक्षित रणनीति के परिणामस्वरूप इसमें 14.12% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। प्रति कर्मचारी कारोबार दिनांक 31.03.2025 तक बढ़कर 24.35 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 20.93 करोड़ रुपये था।

जमा: बैंक की कुल जमा राशि दिनांक 31.03.2025 तक बढ़कर 2,93,542 करोड़ रुपये हो गई जो दिनांक 31.03.2024 तक 2,63,130 करोड़ रुपये थी जो 11.56% की वृद्धि दर्शाती है। दिनांक 31.03.2025 तक बैंक का कासा (घरेलू) बैंक की घरेलू जमा राशियों का 37.91% रहा। बैंक की बचत जमा राशि (घरेलू) दिनांक 31.03.2024 को 86,029 करोड़ रुपये जो बढ़कर दिनांक 31.03.2025 को 90,380 करोड़ रुपये हो गई जो 5.06% की वृद्धि दर्शाता है। बैंक की चालू जमा राशि (घरेलू) दिनांक 31.03.2024 के 12,091 करोड़ रुपये से बढ़कर दिनांक 31.03.2025 को 14,325 करोड़ रुपये हो गई जो 18.47% की वृद्धि दर्शाता है।

अग्रिम: बैंक ने दिनांक 31.03.2024 तक के 1,86,877 करोड़ रुपये की तुलना में दिनांक 31.03.2025 तक 2,19,985 करोड़ रुपये का कुल अग्रिम दर्ज किया जो 17.72% की वृद्धि को दर्शाता है। बैंक के रिटेल कारोबार में 35.09 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। रिटेल पोर्टफोलियो में गृह ऋण और वाहन ऋण में क्रमशः 18.13 प्रतिशत और 58.99 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि देखी गई। कृषि ऋण सेगमेंट में 20.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और एमएसएमई सेगमेंट में 18.55 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। 31 मार्च 2025 तक कुल अग्रिम (घरेलू) में रिटेल, कृषि और एमएसएमई (आरएमएम) की हिस्सेदारी 62.73 प्रतिशत थी।

लाभ: दिनांक 31.03.2025 तक बैंक का परिचालन लाभ 6,037 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वर्ष के 4,576 करोड़ रुपये की तुलना में 31.92% अधिक है। बैंक ने दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान 2,445 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया जबकि दिनांक 31.03.2024 में यह 1,654 करोड़ रुपये था फलस्वरूप 47.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

आय: बैंक की शुद्ध ब्याज आय दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए 8,101 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,630 करोड़ रुपये हो गई जो 18.88% की वृद्धि दर्शाता है। गैर-ब्याज आय दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए 3,266 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,406 करोड़ रुपये हो गई जो 34.92% की वृद्धि दर्शाता है।

संपत्ति गुणवत्ता: बैंक का सकल एनपीए 31.03.2024 के 6,463 करोड़ (3.46%) से घटकर दिनांक 31.03.2025 को 5,919 करोड़ (2.69%) हो गया। बैंक का शुद्ध एनपीए दिनांक 31.03.2024 को 1,622 करोड़ (0.89%) से घटकर दिनांक 31.03.2025 को 1,068 करोड़ (0.50%) हो गया।

प्रावधान एवं पूंजी: बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात दिनांक 31.03.2024 के 95.38% से सुधर कर दिनांक 31.03.2025 को 96.69% हो गया है। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिनांक 31.03.2025 को 18.49% और सीईटी-1 अनुपात 16.03% रहा जबकि दिनांक 31.03.2024 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.98% और सीईटी-1 अनुपात 14.14% था।

क्यूआईपी: वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई। पूंजी जुटाने के पश्चात सार्वजनिक हिस्सेदारी 4.61 प्रतिशत से बढ़कर 9.05 प्रतिशत हो गई।

लाभांश: प्रति शेयर आय दिनांक 31.03.2024 को 1.38 रुपये की तुलना में दिनांक 31.03.2025 को बढ़कर 2.04 रुपये हो गई है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक के निदेशक मंडल ने उपरोक्त प्रदर्शन को देखते हुए 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 0.39 रुपये प्रति शेयर (3.9%) के लाभांश की अनुशंसा की है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में शुरू की जाने वाली प्रमुख पहलें

प्रगति को बनाए रखने और विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, बैंक ने हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप और ग्राहक सुविधा में सुधार के लिए कई पहल की हैं।

नेटवर्क विस्तार: बेहतर पहुंच और सेवा के लिए बैंक को ग्राहकों के करीब लाने और पहुंच को अनुकूलित करने के उद्देश्य से यूको बैंक शाखा विस्तार, शाखा की बुनियादी ढांचे में सुधार और वैकल्पिक वितरण चैनलों पर काम कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 में हमने देश भर में 72 नई शाखाएं खोली हैं। इससे घरेलू शाखाओं का नेटवर्क 3302 हो गया है और हांगकांग और सिंगापुर में 1-1 विदेशी शाखा और ईरान में 1 प्रतिनिधि कार्यालय है। कुल शाखाओं में से बैंक की 2031 (61%) शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। 31 मार्च 2025 तक बैंक के पास 2522 एटीएम और 10653 बीसी पॉइंट हैं जिससे कुल टच पॉइंट की संख्या 16480 हो गई है।

उचित निगरानी, प्रभावी नियंत्रण और व्यवसाय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए शाखाओं को फिर से विभाजित करने के लिए मौजूदा अंचलों का पुनर्गठन किया गया है और 6 नए अंचल कार्यालयों यथा बोंगाईगांव, कटक, ग्वालियर, लुधियाना, सोलन और विजयवाड़ा को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये अंचल कार्यालय जुलाई 2025 से कार्य करना आरंभ कर देंगे। इससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमारे बैंक के अंचल कार्यालयों की संख्या 49 हो जाएगी।

डिजिटल क्षमताओं में तेजी लाना: बैंक वित्तीय मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के ईएएसई (बेहतर पहुंच और सेवा उत्कृष्टता) एजेंडा के अनुरूप डिजिटल बैंकिंग के उपयोग, सक्रियण और जुड़ाव को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बैंक ने कई प्रक्रियाएँ अपनाई हैं जैसे:

- **प्रोजेक्ट परिवर्तन:** बैंक की पेशकशों में पूरी तरह से डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण के लिए हमने रिटेल, एमएसएमई और कृषि ऋण मामले में 14 डिजिटल कार्य शुरू कीं।
- यूको बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल कारोबार में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का लक्ष्य रखा था और सफलतापूर्वक 6,400 करोड़ रुपये हासिल कर लिया है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हमने 20,000 करोड़ रुपये की डिजिटल बैलेंस शीट का लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
- बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग प्लेटफॉर्म को उन्नत किया है और अब इस चैनल के माध्यम से 43 सक्रिय सेवाएं प्रदान कर रहा है। पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या एक वर्ष पूर्व के 1.31 लाख से 4.6 गुना बढ़कर 31 मार्च 2025 को 6.04 लाख हो गई।
- प्रमुख डिजिटल और आईटी में प्रगति हेतु 24x7 नेक्स्ट जेन नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना, सभी क्षेत्रों में उन्नत नेटवर्क बैंडविड्थ, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल बैलेंस सर्टिफिकेट, एप्लिकेशन व्हाइटलिस्टिंग के साथ उन्नत एंडपॉइंट सुरक्षा, ईबीजी का तत्काल जारी होना, एनएसई के साथ ई-एफडीआर सुविधा, नई वर्चुअल मशीन सेटअप, आईटी एसेट मैनेजमेंट, एप्लिकेशन कार्यनिष्पादन की मॉनिटरिंग, चल रहे रेसिलिएंस परिचालन केंद्र सेटअप, एपीआई बैंकिंग और हमारी विदेशी शाखाओं के लिए कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उन्नयन शामिल हैं।
- कॉर्पोरेट और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएँ: कॉर्पोरेट उपयोगकर्ताओं के लिए स्वयं-सेवा पासवर्ड प्रबंधन, एनआरई आरडी खाता खोलना और स्कैन और भुगतान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण।
- विदेशी शाखाओं के लिए व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग एप्लिकेशन का कार्यान्वयन।
- टीएबी आधारित बैंकिंग सेवा में सुधार जिसमें वास्तविक समय पर बचत, आवर्ती और सावधि जमा खाते खोलना और वीडियो नो योर कस्टमर का पंजीकरण शामिल है।

ग्राहक-केन्द्रियता को आगे बढ़ाना: यूको बैंक अपने ग्राहकों की जरूरतों और अनुभवों को प्राथमिकता देने और उनकी संतुष्टि और वफ़ादारी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने व्यक्तिगत समाधान, सक्रिय समर्थन और निरंतर फ़ीडबैक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए हैं।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमएसएमई ऋण स्वीकृतियाँ पहली बार 11,000 करोड़ रुपये को पार कर गईं। यूको बैंक ने विविध ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने और एमएसएमई व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु 11 नई एमएसएमई योजनाएं शुरू की, जिनमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से 'यूको एमएसएमई नारी सम्मान' योजना भी शामिल है।

- बैंक ने मार्च 2025 तक के लिए निर्धारित 47,000 करोड़ रुपये के रिटेल व्यवसाय लक्ष्य को पार करते हुए 54,254 करोड़ रुपये का आंकड़ा हासिल किया। यह उपलब्धि विभिन्न उत्पाद पहलों जैसे देयता ग्राहकों के लिए प्री-क्वालिफाइड पर्सनल लोन, टियरयुक्त शिक्षा ऋण योजनाएं (उड़ान, उत्कर्ष, एस्पायर 2.0, यूको स्किल लोन), सहज पेंशन लोन (एसटीपी) प्रक्रिया, और संशोधित प्रक्रियाओं एवं नामांकन सुविधा सहित उन्नत गोल्ड लोन योजना के माध्यम से संभव हो सकी।
- बैंक के कृषि ऋण में वार्षिक 20.02% की वृद्धि हुई और प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम बैंक की एएनबीसी का 51.68% रहा, जबकि अनिवार्य लक्ष्य 40% है। महिला स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों को सूक्ष्म उद्यमी बनने में मदद हेतु 'यूको नारी समृद्धि योजना' शुरू की गई है।
- हमारी महिला ग्राहकों के लिए गृह ऋण, शिक्षा ऋण और एमएसएमई ऋणों पर ब्याज दर में वरीयता आधारित रियायत प्रदान की जाती है ताकि उन्हें वित्तीय एवं व्यावसायिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।
- ऋण स्वीकृति की गुणवत्ता एवं त्वरित निपटान सुनिश्चित करने हेतु समर्पित ऋण स्वीकृति हब स्थापित किए गए हैं। कुल 55 हब (43 रिटेल लोन हब और 12 इंटीग्रेटेड लोन हब) स्थापित किए गए हैं।
- जमा खंड के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई तीन विशिष्ट जमा योजनाओं (यूको अपराजिता बचत खाता, यूको जया लक्ष्मी चालू खाता और यूको संचयिका फ्लेक्सी-आरडी खाता) का एक समर्पित समूह 'पिक बास्केट' लॉन्च किया गया है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के लिए विशेष रूप से 'यूको अपराजिता डेबिट कार्ड' भी प्रस्तुत किया गया है। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत, बैंक देशभर में 16,000 से अधिक गांवों में बिना बैंक/अल्प बैंकिंग क्षेत्रों में समावेशी बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। हमने 845 नए बैंक मित्र जोड़कर कुल बीसी तैनाती को 10,653 तक पहुंचाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बीसी एजेंटों द्वारा प्रयुक्त माइक्रो एटीएम के माध्यम से कुल 3.33 करोड़ लेनदेन किए गए।
- वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 के लिए बैंक को प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत 9.50 लाख खाते खोलने का लक्ष्य सौंपा गया था, जिसके विरुद्ध बैंक ने 12.34 लाख खाते खोले और 130% लक्ष्य प्राप्त किया।
- सरकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अवधारणा पर कार्य करते हुए, यूको बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) के तहत 28.02 लाख और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 63.23 लाख ग्राहकों को बीमा कवरेज प्रदान किया। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत कुल पंजीकृत ग्राहकों की संख्या 12.89 लाख से अधिक हो गई।
- यूको बैंक सरकारी व्यवसाय योजनाओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है। हमने पिछले वर्ष की तुलना में सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) खातों की संख्या में 12.62% और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) खातों में 7.85% की वृद्धि दर्ज की है।
- प्रधानमंत्री सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3017 नए खाते और पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 5033 नए खाते खोलकर, बैंक ने सरकारी परियोजनाओं के प्रचार-प्रसार में सशक्त भूमिका निभाई है।

डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना: लेनदेन की सुरक्षा, उल्लंघनों को रोकने और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में विश्वास का निर्माण करने के लिए यूको बैंक ने एक सुरक्षित प्रणाली के माध्यम से अपने ग्राहकों की आस्तियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू किया है।

- उन्नत अंत बिंदु सुरक्षा के लिए एप्लिकेशन श्वेतसूची समाधान
- पल्स: असामान्य लेनदेन का पता लगाने और स्वचालित आईवीआर कॉल के माध्यम से ग्राहकों को अलर्ट देने के लिए वास्तविक समय डेटा विश्लेषण का उपयोग करने वाली एक उन्नत अलर्ट निगरानी प्रणाली। यह प्रणाली मनी म्यूल्स, धोखाधड़ी के पैटर्न, कार्यप्रणाली और संभावित पीड़ितों की शीघ्र पहचान में सहायक है।
- हमारे उदय चैटबॉट पर कई नई सेवाओं का शुभारंभ और हमारी आईवीआर प्रणाली में रोमांचक संवर्द्धन की शुरुआत। अब ग्राहक चैट या वीडियो कॉल सपोर्ट के माध्यम से रीयल-टाइम सहायता हेतु लाइव ग्राहक सेवा सहयोगियों से जुड़ सकते हैं।
- साइबर अपराध शिकायतों के प्रभावी प्रबंधन के लिए I4सी पोर्टल के साथ एपीआई एकीकरण।
- एआई/एमएल आधारित अलर्ट जनरेशन प्रणाली के माध्यम से एटीएम, पीओएस, ई-कॉमर्स, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और आईपीएस चैनलों में लेनदेन की राशि, स्थान, समय और उपयोगकर्ता व्यवहार के आधार पर धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन की पहचान की जाती है।

कार्यबल क्षमताओं को सशक्त बनाना: संगठनात्मक लक्ष्यों और उभरती मांगों के साथ संरेखित भविष्य के लिए टीम तैयार करने के लिए, बैंक प्रदर्शन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

- राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन संबंधी दिशानिर्देशों के तहत 240 अप्रेंटिसों की नियुक्ति की गई है।
- जनवरी 2025 में भाषाई वरीयता के आधार पर 250 स्थानीय बैंक अधिकारियों (एलबीओ) की भर्ती शुरू की जाएगी।
- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार 544 प्रशिक्षुओं की नियुक्ति
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 975 कार्यपालकों, 12,700 अधिकारियों और 4,798 अधिनस्थ कर्मचारियों, कुल 18,473 को बैंक के इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ देश भर के प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया। अधिकांश प्रशिक्षण आईटी और साइबर सुरक्षा, जोखिम और अनुपालन और डोमेन ज्ञान पर थे।
- बैंक ने 'प्रोजेक्ट संसिद्धि 2.0' की शुरुआत की है, जो अधिकारियों के लिए एक वैज्ञानिक मानव संसाधन नियोजन उपकरण है। साथ ही, सभी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु लर्निंग एंड डेवलपमेंट तथा क्षमता निर्माण पर विशेष पहल की गई है।

- मार्च 2025 तक महिला कर्मचारी हमारे कार्यबल का 29% प्रतिनिधित्व करती हैं और 41 शाखाएँ सभी महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित की जा रही हैं।
- बैंक ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु महिला केंद्रित नीति अपनाई है। कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के साथ-साथ, बैंक रक्षा बल कर्मियों की पत्नियों के स्थानांतरण अनुरोधों पर विशेष विचार करता है और प्रशिक्षण के दौरान बैंक के आंतरिक प्रशिक्षण केंद्रों में महिला अधिकारियों सहित एकल पुरुष अभिभावक अधिकारियों के लिए चाइल्ड केयर सुविधा भी प्रदान करता है।

प्रशंसा

यूको बैंक को प्रशंसा और पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता दी गई है जो टीमों में इसके असाधारण प्रदर्शन और समर्पण को उजागर करता है। ये प्रशंसा उत्कृष्टता, प्रेरणा और निरंतर सुधार की संस्कृति को मजबूत करती है।

- डिजिटल परिवर्तन को सशक्त बनाने के लिए फिनटेक और डीपीआई अपनाने और आईटी जोखिम और प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ के लिए आईबीए वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार।
- मर्चेन्ट क्यूआर और साउंड बॉक्स के साथ मर्चेन्ट ऑन-बोर्डिंग के लिए स्काॅच ने बीएफएसआई गोल्ड पुरस्कार दिया।
- स्काॅच ने यूपीआई 123 भुगतान प्रणाली के लिए बीएफएसआई गोल्ड पुरस्कार प्राप्त किया - आईवीआर के माध्यम से भुगतान की सुविधा।
- उन्नत ग्राहक सेवा अनुभव के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट उपयोग के अंतर्गत आईबीईएक्स पुरस्कार
- ईएसजी और स्थिरता पहल में उत्कृष्टता

आगे का रास्ता

हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रौद्योगिकी एक विभेदक है और हम ग्राहक अधिग्रहण, लीड जनरेशन, ऋण हामीदारी मानकों में सुधार और ऋण निगरानी तंत्र को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का भरपूर लाभ उठाने का इरादा रखते हैं। लाभप्रदता को बनाए रखने में तनावग्रस्त आस्तियां और एनपीए प्रबंधन का समाधान सबसे महत्वपूर्ण है। हम रिटेल - कृषि - एमएसएमई अग्रिम क्षेत्रों में अपने ऋण प्रस्तावों को डिजिटल रूप में अपनाने के माध्यम से ग्राहक सुविधा में सुधार और लागत प्रबंधन के लिए भी तत्पर हैं।

बैंकिंग प्रणाली निस्संदेह ऋण परिनियोजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यूको बैंक सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में भाग लेना जारी रखेगा और ग्राहकों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा जिससे आजीविका की सुरक्षा होगी और व्यावसायिक गतिविधि को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी।

मुझे पूरा विश्वास है कि यूको बैंक इस वित्तीय वर्ष में और अधिक मजबूती से आगे बढ़ेगा और सभी हितधारकों द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास का सम्मान करेगा तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में समावेशी, स्वच्छ और सतत विकास की अपनी यात्रा जारी रखेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बोर्ड के सदस्यों, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सभी नियामक प्राधिकरणों और संगठनों तथा बीमा कंपनियों को उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ। मैं बैंक के मूल्यवान ग्राहकों और शेयरधारकों को उनके संगठन की प्रगति में उनके अथक, मूल्यवान योगदान के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं यूको बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को बैंक के विकास के प्रति उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और योगदान के लिए प्रशंसा करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम जो पहल कर रहे हैं उससे आपका बैंक आने वाले वर्षों में सर्वश्रेष्ठ बैंकों में से एक के रूप में उभरेगा।

हार्दिक शुभकामनाएँ

(अश्वनी कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



Message from the Desk of the MD & CEO

ESTEEMED SHAREHOLDERS, VALUED CUSTOMERS, COLLEAGUES AND STAKEHOLDERS.

It is both a privilege and a responsibility to stand before you today to present the Annual Report of UCO Bank for the financial year 2024-25. The year was pivotal for our Bank as we have crossed the landmark of Rs. 5 lakh crore Global Business. We had set to achieve this goal by March 2025 way back in 2021 as part of our 5 year business plan. Consistent and improved year on year performance by the Bank through well executed strategies have enabled this achievement. We have made good progress in the financial year 2024-25 and have achieved all the guidance parameters that we had set forth in the previous year for FY 2025. We have surpassed our business growth guidance in both Deposit & Credit and have also maintained our guidance on NIM, CASA & RAM percentage. We have restricted Slippage ratio and improved our asset quality to remain within the guidance as set in the previous financial year.

ECONOMIC OVERVIEW: GLOBAL SCENARIO

Reflecting on the journey of the previous financial year that we have undertaken together, we must admit that the year had been challenging, being shaped by evolving global economic dynamics due to trade and policy disruptions and geopolitical tensions. The global economy is highly integrated, with complex supply chains and financial flows. Most traded goods are intermediate inputs that cross multiple countries before their transformation into final products. Thus, the economic upheaval caused by the U.S. waves of tariffs on major trading partners and critical sectors, and the swift counter actions by its trading partners through a combination of measures and countermeasures will impact all major economies and lead to a significant slowdown in global economy in the near term. Although most of the tariff announced is now on hold for the time period, the uncertainty around trade policy and agreements between countries will cause disruption as firms will pause investment and re-evaluate exposure to destination country and purchases. Financial institutions will also re-examine their credit supply to business based on their foreign exposure.

The effects of these measures are evident through the downward revision of estimated growth given by the International Monetary Fund (IMF) as given in its World Economic Outlook, April 2025. World Growth rate is projected to be 2.8 percent in 2025, which is a far fall from the previous year growth of 3.3 percent. The United States growth is set to fall to 1.8 percent in 2025 from 2.8 percent in 2024.

INDIAN ECONOMY: PROMISE AMIDST CHALLENGES

In the backdrop of slowing of major economies of the world and increased trade disruptions, the growth outlook for India is relatively more stable at 6.2 percent in 2025 (IMF) and it continues to be one of the world's fastest-growing major economies. The Reserve Bank of India's (RBI) estimated GDP growth for financial year 2025 has declined to 6.4%, from its initial projection of 7.2%.

Crucial interventions by the RBI with its proactive Monetary Policy and the Government of India with its Fiscal Policy and Foreign Policy and measures have favoured the Indian Banking Industry which has shown resilience in the face of the dynamic economic landscape.

The RBI had initially maintained elevated lending rates at 6.5 percent for 12 straight Monetary Policy Committee (MPC) meetings to manage price stability, when the retail inflation was above the RBI's upper tolerance level of 6.0 percent due to intensified food prices and cost pressures on essential items. However, with controlled policy measures leading to easing inflation rates, the RBI reduced key rate by 25 bps in each of the two simultaneous MPC meetings of Feb-25 and Apr-25 to the present 6.0 percent and also changed the policy stance, first to neutral and then to accommodative. This is expected to significantly improve Credit in the

financial system as companies and individual borrowers will gain from reduced interest cost of borrowing. This will effect investment decisions positively and companies will be encouraged to expand capital plans. Consumer borrowing will also be cheaper, resulting in positive consumption and investment cycles.

However, India's growth trajectory is challenged by the reduced Industrial production, especially with slowdown in Capital Goods, Construction/Infrastructure and both Consumer Durables and Non-Durables. To bolster industrial growth, it is imperative to obtain favourable tariff outcomes and trade agreements in order to sustain and accelerate industrial momentum in the forthcoming months. Further, bottlenecks in the manufacturing sector must be addressed to enhance supply chain efficiencies and use of supportive fiscal and monetary policies to stimulate domestic demand.

BANKING SECTOR: PULSE OF THE INDIAN ECONOMY

The trend of improvement in the profitability of Public Sector Banks (PSBs) which began in FY 2021, continued for the fourth consecutive year in 2024-25, aided by higher credit growth, improved income and lower non-performing assets and provisions and contingencies. Both return on assets (RoA) and return on equities (RoE) have improved in 2024-25.

The consolidated business of PSBs grew by 11.5 percent in FY 2024-25. The main driver of this growth on the asset side was bank credit, which recorded an expansion at 13.6 percent. Deposit growth at 10.0 percent also picked up, although it trailed credit growth, resulting in higher recourse to borrowings. Lower share of total Interest on deposit to total interest income (57.8 percent) helped banks to post higher net interest margins (NIMs).

NPA in PSBs has substantially reduced due to better NPA management and provisioning discipline. Strong recovery, resolution plans and provisioning have allowed the PSBs to post a cumulative net NPA in March 2025 at 0.53 percent, a considerable improvement from 0.87 percent as of March 2024. This together with improved slippage ratio of 0.94 percent in March 2025 has elevated profitability of the PSBs. The twelve PSBs have together reported a net profit figure of Rs. 1.78 lakh crore in March 2025 against Rs. 1.41 lakh crore in March 2024, a sizeable growth of 26.32 percent over the year.

Technological innovations have led to marked improvements in efficiency, productivity, quality, inclusion and competitiveness in the extension of financial services, especially in the area of digital lending. The success of the Unified Payments Interface (UPI); and implementation of the central bank digital currency (CBDC) pilot project (₹) are transforming the wider financial system. India has the 3rd largest FinTech ecosystem globally and this number is rapidly increasing. India's digital lending market witnessed a growth of CAGR 39.5% over a span of 10 years. The Indian digital consumer lending market is projected to surpass USD 720 billion by 2030, representing a vast digital lending market opportunity in the country.

UCO BANK: PERFORMANCE IN FOCUS

Business: UCO Bank has delivered strong results during the FY 2024-25 across all business parameters. As of 31.03.2025, the Bank's Global Business stood at Rs. 5,13,527 crore, compared to Rs. 4,50,007 crore as on 31.03.2024 registering a Y-o-Y growth of 14.12% as a result of effectively implemented and targeted strategy. Business per employee improved to Rs. 24.35 crore as on 31.03.2025 as against Rs. 20.93 crore for the same period of the preceding year.

Deposit: Total Deposits of the Bank grew to Rs. 2,93,542 crore as on 31.03.2025, up from Rs. 2,63,130 crore as on 31.03.2024 registering a growth of 11.56%. CASA of the Bank (Domestic) stood at 37.91% to domestic deposits of the Bank as on 31.03.2025. Savings Deposits (Domestic) of the Bank has increased to Rs. 90,380 crore as on 31.03.2025 from Rs. 86,029 crore as on 31.03.2024 registering a growth of 5.06%. Current Deposits (Domestic) of the Bank has increased to Rs. 14,325 crore as on 31.03.2025 from Rs. 12,091 crore as on 31.03.2024 registering a growth of 18.47%.

Advance: The Bank recorded Total Advances of Rs 2,19,985 crore as on 31.03.2025, registering a growth of 17.72% from Rs. 1,86,877 crore as on 31.03.2024. Retail Business of the Bank showed a growth of 35.09 percent. Within the Retail portfolio, Home Loan and Vehicle Loan showed year-on-year growth of 18.13 percent and 58.99 percent respectively. The Agriculture Loan segment recorded a growth of 20.02 percent and MSME segment showed a growth of 18.55 percent. Retail, Agriculture and MSME (RAM) share to total advance (Domestic) stood at 62.73 percent as on 31st March 2025.

Profit: Operating Profit of the Bank stood at Rs. 6,037 crore as of 31.03.2025, an increase of 31.92% over the previous year figure of Rs. 4,576 crore. Bank has made Net Profit of Rs. 2,445 crore during the year ended 31.03.2025 as against Rs. 1,654 in 31.03.2024, registering a growth of 47.80 percent.

Income: Net Interest Income of the Bank for the year ended 31.03.2025 has increased to Rs. 9,630 crore from Rs. 8,101 crore for the year ended 31.03.2024 registering a growth of 18.88%. Non-Interest Income for the year ended 31.03.2025 has increased to Rs. 4,406 crore from Rs. 3,266 crore for the year ended 31.03.2024 registering a growth of 34.92%.

Asset Quality: Gross NPA of the Bank has reduced to Rs. 5,919 crore (2.69%) as on 31.03.2025 from Rs. 6,463 crore (3.46%) as on 31.03.2024. Net NPA of the Bank has reduced to Rs. 1,068 crore (0.50%) as on 31.03.2025 from Rs. 1,622 crore (0.89%) as on 31.03.2024.

Provision & Capital: Provision Coverage Ratio of the Bank has improved to 96.69% as on 31.03.2025 from 95.38% as on 31.03.2024. Capital Adequacy Ratio of the Bank stood at 18.49 % and CET-I Ratio at 16.03% as on 31.03.2025 vis-à-vis Capital Adequacy Ratio of 16.98 % and CET-I Ratio of 14.14% as on 31.03.2024.

QIP: In the FY 2024-25 Bank has raised Rs. 2000 crore by issuing equity shares through Qualified Institutional Placement. Post raising capital, the public shareholding increased from 4.61 percent to 9.05 percent.

Dividend: Earning per share has improved to Rs. 2.04 as on 31.03.2025 as against Rs.1.38 as on 31.03.2024. I am happy to announce that the Board of Directors of your Bank has recommended a dividend of Rs. 0.39 per share (3.9%) for the year ended 31st March 2025 in view of the above performance.

KEY INITIATIVES UNDERTAKEN IN FY 2024-25

In order to keep up the momentum and to add to growth story, your Bank has taken several initiatives in line with our vision and to improving customer convenience.

Network Expansion: With a view to optimise reach and bring the Bank closer to customers for better access and service, UCO Banks undertakes Branch expansion, improvement in Branch infrastructure and Alternate Delivery Channels. In FY 2025, we have added 72 new branches spread across the country. This takes the tally to a network of 3302 domestic branches and 2 overseas branches each at Hong Kong and Singapore and 1 Representative Office in Iran. Out of the total branches, Bank has 2031 (61%) branches in rural & semi-urban areas. Bank has 2522 ATMs and 10653 BC Points making the total number of 16480 touch points as on 31st March 2025.

In order to redistribute the branches for proper monitoring, effective control and business growth, the existing zones have been reorganised and 6 new zones, namely Bongaigaon, Cuttack, Gwalior, Ludhiana, Solan and Vijayawada have been approved by the Board of Directors. The zones will be functional with effect from July 2025. This will take the number of Zonal Offices of our Bank to 49 in FY 2025-26.

Accelerating Digital Capabilities: Bank is moving towards increasing usages, activation and engagement of Digital Banking in line with the EASE (Enhanced Access and Service Excellence) agenda of the Department of Financial services, Ministry of Finance. Bank has adopted several processes like:

- Project Parivartan: For a fully digital-first approach across the bank's offerings. We launched 14 Digital journeys across Retail, MSME and Agriculture Loans.
- UCO Bank had set a target of over Rs. 6,000 crore in digital business for FY 2024-25 and has successfully achieved Rs. 6,400 crore. For current FY 2025-26, we are targeting Digital Business of Rs. 20,000 crore.
- The Bank has enhanced its WhatsApp Banking platform and is now offering 43 active services through this channel. The number of registered user has increased 4.6 times to 6.04 lakhs in 31.03.2025 from 1.31 lakhs a year ago.
- Key digital and IT advancements include the establishment of a 24x7 Next Gen Network Operations Center, upgraded network bandwidth across all zones, digital balance certificates via mobile banking, enhanced endpoint security with application whitelisting, instant issuance of eBGs, e-FDR facility with NSE, new virtual machine setup, IT asset management, application performance monitoring, ongoing Resilience Operation Centre setup, API banking, and upgrading the core banking platform, Finacle, for our overseas branches.
- Corporate and International Services: Self-service password management for corporate users, NRE RD account opening and International Money Transfer via Scan and Pay.
- Implementation of Trade based Money laundering Application for Overseas branches
- Improvement in TAB based banking service, which involves opening of savings, recurring and term deposit accounts on real time and registration of video know your customer.

Advancing Customer-Centricity: UCO Bank is committed to prioritise the needs and experiences of our customers and enhance their satisfaction and loyalty. We have executed the following actions to focus on personalised solutions, proactive support and continuous feedback integration.

- In FY 2024-25, MSME loan sanctions crossed Rs. 11,000 crore for the first time. UCO Bank launched 11 new MSME schemes to meet diverse customer needs and boost MSME business growth, including a dedicated scheme, 'UCO MSME Nari Samman' for women MSME entrepreneurs.
- The Bank surpassed its March 2025 retail business target of Rs. 47,000 crore by achieving Rs. 54,254 crore, driven by key product initiatives such as Pre-Qualified Personal Loans for liability customers, introduction of tierised Education Loan schemes (Udaan, Utkarsh, Aspire 2.0, UCO Skill Loan), a seamless Pension Loan (STP) journey, and an improved Gold Loan scheme with revamped processes and nomination facility.
- Agriculture Credit of the Bank grew at 20.02% annually and Priority Sector Advances of the Bank constituted 51.68% of ANBC as against the mandatory target of 40%. Bank has introduced a scheme, 'UCO Nari Samridhi Yojana' to finance women entrepreneurs of self-help groups to facilitate them to graduate to micro-entrepreneurs.

- We also provide preferential concession in rate of interest for our Women customers for Home Loan, Education Loan, MSME Loans to shape women participation in the financial and business decisions.
- Dedicated Loan Sanctioning Hubs has been established for improvement in credit underwriting and quick disposal of loan proposals. A total of 55 Hubs comprising of 43 Retail Loan Hubs (RLHs) and 12 Integrated Loan Hubs (ILHs) have been created.
- Under Deposit segment, 'Pink Basket', comprising of three unique deposit products tailored for women customers (UCO Aparajita Savings Account, UCO Jaya Lakshmi Current Account and UCO Sanchayika Flexi-RD Account) have been launched. Additionally, we have introduced 'UCO Aparajita Debit Card' exclusively for our women customers. As part of our financial inclusion initiatives we provide Inclusive Banking Facility to more than 16000 villages across the country in unbanked/under banked areas. We have added 845 Bank Mitras making the total BC deployment by us to 10,653. During FY 2024-25 a total 3.33 crore transactions have been carried out through Micro ATMs used by BC Agents.
- UCO Bank had been entrusted with opening 9.50 lakh Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) in FY 2025 by the Department of Financial Services (DFS) against which we have opened 12.34 lakh accounts, with an achievement of 130 percent of the target.
- Working on the Government's theme of providing social security to the general populace, UCO Bank has provided insurance to 28.02 lakh customers under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY) and to 63.23 lakh customers under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY). Further, total subscribers under Atal Pension Yojana (APY) crossed 12.89 lac till end of FY 2024-25.
- UCO Bank actively promotes Government Business Schemes and we have increased our Sukanya Samridhi Yojna (SSY) account base by 12.62 percent over the past year and Public Provident Fund (PPF) by 7.85 percent.
- UCO Bank has laid strong emphasis in promoting Government projects under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana by opening 3017 new accounts and in PM Vishwakarma Scheme by opening 5033 new accounts in the past financial year.

Reinforcing Data Security: In order to safeguard transactions, prevent breaches, and build trust in digital banking services, UCO Bank has implemented the following measures for the protection of its customers' assets through a secure system.

- Application Whitelisting Solution for enhanced end point security
- PULSE: An advanced alert monitoring system using real-time data analytics to detect unusual transactions and raise alerts to customers through automated IVR calls. This allows early identification of money mules, pattern of fraud, modus operandi and also prospective victims.
- Launch of a range of new services on our UDAY Chatbot and introduced exciting enhancements to our IVR system. Customers can connect with live Customer Service Associates for real time assistance through chat or video call support.
- API Integration with I4C portal for effective management of Cyber Crime Complaints.
- AI/ML based alert generation to detect fraud transactions in ATM/POS/ECOM, UPI, IB, MB, AEPS channel based on transaction amount, location, time, and user behaviour.

Empowering Workforce Capabilities: In order to prepare a future-ready team, aligned with organizational goals and evolving demands, the Bank is committed towards enhancing employee skills, knowledge, and confidence to drive performance and innovation.

- Engagement of 240 Apprentices in terms of guidelines for implementation of National Apprenticeship Training Scheme
- Recruitment of 250 Local Bank Officers (LBOs) initiated in January 2025 based on linguistic preference.
- In FY 2024-25, 975 Executives, 12,700 Officers and 4,798 Sub-Staff, totalling 18,473 were trained in Bank's in-house Training Centres as well as in reputed external training Institutions across the country. A majority of the trainings were on IT & Cyber Security, Risk & Compliance, and Domain Knowledge
- Bank has launched 'Project Samsiddhi 2.0' which is a Scientific Manpower Planning Tool for Officers and also undertaken special initiative on Learning & Development along with Capacity Building for all staff with an aim to elevate the training process.
- As of March 2025, women employees represent 29% of our workforce & 41 branches are managed by all female staff.
- Bank has made women centric policy to promote gender equality and women empowerment. Besides creating a safe workplace environment for women, the Bank takes special consideration of request transfer of spouses of Defence Force Personnel and also offers child care facility for women officers including single male parent officers while on training at Bank's internal training centres.

APPRECIATION

UCO Bank has been recognized through appreciation and awards, highlighting its exceptional performance and dedication across teams. These accolades reinforce a culture of excellence, motivation and continuous improvement.

- IBA Annual Banking Technology Awards for best in Fintech and DPI Adoption and IT Risk and Management under Empowering Digital Transformation.
- SKOCH award BFSI GOLD for Merchant on-boarding with Merchant QR and Sound Box
- SKOCH award BFSI GOLD for UPI 123 Payments system- Facilitating payments through IVR.
- IBEX Awards under Outstanding Use of Emerging Technology for Enhanced Customer Service Experience
- Excellence in ESG & Sustainability Initiatives

THE ROAD AHEAD

We strongly believe technology is a differentiator and intend to leverage technology heavily to enhance customer acquisition, Lead generation, improve loan underwriting standards and enhance loan monitoring mechanism. Resolution of stressed assets and NPA management occupies paramount importance in sustaining profitability. We also look forward to improve customer convenience and manage costs through increased digital adoption of its loan offerings in the segments Retail - Agriculture - MSME advances,

Banking system undoubtedly plays a vital role in reconstruction of economy through credit deployment and UCO Bank will continue to participate in the schemes introduced by the Government and provide additional support to customers thereby safeguarding livelihoods, and helping in seamless resumption of business activity.

I am confident that UCO Bank will grow from strength to strength in this financial year and honor the trust reposed by all stakeholders and continue its journey for inclusive, clean and sustained growth in FY 2025-26. Before I conclude, I sincerely thank the members of the Board, Govt. of India, Reserve Bank of India, all the regulatory authorities & organisations and Insurance Companies for their valuable support and guidance. I wholeheartedly convey my sincere thanks to Bank's valued customers and shareholders for their unstinting, valuable contribution to progress of their organization. I also place on record my appreciation to each and every employee of UCO Bank for their dedication, commitment and contribution towards the growth of the Bank. With the initiatives we have been taking, I am confident that your Bank will emerge as one of the best Bank in years ahead.

With warm regards.

(Ashwani Kumar)
Managing Director & CEO

निदेशक मंडल की रिपोर्ट : 2024-25

निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट 2024-25 के लिए यूको बैंक के खातों के लेखापरीक्षित विवरण के साथ सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

बैंक ने इस वर्ष के दौरान स्थिर कार्यनिष्पादन दर्शाया है और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 6,037.31 करोड़ रुपए का परिचालन लाभ अर्जित किया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 4,576.25 करोड़ रुपये के परिचालन लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 31.93 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निवल लाभ 1,653.74 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निवल लाभ 47.85 प्रतिशत बढ़कर 2,444.99 करोड़ रुपये हो गया है। बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुपालन में चालू वर्ष के लाभ का 25% अर्थात् 611.24 करोड़ रुपए सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया है।

सकल एनपीए 31.03.2024 के 6,463.30 करोड़ रुपए (3.46 प्रतिशत) से घटकर 31.03.2025 को 5,918.54 करोड़ रुपए (2.69 प्रतिशत) हो गया है। 31.03.2024 को समाप्त पिछले वर्ष की तुलना में 17.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए कुल आय 29,473.55 करोड़ रुपये रही। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 31.03.2024 के 95.38 प्रतिशत से बढ़कर 31.03.2025 को 96.69 प्रतिशत हो गया है।

31.03.2025 को वित्तीय कार्यनिष्पादन संकेतकों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	31.3.2024 को समाप्त वर्ष	31.3.2025 को समाप्त वर्ष
कुल जमा	263129.77	293542.18
अंतरराष्ट्रीय जमा	13164.77	17333.16
घरेलू जमा	249965.00	276209.02
कासा जमा (घरेलू)	98120.03	104704.40
चालू खाता जमा	12091.39	14324.75
बचत बैंक जमा	86028.64	90379.65
घरेलू जमा में घरेलू कासा (%)	39.25	37.91
कुल अग्रिम	186877.05	219984.81
अंतरराष्ट्रीय अग्रिम	24604.95	24510.70
घरेलू अग्रिम	162272.10	195474.11
कुल आस्ति	323691.45	362481.08
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	8100.78	9630.08
अन्य आय	3265.53	4406.63
जिनमें से - व्यावसायिक (ट्रेडिंग) लाभ	396.95	338.81
एनआईआई + अन्य आय	11366.31	14036.71
परिचालन लाभ	4576.25	6037.31
कर के अतिरिक्त अन्य प्रावधान	2007.39	2203.74
एनपीए और अशोध्य (बैड) ऋणों को बट्टे खाते में डालने हेतु प्रावधान	1068.27	1632.82
कर पूर्व लाभ	2568.85	3833.58
कर हेतु प्रावधान#	915.11	1388.59
निवल लाभ	1653.74	2444.99

उसमें से डीटीए

895.74

1335.33

प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक (%)	वित्तीय वर्ष 2024	वित्तीय वर्ष 2025
निधियों की लागत	4.63	4.78
अग्रिमों पर प्रतिफल	8.46	8.69
निवल ब्याज मार्जिन	2.92	3.17
लागत-आय अनुपात	59.74	56.99

पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)

विवरण (%)	31.03.2024 तक	31.03.2025 तक
पूँजी पर्याप्तता अनुपात-बासेल III	16.98	18.49
सीईटी-I	14.14	16.03
टियर I	14.54	16.37
टियर II	2.44	2.12

आर्थिक परिदृश्य: वैश्विक

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2025 में पूर्वानुमान लगाया है कि नीतिगत बदलावों, बढ़ते व्यापार तनाव और अनिश्चितताओं के कारण 2025 में वैश्विक वृद्धि में गिरावट आएगी।

विश्व उत्पादन 2025 में 2.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह 2024 की 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर से काफी कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरो क्षेत्र, जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा जैसे और अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाली उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास दर 1.4 प्रतिशत होने की उम्मीद है। 2024 में यह 1.8 प्रतिशत थी। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, जिसका भारत और चीन हिस्सा हैं, विकास दर 2024 के 4.3 प्रतिशत की तुलना में 2025 में 3.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में खुदरा मुद्रास्फीति 2024 की तुलना में 2025 में कम हो जायेगी तथा 2026 में उसमें और अधिक कमी आने की उम्मीद है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह वर्तमान के 3.0 प्रतिशत से घटकर 2026 में 2.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है। यूरो क्षेत्र में यह मौजूदा 2.1 प्रतिशत से घटकर 2026 में 1.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

वैश्विक व्यापार परिदृश्य में भू-राजनीतिक तनाव, विकसित होती व्यापार नीतियाँ और समझौते, आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन, तथा बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के कारण महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। वर्तमान अमेरिकी टैरिफ एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो रही हैं और पूरे क्षेत्र में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है। यदि टैरिफ नीति में नरमी लाई जाती है, तो यह वैश्विक आर्थिक विश्वास को बढ़ावा दे सकती है। हालांकि, इसका आर्थिक प्रभाव पहले से ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। व्यापार युद्ध के जवाब में विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए प्रतिक्रिया उपाय वैश्विक व्यापार को घीमा कर रहे हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं और अधिक बाधित हो सकती हैं और कंपनियों को अपने वैश्विक उत्पादन एवं व्यापार रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारत में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई रिटेल मुद्रास्फीति, अप्रैल 2025 में घटकर 3.16 प्रतिशत हो गई, जो मार्च 2025 में 3.34 प्रतिशत थी। सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मध्यम अवधि लक्ष्य 4 प्रतिशत से नीचे रही है। यह मुख्य रूप से रबी की फसल की अच्छी पैदावार के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में कमी का परिणाम है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की मुद्रास्फीति 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

मुद्रास्फीति पर सकारात्मक दृष्टिकोण के मद्देनजर और विकास को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने फरवरी, 2025 और अप्रैल, 2025 में 0.25 प्रतिशत की दो किरतों में रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे वर्तमान 6.0 प्रतिशत कर दिया है। आरबीआई ने दिसंबर, 2025 तक नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंकों की कटौती करके इसे 4 प्रतिशत करने की भी घोषणा की है।

रेपो दर को कम करने के आरबीआई के फैसले का उद्देश्य तरलता की कमी को दूर करना, निवेशकों की धारणा को बढ़ावा देना, वित्तपोषण की स्थिति में सुधार करना और मांग में तेजी लाना है। नीति घोषणा इस बात का भी संकेत है कि केंद्रीय बैंक अपने मुद्रास्फीति संबंधी दृष्टिकोण के प्रति आश्वस्त है तथा वैश्विक मंदी की पृष्ठभूमि में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि संबंधी चिंताओं को समायोजित करने की दिशा में देख रहा है। इसके अलावा, एमपीसी ने अपना रुख भी '14 तटस्थ' से बदलकर '21 समायोज्य' कर दिया है, जो निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती करने और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने की उसकी इच्छा को दर्शाता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल, 24 से मार्च, 25) के दौरान संवयी निर्यात (माल और सेवाएं) 820.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो वर्ष-दर-वर्ष 5.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल, 24 से मार्च, 25) के दौरान कुल आयात

915.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो वर्ष-दर-वर्ष 6.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यद्यपि भारत ऐतिहासिक रूप से व्यापार घाटे वाला देश रहा है, फिर भी व्यापार घाटा नवंबर, 2024 के 19.84 बिलियन के उच्च स्तर से मार्च, 2025 तक में 3.62 बिलियन घटकर हो गया है। जबकि व्यापार और सेवाओं का निर्यात कुछ हद तक समान रूप से संतुलित है, भारत मुख्य रूप से सेवा निर्यातक देश है, जहां कुल निर्यात का 82.22 प्रतिशत सेवा निर्यात है।

अप्रैल-दिसंबर 2024 (वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले नौ महीने) में संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत का निर्यात वार्षिक आधार पर 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 59.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और इसी अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से कुल आयात 1.91 प्रतिशत बढ़कर 33.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत आसन्न शुल्कों से बचने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। इसके अलावा, प्रभाव को कम करने के लिए, भारत अपने निर्यात बाजारों में विविधता ला रहा है और अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

बैंकिंग क्षेत्र

भारतीय बैंकिंग उद्योग अच्छी आर्थिक वृद्धि, बढ़ती प्रयोज्य आय, बढ़ती उपभोक्तावाद और ऋण तक आसान पहुंच के कारण उन्नति की राह पर है। भारतीय बैंकों को बढ़ती लाभप्रदता और घटती अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से बढ़ावा मिला है। बैंकों के तुलन-पत्र में लगातार सुधार हो रहा है, एनपीए अनुपात कई वर्षों से कम है, प्रावधान अधिक है, पूंजी स्थिति मजबूत है और आय भी अच्छी है। बदले में, ये घटनाक्रम व्यापक और सतत ऋण विस्तार को सुविधाजनक बना रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बारह बैंक (पीएसबी) घरेलू जमा में 9.73 प्रतिशत और घरेलू अग्रिम में 13.96 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ मजबूत स्थिति में हैं। मार्च, 2025 तक 17.12 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ आरएएम (रिटेल, कृषि और एमएसएमई) अग्रिम कुल घरेलू अग्रिम का 61.48 प्रतिशत हैं। इस अवधि में रिटेल अग्रिम ने 27.28 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ गति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, मार्च, 2024 की तुलना में मार्च, 2025 में बारह पीएसबी के जीएनपीए में संचयी रूप से 55890 करोड़ रुपये या 16.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। बारह बैंकों की जीएनपीए की वर्तमान स्थिति उनके कुल अग्रिम का 2.84 प्रतिशत है, जो एक वर्ष पहले के 3.93 प्रतिशत से उल्लेखनीय गिरावट है। 95.01 प्रतिशत के औसत प्रावधान कवरेज अनुपात के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दबावग्रस्त बही में पर्याप्त व्यवस्था है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कुल मिलाकर लगभग 1,78,364 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26.32 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि है। बैंकों ने भी पूंजी निवेश के लिए सरकार पर निर्भर हुए बिना, अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए बाजार से धन जुटाया है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अच्छी सेहत का संकेत है तथा उनकी सुदृढ़ता और लचीलेपन को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान यूको बैंक का कार्यनिष्पादन:

1. यूको बैंक का वितरण चैनल:

1.1 ब्रिक एवं मोर्टर नेटवर्क:

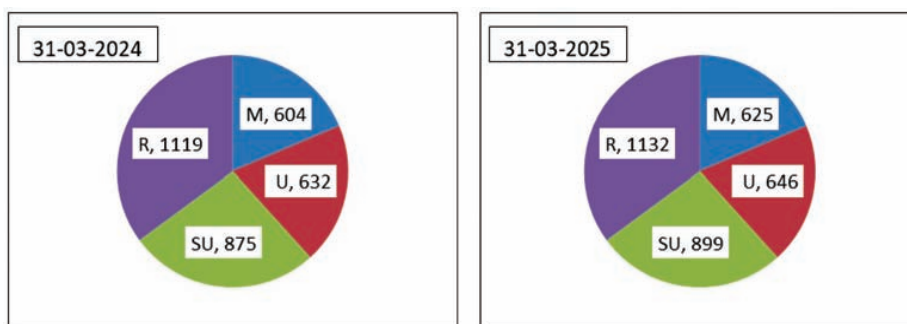
यूको बैंक का भारत में भौगोलिक दृष्टि से व्यापक फैला हुआ शाखा नेटवर्क है तथा विदेशों में भी इसकी उपस्थिति है। 31.03.2025 तक बैंक की 43 अंचल और 3302 घरेलू शाखाएँ, 2 विदेशी शाखाएँ (सिंगापुर और हांगकांग में एक-एक) तथा तेहरान, ईरान में 1 प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया गया हैं।

पिछले 5 वर्षों में वैश्विक शाखा नेटवर्क निम्नानुसार है:

मार्च 2021	मार्च 2022	मार्च 2023	मार्च 2024	मार्च 2025
3089	3074	3207	3232	3304

1.2 शाखाएँ एवं कार्यालय नेटवर्क:

31.03.2024 और 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार घरेलू शाखाओं की संख्या श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:

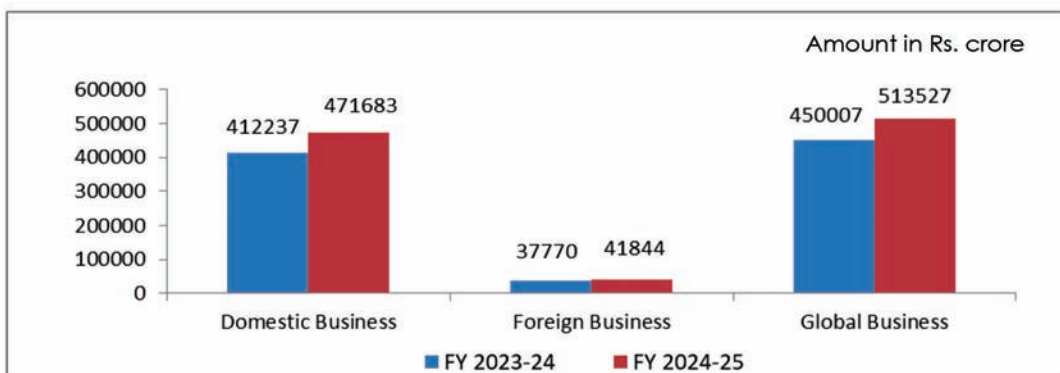


घरेलू शाखाओं में 6 फ्लैगशिप कॉर्पोरेट शाखाएँ, 7 आस्ति प्रबंधन शाखाएँ, 4 सेवा शाखाएँ, 1 केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र, 1 एकीकृत ट्रेजरी शाखा और 25 एमसीयू शाखाएँ शामिल हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, 43 रिटेल ऋण केन्द्र, 43 एसएमई एवं कृषि ऋण केन्द्र, 12 एकीकृत ऋण केन्द्र और 70 मुद्रा तिजोरियाँ भी देश भर में विभिन्न केन्द्रों की प्रमुख शहरी शाखाओं से जुड़ कर कार्य कर रही हैं।

2. कारोबार प्रोफाइल

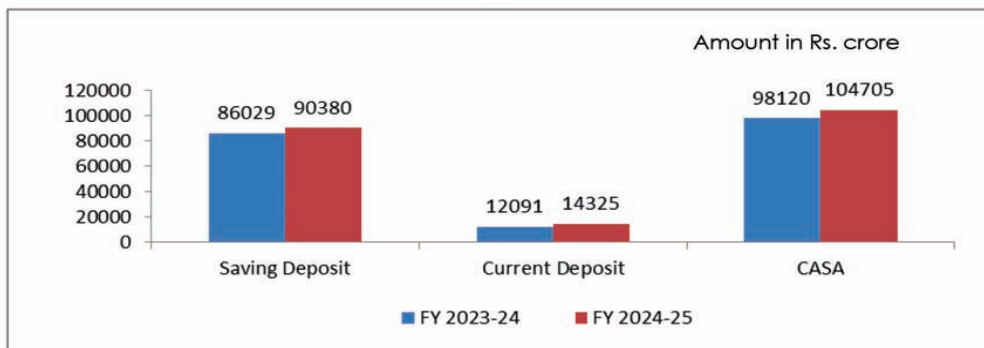
2.1 वैश्विक

- बैंक का वैश्विक कारोबार मार्च, 2024 के रु.4,50,007 करोड़ की तुलना में 14.12% की वृद्धि के साथ 31.03.2025 को रु.5,13,527 करोड़ रहा।
- वैश्विक जमा 31.03.2024 के रु.2,63,130 करोड़ की तुलना में 11.56% की वृद्धि के साथ 31.03.2025 को रु.2,93,542 हो गया है।
- वैश्विक अग्रिम 31.03.2024 के रु.1,86,877 करोड़ की तुलना में 17.72% की वृद्धि के साथ 31.03.2025 को रु.2,19,985 हो गया है।



2.2. घरेलू

- बैंक का समग्र घरेलू कारोबार 31.03.2024 के रु.4,12,237 करोड़ में 14.42% वृद्धि के साथ 31.03.2025 को बढ़कर रु.4,71,683 करोड़ हो गया है।
- घरेलू जमा 31.03.2024 के रु.2,49,965 करोड़ में 10.50% वृद्धि के साथ 31.03.2025 को बढ़कर रु.2,76,209 करोड़ हो गई है।
- घरेलू अग्रिम 31.03.2024 के रु.1,62,272 करोड़ की तुलना में 20.46% की वृद्धि के साथ 31.03.2025 को रु.1,95,474 करोड़ हो गया है।
- कासा जमा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.71% वृद्धि के साथ रु.1,04,705 करोड़ हो गई है, बचत जमा 5.06% बढ़कर रु.90,380 करोड़ हो गई है। चालू जमा 31.03.2024 के रु.12,091 करोड़ में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 18.47% की वृद्धि के साथ 31.03.2025 को रु.14,325 करोड़ हो गया है।
- घरेलू जमा में कम लागत वाली जमा राशियों (कासा) का अंश 31.03.2024 को 39.25% से घटकर 31.03.2025 को 37.91% हो गई।



3. कोष

वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक का घरेलू निवेश 31.03.2024 के ₹92,970.05 करोड़ से 1.22% घटकर 31.03.2025 को ₹91,829.79 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान गैर-एसएलआर निवेश में 4.49% की कमी आई, जिससे निवेश पोर्टफोलियो में कुल 1.22% की कमी आई है।

बैंक का एसएलआर निवेश 31.03.2024 के ₹66,418.16 करोड़ से मामूली रूप से बढ़कर 31.03.2025 को ₹66,470.16 करोड़ हो गया है।

गैर-एसएलआर निवेश (घरेलू) 31.03.2024 के ₹26,551.89 करोड़ से 4.49% घटकर 31.03.2025 को ₹25,359.63 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण जीरो कूपन पुनर्पूजीकरण बांड का उचित मूल्य था।

वर्ष 2024-25 के दौरान घरेलू निवेश से 6257.21 करोड़ रुपये की ब्याजगत आय (निवेश पर वृद्धि सहित) दर्ज की गई।

3.1 अंतरराष्ट्रीय कारोबार

31 मार्च, 2025 तक, सिंगापुर और हांगकांग स्थित विदेशी शाखाओं से बैंक का कुल कारोबार ₹41,844 करोड़ था, जो वैश्विक कारोबार का 8.15% था। विदेशी कारोबार में कुल जमा ₹17,333 करोड़ और कुल अग्रिम ₹24,511 करोड़ शामिल थे।

भारतवर्ष में 65 बी-श्रेणी शाखाओं के साथ हमारा बैंक निर्यातकों/आयातकों के ज़रूरतों को सक्रिय रूप से पूरा करने और अपने अनिवासी ग्राहकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का कुल मर्चेन्ट कारोबार ₹58,184 करोड़ रुपये रहा।

4. सामाजिक बैंकिंग

4.1 कृषि

बैंक का कृषि ऋण 31.03.2024 के ₹24,641 करोड़ से 20.02% वार्षिक वृद्धि के साथ 31.03.2025 को ₹29,575 करोड़ हो गया। इसका विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ ₹ में)

कृषि	31.03.2024	31.03.2025	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि%
फसल ऋण	9222*	11185	21.28
निवेश ऋण	6382	8360	30.99
कृषि संबद्ध	5812	6276	7.98
आधारभूत संरचना और सहायक	3225	3754	16.40
कुल कृषि	24641	29575	20.02

* हमारे द्वारा जारी 1000 करोड़ रुपये का आईबीपीसी।

4.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 में आरबीआई के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के तहत कार्यनिष्पादन

यूको बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वित्तपोषण के कार्यनिष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है तथा ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के अपने विशाल नेटवर्क के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान कर रहा है।

- 31.03.2025 तक, बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (निवेश और पीएसएलसी सहित) ₹87,769 करोड़ रहा जो एएनबीसी के 40% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में एएनबीसी का 51.68% है।
- बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कुल कृषि अग्रिम (निवेश और पीएसएलसी सहित) ₹30,965 करोड़ रहा जो एएनबीसी के 18% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में एएनबीसी का 18.23 % है।
- 31.03.2025 तक छोटे और सीमांत किसानों (पीएसएलसी सहित) को 17,367 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया, जो एएनबीसी 10.00% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 10.23% है।
- 31.03.2025 तक गैर-कॉर्पोरेट किसानों को 25,101 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया, जो एएनबीसी के 14.78% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में का 13.78% है।
- 31.03.2025 को सूक्ष्म उद्यमों को 22.957 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया, जो एएनबीसी के 13.52% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 7.50% है।
- 31.03.2025 तक कमजोर वर्गों को 24,142 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया, जो एएनबीसी के 14.21% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 12.00% है।

यूको बैंक 2 राज्यों अर्थात ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है। बैंक भारतवर्ष के 36 जिलों में अग्रणी बैंक के दायित्वों का निर्वहन कर रहा है।

बैंक ने सरल कृषि आधारित ऋण देने से आगे बढ़कर अधिक विविधतामूलक ग्रामीण ऋण रणनीति को अपना लिया है। नए शुरू किए गए उत्पादों जैसे कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ), पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई), खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण आदि पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमने स्वयं सहायता समूहों के वैयक्तिक सदस्यों को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से नारी समृद्धि योजना शुरू की है।

बैंक अपने प्रमुख उत्पादों जैसे केसीसी, कृषि स्वर्ण ऋण, बागवानी ऋण, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। बैंक ने 2 लाख रुपये तक के केसीसी नवीनीकरण को डिजिटल कर दिया है।

4.3 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रवाह:

- स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की अवधारणा ने महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाकर और सामुदायिक निर्णय-निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाकर उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्व-सहायता समूहों को ऋण प्रदान करना ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है, जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि होती है और परिणामस्वरूप ग्रामीण जनता की आय में सुधार होता है।
- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की अवधारणा ने गरीबों को ऋण की निर्बाध संचितरण सुनिश्चित किया है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। बैंक ने एसएचजी बैंक लिंकेज को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है।
- मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों की बकाया क्रेडिट बढ़कर 4,158 करोड़ हो गया जिसमें 1.79 लाख स्वयं सहायता समूह शामिल है जो 29.53% की वार्षिक वृद्धि की दर्शाता है।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी नामतः पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) का मुख्यालय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है, जिसके 31.03.2024 तक चार क्षेत्रीय कार्यालय और 230 शाखाएं हैं।

5.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी स्थिति - पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक

31.03.2025 को पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी 682.86 करोड़ रुपये रही, जिसमें भारत सरकार से 341.43 करोड़ रुपये, यूको बैंक से 239 करोड़ रुपये (प्रायोजक बैंक के रूप में) और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 102.43 करोड़ रुपये शामिल थे।

5.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक कार्यनिष्पादन

31.03.2025 तक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी रु 7295 करोड़ है, जो 5.63% की वृद्धि दर्शाती है। कुल अग्रिम 6.41% की वार्षिक संवृद्धि के साथ रु 4415 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है। ऋण-जमा अनुपात 31.03.2024 के 60.08% की तुलना में 31.03.2025 को 60.52% रहा।

सकल एनपीए 31.03.2024 के रु339.31 करोड़ की तुलना में 31.03.2025 को रु343.03 करोड़ हो गया। सकल अग्रिम पर सकल एनपीए 31.03.2024 को 8.18% की तुलना में 31.03.2025 को 7.77% रहा। निवल एनपीए 31.03.2025 को 0.00 करोड़ रुपये रहा, जबकि 31.03.2024 को यह 31.75 करोड़ रुपये था। आरआरबी का निवल एनपीए अनुपात 31.03.2024 के 0.83% की तुलना में 31.03.2025 को 0.00% रहा।

पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक ने 31.03.2025 तक रु63.55 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है, जबकि 31.03.2024 तक रु50.65 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया गया था, जिससे संचित घाटा 31.03.2024 के रु408.81 करोड़ से घटकर 31.03.2025 तक रु357.26 करोड़ हो गया।

6. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कई कार्यक्रम/पहल की हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम/पहलें निम्नानुसार हैं:

- क) हमारे बैंक ने 7 राज्यों असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में 27 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। समर्पित बुनियादी अवसंरचना वाले ये 27 संस्थान प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्रदान करने और ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी और अल्प रोजगार को कम करने के लिए समर्पित हैं। ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता कौशल विकास को समर्पित इन प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 979 प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इन सभी आरएसईटीआई ने 30,016 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया तथा 12,933 लाभार्थियों को 47.70 करोड़ रुपये का ऋण सहबद्धता (क्रेडिट लिंकेज) उपलब्ध कराई गई।

ख) 31.03.2025 तक, बैंक ने असम, बिहार, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश राज्यों में आरबीआई द्वारा पहचाने गए एनजीओ नामतः क्रिसिल फाउंडेशन, धन फाउंडेशन, आरोह फाउंडेशन, एचपीएसआरएलएम, स्वाधार फिन असेसमेंट फाउंडेशन, ग्राम साथी, अवोक इंडिया, मेसर्स मदर, स्वाधार फिनांसेज, मेसर्स अरावली के सहयोग से 127 वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) स्थापित किए हैं। सभी सीएफएल ने 22,59,988 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए सामूहिक रूप से 61,889 शिविर आयोजित किए और 1,53,389 लाभार्थियों को ऋण सहबद्धता (क्रेडिट लिकेज) उपलब्ध कराई गई है।

ग) बैंक के देश भर में 35 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) हैं जिनमें 13 वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, वित्तीय साक्षरता सलाहकारों ने 2418 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं, जिससे 31 मार्च 2025 तक 91,859 प्रतिभागियों के बीच वित्तीय जागरूकता का प्रसार किया गया।

7. वित्तीय समावेशन

7.1 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

बैंक रहित / कम बैंक वाले क्षेत्रों में समावेशी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक को देश भर में 16281 गांव आवंटित किए गए हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग के निदेशों के अनुरूप इन गांवों को 4122 उप सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में वर्गीकृत किया गया है। सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने तथा समग्र आबादी को सुनियोजित बैंकिंग सुविधा के दायरे में लाने के उद्देश्य से इन 4122 एसएसए में से 3656 एसएसए बीसी एजेंटों के माध्यम से तथा टीयर 5 गांवों (5000 से अधिक की जनसंख्या) में 466 एसएसए के माध्यम से कवर किए गए हैं।

बैंक ने 845 बैंक मित्र जोड़े हैं, जिससे अब तक कुल बीसी तैनाती 10,653 हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बीसी एजेंटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रो एटीएम के माध्यम से कुल 333.55 लाख लेनदेन किए गए, जिनकी राशि रु.13,080.80 करोड़ थी (हर महीने औसतन लगभग 27.80 लाख लेनदेन, जिनकी राशि रु.1,090.07 करोड़ थी)।

बैंक ने 25 मार्च के अंत तक 149.24 लाख पीएमजेडीवाई खातों में 6060.54 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जिसमें पीएमजेडीवाई बचत जमा में 1.30% की वृद्धि और पीएमजेडीवाई खाता खोलने में 9.55% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएमजेडीवाई खातों के तहत प्रति खाता शेष राशि 4067 रुपये गई। बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 12.34 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं।

बैंक ने पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को लगभग 58.29 लाख रुपये कार्ड वितरित किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बीसी एजेंटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रो एटीएम पर रुपये कार्ड के माध्यम से प्रति माह 1.00 लाख का औसत लेनदेन हुआ, जिसकी मासिक औसत राशि 47.84 करोड़ रुपये रही।

7.2 आधार सीडिंग और प्रमाणीकरण

यूआईडीएआई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहक खाते खोलने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में स्वैच्छिक रूप से आधार संख्या दी जा सकती है। विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार आवश्यक है। 31 मार्च 2025 में, लगभग 92% सक्रिय बचत खातों को आधार संख्या से जोड़ दिया गया है तथा 59% सक्रिय बचत खातों में आधार प्रमाणीकरण किया जा चुका है।

7.3 माइक्रो क्रेडिट-ओवरड्राफ्ट सुविधा

मार्च 2025 तक बैंक में ओडी सुविधा का उपयोग करने वाले पीएमजेडीवाई खातों की संख्या 3.72 लाख है, जिसमें कुल संस्वीकृत राशि 75.38 करोड़ रुपये है। वित्त मंत्री की बजट घोषणा (वित्त वर्ष 2020-21) के अनुसार, स्थापित महिला एसएचजी सदस्य को उनके पीएमजेडीवाई खातों में 5000/- रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति है।

7.4 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

अब तक बैंक से वंचित जन मानस को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की सरकार की थीम पर कार्य करते हुए, बैंक ने अपनी शाखा और बीसी नेटवर्क के माध्यम से बीमा और पेंशन उत्पादों अर्थात् प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को प्रस्तुत किया है। पीएमजेजीबीवाई योजना के तहत 28.02 लाख ग्राहकों ने 2 लाख रुपये और पीएमएसबीवाई योजना के तहत 63.23 लाख ग्राहकों ने 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्राप्त किया। पीएमजेजीबीवाई के तहत अब तक कुल 15738 दावों का निपटारा किया गया है और 2575 के दावों का निपटारा पीएमएसबीवाई के तहत किया गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 24-25 के अंत तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल ग्राहक 12.89 लाख को पार कर गई है। वित्त वर्ष 24-25 के दौरान, 16.02% की वर्ष-से-वर्ष वृद्धि के साथ 1.78 लाख ग्राहकों को एपीवाई फोल्ड में जोड़ा गया है।

7.5 एम-बैंकिंग, ई-बैंकिंग, एसएमएस के माध्यम से पीएमजेजीबीवाई और पीएमएसबीवाई नामांकन

वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान यूको ई-बैंकिंग और यूको एम बैंकिंग ऐप पर पीएमजेजीबीवाई और पीएमएसबीवाई के नामांकन का इलेक्ट्रॉनिक मोड भी उपलब्ध है। पीएमजेजीबीवाई और पीएमएसबीवाई का नामांकन एसएमएस सुविधा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया, जिसमें ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से एसएमएस भेजकर स्वयं नामांकन कर सकते हैं। डिजिटल स्व-नामांकन के लिए कम प्रीमियम के माध्यम से ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।

जनसुरक्षा पोर्टल के माध्यम से पीएमजेजीबीवाई और पीएमएसबीवाई नामांकन: पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पीएमजेजीबीवाई और पीएमएसबीवाई से संबंधित सभी दावों को जनसुरक्षा पोर्टल पर लाइव कर दिया गया था।

7.6 डीएफएस का लक्ष्य और उपलब्धि

क) पीएमजेएसएस (प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजनाएं, यानी पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई) के तहत संतुष्टि अभियान: माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वाधीनता दिवस 2021 के भाषण की पृष्ठभूमि में, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने बैंकों को (उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.नं.21(23)/2014-एफआई (मिशन) दिनांक 27-09-2021 के अनुसार) पीएमजेजीवाई खाता खोलने और जनसुरक्षा योजनाओं के लिए संतुष्टि अभियान के कार्यान्वयन हेतु निदेश दिए ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकार की बीमा और पेंशन योजना से जोड़ा जा सके।

ख) पीएमजेजीवाई खाते में संतुष्टि अभियान: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान डीएफएस द्वारा 9.50 लाख पीएमजेजीवाई खाते खोलने का लक्ष्य प्रदान किया गया। हमने लक्ष्य को 130% प्रतिशत की उपलब्धि के साथ 12.34 लाख प्राप्त किया है।

7.7 आकांक्षी जिलों में प्रगति

आकांक्षी जिलों में वित्तीय समावेशन की पैठ बढ़ाने के उद्देश्य से, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने जनवरी 2020 में 40 आकांक्षी जिलों (एडी) में लक्षित वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप कार्यक्रम (टीएफआईआईपी) शुरू किया और फरवरी 2021 में इसे सभी 112 आकांक्षी जिलों (एडी) तक प्रसारित किया गया। हमारे बैंक को 7 जिले आवंटित किए गए हैं, जिनके नाम बेगूसराय, गोवालपारा, बारपेटा, धुबरी, बांका, ढेंकनाल, दरांग हैं। आवंटित आकांक्षी जिलों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य नीचे दिए गए हैं:

- आकांक्षी जिलों में प्रगति की निगरानी के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए चैंपियन ऑफ चेंज डैशबोर्ड में वित्तीय समावेशन और कौशल विकास विषय के तहत असम राज्य के दरांग, चुबरी और गोवालपारा जिला शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वालों जिलों (कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से) में नामित हैं।

7.8 देश के 500 चिन्हित ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) को लागू करना

प्रधानमंत्री ने 07 जनवरी 2023 को आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़े रहे ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना है। यह कार्यक्रम इन पिछड़े ब्लॉकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने पर बल देता है। देश के 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि अंतिम मील तक पहुंच बनाई जा सके और संतुष्टि की नीति अपनाई जा सके। यह आर्थिक कार्यक्रम शुरू में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉकों को कवर करेगा, जिनमें से आधे से अधिक ब्लॉक छह राज्यों - उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। जैसा कि डीएफएस द्वारा सूचित किया गया है, एबीपी के लिए अंतिम मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) नीचे दिए गए हैं:

- ब्लॉक में स्थित बैंकिंग आउटलेट (शाखा/बीसी/आईपीबीबी) की संख्या
- ब्लॉक में 5 किमी के भीतर बैंकिंग आउटलेट द्वारा कवर नहीं किए गए गांवों की संख्या

7.9 10600 बीसी को शामिल करना

हमने बैंकिंग सुविधा संपन्न और बैंकिंग सुविधा से वंचित क्षेत्रों में 845 बीसी की नियुक्ति की है। 31 मार्च 2025 तक हमारे पास 10,653 बीसी बल है।

7.10 आधार नामांकन केंद्र

हमारे बैंक में यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 10% शाखाओं को कवर करते हुए कुल 300 आधार नामांकन केंद्र स्थापित किए गए हैं। बैंक ने आईसी के कुशल संचालन और बैंक के कर्मचारियों के इष्टतम उपयोग के लिए आधार ऑपरेटर गतिविधि के लिए कॉर्पोरेट बीसी को आउटसोर्स किया है।

7.11 वित्तीय समावेशन परियोजना के माध्यम से राजस्व प्राप्त

वित्तीय समावेशन के तहत लगातार किए गए प्रयासों ने अच्छे परिणाम मिले हैं और बैंक को इन गतिविधियों से मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के लाभ प्राप्त होने लगे हैं। शाखाओं की भीड़भाड़ में कमी होना, लेनदेन लागत में कमी और कासा आधार में वृद्धि वित्तीय समावेशन परियोजना के अमूर्त लाभ हैं। विभिन्न उत्पादों के तहत अर्जित कमीशन के रूप में मूर्त लाभ प्राप्त हुए हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमजेजेबीवाई में 606.63 लाख रुपये, पीएमएसबीवाई में 17.35 लाख रुपये और एपीवाई में 284.08 लाख रुपये कमीशन के रूप में अर्जित किया।

8. सरकारी कारोबार

सरकारी कारोबार कक्ष भारत सरकार की लघु बचत जमा योजनाओं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, केंद्र और राज्य सरकार की पेंशन, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना (एनपीएस) को संभालता है।

लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) के तहत कुल खाता आधार में 31.03.2024 को 1,58,544 से 31.03.2025 को 1,70,991 की वृद्धि हुई, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 7.85% की वृद्धि दर्ज की गई और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) में 31.03.2024 को 1,33,065 से 31.03.2025 को 1,49,869 तक 12.62% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक शुल्क आधारित आय बढ़ाने के लिए सरकारी कारोबार उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर देता है। वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न सरकारी व्यावसायिक उत्पादों यानी कर संग्रह, पेंशन, लघु बचत योजनाओं, एपीवाई, बॉन्ड जारी करने आदि से लगभग 24.00 करोड़ रुपये का टर्नओवर कमीशन प्राप्त हुआ। सरकारी कारोबार उत्पादों के तहत कारोबारी कार्यनिष्पादन में भी काफी सुधार हुआ है।

9. एमएसएमई

9.1 बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एमएसएमई कारोबार वृद्धि के लिए की गई पहल:

क. ऋण हामीदारी में सुधार के लिए देश भर में 34 ऋण प्रसंस्करण केन्द्र (एसएमई और कृषि केन्द्र/एकीकृत ऋण केन्द्र) शुरू किए गए। अब, 55 ऋण प्रसंस्करण केन्द्र (एसएमई और कृषि केन्द्र/एकीकृत ऋण केन्द्र) कार्यरत हैं।

हब परिचालन का प्रभाव

वित्तीय वर्ष 23-24 में हब द्वारा संस्वीकृत	वित्तीय वर्ष 24-25 में हब द्वारा संस्वीकृत	विकास प्रभाव	
		राशि	%
₹7,391	₹11,178	₹3,787	51%

ख. एमएसएमई ग्राहकों की विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और एमएसएमई कारोबार में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समकक्ष बैंकों के अनुरूप 11 नई एमएसएमई ऋण योजनाएं शुरू की गईं।

- यूको आढ़तिया
- यूको राइस शेलर्स
- यूको एमएसएमई कार्यालय
- यूको अभिनंदन
- यूको ट्रेड एडवांटेज
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) [उत्तर प्रदेश राज्य]
- यूको एमएसएमई नारी सम्मान
- यूको एमएसएमई युवा शक्ति
- यूको पीएम सूर्य घर व्यापार योजना

ग. 2 डिजिटल ऋण योजनाओं की शुरुआत

- यूको जीएसटी स्मार्ट फाइनेंस
- एमएसएमई स्मार्ट फाइनेंस

घ. बैंक ने उद्यम सहायता पोर्टल के माध्यम से लगभग 2 लाख उद्यम पंजीकरण संख्याएं केंद्रीय रूप से तैयार की हैं, जिससे 2 लाख अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक बनाने में मदद मिली है।

ङ. बैंक ने “पर्यटन और आतिथ्य” उद्योग को चैंपियन क्षेत्र के रूप में पहचाना है।

च. बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त (एससीएफ) परिचालन को सुव्यवस्थित करने और एससीएफ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कॉरपोरेट्स को शामिल करने के लिए वीफिन सॉल्यूशंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

9.2 बैंक द्वारा एमएसएमई कारोबार वृद्धि पर की गई पहलों का प्रभाव:

- एमएसएमई कारोबार मार्च, 2025 तक ₹6,070 करोड़ बढ़कर ₹38,783 करोड़ हो गया है, जो 18.55% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पहली बार कुल एमएसएमई ऋण संस्वीकृति ₹11,000 करोड़ को पार कर गई है।
- औसत दैनिक एमएसएमई ऋण संस्वीकृति वित्तीय वर्ष 23-24 में ₹20 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 24-25 में बढ़कर ₹31 करोड़ हो गई है।
- एमएसएमई ऋण संस्वीकृति का औसत टिकट आकार वित्तीय वर्ष 23-24 में ₹5.62 लाख की तुलना में वित्तीय वर्ष 24-25 में बढ़कर ₹13.95 लाख हो गया है। परिणामस्वरूप, एमएसएमई ऋण स्वीकृति का औसत टिकट आकार 2.48 गुना हो गया है।
- 34 अंचलों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का एमएसएमई कारोबार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

- 15 हब [एसएमई और एग्री हब (12) और एकीकृत ऋण हब (3)] ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के एमएसएमई संस्वीकृति लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।
- 12/02/2025 से 25/03/2025 (42 दिन) तक आयोजित पाक्षिक “एमएसएमई और कृषि कार्निवल” अभियान में रु.3,000 करोड़ के एमएसएमई ऋण संस्वीकृत किए गए।
- वित्तीय वर्ष 24-25 में रु.198 करोड़ की राशि के 2,671 डिजिटल एमएसएमई ऋण संस्वीकृत किए गए।

डिजिटल एमएसएमई ऋण के तहत कार्यनिष्पादन

(31.03.2025 तक की स्थिति)

विवरण	संख्या	राशि
एसटीपी शिशु मुद्रा	1211	6
यूको जीएसटी स्मार्ट फाइनेंस	1368	180
यूको एमएसएमई स्मार्ट फाइनेंस	92	12
डिजिटल एमएसएमई ऋण	2671	198

10. रिटेल

- यूको बैंक का रिटेल ऋण पोर्टफोलियो मार्च, 2025 में 35.09 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 54,255 करोड़ रुपये हो गया है।
- मार्च, 2025 तक गृह ऋण पोर्टफोलियो में वर्ष- दर- वर्ष वृद्धि 18.13 प्रतिशत, वाहन ऋण में 58.99 प्रतिशत और व्यक्तिगत ऋण में 46.30 प्रतिशत रही।
- रिटेल ऋण पोर्टफोलियो बैंक के कुल घरेलू अग्रिमों का 27.75 प्रतिशत है।

10.1 बैंक द्वारा शुरू की गई एसटीपी कार्य: रिटेल ऋण खंड के अंतर्गत ग्राहक जुड़ाव को लागू करने एवं कारोबार वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित एसटीपी कार्य शुरू की हैं:

- पूर्व-योग्य व्यक्तिगत ऋण - यह एक व्यक्तिगत ऋण योजना है जो पात्र ग्राहक को बचत खातों में उनके लेनदेन इतिहास के आधार पर प्रदान की जाती है।
- एसटीपी शिक्षा ऋण - यूको उत्कर्ष (पुरुष छात्र) और यूको उड़ान (महिला छात्र) की शुरुआत, उपर्युक्त योजनाओं के तहत शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए ग्राहक के कार्य आसान होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों पर आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।
- सेलेक्ट प्लस की शुरुआत की गई है जो ऐसे आसित ग्राहकों के लिए एक व्यक्तिगत ऋण है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है।

10.2 नई रिटेल ऋण योजनाओं की शुरुआत:

- “उड़ान” योजना का शुभारंभ उन मेधावी छात्रों को बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से अधिमान्य शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था, जिन्होंने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन करवाया।
- ‘यूको उत्कर्ष’ योजना का उद्देश्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को अधिमान्य शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- एस्पायर 2.0 - बेहतर सुविधाओं के साथ विदेश में अध्ययन के लिए मेधावी छात्रों को वित्तपोषण करने हेतु ऋण योजना।
- पीएम विद्यालक्ष्मी योजना-प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी” (पीएम-विद्यालक्ष्मी), मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें।

10.3 मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन:

- लचीले चुकोती विकल्प को सक्षम करने के लिए रिटेल ऋणों में फ्लेक्सी एनएसीएच अधिदेश की शुरुआत।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वर्ण ऋण योजना का पुनर्गठन भी किया गया।
- यूको कौशल ऋण योजना संशोधित की गई।
- स्वर्ण ऋण खातों के लिए नामांकन सुविधा की शुरुआत।

10.4 रिटेल पोर्टफोलियो में वृद्धि करने के लिए प्रदान किए गए सहायक साधन:

- गृह ऋण एवं कार ऋण के प्रसंस्करण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट तथा कार ऋण के प्रलेखीकरण शुल्क में 100% छूट 31.03.2024 तक प्रदान की गई।
- वेतनभोगी वर्ग के लिए पीएसवीआर 2 दिशानिर्देशों में संशोधन।

10.5 कारोबार अभियान का शुभारंभ

- गृह और कार ऋण के तहत संस्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान शुभारंभ और मानसून मैजिक की शुद्धता की गई।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान कार ऋण को बढ़ावा देने के लिए तीव्र अभियान का शुभारंभ।
- यूको उत्सव अभियान का उद्देश्य 01.10.2024 से 30.12.2024 तक की अवधि के दौरान गृह और कार ऋण योजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृतियों को बढ़ावा देना है।
- यूको प्रीमियर लीग अभियान का उद्देश्य 21.10.2024 से 07.12.2024 की अवधि के दौरान गृह और कार ऋण योजनाओं के तहत संस्वीकृतियों को बढ़ावा देना है।
- यूको परियोजना को 20.11.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान गृह ऋण के तहत मंजूरी बढ़ाने और टीएटी और टिकट आकार में सुधार करने के लिए परियोजना अनुमोदन की संख्या बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।
- यूको प्रीमियर लीगटी-T-20 (यूपीएलटी-T20) - गृह ऋण और कार ऋण अनुमोदन को बढ़ावा देने के लिए 16.12.2024 से 11.02.2025 तक एक अभियान शुरू किया गया है।

11. संसाधन

कासा और सावधि जमा जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 23 अगस्त 2023 को एक समर्पित संसाधन वर्टिकल लॉन्च किया गया था। जिसमें तीन सेल बनाए गए थे यानी बचत, चालू और सरकारी जमा। वर्टिकल जीएम के नेतृत्व में है और कक्षों का नेतृत्व डीजीएम द्वारा किया जाता है।

11.1 प्रमुख उपलब्धियां:

- चालू जमा में 18.47% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है।
- बचत जमा में 5.06% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है।
- कासा जमा में 6.71% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है।
- मीयादी जमा में 12.95% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है।
- कुल जमा में 11.56% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है।

11.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 में संसाधन विभाग द्वारा की गई पहलें:

- सुरक्षा और अर्धसैनिक बलों के लिए बचत खाता उत्पाद 'यूको शौर्य' और 'यूको शूरवीर' की शुरुआत।
- स्तरीय बचत उत्पादों की शुरुआत: यूको यूनीक, यूको रॉयल, और यूको प्रिविलेज।
- 'यूको आशा' पेंशन योजना की शुरुआत।
- सहकारी बैंकों/आरआरबी के लिए 'यूको साथी' चालू खाता योजना।
- महिला ग्राहकों के लिए 'यूको पिंक बास्केट' की पेश की गई है, जिसमें शामिल हैं:
 - महिला ग्राहकों के लिए 'यूको अपराजिता' बचत योजना।
 - महिला ग्राहकों के लिए 'यूको जया लक्ष्मी' चालू खाता योजना।
 - महिला ग्राहकों के लिए 'यूको संचयिका' आवर्ती जमा योजना।
- एनसीएल के समाशोधन सदस्यों के लिए 'यूको एनएससीसीएल ईएफडीआर' की शुरुआत।
- हरित जमा नीति पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप 'यूको हरित जमा' सावधि जमा योजना की शुरुआत।
- आकर्षक ब्याज दर के साथ 333 दिनों के लिए 'यूको 333' विशेष जमा योजना 31.12.2024 तक सीमित अवधि के लिए शुरू की गई है। 'यूको 333' के तहत 8,094 करोड़ रुपये की मीयादी जमा राशि जुटाई गई है।
- ग्राहक संबंधों को मजबूत करने के लिए 'यूको कनेक्ट' कार्यक्रम, जिसमें निष्क्रिय खातों के रूपांतरण पर जोर दिया जाएगा।
- समाशोधन और निपटान उद्देश्य, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम चालू खातों आदि के लिए एनसीएल, आईसीसीएल, एमसीएक्ससीसीएल आदि जैसे

क्लियरिंग कॉरपोरेशन के समाशोधन बैंक के रूप में यूको बैंक के नामांकन के लिए बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त हो गई है। यह विविध उत्पादों/सेवाओं के माध्यम से हमारे देयता व्यवसाय पोर्टफोलियो का विस्तार करने में मदद करेगा।

- कॉर्पोरेट/वाणिज्यिक जमा ग्राहकों के लिए नकदी प्रबंधन समाधान (सीएमएस) की पेशकश करने से हमारा बैंक विशेष रूप से मजबूत होगा और वॉलेट में हिस्सेदारी बढ़ेगी। एनबीएफसी के लिए डायरेक्ट डेबिट सुविधा पहले से ही चालू और क्रियाशील है।

11.3 अभियान

- आवर्ती जमा जुटाने के लिए 'जोश-आरडी' अभियान शुरू किया गया है।
- 11.11.2024 से 21.12.2024 तक 'मिशन शीर्ष' अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य कासा को नई ऑनबोर्डिंग से जोड़ना है।
- कासा को संगठित करने के उद्देश्य से 24.12.2024 से 31.12.2024 तक 'विंटर कार्निवल' अभियान शुरू किया गया।

11.4 अन्य संस्थाओं के साथ गठजोड़/समझौता पहल और एकीकरण व्यवस्था:

- वेतन समझौते, संग्रहण और भुगतान के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- अपने ग्राहकों के लिए वर्चुअल खाता संख्या (वीएएन) का उपयोग करके ऑनलाइन बिल/निधि संग्रह और भुगतान गेटवे का एकीकरण।
- प्रतिष्ठित कंपनियों के उपभोक्ताओं के लिए ऑफलाइन बिल संग्रह हेतु एकीकरण।
- प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ होस्ट-टू-होस्ट एपीआई भुगतान एकीकरण के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ।

12. विपणन एवं धन प्रबंधन

12.1 विपणन

बैंक की विपणन गतिविधियों का उद्देश्य नए कारोबार को बढ़ाना, बैंक के विभिन्न उत्पादों को बढ़ावा देना तथा ग्राहकों के बीच बैंक के ब्रांड मूल्य को बनाए रखना है। विभाग द्वारा लीड जनरेशन और व्यवसाय जुटाने का कार्य किया जा रहा है।

क) सेल्स फोर्स टीम (एसएफटी):

सेल्स टीम का आरंभ वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न केंद्रों में कर्मचारियों की अधिक संख्या के साथ पूर्ववर्ती मार्केटिंग टीम संरचना को नया रूप देते हुए किया गया था। अलग-अलग पोर्टफोलियो के लिए अलग-अलग केआरए के साथ गृह ऋण, अन्य रिटेल ऋण और एमएसएमई ऋण के लिए अलग-अलग सेल्स फोर्स टीमें बनाई गईं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेल्स टीम के सदस्यों द्वारा जारी लीड के माध्यम से 4,304 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं।

ख) डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (डीएसए):

डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों (डीएसए) को शामिल किया जाना वित्त वर्ष 22-23 में शुरू किया गया। वित्त वर्ष 24-25 में, गृह ऋण के तहत डीएसए द्वारा प्राप्त कुल स्वीकृत राशि 3644.54 करोड़ रुपये, कार ऋण 838.15 करोड़ रुपये और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त ऋण 129.13 करोड़ रुपये हैं, जो कुल 4611.82 करोड़ रुपये था और जो पिछले वित्तीय वर्ष से डीएसए स्वीकृत राशि में 57% की वृद्धि दर्ज की गई है।

ग) यूको बैंक एक अपने पसंदीदा फाइनेंसर के रूप में पेश करने के लिए कार निर्माण कंपनियों के साथ गठजोड़:

आसान और त्वरित डिजिटल ऋण देने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारे बैंक की ऋण प्रसंस्करण प्रणाली का एकीकरण किया गया है और ऋण को अंत से अंत तक डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से सीधे मंजूरी दी जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इस पोर्टल से प्राप्त लीड के माध्यम से 1500 से अधिक कार ऋण स्वीकृत किए गए। इसी क्रम में, हमारे कार ऋण सेगमेंट को बढ़ाने के लिए डिजिटल कार ऋण के लिए मेसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ भी समझौता किया गया है। इसके लिए एकीकरण भी शुरू हो गया है।

इसके अलावा बैंक ने विभिन्न कार कंपनियों (महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा किलोस्कर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड) के साथ गठजोड़ किया है ताकि हमारे बैंक को कार खरीदारों के लिए पसंदीदा वित्तपोषक के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, बैंक के लिए अच्छा कारोबार करने के लिए हमारी शाखाओं और कार डीलरों/आउटलेटों के बीच मजबूत संबंध विकसित करने हेतु देश भर में इन कंपनियों के साथ विभिन्न संयुक्त गतिविधियां आयोजित की गईं।

घ) लीड जनरेशन:

बैंक के पास स्वदेशी लीड जनरेशन मैनेजमेंट सिस्टम (एलजीएमएस) है और यूको बैंक के विभिन्न उत्पादों में रुचि रखने वाले ग्राहक एसएमएस/मिस्ड कॉल/ वेबसाइट/वैटबॉट/ व्हाट्सएप आदि के माध्यम से अपनी आवश्यकताएं दर्ज करा सकते हैं। विभिन्न उत्पादों के लीड जनरेशन के लिए आउटबाउंड कॉल (कोल्ड कॉलिंग) भी हमारे कॉल सेंटर एजेंटों द्वारा की जाती है। विभिन्न चैनलों से प्राप्त लीड्स को बैंक की स्वदेशी लीड जनरेशन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ट्रैक, मॉनिटर और निपटारा किया गया है।

12.2 धन प्रबंधन और क्रेडिट कार्ड:

धन प्रबंधन के अंतर्गत कारोबार बैंकशोरेंस में कारोबार (2024-25) (रुपए लाख में)

कंपनी का नाम	संगृहीत प्रीमियम	अर्जित कमीशन	पॉलिसी की संख्या
भारतीय जीवन बीमा निगम	3032.29	137.51	832(एनबी)
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	44596.82	2890.90	74,473
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	11569.30	1938.32	9,080
केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1627.65	255.08	71,435
स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	911.60	137.99	11,736
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	497.54	81.27	31,177
फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4613.10	583.73	2,03,657
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	250.29	42.83	14,047
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	933.08	136.40	53,231
कुल	68031.67	6204.03	4,69,668
म्यूचुअल फंड और ब्रोकिंग में किया गया कारोबार (लाखों रुपए में)			
धन प्रबंधन कारोबार (एमएफ/एसआईपी, ब्रोकिंग, डीमैट, एनपीएस, एआईएफ, पीएमएस, एसबीए आईपीओ)		197.00	
क्रेडिट कार्ड से किया गया कारोबार (रुपए लाख में)			
अर्जित कमीशन	लागू नहीं	262.00	
कुल अर्जित कमीशन		6663.03	

क) बैंकशोरेंस

- बैंकशोरेंस व्यवसाय जैसे जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक बीमा कंपनी का एक कॉर्पोरेट एजेंट है।
- बीमा के प्रत्येक खंड में बैंक के 3 चैनल पार्टनर और कुल मिलाकर 9 चैनल पार्टनर हैं।

कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान भागीदार :

- **जीवन बीमा** - भारतीय जीवन बीमा निगम, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
- **सामान्य बीमा** - ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फ्यूचर जेनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
- **स्वास्थ्य बीमा** - स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस।

बैंक ने समूह ऋण जीवन बीमा के लिए कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है ताकि गृह, शिक्षा और रिटेल ऋण उधारकर्ताओं के जीवन जोखिम को कवर किया जा सकता है।

- बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकशोरेंस कारोबार को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञ व्यक्तियों (एसपी) की संख्या में वृद्धि की है।

- बैंक ने बीमा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहल की है, जिससे प्रस्ताव की सोर्सिंग और प्रीमियम भुगतान की शुरुआत तक निर्बाध डिजिटल पद्धति उपलब्ध हो सके, जिसके परिणामस्वरूप पॉलिसी जारी करने में लगने वाले टीएटी में कमी आई है और साथ ही हमारे बैंक के माध्यम से प्राप्त व्यवसाय पर बेहतर नियंत्रण भी प्राप्त हुआ है।
- हमारे स्वास्थ्य बीमा चैनल भागीदारों द्वारा हमारी बैंक शाखाओं और कार्यालयों में 142 स्वास्थ्य जांच शिविर और 45 स्वेच्छक रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं।

ख) धन प्रबंधन:

बैंक ने रेफरल मोड के माध्यम से ग्राहकों को धन प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए फिनटेक पार्टनर फिसडम के साथ व्यवस्था की है। बैंक ने अपने डी-मैट खाताधारकों को ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड के साथ भी गठजोड़ किया है।

ग) क्रेडिट कार्ड:

बैंक अपने ग्राहकों को एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ रेफरल आधार पर क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान कर रहा है। विभिन्न प्रकार के कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र पूर्व-अनुमोदित ग्राहकों की सूची शाखाओं को उपलब्ध कराई जाती है। इन ग्राहकों से संपर्क किया जाता है और ग्राहकों से सहमति और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बाद एसबीआई कार्ड द्वारा अंत में कार्ड जारी किया जाता है। कमीशन कार्ड जारी करने, नवीनीकरण और कार्ड के उपयोग पर अर्जित किया जाता है।

12.3 डोर स्टेप बैंकिंग:

बैंक पीएसबी एलायंस द्वारा की गई डोर स्टेप बैंकिंग पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पीएसबी एलायंस द्वारा कई अभियान चलाए गए। बैंक देश भर में 1242 नामित शाखाओं से डोर स्टेप सेवाएं प्रदान कर रहा है। डीएसबी के माध्यम से 15जी/एच संग्रह, जीवन प्रमाण पत्र संग्रह, खाता विवरण की डिलीवरी, चेक बुक, ड्राफ्ट, भुगतान आदेश और अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

13. वसूली

बैंक का वसूली तंत्र संगठन के सभी स्तरों पर कमर कस कर खड़ा है और वसूली विभाग ने अधिकतम वसूली करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई हैं।

- बैंकनेट (ई-बिक्रय) प्लेटफॉर्म और एलएमएस के उपयोग के साथ समय पर सरफेसी कार्रवाई और सरफेसी के माध्यम से आस्तियों की बिक्री शुरू करना। ई-नीलामी की सफलता दर में सुधार के लिए बंधक संपत्तियों के भौतिक कब्जे के लिए डीएम की अनुमति प्राप्त करने हेतु कदम उठाए गए हैं।
- आस्ति के भौतिक कब्जे के लिए मजिस्ट्रेटों के साथ संपर्क स्थापित करने हेतु प्रवर्तन एजेंटों/वसूली एजेंटों का उपयोग तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से किए जाएं।
- डीआरटी मुकदमे, सिविल मुकदमे और एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमा दायर करना।
- फरार उधारकर्ताओं और गारंटर्स का पता लगाने के लिए जासूसी एजेंसियों का उपयोग, साथ ही उधारकर्ताओं/गारंटर्स के नाम पर निजी संपत्तियों का पता लगाने और पात्र मामलों में डीआरटी के माध्यम से संपत्तियों को जब्त करना।
- एनसीएलटी को संदर्भित करने के लिए खातों की पहचान करना, एनसीएलटी के माध्यम से व्यक्तिगत गारंटी का आह्वान करना तथा उनकी संपत्तियों की कुर्की करना।
- पात्र मामलों में पुनर्गठन और हैंडहोल्डिंग परिचालन की अनुमति देना।
- 'लक्ष्य ऋण मुक्ति' और सामान्य ओटीएस योजना दोनों के तहत पात्र एनपीए खातों में ओटीएस।
- खातों के ओटीएस/समाधान का पता लगाने के लिए वरिष्ठ कार्यपालकों के माध्यम से प्रधान कार्यालय/अंचल कार्यालय से उधारकर्ताओं के साथ एक-एक करके बातचीत करने के लिए यूको अदालत अवधारणा की शुरुआत। अधिमानतः, माह के हर तीसरे शुक्रवार को यह शिविर दिवस होगा।
- छोटे खातों में वसूली के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में भागीदारी।
- केसीसी उधारकर्ताओं के लिए "किशन कर्ज मुक्ति योजना" और मुद्रा खातों के लिए "मुद्रा मंथन" जैसे विशेष वसूली अभियान आयोजित करना।
- चूककर्ता उधारकर्ताओं का सीबील अद्यतनीकरण।
- वॉर रूम और क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से सुलभ एनपीए के साथ-साथ पुराने एनपीए में उन्नयन और वसूली के लिए एनपीए उधारकर्ताओं से संपर्क करना।
- संबंधित पोर्टल पर एनपीए को समय पर चिह्नित करना तथा सीजीटीएमएसई/ईसीजीसी आदि के अंतर्गत आने वाले सभी खातों के लिए समय पर दावा करना।
- शून्य कार्यनिष्पादन करने वाली शाखाओं की संख्या में कमी लाने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई।

- इरादतन चूक की घोषणा
- सुबह-सुबह फ़ील्ड विजिट करके केसीसी उधारकर्ताओं से संपर्क करना
- समझौते के तहत वसूली के लिए रोबोकॉल के माध्यम से एनपीए उधारकर्ताओं से संपर्क करना।
- नियमित अंतराल पर मेगा वसूली कैंप आयोजित करना।
- अंचल, अधिक एनपीए वाली शाखाओं और एएमबी की नियमित समीक्षा।

पिछले तीन वर्षों के जीएनपीए, एनएनपीए, नकद वसूली और उन्नयन का ब्यौरा निम्नानुसार है।

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण	31.03.2023 (लेखा परीक्षित)	31.03.2024 (लेखा परीक्षित)	31.03.2025 (लेखा परीक्षित)
नकद वसूली	1354.10	740.08	702.06
उन्नयन	678.13	657.54	524.52
कुल	2032.23	1397.62	1226.58
तकनीकी बड़े खाते में डाली गई राशि में वसूली	1613.42	1475.38	2630.61
सकल एनपीए	7726.46	6463.31	5918.54
सकल एनपीए %	4.78%	3.46%	2.69%
निवल एनपीए	2018.02	1621.65	1068.31
निवल एनपीए %	1.29%	0.89%	0.50%

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कुल नकद वसूली और उन्नयन 1226.58 करोड़ रुपए है, जबकि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 1397.62 करोड़ रुपए था।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए तकनीकी रूप से बड़े खाते में डाले गए खातों में नकद वसूली पिछले वर्ष के 2630.61 करोड़ रुपए की तुलना में 1475.38 करोड़ रुपए है। हानि और बड़े खाते में डाली गई आस्तियों की वसूली का लाभप्रदता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए बैंक ऐसे खातों में वसूली की निगरानी/अनुवर्ती कार्रवाई को प्राथमिकता दे रहा है।

13.1 वसूली पहले :

- बैंक ने 1 जुलाई 2024 से "लक्ष्य ऋण मुक्ति" नामक नई गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण विशेष एकमुश्त निपटान योजना लागू की है, जिसके तहत संदिग्ध, हानि, टीडब्ल्यूओ और एमएल श्रेणी के तहत 30.06.2024 तक 50.00 लाख रुपये तक के बकाया खाता शेष वाले एनपीए और एमएल (पीडब्ल्यूओ) खातों का निपटान किया जाएगा। इस योजना की वैधता की विस्तारित अवधि 30.06.2025 तक होगी।
- बैंक ने प्रभावी निगरानी और खातों के शीघ्र समाधान के लिए सरफेसी कार्रवाईयों, कानूनी मामलों आदि की स्थिति की निगरानी के लिए प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों एवं अंचल कार्यालयों की सुविधा के उद्देश्य से विधि प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया है।
- एनपीए खातों में वसूली बढ़ाने के लिए मेगा वसूली शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
- सरफेसी के अंतर्गत आस्तियों की मेगा ई-नीलामी नियमित आधार पर आयोजित की जा रही है। एनपीए खातों से संबद्ध संपत्तियों को अपलोड किया जाता है और पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के एक सामान्य वेब पोर्टल 'बैंकनेट' 'ई-बिक्रय' पर नीलामी के लिए रखा जाता है।

14. ऋण निगरानी

14.1 बैंक ने वर्धित निगरानी के माध्यम से ऋण निगरानी तंत्र को इस प्रकार मजबूत किया है:

- पूर्व चेतावनी संकेत प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) -ईडब्ल्यूएस की प्रणाली पहचान के संबंध में, एक सॉफ्टवेयर पैकेज लागू किया गया है जो आरबीआई द्वारा सुझाए गए 42 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर्स के साथ-साथ ईएएसई (बेहतर पहुंच और सेवा उत्कृष्टता) एजेंडा के तहत सुझाए गए 84 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर्स उत्पन्न करने में सक्षम है। इसके अलावा, ईडब्ल्यूएस के तहत 3 अनुकूलित अलर्ट लागू किए गए हैं। एक्सपोजर के आधार पर नया ईडब्ल्यूएस फ्रेमवर्क को पेश किया गया है और मेकर-चेकर अवधारणा को भी उक्त ढांचे में लागू किया गया है। एक्सपोजर पर आधारित नया ईडब्ल्यूएस फ्रेमवर्क 22 मार्च 2024 से लागू किया गया है और मेकर-चेकर अवधारणा को भी उक्त फ्रेमवर्क में लागू किया गया है। ई-बैंकिंग/कॉर्पोरेट एम-बैंकिंग में सीसी/ओडी खाते में लाभार्थी को जोड़ने के लिए एक नई ईडब्ल्यूएस अलर्ट सी4 शुरू की गई है।

- डैशबोर्ड: बैंक ने सभी स्तरों पर बेहतर ऋण निगरानी के लिए एक समर्पित डैशबोर्ड आरंभ किया है।
- संभावित एनपीए डैशबोर्ड: डैशबोर्ड में लाइव क्रेडिट उपलब्ध है जो एसएमए को काफी हद तक कम करने में मदद करेगा।
- दैनिक एनपीए रन से निपटने के लिए क्रेडिट मॉनिटरिंग डैश बोर्ड में एक नई रिपोर्ट 'मॉनिटरिंग डेली एनपीए' उपलब्ध कराई गई है।
- डैशबोर्ड निम्नलिखित रिपोर्टों के साथ बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो की एक विस्तृत तस्वीर प्रदान करता है:
 - भौगोलिक वितरण
 - बकेट-वार अग्रिम
 - एडवांस के मूवमेंट में ट्रेड
 - विशेष उल्लेख खाते (दैनिक आधार पर)
 - अग्रिम में उछाल
 - टीओडी की बारम्बार मंजूरी
 - एनएसीएच/एसआई विफल
 - भावी मासिक मांगें
 - भावी समीक्षा-नवीनीकरण
 - भावी स्टॉक/बीडी देय राशि
 - डिमांड ऋण देय

ग) खातों में संग्रहण दक्षता में सुधार लाने के लिए विभिन्न संग्रहण कार्रवाइयां जैसे ऑटो ई-मेल/एसएमएस, आईवीआर कॉल, कॉल सेंटर कॉल, शाखा कॉल और शाखा अधिकारियों के दौरे किए जा रहे हैं।

घ) दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन के एक भाग के रूप में 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक की डिफॉल्ट संपत्ति की साप्ताहिक रिपोर्टिंग भारतीय रिजर्व बैंक को बड़े क्रेडिट (सीआरआईएलसी) प्लेटफॉर्म पर केंद्रीय सूचना भंडार में की जाती है और दैनिक आधार पर इसकी निगरानी की जाती है।

ड) आधार स्तर पर दबावग्रस्त और एनपीए खातों की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एनपीए ट्रैकर शुरू किया गया है।

14.2 जमीनी स्तर पर कामकाज में सुधार करने के लिए, बैंक ने निम्नलिखित कार्यनीति और दिशानिर्देश तैयार किए हैं:

क) क्रेडिट मॉनिटरिंग वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए परिचालन दिशानिर्देशों को अद्यतन किया गया है और निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इसे लागू किया गया है।

ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए टीईवी सलाहकारों के पैनल के लिए नीति को संशोधित किया गया और लागू किया गया।

ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए स्टॉक एंड बुक डेट ऑडिटर्स के पैनल बनाने और नियुक्ति करने के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया उसे लागू किया गया।

घ) क्रेडिट सुविधा के प्रसंस्करण के दौरान प्राथमिक और संपार्श्विक दोनों प्रतिभूतियों के रूप में पेश की गई संपत्तियों के लिए मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल की नीति संशोधित की गई और लागू की गई।

ड) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए 250.00 करोड़ रुपये से अधिक के एक्सपोजर वाले बड़े उधार खातों की विशेषीकृत निगरानी और प्रभावी निगरानी के लिए एजेंसियों की नियुक्ति को बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने के बाद संशोधित किया गया।

च) प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर नीति और वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 (2 वर्षों के लिए) के लिए अग्रिमों के पुनर्गठन के लिए मास्टर दिशानिर्देशों को बोर्ड के अनुमोदन पचात संशोधित किया गया है।

छ) 5.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के दबावग्रस्त खातों की सीधी निगरानी कार्यपालक निदेशक (ईडी) की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा पाक्षिक आधार पर की गई थी।

15. जोखिम प्रबंधन

जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है और बैंक का लक्ष्य जोखिम और रिटर्न के बीच उचित तालमेल करके कॉर्पोरेट लक्ष्य प्राप्त करना है। बैंक में जोखिम प्रबंधन में जोखिम पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम माप और जोखिम शमन शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभप्रदता और पूंजी पर नकारात्मक प्रभाव को कम करना है।

बैंक विभिन्न जोखिमों को उठाता है जो किसी भी बैंकिंग व्यवसाय का एक अंतर्निहित हिस्सा हैं। प्रमुख जोखिम में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम और परिचालन जोखिम आदि हैं।

सतत और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है ताकि बैंक द्वारा लिए गए जोखिमों का उचित मूल्यांकन और निगरानी की जा सके। सभी उत्पादों, प्रक्रियाओं और नीतियों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होने से पूर्व विभिन्न कार्यपालक स्तर की जोखिम समितियों (क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति, आस्ति देयता प्रबंधन समिति और बाजार जोखिम प्रबंधन समिति) और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) के माध्यम से रूट किया जाता है। बैंक ने एक जोखिम सलाहकार को नियुक्त किया है, जिसके पास नियामक के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन क्षेत्र में भी समृद्ध अनुभव है।

15.1 ऋण जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम का बोर्ड द्वारा अनुमोदित ढांचे के माध्यम से प्रबंधन किया जाता है जो नीतियों, प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग को निर्धारित करता है तथा जो सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। क्रेडिट एक्सपोजर में जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण के लिए बैंक के पास एक मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचा है।

बैंक ने एक लचीला पोर्टफोलियो बनाने और पोर्टफोलियो एकाग्रता से जोखिम को कम करने के उद्देश्य से उद्योगों, क्षेत्रों और उधारकर्ताओं में विवेकपूर्ण उच्चतम सीमाएं स्थापित की हैं। बैंक विभिन्न देशों, राज्य सरकारों, समूह उधारकर्ताओं आदि से जुड़े जोखिमों का भी आंकलन करता है और एक्सपोजर कैप निर्धारित करता है। उन्नत एक्सपोजर मॉनिटरिंग के एक भाग के रूप में, बैंक के प्रमुख एक्सपोजर, खंडों, उद्योगों और क्षेत्रों की त्रैमासिक समीक्षा की जाती है। एक समर्पित क्रेडिट जोखिम प्रबंधन सेल पोर्टफोलियो प्रदर्शन पर प्रभाव का आकलन करने और सक्रिय उपचारात्मक कार्रवाइयों की सिफारिश करने के लिए आंतरिक और बाहरी गतिविधियों पर नज़र रखता है।

एक बेहतर क्रेडिट संस्कृति और अच्छी तरह से संरचित क्रेडिट अनुमोदन प्रक्रिया स्थापित करने के लिए जोखिम मूल्यांकनकर्ताओं और व्यावसायिक कार्यो की स्वतंत्रता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

बैंक ने रिटर्न तथा स्टेकधारकों के मूल्य में वृद्धि के संदर्भ में पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए योजनामूलक रिटेल ऋणों से इतर रु.1.00 करोड़ और उससे अधिक के ऋण प्रस्तावों के लिए पूंजी पर जोखिम संयोजित रिटर्न (आरएआरओसी) की गणना अनिवार्य कर दी है।

ऋण प्रस्तावों के स्वतंत्र जोखिम आधारित मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए, बैंक अपनी क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से उधारकर्ता को निम्न/मध्यम/उच्च जोखिम वर्ग में वर्गीकृत करता है।

15.2 परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक ने परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क स्थापित किया (ओआरएमएफ) है। परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे में परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना, शासन संरचना, नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जबकि परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली में बैंक द्वारा परिचालन जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी, नियंत्रण और शमन में उपयोग की जाने वाली प्रणाली शामिल है।

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में आंतरिक हानि डेटा का एक भंडार बनाया है। नियंत्रण परिवेश को मजबूत करने के लिए विभिन्न हानि की घटनाओं के मूल कारण का विश्लेषण किया जा रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निष्कर्षों को फीडबैक के अधिकारियों को परिचालित किया जाता है।

बैंक ने जोखिम नियंत्रण और स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) लागू किया है जिसका उपयोग प्रमुख परिचालन जोखिम की पहचान करने और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता की ड्रिप्पी का आकलन करने के लिए किया जाता है। आरसीएसए निष्कर्षों के आधार पर नियंत्रण अंतराल को न्यूनतम करने के लिए उपयुक्त जोखिम शमन रणनीतियाँ तैयार की गई हैं।

बैंक ने प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) मैट्रिक्स तैयार और स्वचालित किया है, जो प्रबंधन को वास्तविक समय की निगरानी के माध्यम से कम स्वीकार्य स्तर तक पहुंचने वाले जोखिमों को कम करने और सीमा का उल्लंघन होने पर अलर्ट प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

बेहतर निगरानी और विकासात्मक जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न आउटसोर्सिंग गतिविधियों से संबंधित जानकारी का एक केंद्रीय भंडार बनाया गया है। कारोबारी इकाइयों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के जोखिमों के प्रबंधन हेतु जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय के साथ समन्वय के लिए प्रत्येक अंचल में जोखिम अधिकारियों को नामित किया गया है।

15.3 बाज़ार जोखिम प्रबंधन

बाजार जोखिम का तात्पर्य बाजार दरों या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की कीमतों में प्रतिकूल बदलाव के कारण कमाई या आर्थिक बाजार मूल्य के नुकसान से है। विभिन्न बाजार उत्पादों के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन काफी हद तक ब्याज दरों, विनिमय दरों, आर्थिक विकास और कारोबारी साख जैसे कारकों में परिवर्तन पर निर्भर करता है। बैंक के पास अपने कोषीय कार्यो को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित नीतियां हैं जो विभिन्न बाजार जोखिम परिचालन का कार्य करती हैं।

बैंक दैनिक आधार पर संशोधित अवधि, पीवी01 और वीएआर के माध्यम से अपनी ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर जोखिम को मापता है। विदेशी मुद्रा जोखिम को दैनिक आधार पर नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट्स (एनओओपी), वीएआर लिमिट, एजीएल (एग्जीगेट गैप लिमिट), व्यक्तिगत गैप लिमिट के संदर्भ में भी मापा जाता है। वीएआर और पोर्टफोलियो आकार सीमा को हमारे पोर्टफोलियो की निगरानी के साथ लेनदेन स्तर, स्टॉप लॉस वार और डीलर वार सीमा स्तर पर मापा जाता है।

बाजार जोखिम से जुड़े सभी मापदंडों की बैंक-टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग नियमित आधार पर की जा रही है।

तनाव परीक्षण ढांचे के तहत, बैंक अपने ट्रेडिंग बुक पोर्टफोलियो के साथ-साथ तिमाही आधार पर दर संवेदनशील परिसंपत्ति और देनदारियों के बीच असंतुलन के कारण बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम पर व्यापक जाँच करता है जो आम तौर पर बाजार में ब्याज दर में बदलाव के साथ बैंकों की कमाई/इक्विटी को प्रभावित करता है। हम बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिमों को मापने के लिए पारंपरिक अंतर विश्लेषण के साथ-साथ अवधि अंतर दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं।

वैल्यू एट रिस्क (वीएआर) एक उपकरण है जिसका उपयोग बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जोखिम की निगरानी के लिए किया जाता है। आपके बैंक के उद्यम-स्तरीय वीएआर की गणना और पश्चपरीक्षण दैनिक आधार पर किया जाता है। बाज़ार जोखिम के लिए स्ट्रेस्ड वीएआर की गणना भी रोज होती है। इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति और ढांचे द्वारा यह पूरित किया गया है जो तनाव के नुकसान को मापने और उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए विभिन्न बाजार जोखिम परिदृश्यों का अनुकरण करता है।

आपके बैंक के बाजार जोखिम पूंजी शुल्क की गणना नियामक कारकों को लागू करते हुए मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) का उपयोग करके की जाती है।

बैंक अपने घरेलू और विदेशी पोर्टफोलियो का जोखिम-समायोजित प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। यह निर्णय लेने के एक उपकरण के रूप में गैर-एसएलआर बांडों के क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन का भी विश्लेषण करता है।

बाजार जोखिम प्रबंधन में प्रयुक्त मॉडल को बाहरी एजेंसी द्वारा भी मान्य किया जाता है।

15.4 चलनिधि जोखिम प्रबंधन

तरलता जोखिम उचित लागत पर अपेक्षित और अप्रत्याशित बहिर्वाह को वहन करने की क्षमता का नाम है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित एएलएम नीति के अनुसार बैंक प्रवाह और स्टॉक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने तरलता जोखिम की निगरानी करता है।

बैंक ने एलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात), तरलता निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटीकरण मानकों के रूप में तरलता मानकों के लिए बेसल III ढांचे को लागू किया है और भार रहित उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति के पर्याप्त स्तर के रखरखाव को सुनिश्चित करता है जिसे 30 कैलेंडर दिनों के समय के लिए चलनिधि की जरूरतों को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एनएफएसआर (निवल स्थिर निधि अनुपात) बैंको से अपेक्षा करते हुए कि वह सतत रूप से अपने क्रियाकलाप के लिए निधि के स्थिरतर स्रोत से निधीपन करें जो लंबे समय के लिए नमनीयता को बढ़ावा देता है। बैंक एनएसएफआर को विनियामक निर्दिष्ट सीमा से ऊपर बनाए रख रहा है।

बैंक विभिन्न तनावग्रस्त परिदृश्यों के तहत अपनी तरलता स्थिति का भी आकालन करता है ताकि बैंक के भीतर और साथ ही बाजार में तनाव के माहौल की स्थिति में अपनी फंडिंग स्थिति को समझा जा सके। बैंक ने किसी भी तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए आकस्मिक निधि योजना के लिए विभिन्न ट्रिगर्स को शामिल किया है। बैंक ने बेहतर तरलता निगरानी और ब्याज दर जोखिम के लिए एएलएम स्वचालन के लिए विक्रेता को शामिल किया है।

बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) दर संवेदनशील आस्तियों और दर संवेदनशील देयताओं के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है जो बाजार में ब्याज दरों में बदलाव के साथ बैंक की इक्विटी की कमाई / आर्थिक मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के मापन और निगरानी के लिए, बैंक पारंपरिक अंतर विश्लेषण, जोखिम पर कमाई और संशोधित अवधि आधारित पहुँच जैसे जोखिम प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करता है। निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव का अल्पकालिक प्रभाव आय वक्र, आय वक्र जोखिम, बेसिस जोखिम और अंतर्निहित विकल्प जोखिम में समानांतर बदलाव को ध्यान में रखकर 'जोखिम पर कमाई' दृष्टिकोण के माध्यम से तैयार किया जाता है। इक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन के माध्यम से ब्याज दर में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव को मापा और मॉनिटर किया जाता है।

15.5 क्रेडिट रेटिंग

किसी भी क्रेडिट प्रस्ताव में क्रेडिट जोखिम का स्तर जानने के लिए, बैंक 25.00 लाख रुपए तक के एमएसएमई खाते एवं कृषि क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए 50 लाख रुपए से अधिक के प्रस्ताव का आंतरिक रेटिंग करता है।

बैंक ने अक्टूबर, 2023 से अपनी क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया को अपग्रेड कर दिया है। नए मॉडल में डिफ़ॉल्ट पूर्वानुमानशीलता बेहतर होने के साथ-साथ बाहरी रेटिंग के अनुरूप भी है।

क्रेडिट रेटिंग के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए क्रेडिट प्रस्ताव का मूल्यांकन स्कोर कार्ड मॉडल के आधार पर किया जाता है। बाहरी एजेंसी द्वारा सत्यापन के बाद स्कोर कार्ड मॉडल को पुनः अंशांकित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) ऋण के लिए हामीदारी प्रक्रिया को मानकीकृत करना था। स्कोर कार्ड मॉडल उधारकर्ता की साख का आकलन करने के लिए उसकी कई वित्तीय और गैर-वित्तीय विशेषताओं को मिलाकर एकल स्कोर बनाने हेतु तकनीक का उपयोग करता है। वर्तमान में बैंक वर्तमान में बैंक सभी खुदरा ऋणों, एमएसएमई खंड के तहत 25 लाख रुपये तक के ऋण और अग्रिमों तथा कृषि खंड के तहत 50 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए 19 स्कोर कार्ड मॉडल का उपयोग कर रहा है।

15.6 कपट जोखिम प्रबंधन

बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन सेल है जो धोखाधड़ी जोखिम का प्रबंधन करता है और आरबीआई को रिपोर्ट करने के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज करना सुनिश्चित करता है।

बैंक ने धोखाधड़ी के तत्व के आधार पर खाते/घटना को धोखाधड़ी घोषित करने के लिए कार्यकारी समिति - धोखाधड़ी जोखिम रिपोर्टिंग और निगरानी (सीओई-एफआरआरएम) का गठन किया है। धोखाधड़ी के मूल कारण का विश्लेषण किया जाता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जहां भी आवश्यक हो, नियंत्रण लागू किया जाता है।

बैंक का धोखाधड़ी प्रबंधन समूह (एफएमजी) संभावित धोखाधड़ी का समय पर पता लगाने के लिए इसे रेड फ्लैग खाते के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उधारकर्ता के खाते में रिपोर्ट किए गए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का विश्लेषण कर रहा है।

इसके अलावा, बैंक ने संभावित धोखाधड़ी का समय पर पता लगाने के लिए जोखिम आधारित लेनदेन निगरानी प्रणाली (आरटीएमएस) सहित उद्यम धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ईएफआरएमएस) लागू की है। ईएफआरएमएस के बेहतर अलर्ट निपटान के लिए इसके संचालन को 24x7 आधार पर बढ़ाया गया है।

15.7 धारणीय विकास

बैंक जलवायु परिवर्तन की तीव्रता को समझता है और ग्लोबल वार्मिंग को विश्वस्तर पर कारोबारों और आजीविका के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक मानता है। आज जलवायु परिवर्तन का जोखिम वित्तीय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। बैंक जलवायु परिवर्तन के जोखिम के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने बैंकिंग परिचालन के धारणीय विकास की दिशा में सचेत रूप से काम कर रहा है। ऋण नीति के अनुसार, बैंक ओडीएस (ओजोन क्षयकारी पदार्थ) का उपभोग/उत्पादन करने वाले उद्योगों को ऋण और अग्रिम देने पर रोक लगाता है जो ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने में सक्षम बनाता है।

बैंक ने अपने कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, यथा:

- I. बैंक के दो कार्यालय सौर ऊर्जा से संचालित हैं जिसके परिणामस्वरूप बिजली की खपत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।
- II. बिजली की खपत कम करने के लिए अधिकांश शाखा परिसरों/कार्यालयों में एलईडी लाइट का उपयोग किया गया है।

16. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

16.1 वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान कार्यान्वित प्रमुख आईटी पहलें:

- आईटी परियोजनाओं के लिए 1053 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिनमें से 60% का उपयोग हो चुका है तथा अनेक परियोजनाएं प्रगति पर हैं। (आरएफपी/मूल्यांकन/अनुमोदन चरण)।
- पीसीआई डीएसएस प्रमाणन पुरस्कार
- 24x7 नेटवर्क परिचालन के प्रबंधन के लिए अगली पीढ़ी के नेटवर्क परिचालन केंद्र (एनओसी) की स्थापना की गई।
- बैंक की सभी शाखाओं में टैब बैंकिंग की शुरुआत।
- रेजिलिएंस ऑपरेशन सेंटर (आरओसी) का कार्यान्वयन।
- आईटी एसेट मैनेजमेंट और एप्लीकेशन व्हाइटलिस्टिंग समाधान का कार्यान्वयन।
- नए वर्चुअल मशीन वातावरण का रोलआउट - 'आकाशगंगा'

17. डिजिटल बैंकिंग

17.1 वित्तीय वर्ष 24-25 में की गई प्रमुख पहल

डिजिटल बैंकिंग विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहलों का एक व्यापक सेट शुरू किया, जिसका उद्देश्य ग्राहक अनुभव को मजबूत करना, वित्तीय समावेशन को सक्षम करना, परिचालन को डिजिटल बनाना और बैंकिंग सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है:

यूपीआई एवं भुगतान नवाचार

- यूपीआई लाइट ऑटोपे सुविधा: स्वचालित वॉलेट टॉप-अप की सुविधा, जिससे लगातार भुगतान अनुभव सुनिश्चित होता है।
- यूपीआई सर्किल: एक अनूठी सुविधा जो प्राथमिक उपयोगकर्ताओं को नियंत्रण सेटिंग्स के साथ यूपीआई एक्सेस साँपने की अनुमति देती है - परिवारों या साझा व्यय के लिए आदर्श।

भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र

- आसीइगेट के साथ ई-बैंकिंग एकीकरण: सीमा शुल्क का निर्बाध डिजिटल भुगतान संभव हुआ।
- बीबीपीएस के माध्यम से ऋण चुकौती: ग्राहक अब भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से ऋण चुका सकते हैं, जिससे पुनर्भुगतान सुविधा में सुधार होगा।

सीमापार और निवेश सेवाएँ

5. स्कैन एवं भुगतान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण: क्यूआर-आधारित अंतरण के माध्यम से श्रीलंका, यूएई, नेपाल, फ्रांस आदि जैसे चुनिंदा देशों में धन प्रेषण सक्षम किया गया।
6. एचएनआई ग्राहकों के लिए एसबीए: आईपीओ में सरल डिजिटल निवेश के लिए मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सक्षम एसबीए सेवाएं।

सुरक्षा और पहुँच सुविधाएँ

7. व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से सकारात्मक भुगतान: चेक लेनदेन सुरक्षा को मजबूत किया गया।
8. यूको कांट्रेक्टर योजना के लिए मोबाइल बैंकिंग: डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से कांट्रेक्टर के लिए पहुंच में वृद्धि।
9. सीकेवाईसी आईडी प्रदर्शन: ग्राहक डिजिटल चैनलों के माध्यम से सीधे सीकेवाईसी आईडी देख सकते हैं।
10. AePS सक्षम/अक्षम: आधार-सक्षम भुगतान प्रणालियों को अब ऑनलाइन प्रबंधित किया जा सकता है।
11. व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से पुनः केवाईसी: कम जोखिम वाले ग्राहकों को व्हाट्सएप के माध्यम से पुनः केवाईसी अपडेट पूरा करने की अनुमति दी गई।
12. व्हाट्सएप बैंकिंग में चेक भुगतान रोकने की सुविधा
13. व्हाट्सएप बैंकिंग में सुकन्या समृद्धि योजना खाते का शेष राशि जांच की सुविधा
14. व्हाट्सएप बैंकिंग में आवर्ती जमा विवरण और सारांश

विशिष्ट उत्पाद और खाता सुविधाएँ

15. यूको संचयिका योजना: डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध महिला-केंद्रित बचत उत्पाद।
16. एनआरआई आरखी खाता खोलना: एनआरआई ग्राहक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आवर्ती जमा खाता खोल सकते हैं।
17. एनआरआई से सामान्य खाता में परिवर्तन: एनआरआई खातों को नियमित बचत खातों में परिवर्तित करने की सरल प्रक्रिया।
18. व्यय विश्लेषक: व्यय और अलर्ट की निगरानी के लिए इंटरनेट बैंकिंग में प्रस्तुत एक स्मार्ट व्यय ट्रेकिंग टूल।

एनआरआई और डिजिटल सुविधा की विशेषताएँ

19. एनआरआई ग्राहकों के लिए ईमेल पर ओटीपी: ईमेल के माध्यम से ओटीपी प्रदान करके सुरक्षा बढ़ाई गई।
20. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पीपीएफ खाता खोलना: पीपीएफ सुविधा को इंटरनेट बैंकिंग तक विस्तारित किया गया (यह सुविधा मोबाइल बैंकिंग में पहले से ही मौजूद है)।
21. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सावधि जमा प्राप्ति (रिटेल) पर ऋण: रिटेल ग्राहक अब डिजिटल रूप से सावधि जमा पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

डिजिटल उत्पाद संवर्द्धन और लॉन्च

22. एंड्रॉइड पीओएस का शुभारंभ: अधिक सुरक्षित, आधुनिक और कुशल व्यापारी भुगतान के लिए एंड्रॉइड-आधारित पीओएस मशिनें तैनात की गई।
23. साउंडबॉक्स के साथ डायनामिक मर्चेन्ट क्यूआर: व्यापारियों के लिए वास्तविक समय ऑडियो अलर्ट सक्षम, भुगतान पुष्टि सुरक्षा को बढ़ाता है।
24. स्वयं-सेवा पासवर्ड प्रबंधन: कॉर्पोरेट और स्वामित्व वाले ग्राहक अब ओटीपी और डेबिट कार्ड सत्यापन का उपयोग करके ऑनलाइन पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, जिससे शाखाओं पर निर्भरता कम हो जाएगी।
25. सीसी लाभार्थियों के लिए शाखा प्राधिकरण हटाया गया: ग्राहक अब शाखा के हस्तक्षेप के बिना इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लाभार्थियों को सीसी खातों में जोड़ सकते हैं।
26. यूको हरित जमा योजना ऑनलाइन: हरित जमा खाते अब इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से खोले जा सकते हैं।

उत्पाद शुभारंभ और बुनियादी ढांचे में वृद्धि

27. महिलाओं के लिए विशेष अपराजिता डेबिट कार्ड का शुभारंभ: यह एक विशेष डेबिट कार्ड है, जिसमें बीमा और मित्रा तथा रिवगी जैसे ब्रांडों के कूपन जैसे अतिरिक्त लाभ शामिल हैं।
28. एचएनआई ग्राहकों के लिए मेटल कार्ड का शुभारंभ
29. यूको एमबैंकिंग प्लस के माध्यम से सावधि जमा के एवज में ओडी का प्रबंधन (वृद्धि/कमी) सीमित करें।

प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान पहल

30. डिजी एफएक्यू और डिजी फर्स्ट: एक डिजिटल एफएक्यू गाइड (ई-सहायक) और एक डिजिटल उत्पाद पत्रिका (डिजी फर्स्ट) प्रकाशित की गई।

17.2 प्रोजेक्ट परिवर्तन - शुभारंभ और उपलब्धियाँ

प्रोजेक्ट परिवर्तन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक के लिए एक प्रमुख डिजिटल परिवर्तन पहल के रूप में कार्य किया, जो सभी खंडों में स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित था। इस पहल का उद्देश्य ऋण, देनदारियों और ऑनबोर्डिंग के लिए शुरू से अंत तक की प्रक्रियाओं को डिजिटल और स्वचालित करके ग्राहक यात्रा को फिर से परिभाषित करना है।

प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत प्रमुख कार्यों की गुरुआत

क) रिटेल एसटीपी यात्राएं

- पूर्व-योग्य व्यक्तिगत ऋण (पीक्यूपीएल): न्यूनतम प्रलेखीकरण और तत्काल अनुमोदन के साथ डिजिटल ऋण संवितरण।
- सावधि जमा पर ऋण का पुनर्गठन: ग्राहकों को सावधि जमा पर डिजिटल रूप से ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने का एक सहज विकल्प प्रदान किया गया।
- सावधि जमा के एवज में ओडी: यूको एमबैंकिंग के माध्यम से सावधि जमा के एवज में ओडी सुविधा शुरू की गई।
- शिक्षा ऋण: शिक्षा ऋण एसटीपी यात्रा।

ख) एमएसएमई एसटीपी यात्राएं

- शिशु मुद्रा ऋण: त्वरित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सरलीकृत सूक्ष्म-व्यवसाय ऋण।
- जीएसटी स्मार्ट वित्त: छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी डेटा के आधार पर सक्षम नकदी ऋण सीमा।
- एमएसएमई स्मार्ट ऋण: 25 लाख तक की समग्र ऋण सुविधा के लिए पात्र लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक नई डिजिटल यात्रा।
- सीसी नवीनीकरण: 10 लाख रुपये तक के एमएसएमई कैश क्रेडिट खातों के लिए डिजिटल नवीनीकरण प्रक्रिया।
- तरुण मुद्रा ऋण: व्यवसायों के लिए सुव्यवस्थित ऋण वितरण।
- किशोर मुद्रा ऋण: व्यवसायों के लिए डिजिटल ऋण वितरण यात्रा।

ग) कृषि एसटीपी यात्राएं

- केसीसी नवीनीकरण: वेब और एसएमएस के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड (2 लाख तक) के लिए सरलीकृत नवीनीकरण प्रक्रिया।
- जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से केसीसी: कृषि वित्त तक सुव्यवस्थित पहुंच के लिए एकीकृत मंच।

घ) देयता यात्राएं

- एम-बैंकिंग और टैब बैंकिंग के माध्यम से एफडी/आरडी में सुधार
- टैब बैंकिंग के माध्यम से बचत और चालू खाता खोलना

परियोजना परिवर्तन का प्रभाव और विकास मीट्रिक (वित्त वर्ष 2024-25)

परियोजना परिवर्तन ने खाता संवितरण और ऋण बहिर्वाह में प्रभावशाली वृद्धि सक्षम की:

- पीक्यूपीएल: 20,669 ग्राहकों को संवितरित, कुल 668.94 करोड़ रुपये
- जीएसटी स्मार्ट वित्त: 1,394 खातों में 183.62 करोड़ रुपये से अधिक संवितरित
- एमएसएमई डिजिटल ऋण (शिशु, तरुण, किशोर और एमएसएमई स्मार्ट): 852 खातों में 15.76 करोड़ रुपये से अधिक संवितरित
- संशोधित एसटीपी केसीसी नवीनीकरण: 12,101 ग्राहकों को लाभ, 117.4 करोड़ रुपये का नवीनीकरण
- एसटीपी सीसी नवीनीकरण में सुधार: 793 ग्राहकों को लाभ, 40.16 करोड़ रुपये का नवीनीकरण
- एमबैंकिंग के माध्यम से एफडी/आरडी का पुनरुद्धार: वित्त वर्ष 24-25 में एमबैंकिंग के माध्यम से 3093 करोड़ रुपये की एफडी/आरडी खोली गई

17.3 डेबिट कार्ड साझेदारी

ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने और अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए, बैंक ने डेबिट कार्डधारकों के लिए विशेष ऑफ़र और पुरस्कार प्रदान करने के लिए लोकप्रिय उपभोक्ता ब्रांडों के साथ भागीदारी की। इन साझेदारियों में शामिल हैं:

- रिवगी और ज़ोमैटो: फूड डिलीवरी पर छूट
- बुक माई शशो : मूवी टिकट ऑफ़र
- अमेज़न और प्लूटोस: ई-कॉमर्स पुरस्कार और कैशबैक

इसके अतिरिक्त, महिला-केंद्रित बचत/चालू खाता योजनाओं के तहत महिलाओं के लिए वीश डेबिट कार्ड का शुभारंभ किया गया, जिसमें मित्रा, खिगी और अन्य से कॉम्प्लीमेंट्री बीमा कवरेज और पार्टनर कूपन जैसे लाभ दिए गए। इन पहलों ने डेबिट कार्ड के उपयोग और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

17.4 डिजिटल अभियान

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, डिजिटल बैंकिंग विभाग ने उत्पाद अपनाने, व्यापारी को शामिल करने और उपयोगकर्ता जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई लक्षित डिजिटल अभियान चलाए। अभियान मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेशन, क्यूआर कोड और साउंडबॉक्स इंस्टॉलेशन और डिजिटल रीपेमेंट चैनलों को बढ़ावा देने पर केंद्रित थे। केंद्रित मार्केटिंग और आउटरीच पहलों ने बैंक के वित्तीय समावेशन लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने में मदद की। चलाए गए प्रमुख अभियान इस प्रकार थे:

- डिजिटल कृपा
- डिजिटल श्रेष्ठ
- डिजिटल लक्ष्य
- डिजिटल नेक्स्ट
- डिजिटल प्रीमियर लीग
- डिजिटल चैंपियंस ट्रॉफी

18. साइबर सुरक्षा (सीआईएसओ)

- बैंक ने अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सीएसओसी) स्थापित किया है, जो 24*7 आधार पर संचालित होता है।
- एनसीआईआईपीसी ने बैंक की सीबीएस, आरटीजीएस और यूपीआई प्रणालियों को अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में पहचाना है।
- बैंक सीधे सीआईआरटी-आईएन और एनसीआईआईपीसी के संकट संप्रसार प्लेटफॉर्म (टीडीपी) के साथ जुड़ा है।
- हमारी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए, बैंक के साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सीएसओसी) ने साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साझेदारी की है।
- बैंक के पास बैंक के सभी डेटा केंद्रों में आईटी सिस्टम के लिए आईएसओ 27001 प्रमाणन है। प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) द्वारा जारी किया गया है और बैंक को धारणीय लेखापरीक्षा के दौरान एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकनकर्ता द्वारा एक कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। आईएसओ 27001 प्रमाणन विश्वास को बढ़ावा देता है और ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए चल रही प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
- आरबीआई के साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुपालन में, बैंक के पास साइबर सुरक्षा नीति, सूचना सुरक्षा नीति और साइबर घटना प्रतिक्रिया एवं रिकवरी प्रबंधन नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना है, जो बैंक के भीतर साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्यों और परिचालनों के लिए दिशा और समर्थन प्रदान करती है। विनियामक प्राधिकरणों से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार नीतियों को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
 - हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में साइबर जागरूकता पुस्तिकाओं का प्रकाशन जैसे 'साइबर नेत्रा: कॉमिक बुकलेट', 'ऑनलाइन घोटालों के जाल को डिकोड करना', और मनी म्यूल घोटाला जागरूकता पर ई-लेख, महिला साक्षिकरण के लिए साइबर स्मार्ट विजन आदि।
 - प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को 'साइबर जागरूकता दिवस' का मासिक आयोजन किया जाता है, जिसमें आकर्षक कार्यालयाएं, इंटरैक्टिव सत्र, रचनात्मक कार्यक्रम, स्कूलों, कॉलेजों, एनएसजी कमांडो प्रशिक्षण केंद्र, अर्द्ध शहरी/ग्रामीण केंद्र (बरईपुर) में आउटरीच अभियान, स्टाफ सदस्यों और मूल्यवान ग्राहकों के लिए ग्राहक बैठक और जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं (लगातार दो वर्षों से 43 अंचलों की 100% भागीदारी)।
 - बैंक ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) के साथ सहयोग किया है, जिससे रणनीतिक उद्योग अंतर्दृष्टि, उभरते खतरे की खुफिया जानकारी और वित्तीय क्षेत्र-विशिष्ट सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अपनी साइबर जागरूकता पहल को बढ़ाया जा सके।
 - "साइबर सुरक्षा" जागरूकता संदेशों के प्रसार के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (www.ucobank.com) पर 'साइबर सुरक्षा' के लिए कॉर्नर।
 - नए जुड़े ग्राहकों सहित स्टाफ सदस्यों और ग्राहकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता ईमेल निर्देशिका साझा करना।
 - दैनिक साइबर सुरक्षा टिप्स के साथ-साथ साप्ताहिक जागरूकता श्रृंखला ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से साझा की जाती है।
 - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के रिपोर्ट किए गए मामलों और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के उपलक्ष्य पर ग्राहकों के लिए लाइव वेबिनार।

- सोशल मीडिया पोस्ट, साइबर रक्षक संबंधी साइबर जागरूकता वीडियो, सलाह, रील्स, मीम्स के साथ-साथ आईएसईए, सीईआरटी-इन, साइबरदोस्त आदि जैसे सरकारी पोस्टों को लगातार अपलोड करना।
- प्रमुख स्थानों पर साइबर जागरूकता पोस्टर प्रदर्शित करना।
- बैंक के डिजिटल चैनलों का उपयोग करके साइबर जागरूकता संदेशों का प्रदर्शन।
- पुश नोटिफिकेशन, एसएमएस, ईमेल का उपयोग, एफएम रेडियो स्टेशन के माध्यम से रेडियो जिंगल्स का प्रसारण।
- साइबर घटनाओं का पता लगाने और रिपोर्ट करने में अपने कर्मचारियों और ऑनसाइट तीसरे पक्ष के विक्रेताओं की तत्परता का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर मॉक सोशल इंजीनियरिंग अभ्यास करें।

19. परिचालन एवं सेवाएं

बैंक ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने पर निरंतर जोर दे रहा है। यह ग्राहक अनुभव में निरंतर सुधार की आवश्यकता को पहचानता है और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे ग्राहकों को यह महसूस हो कि उनका महत्व है।

बैंक ने वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राहक अनुभव में सुधार के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

19.1 PULSE का उद्घाटन, एक अत्याधुनिक लेनदेन निगरानी प्रणाली जो निम्न पर काम करती है:

- प्लेटफॉर्म सांख्यिकी और कंट्रोल कोर प्रणाली: जो ईएफआरएम समाधान पर पहुंचने वाले लेनदेन का लाइव दृश्य और 'शोट' पर उनकी प्रतिक्रिया को कैप्चर करती है, ताकि चित्रात्मक पहचान के माध्यम से किसी भी असामान्य स्पाइक का पता लगाया जा सके।
- EFRM डेबिट अलर्ट जो प्रति खाता और प्रति चैनल उत्पन्न अलर्ट गणना को ट्रैक करता है
- एडीसी डैशबोर्ड मॉनिटरिंग: यह एटीएम, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई के माध्यम से किए गए लेनदेन की निगरानी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है ताकि जीएल स्तर पर किसी भी तेजी और असामान्यता का पता लगाया जा सके।
- क्रेडिट लेनदेन की निगरानी: यह खचवर प्रवृत्ति मॉडल के आधार पर व्यक्तिगत खाता स्तर पर असामान्य उच्च मात्रा के क्रेडिट अंतर्वाह और डेबिट बहिर्वाह पर नज़र रखता है, जो खाता खोलने की तिथि, केवाईसी विवरण में परिवर्तन, डेबिट और क्रेडिट पैटर्न, न्यूनतम शेष राशि का रखरखाव आदि जैसे मापदंडों पर विचार करता है।
- म्यूल का पता लगाने के लिए मजबूत तंत्र: I4C में धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किए गए डेटा का उपयोग करके स्कोर प्रवृत्ति मॉडल को मान्य किया गया था। इस डेटा के संदर्भ में उत्पन्न स्कोर और सीमा निर्धारित करने के आधार पर, मॉडल को हमारे आंतरिक डेटा सेट पर तैनात किया गया था जिससे अनुमानित खचवर खातों की पहचान हो गई।
- एआई/एमएल आधारित अलर्ट सृजन: एटीएम/पीओएस/ईसीओएम, यूपीआई, आईबी, एमबी, ईपीएस चैनल में धोखाधड़ी वाले लेनदेन का पता लगाने के लिए आउटलाइयर डिटेक्शन मॉडल दृष्टिकोण को लागू किया गया है, ताकि लेनदेन राशि, स्थान, समय और उपयोगकर्ता व्यवहार के आधार पर प्रत्येक लेनदेन के लिए जोखिम स्कोर उत्पन्न किया जा सके।
- ग्राफिकल संबंध विलेखन: I4C को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों से संबंधित लेनदेन के प्रवाह का पता लगाने के लिए, यह दिखाए के लिए कि कौन सा खाता दूसरों को धन हस्तांतरित करता है और इसकी आवृत्ति क्या है।

19.2 हमारे उदय चैटबॉट पर अनेक नई सेवाओं का शुभारंभ तथा हमारी आईवीआर प्रणाली में रोमांचक संवर्द्धन।

उदय चैटबॉट की अनूठी एनएलपी सुविधा

इसमें ग्राहक के संदर्भ को समझने और स्वाभाविक एवं सटीक ढंग से प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है। उदय में उपयोगकर्ता इनपुट की व्याख्या करने और संवादात्मक प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए आय वर्गीकरण, भावना विलेखन और संदर्भ ट्रैकिंग जैसी उन्नत तकनीकें हैं।

एजेंट के साथ चैट करने हेतु वीडियो कॉल सहायता सुविधा

ग्राहक चैट या वीडियो कॉल सहायता के माध्यम से वास्तविक समय सहायता के लिए लाइव ग्राहक सेवा सहयोगियों से जुड़ सकते हैं। यह दृश्य इंटरैक्शन को व्यक्तिगत समर्थन के साथ जोड़कर ग्राहक अनुभव को बढ़ाता है।

उदय की अन्य नई विशेषताएं

- खाता शेष
- खाता लघु विवरणी
- छुट्टियों का कैलेंडर

- एटीएम लोकेटर
- ईएमआई कैलकुलेटर
- ऋण खाते ब्याज प्रमाणपत्र
- जमा खाते ब्याज प्रमाणपत्र
- डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग
- पुनः केवाईसी जमा
- चेक बुक अनुरोध
- चेक भुगतान पर रोक
- डेबिट कार्ड जारी करना
- डेबिट कार्ड पिन सेट/रीसेट करना

आईवीआर प्रणाली में सुधार

- AEPS स्व-सेवा अक्षम/सक्षम करें
- ई-बैंकिंग स्व-सेवा अक्षम/सक्षम करें

19.3 फ्रंटलाइन कर्मचारियों द्वारा ग्राहक अनुकूल व्यवहार पर नज़र रखने हेतु तंत्र

- ग्राहक अनुभव में परिवर्तन लाना, जिससे समग्र संस्कृति में परिवर्तन आएगा।
- विभिन्न चैनलों से एकत्रित फीडबैक के माध्यम से ग्राहक अनुभव को एकत्रित करना।
- उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने वाली शीर्ष प्रदर्शन करने वाली शाखाओं/कर्मचारियों को पुरस्कार।

19.4 आधार आधारित प्रमाणीकरण के साथ ऑनलाइन नामांकन सुविधा

19.5 साइबर अपराध शिकायतों के प्रभावी प्रबंधन के लिए I4C पोर्टल के साथ API एकीकरण

20. कार्यनीति आयोजना: एमआईएस एवं एडीएफ कक्ष

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, डेटा एनालिटिक्स सेल ने परिचालन दक्षता बढ़ाने और बैंक में डेटा-संचालित निर्णय लेने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

20.1 कुछ प्रमुख पहल और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क) लाइव डैशबोर्ड का कार्यान्वयन:

कई लाइव डैशबोर्ड विकसित और कार्यान्वित किए गए हैं, जो प्रमुख व्यावसायिक मैट्रिक्स में वास्तविक समय या लगभग वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं। इन डैशबोर्डों ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक निष्पादन की निरंतर, डेटा-संचालित निगरानी को सक्षम करके परिचालन दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उल्लेखनीय रूप से, लाइव बिजनेस डैशबोर्ड में लक्ष्य बनाम लक्ष्य के बीच के अंतर ने सभी विभाग स्तरों पर बेहतर ट्रैकिंग और समय पर कार्रवाई की सुविधा प्रदान की है, जिससे व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण सहायता मिली है।

ख) कैश-इन-हैंड लाइव डैशबोर्ड:

कैश-इन-हैंड लाइव नामक एक महत्वपूर्ण डैशबोर्ड शुरू किया गया है, जो सभी शाखाओं की वर्तमान नकदी स्थिति प्रदर्शित करता है। इससे बैंक में बेहतर नकदी प्रबंधन संभव हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप नकदी धारण में सुधार हुआ है और सीआरआर (नकद आरक्षित अनुपात) अनुपालन में सुधार हुआ है।

ग) एनपीए मॉनिटरिंग डैशबोर्ड:

अगले दो सप्ताह में एनपीए बनने के जोखिम वाले खातों की निगरानी के लिए एक लाइव डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इन खातों में ऋण प्रवाह की वास्तविक समय पर निगरानी ने शाखाओं को सक्रिय कदम उठाने के लिए सशक्त बनाया है, जिससे चूक में कमी आई है और परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन में वृद्धि हुई है।

घ) एआई और एमएल-आधारित क्रॉस-सेलिंग मॉडल:

मौजूदा ग्राहक आधार से क्रॉस-सेलिंग होम और कार ऋण के लिए संभावित ग्राहकों की पहचान करने के लिए एआई और एमएल मॉडल को सफलतापूर्वक तैनात किया गया है। इन मॉडलों ने पहले ही बड़ी संख्या में योग्य लीड्स उत्पन्न कर दिए हैं, जिससे व्यवसाय की वृद्धि में योगदान मिला है तथा परिचालन और विपणन दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है। कई अतिरिक्त एआई और एमएल मॉडल वर्तमान में विकास के अधीन हैं और चालू वित्त वर्ष में रोलआउट के लिए निर्धारित हैं।

इसके अलावा, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पोस्ट की गई ग्राहक प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए एक भावना विलेखन मॉडल लागू किया गया है। प्राप्त अंतर्दृष्टि को विभाजित किया गया है और एक समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसका उपयोग ग्राहक सेवा की गुणवत्ता और समग्र जुड़ाव को बढ़ाने के लिए कई विभागों द्वारा सक्रिय रूप से किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, ओजीआरएस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों को उसका प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है तथा एक संरचित डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इससे विभागों को शिकायतों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान करने तथा सतत निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से समय पर समाधान सुनिश्चित करने में सहायता मिली है।

ड) संभावित मूल खातों का पता लगाना:

एक प्रमुख उपलब्धि संभावित मूल खातों का पता लगाने के लिए एआई मॉडल का विकास करना रहा है। संबंधित डैशबोर्ड की ईएफआरएमएस सेल द्वारा सक्रिय रूप से निगरानी की जाती है और इसने धोखाधड़ी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे बैंक की अखंडता और वित्तीय स्थिति की रक्षा हुई है।

च) एनएलपी-संचालित चैटबॉट्स की तैनाती:

प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) का लाभ उठाते हुए, मानव संसाधन प्रबंधन, क्रेडिट और कार्मिक सेवाओं आदि से संबंधित प्रश्नों में कर्मचारियों की सहायता के लिए कई चैटबॉट विकसित किए गए हैं। ये चैटबॉट वर्तमान में उपयोग में हैं और इनसे आंतरिक सेवा वितरण और सहायता दक्षता में सुधार हुआ है। यह पहल हमें ऐसे स्मार्ट समाधानों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बनाती है।

छ) रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन (आरपीए) की शुरुआत:

बैंक ने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) के माध्यम से दोहराए जाने वाले कार्यों के स्वचालन पर भी काम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मैनुअल हस्तक्षेप को कम करना और टर्नअराउंड समय में सुधार करना है। इससे परिचालन दक्षता और संसाधन अनुकूलन में और वृद्धि होगी।

20.2 आगामी एआई और एमएल मॉडल

- एनपीए पूर्वानुमान मॉडल: प्रारंभिक चेतावनी संकेतों और जोखिम न्यूनीकरण के लिए।
- गूगल समीक्षा भावना विश्लेषण: ग्राहक प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी ढंग से समझने और संबोधित करने के लिए।
- कॉल सेंटर कॉल विश्लेषण: सेवा गुणवत्ता सुधार के लिए अंतर्दृष्टि निकालना।
- संभावित व्यक्तिगत ऋण ग्राहक पहचान: लक्षित ऋण विपणन पहलों का समर्थन करना।
- ग्राहक चर्च पूर्वानुमान: ग्राहक लेनदेन और आरएफएम विश्लेषण के आधार पर, ग्राहक चर्च का पूर्वानुमान लगाना और उसे रोकना।
- विकास में अतिरिक्त मॉडल: दक्षता और विकास को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न परिचालन और रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

21. कॉर्पोरेट संसूचना

बैंक अपने हितधारकों के साथ संचार में पारदर्शिता और निरंतरता के उच्च स्तर के माध्यम से मजबूत कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा को मजबूत करता है और वास्तविक समय के आधार पर बैंक की वेबसाइटों के माध्यम से जानकारी सहित स्पष्टता, सुसंगतता और विश्वसनीयता के साथ समय पर जानकारी प्रसारित करता है। बैंक का उद्देश्य निरंतर, सुसंगत और प्रासंगिक संदेशों के माध्यम से और बाहरी और आंतरिक संचार उपकरणों के विवेकपूर्ण मिश्रण का उपयोग करके सभी को गतिविधियों और विकास में सूचित करना, राजी करना और शामिल करना है।

बैंक ने विश्व स्तरीय वित्तीय संस्थान की ब्रांड छवि बनाने और उसे बनाए रखने के लिए प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, विभिन्न कार्यक्रमों के प्रायोजन, सीएसआर गतिविधियों और हितधारकों को आवश्यक जानकारी के प्रसार जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से कई पहल की हैं।

21.1 प्रचार अभियान:

प्रिंट मीडिया/आउटडोर मीडिया लोगों से जुड़ने का एक प्रभावी माध्यम है। बैंक ने पूरे वर्ष होर्डिंग्स, कियोस्क, ट्रैफिक बूथ, बैनर, ट्रैफिक कोन, डिजिटल डिस्प्ले, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से तीव्र और जोरदार प्रचार अभियान चलाकर इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया है।

बैंक के ब्रांड प्रचार के दौरान, बैंक विभिन्न बैंकिंग उत्पादों जैसे गृह ऋण, कार ऋण, शिक्षा ऋण, स्वर्ण ऋण, जमा योजनाएं, डिजिटल उत्पाद, वीकेवाईसी आदि का प्रचार करना भी सुनिश्चित करता है।

21.2 83वें स्थापना दिवस का उत्सव:

6 जनवरी, 2025 को बैंक ने राष्ट्र को अपनी सेवा के 82 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर को पूरे देश और विदेशी केंद्रों में बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। देश भर के आंचलिक कार्यालयों और शाखाओं ने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जैसे कि पौधे लगाना, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर आदि। अलीपुर के धोनोधानियो ऑडिटोरियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें देश भर के कर्मचारियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

21.3 कार्पोरेट सामाजिक दायित्व:

बैंक का मानना है कि सीएसआर गतिविधियों को अंजाम देने से ठोस मूल्य सृजन में मदद मिलती है। इसके अलावा, सीएसआर ग्राहकों और समाज के मन में सकारात्मक छवि बनाता है। इससे मौजूदा और संभाव्य ग्राहकों में अपनेपन और वफादारी की भावना पैदा होती है।

बैंक के पास देश भर में 27 आरएसईटीआई (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) हैं, जो उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन प्रदान करते हैं।

बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष में कई सीएसआर गतिविधियाँ शुरू की हैं जैसे:

- बैंक के एमएसएमई ग्राहकों के लिए समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना
- वृक्ष देखभाल पहल के लिए 1000 लीटर पानी की टंकी से सुसज्जित वाहन खरीदने के लिए योगदान।
- धार्मिक यात्रियों के लिए दैनिक आधार पर पेयजल की बोतलें उपलब्ध कराने, यात्री निवास का निर्माण और श्रद्धालुओं के लिए वाहन खरीदने में योगदान।
- जैव शौचालय सहित सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में योगदान।
- बाढ़ राहत के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष योगदान।
- हथकरघा बुनाई प्रक्रिया के आधुनिकीकरण में योगदान।
- चिकित्सा शिविरों/जागरूकता शिविरों आयोजन तथा ग्रामीण क्षेत्रों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए चार पहिया वाहन/चीप का योगदान।
- रक्तदान शिविरों में योगदान।
- विभिन्न संस्थानों और स्कूलों में प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पेयजल कूलर मशीन की स्थापना और आवश्यक उपकरणों की खरीद।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक्स-रे मशीन, एयर कंडीशनर, व्हील चेयर और स्ट्रेचर की आपूर्ति एवं स्थापना तथा एम्बुलेंस की खरीद के लिए।

बौद्धिक रूप से विकलांग सदस्यों और तंत्रिका-विकलांग व्यक्तियों, जिनमें अनाथ और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लाभार्थी शामिल हैं, के लिए रसद और अवसरसंरचनात्मक सहायता बढ़ाने के लिए एनजीओ को योगदान।

21.4 यूको टावर:

बैंक अपनी इन-हाउस पत्रिका “यूको टावर” भी प्रकाशित कर रहा है, जिसमें सभी सदस्यों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यूको टावर का उद्देश्य सभी कर्मचारियों के बीच बैंक की सभी घटनाओं और गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना भी है।

21.5 सोशल मीडिया:

बैंक के सोशल मीडिया सेल ने रणनीतिक सामग्री निर्माण और सहभागिता पहल के माध्यम से हमारे ब्रांड की उपस्थिति और दृश्यता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

सोशल मीडिया टीम हमारे लक्षित दर्शकों के साथ जुड़ने वाले आकर्षक और जानकारीपूर्ण पोस्ट तैयार करने में सक्रिय रही है। बैंक के अनूठे मूल्य प्रस्तावों और उत्पाद पेशकशों को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करके, हमने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ब्रांड के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है।

ऑनलाइन सकारात्मक ब्रांड छवि बनाए रखने के महत्व को समझते हुए, हमारी टीम ने सोशल मीडिया चैनलों पर भावनाओं पर कड़ी निगरानी रखी है। ग्राहकों की पूछताछ का समय पर जवाब देने, चिंताओं को दूर करने और सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देने के माध्यम से, हमने भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया है और हमारे ऑनलाइन समुदाय के बीच बैंक के बारे में अनुकूल धारणा विकसित की है।

कुल मिलाकर, सोशल मीडिया के प्रयासों ने न केवल ब्रांड जागरूकता को बढ़ावा दिया है, बल्कि ग्राहक संबंधों को मजबूत करने और डिजिटल क्षेत्र में सकारात्मक ब्रांड प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने में भी योगदान दिया है। जैसा कि हम आगामी वर्ष की ओर देखते हैं, हम अपने संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने और अपने हितधारकों को मूल्य प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में सोशल मीडिया का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

22. मानव संसाधन

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग में विभिन्न खंडों की देखभाल करने वाले विभिन्न प्रकोष्ठ शामिल हैं। इन सभी प्रकोष्ठों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सामंजस्यपूर्ण और उत्पादक कार्य वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम किया। कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान में सुधार/ वृद्धि के लिए प्रशिक्षण और कार्यशाला आयोजित की गई।

22.1 जनशक्ति प्रबंधन:

- 31 मार्च, 2025 तक हमारे बैंक में कुल कर्मचारियों की संख्या 21049 थी, जिसमें विदेशों में सेवारत कर्मचारी भी शामिल हैं। 31-03-2025 तक हमारे बैंक में 13505 अधिकारी, 5606 क्लर्क और 1938 अधीनस्थ-कर्मचारी हैं।
- कुल 21049 कर्मचारियों में से 4197 अनुसूचित जाति, 1743 अनुसूचित जनजाति, 5071 अन्य पिछड़ा वर्ग, 320 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 9718 अनारक्षित श्रेणी के हैं।
- कुल कर्मचारियों में से 514 कर्मचारी बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्ति हैं और 1438 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं।
- 31 मार्च, 2025 तक कुल कार्यबल में 6136 महिला कर्मचारी शामिल हैं, जो कुल कार्यबल का 29.15% हैं।
- 31 मार्च, 2025 तक 1056 भूतपूर्व सैनिक हैं।

22.2 आईआर परक्रामण कक्ष:

इस अवधि के दौरान, बैंक में औद्योगिक संबंध का माहौल प्रबंधन और युनियनों/एसोसिएशनों के बीच सौहार्दपूर्ण रहा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पारस्परिक सहयोगात्मक रवैये और सम्मान के माध्यम से समय-समय पर युनियनों/एसोसिएशनों के साथ बैठकें और चर्चाएँ की गईं। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनिवार्य अवकाश का 100% अनुपालन किया गया।

22.3 भर्ती कक्ष:

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बैंक ने जोखिम अधिकारियों, कृषि क्षेत्र अधिकारियों और ग्राहक सेवा सहयोगियों सहित प्रमुख भूमिकाओं में 325 कर्मचारियों की भर्ती करके एक कुशल और विविध कार्यबल के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। नए भर्ती किए गए कर्मचारियों में से 30% महिलाएँ थीं, जो लैंगिक विविधता पर हमारे फोकस को दर्शाती हैं।

बैंक ने वर्ष के दौरान 250 प्रशिक्षुओं को भी नियुक्त किया, जिससे महत्वाकांक्षी पेशेवरों के लिए प्रतिभा विकास और व्यावहारिक अनुभव को बढ़ावा मिला।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 250 स्थानीय बैंक अधिकारियों (एलबीओ) और 68 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती शुरू की गई है। आईबीपीएस के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 161 विशेषज्ञ अधिकारियों और 364 ग्राहक सेवा सहयोगियों की भर्ती की जानी है। भर्ती किए जाने वाले विशेषज्ञ अधिकारियों में आईटी अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, विधि अधिकारी, जोखिम अधिकारी, मानव संसाधन/कार्मिक अधिकारी, अर्थशास्त्री, सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं, ताकि हमारे कार्यबल को मजबूत किया जा सके और सेवा उत्कृष्टता को बढ़ाया जा सके।

22.4 प्रशिक्षण कक्ष:

हमारा संगठन, सबसे गतिशील उद्योगों में से एक का हिस्सा होने के नाते, संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ अपने कर्मचारियों को लगातार अपडेट करके लगातार बदलते माहौल के साथ तालमेल बनाए रखना है। कॉर्पोरेट विजन, मिशन और शीर्ष प्रबंधन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 में, बैंक की नई लर्निंग और डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी गई और लागू किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, 975 कार्यपालकों, 12700 अधिकारियों और 4798 अधीनस्थ-कर्मचारियों, कुल 18473 को हमारे कार्यपालक प्रशिक्षण केंद्र, कोलकाता, भारत भर में 7 अन्य कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्रों और प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया। हमने एनआईबीएम पुणे, बीआईआरडी लखनऊ, एसबीआईएल कोलकाता, एनआईबीएसकॉम नोएडा, सीएबी (आरबीआई), आईआईबीएफ, सीएफआरएएल, मणिपाल विश्वविद्यालय, आईआईबीएम गुवाहाटी और देश भर के विभिन्न प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में अपने अधिकारियों और कार्यपालकों को प्रायोजित करना जारी रखा, जिससे उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने में मदद मिली।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे वार्षिक फ़ॉरेक्स असेंबली, जेन-एआई और मशीन लर्निंग पर कार्यक्रम, डेटा एनालिटिक्स, ईएसजी, बैंकिंग अनुपालन पर अनुकूलित कार्यक्रम, कार्यस्थल सुरक्षा पर महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सुरक्षा अधिकारियों का वार्षिक रिक्रेशर प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण पर अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल परिवर्तन और परिवर्तन प्रबंधन, नए अंचल प्रमुखों के लिए परिवर्तन प्रशिक्षण, निवारक सतर्कता कार्यक्रम, कमजोर प्रदर्शन करने वालों के लिए ज़रूरत आधारित प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। एजीएम और डीजीएम के लिए योग्यता मानचित्रण अभ्यास आयोजित किया गया। सभी अधिकारियों के लिए कौशल मूल्यांकन परीक्षण आयोजित किए गए और परीक्षणों में कमजोर प्रदर्शन करने वालों को प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए गए।

बैंक ने सीआईएसओ कार्यालय के सहयोग से सभी शाखाओं/ कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा/ फ़िशिंग जागरूकता कार्यक्रम पर वेबिनार भी आयोजित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, कुल 591 कर्मचारियों को बैंक द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए मानदेय/ प्रोत्साहन का भुगतान किया गया।

22.5 पीएमएस कक्ष:

बैंक ने वेतनमान VII तक के सभी अधिकारियों/ कार्यपालकों का सुदृढ़, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए समसिद्धि पोर्टल के माध्यम से अपने निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) को नया रूप दिया है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 से समसिद्धि एप्लिकेशन के माध्यम से भूमिका आधारित मूल्यांकन।
- स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके और प्रगति की नियमित निगरानी करके जवाबदेही को बढ़ावा दें।
- केआरए मापनीयता में सुधार जिससे पीएमएस की वस्तुनिष्ठता में सुधार होगा।
- पारदर्शिता में सुधार, नौकरी की संतुष्टि में सुधार और भ्रम या संघर्ष को कम करने के लिए उद्देश्य/ प्रणाली संचालित डेटा और उपकरण संचालित भूमिका आवंटन।
- परियोजना समसिद्धि 2.0: अधिकारियों के लिए वैज्ञानिक जनशक्ति नियोजन उपकरण और स्थानांतरण प्रक्रिया का स्वचालन।
- बैंक में सभी साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए समसिद्धि से वन-स्टॉप बायोडाटा।
- समसिद्धि का प्रदर्शन लीडरबोर्ड तथा बैंक के एचआरएमएस और समसिद्धि पोर्टल में क्रमशः अंचल प्रमुखों और शाखा प्रमुखों का व्यवसाय श्रेणी-वार डैशबोर्ड।
- अधिकारियों/ कार्यपालकों के लिए पुरस्कार और मान्यता दांचे पर नीति को प्रदर्शन से जुड़े (मौद्रिक/ गैर-मौद्रिक दोनों) पुरस्कारों के लिए पेश किया गया है जो केवल व्यवसाय सृजन भूमिकाओं में तैनात अधिकारियों/ कार्यपालकों के लिए लागू है।

22.6 आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी):

हमारा बैंक लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और समावेशी वृद्धि होगी तथा समग्र रूप से राष्ट्र को लाभ होगा।

महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल वातावरण बनाने के संदर्भ में हमारे बैंक ने शीर्ष स्तर के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में निर्धारित नियमों को लागू करती हैं, ताकि ऐसी शिकायतों का त्वरित निवारण किया जा सके।

22.7 आरक्षण कक्ष:

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को दिए जाने वाले आरक्षण, छूट और अन्य रियायतों को लागू कर रहा है। 31/12/2024 तक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों का कुल प्रतिनिधित्व 19.93%, 8.29%, 23.96% और 1.51% था। सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति के लिए अलग-अलग रोस्टर रजिस्टर बनाए जाते हैं।

अनुसूचित जाति/ जनजाति कर्मचारियों के लिए, आरक्षण कक्ष को मानदंडों के अनुसार प्रधान कार्यालय स्तर पर और सभी अंचल कार्यालय स्तर पर स्थापित किया गया है, जो मुख्य संपर्क अधिकारी के साथ-साथ पदेन संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में काम करता है। इसके अतिरिक्त बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर के साथ-साथ अंचल कार्यालय स्तर पर अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग कक्ष का गठन किया है जो मुख्य संपर्क अधिकारी के साथ-साथ पदेन संपर्क अधिकारी के नियंत्रण में काम करता है।

इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी और ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की शिकायतों को देखने के लिए उनके लिए अलग से शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने अजा-3435, अजजा-1550, अपिव-4758, ईडब्ल्यूएस-305 और पीडब्ल्यूडी-474 में से 18488 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है। बैंक ने अधिकारियों के अंतर-स्केल पदोन्नति के लिए 1368 उम्मीदवारों, लिपिक से अधिकारी तक पदोन्नति के लिए 187 उम्मीदवारों और अजा/ अजजा/ अपिव और पीडब्ल्यूडी श्रेणी से संबंधित अधीनस्थ से लिपिक संवर्ग में पदोन्नति के लिए 205 उम्मीदवारों को प्री-प्रमोशनल प्रशिक्षण दिया है।

बैंक के अजा/ अजजा और अपिव कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए, ऐसे कर्मचारियों के कल्याण संघ के साथ शीर्ष स्तर के साथ-साथ अंचल कार्यालय स्तर (जहाँ आरक्षण रोस्टर बनाए रखा जाता है) पर बैठकें बुलाई जाती हैं। अजा/ अजजा/ अपिव/ भूतपूर्व सैनिक/ पीडब्ल्यूडी से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की निगरानी के लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर एक आंतरिक शिकायत समिति काम कर रही है, जिसे बैंक की मौजूदा नीति और दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित कक्ष द्वारा संभाला और बाद में निवारण किया जाता है।

31-12-2024 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांगों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरण अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है।

अनुलग्नक/Annexure -																				
31.12.2024 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का समूहवार प्रतिनिधित्व Group-wise representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Section upto 31.12.2024																				
संस्था का नाम :यूको बैंक / Name of the Organization : UCO BANK																				
समूह Group	कर्मिकों की संख्या (31.12.2024 के अनुसार) No. of Employees (As on 31.12.2024)										कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नति की संख्या (यानि 01.01.2024 to 31.12.2024) Number of appointments/promotions made during the calendar year 2024 (i.e. 01.01.2024 to 31.12.2024)									
	सीधी भर्ती से नियुक्ति Appointment by direct Recruitment										पदोन्नति द्वारा नियुक्ति Appointment by Promotion						अन्य विधियों द्वारा नियुक्ति Appointment by other Methods			
	कुल Total	अजा SCs	अजजा STs	ओबीसी OBCs	ईडबल्यू एस EWS	कुल Total	अजा SCs	अजजा STs	ओबीसी OBCs	ईडबल्यू एस EWS	कुल Total	अजा SCs	अजजा STs	ओबीसी OBCs	ईडबल्यू एस EWS	कुल Total	अजा SCs	अजजा STs	ओबीसी OBCs	ईडबल्यू एस EWS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह-क Group-A	13361	2267	1114	3519	175	59	6	4	15	5	257	30	19	33**	0	0	0	0	0	0
समूह-ख Group-B	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
समूह-ग Group-C	5789	1026	484	1318	146	266	48	23	82	24	79	20	5	22**	0	23	6	2	7	0
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर) Group-D (Excluding Safai Karamchari)	2080	938	161	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	5	1	9	0
समूह-घ (सफाई कर्मचारी) Group-D (Safai Karamcharies)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल Total	21230	4231	1759	5090	321	325	54	27	97	29	336	50	24	55**	0	43	11	3	16	0

*समूह डी (बिंदु 4) में हाउस कीपर सह चपरासी शामिल हैं / Group D (point 4) include House Keeper Cum Peon
 ** अपित वर्ग के अभ्यर्थियों को पदोन्नति में अनारक्षित माना जाएगा / The Candidate belongs to OBC are treated as UR in Promotion
 ***उपरोक्त डेटा 31.12.2024 तक का है / Data mentioned above is upto 31.12.2024
 सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कैडर/ ग्रुप के भीतर पदोन्नति के लिए कोई आरक्षण लागू नहीं है /
 As per Govt. guidelines No Reservation is applicable for promotion within the Cadre/Group

अनुलग्नक/Annexure - II																																								
दिनांक 31.12.2024 तक दिव्यांग व्यक्तियों का समूह-वार प्रतिनिधित्व Group-wise representation of Persons with Disabilities up to 31.12.2024																																								
संस्था का नाम : यूको बैंक / Name of the Organization : UCO BANK																																								
समूह Group	कार्मिकों की संख्या (31.12.2024 के अनुसार) No. of Employees (As on 31.12.2024)					सीधी भर्ती से नियुक्ति Appointment by direct Recruitment										पदोन्नति द्वारा नियुक्ति Appointment by Promotion																								
	कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नति की संख्या (यानि 01.01.2024 to 31.12.2024) Number of appointments/promotions made during the calendar year 2024 (i.e. 01.01.2024 to 31.12.2024)																				आरक्षित रिक्रियों की संख्या No of vacancies reserved										नियुक्तियों की संख्या No of appointments									
	आरक्षित रिक्रियों की संख्या No of vacancies reserved					नियुक्तियों की संख्या No of appointments made					आरक्षित रिक्रियों की संख्या No of vacancies reserved					नियुक्तियों की संख्या No of appointments																								
	कुल	वी	एच	ओ	आईडी एवं ओटीएच	कुल	वी	एच	ओ	आईडी एवं ओटीएच	कुल	वी	एच	ओ	आईडी एवं ओटीएच	कुल	वी	एच	ओ	आईडी एवं ओटीएच	कुल	वी	एच	ओ	आईडी एवं ओटीएच															
Total	VH	HH	OH	ID&OTH	Total	VH	HH	OH	ID & OTH	Total	VH	HH	OH	ID & OTH	Total	VH	HH	OH	ID & OTH	Total	VH	HH	OH	ID & OTH																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
समूह-क Group-A	13361	लागू नहीं	लागू नहीं	226	लागू नहीं	3	लागू नहीं	0	1	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं															
समूह-ख Group-B	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं																
समूह-ग Group-C	5789	31	10	68	4	16	2	6	4	4	3	0	2	1	0	5	1	1	2	1	1	0	0	1	0															
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर) Group-D (Excluding Safai Karamchari)	2080	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
समूह-घ (सफाई कर्मचारी) Group-D (Safai Karamcharies)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
कुल Total	21230	133	54	322	7	18	2	7	4	5	3	0	2	1	0	23	4	7	6	6	6	1	1	4	0															

नोट/Note:

(i) वीएच का तात्पर्य दृष्टिबाधित (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति) से है। / VH stands for visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision).

(ii) एचएच का तात्पर्य श्रवण विकलांग (श्रवण विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति) से है। / HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment).

(iii) ओएच का तात्पर्य ऑर्थोपेडिकल (हड्डीके-ड) (चलने-फिरने में अक्षमता या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति) से है। / OH stands for Orthopedically Handicapped (persons suffering from locomotors disability or cerebral palsy).

(iv) आईडी का तात्पर्य बौद्धिक विकलांगता से है। / ID stands for Intellectual Disability.

23. लेखापरीक्षा और निरीक्षण:

23.1 जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए):

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑडिट योजना के अनुसार, आरबीआईए कुल 2681 शाखाओं में आयोजित किया गया है। व्यवसाय और नियंत्रण कार्यों में अंतराल की पहचान करने के लिए, हमने शाखाओं द्वारा विशेष अनुपालन के लिए 'धोखाधड़ी प्रवण क्षेत्रों' को विस्तृत किया है। अब, हमारे पास अलग-अलग व्यावसायिक इकाइयों जैसे कि सामान्य शाखाएँ, फ्लैगशिप कॉर्पोरेट, "बी" श्रेणी, एसेट मैनेजमेंट, लोन प्रोसेसिंग हब, करेंसी चेस्ट, सेवा शाखाएँ, सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीपीसी) नागपुर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विसेज़ के लिए अलग-अलग चेकलिस्ट हैं। आरबीआईए की आवृत्ति इसके पिछले जोखिम वर्गीकरण पर निर्भर करती है, यानी कम जोखिम: 15-16 महीने, मध्यम जोखिम: 12-13 महीने, उच्च जोखिम: 9-10 महीने, बहुत अधिक जोखिम: 8-9 महीने और अत्यधिक उच्च जोखिम: 6-7 महीने।

23.2 समवर्ती लेखापरीक्षा:

समवर्ती लेखापरीक्षा चक्र 2024-25 (अक्टूबर-2024 से सितंबर-2025) के दौरान, 891 शाखाओं की पहचान की गई (816 - शाखाएं, 69 - विशिष्ट शाखाएं और 06 - प्रधान कार्यालय विभाग)। इसके द्वारा बैंक के 80% से अधिक अग्रिमों को समवर्ती लेखापरीक्षा के दायरे में लाया गया है। सभी इकाइयों की लेखापरीक्षा मासिक आधार पर की जाती है। समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए, उच्च मूल्य के लेनदेन की वास्तविकता का पता लगाने हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा 'लेनदेन लेखापरीक्षा' की व्यवस्था है।

23.4 प्रबंधन लेखापरीक्षा:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 34 अंचल कार्यालयों, 24 प्रधान कार्यालय विभागों का प्रबंधन लेखापरीक्षा किया गया। हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (आरआरबी) का प्रबंध लेखापरीक्षा भी किया गया।

23.5 संक्षिप्त लेखापरीक्षा:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 285 शाखाओं में लघु लेखा परीक्षा की गई। लघु लेखा परीक्षा उन शाखाओं के लिए की जाती है जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार की लेखा परीक्षा (समवर्ती, आरबीआईए, वैधानिक लेखा परीक्षा) के अंतर्गत शामिल नहीं थीं।

23.6 राजस्व लेखापरीक्षा:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 1558 शाखाओं में राजस्व लेखा परीक्षा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अग्रिम, जमा, व्यय और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने पर उचित शुल्क वसूल किया गया है।

दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही से शाखा नकदी, एटीएम नकदी, सुरक्षा वस्तुओं, सोने के पैकेटों का त्रैमासिक निरीक्षण जारी है।

23.7 सूचना प्रणाली (आईएस) लेखा परीक्षा:

आईएस ऑडिट सिस्टम को इसके दायरे में नए संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल करके मजबूत किया गया है। आईएस ऑडिट के अंतर्गत निम्नलिखित ऑडिट शामिल हैं - (1) एप्लिकेशन ऑडिट (2) सोर्स कोड ऑडिट (3) प्रोसेस ऑडिट (4) वेंडर ऑडिट (5) डेटाबेस ऑडिट (6) नेटवर्क ऑडिट (7) भेद्यता मूल्यांकन (वीए) और (8) आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि का प्रवेश परीक्षण (पीटी) योग्य आईएस ऑडिटर्स द्वारा आईएस आस्तियों को खतरों और कमजोरियों से बचाने, विधि, विनियमों और आंतरिक नीतियों के अनुपालन के लिए किया जाता है।

23.8 अन्य लेखापरीक्षा:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 121 शाखाओं में बैंक गारंटियों का अर्धवार्षिक ऑडिट और सभी 98 ऋण प्रसंस्करण केंद्रों का ऑडिट किया गया।

23.9 प्रशिक्षण:

विशेषज्ञता बढ़ाने और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए, प्रधान कार्यालय, लेखा परीक्षा और निरीक्षण विभाग और विभिन्न फ़ील्ड इंस्पेक्टरों में तैनात मोबाइल इंस्पेक्टरों और अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बाहरी प्रशिक्षण संस्थान (आईआईबीएफ़) द्वारा 118 मोबाइल इंस्पेक्टरों और 31 कार्यपालकों/ अधिकारियों को आंतरिक प्रशिक्षण दिया गया।

24. सतर्कता

बैंक एक मजबूत और पारदर्शी सतर्कता प्रशासन बनाए रखता है, जो इसके प्रबंधन कार्यों में सहज रूप से एकीकृत है। बैंक की सतर्कता रूपरेखा नैतिक प्रथाओं, व्यावसायिकता और संचालन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है, साथ ही सतर्कता कार्यों की कड़ी निगरानी, पर्यवेक्षण और नियंत्रण सुनिश्चित करती है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के तहत, बैंक में सतर्कता प्रशासन का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो पूरे संगठन में सतर्कता कार्यों की देखरेख करते हैं। बैंक सहभागिता, सक्रियता और निवारक सतर्कता को पारदर्शिता और अनुपालन की संस्कृति बनाए रखने के प्रमुख स्तंभों के रूप में मानता है।

सतर्कता विभाग सभी स्तरों पर निवारक उपायों के संबंध में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र के अधिकारियों सहित अनुशासनिक अधिकारियों को सतर्कता मामलों में सहायता प्रदान करता है, जिससे वे अपनी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकें।

24.1 कीर्तिमान

- **शिकायतें** - वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, विभिन्न स्रोतों (डीएफएस, सीवीसी, आरबीआई, सीबीआई एवं अन्य) से कुल 332 शिकायतें प्राप्त हुईं। जहां कहीं भी सतर्कता का संकेत मिला, उन शिकायतों को केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर तर्क संगत रूप से निष्पादित किया गया।
- **सतर्कता नियमावली 2024 का प्रकाशन** - सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता नियमावली प्रकाशित की गई, जिसमें नवीनतम सीवीसी / डीएफएस दिशानिर्देश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन और अनुशासन एवं अपील नियमों के अद्यतन शामिल हैं।
- **यूको विजिल** - पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने तथा कर्मचारियों को सतर्कता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु त्रैमासिक गृह पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है।
- **ऑनलाइन सतर्कता क्लियरेंस मॉड्यूल** - कागज रहित प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, विभाग द्वारा ऑनलाइन सतर्कता क्लियरेंस मॉड्यूल शुरू किया गया है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप और निपटान में लगने वाला समय (टीएटी) घटा है।
- **अंतर-विभागीय समन्वय बैठक** - प्रति माह मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन, वसूली तथा विधि विभागों के साथ अंतर-विभागीय समन्वय बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक का उद्देश्य धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग की स्थिति, प्रचलित जांचों की प्रगति, शिकायतों का पंजीकरण, लौटाई गई शिकायतों का निपटान, तथा एबीबीएफएफ (एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स) से संबंधित मामलों की समीक्षा करना है।
- **मिशन जागृति के साथ नैतिक प्रथाओं को सुदृढ़ करना और निवारक सतर्कता को बढ़ावा देना** - मिशन जागृति एक निवारक सतर्कता पहल है, जिसका उद्देश्य संगठन के भीतर जागरूकता बढ़ाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इस मिशन के अंतर्गत प्रधान कार्यालय के अधिकारियों ने विभिन्न अंचल कार्यालयों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने कर्मचारियों से संवाद स्थापित कर सतर्कता संबंधी उपायों को बढ़ावा दिया। इन सत्रों का उद्देश्य कर्मचारियों को वास्तविक मामलों पर आधारित प्रस्तुतियों जैसे संवादात्मक तरीकों के माध्यम से शिक्षित करना था।

24.2 प्रमुख कार्यक्रम

- **आईबीए समिति की बैठक** - विभाग ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के निदेशों के तहत गठित सात-सदस्यीय समिति की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस समिति का उद्देश्य ऐसे उपायों पर विचार करना है जो सदभावनापूर्ण व्यावसायिक निर्णयों के लिए पूर्व-सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, तथा बैंकरों द्वारा ऐसे कदमों की सिफारिश करना है जो टालने योग्य चूकों को रोकने में सहायक हों, जिससे कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बाद में की जाने वाली जांच से बचा जा सके।
- **सतर्कता प्रशासन पर क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम** - 13 एवं 14 दिसंबर, 2024 को कोलकाता में यूको बैंक द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के तत्वावधान में 'सतर्कता प्रशासन एवं अनुशासनात्मक मामलों के विभिन्न पहलुओं, जिसमें जांच अधिकारी (आईओ)/प्रस्ताव अधिकारी (पीओ) की भूमिका आदि शामिल है, पर सतर्कता अधिकारियों हेतु क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 110 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें केंद्रीय सतर्कता आयोग के गणमान्य प्रतिनिधि, यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ), कार्यपालक निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारीगण/नामित प्रतिभागी शामिल थे। प्रतिभागियों में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) के प्रतिनिधि तथा यूको बैंक के 11 अंचलों और प्रधान कार्यालय के अधिकारी सम्मिलित थे।
- 23 एवं 24 सितंबर, 2024 को कोलकाता स्थित सेंट्रल स्टाफ कॉलेज में आर.डी.ए. मामलों से संबंधित सभी अंचल कार्यालयों के नोडल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- 20 एवं 21 जनवरी, 2025 को चेन्नई स्थित स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में सभी अंचलों को सम्मिलित करते हुए जांच अधिकारियों एवं प्रस्तुतिकर्ता अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- बैंक ने 28 अक्टूबर, 2024 से 3 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। यह आयोजन केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा घोषित विषय 'सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि' पर आधारित था।

कार्यक्रम की शुरुआत बैंक के सभी कार्यपालकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 'सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा' लेने के साथ हुई, जिससे पारदर्शिता एवं नैतिक आचरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को बल मिला। जागरूकता बढ़ाने हेतु देशभर की शाखाओं एवं कार्यालयों में बैनर एवं पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए। सप्ताह के दौरान विभिन्न सहभागिता गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें सतर्कता संबंधी विषयों पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिताएँ तथा ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित 'जागरूकता ग्राम सभाएँ' शामिल थीं, जिनका उद्देश्य आमजन को सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के प्रति शिक्षित करना था।

इसके अतिरिक्त, अधिकांश अंचलों द्वारा वॉकथॉन (पैदल रैलियों) का आयोजन किया गया ताकि इस मुहिम को जनसमर्थन मिल सके। विभिन्न केंद्रों पर टाउनहॉल मीटिंग्स का आयोजन भी किया गया, जिसमें सतर्कता एवं नैतिक बैंकिंग प्रथाओं पर खुली चर्चाएं की गईं। चुनिंदा केंद्रों में मोटरबाइक रैलियाँ भी निकाली गईं, जिनमें जनभागीदारी के माध्यम से दैनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के महत्व पर जागरूकता फैलाई गई।

25. राजभाषा

बैंक भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सक्रिय रहा है। बैंक द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी

के प्रयोग पर जारी वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 के विविध मदों को लागू करने के लिए समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की गई और उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास भी किए गए। बैंक ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान शाखाओं/ कार्यालयों के दौरे के क्रम में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति के राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन भी किया।

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यूको बैंक प्रधान कार्यालय को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगातार चौथी बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही नराकास (बैंक), कोलकाता (संयोजक: यूको बैंक) को राजभाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों हेतु प्रथम पुरस्कार के रूप में 'नराकास राजभाषा सम्मान' से सम्मानित किया गया।

25.1 राजभाषा कार्ययोजना 2024-25

बैंक के शीर्ष प्रबंधन की प्रेरणा से राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा अंचल एवं प्रधान कार्यालय को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार पुरस्कार को प्राप्त करने के उद्देश्य से राजभाषा कार्ययोजना - 2024-25 को अंगीकार किया। इस योजना के अंतर्गत राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में निम्न कार्य किए गए।

यूको बैंक जी. डी. बिड़ला स्मृति व्याख्यानमाला	प्रधान कार्यालय तथा 32 अंचल कार्यालयों ने विभिन्न समीचीन विषयों पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया। इस व्याख्यानमाला में कुलपति, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, एवं अन्य गणमान्य महानुभाव वक्ता के रूप में शामिल रहे। प्रधान कार्यालय द्वारा कंस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में आयोजित व्याख्यानमाला में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार की सचिव राजभाषा सुश्री अंशुली आर्या, आईएएस, मुख्य अतिथि की रूप में उपस्थित रहीं।
यूको राजभाषा सम्मान	प्रधान कार्यालय तथा 32 अंचल कार्यालयों ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर (हिन्दी) में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले कुल 66 विद्यार्थियों को यूको राजभाषा सम्मान से सम्मानित किया।

25.2 हिन्दी प्रशिक्षण:

प्रधान कार्यालय तथा अंचल स्तर पर कुल 198 हिन्दी कार्यशालाओं के माध्यम से 5800 अधिकारियों एवं लिपिकों को राजभाषा कार्यान्वयन एवं कंप्यूटर पर यूनिकोड का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वेतनमान 2 तथा 3 के राजभाषा अधिकारियों को सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता में तथा वेतनमान 4 के अधिकारियों को भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता एवं सभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों ने अपने प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत सरकार की राजभाषा नीति के सभी पक्षों को शामिल करते हुए कार्मिकों को हिन्दी प्रशिक्षण प्रदान किया।

इसके अलावा, 104 अधिकारियों एवं लिपिकों ने भारत सरकार की सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण (प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ एवं पारंगत) परीक्षा उत्तीर्ण की।

25.3 हिन्दी प्रकाशन:

बैंक द्वारा 'रिटेल एवं कासा: व्यापार समृद्धि के दो पक्ष' विषय पर एक स्मारिका प्रकाशित की गई, जो अखिल भारतीय यूको बैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के निबंधों का संकलन है। इसके साथ त्रैमासिक आधार पर बैंक ही हिन्दी गृह पत्रिका 'यूको अनुगूँज' का प्रकाशन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं सच्चिदानंद हीरानंद 'वात्स्यायन' पर मुख्य प्रबंधकों के लघु शोध प्रबंध पर स्मारिका का प्रकाशन तथा 'भारतीय ज्ञान परंपरा' थीम पर शैक्षिक भ्रमण के उपलक्ष्य में स्मारिका प्रकाशित की गई। नराकास की वार्षिक गृह पत्रिका 'नगर प्रभा' का प्रकाशन किया गया। इसके अतिरिक्त सभी अंचल कार्यालयों तथा सेंट्रल स्टाफ कॉलेज कोलकाता द्वारा भी हिन्दी गृह पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया।

25.4 उपलब्धियां:

(क) राजभाषा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन हेतु प्रधान कार्यालय को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार- द्वितीय पुरस्कार की प्राप्ति

राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु यूको बैंक, प्रधान कार्यालय को भारत सरकार का सर्वोत्कृष्ट राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार 14 सितंबर 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय के कर-कमलों से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अश्वनी कुमार ने ग्रहण किया।

(ख) वित्तीय सेवाएं विभाग भारत सरकार द्वारा राजभाषा नीति तथा कार्यों के श्रेष्ठ निष्पादन हेतु यूको बैंक को प्रोत्साहन पुरस्कार

वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग के नियंत्रणाधीन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ बीमा कंपनियों में यूको बैंक को 'ग' क्षेत्र के अंतर्गत प्रोत्साहन स्थान हेतु प्रशस्ति पत्र डॉ. अभिजीत फुकन, आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवाएं विभाग के कर कमलों से श्री राजेश नागर, महाप्रबंधक, ने ग्रहण किया।

(ग) राजभाषा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन हेतु प्रधान कार्यालय को नराकास राजभाषा सम्मान-प्रथम की प्राप्ति

नराकास बैंक (कोलकाता) को वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु नराकास राजभाषा सम्मान हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। 05 मार्च 2025 को गुवाहाटी में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में यह सम्मान असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के कर कमलों से श्री राजेश नागर, महाप्रबंधक, राजभाषा ने ग्रहण किया।

(घ) यूको बैंक अंचल कार्यालय भागलपुर - राजभाषा क्षेत्रीय पुरस्कार-द्वितीयगृह

मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य हेतु नराकास बैंक (कोलकाता) को वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु नराकास राजभाषा सम्मान-द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 05 मार्च 2025 को गुवाहाटी में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में यह सम्मान असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा के कर कमलों से श्री संजय नंदरकर, उप महाप्रबंधक ने ग्रहण किया।

(ङ) नराकास रूपनगर (संयोजक - अग्रणी बैंक कार्यालय- रोपड़)- नराकास राजभाषा सम्मान- तृतीय

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य हेतु नराकास रूपनगर को वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु नराकास राजभाषा सम्मान हेतु तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 16 फरवरी 2025 को जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में यह सम्मान राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल के कर कमलों से श्री मनीष त्रिपाठी, अग्रणी बैंक प्रबंधक, रूपनगर ने ग्रहण किया।

(च) सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन हेतु सामान्य संवर्ग के कार्मिक को पुरस्कार

10 जनवरी, 2025 को दीव में आयोजित अंचल प्रबंधकों की समीक्षा बैठक में राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन तथा हिन्दी में सर्वाधिक पत्राचार हेतु सुश्री दिलजोत कौर, प्रबंधक, अंचल कार्यालय चंडीगढ़ को सम्मानित किया गया।

हमारे 6 अधिकारियों ने अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों/ वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अंतर बैंक निबंध लेखन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किए।

नराकास के तत्वावधान में विभिन्न बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ कार्यालयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में बैंक के 22 शाखाओं/ कार्यालयों तथा 35 कार्मिकों में 18 प्रथम, 7 द्वितीय, 4 तृतीय तथा 6 को प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुए।

यूको बैंक पत्राचार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत बैंक के 5 कार्मिकों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

25.5 राजभाषा क्रियाकलाप

(क) अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन

बैंक के राजभाषा अधिकारियों के लिए सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता में तीन दिवसीय 12वां अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया।

(ख) यूको बैंक सप्तम अखिल भारतीय अंतर बैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता

पैनल चर्चा सह पुरस्कार वितरण समारोह : बैंक में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'रिटेल एवं कासा -व्यापार समृद्धि के दो पक्ष' विषय पर अखिल भारतीय अखिल भारतीय अंतर बैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता -2024 का आयोजन किया गया। बैंक के सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

‘भारतीय ज्ञान परंपरा- एक परिचय’ विषय पर सेमिनार: नराकास (बैंक), कोलकाता (संयोजक-यूको बैंक, प्रधान कार्यालय) द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर का शैक्षिक भ्रमण किया गया तथा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस -2024 के अवसर पर बैंक के दिव्यांग कार्मिकों के लिए ‘समाज से दिव्यांगजन की अपेक्षाएँ’ विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

25.6 राजभाषा निरीक्षण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा हमारे 1 अंचल कार्यालय तथा आलेख एवं साक्ष्य समिति द्वारा 1 शाखा का राजभाषाई निरीक्षण किया गया। समिति ने राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

वित्तीय सेवाएं विभाग भारत सरकार ने प्रधान कार्यालय का राजभाषाई निरीक्षण किया। मंत्रालय द्वारा बैंक के राजभाषा संबंधी कार्यों की सराहना की गई।

इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा 13 अंचल कार्यालयों और 10 शाखाओं का निरीक्षण किया गया। प्रधान कार्यालय द्वारा बैंक के 20 अंचलों तथा प्रधान कार्यालय के 11 विभागों का राजभाषाई निरीक्षण किया गया।

25.7 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

प्रधान कार्यालय, जो नराकास (बैंक), कोलकाता का संयोजक है, के अतिरिक्त हमारा अजमेर, भागलपुर एवं बालेश्वर अंचल कार्यालय तथा चंडीगढ़ अंचल के अधीन अजिप्र रूपनगर, शिमला अंचल के अधीन अजिप्र नाहन एवं धर्मशाला अंचल के अधीन अजिप्र बिलासपुर नराकास के संयोजक हैं।

26. सामान्य प्रशासन विभाग

हमारा बैंक अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के तहत हमें इंडिया एक्सचेंज बिल्डिंग के लिए सीएसईसी से ग्रीन एनर्जी प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

हमारी प्रतिबद्धता के तहत, बैंक द्वारा कार्यकारी प्रशिक्षण केंद्र, न्यू टाउन में 30 केडब्ल्यूपी क्षमता के तीन (3) रूफ टॉप सोलर पैनल, साइंस सिटी, अहमदाबाद में 15 केडब्ल्यूपी तथा न्यू क्लॉथ मार्केट, अहमदाबाद में 3 केडब्ल्यूपी क्षमता का रूफ टॉप सोलर पैनल स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, देशभर में बैंक के स्वामित्व वाली 26 अन्य इमारतों की पहचान की गई है, जहाँ लगभग 698.8 केडब्ल्यूपी क्षमता के रूफ टॉप सोलर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

बैंक ने केंद्रीकृत चेकबुक निर्गमन प्रक्रिया प्रारंभ की है तथा चेकबुकों के प्रेषण हेतु इंडिया पोस्ट के साथ एक समझौता (टार्ड-अप व्यवस्था) किया है।

27. अनुपालन

यूको बैंक में हम यह मानते हैं कि नियामक संस्थाओं के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना हमारे अनुपालन और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम विश्वास बढ़ाने और ग्राहकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए विभिन्न माध्यमों और पहलों के माध्यम से सक्रिय रूप से नियामकों से संवाद करते हैं, साथ ही प्रभावी रूप से जोखिमों को कम करने का कार्य भी करते हैं। हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं को संरेखित करके, हम पूरे बैंक में एक सशक्त अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं।

नियामक अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें हमारी संवाद रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। ये सत्र खुले संवाद का एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे हम नियामकीय प्रसंगों को सक्रिय रूप से संबोधित कर सकें, मूल्यवान मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें और अपनी परिचालन गतिविधियों की जानकारी साझा कर सकें।

बैंक ने एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग की स्थापना की है, जिसका नेतृत्व महाप्रबंधक और मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो हमारे संचालन को नियंत्रित करने वाले विभिन्न वैधानिक और नियामकीय दिशानिर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है।

इस विभाग का मुख्य कार्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संचालन दोनों के लिए वैधानिक, नियामकीय और आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करना है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है और वर्तमान एसपीएआरसी ढांचे के अनुरूप जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के सहज क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है।

हमारे बोर्ड ने एक व्यापक अनुपालन कार्य नीति को मंजूरी दी है, जो आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है और इसका वार्षिक रूप से पुनरीक्षण और अद्यतन किया जाता है। यह नीति बैंक की अनुपालन दर्शन को स्पष्ट करती है, अनुपालन इकाई की भूमिका और संरचना को परिभाषित करती है, और उसके कर्मचारियों की संरचना एवं विशिष्ट जिम्मेदारियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

इसके अतिरिक्त, अनुपालन विभाग नियमित परीक्षण अभ्यास करता है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि आरबीआई के दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन हो रहा है, इस प्रकार उच्च मानकों के अनुपालन और संचालन अखंडता को बनाए रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुपालन निगरानी को और सुदृढ़ करने हेतु, बैंक ने अनुपालन प्रबंधक टूल लॉन्च किया है, जो एक व्यापक, संगठन-व्यापी अनुपालन समाधान तैयार करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें एकीकृत वर्कफ्लो टूल्स शामिल हैं। यह नवाचार आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है और अनुपालन निगरानी में दक्षता को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने एक व्यक्तिगत-स्तर का अनुपालन स्व-प्रमाणीकरण टूल पेश किया है, जिसका उद्देश्य एक सक्रिय परिवेश में एक सशक्त अनुपालन संस्कृति का निर्माण करना है। प्रत्येक कर्मचारी तिमाही आधार पर स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करेगा, जिसमें उन्हें उनकी भूमिका या कार्य प्रोफाइल के अनुसार विशिष्ट नियम सौंपे जाएंगे। यह अनुकूलित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि अनुपालन आवश्यकताएं प्रत्येक कर्मचारी की दैनिक कार्य जिम्मेदारियों के लिए प्रासंगिक और लागू हों।

अनुपालन विभाग हमारी विदेशी इकाइयों के अनुपालन कार्यों की निगरानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों पर आधारित अनुपालन नीतियों और केवाईसी, एएमएल और सीएफटी मानकों का पालन करें। प्रत्येक विदेशी शाखा में एक समर्पित अनुपालन अधिकारी नियुक्त होता है, जो वहां की विशिष्ट अनुपालन गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है।

ये शाखाएं अपने मेजबान देशों द्वारा निर्धारित सभी लागू नियामकीय आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक पालन करती हैं और नियमित रूप से पुष्टि एवं अनुपालन स्थायित्व रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। यह मजबूत निगरानी रूपरेखा यह सुनिश्चित करती है कि हम वैश्विक स्तर पर उच्च अनुपालन मानक बनाए रखें, और नियामकीय अखंडता एवं जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की रक्षा करें।

28. निदेशक मंडल

28.1 कॉर्पोरेट अभिशासन

बैंक पारदर्शिता, व्यावसायिकता और उत्तरदायित्व जैसे अपने मूल मूल्यों के मार्गदर्शन में मजबूत कॉर्पोरेट अभिशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सिद्धांतों को अपनी कार्यप्रणाली में सम्मिलित करके, बैंक शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने का प्रयास करता है, साथ ही अपने सभी लेनदेन में ईमानदारी बनाए रखता है।

प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु, निदेशक मंडल ने बैंक के कार्यों के प्रमुख पहलुओं की निगरानी के लिए विभिन्न विशेषीकृत समितियों का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक संभावित कमजोरियों की पहचान और समाधान के लिए अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं की नियमित रूप से बहु-स्तरीय समीक्षा करता है, जिससे लचीलापन और संचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलता है।

निदेशक मंडल का दृढ़ विश्वास है कि सुदृढ़ शासन व्यवस्था ग्राहकों, व्यावसायिक साझेदारों, कर्मचारियों और निवेशकों के बीच विश्वास, निष्ठा और सद्भाव स्थापित करने की नींव है। यह बैंक की एक जिम्मेदार और सम्मानित संस्था के रूप में प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ करता है।

28.2 निदेशक मंडल में परिवर्तन

- डॉ. संजय कुमार, सरकारी नामित निदेशक का कार्यकाल 12.05.2024 को समाप्त हुआ।
- श्री सुधीर श्याम को 13.05.2024 से बैंक के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री राजेश कुमार, आरबीआई नामित निदेशक का कार्यकाल 04.08.2024 को समाप्त हुआ।
- डॉ. सरदा प्रसन्न मोहंती को 05.08.2024 से बैंक के निदेशक मंडल में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री प्रमोद रंजन मिश्रा, शेयरधारक निदेशक ने 14.11.2024 से अपने पद से इस्तीफा दिया है, क्योंकि उन्हें नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी, पुणे में चेयर प्रोफेसर के रूप में चयनित किया गया है।

- श्री अंजन तालुकदार और श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों का कार्यकाल 20.12.2024 को समाप्त हुआ।
- सुदृढ़ गवर्नेंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत, बैंक ने सुश्री रचना खरे को 10 जनवरी, 2025 से शेरधारक निदेशक के रूप में नामित किया है। उनकी विशेषज्ञता और नेतृत्व बैंक की अभिशासन रूपरेखा और रणनीतिक दिशा को और अधिक सशक्त बनाएंगे।

28.3 निदेशक मंडल और इसकी विभिन्न उप-समितियों की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल की कुल 12 बैठकें आयोजित की गईं। इस अवधि में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की निम्नलिखित संख्या में बैठकें हुईं:

क्रम संख्या	समिति का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या
1	निदेशक मंडल की प्रबंध समिति	15
2	निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति	09
3	निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति	07
4	निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति	01
5	बड़ी राशि के कपट की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति	03
6	निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति	04
7	बैंक के मानव संसाधन संबंधी मामलों की समिति	08
8	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	01
9	निदेशक मंडल की गैर-पदोन्नति अपील निपटान समिति	01
10	निदेशक मंडल की आईटी रणनीति समिति	05
11	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी हेतु निदेशक मंडल स्तर की समिति	04
12	समीक्षा समिति (इरादतन चूककर्ता)	03
13	निदेशक मंडल की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति	01
14	निदेशक मंडल की ऋण स्वीकृति समिति	33
15	स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	02
16	निदेशक मंडल स्तर की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (बीएलसीएसआरसी)	02

28.4 निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की तैयारी के क्रम में, तात्त्विक अंतरण, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया। ऐसे उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान लगाए गए ताकि बैंक की वित्तीय स्थिति और 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ का एक यथार्थ और निष्पक्ष आकड़ें प्रस्तुत किए जा सकें। भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उचित और पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए आवश्यक सावधानी बरती गई, और खाते निरंतरता के आधार पर तैयार किए गए हैं। बैंक ने व्यवस्थित कार्य संचालन सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है।

28.5 अभिस्वीकृतियाँ

बैंक का निदेशक मंडल श्री सुधीर श्याम (सरकारी नामित निदेशक), डॉ. सरदा प्रसन्न मोहंती (आरबीआई नामित निदेशक), और सुश्री रचना खरे (शेरधारक निदेशक) का वर्ष 2024-25 में निदेशक मंडल में स्वागत करता है और बैंक की प्रगति हेतु उनके बहुमूल्य अवदान की अपेक्षा करता है। निदेशक मंडल डॉ. संजय कुमार (सरकारी नामित निदेशक), श्री राजेश कुमार (आरबीआई नामित निदेशक), श्री प्रमोद रंजन मिश्रा, श्री अंजन तालुकदार एवं श्री रवि कुमार अग्रवाल (दोनों अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करता है, जिनका कार्यकाल वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्ण हुआ।

निदेशक मंडल हमारे ग्राहकों, विक्रेताओं, शेरधारकों, व्यापारिक सहयोगियों और संवाददाता बैंकों को वर्ष भर उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य नियामक प्राधिकरणों का उनके समर्थन और मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए भी आभार व्यक्त करता है और भविष्य में भी उनके निरंतर समर्थन की अपेक्षा करता है।

निदेशक मंडल कर्मचारी संघों/संघटनों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी आभारी है। निदेशक मंडल प्रत्येक स्तरों के कर्मचारियों के समर्पण और योगदान को मान्यता देता है और उनका सम्मान करता है। के लिए गहरा आभार प्रकट करता है। कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन बैंक के कार्यापलट करने के क्रम में मिली तथा उनके चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS: 2024-25

The Board of Directors has pleasure in presenting the Directors Report 2024-25 together with the Audited Statement of Accounts of UCO Bank for the financial year ended March 31, 2025.

FINANCIAL PERFORMANCE

Our Bank has shown steady performance during the year and has made an Operating Profit of Rs. 6,037.31 crore for FY ended March 31, 2025. This reflects a significant Year on Year growth of 31.93 percent from an Operating Profit of Rs. 4,576.25 crore for FY ended March 31, 2024. Net profit increased by 47.85 percent to Rs. 2,444.99 crore during FY ended March 31, 2025 as against Net Profit of Rs. 1,653.74 crore for the FY ended March 31, 2024. Bank has transferred Rs. 611.24 crore, 25% of current year profit to statutory reserve fund in compliance with Banking Regulation Act 1949.

Gross NPA has reduced to Rs. 5,918.54 crore (2.69 percent) as on 31.03.2025 from Rs. 6,463.30 crore (3.46 percent) as on 31.03.2024. Total income stood at Rs. 29,473.55 crore for the year ended 31.03.2025 registering a growth of 17.33 percent over the previous year ended 31.03.2024. Provision Coverage Ratio of the Bank has increased to 96.69 percent as on 31.03.2025 from 95.38 percent as on 31.03.2024.

Following are the highlights of financial performance indicators as on 31.03.2025.

(Rs. in crore)

Particulars	Year ended March 31, 2024	Year Ended March 31, 2025
Total Deposits	263129.77	293542.18
International Deposits	13164.77	17333.16
Domestic Deposits	249965.00	276209.02
CASA Deposits (Domestic)	98120.03	104704.40
Current Account Deposits	12091.39	14324.75
Savings Bank Deposits	86028.64	90379.65
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	39.25	37.91
Total Advances	186877.05	219984.81
International Advances	24604.95	24510.70
Domestic Advances	162272.10	195474.11
Total Assets	323691.45	362481.08
Net Interest Income (NII)	8100.78	9630.08
Other Income	3265.53	4406.63
Of which - Trading gains	396.95	338.81
NII + Other Income	11366.31	14036.71
Operating Profit	4576.25	6037.31
Provisions other than tax	2007.39	2203.74
Provision for NPAs and Bad debts written off	1068.27	1632.82
Profit before Tax	2568.85	3833.58
Provision for Tax#	915.11	1388.59
Net Profit	1653.74	2444.99
# of which DTA	895.74	1335.33

Key Performance Indicators (%)	FY 2024	FY 2025
Cost of Funds	4.63	4.78
Yield on advances	8.46	8.69
Net Interest Margin	2.92	3.17
Cost-Income Ratio	59.74	56.99

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Particulars (%)	As on 31.03.2024	As on 31.03.2025
Capital Adequacy Ratio Basel III	16.98	18.49
CET-I	14.14	16.03
Tier I	14.54	16.37
Tier II	2.44	2.12

ECONOMIC SCENARIO: GLOBAL

The International Monetary Fund (IMF), in its World Economic Outlook, April 2025, has forecasted that the global growth for 2025 will decline largely due to policy shifts, escalating trade tensions and uncertainties.

The World output is expected to grow at 2.8 percent in 2025. This is a far fall from the growth of 3.3 percent of 2024. For the Advanced Economies, consisting of United States, Euro Area, Japan, United Kingdom, Canada and Other Advanced Economies, the growth rate is expected at 1.4 percent. This was 1.8 percent in 2024. For the Emerging Market and Developing Economies, for which India and China are a part, the growth rate for 2025 is expected at 3.7 percent against 4.3 percent in 2024.

Retail headline inflation moderated in all major economies in 2025 over 2024, with further reduction expected in 2026. In the United States, it is expected to reduce to 2.5 percent in 2026 from the present 3.0 percent. In Euro Area, it is expected to be 1.9 percent in 2026 from the current 2.1 percent.

The global trade dynamics are undergoing significant shifts due to geopolitical tensions, evolving trade policies and agreements, supply chain realignments, and rising protectionism. Current U.S. tariffs are straining Asian economies by disrupting supply chains and increasing economic uncertainty across the region. A softening of the tariff stance could help boost global economic confidence. However, the economic impact is already visible. The countermeasures adopted by various countries in response to the trade war are slowing down global trade, with the potential to disrupt supply chains and compel companies to rethink global production and trading strategies.

STATE OF INDIAN ECONOMY

In India, retail inflation, measured by the Consumer Price Index (CPI), eased to 3.16 per cent in April 2025, down from 3.34 per cent in March 2025. The CPI-based inflation has now stayed below the Reserve Bank of India's (RBI) medium-term target of 4 per cent for the third consecutive month. This is mainly an outcome of decrease in food inflation due to robust Rabi harvest. The RBI projects India's inflation for FY 2026 at 4.0 percent.

In the wake of positive outlook on inflation and to boost growth the RBI had reduced the repo rate by 50 basis points in two tranches of 0.25 percent each in Feb-2025 and Apr-2025 to the present 6.0 percent. The RBI had also announced a reduction in the Cash Reserve Ratio (CRR) by 50 basis points to 4 percent in Dec-2025.

The RBI's decision to reduce the repo rate aims to relieve liquidity constraints and boost investor sentiment, improve financing conditions, and accelerate momentum in demand. The policy announcement is also indicative that the Central Bank is confident in its inflation outlook and is looking towards adjusting GDP growth concerns in the background of global slowdown. Further, the MPC has also changed its stance from 'neutral' to 'accommodative', indicating its willingness to cut the interest rates in the near future and expand the money supply to stimulate the economy.

In International Trade, the cumulative exports (merchandise & services) during FY 2024-25 (Apr-24 to Mar-25) are estimated at USD 820.93 Billion, registering a Y-o-Y growth of 5.50 percent. Total imports during FY 2024-25 (Apr-24 to Mar-25) are estimated at USD 915.19 Billion registering a Y-o-Y growth of 6.85 percent. Although India has historically been a trade deficit nation, the Trade Gap has significantly reduced from a high of 19.84 Billion in Nov-24 to 3.62 Billion in March 2025. While export of merchandise and services are somewhat evenly balanced, India is largely a service exporting country with 82.22 percent of total exports being service export.

India's exports to the United States in Apr-Dec 2024 (first nine months of FY 2024-25) increased by 5.5 percent year on year to USD 59.93 Billion and total imports from the United States during the same period went up by 1.91 percent to USD 33.4 billion. India is actively negotiating a bilateral trade deal with the U.S. to avoid the impending tariffs and strengthening bilateral ties. Further, to mitigate the impact, India is also diversifying its exports markets, focusing on regions like Africa and West Asia.

BANKING SECTOR:

The Indian banking industry has been on an upward trajectory aided by good economic growth, rising disposable incomes, increasing consumerism and easier access to credit. Indian Banks have been boosted by rising profitability and declining non-performing assets (NPA). Banks' balance sheets are consistently improving, with multi-year low NPA ratios, higher provisioning, stronger capital positions and robust earnings. In turn, these developments are facilitating a broad-based and sustained credit expansion.

The twelve Public Sector Banks (PSBs) are positioned strongly with an average year on year growth of 9.73 percent in Domestic Deposit and 13.96 percent in Domestic Advance. RAM (Retail, Agriculture and MSME) Advance constitutes 61.48 percent of the total Domestic Advance with an annual growth rate of 17.12 percent as on March 2025. Retail advance provided the thrust with a growth rate of 27.28 percent in this period. Additionally, GNPA of the twelve PSBs have cumulatively declined by Rs.55890 crores or 16.5 percent in March 2025 over March 2024. The present position of GNPA of the twelve Bank stands at 2.84 percent of their Total Advance, which is a significant decline from 3.93 percent a year ago. With an average Provision Coverage Ratio of 95.01 percent, the PSBs are well provided for in their stressed book.

The PSBs have cumulatively earned a net profit of about Rs. 1,78,364 crore during FY25, which is a healthy rise of 26.32 percent over the previous year. Banks have also raised funds from the market to augment their resources, without depending on the Government for capital infusion. This signals good health of the PSBs and reflects strongly on their soundness and resilience.

PERFORMANCE OF UCO BANK DURING FY2024-25:

1.UCO BANK'S DELIVERY CHANNELS:

1.1Brick and Mortar Network:

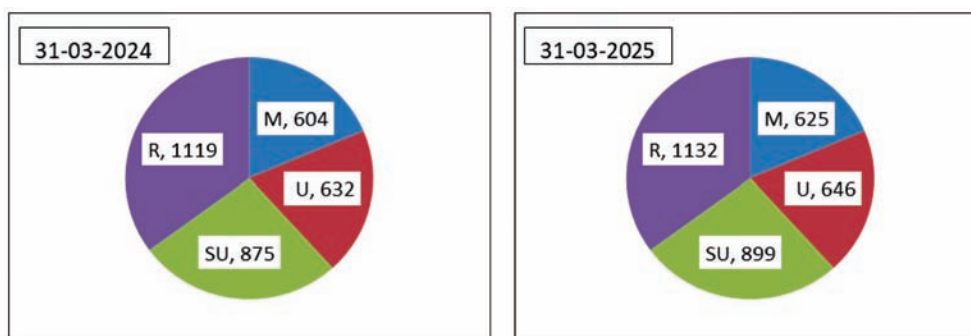
UCO Bank has a geographically well-spread branch network in India and also has presence abroad. As of 31.03.2025, Bank has 43 Zones and 3302 domestic branches, 2 overseas branches (one each in Singapore and Hong-Kong) and 1 representative office has been established in Tehran, Iran.

The Global branch network over 5 years is as under:

March 2021	March 2022	March 2023	March 2024	March 2025
3089	3074	3207	3232	3304

1.2 Branches & Offices Network:

The population category-wise break-up of domestic branches as of 31.03.2024 & 31.03.2025 is given below:

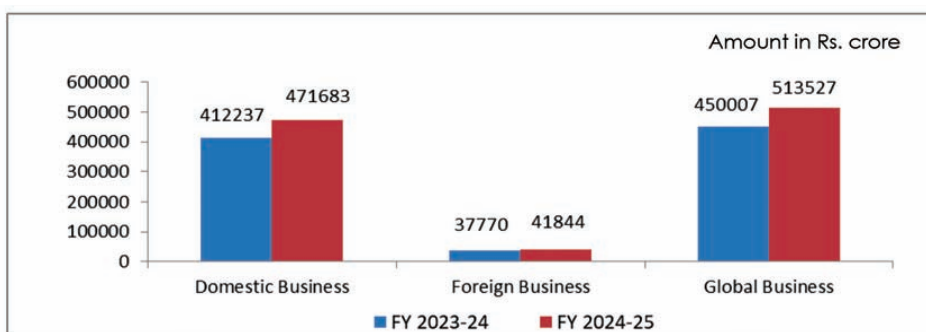


The domestic branches include 6 Flagship corporate branches, 7 Asset Management branches, 4 service branches, 1 central pension processing center, 1 integrated treasury branch and 25 MCU branches. Apart from the above 43 Retail loan Hubs, 43 SME & Agri Loan Hubs, 12 Integrated Loan Hubs and 70 currency chests are also functioning across the country attached to the major city branches of various centers.

2. BUSINESS PROFILE:

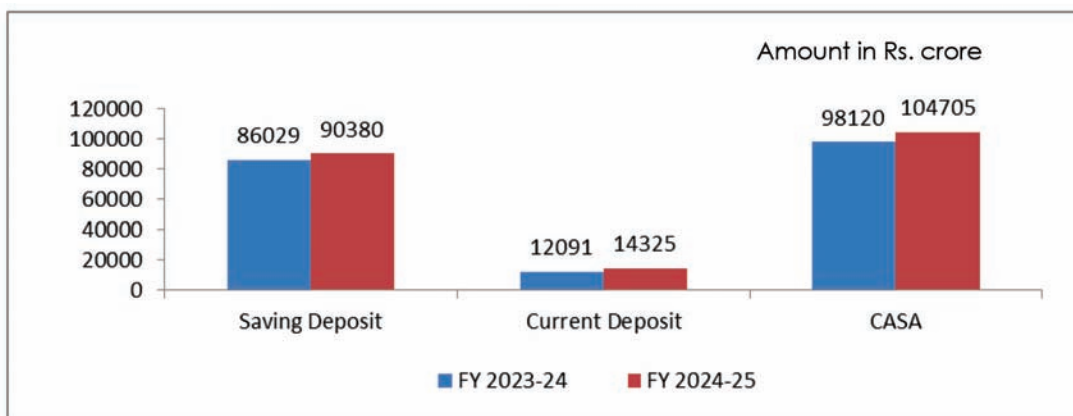
2.1. Global:

- Global business of the Bank stood at Rs. 5,13,527 crore as of 31.03.2025 compared to Rs. 4,50,007 crore showing an increase of 14.12% over March 2024.
- Global deposits has increased by 11.56% as of 31.03.2025 and stood at Rs. 2,93,542 crore compared to Rs. 2,63,130 crore as of 31.03.2024.
- Global advances increased by 17.72% and stood at Rs. 2,19,985 crore as of 31.03.2025 compared to Rs. 1,86,877 crore as of 31.03.2024.



2.2. Domestic :

- Overall domestic business of the Bank has increased by 14.42% and has reached Rs. 4,71,683 crore as on 31.03.2025 from Rs. 4,12,237 crore as on 31.03.2024.
- Domestic deposits increased by 10.50% and stood at Rs. 2,76,209 crore as on 31.03.2025 from Rs. 2,49,965 crore as on 31.03.2024.
- Domestic advance has shown a growth of 20.46% to Rs.1,95,474 crore as on 31.03.2025 from Rs. 1,62,272 crore as on 31.03.2024.
- CASA deposits increased by 6.71% on Y-o-Y and stood at Rs. 1,04,705 crore, SB deposits grew by 5.06% and stood at Rs. 90,380 crore. Current deposits stood at Rs. 14,325 crore as on 31.03.2025 compared to Rs. 12,091 crore as on 31.03.2024, showing a growth of 18.47% on Y-o-Y basis.
- Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits decreased from 39.25% as on 31.03.2024 to 37.91% as on 31.03.2025.



3. TREASURY

Domestic Investment of the Bank during the year 2024-25 decreased by 1.22% from Rs. 92,970.05 crore as on 31.03.2024 to Rs. 91,829.79 crore as on 31.03.2025. During the year, the Non-SLR investments decreased by 4.49% which contributed to total reduction in the investment portfolio by 1.22%.

The SLR investment of the Bank has marginally increased from Rs. 66,418.16 crore as on 31.03.2024 to Rs. 66,470.16 crore as on 31.03.2025.

The Non-SLR Investment (Domestic) decreased by 4.49% from Rs. 26,551.89 crore as on 31.03.2024 to Rs. 25,359.63 crore as on 31.03.2025 mainly on account of fair value of Zero coupon Recapitalization Bonds.

During the year 2024-25, interest income (including accretion on Investment) of Rs.6257.21 crore was registered from domestic investment.

3.1 International Business

As on March 31, 2025, the Bank's total business from Overseas Branches at Singapore and Hong Kong was Rs. 41,844 crore and constituted 8.15% of the Global Business. The Overseas Business constituted of total deposit of Rs.17,333 crore and total advances of Rs. 24,511 crore.

Our Bank with 65 B-Category branches across India is committed to actively cater to the needs of Exporters/Importers Community and also serve our NRI Customers. The total merchant turnover of the bank during the financial year ended on 31st March, 2025 stood at Rs. 58,184 crore.

4. SOCIAL BANKING

4.1 Agriculture

Agriculture Credit of the Bank grew at 20.02% annually from Rs. 24,641 crore as on 31.03.2024 to Rs. 29,575 crore as on 31.03.2025. The details are as under:

(Rs. in crore)

Agriculture	31.03.2024	31.03.2025	YoY Growth %
Crop Loans	9222*	11185	21.28
Investment Credit	6382	8360	30.99
Agriculture Allied	5812	6276	7.98
Infrastructure & Ancillary	3225	3754	16.40
Total Agriculture	24641	29575	20.02

*IBPC of Rs.1000 Cr. issued by us.

2 Performance under Priority Sector Advances vis-à-vis stipulated targets of RBI in FY 2024-25

UCO Bank has shown significant improvement in performance in lending to Priority Sector over the years and is effectively serving the priority sector and agriculture sector with its vast network of rural and semi-urban branches.

- As on 31.03.2025, the Priority Sector Advances (including investments & PSLC) of the Bank stood at Rs. 87,769 crore which constituted 51.68% of ANBC as against the mandatory target of 40%.
- Total Agriculture Advances (including investments & PSLC) under priority sector of the Bank stood at Rs. 30,965 crore which constituted 18.23% of ANBC as against the mandatory target of 18%.
- Lending to Small & Marginal Farmers (including PSLC) stood at Rs. 17,367 crore as on 31.03.2025 which constituted 10.23% of ANBC as against the mandatory target of 10%.
- Lending to Non-Corporate Farmers stood at Rs. 25,101 crore as on 31.03.2025 which constituted 14.78% of ANBC as against the mandatory target of 13.78%.
- Lending to Micro Enterprises stood at Rs. 22,957 crore as on 31.03.2025 which constituted 13.52% of ANBC as against the mandatory target of 7.50%.

- Lending to weaker sections stood at Rs. 24,142 crore as on 31.03.2025 which constituted 14.21% of ANBC as against the mandatory target of 12.00%.

UCO Bank is the convenor of State Level Bankers Committee (SLBC) in 2 States i.e. Odisha & Himachal Pradesh. Bank also shoulders the Lead Bank responsibility in 36 districts across the country.

The Bank has moved beyond granting simple farm based credit to a more diversified rural lending strategy. We are focussing more on newly introduced products such as Agriculture Infrastructure Fund (AIF), Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) PM Formalisation of Micro Food Processing (PMFME), Food & Agro Processing etc. We have launched Nari Samridhi Scheme aiming for financing individual members of Self Help Groups.

The Bank continues to focus on its flagship products like KCC, Agri Gold Loans, Horticulture Loans, Financing to Self Help Groups (SHGs). Bank has digitised KCC renewal up to Rs. 2 lac.

4.3 Credit Flow to Self Help Groups:

- The concept of Self-Help Groups (SHGs) has significantly contributed to women's empowerment by fostering financial independence and enhancing their participation in community decision-making. Lending to Self-Help Groups presents an excellent opportunity to promote micro-enterprises in rural areas, leading to increased employment generation and, in turn, higher income for the rural population.
- The advent of Self Help Groups (SHGs) concept has ensured seamless delivery of credit to the poor and has boosted the rural economy. Bank has actively promoted SHG Bank Linkages.
- The outstanding credit to SHGs stood at 4,158 crore covering 1.79 lakh SHGs as on March'25 and registering annual growth of 29.53%.

5. REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

UCO Bank sponsored RRB namely, Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) is head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices and 230 branches as on 31.03.2025.

5.1 Capital position of RRB - Paschim Banga Gramin Bank

The total capital of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2025 stood at Rs. 682.86 crore comprising Rs. 341.43 crore from Govt. of India, Rs. 239 crore from UCO Bank (as sponsor Bank) & Rs. 102.43 crore from West Bengal State Govt.

5.2 Performance of Paschim Banga Gramin Bank during FY2024-25

As per audited financial results, total deposit of Paschim Banga Gramin Bank stood at Rs. 7,295 crore as on 31.03.2025, registering growth of 5.63%. Total advance reached a level of Rs. 4,415 crore with an annual growth of 6.41% as on 31.03.2025. CD ratio stood at 60.52% as on 31.03.2025 as against 60.08% on 31.03.2024.

The Gross NPA stood at Rs. 343.03 crore as on 31.03.2025 vis-a-vis Rs. 339.31 crore as on 31.03.2024. Gross NPA to Gross Advance stood at 7.77% as on 31.03.2025 as against 8.18% as of 31.03.2024. Net NPA stood at Rs.0.00 crore as on 31.03.2025 vis-à-vis Rs. 31.75 crore as on 31.03.2024. Net NPA ratio of the RRB stood at 0.00% as on 31.03.2025 as against 0.83% as of 31.03.2024.

Paschim Banga Gramin Bank has recorded a net profit of Rs.63.55 crore as on 31.03.2025 as compared to net profit of Rs. 50.65 crore as on 31.03.2024, thereby decreasing accumulated loss from Rs. 408.81 crore as on 31.03.2024 to Rs.357.26 crore as on 31.03.2025.

6. Corporate Social Responsibility

Bank has taken several programmes/initiatives as a part of Corporate Social Responsibility. Few of these programmes/initiatives are as under:

- a) Our Bank has set up 27 Rural Self Employment Training Institutes in 7 states namely Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Odisha, Punjab, Rajasthan and West Bengal. These 27 institutes with dedicated infrastructure are devoted to impart training and skill up gradation and to mitigate the unemployment and under employment of rural youths. These institutes are set up by the Bank as a part of initiative taken up by the Ministry of Rural Development to establish dedicated training Institutions for development of entrepreneurship skills in rural youth, under Corporate Social Responsibility (CSR). All RSETIs conducted 979 training programmes involving 30,016 candidates and 12,933 beneficiaries have been provided Credit Linkage of Rs. 47.70 crore during the Financial Year 2024-25.

- b) As of 31.03.2025, Bank has set up 127 CFLs with collaboration of NGO identified by RBI namely M/s Swadhar Finassess , CRISIL foundation, Dhan Foundation, Aroh Foundation, HPSRLM, Swadhar Fin Assess Foundation, Gram Sathi, Awoke India, M/s Mother, M/s Aravali in the state of Assam, Bihar, Odisha, Punjab, Rajasthan, West Bengal and Himachal Pradesh. All CFLs collectively conducted 61,889 camps involving 22,59,988 participants and 1,53,389 beneficiaries have been provided with Bank Linkage.
- c) Bank has 35 Financial Literacy Centres across the country wherein 13 Financial Literacy Counsellors conduct Financial Literacy Camps. During Financial Year 2024-25, the Financial Literacy Counsellors have conducted 2,418 Financial Literacy Camps thereby spreading Financial Awareness to 91,859 participants as of 31st March 2025.

7. FINANCIAL INCLUSION

7.1 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY)

Bank has been allotted with 16,281 villages across the country to provide inclusive Banking Facility in unbanked/under banked areas. In line with DFS directives these villages were categorized into 4122 Sub Service Areas (SSAs). Out of these 4,122 SSAs, 3656 SSAs are covered through BC agents and 466 SSAs in tier 5 villages (Population above 5000) are covered through Branches for ensuring universal Financial Inclusion and to bring the entire population under ambit of structured Banking facility.

Bank has added 845 Bank Mitras making the total BC deployment to 10,653 of BCs till now. During FY 2024-25 total 333.55 lacs transactions amounting Rs.13,080.80 Crores (averaging every month about 27.80 lacs transactions amounting Rs. 1,090.07 Crores) carried out through Micro ATMs used by BC Agents.

Bank has garnered deposit of Rs. 6,060.54 crore at the end of March 25 in 149.24 lakhs PMJDY accounts registering 1.30% growth in PMJDY saving deposit and 9.55% growth in PMJDY account opening. The average per account balance under PMJDY accounts was Rs. 4067 for the FY 2024-25. Bank has opened 12.34 lacs PMJDY accounts during FY 2024-25.

We have distributed around 58.29 lacs RuPay Cards to the eligible PMJDY account holders. During the FY 2024-25 average transactions per month to the order of 1.00 lacs took place through Rupay Cards on Micro ATMs used by BC agents amounting monthly average of Rs. 47.84 crore.

7.2 Aadhaar Seeding & Authentication

As per revised UIDAI guidelines, Aadhaar number can be given voluntarily as identity proof for opening customer accounts. Aadhaar is required for availing benefits under various government welfare schemes. By 31st March 2025, around 92% operative saving accounts have been seeded with Aadhaar number and Aadhaar authentication has been done in 59% of operative saving accounts.

7.3 Micro credit-Overdraft facility

Number of PMJDY accounts using the OD facility in the bank as on March 2025 is 3.72 Lakhs aggregating sanctioned amount of Rs. 75.38 crores. As per Finance Minister's budget announcement (FY 2020-21), an overdraft of Rs. 5000/- is allowed to verified women SHG member in their PMJDY Accounts.

7.4 Social Security Schemes

Working on the Government's theme of providing social security to hitherto unbanked masses, Bank has implemented Insurance and Pension products namely, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY), Atal Pension Yojna (APY) through its Branch and BC network. Under PMJJBY scheme, 28.02 lakh subscribers availed life insurance of Rs. 2 lakhs and under PMSBY scheme 63.23 lakh customers availed accidental insurance of Rs. 2 Lakh. So far, a total of 15738 claims are settled under PMJJBY and 2575 claims are settled under PMSBY. Further, total subscribers under Atal Pension Yojana (APY) crossed 12.89 lac till end of FY 24-25. During FY 24-25 1.78 lakh customers have been added to APY Fold with Y-to-Y growth of 16.02%.

7.5 PMJJBY and PMSBY enrolment through M-Banking, e-Banking, SMS:

Electronic mode of enrolment of PMJJBY and PMSBY is also available during FY 24-25 in UCO E-Banking and UCO m banking app. Enrolment of PMJJBY & PMSBY was made available through SMS facility, in which, customers can self-enrol by sending SMS from their registered mobile numbers. Incentive for digital self-enrolment is being passed on to the customers by the way of reduced premium.

PMJJBY and PMSBY enrolment through Jansuraksha Portal: During Last FY all claims regarding the PMJJBY & PMSBY was made live in the Jansuraksha Portal.

7.6 DFS Target and Achievement

- a) Saturation Drive under PMJSS (Pradhan Mantri Jan Suraksha Schemes, i.e. PMJJBY, PMSBY, APY): In the backdrop of honourable Prime Minister's Independence Day speech 2021, Department of Financial Services (DFS) directed Banks (vide their Office Memorandum no. F.no.21(23)/2014-FI (Mission) dated 27-09-2021) to implement Saturation Drive for PMJDY account opening & Jansuraksha Schemes to connect every eligible person with the Government's Insurance and Pension scheme.
- b) Saturation Drive in PMJDY Account: The target of opening 9.50 lakhs PMJDY accounts has been given by DFS to be achieved during FY 2024-25. We have achieved 12.34 lakh with an achievement of 130% of the target.

7.7 Progress in Aspirational Districts

With a view to enhance the penetration of Financial Inclusion in the Aspirational Districts, Department of Financial Services (DFS) launched Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) in January 2020 in 40 ADs and extended it to all 112 Aspirational Districts (ADs) in February 2021. Our Bank has been allotted 7 districts namely Begusarai, Goalpara, Barpeta, Dhubri, Banka, Dhenkanal, Darrang. Some of the key facts related to Aspirational Districts allotted to us have been given below:

- Darrang, Goalpara & Dhubri District(s) of Assam State are among the top performers (since inception of programme) under Financial Inclusion & Skill Development theme in the champions of change Dashboard started by NITI Aayog to monitor the progress in the Aspirational Districts.

7.8 Implementation of Aspirational Block Program (ABP) in 500 identified Blocks of the country

Prime Minister on 07th January, 2023 launched Aspirational Block Programme (ABP) on the lines of the Aspirational District Programme, which is aimed at improving performance of blocks lagging on various development parameters. The programme plays emphasis on improving the socio-economic conditions of these backward blocks. Aspirational Block Programme is started in 500 blocks of the country with approach of reaching the last mile and policy of saturation. It will initially cover 500 blocks across 31 states and Union Territories, with over half of these blocks located in six states - Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha and West Bengal.

As intimated by DFS, the provisional Key Performance Indicators (KPIs) for ABP is as below:

- No. of banking outlet (branch/BC/IPPB) located in the block
- No. of villages in the block not covered by a banking outlet within 5 km

7.9 On boarding of 10600 BCs

We have appointed 845 BCs in under banked and unbanked areas in FY 2025. We are now having BC force of 10,653 as of 31st March 2025.

7.10 Aadhaar Enrolment Centre

A total no of 300 Aadhaar Enrolment centers has been set up covering 10% of the branches as per UIDAI guidelines in our Bank. Bank has outsourced the Aadhaar Operator activity to Corporate BCs in order to create efficient operation of AECs and optimum use of Bank's staff.

7.11 Revenue generated through Financial Inclusion Project

Consistent, efforts under Financial Inclusion have given good results and Bank has started gaining both tangible and intangible benefit out of these activities. While decongestion of branches, reduction of transaction cost and increase in CASA base are intangible benefits of FI Project. Tangible benefits have come in the form of commission earned under various products. Bank has earned Rs. 606.63 lacs in PMJJBY, Rs. 17.35 lacs in PMSBY and Rs. 284.08 lacs in APY as commission during FY-2024-25.

8. GOVERNMENT BUSINESS

Government Business cell handles Small savings Deposit Scheme of GOI, collection of Direct and Indirect Taxes, Floating Rate Savings Bonds, Central and state Government Pension, National Social Security Scheme (NPS).

There was an increase in total account base under Public Provident Fund (PPF) from 1,58,544 on 31.03.2024 to 1,70,991 as on 31.03.2025 registering 7.85% Y-o-Y growth and in Sukanya Samridhi Yojna (SSY) from 1,33,065 as on 31.03.2024 to 1,49,869 as on 31.03.2025 registering 12.62% Y-o-Y growth.

Bank gives emphasis to promote Govt. Business product to increase fee based income. Turnover Commission of Rs. 24.00 crore approximately earned in FY 2024-25 from various Government Business products i.e. Tax collection, Pension, Small Savings Scheme, APY, Bond Issuance etc. Business performance has also been improved under Govt. Business products substantially.

9. MSME

9.1 Initiatives undertaken by Bank for MSME Business Growth during FY 2024-25:

a. Introduced 34 Loan Processing Hubs (SME and Agri Hub/Integrated Loan Hub) across the country to improve credit underwriting. Now, 55 Loan Processing Hubs (SME and Agri Hub/Integrated Loan Hub) are operational.

Impact of operationalization of Hubs

Sanction by Hubs FY 23-24	Sanction by Hubs FY 24-25	Growth Impact	
		Amount	%
Rs. 7,391	Rs. 11,178	Rs. 3,787	51%

b. Introduced 11 new MSME loan schemes in line with peer Banks to cater diverse financial needs of MSME customers and to drive MSME Business growth.

- i. UCO Arhatiyas
- ii. UCO Rice Shellers
- iii. UCO MSME Office
- iv. UCO Abhinandan
- v. UCO Trade Advantage
- vi. Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan (CM-YUVA) [Uttar Pradesh State]
- vii. UCO MSME Nari Samman
- viii. UCO MSME Yuva Shakti
- ix. UCO PM Surya Ghar Vyaapar Yojana

c. Introduction of 2 digital loan schemes

- I. UCO GST Smart Finance
- II. MSME Smart Finance

d. Bank has centrally generated around 2 Lacs Udyam Registration Number through Udyam Assist Portal which has helped in formalization of 2 Lacs Informal Micro Enterprises.

e. Bank has identified "Tourism and Hospitality" Industry as champion sector.

f. Bank has Signed MoU with PSB Alliance Private Limited for leveraging Digital Platform of Veefin Solutions for streamlined Supply Chain Finance (SCF) operations and on-boarding corporates on SCF Digital platform.

9.2 Impact of Initiatives undertaken by Bank on MSME Business Growth:

- MSME business has grown by Rs. 6,070 crore, to Rs. 38,783 as on March 2025, registering a Y-o-Y growth of 18.55%.
- During FY 2024-25, for the first time total MSME loan sanction crossed Rs. 11,000 crore.
- Average daily MSME Loan sanction has improved to Rs. 31 crore in FY 24-25 as compared to Rs. 20 crore in FY 23-24.
- Average ticket size of MSME Loan sanction has increased to Rs. 13.95 Lacs in FY 24-25 as compared to Rs. 5.62 Lacs in FY 23-24. Resultantly, average ticket size of MSME Loan sanction has improved to 2.48 times.
- 34 Zones have achieved MSME business target of FY 2024-25.

- 15 Hubs [SME and Agri Hubs (12) and Integrated Loan Hubs (3)] have achieved MSME sanction target of FY 2024-25.
- Rs. 3,000 Crores MSME Loan sanctioned in fortnightly "MSME and Agri Carnival" campaign held from 12/02/2025 to 25/03/2025 (42 Days).
- 2,671 Digital MSME Loans amounting to Rs. 198 Crores sanctioned in FY 24-25.

Performance under Digital MSME Loans
(Status on 31.03.2025)

Particulars	(Amt in Rs. crore)	
	No	Amount
STP Shishu Mudra	1211	6
UCO GST Smart Finance	1368	180
UCO MSME Smart Finance	92	12
Digital MSME Loans	2671	198

10. RETAIL

- UCO Bank's Retail Loan portfolio has increased at an impressive 35.09 percent Y-o-Y to Rs. 54,255 crore in March 2025.
- Year on Year growth in Home Loan portfolio stands at 18.13 percent, Vehicle Loan at 58.99 percent and Personal Loan at 46.30 percent as on March 2025.
- Retail loan portfolio constitutes 27.75 percent of the bank's total domestic advances.

10.1 STP Journey Introduced By The Bank: In order to implement customer engagement and drive business growth under retail loan segment the bank has introduced following STP journeys in FY 2024-25:

- Pre-qualified personal loans - This is a personal loan scheme provided to the eligible customer on the basis of their transaction history in savings accounts.
- Introduction of STP education Loan - UCO Utkarsh (male student) & UCO Udaan (female student), customer's journey for availing education loan under the aforementioned schemes should be easy and readily available in electronic platforms.
- Introduction of select plus which is a personal loan for asset customers who are having good track record.

10.2 Introduction Of New Retail Loan Schemes:

- Udaan" Scheme was launched with the objective of providing financial support from the banking system to meritorious female students at preferential terms, who have secured admissions in Premier Educational Institutes .
- UCO Utkarsh" Scheme aims at providing financial support at preferential terms to students who have secured admissions in Premier Educational Institutes.
- Aspire 2.0 - loan scheme for financing meritorious student for study abroad with improved features.
- PM Vidyalakshmi scheme-Pradhan Mantri Vidyalaxmi" (PM-Vidyalaxmi), a Central Sector Scheme to provide financial support to meritorious students so that financial constraints do not prevent any youth of India from pursuing quality higher education.

10.3 Modifications In Existing Guidelines:

- Introduction of Flexi NACH Mandate in retail loans for enabling flexible repayment option.
- Revamping of Gold loan scheme was also carried out during the FY 2024-25.
- UCO Skill loan scheme modified.
- Introduction of Nomination facility for gold loan accounts.

10.4 Enablers Provided For Increasing The Growth In Retail Portfolio:

- 100 percent waiver in processing charges in home loan and car loans and 100% waiver in documentation charge in car loan was provided till 31.03.2024.
- Modifications in PSVR 2 guidelines for salaried class.

10.5 Launch of Business Campaign

- Shubharambh and Monsoon Magic were also launched during the first half year of FY 2024-25 to boost sanctions under Home and Car Loans
- Teevra Campaign to boost car loans during the first quarter of FY 2024-25.
- UCO UTSAV Campaign aims to boost sanctions under Home & Car loans schemes during the period from 01.10.2024 to 30.12.2024.
- UCO premier league campaign aims to boost sanctions under Home & Car loans schemes during the period from 21.10.2024 to 07.12.2024.
- UCO project was launched to enhance the number of project approvals to increase sanctions under home loans and improve TAT and ticket size during the period from 20.11.2024 to 31.12.2024.
- UCO Premier League-T20 (UPL-T20) - To boost Home Loan & Car Loan sanctions a campaign has been launched from 16.12.2024 to 11.02.2025.

11. RESOURCES

A dedicated Resources Vertical was launched on 23rd Aug 2023 to focus on mobilization of CASA & term deposits. In which three cells was created i.e. Savings, Current & Govt. Deposit. The Vertical is headed by GM & the cells are headed by DGMs.

11.1 Key Accomplishments:

- Current Deposit has grown at 18.47% (Y-O-Y).
- Savings Deposit has grown at 5.06% (Y-O-Y).
- CASA Deposit has grown at 6.71% (Y-O-Y).
- Term Deposit has grown at 12.95% (Y-O-Y).
- Total Deposit has grown at 11.56% (Y-O-Y).

11.2 Initiatives taken by Resource Department in FY2024-25:

- Introduction of Saving Account Products 'UCO Shaurya' & 'UCO Shoorveer' for defence and paramilitary forces.
- Introduction of Tiered Savings Products: UCO Unique, UCO Royal, & UCO Privilege.
- Introduction of 'UCO Asha' pension scheme.
- UCO Saathi' current account scheme for co-operative banks/ RRBs.
- 'UCO Pink Basket' offered for female customers which includes:
 - 'UCO Aparajita' Savings Scheme for women customers.
 - 'UCO Jaya Lakshmi' Current Account Scheme for women customers.
 - 'UCO Sanchayika' RD scheme for women customers.
- Introduction of 'UCO NSCCL E-FDR' for clearing members of NCL.
- Introduction of 'UCO Green Deposits' FD scheme in line with RBI guidelines on Green Deposit Policy.
- 'UCO 333' Special Deposit Scheme for 333 days with attractive ROI has been introduced for a limited period till 31.12.2024. Rs. 8,094 crore term deposit has been mobilized under 'UCO 333'.

- 'UCO Connect' programme for strengthening customer relationship with thrust area on conversion of inoperative account.
- Board approval obtained for Enrolment of UCO Bank as a Clearing Bank of the Clearing Corporations such as NCL, ICCL, MCXCCL, etc. for clearing & settlement purpose, Upstream & Downstream current accounts, etc. It will help to expand our liability business portfolio through diversified products/ services.
- Offering Cash Management Solution (CMS) for corporate/ commercial deposit customers to make our bank especially sticky and increase share of wallet. Direct Debit Facility for NBFCs is already live and functional.

11.3 Campaigns:

- Launched Campaign 'Josh-RD' for recurring deposit mobilisation.
- Launched Campaign "Mission Sheersh" from 11.11.2024 to 21.12.2024 with an objective to mobilise CASA from New Onboarding.
- Launched Campaign "Winter Carnival" from 24.12.2024 to 31.12.2024 with an objective to mobilise CASA.

11.4 Tie up/Agreement initiative and Integration arrangements with other institutions:

- MOU signed with reputed PSUs for Salary Tie up and for Collection and payment.
- Integration for payment gateway with Government owned companies for online bill/fund collection and payment using virtual account number (VAN) for their clients.
- Integration for offline bill collection for consumers of reputed companies.
- Approval obtained for Host to Host API payment Integration with reputed public sector undertaking.

12. MARKETING AND WEALTH MANAGEMENT

12.1 Marketing

The Marketing activities of the Bank eyes at increasing the mobilization of new business, promotion of different products of the Bank and to maintain the brand value of the Bank among the customers. Lead generation and business mobilization being taken up by the Department.

a) Sales Force Team (SFT):

Introduction of Sales Team was done in FY 2022-23 revamping the erstwhile Marketing Team structure with higher number of staff strength in different centres. Different Sales Force Teams were created for Home loan, Other Retail loans and MSME Loans with separate KRAs for separate portfolios. In FY 2024-25, Rs. 4,304 crore has been sanctioned through the leads generated by Sales Team Members.

b) Direct Selling Agents (DSA):

Engagement of Direct Selling Agents (DSA) was introduced in FY 2022-23. In FY 2024-25, total sanctioned amount sourced by DSAs under Home loan is Rs. 3,644.54 crore, Car Loan Rs. 838.15 crore and loan canvassed from Retired Staff DSA is Rs. 129.13 crore, totalling Rs. 4,611.82 crore and registering 57% of YOY growth in overall DSA sanctioned amount from the previous Financial Year.

c) Tie up with Car Manufacturing Companies to present UCO Bank as their preferred Financer:

Integration of our Bank's Loan processing system in the digital platform of Maruti Suzuki India Ltd for easy and quick digital lending has been done and Loans are being sanctioned directly through end to end digital process. During the last financial year 2024-25 more than 1500 car loan sanctioned through the leads generated from this portal. In the same line, agreement has also been done with M/S Mahindra and Mahindra for digital car loan leads to enhance our car loan segment. Integration has also started for the same.

In addition to that bank has tied up with different car companies (Mahindra & Mahindra, Toyota Kirloskar Motors Pvt. Ltd., Tata Motors Passenger Vehicle Ltd., Maruti Suzuki India Ltd.) to promote our Bank as the preferred Financer to the Car Purchasers. Also, various joint activities were organized with these companies across the country to develop a strong relationship between our branches and the car dealers/outlets for generating handsome business for the bank.

d) Lead generation:

Bank is having its indigenous Lead Generation Management System (LGMS) and Customers having interest in different products of UCO Bank can register their requirements through SMS/ Missed Call/ Website/ ChatBot/ Whatsapp etc. Outbound calls (cold calling) are also done by our call centre agents too, for Lead generation of different products. The generated Leads from various channels were tracked, monitored and disposed via indigenous Lead generation management system of the Bank.

12.2 Wealth Management & Credit Card:

Business Done under Wealth Management			
Business done in Bancassurance (2024-25)		(in Rs. lacs)	
Name of the Company	Premium Collected	Commission Earned	NOP
LIC of India	3032.29	137.51	832 (NB)
SBI Life Insurance Co. Ltd	44596.82	2890.90	74,473
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd	11569.30	1938.32	9,080
Care Health Insurance Co. Ltd	1627.65	255.08	71,435
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd	911.60	137.99	11,736
Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd	497.54	81.27	31,177
Future Generali Insurance Co. Ltd	4613.10	583.73	2,03,657
Oriental Insurance Co. Ltd	250.29	42.83	14,047
SBI General Insurance Co. Ltd	933.08	136.40	53,231
Sub- Total	68031.67	6204.03	4,69,668
Business Done in Mutual Fund & Broking (Rs. In Lacs)			
Wealth management Business (MF/SIP, Broking, Demat, NPS, AIF, PMS, ASBA IPO)		197.00	
Business Done in Credit Card (Rs. In Lacs)			
Commission earned	NA	262.00	
Total Commission Earned		6663.03	

a) Bancassurance

- Bank is Corporate agent of Insurance Companies for Soliciting Insurance Business for life, General and Health Segment.
- Bank has 3 channel partners in each segment of Insurance and 9 Channel partners in total.

Present Partners under corporate agency arrangement:

- Life insurance - Life Insurance Corporation of India, SBI Life Insurance Co. Ltd. and ICICI prudential life Insurance Co. Ltd.
- General Insurance - The Oriental Insurance Co. Ltd., Future Generali India Insurance Co. Ltd. and SBI General Insurance Company Ltd.
- Health Insurance - Star Health & Allied Insurance Co. Ltd., Care Health Insurance Ltd. and Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd.

For group Credit life, Bank is having tie-up arrangement with Kotak Mahindra Life Insurance Company Ltd. & ICICI prudential life Insurance Co. Ltd. to cover Life risk of Home, education and other retail loan borrowers.

- Bank has increased the number of Specified persons (SP) substantially for the FY 2024-25 for felicitating Bancassurance business as per regulatory guidelines.

- Bank has taken the initiative for Digital platform for insurance for end-to-end seamless digital mode of sourcing proposal and payment of premium resulting in reducing policy issuance TAT and also better control on the business sourced through our Bank.
- 142 Health checkup camps & 45 voluntary blood donation camps have been organized by our health insurance channel partners across our bank branches and Offices.

b) Wealth Management:

Bank is having arrangements with the Fintech partner Fisdom for providing Wealth Management services to the customers, through referral mode. Bank is also having tie-up with Aditya Birla Money limited for providing trading facility to the de-mat account holders of the Bank.

c) Credit Card:

Bank is providing Credit Card facility to its customer on referral basis with SBI cards and payment services limited. List of pre-approved customers eligible for availing different type of cards are provided to branches. These customers are approached and final card issuance is done by SBI Card after getting consent & necessary documents from the customers. Commission is earned on issuance, renewal of cards and on usage of the Cards.

12.3 Door Step-Banking:

Bank is actively promoting Door Step Banking initiative taken by PSB Alliance. During the FY 2024-25 numbers of campaigns were launched by PSB Alliance. Bank is providing door step services from 1242 designated branches in the country. Facilities like 15G/H collection, Life certificate collection, delivery of account statement, Cheque Book, Draft, pay order and other important services are being provided through DSB.

13. RECOVERY

Bank's recovery mechanism is also geared up at all levels of the organization and Recovery Department has adopted following strategies to maximise recovery.

- Initiating timely SARFAESI action and sale of assets through SARFAESI with utilization of BAANKNET (e-Bikray) platform and LMS. Steps taken for getting DM permission for physical possession of mortgaged properties to improve success rate of e-auction.
- Utilization of Enforcement Agents / Recovery Agents for liaison with Magistrates for physical possession of property and to ensure that all actions are carried out in a time bound manner.
- Filing of DRT suits, Civil suit & suit u/s 138 of NI Act.
- Utilization of Detective Agencies to trace out absconding Borrowers and Guarantors as well as for unearthing personal properties in the name of borrowers/guarantors and attaching the properties through DRT in eligible cases.
- Identification of accounts for referring to NCLT and invocation of personal guarantee through NCLT and attachment of their properties.
- Restructuring and allowing handholding operations in eligible cases.
- OTS in eligible NPA accounts both under "Lakshya Rin Mukti" and Normal OTS Scheme.
- Introduction of UCO Adalat concept for one to one negotiation with borrowers from HO/ZO through senior executives to explore the OTS/Resolution of the accounts. Preferably, every third Friday of the Month would be this camp day.
- Participation in National Lok Adalat for recovery in small accounts.
- Organising special recovery campaigns such as "Kishan Karz Mukti Yojana" for KCC borrowers and "Mudra Manthan" for Mudra accounts.
- CIBIL updation of the default borrowers.
- Contact with NPA borrowers for up-gradation and recovery in soft NPAs as well as old NPAs through War Room and Cluster Approach.
- Timely marking of NPA in respective portal and claim for all accounts covered under CGTMSE / ECGC etc in timely manner.
- Follow up for reduction of NIL performing Branches.

- Declaration of Wilful Default.
- Contacting KCC borrowers by early morning field visit
- Contacting NPA borrowers through Robocall for recovery through compromise.
- Holding Mega Recovery camps at regular intervals.
- Regular review of Zones, high NPA branches and AMBs.

The details of GNPA, NNPA, Cash Recovery and upgradation for the last three years are as under.

(Amt in crore)

Particulars	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
Cash Recovery	1354.10	740.08	702.06
Up gradation	678.13	657.54	524.52
Total	2032.23	1397.62	1226.58
Recovery in Technical Written off accounts	1613.42	1475.38	2630.61
Gross NPA	7726.46	6463.31	5918.54
Gross NPA %	4.78%	3.46%	2.69%
Net NPA	2018.02	1621.65	1068.31
Net NPA %	1.29%	0.89%	0.50%

The total cash recovery and upgradation for the year ended 31st March, 2025 is Rs. 1226.58 crore as against Rs. 1397.62 crore for the year ended 31st March, 2024.

The cash recovery in technically written-off accounts is Rs. 2630.61 crore for the year ended 31st March, 2025 compared to Rs. 1475.38 crore for the previous year. Recovery in Loss and Written Off assets has a direct impact upon the profitability hence Bank is giving priority in monitoring / follow-up for recovery in such accounts.

13.1 Recovery initiatives:

- Bank had implemented new Non-Discretionary & Non-Discriminatory Special One Time Settlement Scheme named "Lakshya Rin Mukti" from 1st July'2024 for settlement of NPAs & ML (PWO) Accounts with outstanding ledger balance up to Rs. 50.00 Lac as on 30.06.2024 under Doubtful, Loss, TWO and ML category. The extended period of validity of the scheme shall be 30.06.2025.
- Bank has strengthened the Legal Management System with the objective to facilitate different departments at Head Office & Zonal Offices for monitoring status of SARFAESI actions, legal matters etc. for effective monitoring and early resolution of accounts.
- Mega Recovery Camps are being organized to augment recovery in NPA accounts.
- Mega e-auction of properties under SARFAESI is being conducted on regular basis. Properties in NPA accounts are uploaded and put for auction on BAANKNET 'e-Bikray' a common web portal of PSB Alliance Pvt Ltd.

14. CREDIT MONITORING

14.1 Bank has strengthened Credit Monitoring mechanism through Enhanced Monitoring as under:

- Early Warning Signal System (EWS): EWS system has been extended and a software package has been implemented which is capable of generating 42 EWS triggers as suggested by RBI along with 84 EWS triggers as suggested under EASE (Enhanced Access and Service Excellence) Agenda. Also, 3 customised alerts have been implemented under EWS. New EWS Framework based on exposure has been introduced w.e.f 22nd Mar'24 and the maker-checker concept has also been implemented in the said framework. One new EWS Alert C4-addition of beneficiary in e-Banking /Corporate m-Banking in CC/OD account has been introduced.

- Dashboard: Bank has launched one Dedicated Dashboard for better Credit Monitoring at all level.
- Probable NPA Dashboard: Live Credits is available in Dashboard which will help to reduce SMA upto a larger extent.
- A new report "Monitoring Daily NPA" at Credit Monitoring Dash Board has been made available to tackle daily NPA run.
- The Dashboard provides a detailed picture of the Retail portfolio of the Bank with below mentioned reports :
 - Geographical distribution
 - Bucket-wise Advance
 - Trend in movement of Advance
 - Special Mention Accounts (on daily basis)
 - Spurt In Advance
 - Sanctioning of Frequent TODs
 - NACH/ SI failed
 - Upcoming Monthly Demands
 - Upcoming Review-Renewal
 - Upcoming Stock/BD Dues
 - Demand Loans Due
- Various collection actions viz. Auto E-mail/SMS, IVR Calls, Call Centre Calls, Branch Calls and Branch officials' visits are being made in order to improve the collection efficiency in accounts.
- As a part of stressed asset management, default assets of Rs. 5 crore and above weekly reporting done to RBI at Central Repository of Information on Large Credit (CRILC) platform and monitored on daily basis.
- NPA Tracker through mobile application has been introduced for monitoring stressed and NPA accounts at base level.

14.2 To improve upon functioning at the grass root level, bank has devised following strategic policy and guidelines:

- a) Operational guidelines for Credit Monitoring for FY 2024-25 and FY 2025-26 has been updated and put in place after obtaining approval of the members of Board of Directors.
- b) Policy for empanelment of TEV consultants for FY 2024-25 and FY 2025-26 has been revised and put in place.
- c) Guidelines for empanelment and appointment of Stock & Book Debt auditors for FY 2024-25 and FY 2025-26 has been revised and put in place.
- d) Policy for empanelment of valuers for FY 2024-25 and FY 2025-26 for the properties offered as securities, both primary and collateral while processing of credit facility has been revised and put in place.
- e) Policy for Engagement of Agencies for Specialized Monitoring for FY 2024-25 and FY 2025-26 and effective monitoring of Large Borrowal accounts with exposure above Rs 250.00 Crores has been revised after obtaining approval of the Board.
- f) Policy on Resolution of Stressed Assets under Prudential Framework and Master Guidelines for Restructuring of Advances for FY 2024-25 & 2025-26 (For 2 years) has been revised after obtaining approval of the Board.
- g) Stressed accounts of Rs 5.00 Cr and above was directly monitored by High Power Committee (HPC), headed by Executive Director (ED) on monthly basis.

15. RISK MANAGEMENT

Risk is an integral part of the Banking business and the Bank aim to achieve the corporate goal by appropriate trade-off between Risk and Returns. Risk Management at Bank includes risk identification, risk assessment, risk measurement and risk mitigation, with its main objective being to minimise the negative impact on profitability and capital.

Bank is exposed to various risks that are inherent part of any banking business. The major risks are Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk and Operational Risk.

To ensure sustainable and consistent growth, Bank has framed a sound risk Management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. All the products, processes and policies are routed through the various Executive Level Risk Committees (Credit Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee, Asset Liability Management Committee and Market Risk Management Committee) and the Risk Management Committee of the Board (RMCB) before being approved by the Board of Directors. The Bank has on-boarded a Risk Advisor, Who has rich experience in Regulatory as well as in Risk Management area.

15.1 Credit Risk Management

Credit risk is managed through a Board approved framework that sets out policies, procedures and reporting which is in line with best practices. Bank has a strong credit appraisal and risk management framework for identification, measurement, monitoring and control of the risks in credit exposures.

The Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers with an objective to build a resilient portfolio and de-risk from portfolio concentration. The Bank also assesses risks associated with various Countries, State Governments, Group Borrowers etc. and setting exposure caps. As a part of enhanced exposure monitoring, quarterly reviews are carried out for the Bank's key exposures, segments, industries and sectors. A dedicated Credit Risk Management Cell tracks internal & external developments to assess impact on the portfolio performance and recommend pro-active remedial actions.

Adequate attention is given to the independence of the risk evaluators and business functions for establishing a sound credit culture and a well-structured credit approval process.

The Bank has made computation of 'Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)' for all credit proposals of Rs.1.00 Crore and above mandatory, other than retail schematic loans for prudent use of Capital in terms of Return and addition of economic value to the stakeholders.

In order to ensure independent risk based assessment of credit proposals, Bank through its Credit Risk Evaluation Process, classifies borrower into low/medium/high risk.

15.2 Operational Risk Management

Bank has put in place Operational Risk Management Framework (ORMF) for effective management of Operational Risk. Operational Risk Management Framework comprises of the organizational structure for management of Operational Risk, governance structures, policies, procedures and processes whereas Operational Risk Management System consists of the system used by the Bank in identifying, measuring, monitoring, controlling and mitigating Operational Risk.

The Bank has created a repository of Internal Loss Data as part of Operational Risk Management. Root Cause Analysis for the various loss events is being carried to strengthen the control environment and the findings are circulated to the field functionaries for avoiding such incidence from recurring in the future.

Bank has implemented Risk Control & Self-Assessment (RCSA) which is used to identify key Operational Risk and assess the degree of effectiveness of the internal control. Based on the RCSA findings suitable risk mitigation strategies are devised to plug in the control gaps.

Bank has framed and automated Key Risk Indicators (KRI) matrices, which enables the management to mitigate risks that are reaching less acceptable levels through real time monitoring and providing alerts when thresholds are breached.

A central repository of information related to various outsourcing activities has been created for better monitoring and Vendor Risk Management.

Risk Officers have been designated in each zone for co-ordinating with Risk Management Department, Head Office to support and manage various types of risk emanating from Business units

15.3 Market Risk Management

Market risk implies the risk of loss of earnings or economic market value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as Interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertakes various market its risk operations.

Bank measures Interest Rate Risk in its trading book through Modified Duration, PV01 and VaR on a daily basis. Foreign Exchange Risk is also measured in terms of Net Overnight Open Position Limits (NOOP), VaR limit, AGL (Aggregate Gap Limit), Individual Gap Limit on daily basis. VaR and portfolio size limit are measured along with monitoring of our portfolio at transaction level, stop loss wise and dealer wise limit.

Back-testing and Stress Testing of all the parameters associated with Market Risk are being done on regular basis.

Under stress testing framework, Bank conducts comprehensive stress of its trading book portfolio as well as interest rate risk in the banking book due to mismatch between rate sensitive asset and liabilities on quarterly basis, which generally impact the earnings/Equity of the banks with the change in the interest rate in the market. We use Traditional Gap analysis, as well as Duration Gap approach to measure interest rate risks in Banking Book.

Value at Risk (VaR) is a tool used for monitoring risk in the Bank's Trading Portfolio. The Enterprise-level VaR of your Bank is calculated and back tested on daily basis. The stressed VAR for Market Risk is also computed daily. This is supplemented by a Board-approved Stress Testing Policy and framework that simulates various Market Risk scenarios to measure stress losses and initiate remedial measures.

The Market Risk Capital Charge of your Bank is computed using the Standardised Measurement Method (SMM), applying the regulatory factors.

Bank undertakes risk-adjusted performance analysis of its domestic and overseas portfolios. It also analyses the credit rating migration of non-SLR bonds as a tool for decision making.

Model used in Market Risk Management is also validated by External Agency.

15.4 Liquidity Risk Management

Liquidity risk is the ability to meet expected and unexpected outflows at reasonable cost. Bank monitors its liquidity risk through flow and stock approach in accordance with Board approved ALM Policy.

Bank has implemented the BASEL III framework for Liquidity Standards as LCR (Liquidity Coverage Ratio), Liquidity Monitoring tools and LCR disclosure standards and ensures maintenance of adequate level of unencumbered High Quality Liquid Asset which can be converted into Cash to meet liquidity needs for a 30 calendar days' time.

NFSR (Net Stable Funding Ratio) which promotes resilience over a longer term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an on-going basis. Bank is maintaining NSFR above than regulatory specified ceiling.

Bank also assesses its liquidity position under various stress scenarios to understand its funding position in case there is stress environment within the Bank as well as in market. Bank has included various triggers for contingency funding plan to meet any liquidity requirement. Bank has on-boarded vendor for ALM Automation for enhanced liquidity monitoring & Interest rate Risk.

Interest Rate risk in the Banking book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and rate sensitive liabilities which may adversely impact the earnings / economic value of the equity of the Bank with the change in Interest rates in the market. For measurement and monitoring of interest rate risk in banking book, the bank uses risk management tools such as Traditional GAP analysis, Earning at Risk and Modified duration of Equity. The short term impact of interest rates movement on Net interest Income (NII) is worked out through the "Earnings at Risk" approach by taking into consideration parallel shift in yield curve, yield curve risk, basis risk and embedded options risk. The Long term of Interest rate movement is measured and monitored through change in Market Value of Equity.

15.5 Credit Rating

In order to access the level of credit risk in any credit proposal, Bank does internal rating of borrower with exposure greater than Rs. 25.00 Lacs, for MSME accounts and more than Rs. 50 Lakhs for Agriculture borrowers.

Bank has upgraded its Credit rating process with effect from October, 2023. The New Model has better default predictability as well as more in line with External Rating.

Credit Proposal not covered under credit rating is assessed based on Score Card Model. Score Card Model was recalibrated after validation by External Agency. The main objective was to standardize the underwriting process for Retail, Agriculture and MSME (RAM) lending. Score card model uses technique combining several financial and non-financial characteristics to form a single score to assess borrower's creditworthiness. Presently Bank is using 19 Score Card Models for all retail loans, loans & advances under MSME segment upto Rs. 25 Lakhs & Agriculture segment upto Rs. 50 Lakhs

15.6 Fraud Risk Management

Bank has in place Fraud Risk Management cell under Risk Management Department which manages the fraud risk and ensure reporting of Fraud incidence to RBI within the timeline specified by the regulator as well as lodging of Complaint with Law Enforcing Agency.

Bank has constituted Committee of Executive - Fraud Risk Reporting and Management (CoE-FRRM) for declaration of account/incidence as fraud based on the element of fraud. Root cause Analysis of frauds is being conducted and Control is implemented wherever needed for avoiding such incidence from recurring in the future.

Bank's has constituted two Fraud Management Group (FMG) for analysing the reported Early Warning Signals in borrower's account for classification it as Red Flag Account for timely detection of potential fraud.

Further, Bank has implemented Enterprise Fraud Risk Management System (EFRMS) comprising of Risk Based Transaction Monitoring System (RTMS) for timely detection of potential fraud. The EFRMS operations have been augmented to cover 24x7 alert disposals.

15.7 Sustainable Development

The Bank acknowledges the urgency of climate change and recognize global warming as one of the most significant threats to businesses and livelihood globally. Climate change risk has become a crucial challenge to the financial industry of late. The Bank committed to reducing the impact of climate change risk and is consciously working towards sustainable development of its banking operation. As per lending policy, Bank prohibits Loans and advances to industries consuming / producing ODS (Ozone Depleting Substance) which enables in reduction of greenhouse effect.

The Bank has taken several steps to reduce its carbon emission and minimize energy consumption namely:

- I. Bank's two offices are powered by solar energy resulting in reduction in power consumption and in carbon emission.
- II. LED light have been used in most of the branch premises/offices to reduce electricity consumption.

16. DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

16.1 Major IT Initiatives implemented during Fy24-25:

- Allocated Rs. 1053 Cr. for IT projects, with 60% utilization and multiple projects in progress. (RFP/ evaluation/ approval stage).
- Awarded PCI DSS Certification.
- Established Next Generation Network Operation Centre (NOC) for managing Network Operations 24x7.
- Introduction of TAB Banking in all bank branches.
- Implementation of Resilience Operation Center (ROC).
- Implementation of IT Asset Management and Application Whitelisting solution.
- Rollout of new Virtual Machine environment - "Aakash Ganga"

16.2 Major IT Initiatives commenced during Fy24-25 and is in progress:

- Implementation of Enterprise DMS.
- Data Centre Consolidation.
- Implementation of Identity Access Management (IDAM).
- Onboarding of System Integrator (SI) for CBS.
- Branch Network Devices - Refresh.
- Comprehensive Testing Setup.
- Forex Processing Center (FXPC).
- Strengthening of IT Infra:
 - VM Upgrade
 - Oracle ULA
 - UPI Storage Upgrade
 - Automated DR
 - Near DR
 - Cyber Security Vault

17. DIGITAL BANKING

17.1 Major Initiatives undertaken in FY 24-25

The Digital Banking Department undertook a comprehensive set of initiatives in FY 2024-25, aimed at strengthening customer experience, enabling financial inclusion, digitizing operations, and modernizing banking services:

UPI & Payment Innovation

1. UPI Lite Autopay Feature: Facilitated automatic wallet top-ups, ensuring consistent payment experiences.
2. UPI Circle: A unique feature that allows primary users to delegate UPI access with control settings-ideal for families or shared expense.

Payments Ecosystem

3. E-Banking Integration with ICEGATE: Enabled seamless digital payment of customs duties.
4. Loan Repayment via BBPS: Customers can now repay loans through Bharat Bill Payment System, improving repayment convenience.

Cross-Border and Investment Services

5. International Money Transfer via Scan & Pay: Enabled remittances to select countries like Sri Lanka, UAE, Nepal, France, and more through QR-based transfers.
6. ASBA for HNI Customers: Enabled ASBA services through mobile and internet banking for simplified digital investment in IPOs

Security and Accessibility Features

7. Positive Pay via WhatsApp Banking: Strengthened cheque transaction security.
8. Mobile Banking for UCO Contractor Scheme: Increased accessibility for contractors through digital banking.
9. CKYC ID Display: Customers can view CKYC ID directly through digital channels.
10. AePS Enable/Disable: Aadhaar-enabled payment systems can now be managed online.
11. Re-KYC via WhatsApp Banking: Allowed low-risk customers to complete Re-KYC updates through WhatsApp.
12. Stop Payment of Cheque Facility in WhatsApp Banking
13. Sukanya Samridhi Yojana Account Balance Check in WhatsApp Banking
14. Recurring Deposit Details and Summary in WhatsApp Banking

Specialized Products and Account Features

15. UCO Sanchayika Scheme: A women-focused savings product available through digital platforms.
16. NRE RD Account Opening: NRE customers can open recurring deposits via mobile banking.
17. NRE to General Account Conversion: Simplified conversion process of NRE accounts into regular savings accounts.
18. Spend Analyzer: A smart spend tracking tool introduced in Internet Banking to monitor expenses and alerts. NRI and Digital Convenience Features
19. OTP on Email for NRI Customers: Enhanced security by offering OTP delivery via email.
20. PPF Account Opening via Internet Banking: Extended the PPF facility to internet banking (already present in mobile banking).
21. Loan Against FDR (Retail) via Internet Banking: Retail customers can now avail loans against FDs digitally

Digital Product Enhancements and Launches

24. Android POS Introduction: Deployed Android-based POS machines for more secure, modern, and efficient merchant payments.
25. Dynamic Merchant QR with Soundbox: Enabled real-time audio alerts for merchants, enhancing payment confirmation security.
26. Self-Service Password Management: Corporate and proprietorship customers can now reset passwords online using OTP and debit card verification, reducing reliance on branches.
27. Branch Authorization Removed for CC Beneficiaries: Customers can now add beneficiaries to CC accounts via Internet Banking without branch intervention.
28. UCO Green Deposit Scheme Online: Green deposit accounts can now be opened via internet and mobile banking.

Product Launches & Infrastructure Enhancement

27. Launch of Women-Specific Aparajita Debit Card: A special debit card with added benefits like insurance and coupons from brands like Myntra and Swiggy.
28. Launch of Metal Card for HNI customers
29. Limit management(Increase/decrease) of OD against FD via UCO mBanking Plus.

Technology & Knowledge Initiatives

30.Digi FAQ and Digi First: Published a digital FAQs guide (e-SAHAYAK) and a digital product magazine (Digi First).

17.2 Project Parivartan - Launch and Achievements

Project Parivartan served as a major digital transformation initiative for the bank in FY 2024-25, focused on enhancing the Straight Through Processing (STP) capabilities across segments. The initiative aimed at reimagining customer journeys by digitizing and automating end-to-end processes for lending, liabilities, and onboarding.

Key Journeys Launched Under Project Parivartan

a) Retail STP Journeys

- Pre-Qualified Personal Loan (PQPL): Digitized loan disbursal with minimal documentation and instant approvals.
- Revamped Loan Against FD: Provided customers a seamless option to avail overdrafts digitally against fixed deposits.
- OD Against FD: OD facility introduced against Fixed Deposits through UCO Mbanking+.
- Education Loan: Education Loan STP journey.

b) MSME STP Journeys

- Shishu Mudra Loan: Simplified micro-business credit through a quick online application process.
- GST Smart Finance: Enabled Cash Credit limit based on GST data for small businesses.
- MSME Smart Loan: A new digital journey for eligible small and medium enterprises for composite credit facility upto 25 Lacs.
- CC Renewals: Digitized renewal process for MSME Cash Credit accounts upto 10 Lakhs.
- Tarun Mudra Loans: Streamlined loan disbursement for businesses.
- Kishore Mudra Loans: Digital loan disbursement journey for businesses.

c) Agriculture STP Journeys

- KCC Renewals: Simplified renewal process for Kisan Credit Cards (upto 2 Lacs) through web & SMS Journey.
- KCC via Jan Samarth Portal: Integrated platform for streamlined access to agricultural finance.

d) Liability Journeys

- Revamped FD/RD via M-Banking and Tab Banking
- Savings and Current Account Opening via Tab Banking

Impact and Growth Metrics of Project Parivartan (FY 2024-25)

Project Parivartan enabled impressive growth in account disbursements and credit outflows:

- PQPL: Disbursed to 20,669 customers, totalling Rs. 668.94 Cr
- GST Smart Finance: Disbursed over Rs. 183.62 Cr across 1,394 accounts
- MSME Digital Loan(Shishu, Tarun, Kishore & MSME Smart): Disbursed over Rs. 15.76 Cr across 852 accounts
- Revamped STP KCC Renewals: Benefited 12,101 customers, renewal of Rs. 117.4 Cr
- Revamped STP CC Renewals: Benefited 793 customers, renewal of Rs. 40.16 Cr
- Revamped FD/RD through Mbanking: 3093 cr of FD/RD opened through Mbanking in FY 24-25

17.3 Debit Card Partnerships

In a move to enhance customer engagement and offer greater value, the Bank partnered with popular consumer brands to provide exclusive offers and rewards for debit cardholders. These partnerships included:

- Swiggy & Zomato: Discounts on food delivery
- BookMyShow: Movie ticket offers
- Amazon & Plutos: E-commerce rewards and cashback

Additionally, women-specific debit card was launched under women-centric SB/CA schemes, offering benefits like complimentary insurance coverage and partner coupons from Myntra, Swiggy, and more. These initiatives played a key role in boosting debit card usage and customer satisfaction.

17.4 Digital Campaigns

Throughout FY 2024-25, the Digital Banking Department ran several targeted digital campaigns aimed at driving product adoption, merchant onboarding, and user engagement. Campaigns focused on promoting mobile banking activations, QR code and Soundbox installations, and digital repayment channels. Focused marketing and outreach initiatives helped deepen penetration in semi-urban and rural areas, aligning with the Bank's financial inclusion goals. The major campaigns conducted were:

- DigiKritva
- DigiShresth
- DigiLakshya
- DigiConnect
- Digital Premier League
- Digital Champions Trophy

17.5 Future Initiatives for FY 2025-26:

- a) Digital Lending - New STP Journeys: To continue the momentum of Project Parivartan, the Bank is engaged to rollout 12 additional Straight Through Processing (STP) journeys. These journeys will automate and digitize Retail, MSME, and Agri loan processes for improved customer convenience and reduced turnaround times.
- b) Digital Marketing & Fintech: In partnership with top fintech and e-commerce platforms, the Bank plans to enhance digital outreach and fintech integrations through Strategic tie-ups with large E-commerce companies, adoption of Robotic Process Automation (RPA) for digital marketing tools, Centralized collection management via digital platforms and added WhatsApp Banking features.
- c) Mobile Banking / E-Banking Enhancements
- d) ATM Enhancements

These initiatives are set to position the Bank at the forefront of digital banking transformation, with a strong customer-centric and innovation-driven strategy for FY 2025-26.

18. CYBER SECURITY (CISO)

- Bank has set up State-of-the-Art Cyber Security Operations Center (CSOC), operational on 24*7 basis.
- NCIIPC has identified, Bank's CBS, RTGS & UPI systems as a part of its critical infrastructure.
- Bank has directly integrated with Threat Dissemination Platform (TDP) of CERT-In and NCIIPC.
- To reinforce our Cyber Security capabilities, Bank's Cyber Security Operations Centre (CSOC) has forged a partnership with the Cyber Security Centre of Excellence, Govt. of West Bengal.
- Bank has ISO 27001 certifications for IT Systems across Data Centres of the Bank. The Certification has been issued by International Standards Organization (ISO) and Bank has undergone a stringent evaluation process by an independent third-party assessor during the sustenance audit. The ISO 27001 certification fosters trust and demonstrates an ongoing commitment for safeguarding customer data.
- In compliance with cyber security Framework of RBI, Bank has Cyber Security Policy, Information Security Policy and Cyber Incident Response & Recovery Management Policy & Cyber Crisis Management Plan, to provide direction and support for cyber security related functions and operations within the Bank. The policies are updated on periodic basis as per guidelines received from the Regulatory Authorities.
- To address cyber risks arising out of human vulnerability, Bank puts concerted efforts in raising cyber awareness of our staffs and customers through various cyber awareness initiatives and campaigns.
 - Publication of Cyber Awareness Booklets in Hindi & English Languages like 'Cyber Netra :Comic Booklet', 'Decoding the Web of Online Scams', & eArticles on Money Mule Scam Awareness, Cyber Smart Vision for Women empowerment etc.
 - Monthly observance of "Cyber Jagrookta Diwas" on the first Wednesday of every month with engaging workshops, interactive sessions, creative events, outreach campaigns at schools, colleges, NSG Commandos' Training Centre, SU/ Rural Centre (Baruipur), Customer Meet & Awareness Sessions are organized for staff members & valued customers (100% participation of 43 zones since twice consecutive years).
 - Bank has collaborated with Data Security Council of India (DSCI), enhancing its cyber awareness initiatives with strategic industry insights, emerging threat intelligence, and financial sector-specific best practices.
 - Cyber Security" Dedicated Corner at Bank's Official Website (www.ucobank.com) for dissemination of Cyber Security Awareness messages.

- Sharing of Cyber Security Awareness Email Advisories to Staff Members , Customers including newly on- boarded customers & also Bank's shareholders.
- Daily Cyber Safety Tips as well as Weekly Jagrookta Series are shared through online platforms.
- Live Webinar for Customers on Unauthorised Electronic Banking Transaction Reported Cases & also in observance of National Cyber Security Awareness Month.
- Frequent uploading of Social Media Post, Cyber Awareness Videos featuring Cyber Rakshak, advisories, reels, memes as well as Retweet of Government posts like ISEA, CERT-In, CyberDost etc.
- Display of Cyber Awareness Posters at prominent places.
- Display of Cyber Awareness Messages using Bank's Digital Channels.
- Usage of Push Notification, SMS, Email, Broadcasting of Radio Jingles through FM Radio Station.
- Mock social engineering drills on periodic basis to evaluate the promptness of our staffs and onsite third party vendors, in detecting and reporting cyber incidents.

19. OPERATION AND SERVICES

Bank is continuously emphasizing on enhancing the quality of customer service. It recognises the need for constant improvement in customer experience and aims to enhance the quality of customer service so as to ensure that our customers feel that they are valued.

The Bank has taken the following initiatives for improvement in customer experience during the year 2024-25:

19.1 Inauguration of PULSE, a state-of-the-art transaction monitoring system which works on:

"Platform statistics & contra core system: that captures live view of transactions hitting EFRM solution and their response back to source to locate any unusual spike through pictorial detection.

- EFRM Debit alerts that tracks alert count generated per account and per channel
- ADC dashboard Monitoring: that provides a holistic view for monitoring of transactions done through ATM, RTGS, NEFT, IMPS and UPI to locate any spurt and abnormality at GL level
- Credit transactions monitoring: that tracks unusual high volume credit inflow and debit outflow at individual account level based on mule propensity model that considers parameters like account opening date, change in KYC details, debit and credit patterns, maintenance of minimum balance etc.
- Robust mechanism for detection of mule: score propensity model was validated using the data reported as fraudulent in I4C. Based on the scores generated and threshold set with reference to this data, the model was deployed on our internal data set leading to identification of predicted mule accounts.
- AI/ML based alert generation: outlier detection model approach has been implemented to detect fraud transactions in ATM/POS/ ECOM, UPI, IB, MB, AEPS channel based on transaction amount, location, time, and user behaviour to generate risk scores for each transaction attempted.
- Graphical Relationship Analysis: to trace the flow the transactions involving accounts reported to I4C as fraudulent showing which account transfers funds to others and its frequency.

19.2 Launch of a range of new services on our UDAY Chatbot and introduce exciting enhancements to our IVR system.

Unique NLP feature of UDAY Chatbot

It has ability to understand customer context and intent to respond naturally and accurately. UDAY has advanced techniques like intent classification, sentiment analysis and context tracking to interpret user inputs and enhance conversational relevance.

Chat with Agent video call support facility

Customers can connect with live Customer Service Associates for real time assistance through chat or video call support. This enhances customer experience by combining visual interaction with personalized support.

Other new features of UDAY

- Account Balance
- Account Mini Statement
- Holiday Calendar

- ATM Locator
- EMI Calculator
- Loan Accounts Interest Certificate
- Deposit Accounts Interest Certificate
- Debit Card Blocking
- Re-KYC Submission
- Cheque Book Request
- Cheque Stop Payment
- Debit Card Issuance
- Set/Reset Debit Card PIN

Enhancements in IVR System

- AEPS Disable/Enable Self-Service
- E-Banking Disable/Enable Self-Service

19.3 Mechanism for tracking Customer Friendly behavior by frontline staff.

- Usher in Customer Experience transformation entailing change in overall culture.
- Capturing of customer experience through feedbacks collected from various channels.
- Rewards for Top Performing branches / employees imparting excellent customer service.

19.4 Online Nomination Facility with Aadhaar based authentication.

19.5 API Integration with I4C portal for effective management of Cyber Crime Complaints.

20. STRATEGIC PLANNING: MIS & ADF CELL

During the last financial year, the Data Analytics Cell has made significant developments in enhancing operational efficiency and enabling data-driven decision making across the Bank.

20.1 Some of the key initiatives and accomplishments are as follows:

a) Implementation of LIVE Dashboards:

Multiple LIVE dashboards have been developed and implemented, offering real-time or near real-time insights into key business metrics. These dashboards have played a crucial role in enhancing operational efficiency by enabling continuous, data-driven monitoring of business performance across various verticals. Notably, the Target vs. Gap to Target in LIVE Business dashboard has facilitated improved tracking and timely action at all department levels, significantly supporting business goal achievement.

b) Cash-in-Hand LIVE Dashboard:

A crucial dashboard titled Cash-in-Hand LIVE has been introduced, displaying the current cash position of all branches. This has facilitated better cash management across the Bank, resulting in optimized cash holdings and improved CRR (Cash Reserve Ratio) compliance.

c) NPA Monitoring Dashboard:

A LIVE dashboard for monitoring accounts that are at risk of becoming NPAs within the next two weeks has been developed. Real-time tracking of credit inflows into these accounts has empowered branches to take proactive measures, thereby reducing slippage and enhancing asset quality management.

d) AI & ML-Based Cross-Selling Models:

AI & ML models have been successfully deployed to identify potential customers for cross-selling home and car loans from the existing customer base. These models have already generated a significant number of qualified leads, thereby contributing to business growth and enhancing both operational and marketing efficiency. Several additional AI & ML models are currently under development and are scheduled for rollout in the current financial year.

Furthermore, a sentiment analysis model has been implemented to evaluate customer feedback posted across various social media platforms. The insights derived have been segmented and presented through a dedicated dashboard, which is being actively utilized by multiple departments to enhance customer service quality and overall engagement.

In addition, complaints registered through the OGRS portal have been categorized by type and visualized through a structured dashboard. This has enabled departments to address grievances more effectively and ensure timely resolution through continuous monitoring and follow-up.

e) Detection of Potential Mule Accounts:

A key achievement has been the development of an AI model to detect potential mule accounts. The corresponding dashboard is actively monitored by the EFRMS Cell and has played a significant role in fraud prevention, thereby safeguarding the Bank's integrity and financial health.

f) Deployment of NLP-Powered Chatbots:

Leveraging Natural Language Processing (NLP), several chatbots have been developed to assist employees with queries related to HRM, Credit, and Personnel Services etc. These chatbots are currently in use and have improved internal service delivery and support efficiency. This initiative places us among the few Public Sector Banks to successfully implement such smart solutions.

g) Initiation of Robotic Process Automation (RPA):

The Bank has also embarked on the automation of repetitive tasks through Robotic Process Automation (RPA), aimed at reducing manual intervention and improving turnaround times. This will further augment operational efficiency and resource optimization.

20.2 Upcoming AI & ML Models.

- NPA Forecasting Model: For early warning signals and risk mitigation.
- Google Review Sentiment Analysis: For understanding and addressing customer feedback more effectively.
- Call Centre Call Analysis: To extract insights for service quality improvement.
- Potential Personal Loan Customer Identification: To support targeted loan marketing initiatives.
- Customer Churn Predictions: Based on customer transactions and RFM analysis, to predict customer churn and to arrest the same.
- Additional Models in Development: Focused on various operational and strategic areas to further drive efficiency and growth.

21. CORPORATE COMMUNICATION

Bank reinforces strong corporate reputation through its high degree of transparency and consistency in communication with stakeholders and also disseminates timely information with clarity, coherence and credibility including information through the websites of the Bank on real-time basis. Bank aims to inform, persuade and involve one and all in the activities and growth through sustained, consistent and relevant messages and using a judicious mix of both external and internal communication tools.

Bank has taken up multiple initiatives through various channels namely Print Media, Outdoor Media, sponsorship of different events, CSR activities and dissemination of requisite information to stakeholders to build and maintain the brand-image of a world class financial institution.

21.1 Publicity Campaigns:

Print Media/ Outdoor Media are an effective medium to connect to masses. The Bank has utilized it effectively by carrying out intensified and vigorous publicity campaigns throughout the year through hoardings, kiosks, traffic booths, banners, traffic cones, digital displays, magazines, newspapers etc.

During the brand publicity of the Bank, the Bank also ensures to publicize various banking products viz. Home Loan, Car Loan, Education Loan, Gold Loan, Deposit schemes, Digital Products, VKYC etc.

21.2 Celebration of 83rd Foundation Day:

The Bank completed 82 glorious years of service to the nation on 6th January, 2025. The occasion was celebrated with much enthusiasm and vigor across the country and overseas centers. Zonal Offices and branches across the country organized different activities viz. planting saplings, blood-donation camps, health check-up camps etc. A cultural programme was organized at Dhonodhanyo Auditorium, Alipore wherein staff members across the country participated and performed their talent.

21.3 Corporate Social Responsibility (CSR):

Bank believes that carrying out CSR activities help in tangible value creation. Moreover, CSR creates a positive image in the mind of customers and society at large. This creates a sense of belongingness and loyalty in existing and prospective customers.

The Bank has 27 RSETIs (Rural Self Employment Training Institutes) spread across country to impart training and skill up-gradation of rural youth geared towards entrepreneurship development.

Bank has taken up several CSR activities in the previous financial year like:

- Providing cohort training programmes for Bank's MSME customers.
- Contribution for acquiring vehicle equipped with 1000 Liter water tank for tree care initiative.
- Contribution towards purchase of E-Rickshaw to Mr. Jayanta Nath (Divyang) S/o Saru Nath of Sonitpur district, Assam
- Contribution towards providing drinking water bottles on a daily basis for religious yatris, construction of yatri niwas and purchase of vehicles for devotees.
- Contribution towards construction of public toilets, including Bio-Toilet.
- Contribution to Chief Minister's Relief Fund towards flood relief.
- Contribution towards modernization of Handloom weaving process.
- Contribution of 4-wheeler vehicle/jeep for the purpose of medical camps/awareness camps and carrying the medical facilities to rural areas and hilly areas.
- Contribution towards blood donation camps.
- Installation of Drinking Water Cooler Machine and procurement of essential equipment to enhance training capabilities to various institutions and schools.
- For supply and installation X-Ray machine air conditioner, Wheel Chairs and Stretcher to Community Health Centres and for purchase of ambulance.
- Contribution to NGO to enhance logistical & Infrastructural support for the intellectually challenged members and neuro-disabled individuals, including orphans and beneficiaries from below Poverty line (BPL) families.

21.4 UCO Tower:

Bank is also publishing the in-house magazine "UCO Tower" where all the constituents are encouraged to participate. UCO Tower also aims to create awareness of all happenings and activities of the Bank among all employees.

21.5 Social Media:

The bank's social media cell has made significant strides in amplifying our brand presence and visibility through strategic content creation and engagement initiatives.

Social media team has been proactive in crafting compelling and informative posts that resonate with our target audience. By focusing on highlighting the bank's unique value propositions and product offerings, we have successfully raised awareness about our brand across various social media platforms.

Understanding the importance of maintaining a positive brand image online, our team has diligently monitored sentiment across social media channels. Through timely responses to customer inquiries, addressing concerns, and fostering positive interactions, we have effectively managed sentiment and cultivated a favorable perception of the bank among our online community.

Overall, social media efforts have not only bolstered brand awareness but have also contributed to strengthening customer relationships and fostering a positive brand reputation in the digital sphere. As we look ahead to the upcoming year, we remain committed to leveraging social media as a strategic tool for achieving our organizational objectives and delivering value to our stakeholders.

22. HUMAN RESOURCE

Human Resource Management Department comprises of various Cells looking after different segments. All these cells worked in tandem during FY 2024-25 to create a harmonious and productive work environment. Training and workshop were organized for improving/enhancing the skills and knowledge of the staff.

22.1 Manpower Management:

- The Total staff strength of our Bank, as on 31st March, 2025 stood at 21049 employees including employees serving overseas. We have 13505 Officers, 5606 Clerks and 1938 Sub-Staff in our Bank as on 31-03-2025.
- Out of total staff of 21049, 4197 belong to SC, 1743 belong to ST, 5071 to OBC, 320 to EWS and 9718 to UR category.
- Out of total staff, 514 employees are person with bench mark disability (PwBD) and 1438 belong to the Minority Communities.
- There are 6136 Women employees, who constitute 29.15% of the Total Workforce as on 31st March, 2025.
- There are 1056 Ex-Servicemen as on 31st March, 2025.

22.2 IR Negotiation Cell:

During the period, the Industrial Relations climate in the Bank remained cordial between the Management and the Unions/ Associations. Meetings and discussions were held with Unions/ Associations at periodic intervals through mutually co-operative attitude and respect during the financial year 2024-25. In terms of RBI guidelines 100% compliance of mandatory leave achieved during FY 2024-25.

22.3 Recruitment Cell:

In F.Y. 2024-25, the Bank demonstrated its commitment to building a skilled and diverse workforce, recruiting 325 employees across key roles, including Risk Officers, Agricultural Field Officers and Customer Service Associates. 30 % of the newly recruited employees were women, reflecting our focus on gender diversity.

The Bank also engaged 250 apprentices during the year, fostering talent development and practical exposure for aspiring professionals.

Additionally, for F.Y. 2025-26 recruitment for 250 Local Bank Officers (LBOs) and 68 Specialist Officers have been initiated. Through IBPS, 161 Specialist Officers and 364 Customer Service Associate are to be recruited in F.Y. 2025-26. Specialist Officers to be recruited include IT Officers, Agricultural Filed Officer, Chartered Accountant, Law Officer, Risk Officers, HR/Personnel Officers, Economist, Security and Fire Safety Officer to strengthen our workforce and enhance service excellence.

22.4 Training Cell:

Our Organization, being a part of one of the most dynamic industries, has to keep up with the constantly changing environment by continuously updating its workforce with various Training Programs in the concerned Fields. Training Programs are held aligning the corporate vision, mission and fulfilling the expectations of the Top Management. In FY 24-25, new Learning and Development Policy of the Bank was approved & implemented.

In FY 2024-25, 975 Executives, 12700 Officers and 4798 Sub-Staff, totaling 18473 were trained in Internal & External Training Programs conducted at our Executive Training Centre, Kolkata, 7 other Staff Training Centers, across India and from Reputed External Training Institutions. We also continued to sponsor our Executives & Officers in reputed External Training Institutes like NIBM Pune, BIRD Lucknow, SBIL Kolkata, NIBSCOM Noida, CAB (RBI), IIBF, CAFRAL, Manipal University, IIBM Guwahati and various reputed external Training Institutes across the country which helped them in acquiring a global competitive edge.

In FY 2024-25 some important Training Programs like Annual Forex Assembly, Programme on Gen-AI and Machine Learning, Data Analytics, ESG, Customized Program on Banking Compliance, Awareness Program for Women on Workplace Safety, Annual Refresher Training of Security Officers, Customized Training Program on Women Empowerment, Digital Transformation & Change Management, Transformation Training for New Zonal Heads, Preventive vigilance programme, Need based training for weak performers, and various customized training programmes including Leadership Development Programme were conducted. Competency Mapping Exercise was conducted for AGMs and DGMs. Skill Assessment Tests were conducted for all Officers and weak performers in the tests were imparted with Training programmes.

Bank has also conducted Webinar on Cyber Security/ Phishing Awareness Program in association with CISO Office for employees across branches/offices. In FY 2024-25, total of 591 employees were paid honorarium/incentive for passing Bank approved courses.

22.5 PMS Cell:

The bank has revamped its Performance Management System (PMS) through Samsiddhi Portal to ensure robust, transparent, and objective evaluation of all Officers/Executives up to Scale VII.

- Role based Appraisals through Samsiddhi application w.e.f. FY 2024-25.
- Foster accountability by setting clear goals and regular monitoring of progress.
- Improve KRA measurability thereby improving objectivity of the PMS.
- Objective / System driven data and tool driven role allocation to improve transparency, improve job satisfaction and reduce confusion or conflicts.
- **Project Samsiddhi 2.0:** Scientific Manpower Planning Tool for Officers and automation of Transfer process.
- One-stop Biodata from Samsiddhi for all Interview Process in Bank.
- Samsiddhi's Performance Leaderboard as well as Business category-wise Dashboard of Zonal Heads and Branch Heads in Bank's HRMS and Samsiddhi portal respectively.
- Policy on Rewards and Recognition Framework for Officers/Executives has been introduced for Performance Linked (Both Monetary/Non-monetary) Rewards which is applicable only for Officers / Executives posted in Business Generating Roles

22.6 Internal Complaints Committee (ICC):

Our Bank is committed to promote gender equality and women's empowerment which result in economic development and inclusive growth and benefit the nation as a whole.

In terms of creating safe workplace environment for women our Bank has constituted Internal Complaints Committees at Apex level as well as Local Level enforcing the rules as laid out in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 for quick Redressal of such complaints, if any.

22.7 Reservation Cell:

Bank has been implementing reservation, relaxation and other concessions extended to SC/ST/OBC / Differently Abled Persons and Ex-Servicemen employees as per reservation policy of the Government of India. The overall representation as on 31/12/2024 of SC/ST/OBC/EWS employees was 19.93%, 8.29%, 23.96% and 1.51%. Separate roster registers are maintained for direct recruitment as well as for promotion.

For SC/ST employees, reservation cell is set up at HO level and across all ZO level as per norms, functioning under the direct control of Chief Liaison Officer as well as Ex-officio Liaison Officer. Additionally Bank has formed separate OBC cell at HO level as well as ZO level which is functioning under the control of Chief Liaison Officer as well as Ex-officio Liaison officer.

Moreover Separate Grievance Redressal officer for PwBD and EWS employees has been created to look after their grievance.

During FY 2024-25, Bank has imparted training to 18488 employees out of SC-3435, ST-1550, OBC-4758, EWS-305 and PWD-474. Bank has imparted pre-promotional training to 1368 candidates for inter-scale promotion of officers, 187 candidates for promotion from Clerical to Officers and 205 candidates for promotion from Sub-ordinate to Clerical cadre belonging to SC/ST/OBC and PWD Category

In order to address the issues of SC/ST & OBC employees of the Bank, meetings are called at Apex level as well as at Zonal office level (Where reservation roster is maintained) with Welfare Association of such employees. An Internal Grievance Committee is functioning at Head office level for monitoring the grievances redressal of the employees belonging to SC/ST/OBC/Ex-SM/PWD, which are handled and subsequently redressed by the respective cell, as per Bank's extant policy and guidelines.

The Annual Statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs, OBCs, EWS and PWD as on 31-12-2024 is given in Annexure-I & Annexure-II .

अनुलग्नक/Annexure - I																
31.12.2024 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का समूहवार प्रतिनिधित्व Group-wise representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Section upto 31.12.2024																
संस्था का नाम :यूको बैंक / Name of the Organization : UCO BANK																
समूह Group	कर्मियों की संख्या (31.12.2024 के अनुसार) No. of Employees (As on 31.12.2024)						कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नति की संख्या (यानि 01.01.2024 to 31.12.2024) Number of appointments/promotions made during the calendar year 2024 (i.e. 01.01.2024 to 31.12.2024)									
	सीधी भर्ती से नियुक्ति Appointment by direct Recruitment						पदोन्नति द्वारा नियुक्ति Appointment by Promotion						अन्य विधियों द्वारा नियुक्ति Appointment by other Methods			
	कुल Total	अजा SCs	अजजा STs	अजजा OBCs	ईडबल्यू एस EWS	कुल Total	अजा SCs	अजजा STs	अजजा OBCs	ईडबल्यू एस EWS	कुल Total	अजा SCs	अजजा STs	अजजा OBCs	ईडबल्यू एस EWS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
समूह-क Group-A	13361	2267	1114	3519	175	59	6	4	15	5	257	30	19	33**	0	0
समूह-ख Group-B	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
समूह-ग Group-C	5789	1026	484	1318	146	266	48	23	82	24	79	20	5	22**	0	23
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर) Group-D (Excluding Safai Karamchari)	2080	938	161	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
समूह-घ (सफाई कर्मचारी) Group-D (Safai Karamcharies)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल Total	21230	4231	1759	5090	321	325	54	27	97	29	336	50	24	55**	0	43

*समूह डी (बिंदु 4) में हाउस कीपर सह चपरासी शामिल हैं / Group D (point 4) include House Keeper Cum Peon

** * अप्रिच वर्ग के अभ्यर्थियों को पदोन्नति में अनारक्षित माना जाएगा / The Candidate belongs to OBC are treated as UR in Promotion

***उपरोक्त डेटा 31.12.2024 तक का है / Data mentioned above is upto 31.12.2024

सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कैडर/ ग्रुप के भीतर पदोन्नति के लिए कोई आरक्षण लागू नहीं है।

As per Govt. guidelines No Reservation is applicable for promotion within the Cadre/Group

अनुलग्नक/Annexure - II																										
दिनांक 31.12.2024 तक दिव्यांग व्यक्तियों का समूह-वार प्रतिनिधित्व Group-wise representation of Persons with Disabilities up to 31.12.2024																										
संस्था का नाम : यूको बैंक / Name of the Organization : UCO BANK																										
समूह Group	कर्मिकों की संख्या (31.12.2024 के अनुसार) No. of Employees (As on 31.12.2024)					संस्था द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्ति Appointment by direct Recruitment															पदोन्नति द्वारा नियुक्ति Appointment by Promotion					
						आरक्षित रिक्तियों की संख्या No of vacancies reserved					नियुक्तियों की संख्या No of appointments made					आरक्षित रिक्तियों की संख्या No of vacancies reserved					नियुक्तियों की संख्या No of appointments					
	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आईडी ओ आईडी एवं ओटीएच	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आईडी ओ आईडी एवं ओटीएच	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आईडी ओ आईडी एवं ओटीएच	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आईडी ओ आईडी एवं ओटीएच	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आईडी ओ आईडी एवं ओटीएच	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
समूह-क Group-A	13361	102	44	226	3	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	18	3	6	4	5	5	1	1	3	0	
समूह-ख Group-B	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	ना ना	
समूह-ग Group-C	5789	31	10	68	4	16	2	6	4	4	3	0	2	1	0	5	1	1	2	1	1	0	0	1	0	
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर) Group-D (Excluding Safai Karamchari)	2080	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
समूह-च (सफाई कर्मचारी) Group-D (Safai Karamcharies)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल Total	21230	133	54	322	7	18	2	7	4	5	3	0	2	1	0	23	4	7	6	6	6	1	1	4	0	

नोट: / Note:

- (i) वीएच का तात्पर्य दृष्टिहीनता (अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति) से है। / VH stands for Visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision).
- (ii) एचएच का तात्पर्य श्रवण विकलांगता (श्रवण विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति) से है। / HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment).
- (iii) ओएच का तात्पर्य ऑर्थोपेडिक/हैंडिकेप्ड (बलने-फिरने में अक्षमता या स्तंभक पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति) से है। / OH stands for Orthopedically Handicapped (persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy).
- (iv) आईडी का तात्पर्य बौद्धिक विकलांगता से है। / ID stands for Intellectual Disability.

23. AUDIT AND INSPECTION

23.1 Risk Based Internal Audit (RBIA):

As per the Audit Plan for the FY 2024-25, RBIA has been conducted in total 2681 Branches. In order to identify gaps in business and control functions, we have elaborated the "Fraud Prone Areas" for focussed compliance by the Branches. Now, we have separate checklist for different business units such as, General Branches, Flagship Corporate, "B" Category, Asset Management, Loan Processing Hubs, Currency Chests, Service Branches, Central Pension Processing Centre (CPPC) Nagpur, Depository Participant Services. Frequency of RBIA depends upon its previous risk categorization i.e., Low Risk: 15-16 Months, Medium Risk: 12-13 Months, High Risk: 9-10 Months, Very High Risk: 8-9 Months & Extremely High Risk: 6-7 Months.

23.2 Concurrent Audit:

During the Concurrent Audit Cycle 2024-25 (October-2024 to September-2025, 891 Branches were identified (816 - Branches, 69 -Specialized Branches & 06 - Head Office Departments). By this more than 80% of the advances of the Bank have been brought under the ambit of Concurrent Audit. Audit of all units are conducted on a monthly basis. To strengthen the Concurrent Audit System, "Transaction Audit" by Concurrent Auditors is in place to ascertain genuineness of High Value Transactions.

23.4 Management Audit:

During the FY 2024-25, Management Audit of 34 Zonal Offices, 24 Head Office Departments was conducted. Management Audit of Paschim Banga Gramin Bank (RRB) sponsored by our Bank was also conducted.

23.5 Short Audit:

During the FY 2024-25, Short Audit was conducted at 285 Branches. Short Audit is carried-out for such Branches which was not covered under any form of Audit (Concurrent, RBIA, Statutory Audit) during the FY.

23.6 Revenue Audit:

During the FY 2024-25, Revenue Audit was carried-out at 1558 Branches to ensure that proper charges have been recovered on advances, deposits, expenditures and rendering different services.

Quarterly Inspection of Branch Cash, ATM Cash, Security Items, Gold Packets is in pace from quarter ended December - 2024.

23.7 Information System (IS) Audit:

The IS Audit System have been strengthened by including new vulnerable areas under its ambit. Following Audits are covered under IS Audit - (1) Application Audit, (2) Source Code Audit, (3) Process Audit, (4) Vendor Audit, (5) Database Audit, (6) Network Audit. (7) Vulnerability Assessment (VA) & (8) Penetration Testing (PT) of IT Infrastructure etc is conducted by qualified IS Auditors to protect IS Assets from threats and vulnerabilities, compliance with laws, regulations and internal policies.

23.8 Other Audits:

During the FY 2024-25, Half Yearly Audit of Bank Guarantees in 121 Branches & Audit of all 98 Loan Processing Hubs was done.

23.9 Trainings:

In order to add expertise and enrich knowledge, necessary trainings were provided to Mobile Inspectors & Officials posted at Head Office, Audit & Inspection Department and different Field Inspectorates. During the FY 2024-25 in-house training was imparted to 118 Mobile Inspectors and to 31 Executives/Officials by External Training Institute (IIBF).

24. VIGILANCE

The Bank upholds a robust and transparent vigilance administration that is seamlessly integrated into its management functions. Bank's vigilance framework is designed to foster ethical practices, professionalism, and operational efficiency while ensuring stringent monitoring, supervision, and control of various vigilance functions.

Under the aegis of the Central Vigilance Commission directives, vigilance administration in the Bank is led by the Chief Vigilance Officer, who oversees vigilance functions across the organisation. The Bank emphasizes Participative, Proactive, and Preventive vigilance as key pillars in maintaining a culture of transparency and compliance in its operations.

Vigilance Department plays a vital role in creating awareness across all levels on preventive measures. Additionally, it extends assistance to the field functionaries including Disciplinary Authorities, in the vigilance matters, enabling them to address their concerns effectively.

24.1 Milestones achieved

- Complaints - During the FY 2024-25, a total of 332 complaints were received from various sources including DFS, CVC, RBI, CBI & Others. Wherever vigilance overtone observed, such complaints were handled to their logical end within the timeline stipulated by CVC.
- Release of Vigilance Manual 2024 - Department has released Vigilance Manual during the Vigilance Awareness Week 2024, which incorporates latest CVC/ DFS guidelines, amendments to the Prevention of Corruption Act, 1988 and updates to Discipline & Appeal Rules.
- UCO VIGIL - In-house Quarterly Magazine is being published to promote the cause of transparency and integrity and to provide a platform for employees to contribute articles on various aspects to create awareness and highlight best practices related to the vigilance functions.
- Online Vigilance Clearance Module - With an aim to digitalise and step towards paperless system, Online Vigilance Clearance Module has been introduced by the department, thus reducing the manual intervention and Turn Around Time (TAT) to dispose the entries.
- Inter-departmental Co-ordination Meeting - Convening of Monthly Inter-departmental Co-ordination Meeting with Risk Management, Recovery & Law Departments under chairmanship of CVO to review the status of Fraud Reporting and ongoing investigations, Lodgement of Complaints, Handling of returned complaints, ABBFF related matters.
- Strengthening Ethical Practices and Promoting Preventive Vigilance with Mission Jagriti - Mission Jagriti is a preventive vigilance initiative focused on raising awareness and transparency within the organization. As part of this mission, officials from the Head Office made visits to various Zonal Offices to engage with staff and promote vigilance practices. These sessions aimed to educate employees through interactive methods such as presentations on real-life cases.

24.2 Key events observed

- IBA Committee Meeting - Department successfully organized a meeting of a seven-member committee, formed by the Indian Banks' Association under directives of DFS to look into the measures which enable ex-ante protection for bonafide business decisions and to recommend steps to be taken by bankers to prevent avoidable lapses, that lead to subsequent investigation by law enforcement agencies.
- Capacity Building & Training Programme on Vigilance Administration - A two-day "Capacity Building & Training Programme for Vigilance Officers on various aspects of Vigilance Administration and Disciplinary matters including the role of IO/PO etc." was conducted at Kolkata by the UCO Bank under the aegis of Central Vigilance Commission on the 13th and 14th of December, 2024. The program was attended by more than 110 participants, including dignitaries from the Central Vigilance Commission, MD & CEO of UCO Bank, Executive Directors of UCO Bank, Chief Vigilance Officers (CVOs) and Additional Chief Vigilance Officers/ nominated participants from various Public Sector Undertakings (PSUs)/ Public Sector Banks (PSBs) / Public Sector Insurance Companies (PSICs), comprising of officers from 11 zones & Head Office of UCO Bank.

The event was inaugurated by Shri A S Rajeev, Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commission.

- Training arranged for Nodal Officers at all Zonal Offices, dealing with RDA matters on 23rd & 24th September, 2024 at Central Staff College, Kolkata.
- Training arranged for Inquiry Offices/ Presenting Officers covering all the zones on 20th & 21st January, 2025 at Staff Training College, Chennai.
- Bank observed Vigilance Awareness Week from 28th October, 2024 to 3rd November, 2024 on the theme pronounced by the Central Vigilance Commission, **"Culture of Integrity for Nation's Prosperity"**.

The celebration commenced with the Integrity Pledge being taken by all executives, officers, and employees of the Bank, reinforcing their commitment to transparency and ethical practices. To enhance awareness, banners and posters were prominently displayed in branches and offices nationwide. Various engagement activities were organized, including online quiz competitions to test knowledge on vigilance-related topics and Awareness Gram Sabhas conducted by rural branches to educate the common man on integrity and anti-corruption measures.

Additionally, walkathons were organized by most of the zones to promote the cause, alongside town hall meetings at various centers to facilitate discussions on vigilance and ethical banking practices. Motorbike rallies were also conducted in select centers, drawing public participation and spreading awareness about the importance of integrity in day to day life.

25. OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has always been proactive in the implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The bank has taken appropriate follow-up action to implement various items of the annual program 2024-25, for the use of the Official Language Hindi, issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, and has made concentered efforts

to achieve the targets set therein. The Bank complied with the directions given by the Third sub-Committee of the Parliamentary Committee on Official Language/ Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

For the outstanding work in the progressive use of the Official Language Hindi, the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India felicitated UCO Bank Head Office to Rajbhasha Kirti Award for the fourth consecutive year. In addition to it, Narakas (Bank), Kolkata (Coordinator: UCO Bank) has been felicitated with the 'Narakas Rajbhasha Samman' for its remarkable contributions in the field of Official Language.

25.1 Official Language Action Plan 2024-25

With the motivation and active support of the top management of the bank, the journey towards winning the Rajbhasha Kirti Award- the highest award for Head office, given by the Department of Official Language, Government of India, and the regional award for the zonal office, continues in line with the goals of the Rajbhasha Action Plan 2024-25

UCO Bank G. D. Birla Memorial Lecture Series	Head office and 32 zonal offices organized lecture series on various relevant topics. The vice chancellors, scientists, professors and other dignitaries were present on the occasion. Ms. Anshuli Arya, IAS, Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India was the Chief guest at the lecture series organized by the head office at Constitution Club of India, New Delhi.
UCO Rajbhasha Samman	The head office and 32 zonal offices awarded UCO Rajbhasha Samman to a total of 66 students who have attained the top position in post graduate (Hindi) from various universities in the country.

25.2 Hindi Training

Training on Official Language Implementation and Unicode on computers was provided to 5800 officers and clerks through a total of 198 Hindi workshops organised at the Head Office and Zonal Levels.

The Official Language Officers of Scale 2 and 3 were trained at Central Staff College, Kolkata and the Officers of Scale 4 were trained at Indian Institute of Bank Management, Guwahati.

Central Staff College, Kolkata and all the Regional Training Centres imparted Hindi training to the personnel by incorporating all the aspects of the Official Language Policy of the Government of India in each of their training programmes.

In addition to above, 104 officers and clerks passed the In-service Hindi training (Prabodh, Praveen, and Pragya and Parangat) examination of Govt. of India.

25.3 Hindi publication

The Bank published a souvenir on the topic 'Retail and CASA: Two sides of business prosperity', which is a compilation of essays of the participants of the All-India UCO Bank Hindi Essay Competition. Along with this, the Bank itself published the Hindi In-house magazine 'UCO Anugun' on a quarterly basis, published a souvenir on the short research thesis of the Chief Managers on Acharya Hazari Prasad Dwivedi and Sachchidananda Hiranand Vatsyayana 'Agyeya' and published a souvenir on the occasion of educational tour on the theme 'Indian Knowledge Tradition'. The annual In-house magazine of NARAKAS 'Nagar Prabha' was published. Apart from this, Hindi In-house magazines were also published by all the zonal offices and Central Staff College Kolkata.

25.4 Achievements:

- a) For the best performance in the field of official language, the headquarters has received the Rajbhasha Kirti Award - Second Prize

UCO Bank, Head Office received the prestigious Rajbhasha Kirti Award of the Government of India for compliance with the Official Language Policy. This award was received by Managing Director and Chief Executive Officer Shri Ashwani Kumar from the Hon'ble Minister of State for Home Affairs Shri Nityanand Rai on the occasion of the 4th All India Official Language Conference held at Bharat Mandapam, New Delhi on 14th September 2024.

- b) Department of financial services incentive award to UCO Bank for excellent performance in Implementation of Official Language Policy of Government of India

The Consolation Award, for the best implementation of Official Language Policy during the year 2023-24 for UCO Bank under Sector "C" among the Banks/Financial Institutions/Insurance Companies controlled by the Department of Financial Services, was received by Shri Rajesh Nagar, General Manager, from Dr. Abhijit Phukan, Economic Advisor, Department of Financial Services.

- c) Head Office receives NARAKAS Rajbhasha Samman-I for best performance in the field of official language

Narakas Bank (Kolkata) has been awarded the first prize for Narakas Rajbhasha Samman for the financial year 2023-24. This honour was received by Shri Rajesh Nagar, General Manager, Rajbhasha from the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma at the Regional Official Language conference held in Guwahati on 05 March 2025.

d) UCO Bank Zonal Office Bhagalpur-Rajbhasha regional awards-II

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, awarded the NARAKAS Rajbhasha Samman-II award for the financial year 2023-24 to NARAKAS Bank (Kolkata) for its excellent work in Official Language implementation. The honour was received by Shri Sanjay Nandurkar, Deputy General Manager, at the regional Official Language conference held in Guwahati on March 05, 2025 from Dr. Himanta Biswa Sarma, Chief Minister of Assam.

e) Narakas Roopnagar (Convenor - Lead Bank Office - Rupnagar) - Narakas Raj Bhasha Samman - Third

Narakas Rupnagar has been conferred the third award for Narakas Rajbhasha Samman for the financial year 2023-24 for outstanding work in Official Language Implementation by the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language. The honour was received by Shri Manish Tripathi, lead bank manager, Rupnagar from Shri Bhajan Lal, Chief Minister of Rajasthan at the Regional Official Language Conference held in Jaipur on 16th February 2025.

f) Award for the personnel of the general cadre for excellent implementation of the official language.

Ms. Diljot Kaur, Manager, Zonal Office Chandigarh was honored, in the review meeting of Zonal Managers held in Diu on January 10, 2025, for the best implementation of Official Language Policy and maximum correspondence in Hindi.

6 of our officers won prizes in All India Inter Bank Essay Writing Competitions organized by Reserve Bank of India as well as other Nationalized Banks/Financial Institutions.

In the competitions organized by various banks/financial institutions/offices under the aegis of NARAKAS, 22 Branches/Offices and 35 employees of the bank got 18 First, 7 Second, 4 Third and 6 Incentive prizes.

Under UCO Bank Correspondence Incentive Scheme, 5 employees of the bank were awarded.

25.5 Official Language Activities

a) All India Official Language Officers Conference

The 12th All India Official Language Officers Conference was held for the bank's official language officers at the Central Staff College, Kolkata for three days.

b) UCO Bank 7th All India Inter Bank Hindi Essay Competition

Panel discussion and award distribution ceremony: In order to promote the official language Hindi in the bank, the All India Inter Bank Hindi Essay Competition - 2024 was organized on the topic of 'Retail and CASA - Two Aspects of Business Prosperity'. Winners were awarded at the Bank's Central Staff College, Kolkata.

Seminar on 'Bharatiya Gyan parampara-an introduction': Narakas (Bank), Kolkata (convenor-UCO Bank, Head Office) conducted an educational visit to Indian Institute of Technology, Kharagpur and a seminar was organized.

On the occasion of International Day of Disabilities -2024, an essay competition was organized for the differently abled personnel of the Bank on the topic 'Expectations of the differently abled from the society'.

25.6 Official Language Inspection

During the financial year 2024-25, the third sub-committee of the Parliamentary Official Language Committee conducted an Official Language Inspection of one of our zonal offices and the Documents and Evidence Committee conducted an official language inspection of one branch. The committee appreciated the efforts being made by the bank for the progressive use of official language Hindi.

The Department of Financial Services, Government of India conducted a Rajbhasha inspection of the Head Office. The Bank's Rajbhasha related work was appreciated by the Ministry.

In addition, 13 Zonal Offices and 10 Branches were inspected by the Regional Implementation Offices, Department of official language, Ministry of Home Affairs.

Official Language inspection of 20 zones of the bank and 11 departments of the Head Office was conducted by the Head Office.

25.7 Town Official Language Implementation Committee

In addition to the Head Office, convener of Narakas (Bank), Kolkata, our Ajmer, Bhagalpur and Baleshwar zonal offices and LDM Rupnagar under Chandigarh zone, LDM Nahan under Shimla zone and LDM Bilaspur under Dharamshala zone are the conveners of Narakas.

26. GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Our Bank is committed towards promotion of renewable energy. We have received green energy certificate from CESC for our India Exchange Building.

As part of our commitment, we have installed three (3) Roof Top Solar panel of 30 KWP capacity at Executive Training Centre, New Town, 15 KWP at Science City Ahmedabad and 3KWP at New Cloth market Ahmedabad. We have identified 26 more Bank owned buildings across the country for installation of roof top solar energy of capacity around 698.8 KWP.

Bank has initiated centralized issuance of chequebooks and has also entered into a tie-up arrangement with India Post for dispatch of chequebooks.

27. COMPLIANCE

At UCO Bank, we recognize the important role that strong relationships with regulatory bodies play in our commitment to compliance and transparency. We actively engage with regulators through diverse channels and initiatives to promote trust and uphold our responsibility to treat customers fairly while effectively mitigating risks. By aligning our strategic priorities, we strive to foster a robust compliance culture throughout the Bank.

Regular meetings with regulatory authorities are essential to our engagement strategy. These sessions create a platform for open dialogue, allowing us to proactively address regulatory concerns, seek invaluable guidance, and share updates on our operational activities.

The bank has established an independent Compliance Department, led by the General Manager and Chief Compliance Officer, dedicated to ensuring adherence to a wide range of statutory and regulatory guidelines that govern our operations.

The primary function of this department is to oversee compliance with statutory, regulatory, and internal guidelines for both domestic and international operations. It acts as the single point of contact for the Reserve Bank of India (RBI) and ensures the seamless implementation of Risk-Based Supervision (RBS) in alignment with the current SPARC framework.

Our Board has approved a comprehensive Compliance Function Policy, which is crafted in accordance with RBI guidelines and undergoes annual reviews and updates. This policy articulates the compliance philosophy of the bank, defines the role and structure of the compliance vertical, and outlines the composition of its staff and their specific responsibilities.

Further, the Compliance Department conducts regular testing exercises to verify adherence to RBI guidelines and instructions, thereby reinforcing our commitment to maintaining high standards of compliance and operational integrity.

During FY 2024-25, to further enhance compliance monitoring, the bank has launched the Compliance Manager Tool, which harnesses advanced technology to create a comprehensive, enterprise-wide compliance solution featuring integrated workflow tools. This innovative tool streamlines internal processes and promotes efficiency in compliance oversight.

Further, the bank has introduced an individual-level compliance self-certification tool aimed at cultivating a strong culture of compliance in a dynamic environment. Each employee will submit self-certifications quarterly, with specific regulations assigned according to their role or job profile. This tailored approach ensures that compliance requirements are relevant and applicable to each employee's daily work responsibilities.

The Compliance Department plays a critical role in overseeing the compliance functions of our overseas establishments, ensuring they adhere to their respective territory-based compliance policies as well as KYC, AML, and CFT standards. Each overseas branch is equipped with a dedicated compliance officer who is responsible for managing compliance activities specific to their location.

These branches diligently comply with all applicable regulatory requirements set forth by their host countries and regularly submit confirmations and compliance sustainability reports. This robust oversight framework ensures that we maintain a high standard of compliance globally, safeguarding our commitment to regulatory integrity and responsible banking practices.

28. BOARD OF DIRECTORS

28.1 Corporate Governance

The Bank is dedicated to upholding strong Corporate Governance, guided by its core values of transparency, professionalism, and accountability. By embedding these principles into its operations, the Bank strives to maximize the shareholder value while maintaining integrity in all its dealings.

To ensure effective oversight, the Board of Directors has established various specialized committees to monitor key aspects of the Bank's business. Additionally, the Bank conducts regular reviews of its systems and processes at multiple levels to proactively identify and address potential vulnerabilities, fostering resilience and operational excellence.

The Board firmly believes that sound governance is fundamental to building trust, loyalty, and goodwill among the clients, business partners, employees, and investors. Furthermore, it reinforces the Bank's reputation as a responsible and respected institution within the society.

28.2 Changes in the Board of Directors

- The tenure of Dr. Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director on the Board of the Bank concluded on 12.05.2024.
- Shri. Sudhir Shyam, has been appointed as the Govt. Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 13.05.2024.
- The tenure of Shri. Rajesh Kumar, RBI Nominee Director on the Board of the Bank concluded on 04.08.2024.
- Dr. Sarada Prasan Mohanty has been appointed as the RBI Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 05.08.2024.
- Shri. Pramoda Ranjan Mishra, the Shareholder Director of the Bank has tendered his resignation from his post w.e.f. 14.11.2024 on account of his selection as the Chair Professor of National Insurance Academy, Pune.

- The tenure of Shri. Anjan Talukdar and Shri. Ravi Kumar Agrawal, part-time non-official directors concluded on 20.12.2024.
- As part of its commitment to sound governance, the Bank has nominated Ms. Rachna Khare as Shareholder Director, effective January 10th, 2025. Her expertise and leadership will further strengthen the Bank's governance framework and strategic direction.

28.3 Meetings of the Board of Directors & its various Sub-committees

Details of meeting held during the FY 2024-25 is as follows:

Twelve meetings of the Board of Directors were held. The number of meetings of various Committees of the Board held during the period is given below:

Sl. No.	Name of the Committee	No. of Meetings held
1.	Management Committee of the Board	15
2.	Audit Committee of the Board	09
3.	Risk Management Committee of Board	07
4.	Stake Holders' Relationship Committee of Board	01
5.	Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds	03
6.	Customer Service Committee of the Board	04
7.	Committee on HR Related Issues of the Bank	08
8.	Nomination and Remuneration Committee of the Board	01
9.	Committee of the Board for Disposal of Appeals against Non-Promotion	01
10.	IT Strategy Committee of the Board	05
11.	Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPA Accounts	04
12.	Review Committee (Wilful Defaulters)	03
13.	Performance Evaluation Committee of the Board	01
14.	Credit Approval Committee	33
15.	Meeting of Independent Directors	02
16.	Board Level Corporate Social Responsibility Committee (BLCSRC)	02

28.4 Statement of Directors' Responsibility

The Board of Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2025, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India, were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2025. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and the accounts have been prepared on an on-going basis. Internal financial controls have been laid down by the bank for ensuring orderly conduct of business.

28.5 Acknowledgements

The Board of Directors of the Bank welcomes Shri Sudhir Shyam, Govt. Nominee Director, Dr. Sarada Prasan Mohanty, RBI Nominee Director and Ms. Rachna Khara, Shareholder Director nominated on the Board during the year 2024-25 and look forward for their valuable inputs towards the growth of the Bank. The Board acknowledges the valuable contributions of Dr. Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director, Shri Pramoda Ranjan Mishra, Shri Anjan Talukdar and Shri Ravi Kumar Agrawal, both part-time non-official Directors of the Bank, whose tenure completed during the financial year 2024-25.

The Board thanks our customers, vendors, shareholders, business associates and correspondent banks for their continued support during the year. The Board remains thankful to the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities for their support and valuable guidance and look forward to their continued support in the future.

The Board also thanks the staff unions/associations for the support extended by them. The Board place on record their deep appreciation for the dedication and contribution made by each employee at all levels. Our resilience to meet challenges was made possible by their hard work, solidarity, co-operation and support.

कारोबारी उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट 2024-25

Business Responsibility and Sustainability Report 2024-25

खंड क : सामान्य प्रकटन / Section A - General Disclosures

I. बैंक का विवरण / Details of the Bank

1.	कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) Corporate Identity Number (CIN)	लागू नहीं Not Applicable
2.	बैंक का नाम / Name of the Bank	यूको बैंक / UCO Bank
3.	निगमन का वर्ष / Year of Incorporation	1943
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता / Registered office address	10, बी टी एम सरणी, कोलकाता -700001 10 , B T M Sarani, Kolkata-700001
5.	कॉरपोरेट कार्यालय का पता / Corporate office address	नं.2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3सरा तल, कोलकाता-700001 No.2 India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata - 700001
6.	ई-मेल / Email	hosgr.calcutta@ucobank.co.in
7.	टेलीफोन / Telephone	+91 33 4455 7227
8.	वेबसाइट / Website	www.ucobank.com
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है Financial year for which reporting is being done	2024-25
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.
11.	प्रदत्त पूंजी Paid-up Capital	Rs. 12539.56 crore
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	श्री विकास गुप्ता कंपनी सचिव Mr Vikash Gupta Company Secretary फोन : Ph : +91 33 4455 7227 hosgr.calcutta@ucobank.co.in
13.	रिपोर्टिंग सीमा Reporting boundary	इस रिपोर्ट में किए गए खुलासे एकल आधार पर हैं, जिनमें भारत भर में यूको बैंक के सभी कार्यालय और शाखाएं शामिल हैं। Disclosures made in this report are on a standalone basis including all offices and branches of UCO Bank across India.
14.	आश्वासन मूल्यांकन या आश्वासन प्रदाता का नाम Name of assessment or assurance Provider	मेसर्स के घोष एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार M/s K Ghosh & Associates, Chartered Accountants
15.	प्राप्त मूल्यांकन या आश्वासन का प्रकार Type of assessment or assurance obtained	उचित आश्वासन Reasonable Assurance

II. उत्पाद/सेवाएँ / Product / Services

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण :

Details of Business Activities :

क्र.सं. Sl.	मुख्य गतिविधि का विवरण Description of Main activity	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण Description of Business Activity	टर्नओवर का प्रतिशत % of turnover
1	बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ Banking and Financial Services	बैंक के व्यावसायिक परिचालन को मोटे तौर पर चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है: The business operations of the Bank are broadly classified into four segments: (ए) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग,/(a) corporate /wholesale banking, (बी) खुदरा बैंकिंग,/(b) retail banking, (सी) ट्रेजरी, और/(c) treasury, and (डी) अन्य बैंकिंग सेवाएँ/(d) other banking services.	100

17. बैंक द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं / Products/ Services Sold By the Bank

क्र.सं. Sl.	उत्पाद/सेवा Product/Service	एनआईसी कोड NIC Code	कुल टर्नओवर का प्रतिशत अंशदान % of total turnover contributed
1.	बैंकिंग सेवाएँ और उत्पाद Banking Services and Products	64191	100

III. परिचालन / Operations

18. उन स्थानों की संख्या जहाँ इकाई के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:

Number of locations where plants and/or operations offices of the entity are situated:

स्थान Location	संयंत्रों की संख्या No. of Plants	कार्यालयों की संख्या No. of Offices	कुल Total
राष्ट्रीय / National	लागू नहीं / Not Applicable	16521 #	16521
अंतर्राष्ट्रीय / International		3*	3

* इसमें तेहरान, ईरान स्थित यूको बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय शामिल है।

It includes representative office of UCO Bank at Tehran, Iran

इसमें देश में स्थित बैंक की शाखाएँ(3302), एटीएम केंद्र (2522), कारोबार सहायक इकाइयाँ (10653) एवं प्रशासनिक कार्यालय (44) शामिल हैं।
It includes domestic branches(3302), ATM centres(2522), Business Correspondent units(10653) and Administrative offices of the Bank(44)

19. बैंक द्वारा सेवित बाजार / Markets served by the Bank :

ए/अ.स्थानों की संख्या / Number of locations :

स्थान / Locations	संख्या / Number
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या) National (No. of states)	भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश 28 states and 8 Union Territories of India
अंतर्राष्ट्रीय (राष्ट्रों की संख्या) International (No. of Countries)	3

बी/b. इकाई के कुल पण्यवर्त(टर्नओवर) के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

- लागू नहीं / Not applicable

सी/c. ग्राहक के प्रकारों की संक्षिप्त सूचना / A brief on types of customers

- बैंक अपने विविध स्वरूपी ग्राहक आधार को उत्पादों और सेवाओं की एक व्यापक शृंखला की पेशकश करता है जिसमें व्यक्ति, कृषक, एमएसएमई, कॉरपोरेट संस्थाएँ, सरकारी निकाय, स्वयं सहायता समूह, न्यास, क्लब आदि शामिल हैं।
Bank provides wide array of product and services and caters to the diverse customer base including individuals, farmers, MSME's, Corporates, Government entities, Self Help Groups, Trusts, Clubs etc.

IV. कर्मचारी /Employees

20. 31.03.2025 तक की स्थिति का विवरण / Details as on 31.03.2025 :

क/अ. कर्मचारी एवं श्रमिक (दिव्यांग सहित) / Employees and workers (including differently abled) :

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	कुल /Total	पुरुष / Male		महिला / Female	
		(ए)/(A)	(बी)/(B)	% (ए/बी)/(A/B)		% (सी/ए)/(C/A)
कर्मचारी / Employees						
1.	स्थायी (डी) Permanent (D)	21049	14913	70.85	6136	29.15
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ई) Other than Permanent (E)	09	08	88.88	01	11.12
3.	कुल कर्मचारी (डी + ई) Total Employees (D + E)	21058	14921	70.86	6137	29.14
श्रमिक / Workers						
4.	स्थायी (एफ़) Permanent (F)	लागू नहीं / Not Applicable				
5.	स्थायी के अलावा अन्य (जी) Other than Permanent (G)					
6.	कुल श्रमिक (एफ़ + जी) Total Workers (F + G)					

बी/b. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक / Differently abled Employees and workers :

क्र.सं. S.no	विवरण Particulars	कुल (ए)/ Total (A)	पुरुष / Male		महिला / Female	
			(बी)/(B)	% (बी/ए)/(B/A)	(सी)/(C)	% (सी/ए)/(C/A)
भिन्न प्रकार से सक्षम कर्मचारी/Differently Abled Employees						
1.	स्थायी (डी) Permanent (D)	514	409	79.57	105	20.43
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ई) Other than Permanent (E)	लागू नहीं / Not Applicable				
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (डी + ई) Total differently abled employees (D + E)	514	409	79.57	105	20.43
दिव्यांग श्रमिक / DIFFERENTLY ABLED WORKERS						
4.	स्थायी (एफ़) Permanent (F)	लागू नहीं / Not Applicable				
5.	स्थायी के अलावा अन्य (जी) Other than Permanent (G)					
6.	कुल दिव्यांग श्रमिक (डी + ई) Total differently abled workers (D + E)					

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व / Participation/inclusion/representation of women :

	कुल Total (ए)/(A)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत No. and percentage of Females	
		(बी)/(B)	% (बी/ए)/(B/A)
निदेशक मंडल / Board of Directors	8	1	12.5
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key Managerial Personnel	5*	0	-

* इसमें तीन पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव शामिल हैं
/ It includes 3 Whole time Directors, Chief Financial Officer and Company Secretary

22. स्थायी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए आवर्त दर / Turnover rate for permanent employees

	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25			वित्तीय वर्ष/FY 2023-24			वित्तीय वर्ष/FY 2022-23		
	एम/M	एफ/F	टी/T	एम/M	एफ/F	टी/T	एम/M	एफ/F	टी/T
स्थायी कर्मचारी/Permanent Employees	3.79	2.67	3.46	4.59	3.23	4.20	4.93	3.34	4.49
स्थायी श्रमिक/Permanent workers	लागू नहीं / Not Applicable								

*एम का अर्थ है पुरुष, एफ का अर्थ है महिला, टी का अर्थ है कुल
M implies Male, F implies Female, T implies Total

V. होल्डिंग, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों समेत)/

Holding, Subsidiary and Associate Companies (Including Joint Ventures)

23. होल्डिंग, अनुषंगी, सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम

Name of holding, Subsidiary, Associate Companies / Joint Ventures

क्र.सं. S. No	होल्डिंग/अनुषंगी/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम Name of the holding / Subsidiary / Associate Companies / Joint Ventures	होल्डिंग/अनुषंगी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम Holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	यूको बैंक के धारित शेयरों का प्रतिशत % of shares held by UCO Bank	क्या कॉलम क में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility Initiatives of the listed entity?
1	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) Paschim Banga Gramin Bank (PBGB)	सहयोगी Associate	35%	नहीं No

VI. सीएसआर विवरण / CSR Details

24. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 यूको बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं है। हालाँकि, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बैंक के परिचालन का एक अभिन्न अंग है, जो स्थायी पद्धतियों एवं सामाजिक जवाबदेही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। एक वित्तीय संस्थान के रूप में, यह पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को स्वीकार करता है, और अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013 : Section 135 of Companies Act 2013 is not applicable to Public Sector Banks including UCO Bank. However, Corporate Social Responsibility (CSR) is an integral to the Bank's operations, showcasing its commitment to sustainable practices and social accountability. As a financial institution, it acknowledges its impact on the environment, society, and economy, striving to foster a positive change through its CSR initiatives.

(ii) टर्नओवर (परिचालन से राजस्व) रुपए 29,433 करोड़ / Turnover (Revenue from Operations) : Rs. 29,433 crore

(iii) निवल मालियत रुपए 21,107 करोड़ / Net Worth : Rs. 21,107 crore

VII. पारदर्शिता और प्रकटन अनुपालन / Transparency and Disclosure Compliances

25. उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) को लेकर शिकायतें / परिवाद:

Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

हितधारकों का समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है Stakeholder group from whom complaint is received	विद्यमान शिकायत निवारण तंत्र Grievance Redressal Mechanism in Place (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25			वित्तीय वर्ष/FY 2023-24		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या Number of complaints filed during the year	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending resolution at close of the year	टिप्पणियाँ Remarks	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या Number of complaints filed during the year	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending resolution at close of the year	टिप्पणियाँ Remarks
समुदाय Communities	-	-	-	-	-	-	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा) Investors (other than shareholders)	जी हाँ। प्रधान कार्यालय में बैंक का अलग निवेशक संबंध प्रकोष्ठ है। Yes. Bank has separate Investor Relation cell at Head Office.	-	-	-	-	-	-

हितधारकों का समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है Stakeholder group from whom complaint is received	विद्यमान शिकायत निवारण तंत्र Grievance Redressal Mechanism in Place (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25		वित्तीय वर्ष/FY 2023-24			
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या Number of complaints filed during the year	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending resolution at close of the year	टिप्पणियां Remarks	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या Number of complaints filed during the year	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending resolution at close of the year	टिप्पणियां Remarks
शेयरधारक Shareholders	जी हाँ। प्रधान कार्यालय में बैंक का अलग निवेशक संबंध प्रकोष्ठ है। Yes. Bank has separate investor relation cell at Head Office.	860	14	-	292	1	-
कर्मचारी Employees	Through Bank 's internal HRMS Portal	331	14	-	286	20	-
ग्राहक Customer	जी हाँ/ Yes https:// spgrs.ucoonline.in)	85474	2128*	-	103636	1985#	-
वैल्यू चेन पार्टनर्स Value Chain Partners	-	-	-	-	-	-	-

* 2128 लंबित शिकायतों में से 1094 सामान्य शिकायतें हैं, 990 विफल/विवादित लेनदेन से संबंधित शिकायतें हैं और 44 शिकायतें बैंकिंग लोकपाल से संबंधित हैं
1985 लंबित शिकायतों में से 83 सामान्य शिकायतें हैं और 1902 विफल/विवादित लेनदेन से संबंधित शिकायतें हैं।

* Out of 2128 pending complaints, 1094 are General Grievances, 990 are failed/ disputed transaction related grievance and 44 complaints related to Banking Ombudsman

Out of 1985 pending complaints, 83 are General Grievance and 1902 are failed/ disputed transaction related grievance.

26. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन :

Overview of the entity's material responsible business conduct issues :

इस अनुभाग के तहत, बैंक ने महत्वपूर्ण मुद्दों का खुलासा किया है। फिनटेक कंपनियों को शामिल करना, किफायती आवास, स्वच्छ/नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, सीएसआर, पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली जो निम्नलिखित प्रारूप में इसके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करती है:

Under this section, Bank has disclosed material issues viz. onboarding of Fintech companies, affordable housing, promoting clean/renewable energy, CSR, Document Management System pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to its business in the following format :

क्र.सं. S. no.	महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई Material Issue identified	निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव) Indicate whether risk or opportunity (R/O)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य Rationale for identifying the risk / opportunity	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका In case of risk, approach to adapt or mitigate	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें) Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1.	नैतिक शासन और भ्रष्टाचार विरोधी Ethical Governance and Anti-Corruption	जोखिम Risk	हितधारकों का विश्वास बनाए रखने, घोखाधड़ी को रोकने और नियामक अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रशासन आवश्यक है। Strong governance is essential to maintain stakeholder trust, prevent fraud, and ensure compliance with regulatory expectations.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित आचार संहिता को अपनाना, नियमित नैतिकता प्रशिक्षण, गुमनाम मुखबिर चैनल, आंतरिक सतर्कता तंत्र। Adoption of Board-approved Code of Conduct, regular ethics training, anonymous whistleblower channels, internal vigilance mechanisms.	सकारात्मक - हितधारकों का विश्वास बढ़ता है, दंड और नियामक कार्रवाई के जोखिम को कम करता है, और जिम्मेदार निवेशकों को आकर्षित करता है। Positive - Enhances stakeholder confidence, reduces risk of penalties and regulatory action, and attracts responsible investors.
2.	ग्राहक केन्द्रितता और वित्तीय समावेशन Customer Centricity and Financial Inclusion	अवसर Opportunity	वित्तीय समावेशन ग्राहक आधार का विस्तार करने, नियामक आदेशों को पूरा करने और बैंक के सामाजिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। Financial inclusion is key to expanding the customer base, fulfilling regulatory mandates, and strengthening the bank's social impact. This will impair the value of assets held by the banks' customers and bearing on recovery and results in delinquencies.	ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लक्षित पहुंच, बीसी (बिजनेस कॉर्रेस्पोंडेंट) मॉडल, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और डिजिटल बैंकिंग पहल। Targeted outreach in rural/semi-urban areas, BC (Business Correspondent) model, financial literacy programs, and digital banking initiatives.	सकारात्मक - ग्राहक आधार में वृद्धि, CASA वृद्धि, तथा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) मानदंडों को पूरा करना, विनियामकों से प्रोत्साहन आकर्षित करना। Positive - Increases customer base, CASA growth, and meets Priority Sector Lending (PSL) norms, attracting incentives from regulators.
3.	डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा Data Privacy and Cybersecurity	जोखिम Risk	बढ़ते डिजिटलीकरण से साइबर हमलों और डेटा उल्लंघन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और कानूनी दायित्व भी उत्पन्न हो सकता है। Increasing digitization brings risk of cyberattacks and data breaches, which can harm reputation and invite legal liabilities.	मजबूत आईटी सुरक्षा प्रणालियों (फ़ायरवॉल, डीएलपी उपकरण), आवधिक साइबर ऑडिट, सीईआरटी-इन अनुपालन, स्टाफ संवेदीकरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। Implementation of robust IT security systems (firewalls, DLP tools), periodic cyber audits, CERT-In compliance, staff sensitization programs.	मिश्रित - बुनियादी ढांचे के लिए उच्च प्रारंभिक लागत, लेकिन डेटा उल्लंघन, प्रतिष्ठा की क्षति और नियामक जुर्माना से बड़े नुकसान को रोकता है। Mixed - High upfront cost for infrastructure, but prevents larger losses from data breaches, reputational damage, and regulatory fines.

क्र.सं.	महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई	निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें)
S. no.	Material Issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
4.	जिम्मेदार उत्पाद प्रकटीकरण और शिकायत निवारण	जोखिम	भ्रामक उत्पाद जानकारी या अनसुलझे शिकायतों के कारण नियामक जांच, प्रतिष्ठा को नुकसान, तथा ग्राहक में कमी हो सकती है।	मानकीकृत उत्पाद प्रकटीकरण, बहु-चैनल शिकायत तंत्र (डिजिटल, शाखा, कॉल सेंटर), ग्राहक सेवा ऑडिट और शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली।	सकारात्मक - ग्राहक निष्ठा को मजबूत करता है, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम को कम करता है, और आरबीआई/बीसीएसबीआई निष्पक्ष व्यवहार संहिताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। Positive - Strengthens customer loyalty, reduces reputational risk, and ensures compliance with RBI/BCSBI fair practice codes.
	Responsible Product Disclosures & Grievance Redressal	Risk	Misleading product information or unresolved complaints can lead to regulatory scrutiny, reputational damage, and customer attrition.	Standardized product disclosures, multi-channel grievance mechanisms (digital, branch, call center), customer service audits, and complaint tracking systems.	
5.	उधारकर्ताओं और एमएसएमई के साथ लेन-देन में पारदर्शिता	जोखिम	एमएसएमई को अक्सर नियम व शर्तों को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप विवाद, तनावग्रस्त खाते और ऋण अनुशासन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं।	सरलीकृत दस्तावेजीकरण, ब्याज/मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता, आरबीआई ढांचे के अंतर्गत पुनर्गठन सहायता और उधारकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण।	सकारात्मक - इससे उधारकर्ताओं का विश्वास बढ़ता है, एमएसएमई क्षेत्रों में एनपीए कम होता है, तथा दीर्घकालिक ऋण संबंध बढ़ते हैं। Positive - Improves borrower confidence, reduces NPAs in MSME segments, and enhances long-term credit relationships.
	Transparency in Dealings with Borrowers and MSMEs	Risk	MSMEs often face difficulty in understanding terms and conditions, leading to disputes, stress accounts, and credit discipline issues.	Simplified documentation, transparency in interest/pricing, restructuring support under RBI frameworks, and grievance redressal for borrowers.	
6.	एएमएल और केवाईसी विनियमों का अनुपालन	जोखिम	एएमएल/केवाईसी मानदंडों का अनुपालन न करने पर गंभीर विनियामक दंड लग सकता है तथा वित्तीय अपराध की संभावना बढ़ सकती है।	केंद्रीकृत केवाईसी सत्यापन, जोखिम आधारित ग्राहक जांच, लेनदेन निगरानी उपकरण, तथा पीएमएलए दिशानिर्देशों के अनुरूप नियमित स्टाफ प्रशिक्षण।	यदि अनुपालन न हो तो नकारात्मक, यदि सुदृढ़ हो तो सकारात्मक - सुचारु विनियामक निरीक्षण सुनिश्चित करता है, प्रतिष्ठा और कानूनी जोखिमों को कम करता है। Negative if non-compliant, positive if robust - Ensures smooth regulatory inspections, reduces reputational and legal risks.
	Compliance with AML and KYC Regulations	Risk	Non-compliance with AML/KYC norms can lead to severe regulatory penalties and increased financial crime exposure.	Centralized KYC validation, risk-based customer due diligence, transaction monitoring tools, and regular staff training in line with PMLA guidelines.	

क्र.सं.	महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई	निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें)
S. no.	Material Issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
7.	बोर्ड की विविधता और क्षमता Board Diversity and Competence	अवसर Opportunity	एक विविध और कुशल बोर्ड रणनीतिक निगरानी, जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ाता है। A diverse and skilled board enhances strategic oversight, risk management, and long-term sustainability.	बैंकिंग, कानून, प्रौद्योगिकी, लिंग समावेशन, नियमित बोर्ड मूल्यांकन और कौशल मैट्रिक्स आकलन में विशेषज्ञता वाले स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति। Appointment of independent directors with expertise in banking, law, technology, gender inclusion, regular board evaluations and skill matrix assessments.	सकारात्मक - इससे मजबूत निर्णय लेने, बेहतर जोखिम निरीक्षण और आरबीआई, सेबी और हितधारकों से शासन संबंधी अपेक्षाओं के साथ संरेखण को बढ़ावा मिलता है। Positive - Leads to stronger decision-making, better risk oversight, and alignment with governance expectations from RBI, SEBI, and stakeholders.
8.	कर्मचारी नैतिकता, आचरण और प्रशिक्षण Employee Ethics, Conduct & Training	जोखिम Risk	कर्मचारियों का आचरण सीधे तौर पर ग्राहक के विश्वास और परिचालन निष्ठा को प्रभावित करता है; प्रशिक्षण की कमी से विनियामक या परिचालन संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं। Staff conduct directly impacts customer trust and operational integrity; lack of training may lead to regulatory or operational errors.	अनिवार्य वार्षिक नैतिकता और अनुपालन प्रशिक्षण, ग्राहक सेवा, डिजिटल साक्षरता, सतर्कता जागरूकता और मानव संसाधन अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं पर पुनश्चर्चा कार्यक्रम। Mandatory annual ethics and compliance training, refresher courses on customer service, digital literacy, vigilance awareness, and HR disciplinary procedures.	सकारात्मक - परिचालन जोखिम को कम करता है, अनुपालन संस्कृति में सुधार करता है, और सेवा उत्कृष्टता और ग्राहक प्रतिधारण में योगदान देता है। Positive - Minimizes operational risk, improves compliance culture, and contributes to service excellence and customer retention.
9.	जिम्मेदार आउटसोर्सिंग और विकेता प्रबंधन Responsible Outsourcing and Vendor Management	जोखिम Risk	आईटी, ग्राहक सेवा और परिचालन के लिए तीसरे पक्ष के विकेताओं पर बढ़ती निर्भरता बैंक को प्रतिष्ठा और परिचालन संबंधी जोखिमों के प्रति उजागर करती है। Increasing reliance on third-party vendors for IT, customer service, and operations exposes the Bank to reputational and operational risks.	विकेता की उचित तत्परता, निष्पादन और अनुपालन धाराओं के साथ एसएलए, नियमित लेखा परीक्षा और आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए व्यवसाय निरंतरता योजनाओं का कार्यान्वयन। Implementation of vendor due diligence, SLAs with performance and compliance clauses, regular audits, and business continuity plans for outsourced services.	सकारात्मक - परिचालन संबंधी व्यवधानों और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों को कम करता है, अनुपालन सुनिश्चित करता है, और पेशेवर साझेदारी के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार करता है। Positive - Reduces operational disruptions and reputational risk, ensures compliance, and improves service delivery via professional partnerships.

क्र.सं.	महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई	निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें)
S. no.	Material Issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
10.	जलवायु जोखिम और परिचालन का पर्यावरणीय प्रभाव	अवसर	हितधारकों और नियामकों को उम्मीद है कि बैंक अपने पर्यावरणीय प्रभाव पर ध्यान देंगे और हरित वित्तपोषण का समर्थन करेंगे।	हरित प्रथाओं को अपनाना (ऊर्जा-कुशल शाखाएं, कागज रहित बैंकिंग), ईएसजी-लिंक्ड ऋणों को बढ़ावा देना, तथा कार्बन फुटप्रिंट प्रकटीकरण पहल।	सकारात्मक - ईएसजी-सचेत निवेशकों को आकर्षित करता है, भविष्य के जलवायु-संबंधी प्रकटीकरण मानदंडों के साथ संरेखित करता है, और दीर्घकालिक संसाधन लागत को कम करता है।
	Climate Risk and Environmental Impact of Operations	Opportunity	Stakeholders and regulators expect banks to address their environmental footprint and support green financing.	Adoption of green practices (energy-efficient branches, paperless banking), promotion of ESG-linked loans, and carbon footprint disclosure initiatives.	Positive - Attracts ESG-conscious investors, aligns with future climate-related disclosure norms, and reduces long-term resource costs.
11.	बैंकिंग पुस्तक में ब्याज दर जोखिम	जोखिम	ब्याज दरों में संशोधन का नियामक का निर्णय बैंक के ब्याज मार्जिन को प्रभावित करता है, जिसका परिणाम बैंक की लाभप्रदता पर पड़ता है।	बैंक बैंकिंग बही में ब्याज जोखिम को संबोधित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहा है, जिसमें जमा उत्पादों की हेजिंग और तदनुसार मूल्य निर्धारण शामिल है।	मिश्रित - अनुकूल ब्याज दरों में परिवर्तन से लाभप्रदता बढ़ सकती है, जबकि प्रतिकूल परिवर्तन से मार्जिन और आर्थिक मूल्य में कमी आ सकती है, जिससे वित्तीय जोखिम बढ़ जाता है।
	Interest Rate Risk in Banking Book	Risk	Regulator's decision of modification in interest rates impacts Bank's interest margins which in turn effects the profitability of the Bank.	Bank is employing various techniques to address interest risk in Banking Book including hedging & pricing of its deposit products accordingly.	Mixed - Favorable interest rate movements can enhance profitability, while adverse changes may reduce margins and economic value, increasing financial risk.
12.	तरलता जोखिम	जोखिम	बैंक को किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त तरलता रखने की आवश्यकता है, जिससे बैंक पर तरलता की कमी हो सकती है।	बैंक अपने स्ट्रोक/प्रवाह अनुपातों और अन्य विनियामक मुद्दों जैसे एलसीआर और एनएसएफआर की नियमित निगरानी करके अपनी तरलता समस्याओं का सक्रिय रूप से प्रबंधन कर रहा है।	नकारात्मक - परिपक्वता विसंगति को कम करने और स्थिर तरलता भाग सुनिश्चित करने के लिए तरलता जोखिम को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।
	Liquidity Risk	Risk	Bank needs to carry enough liquidity to address any unforeseen circumstances leading to a liquidity run on the bank.	Bank is actively managing its liquidity issues by regularly monitoring its strk/flow ratios and other regulatory issues such as LCR & NSFR	Negative - Liquidity risk needs to be actively managed to reduce maturity mismatch & ensure stable liquidity portion

खंड बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटन

Section B: Management and Process Disclosures

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) निम्नलिखित पी1पी9 के रूप में संदर्भित नौ सिद्धांतों की बात करता है:

The National Guidelines for Responsible Business Conduct (NGRBC) as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs advocates nine principles referred as P1-P9 as given below:

पी1 P1	व्यवसायों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से ईमानदारी के साथ आचरण और शासन करना चाहिए Businesses should conduct and govern themselves with integrity in a manner that is ethical, transparent and accountable
पी2 P2	व्यवसायों को वस्तु एवं सेवाएँ इस प्रकार प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe
पी3 P3	व्यवसायों को अपनी मूल्य शृंखला के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains
पी4 P4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए Businesses should respect the interests of and be responsive towards all its stakeholders
पी5 P5	व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए Businesses should respect and promote human rights
पी6 P6	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिए Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment
पी7 P7	व्यवसाय जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो इसे ऐसे तरीके से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो Businesses when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent
पी8 P8	व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए Businesses should promote inclusive growth and equitable development
पी9 P9	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

प्रकटीकरण प्रश्न/Disclosure Questions	पी/P1 पी/P2 पी/P3 पी/P4 पी/P5 पी/P6 पी/P7 पी/P8 पी/P9
नीति एवं प्रबंधन प्रक्रिया/Policy and management processes	
1. ए. क्या आपकी संस्था की नीति/ नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs.	हाँ Yes.
बी. क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? b. Has the policy been approved by the Board?	हाँ Yes.
सी. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो c. Web Link of the Policies, if available	नीतियां बैंक की वेबसाइट https://www.ucobank.com/english/policies.aspx पर उपलब्ध हैं। उपर्युक्त के अलावा अन्य नीतियां जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं, आंतरिक दस्तावेज होने के कारण केवल कर्मचारियों के लिए बैंक के इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। The policies are available on Bank's website at https://www.ucobank.com/english/policies.aspx. The policies other than those which are not available in the Bank's website, being internal documents are available only to the employees on Bank's intranet.
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में रूपांतरित किया है। (हां/नहीं) Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No)	जी हाँ। बैंक ने बैंक द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाओं और प्रथाओं में लागू होने वाली नीतियों का रूपांतरित किया है। Yes. The Bank has translated the policies as applicable into procedures and practices in all spheres of activities that the Bank undertakes.
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य शृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां/ नहीं) Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	जी हाँ। बैंक अपेक्षा करता है कि उसके हितधारक अपने सभी लेन-देन में उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन करेंगे। Yes. The Bank expects its stakeholders to adhere to the above mentioned principles in all their dealings.
4. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोड/प्रमाणीकरण/लेबल/मानकों के नाम (उदाहरण के लिए फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयर ट्रेड, रेनफ़ॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) को आपकी इकाई द्वारा अपनाया गया है और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया है। Name of the national and international codes /certifications/ labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fair trade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g.SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	बैंक ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 27001:2013 प्राप्त किया है। गतिविधियों के दायरे में सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता संरक्षण, डेटा सेंटर (DC) और आपदा रिकवरी साइट्स (DRS) का कार्यान्वयन शामिल है। Bank has obtained ISO 27001:2013 for Information Security Management System. The scope of activities includes implementation of information security, Cyber Security & Privacy Protection, Data Centres(DC) and Disaster Recovery Sites (DRS).

5. इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं और लक्ष्य और यदि कोई समय सीमा निर्धारित हो तो वह भी। Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.	एक बैंकिंग इकाई के रूप में पूरी तरह से वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित है और किसी भी निर्माण या कारखाने से संबंधित गतिविधियों में संलग्न नहीं है, बैंक पर्यावरण और समाज पर इसके प्रभाव को कम करते हुए अपने व्यवसाय और अन्य मुख्य कार्यों को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। बैंक मैन्युअल प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करने पर जोर देता है, जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करता है। हालाँकि, बैंक द्वारा कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता निर्धारित नहीं की गई है। As a banking entity solely focused on financial services and not engaged in any manufacturing or factory-related activities, Bank is dedicated to improving its business and other core functions while minimizing its impact on the environment and society. The Bank places emphasis on digitizing manual processes, which helps reduce natural resource usage and minimize its carbon footprint. However, there is no specific commitment set by the Bank.
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों पर इकाई का कार्यनिष्पादन, साथ ही साथ यदि उन्हें पूरा नहीं किया जाता है तो कारण दें Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met	लागू नहीं Not Applicable

अभिशासन, नेतृत्व और निगरानी

7. निदेशक मंडल द्वारा वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।

बैंक अपनी मुख्य नीतियों में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों को एकीकृत करने पर महत्वपूर्ण जोर देता है। पारदर्शिता, नैतिक प्रथाओं और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक ने ग्राहक-केंद्रित उत्पाद लॉन्च किए हैं, अत्याधुनिक डिजिटल समाधान अपनाए हैं और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता दी है। बिजली, ईंधन और कागज की खपत को कम करने और साइबर और सूचना सुरक्षा को मजबूत करने जैसी संघारणीय प्रथाएँ ईएसजी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

बैंक का कॉर्पोरेट प्रशासन व्यावसायिकता और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर आधारित है, और यह वित्तीय समावेशन के प्रयासों का नेतृत्व करना जारी रखता है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया जा सके। इससे उन लोगों के बीच बचत की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिली है जो पहले आर्थिक मुख्यधारा से बाहर थे।

जलवायु परिवर्तन को पर्यावरण और व्यवसाय दोनों के लिए जोखिम मानते हुए, बैंक संघारणीय प्रथाओं के माध्यम से अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने में सक्रिय है। इनमें कागज रहित लेन-देन को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण के अनुकूल रेफ्रिजरेंट्स, ग्रीन जनरेटर और शाखाओं में ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करना शामिल है। ईएसजी प्रथाओं पर हितधारकों के साथ नियमित चर्चा उत्पादों और सेवाओं में निरंतर नवाचार सुनिश्चित करती है, जिससे हमारी दीर्घकालिक स्थिरता मजबूत होती है।

Governance, leadership and oversight

7. Statement by Board of Directors, highlighting ESG related challenges, targets and achievements.

The Bank places significant emphasis on integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into its core policies. With a focus on transparency, ethical practices, and innovation, the Bank has launched customer-centric products, adopted cutting-edge digital solutions, and prioritized employee welfare. Sustainable practices, such as reducing electricity, fuel, and paper consumption, and strengthening cyber and information security, reflect our commitment to ESG.

The Bank's corporate governance is grounded in the principles of professionalism and transparency, and it continues to lead efforts in financial inclusion, bringing marginalized communities into the formal banking system. This has helped foster a culture of savings among those previously excluded from the economic mainstream.

Recognizing climate change as both an environmental and business risk, the Bank is proactive in mitigating its carbon footprint through sustainable practices. These include encouraging paperless transactions, using eco-friendly refrigerants, green generators, and energy-efficient lighting across branches. Regular discussions with stakeholders on ESG practices ensure continuous innovation in products and services, reinforcing our long-term sustainability.

8. व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति (यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण। Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).	बैंक का निदेशक मंडल Board of Directors of the Bank
9. क्या संस्था में धारणीयता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक विशिष्ट समिति है? Does the entity have a specified Committee of the Board/Director responsible for decision making on sustainability related issues?	जी हाँ। बोर्ड की सभी समितियाँ अपने एजेंडे की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार धारणीयता संबंधी मुद्दों को देखती हैं। Yes. All committees of the Board look after the sustainability related issues as per their agenda specific requirement.

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण: /
Details of Review of NGRBCs by the Company:

समीक्षा का विषय Subject for Review	सिद्धांतों की समीक्षा और बारंबारता Review of Principles undertaken by and frequency									
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	
उपर्युक्त नीतियों पर कार्यनिष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई Performance against above policies and follow up action	बैंक की बीआर रिपोर्ट की समीक्षा वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। इस मूल्यांकन के दौरान, नीतियों की प्रभावशीलता की समीक्षा की जाती है और नीतियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन कार्यान्वित किए जाते हैं। BR Report of the Bank is reviewed by the Board of Directors on an annual basis. During this assessment, the efficacies of the policies are reviewed and necessary changes, if any, to policies and procedures are implemented.									
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी गैर-अनुपालन में सुधार Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances	बैंक लागू मौजूदा विनियमों को अनुपालन करता है। The Bank is in compliance with the extant regulations as applicable.									

11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र निर्धारण/मूल्यांकन किया है? (हां/नहीं)? यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।

Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency?(Yes/No). If yes, provide name of the agency.

- नहीं / No

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर 'नहीं' है, अर्थात् सभी सिद्धांत किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कारण बताएं:

If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

- लागू नहीं / Not Applicable

बैंक की नीतियों का प्रतिचित्रण /Mapping of Bank's Policies :

	सिद्धांत Principles	निदर्शी बैंक नीति Illustrative Bank's Policy
पी1 P1	व्यवसायों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से ईमानदारी से आचरण और शासन करना चाहिए Businesses should conduct and govern themselves with integrity in a manner that is ethical, transparent and accountable	अनुपालन नीति, व्हिसिल ब्लोअर नीति, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, लाभांश वितरण दिशानिर्देश, घटनाओं/सूचना के प्रकटीकरण के लिए महत्ता-निर्धारण नीति, सम्बद्ध पक्ष लेनदेन नीति, आंतरिक लोकपाल योजना, ग्राहक अधिकार नीति, केवाईसी एएमएल सीएफटी नीति आदि। Compliance Policy, Whistle Blower Policy, Fraud Risk Management Policy, Dividend Distribution Guidelines, Policy on Determination of Materiality for Disclosure of Events/ Information, Policy on Related Party Transactions, Internal Ombudsman Scheme, Customer Rights Policy, KYC AML CFT Policy, etc.
पी2 P2	कारोबारों को वस्तु एवं सेवाएँ इस प्रकार प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो। Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe.	परिचालन जोखिम पर नीति, उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, दबाव परीक्षण नीति, डेरिवेटिव नीति, ऋण नीति, आस्ति देयता प्रबंधन नीति, बीसीपी - नीति आदि। Policy on Operational Risk, Enterprise Wide Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Policy on Stress Test, Derivative Policy, Loan Policy, Asset Liability Management Policy, BCP - Policy etc.
पी3 P3	व्यवसायों को अपनी मूल्य शृंखला के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains	प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं की भर्ती और नियुक्ति नीति, अधिकारियों एवं पंचाट कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नीति, समान अवसर नीति, यौन उत्पीड़न नीति एवं महिला कर्मचारियों पर नीति, व्हिसिल ब्लोअर नीति आदि। Policy on Recruitment and engagement of Apprentice under Apprentice Act 1961, Promotion Policy for Officers and Award Staff, Equal Opportunity Policy, Sexual Harassment Policy & Policy on Women Employees, Whistle Blower Policy etc.
पी4 P4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए Businesses should respect the interests of and be responsive towards all its stakeholders	उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन नीति, लाभांश वितरण दिशानिर्देश, आस्ति-देयता प्रबंधन नीति, शिकायत निवारण नीति, निष्क्रिय एवं अदावी जमा नीति, ज्ञानार्जन एवं विकास नीति, मृत खाताधारक एवं लापता व्यक्तियों के खातों के निपटान की नीति, आंतरिक लोकपाल योजना, कर्मचारी जवाबदेही नीति, ईएसजी नीति आदि। Enterprise Wide Risk Management Policy, Dividend Distribution Guidelines, Asset Liability Management Policy, Grievance Redressal Policy, Inoperative and Unclaimed Deposits Policy, Learning and Development Policy, Policy on Settlement of Deceased Account Holder & Missing Persons, Internal Ombudsman Scheme, Staff Accountability Policy, ESG Policy etc.

	सिद्धांत Principles	निदर्शी बैंक नीति Illustrative Bank's Policy
पी5	व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए	बैंक की सभी मानव संसाधन संबंधी नीतियां, शिकायत निवारण नीति, यौन उत्पीड़न नीति और महिला कर्मचारियों पर नीति, व्हिसल ब्लोअर नीति, ज्ञानार्जन एवं विकास नीति आदि।
P5	Businesses should respect and promote human rights	All HR Policies of the Bank, Grievance Redressal Policy, Sexual Harassment Policy & Policy on Women Employees, Whistle Blower Policy, Learning and Development Policy etc.
पी6	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिए	डिजिटल ऋण नीति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति आदि।
P6	Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment	Digital Lending Policy, Policy on Corporate Social Responsibility etc.
पी7	व्यवसाय जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो इसे ऐसे तरीके से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो	सांविधिक केंद्रीय एवं शाखा लेखा परीक्षकों के चयन तथा नियुक्ति की नीति, लाभांश वितरण दिशानिर्देश, परिचालन जोखिम नीति, उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति, दबाव परीक्षण नीति, क्रय नीति आदि।
P7	Businesses when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent	Policy on Selection & Appointment of Statutory Central & Branch Auditors, Dividend Distribution Guidelines, Policy on Operational Risk, Enterprise Wide Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Policy on Stress Test Purchase Policy, etc.
पी8	व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए	वित्तीय समावेशन नीति, एमएसएमई नीति, शिकायत निवारण नीति, यौन उत्पीड़न नीति और महिला कर्मचारी नीति, अधिकारियों एवं पंचाट कर्मचारियों की पदोन्नति नीति, ज्ञानार्जन एवं विकास नीति आदि।
P8	Businesses should promote inclusive growth and equitable development	Policy on Financial Inclusion, MSME Policy, Grievance Redressal Policy, Sexual Harassment Policy & Policy on Women Employees, Promotion policy for Officers and Award Staff, Learning and Development Policy etc.
पी9	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए	साइबर सुरक्षा नीति, साइबर संकट प्रबंधन योजना, सूचना सुरक्षा नीति, अनुपालन नीति, कॉर्पोरेट संसूचना नीति, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति, कॉर्पोरेट अभिशासन पर बैंक की आचार संहिता, बीसीपी - नीति, जमा नीति आदि।
P9	Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner	Cyber Security Policy, Cyber Crisis Management Plan, Information Security Policy, Compliance Policy, Corporate Communication Policy, Policy on Corporate Social Responsibility, Bank's Code of Conduct on Corporate Governance, BCP - Policy, Deposit Policy etc.

खंड ग : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन प्रकटन

Section C : Principle wise Performance Disclosure

सिद्धांत 1: व्यवसाय को ईमानदारी अर्थात नीतिसम्मतता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अपना संचालन और नियंत्रण करना चाहिए।

Principle 1: Businesses Should Conduct and Govern Themselves with Integrity, and in a Manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

आवश्यक संकेतक

Essential Indicators

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज प्रतिशत:

Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:

खंड Segment	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या Total number of training and awareness programmes held	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत और उसका प्रभाव Topics / principles covered under the training and its impact	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत %age of persons in respective category covered by the awareness programmes
निदेशक मंडल (बीओडी) Board of Directors (BOD)	3	निदेशक विकास कार्यक्रम, आईटी और साइबर सुरक्षा में प्रमाणन पाठ्यक्रम Director's Development Programme, Certification course in IT & Cyber Security	37.50
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) Key Managerial Personnel (KMP)	6	साइबर जागरूकता, योजना और विश्लेषण, नेतृत्व के लिए लोगों की उत्कृष्टता, सीएफओ के लिए विशेष प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा और फ़िशिंग जागरूकता Cyber Jagrookta, Planning & Analytics, People excellence for leadership, Special training for CFOs, Cyber Security & Phishing Awareness	100
बीओडी/केएमपी को छोड़कर अन्य कर्मचारी Employees other than BOD/KMP	619	प्रेरण कार्यक्रम, अभिविन्यास कार्यक्रम, पुनश्चर्या कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम Induction Programme, Orientation Programme, Refresher's Programme, Skill Development Programme	72.80
श्रमिक / Workers		लागू नहीं / Not Applicable	

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाहियों (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/सजा/पंचाट/ योग किया गया शुल्क/ निपटान राशि का विवरण:
(नोट: संस्था सेबी(सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण दायित्व) विनियमन, 2015 के विनियम 30 में विनिर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट में प्रकट की गई तथ्यपरकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी।):

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions in FY 2024-25 :
(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

मौद्रिक / Monetary					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत NGRBC Principle	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	राशि (रुपए में) Amount (In Rs.)	प्रकरण की संक्षिप्त विवरण Brief of the Case	क्या अपील दायर की गई है?(हां/नहीं) Has an appeal been preferred? (Yes/No)
शास्ति/जुर्माना Penalty/Fine	बैंक द्वारा भुगतान किया गया शास्ति/जुर्माना/समझौता/ संयोजन शुल्क, यदि कोई हो, बैंक की गुरुता नीति के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं है और वित्तीय परिणामों के हिस्से के रूप में खातों के नोट में तिमाही आधार पर प्रकट किया जाता है। Penalty/Fine/Settlement/Compounding fee, if any, paid by the Bank is not material as per the Materiality policy of the Bank and are being disclosed on a quarterly basis in the notes to accounts forming part of financial results.				
समझौता Settlement					
संयोजन शुल्क Compounding fee					
गैर-मौद्रिक / Non-Monetary					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत NGRBC Principle	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	राशि (रुपए में) Amount (In Rs.)	प्रकरण की संक्षिप्त विवरण Brief of the Case	क्या अपील दायर की गई है?(हां/नहीं) Has an appeal been preferred? (Yes/No)
कारावास Imprisonment	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
दंड Punishment	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, अपील/संशोधन का विवरण उन मामलों में पसंद किया जाता है जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई हो।

- लागू नहीं

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

जी हाँ। बैंक ने हिस्सल ब्लोअर नीति बनाई है और यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (वेबलिंक [Webblink https://ucobank.com/documents/d/guest/whistle-blower-policy-for-fy-2024-26-1](https://ucobank.com/documents/d/guest/whistle-blower-policy-for-fy-2024-26-1))

नीति का उद्देश्य बैंक में कार्यपालकों/अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को उजागर करके भ्रष्टाचार को कम करना और हिस्सल ब्लोअर की सुरक्षा करना है। बैंक उच्चतम नैतिक मानकों के साथ और सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हुए कारोबार करने और अपने सभी हितधारकों के साथ व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the appeal/revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.

- Not Applicable

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

Yes. The Bank has framed Whistle Blower Policy and the same is available on Bank's Website.(Weblink <https://ucobank.com/documents/d/guest/whistle-blower-policy-for-fy-2024-26-1>)

The objective of the policy is to reduce corruption and safeguarding whistle blower who sounded the misuse of power by Executives/Officers in the bank from victimization. The Bank is committed towards conducting the business and dealing with all its stakeholders, with highest ethical standards and in compliance with all the applicable laws and regulations.

बैंक के आंतरिक पोर्टल पर व्हिसलर ब्लोअर के लिए एक अलग लिंक बनाया गया है। संस्था के भीतर चल रही किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों / धोखाधड़ी / निवारक सतर्कता को लागू करने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए यह लिंक उपलब्ध है। पोर्टल व्हिसलर ब्लोअर के बारे में सभी जानकारी और घटना/सूचना का पूरा विवरण दर्ज करेगा। इस लिंक पोर्टल का उपयोग करके दर्ज किए गए विवरण को विशेष रूप से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा एक्सेस किया जाएगा।

A separate link for the Whistle Blower has been created inside Bank's Internal portal. The link is accessible to all employees of the Bank to share information about any unlawful activities going on within organization / frauds / steps required to implement preventive vigilance. The portal will capture all information about the Whistle Blower and complete details of incident/information. The details entered using this link portal will be accessed exclusively by Chairman of the Audit Committee of Board.

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24
निदेशक / Directors	शून्य / Nil	शून्य / Nil
केएमपी / KMP's	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कर्मचारी / Employees	शून्य / Nil	शून्य / Nil
श्रमिक / Workers	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25		वित्तीय वर्ष / FY 2023-24	
	संख्या Number	टिप्पणियाँ Remarks	संख्या Number	टिप्पणियाँ Remarks
निदेशकों के हितों के टकराव के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या। Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	शून्य Nil	-	शून्य Nil	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	शून्य Nil	-	शून्य Nil	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में जुर्माने/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

- शून्य

- Nil

8. निम्नलिखित प्रारूप में देय खातों (देय खाते *365) के दिनों की संख्या/ खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत):

8. Number of days of accounts payables (Accounts payable *365) / Cost of goods/services procured) in the following format:

	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24
देय खातों के दिनों की संख्या Number of days of account payables	15.34	25.65

नोट: इस बिंदु के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया गया है /Note: Reasonable Assurance obtained for this Point

9. कारोबार का खुलापन

निम्नलिखित प्रारूप में व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद एवं बिक्री के साथ-साथ ऋण, अग्रिम और निवेश की जानकारी प्रदान करें:

9. Open-ness of business

Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties, in the following format:

मापदंड/ Parameter	मैट्रिक्स/ Metrics	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24
खरीद का संकेन्द्रण Concentration of Purchases	क) कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद a. Purchases from trading houses as % of total purchases.	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable
	ख) व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है b. Number of trading houses where purchases are made from	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable
	ग) व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीदारी c. Purchases from top 10 trading houses as% of total purchases from trading houses	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable
बिक्री का संकेन्द्रण Concentration of Sales	क) कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरकों को बिक्री a. Sales to dealers/distributors as % of total sales	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable
	ख) डीलरों/वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है b. Number of dealers/distributors to whom sales are made	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable
	ग) डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री c. Sales to Top 10 dealers/distributors as % of total sales to dealers/distributors	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable
इसमें आरपीटी का भाग Share of RPTs in	क) खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद) a. Purchases (Purchases with related parties/Total purchases)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ख) बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री) b. Sales (Sales to related parties/Total Sales)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ग) ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम) c. Loans & Advances (Loans & Advances given to related parties/Total loans & advances)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	घ) संबंधित पक्षों में निवेश/किया गया कुल निवेश d. Investments in related parties/Total investment made	0.28%	0.26%

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य शृंखला भागीदारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- शून्य

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएँ हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण दें।

हाँ। बैंक ने अपने बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बैंक प्रत्येक निदेशक से वार्षिक आधार पर एक घोषणा प्राप्त करता है जिसमें अन्य संस्थाओं के साथ उनके हितों/संबंधों का खुलासा किया जाता है। अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचे के तहत, बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन कर्मियों पर लागू एक आचार संहिता लागू की है। यह आचार संहिता हितों के टकराव को रोकने के लिए क्या करें और क्या न करें की रूपरेखा तैयार करती है और निदेशकों को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकती है जो ऐसे टकरावों को जन्म दे सकती है। प्रत्येक निदेशक वार्षिक आधार पर हस्ताक्षरित घोषणा के माध्यम से आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करता है।

सिद्धांत- 2 : व्यवसाय को ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों

आवश्यक संकेतक

1. उत्पाद के पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत और क्रमशः संस्थान द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश की प्रक्रियाएँ।

	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण Details of improvements in environmental and social impacts
आर एंड डी R & D	लागू नहीं / Not Applicable		
कैपेक्स CAPEX			

बैंक के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, विशिष्ट तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास निवेश के लिए सीमित अवसर और गुंजाइश थी जो बैंकिंग उत्पादों और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बढ़ा सके।

बैंक का पूँजी निवेश प्रमुखतः सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कैपेक्स तक सीमित है। डिजिटल प्लेटफार्मों को अधिकता से अपनाने से न केवल प्रचालनों की कार्यक्षमता बढ़ती है बल्कि कागज की खपत में भी बहुत हद तक कमी आना सुनिश्चित होता है जिससे कार्बन फुटप्रिंट परोक्ष रूप से घटता है।

2. ए. क्या संस्था के पास टिकाऊ सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएँ हैं?

नहीं। वित्तीय सेवा प्रदाता होने के नाते, संसाधनों की खपत इसकी सेवा-संबंधित परिचालनों तक ही सीमित है। उपकरणों की खरीद के लिए, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, लाइटिंग डिवाइस, एसी आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के दौरान ऊर्जा दक्षता मानकों पर विचार किया जाए। इसके अलावा, बैंक सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) प्लेटफॉर्म के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं

Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the principles during the financial year.

- Nil

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the board? (Yes/ No) If yes, provide details of the same.

Yes. The Bank has established processes to avoid and manage conflicts of interest involving its Board members. As part of this process, Bank obtains declaration on an annual basis from each Director disclosing their interests/ associations with other entities. Under its Corporate Governance framework, the Bank has implemented a Code of Conduct applicable to all Directors and Core Management personnel. This Code of Conduct outlines the dos and don'ts to prevent conflicts of interest and restrains Directors from engaging in any activities that may give rise to such conflicts. Each Director affirms compliance with the Code of Conduct through a signed declaration on an annual basis.

Principle 2 : Businesses Should Provide Goods and Services in a Manner that is Sustainable and Safe

Essential Indicators

1. Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively

Given the nature of business of the Bank, there were limited opportunities and scope for R&D investments in specific technologies that could enhance the environmental and social impacts of banking products and processes.

Bank capital investment is largely restricted to Information Technology (IT) capex. Greater adoption of digital platforms not only brings in increased efficiencies of operations but also ensures substantially reduced consumption of paper, thereby indirectly reducing the carbon footprints.

2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing?

No. Being a financial service provider, consumption of resources is limited to its service-related operations. For procurement of equipment, the Bank ensures that energy efficiency standards are considered during the purchase of electronic equipment such as computers, laptops, lighting devices, AC's etc. Further, Bank is complying with Department

की खरीद के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के आदेश का अनुपालन कर रहा है।

बी. यदि हां, तो कितने प्रतिशत निविष्टियों को टिकाऊ रूप से प्राप्त किया गया?

लागू नहीं

3. (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-अपशिष्ट (सी) हानिकारक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट के लिए उनके जीवन के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) - लागू नहीं

बी) ई-अपशिष्ट - व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, पुनर्नवीनीकरण किए गए माल को प्रोसेस किए हुए साधनों के रूप में उपयोग में लाने की गुंजाइश बैंक में कम ही है। तथापि, बैंक की अपनी आईटी निपटान नीति है जिसके अंतर्गत बैंक की आईटी परिसंपत्तियाँ एक दफा सपोर्ट समाप्त होने या चलन से बाहर होने के पश्चात दोबारा उपयोग नहीं की जा सकती, और एक बार दुरुस्त करने या उपयोग करने के अयोग्य हो जाने पर अनुमोदित ई-अपशिष्ट डीलरों/रीसाइक्लरों के जरिए कबाड़ के रूप में उनका निपटान कर दिया जाता है।

सी) हानिकारक अपशिष्ट - व्यवसाय की प्रकृति ही ऐसी है कि हानिकारक अपशिष्ट का उत्पादन नहीं होता है।

डी) अन्य अपशिष्ट - व्यवसाय की प्रकृति की वजह से प्रासंगिक नहीं है। हालांकि बैंक ने डिजिटल अपनाकर कागज का उपयोग कम किया है।

4. क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होता है (हां/नहीं)? यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

बैंक के लिए लागू नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (निर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें?

of Financial Services (DFS) mandate of procurement of goods and services through Government e-Marketplace (GeM) platform.

b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?

Not Applicable

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste

a) Plastics (including packaging) - Not Applicable

b) E-waste - Given the nature of business, Bank has limited scope to use recycled material as processed inputs. However, Bank has IT Asset Disposal policy in terms of which IT assets of the Bank cannot be reused once it reaches end of support or becomes obsolete and are disposed off as scrap to approved e-waste dealers / recyclers once they becomes irreparable or non-reusable.

(c) Hazardous waste - Owing to the nature of business, there is no generation of hazardous waste.

(d) Other waste - Not relevant owing to the nature of business. However, Bank reduced the use of paper in its operations by going digital.

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.

Not Applicable for Banks.

Leadership Indicators

1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?

एनआईसी कोड	सेवा का नाम	टर्नओवर का प्रतिशत योगदान	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन किया गया था	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें।
NIC Code	Name of Service	% of Turnover contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/ No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link.
बैंक के लिए लागू नहीं / Not Applicable for Bank					

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसको कम करने के लिए कार्रवाई के साथ-साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें।

2. If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.

उत्पाद/सेवा का नाम Name of Product / Service	जोखिम/संस्था का विवरण Description of the risk / concern	की गई कार्रवाई Action Taken
बैंक के लिए लागू नहीं / Not Applicable for Bank		

3. उत्पादन (निर्माण उद्योग के लिए) या सेवा प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्याधारित) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).

इनपुट सामग्री इंगित करें Indicate input material	कुल सामग्री के लिए पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री Recycled or re-used input material to total material	
	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24
व्यवसाय की प्रकृति की वजह से प्रयोज्य नहीं है / Not applicable owing to the nature of business		

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) का पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान।

4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed.

	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25			वित्तीय वर्ष / FY 2023-24		
	पुनः उपयोग Re-Used	पुनर्नवीनीकरण Recycled	सुरक्षित रूप से निपटारा Safely Disposed	पुनः उपयोग Re-Used	पुनर्नवीनीकरण Recycled	सुरक्षित रूप से निपटारा Safely Disposed
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)/ Plastics (including packaging)	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA
ई-अपशिष्ट/E-waste	शून्य/Nil	शून्य/Nil	22 टन/tonnes	शून्य/Nil	शून्य/Nil	9 टन/tonnes
हानिकारक अपशिष्ट Hazardous waste	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA
अन्य अपशिष्ट Other Waste	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त किए गए उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.

उत्पाद श्रेणी इंगित करें Indicate Product category	पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के प्रतिशत Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category
व्यवसाय की प्रकृति की वजह से प्रयोज्य नहीं है / Not applicable owing to the nature of business	

सिद्धांत-3 : व्यवसायों को सभी कर्मचारियों तथा मूल्य शृंखला में शामिल लोगों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

Principle 3 : Businesses Should Respect and Promote The Well-being of all Employees, including those in their Value Chains

आवश्यक संकेतक

Essential Indicators

1. ए. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

1. a. Details of measures for the well-being of employees:

श्रेणी Category	कवर किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत / % of employees covered by										
	कुल (ए) Total (A)	स्वास्थ्य बीमा Health Insurance		दुर्घटना बीमा Accident Insurance		मातृत्व लाभ Maternity benefits		पितृत्व लाभ Paternity benefits		डे केयर सुविधाएं Day Care facilities	
		संख्या (बी) No. (B)	% (बी/ए)/ (B/A)	संख्या (सी) No. (C)	% (सी/ए)/ (C/A)	संख्या (डी) No. (D)	% (डी/ए)/ (D/A)	संख्या (ई) No. (E)	% (ई/ए)/ (E/A)	संख्या (एफ) No. (F)	% (एफ/ए)/ (F/A)
स्थायी कर्मचारी / Permanent Employees											
पुरुष MALE	14913	14913	100	-	-	-	-	14913	100	-	-
महिला FEMALE	6136	6136	100	-	-	6136	100	-	-	-	-
कुल TOTAL	21049	21049	100	-	-	6136	29.15	14913	70.85	-	-
स्थायी कर्मचारी के अलावे / Other than Permanent Employees											
पुरुष MALE	लागू नहीं / Not Applicable										
महिला FEMALE											
कुल TOTAL											

बी. श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:
लागू नहीं

b. Details of measures for the well-being of workers :
Not applicable

सी. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों एवं श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य सहित) के कल्याण के उपायों पर खर्च करना -

c. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format -

	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25
बैंक के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण के उपायों व्ययगत लागत Cost incurred on well-being measure as a % of total revenue of the bank	0.39	0.42

नोट: इस बिंदु के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया गया है।

Note : Reasonable Assurance obtained for this point.

2. वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण

2. Details of retirement benefits for the Current and Previous Financial Year

लाभ Benefits	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25		वित्तीय वर्ष / FY 2023-24	
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या No. of employees covered as a % of total employees	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं)। Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या No. of employees covered as a % of total employees	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं)। Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
पीएफ़ PF	15.42	हाँ / Y	17.35	हाँ / Y
ग्रेच्युटी Gratuity	100	हाँ / Y	100	हाँ / Y
ईएसआई ESI	लागू नहीं / NA	हाँ / Y	लागू नहीं / NA	हाँ / Y
अन्य - एनपीएस Others - NPS	84.58	हाँ / Y	82.65	हाँ / Y

3. कार्यस्थलों तक पहुँच

3. Accessibility of workplaces

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, संस्था के परिसर/कार्यालय अलग-अलग विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

हां, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं।

Yes, the premises/offices are accessible to differently abled employees as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

4. क्या संस्था के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि ऐसा है, तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

बैंक की समान अवसर नीति है जो निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है : <https://www.ucobank.com/documents/d/guest/equal-opportunity-policy-2022-23>

Bank has Equal Opportunity Policy which is available on the following web link : <https://www.ucobank.com/documents/d/guest/equal-opportunity-policy-2022-23>

5. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर -

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.-

स्थायी कर्मचारी / Permanent employees		
लिंग Gender	काम पर वापसी का दर Return to work rate	प्रतिधारण दर Retention rate
पुरुष / Male	100%	100%
महिला / Female	100%	100%
कुल / Total	100%	100%

6. क्या कर्मचारियों और श्रमिकों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and workers? If yes, give details of the mechanism in brief.

	हाँ / नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें) Yes/No (if yes, give details of the mechanism in brief)
स्थायी कर्मचारी Permanent Employees	जी हाँ। बैंक के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र है। कर्मचारी बैंक आंतरिक एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं Yes. Bank has a Grievance Redressal Mechanism for its employees. Employees can raise their grievances through Bank Internal HRMS Portal
स्थायी कर्मचारियों के अलावा Other than Permanent Employees	लागू नहीं / Not Applicable
स्थायी श्रमिक Permanent Workers	लागू नहीं / Not Applicable
स्थायी श्रमिकों के अलावा Other than Permanent workers	लागू नहीं / Not Applicable

7. बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता :

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the Bank:

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25			वित्तीय वर्ष / FY 2023-24		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी (ए) Total employees in respective category (A)	संबंधित श्रेणी में एसोसिएशन या यूनियन में शामिल कर्मचारियों की संख्या (बी) No. of employees in respective category, who are part of association(s) or Union (B)	% (बी/ए) % (B/A)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी (सी) Total employees in respective category (C)	संबंधित श्रेणी में एसोसिएशन या यूनियन में शामिल कर्मचारियों की संख्या (डी) No. of employees in respective category, who are part of association(s) or Union (D)	% (डी/सी) % (D/C)
कुल स्थायी कर्मचारी Total Permanent Employees	21049	19047	90.48	21456	19333	90.11
- पुरुष/Male	14913	13346	89.49	15266	13620	89.22
- महिला/Female	6136	5701	92.91	6190	5713	92.29
कुल स्थायी श्रमिक Total Permanent workers	लागू नहीं / Not Applicable #					
- पुरुष /Male						
- महिला/Female						

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:

8. Details of training given to employees and workers :

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25					वित्तीय वर्ष / FY 2023-24				
	कुल (ए) Total (A)	स्वास्थ्य और सुरक्षा/ कल्याण पर On health and safety/wellness measures		कौशल उन्नयन पर On skill upgradation		कुल (डी) Total (D)	स्वास्थ्य और सुरक्षा/ कल्याण पर On health and safety/wellness measures		कौशल उन्नयन पर On skill upgradation	
		(बी) (B)	% (बी/ए)/ (B/A)	(सी) (C)	% (सी/ए)/ (C/A)		(ई) (E)	% (ई/डी)/ (E/D)	(एफ) (F)	% (एफडी) (F/D)
कर्मचारी / Employees										
पुरुष MALE	14921	3535	23.69	10781	72.25	15266	2759	18.07	11459	75.06
महिला FEMALE	6137	1222	19.91	4547	74.09	6190	968	15.64	4740	76.58
कुल TOTAL	21058	4757	22.59	15328	72.79	21456	3727	17.37	16199	75.50
श्रमिक / Workers										
पुरुष MALE	लागू नहीं / Not Applicable									
महिला FEMALE										
कुल TOTAL										

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के कार्यनिष्पादन और करियर विकास समीक्षा का विवरण:

9. Details of performance and career development reviews of employees and workers:

श्रेणी/ Category	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25			वित्तीय वर्ष / FY 2023-24		
	कुल (ए)/ Total (A)	संख्या (बी)/ No. (B)	% (बी/ए)/ % (B/A)	कुल (सी)/ Total (C)	संख्या (डी)/ No. (D)	% (डी/सी)/ % (D/C)
कर्मचारी / Employees						
पुरुष/Male	14913	9260	62.09	15266	9256	60.63
महिला/Female	6136	3930	64.05	6190	3876	62.62
कुल/Total	21049	13190	62.66	21456	13132	61.20
श्रमिक / Workers						
पुरुष/Male	लागू नहीं / Not Applicable #					
महिला/Female						
कुल/Total						

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :

ए) क्या संस्थान द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/नहीं)? यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था के बारे में बताएं।

हमारे पास पूरे भारत में फैली सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में एक सक्रिय जीविका स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है।

बी) कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और संस्थान द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

कारोबार के प्रकार को देखते हुए यह प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं है। तथापि नियत अवधि पर फायर मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है, जिससे कि जोखिमों का आकलन किया जा सके तथा संबंधित कर्मचारियों में जागरूकता पैदा की जा सके।

सी) क्या आपके पास काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और कर्मचारियों को ऐसे जोखिमों से दूर रखने के लिए के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) -

लागू नहीं

डी) क्या कर्मचारियों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)

जी हाँ, सभी बैंक कर्मचारियों को आईबीए के द्वारा यथानिर्धारित समूह स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमारक्षित किया गया है। बीमित राशि से अधिक के खर्च को भी नियमों और शर्तों के अधीन कारपोरेट अधिशेष के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। बैंक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे वार्षिक स्वास्थ्य जांच सुविधा, वार्षिक चिकित्सा भत्ता, चश्मे की लागत की प्रतिपूर्ति, नियत अवधि पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच आदि।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण :

सुरक्षा घटना/संख्या Safety incident/number	श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2023-24	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23
काम के समय चोट/घटना बारंबारता दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति के कार्य घंटे में) Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked) कुल रिकॉर्ड करने योग्य काम से संबंधित चोटें Total recordable work-related injuries सुविधाओं की संख्या No. of fatalities उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर) High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	कर्मचारी और श्रमिक Employees & Workers	लागू नहीं / Not Applicable	

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्थान द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

सुरक्षा और संरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुपालन में, हमने सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में व्यापक उपाय किए हैं। इसमें आग के खतरों को कम करने के लिए अग्निशामक यंत्रों और

10. Health and Safety management system :

a) Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

We have an active occupational health and safety management system at all the branches & administrative offices spreading across Pan India.

b) What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity? -

Given the nature of business, this is not directly applicable. However, fire mock drills are conducted on a periodical basis for assessing the risks and creating awareness among the employees concerned.

c) Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N) -

Not Applicable

d) Do the employees have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

Yes. All employees of Bank are covered under Group Health Medical Insurance policy as envisaged by IBA. Expenses incurred over and above the sum insured are also covered under Corporate Buffer subject to terms & conditions. Bank also provides health related facilities viz. Yearly Health Checkup facility, Annual Medical Allowance, reimbursement of cost of spectacles, periodic free health checkup camp etc.

11. Details of safety related incidents :

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

In adherence to our commitment to safety and security, we have implemented comprehensive measures across all branches and administrative offices. This includes the

हमारी ऊंची इमारतों में अग्नि हाइड्रेंट तथा अलार्म प्रणाली का संस्थापन शामिल है। इसके अलावा, अपनी परिसंपत्ति और अपने कर्मियों दोनों की सुरक्षा के लिए देश भर में हमने अपनी सभी शाखाओं में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और डिजिटल फायर सह बर्गलर अलार्म प्रणाली स्थापित किए हैं।

अपने प्रधान कार्यालयों में, हमने आगंतुकों की पहुंच को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए सक्रिय आगंतुक प्रबंधन प्रणाली और फ्लैप बाधाओं का एकीकरण किया है। इसके अतिरिक्त, संभावित खतरों या निषिद्ध वस्तुओं की पहचान और रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए, कर्मचारियों और आगंतुकों दोनों के सामानों की पूरी तरह से जांच करने के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर मशीनें लगाई गई हैं।

13. कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या :

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25			वित्तीय वर्ष / FY 2023-24		
	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks
कार्य की स्थिति Working conditions	-	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य व सुरक्षा Health & Safety	-	-	-	-	-	-

14. वर्षभर के लिए आकलन / Assessments for the year :

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया था (किसी संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा) % of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
स्वास्थ्य और सुरक्षा आचरण / Health and Safety practices	100%*
कार्य की स्थिति / Working Conditions	लागू नहीं / Not Applicable

* बैंक के पास विभिन्न वार्षिक रखरखाव अनुबंध हैं जो इसके कार्यालयों/शाखाओं के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रथाओं से संबंधित हैं /
Bank has various annual maintenance contracts which deals with various safety practices for its offices/branches

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) से निपटने के लिए और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

बैंक ने समय-समय पर अपने मुख्यालय में पुलिस विभाग और पश्चिम बंगाल के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के सहयोग से मॉक फायर ड्रिल का आयोजन किया, ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और हमारे कर्मियों को अप्रत्याशित आग की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जा सके। इसके अलावा, अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश और व्यापक दिशा-निर्देश हमारी सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में अग्निशामक यंत्रों के उचित उपयोग के लिए प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए हैं। स्टाफ सदस्यों को पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों के सही संचालन और प्रभावी उपयोग पर जागरूकता सत्र भी प्रदान किया गया।

installation of fire extinguishers to mitigate fire risks and the deployment of fire hydrants and alarm systems in our high-rise buildings. Furthermore, to safeguard both our assets and the well-being of our personnel, we have deployed CCTV surveillance systems and Digital Fire cum Burglar alarm systems throughout our branches nationwide.

At our Head Offices, we have integrated Active Visitor Management system and Flap barriers to regulate visitor access effectively. Additionally, X-ray baggage scanner machines have been installed to thoroughly screen the belongings of both staff and visitors, ensuring the identification and prevention of potential threats or prohibited items.

13. Number of Complaints on the following made by employees :

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

Bank organized a mock fire drill in collaboration with the Police Department and Fire & Emergency Services Department of West Bengal at our Head Office from time to time to enhance awareness and equip our personnel with the necessary skills to respond effectively to unforeseen fire incidents. Furthermore, necessary instructions and comprehensive guidelines for fire safety are prominently displayed at all our branches and administrative offices for the appropriate usage of fire extinguishers. Staff members were also provided with an awareness session on the correct handling and effective use of portable fire extinguishers.

नेतृत्व संकेतक

1. क्या कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में संस्था किसी जीवन बीमा या किसी क्षतिपूर्ति पैकेज लागू करती है कर्मचारी (हाँ/नहीं) - हाँ

बैंक अनुकंपा नियुक्ति नीति के अंतर्गत दिवंगत कर्मचारी के जीवन साथी / निर्भर परिजन को रोजगार की पेशकश करता है। भविष्य निधि, उपदान, अधिवर्षिता और कर्मचारी जमानिधि संबंधी बीमा जैसे लाभ यथाप्रयोज्य प्राथमिकता आधार पर निपटाए जाते हैं।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य शृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक रूप से देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, बैंक द्वारा किए गए उपाय प्रदान करें।

बैंक सुनिश्चित करता है कि बैंक के दायरे में आनेवाले लेन-देन पर यथाप्रयोज्य सांविधिक शुल्क विद्यमान विनियमों के अनुसार काटकर जमा किए जा रहे हैं। इस गतिविधि की भी आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में समीक्षा की जाती है। बैंक अपेक्षा करता है कि उसकी मूल्य शृंखला के भागीदार कारोबार उत्तरदायित्व सिद्धांतों तथा पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के मूल्यों का पालन करेंगे।

3. उन कर्मचारियों की संख्या दें, जिन्हें अत्यधिक परिणामी कार्य-संबंधित चोट/बीमारी/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की Q11 में रिपोर्ट किया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें अनुपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

	प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की कुल संख्या Total no. of affected employees/workers		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24
कर्मचारी / Employees	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
श्रमिक / Workers	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

4. क्या संस्था सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर रोजगार और कैरियर के अंत के प्रबंधन की सुविधा के लिए परिवर्तन-काल सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

जी हाँ, बैंक किसी कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान व्यापक अधिगम को प्राथमिकता देता है, जिसमें उनके प्रारंभिक प्रेरण, नौकरी पर चल रहे प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि कार्यक्रम से लेकर नेतृत्व विकास, ज्ञान और पेशेवर विकास के निरंतर एकीकरण को बढ़ावा देना शामिल है।

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of Employees (Y/N) - Yes

Bank offers employment to spouse /dependent of deceased employee as per compassionate Appointment Policy of the Bank. Benefits like provident fund, gratuity, superannuation and employees' deposit linked insurance, as applicable, are settled on a priority basis.

2. Provide the measures undertaken by the Bank to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

The Bank ensures that statutory dues as applicable to the transactions within the remit of the Bank are deducted and deposited in accordance with extant regulations. This activity is also reviewed as part of the internal and statutory audit. The Bank expects its value chain partners to uphold business responsibility principles and values of transparency and accountability.

3. Provide the number of employees having suffered high consequence work-related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

4. Does the entity provide transition assistance programmes to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/No) -

Yes. The Bank prioritizes comprehensive learning throughout an employee's journey, spanning from their initial induction, ongoing on-the-job training, skill enhancement programs, to leadership development, fostering a continuous integration of knowledge and professional growth.

5. मूल्य शृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण

5. Details on assessment of value chain partners

	मूल्य शृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था % of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं / Health and Safety practices	शून्य/Nil
कार्य दशा / Working Conditions	

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के आकलन और मूल्य शृंखला भागीदारों की कार्य दशाओं से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.

Not Applicable

सिद्धांत 4 : व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

Principle 4 : Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

आवश्यक संकेतक

Essential Indicators

1. संस्थान के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें

बैंकिंग संस्था होने के नाते, निवेशक, विक्रेता, नियामक, कर्मचारी, ग्राहक, व्यापक रूप से समुदाय, आदि बैंक के हितधारक हैं। प्रमुख हितधारक समूह की पहचान करने के लिए बैंक के पास कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है।

2. अपनी संस्था के लिए मुख्य रूप में पहचान किए गए हितधारक समूहों की सूची बनाएँ तथा प्रत्येक के हितधारक समूह में उनके जुड़ाव की बारंबारता बताएँ।

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

Being a banking entity, stakeholders of the bank are, investors, vendors, Government, Regulators, employees, customers, communities at large etc.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

हितधारक समूह Stakeholder group	क्या असुरक्षित और सीमांत ग्रुप की तरह चिन्हित है (हाँ/नहीं) Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, अखबार, पत्र, विज्ञापन, समुदाय बैठकें, सूचना पट्ट, वेबसाइट), अन्य Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	जुड़ाव की बारंबारता (वार्षिक / अर्ध-वार्षिक/ त्रैमासिक / अन्य - कृपया उल्लिखित करें) Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/Quarterly / others - please specify)	जुड़ाव के उद्देश्य एवं गुंजाइश और ऐसे जुड़ाव के दौरान मुख्य मुद्दा और व्यक्त की गई चिंताएँ Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
कर्मचारी Employees	नहीं No	एसएमएस, ई-मेल और प्रत्यक्ष एवं अन्य संचार माध्यम SMS, E-mail and Direct and other modes of communication	बार-बार और आवश्यकता आधारित Frequent and need based	उन्हें बैंक के मिशन और नई नीतियों के बारे में अद्यतन रखने के लिए To Keep them updated about the mission and new policies of the Bank

शेयरधारक Shareholders	नहीं No	समाचार पत्र, बैंक और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, शेयरधारकों की बैठक, ईमेल Newspaper, Website of Bank and stock Exchanges, Shareholder's Meeting	बार-बार और आवश्यकता आधारित Frequent and event based	उन्हें बैंक के नवीनतम घटनाक्रम के बारे में अद्यतन रखने के लिए To Keep them updated about the latest development of the Bank
ग्राहक Customers	नहीं No	एसएमएस, ई-मेल, पत्र SMS, Email, Letter	बार-बार Frequent	उन्हें बैंक के नवीनतम घटनाक्रम के बारे में अद्यतन रखने के लिए To Keep them updated about the latest development of the Bank
नियामक अर्थात् आरबीआई, सेबी आदि। Regulators viz. RBI, SEBI etc.	नहीं No	ई-मेल, पत्र, बैठकें Email, Letter, Meetings	निर्देशानुसार As per Direction	-
भारत सरकार Government of India	नहीं No	ई-मेल, पत्र, बैठकें Email, Letter, Meetings	निर्देशानुसार As per Direction	-

नेतृत्व संकेतक

1. हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाओं की जानकारी दें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो ऐसे परामर्शों से प्रतिक्रिया कैसे बोर्ड को प्रदान की जाती है।

आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत बैंक द्वारा किए गए कई उपायों को वार्षिक रिपोर्ट के निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण अनुभाग में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे शेयरधारकों के साथ साझा किया जाता है और बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। शेयरधारकों को शेयरधारक बैठकों के दौरान आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं सहित विभिन्न विषयों पर बोर्ड के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान किया जाता है। बैंक नियमित अंतराल पर ग्राहक बैठकें और टाउन हॉल बैठकें भी आयोजित करता है, जहाँ इन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उनका समाधान किया जाता है।

2. क्या पर्यावरण, और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन के अनुसमर्थन के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां / नहीं)? यदि ऐसा है, तो उदाहरणों का विवरण दें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्थान की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया।

हां। नीतियों को तैयार करने और उत्पादों को डिजाइन करते समय हितधारकों से प्राप्त इनपुट को ध्यान में रखा जाता है। ग्राहक बैठकों, टाउन हॉल सत्रों और शिकायत चैनलों से प्राप्त फीडबैक ने बैंक को सेवा वितरण को बढ़ाने, समावेशी बैंकिंग को बढ़ावा देने और अपने प्रस्तावों में पर्यावरण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार प्रथाओं को शामिल करने में मदद की है।

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

Several measures undertaken by the Bank under economic, environmental, and social segments are presented in the Directors Report and Management Discussion and Analysis Section of the Annual Report, which is shared with shareholders and published on the Bank's website. Shareholders are provided opportunities to deliberate with members of the Board on various topics, including economic, environmental, and social aspects, during shareholder meetings. The Bank also conducts customer meets and town hall meetings at regular intervals, where issues related to these segments are discussed and addressed.

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

Yes. Inputs received from stakeholders are taken into account while formulating policies and designing products. Feedback from customer meets, town hall sessions, and grievance channels has helped the Bank enhance service delivery, promote inclusive banking, and incorporate environmentally and socially responsible practices into its offerings.

3. कमजोर/सीमांत के हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों के साथ जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

बैंक वित्तीय समावेशन और सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों के साथ जुड़कर कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है और उनका समर्थन करता है। PMAY (होम लोन), मुद्रा लोन और PM स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से, बैंक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, कम आय वाले समूहों, छोटे और सीमांत किसानों, महिला लाभार्थियों और अन्य वंचित समुदायों को सुलभ ऋण प्रदान करता है। ये प्रयास कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

सिद्धांत 5 : व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और कामगारों जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों और नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.

The Bank actively engages with and supports vulnerable and marginalized stakeholder groups by aligning with various Government initiatives aimed at financial inclusion and social upliftment. Through schemes such as PMAY (home loans), MUDRA loans, and PM SVANidhi, the Bank provides accessible credit to economically weaker sections, low-income groups, small and marginal farmers, women beneficiaries, and other underserved communities. These efforts reflect the Bank's continued commitment to empowering vulnerable segments and promoting inclusive growth.

Principle 5 : Businesses Should Respect and Promote Human Rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) :

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2024-25			वित्तीय वर्ष / FY 2023-24		
	कुल (ए) Total (A)	शामिल कर्मचारियों की संख्या (बी) No. of employees covered (B)	% (बी/ए)/ (B/A)	कुल (सी) Total (C)	शामिल कर्मचारियों की संख्या (डी) No. of employees covered (D)	% (डी/सी)/ (D/C)
कर्मचारी / Employees						
स्थायी कर्मचारी Permanent employees	21049	86	0.41	21456	29	0.13
स्थायी के अलावा Other than permanent	09	-	-	-	-	-
कुल कर्मचारी Total Employees	21058	86	0.41	21456	29	0.13
श्रमिक / Workers #						
स्थायी के अलावा Permanent Workers	लागू नहीं / Not Applicable					
स्थायी के अलावा Other than permanent						
कुल श्रमिक Total Workers						

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण :
Details of minimum wages paid to employees and workers :

	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24					वित्तीय वर्ष/FY 2022-23				
श्रेणी/ Category	कुल (ए) Total (A)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर Equal to Minimum Wage		न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा More than Minimum Wage		कुल (डी) Total (D)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर Equal to Minimum Wage		न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा More than Minimum Wage	
		संख्या (बी) No. (B)	% (बी/ए) % (B/A)	संख्या (सी) No. (C)	% (सी/ए) % (C/A)		संख्या (ई) No. (E)	% (ई/डी) % (E/D)	संख्या (एफ) No. (F)	% (एफ/डी) % (F/D)
कर्मचारी / Employees										
स्थायी Permanent										
- पुरुष/Male	14913	-	-	14913	100	15266	-	-	15266	100
- महिला/Female	6136	-	-	6136	100	6190	-	-	6190	100
स्थायी के अलावा Other than permanent	शून्य / Nil									
- पुरुष/Male	8	-	-	8	100	-	-	-	-	-
- महिला/Female	1	-	-	1	100	-	-	-	-	-
श्रमिक/Workers										
स्थायी Permanent	लागू नहीं / Not Applicable									
- पुरुष/Male										
- महिला/Female										
स्थायी के अलावा Other than permanent										
- पुरुष/Male										
- महिला/Female										

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण / Details of Remuneration/Salary/Wages

ए. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी :/ a. Median Remuneration/Wages :

	पुरुष/Male		महिला/Female	
	संख्या Number	औसत पारिश्रमिक/वेतन संबंधित श्रेणी Median remuneration/salary respective category	संख्या Number	औसत पारिश्रमिक/वेतन संबंधित श्रेणी Median remuneration/ salary respective category
निदेशक मंडल (बीओडी) Board of Directors (Bod))	3	305189	0	0
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) Key Managerial Personnel (KMP)	2	218328	0	0
बीओडी एवं केएमपी के अतिरिक्त कर्मचारी Employees other than BoD and KMP	14908	111508	6136	99525
श्रमिक/Workers		लागू नहीं / Not Applicable		

ख) निम्नलिखित प्रारूप में बैंक द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान किया गया सकल मजदूरी:

b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the Bank, in the following format:

	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24
महिलाओं को कुल मजदूरी के % के रूप में भुगतान किया गया सकल मजदूरी Gross Wages paid to females as % of total wages	26.85%	27.18%

नोट : इस बिंदु के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया गया है / Note : Reasonable Assurance obtained for this point

4. क्या व्यवसाय द्वारा मानवाधिकार को प्रभावित या उत्पन्न होने वाले मुद्दे या अभिदत्त मुद्दों को संबोधित करने हेतु आपका कोई फोकस बिन्दु (व्यक्ति/समिति) है? (हां/नहीं)

जी हाँ, बैंक में मानवाधिकार के मुद्दों से निपटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/समितियाँ हैं। उदाहरण के लिए- यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निराकरण के लिए आंतरिक शिकायत समिति, विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अंचल कार्यालय और प्रधान कार्यालय दोनों स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति आदि।

5. मानवाधिकार के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

लिंग, जाति, नस्ल, पद, आदि से निरपेक्ष होकर बैंक अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्यप्रद और सुरक्षित कार्यपरक वातावरण बनाए रखना सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही बैंक में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से बचाव की नीति, समान अवसर की नीति आदि मौजूद हैं। कर्मचारी अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बैंक के इंटरनेट एचआरएमएस पोर्टल में प्रदत्त शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से भी अपनी चिंता जाहिर कर सकते हैं।

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)

Yes. Bank has Individuals/Committees responsible for addressing human right issues. For instance - Internal Complaints Committee for redressal of complaints of Sexual Harassment, Grievance Redressal Officers appointed both at Zonal and Head Office levels for resolution of Grievances of Specially abled employees, etc.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues

Bank ensure to maintain healthy and safe working environment for our employees irrespective of their Gender, Caste, Ethnicity, Designation, etc. Also Bank has Policy in place for Prevention of Sexual Harassment of Women Employees, Equal Opportunity Policy etc. Employees can also raise their issue through Grievance Redressal Mechanism provided in Bank's intranet HRMS portal for resolution of their Grievances.

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या: /

Number of Complaints on the following made by employees and workers :

	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25			वित्तीय वर्ष/FY 2023-24		
	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks
यौन उत्पीड़न Sexual Harassment	शून्य/NIL	शून्य/NIL		शून्य/NIL	शून्य/NIL	-
कार्यस्थल पर भेदभाव Discrimination at workplace	4	0	शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया गया complaints were resolved amicably	3	0	शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया गया complaints were resolved amicably
बालश्रम Child Labour	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-
बाध्यश्रम/अनैच्छिक श्रम Forced Labour/ Involuntary Labour	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-
पारिश्रमिक Wages	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे Other human rights related issues	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-	शून्य/NIL	शून्य/NIL	-

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 (पीओएसएच) के तहत दर्ज की गई कुल शिकायतें Total Complaints reported under Sexual Harassment of women at Workplace(Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 (POSH)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
पीओएसएच पर महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के % के रूप में शिकायतें Complaints on POSH as a % female employees	-	-
पीओएसएच पर बरकरार शिकायतें Complaints on POSH upheld	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable

मेसर्स के घोष एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार इस बिंदु के लिए उचित आश्वासन प्राप्त किया गया है।

Reasonable Assurance obtained from M/s K. Ghosh & Associates, Chartered Accountants.

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिकूल परिणामों को रोकने हेतु व्यवस्था।

बैंक ने पीओएसएच अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अंचल स्तर एवं प्रधान कार्यालय स्थित सर्वोच्च स्तर, दोनों ही स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति गठित की है।

बैंक में विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अंचल एवं प्रधान कार्यालय दोनों ही स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

जी हाँ, संबंधित विधि के अनुसार आवश्यक सीमा तक।

7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

Bank has constituted Internal Complaints Committee at both Zonal Level and Apex Level at Head Office under the provisions of POSH Act, 2013.

Bank also has Grievance Redressal Officers appointed both at Zonal and Head Office levels for resolution of Grievances of Specially Abled employees.

9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)

Yes, to the extent required as per relevant laws.

10. वर्ष हेतु आकलन: / Assessments for the year :

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा) % of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
बालश्रम / Child Labour	लागू नहीं/Not Applicable
बाध्य/ अनैच्छिक श्रम/ Forced/involuntary Labour	लागू नहीं/Not Applicable
यौन उत्पीड़न/ Sexual harassment	शून्य/Nil
कार्यस्थल पर भेदभाव/ Discrimination at workplace	शून्य/Nil
पारिश्रमिक/ Wages	लागू नहीं/Not Applicable

11. उपर्युक्त प्रश्न 9 के अवलोकनोपरांत उत्पन्न होनेवाले महत्वपूर्ण जोखिमों/ अंशों को दूर करने के लिए की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

- लागू नहीं

11. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 9 above.

- Not Applicable

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार संबंधी शिकायतों/ परिवेदनों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/ शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

बैंक ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव की नीति और समान अवसर नीति गठित की है। बैंक ने सभी कर्मचारियों को उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में मानवाधिकारों का पालन और संरक्षण करने के प्रति सुग्राही बनाया है।

2. यदि कोई मानवाधिकार ड्यू डेलीजेन्स किया गया हो तो उसकी व्याप्ति एवं उसके कार्य-क्षेत्र का विवरण।

बैंक अपने सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर देनेवाला सुरक्षित तथा कार्यानुकूल वातावरण बनाए रखने का प्रयास करता है। लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, विकलांगता, भाषा, आदि पर आधारित भेदभावपरक मुद्दों की छानबीन की जाती है, विद्यमान नीतियों, विधि और विनियमन के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित जांच भी कराई जाती है।

3. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुरूप, संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

हाँ, अन्य प्रकार से सक्षम कर्मचारियों के लिए परिसर/कार्यालय प्रवेश सुलभ हैं, जो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/ complaints.

Bank has formulated the Policy on Prevention of Sexual Harassment at Workplace and Equal Opportunity Policy. Bank has also sensitized all employees for observing and protection of Human Rights in all the walks of their life.

2. Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.

The Bank endeavors to maintain a safe and conducive working environment providing equal opportunities for all employee of the Bank. Issues related to discrimination based on gender, nationality, religion, caste, disability, language, etc. are investigated with proper scrutiny as per the provisions of the existing policies, laws and regulations

3. Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

Yes, the premises/offices are accessible to differently abled employees as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

4. मूल्य शृंखला साझेदारों के मूल्यांकन पर विवरण / Details on assessment of value chain partners:

	मूल्य शृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था % of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
यौन उत्पीड़न/Sexual Harassment	लागू नहीं Not Applicable
कार्यस्थल पर भेदभाव/Discrimination at workplace	
बालश्रम/Child Labour	
बाध्य श्रम/अनैच्छिक श्रम/Forced Labour/Involuntary Labour	
पारिश्रमिक/Wages	
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें/Other -please specify	

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 के अवलोकनोपरांत उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/ अंशों को दूर करने के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

लागू नहीं

5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks /concerns arising from the assessments at Question 4 above.

Not Applicable

सिद्धांत 6 :व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करते हुए इसकी रक्षा और पुनर्स्थापना हेतु प्रयास करना चाहिए।

Principle 6 :Businesses Should Respect and Make Efforts to Protect and Restore the Environment

आवश्यक संकेतक

Essential Indicators

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा की तीव्रता का विवरणः/

Details of total energy consumption (in Giga Joules) and energy intensity :

मानदंड / Parameter	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24
नवीकरणीय स्रोतों से/From renewable sources		
कुल बिजली खपत (ए)/Total electricity consumption (A)	256.60	-
कुल ईंधन खपत (बी)/Total fuel consumption (B)	-	-
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)/ Energy consumption through other sources (C)	-	-
नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी) Total energy consumption from renewable sources (A+B+C)	256.60	-
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से /From non-renewable sources		
कुल बिजली खपत (डी)/Total electricity consumption (D)	339840	347176
कुल ईंधन खपत (ई)/Total fuel consumption (E)	12855	12732
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ) Energy consumption through other sources (F)	-	-
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (डी+ई+एफ) Total energy consumption from non-renewable sources (D+E+F)	352695	359908
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी+डी+ई+एफ) Total energy consumed (A+B+C+D+E+F)	352951.60	359908
प्रति करोड़ रुपये टर्नओवर में ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/रुपये में पण्यावर्त टर्नओवर) Energy intensity per rupee of turnover (Total energy consumption/turnover in Rs. crore)	11.99/Rs. Cr.	14.36/Rs. Cr.
क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये की ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से कुल ऊर्जा खपत / राजस्व) (जीजे / यूएसडी) Energy intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total energy consumed/Revenue from operations adjusted for PPP)(GJ/USD Cr.)	247.75 GJ/USD Cr.	296.69 GJ/USD Cr.
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की तीव्रता Energy intensity in terms of physical output	-	-
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक)-प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जाए। Energy intensity (optional)-the relevant metric may be selected by the entity	-	-

इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - हां, के घोष एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा उचित आश्वासन दिया गया।

Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? Yes, Reasonable Assurance carried out by K Ghosh & Associates, Chartered Accountants.

नोट: इस रिपोर्ट में जहां भी उपयोग किया गया है, वित्त वर्ष 2024-25 और 2023-24 के लिए पीपीपी रूपांतरण दर 20.66 रुपये प्रति अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी डॉलर है। स्रोत - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) - वर्ल्ड इकनोमिक आउटलुक (WEO) डेटाबेस।

Note : PPP conversion rate, wherever used in this report, for FY 2024-25 and 2023-24 is Rs.20.66 INR per international US dollar.(Source- International Monetary Fund (IMF) - World Economic Outlook (WEO) database)

2. क्या भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं?

पीएटी योजना बैंक पर लागू नहीं है।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटन का विवरण दें:

बैंक में जल का उपयोग मानवीय खपत के प्रयोजन तक ही सीमित है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि कार्यालय परिसरों में पानी समुचित रूप से उपयोग किया जाए। बैंक सुनिश्चित करता है कि कार्यालय और शाखाओं का घरेलू कचरा(सीवेज) जलाशयों में न छोड़ दिया जाए।

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India?

PAT Scheme is not applicable to the Bank.

3. Provide details of the following disclosures related to water:

Bank's usage of water is restricted to human consumption purposes only. Efforts have been made to ensure that water is consumed judiciously in the office premises. Bank ensures that the domestic waste (sewage) from office and branches are not let into water bodies.

मानदंड / Parameter	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)/Water withdrawal by source (in kilolitres)		
i) सतही जल/Surface water	शून्य/Nil	शून्य/Nil
ii) भूजल/Groundwater	289424	295006
iii) तृतीय पक्ष जल/Third Party Water	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल/Sea water/Desalinated water	शून्य/Nil	शून्य/Nil
v) अन्य/Others	शून्य/Nil	शून्य/Nil
जल निकासी कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)/ Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)	289424	295006
जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में) Total volume of water consumption (in kilolitres)	236801	241369
प्रति रुपये टर्नओवर में ऊर्जा तीव्रता (कुल जल की खपत/परिचालन से राजस्व) Water intensity per rupee of turnover (Total water consumption/Revenue from operations)	8.05	9.63
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर में प्रति रुपये पानी की मात्रा (कुल जल की खपत/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व) Water intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total water consumption/Revenue from operations adjusted for PPP) (KI/USD Cr.)	166.62	198.97
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की मात्रा Water intensity in terms of physical output	-	-
जल की तीव्रता (वैकल्पिक)/Water intensity (optional)	-	-

इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - हां, के घोष एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा उचित आश्वासन दिया गया।

Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? Yes, Reasonable Assurance carried out by K Ghosh & Associates, Chartered Accountants.

नोट: प्रति दिन जल की खपत निर्धारित करने के लिए, भारतीय मानक दस्तावेज़ - जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की संहिता (चौथा संशोधन) का संदर्भ दिया गया था। दस्तावेज़ के अनुसार प्रति वर्ष 250 कार्य दिवसों के डेटा की गणना प्रति व्यक्ति (कार्यालयों) दैनिक जल आपूर्ति आवश्यकता के रूप में 45 लीटर प्रति दिन के अनुमान के साथ की गई थी।

Note : In order to determine water consumption per day, Indian Standard document - Code of basic requirements for water supply, drainage, and sanitation (Fourth Revision) was referred. Data for 250 working days per year was calculated with an estimate of 45 litres per day per head (offices) as daily water supply requirement as per the document.

4. स्त्रावित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

4. Provide the following details related to water discharged:

मानदंड / Parameter	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24
निर्दिष्ट स्थान और निरूपण स्तर के अनुसार जल प्रवाह (किलोलीटर में) Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
i) सतही जल को / To Surface water - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment	व्यवसाय की प्रकृति के कारण, यह प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता है। Owing to the nature of the business, this is not directly applicable.	
ii) भू जल को / To Groundwater - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
iii) समुद्री जल को / To Seawater - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
iv) तृतीय पक्ष को प्रेषित / Sent to third-parties - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
v) अन्य / Others - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
विसर्जित कुल जल (किलोलीटर में) Total water discharged (in kilolitres)		

इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?

Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency?

5. क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि इसकी व्याप्ति और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

नहीं / No.

6. कृपया बैंक द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण दें :

6. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the Bank:

मानदंड/Parameter	इकाई/Unit	2024-25	2023-24
एनओएक्स / NOx	व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। Given the nature of business, the air emission (other than GHG emission) is not material to us.		
कणिकीय पदार्थ (पीएम) / Particulate matter (PM)			
स्थायी जैविक प्रदूषक (पीओपी) / Persistent organic pollutants (POP)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) / Volatile organic compounds (VOC)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी) / Hazardous air pollutants (HAP)			
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें / Others - please specify			

7. ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप1 और स्कोप2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण दें। /

Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity

मानदंड / Parameter	इकाई / Unit	2024-25	2023-24
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (GHG का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	tCo2	890.46	839.77
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (GHG का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	tCo2	69537.52	70110.21
टर्नओवर के प्रति रुपये पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन (स्कोप 1 तथा स्कोप 2 का योग परिचालन से जीएचजी उत्सर्जन/ राजस्व) Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions/Revenue from operations)	tCo2e/ Rs. in Crore	2.39	2.83
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन (पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/राजस्व) Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions/Revenue from operations adjusted for PPP)	tCo2e/ USD Crore	49.44	58.49
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन मात्रा Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output	-	-	-
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन मात्रा (वैकल्पिक) Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional)	-	-	-

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? हां, के घोष एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा उचित आश्वासन दिया गया।

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? Yes, Reasonable Assurance carried out by K Ghosh & Associates, Chartered Accountants.

नोट: 1) वित्त वर्ष 2024-25 और 2023-24 के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली के लिए उत्सर्जन कारक 0.727 है (भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के CO₂ बेसलाइन डेटाबेस, संस्करण 20.0 से प्राप्त) 2) वित्त वर्ष 2024-25 और 2023-24 के लिए उपयोग किए जाने वाले पेट्रोल के लिए उत्सर्जन कारक 2.27 है (भारत जीएचजी कार्यक्रम के अनुसार)

Note : 1) Emission factor for electricity used for FY 2024-25 and 2023-24 is 0.727 (derived from the Central Electricity Authority (CEA)'s CO₂ Baseline Database for the Indian Power Sector, Version 20.0) 2) Emission Factor for Petrol used for FY 2024-25 and 2023-24 is 2.27 (As per India GHG Programme)

8. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है?

- नहीं

8. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission?

- No

9. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण दें:

9. Provide details related to waste management by the entity :

मानदंड / Parameter	वित्तीय वर्ष /FY 2024-25	वित्तीय वर्ष /FY 2023-24
उत्पन्न अपशिष्ट/पुनर्चक्रण (मीट्रिक टन में) Waste generated/Recycled (in metric tonnes)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए) / Plastic waste (A)	-	-
ई-अपशिष्ट (बी)/E-waste (B)	22	9
जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (सी)/Bio-medical waste (C)	-	-
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)/Construction and Demolition waste (D)	-	-
बैटरी अपशिष्ट (ई)/Battery waste (E)	-	-
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)/Radioactive Waste (F)	-	-
अन्य खतरनाक अपशिष्ट, यदि कोई हो(जी)/Other Hazardous waste, if any (G)	-	-
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट, यदि कोई हो (एच)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो (संरचना के आधार पर विभाजन अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के आधार पर) Other non-Hazardous waste, if any (H).Please specify, if any (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)	-	-
कुल/Total (A+B+C+D+E+F+G+H)	22	9
प्रति रुपए टर्नओवर पर अपशिष्ट की मात्रा (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/परिचालन से राजस्व) Waste intensity per rupee of turnover (Total waste generated/Revenue from operations)	0.00075	0.00036
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपए में अपशिष्ट मात्रा (पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से उत्पन्न कुल अपशिष्ट / राजस्व) Waste intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total waste generated /Revenue from operations adjusted for PPP)	0.006	0.007
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट मात्रा Waste intensity in terms of physical output	-	-
अपशिष्ट मात्रा (वैकल्पिक)/Waste intensity (optional)	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों (मीट्रिक टन में) के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
अपशिष्ट की श्रेणी/Category of Waste		
(i) पुनर्चक्रण/Recycled	-	-
(ii) पुनः उपभुक्त/Re-Used	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति विकल्प/Other recovery options	-	-
कुल/Total	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में) For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
अपशिष्ट की श्रेणी/Category of Waste		
(i) भस्मीकरण/Incineration	-	-
(ii) भूभराव/Landfilling	-	-
(iii) अन्य निपटान कार्रवाई/Other disposal operations	-	-
कुल/Total	-	-

इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?

Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency?

10. अपने संस्थान में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन कार्यप्रणाली का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने हेतु आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली का वर्णन करें।

कारोबार की प्रकृति को देखते हुए, प्रचालनों में कोई भी हानिकारक और विषाक्त रसायन उपयोग नहीं किए जाते हैं। कचरा प्रबंधन रीतियों के लिए सिद्धांत 2 देखें (आवश्यक संकेतक-बिंदु 3)।

11. कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल निचय (हाट्सपॉट), आर्द्रभूमि, जैविक वैविध्य अतिक्षेत्र, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, में / के आसपास संचालन/ कार्यालय हैं।

लागू नहीं। बैंक के पास पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में/ के आसपास कोई सुविधाएँ नहीं हैं, लिहाज़ा किसी भी तरह के पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमतियों की जरूरत नहीं है।

12. चालू वित्तीय वर्ष में प्रयोज्य विधियों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन का ब्योरा।

लागू नहीं

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून /नियमों /दिशानिर्देशों; जैसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसमें निहित नियमों का अनुपालन करती है; (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण दें।

कारोबार की प्रकृति को देखते हुए, नई शाखाओं की स्थापना के साथ-साथ अपने संचालन के दौरान भारत में प्रयोज्य पर्यावरणीय कानून/ विनियमन/दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

Given the nature of the business, no hazardous and toxic chemicals used in operations. For waste management practices, refer Principle 2 (Essential Indicator-Point 3)

11. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details.

Not Applicable. The Bank does not have any facilities in / around ecologically sensitive areas and as such no special environmental approvals / clearances are required

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

Not Applicable

13. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment Protection Act and Rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances.

Given the nature of business, Bank ensures compliance with applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India during setting up of a new-branches as well as, during its operation.

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

लागू नहीं। एक बैंकिंग इकाई होने के नाते, पानी की खपत केवल कार्यालय और व्यक्तिगत उपयोग तक ही सीमित है।

Leadership Indicators

1. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres):

Not applicable. Being a banking entity, water consumption is limited to office and personal usage only.

मानदंड / Parameter	वित्तीय वर्ष /FY 2024-25	वित्तीय वर्ष /FY 2023-24
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)/Water withdrawal by source (in kilolitres)		
i) सतही जल/Surface water	-	-
ii) भूजल/Groundwater	-	-
iii) तृतीय पक्ष जल/Third Party Water	-	-
iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल/Sea water/Desalinated water	-	-
v) अन्य/Others	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)/ Total volume of water withdrawal (in kilolitres)	-	-
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)/ Total volume of water consumption (in kilolitres)	-	-
प्रति रुपए टर्नओवर में जल की तीव्रता/Water intensity per rupee of turnover	-	-
जल की तीव्रता (वैकल्पिक)/Water intensity (optional)	-	-
गंतव्य के अनुसार जल निर्वहन एवं व्यवहार का स्तर (किलोलीटर में)/ Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
i) सतही जल के लिए/To Surface water		
- कोई व्यवहार नहीं / No treatment		
- व्यवहार के साथ - कृपया व्यवहार का स्तर निर्दिष्ट करें/ - with treatment-please specify level of treatment	-	-
ii) भूजल के लिए / To Groundwater		
- कोई व्यवहार नहीं / No treatment		
- व्यवहार के साथ - कृपया व्यवहार का स्तर निर्दिष्ट करें/ - with treatment-please specify level of treatment	-	-
iii) समुद्री जल के लिए / To Seawater		
- कोई व्यवहार नहीं / No treatment		
- व्यवहार के साथ - कृपया व्यवहार का स्तर निर्दिष्ट करें/ - with treatment-please specify level of treatment	-	-
iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया / Sent to third-parties		
- कोई व्यवहार नहीं /No treatment		
- व्यवहार के साथ - कृपया व्यवहार का स्तर निर्दिष्ट करें/ - with treatment-please specify level of treatment	-	-
v) अन्य/Others		
- कोई व्यवहार नहीं / No treatment		
- व्यवहार के साथ - कृपया व्यवहार का स्तर निर्दिष्ट करें/ - with treatment-please specify level of treatment	-	-
कुल निर्वहन जल (किलोलीटर में)/Total water discharged (in kilolitres)	-	-

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है?

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency?

2. कृपया कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और उसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें -

Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity -

मानदंड / Parameter	इकाई / Unit	2024-25	2023-24
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (GHG का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) Total Scope 3 emissions (Break-up of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	मीट्रिक टन CO ₂ समतुल्य Metric tonnes of CO ₂ equivalent	कोई आकलन नहीं किया गया No assessment done	
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन प्रति रुपया टर्नओवर Total Scope 3 emissions per rupee of turnover			
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) Total Scope 3 emission intensity (optional)			

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency?

- उक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ-साथ जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें। -
लागू नहीं
- यदि संस्था ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार हेतु नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, या उत्सर्जन / बहिःस्राव निर्वहन / अपशिष्ट उत्पन्न होने के कारण प्रभाव को कम किया है तो कृपया इस तरह की पहल के परिणाम के साथ-साथ विवरण दें।
लागू नहीं
- क्या संस्था के पास व्यवसाय सातत्य और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेबलिनक में विवरण दें।
बैंक में निदेशक मंडल के द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता नीति(बीसीपी) है जो प्रमुखतः आपदाओं के समय सहायक होती है। बीसीपी में एक स्वीकार्य स्तर पर ऐसे मानक और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जिनसे निरंतरता, पुनः आरंभ और महत्वपूर्ण कारोबार प्रक्रियाओं की बहाली सुनिश्चित की जा सके और जनता, प्रक्रियाओं और आधार-संरचना पर आपदा के प्रभाव को सीमित किया जा सके अथवा इस प्रकार की आपदा से उभरनेवाली परिचालनगत, वित्तीय, विधिक, प्रतिष्ठाजन्य एवं अन्य तत्त्वगत परिस्थितियों को न्यूनतम पर लाया जा सके।
ऐसे अनेक खतरे और कमजोरियाँ हैं जिनका सामना बैंकिंग संस्थाओं को करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं, इरादतन आपदाएं, आईटी संबंधी आपदाएं, माननीय भूलों के कारण होनेवाली आपदाएं हो सकती हैं जिनकी वजह से कारोबार को नुकसान होता है।
आईटी प्रणालियों के लिए आपदा बचाव योजना(डीआरपी) बीसीपी का एक अविभाज्य हिस्सा होगी, जिसमें आईटी परिवेश में आपदा घटित होने की सूरत में जनता, प्रक्रियाओं और आधार-संरचना का कार्यनीतिगत एवं परिचालनगत ढांचा सम्मिलित किया जाएगा।
- संस्था की मूल्य शृंखला से जनित पर्यावरण पर पड़ने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को स्पष्ट करें। इस संबंध में संस्था द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।
लागू नहीं
- मूल्य शृंखला साझीदारों का प्रतिशत (ऐसे साझीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य द्वारा) जिनका मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया था।
लागू नहीं
- कितने ग्रीन क्रेडिट सृजित या प्राप्त किये गये हैं?
ए. सूचीबद्ध इकाई द्वारा - शून्य
बी. शीर्ष दस (क्रमशः खरीद और बिक्री के मूल्य के संदर्भ में) मूल्य शृंखला भागीदारों द्वारा - शून्य
- With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities. -
Not Applicable
- If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives
Not Applicable
- Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.
Bank has a Board approved Business Continuity Policy (BCP) which primarily serves as insurance against disasters. BCP includes standards and procedures to ensure continuity, resumption and recovery of critical business processes, at an agreed level and limit the impact of the disaster on people, processes and infrastructure or to minimize the operational, financial, legal, reputational and other material consequences arising from such a disaster.
There are various threats and vulnerabilities to which banking entities are exposed. There could be natural disasters, intentional disasters, IT related disasters, disaster due to human errors resulting in disruption of business.
The Disaster Recovery Plan (DRP) for IT Systems shall be an integral part of the BCP, covering the strategic and operational framework of the people, processes and infrastructure in the event of disasters in IT environment
- Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard. -
Not applicable
- Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.
Not applicable
- How many Green Credits have been generated or procured.
a. By the listed entity - Nil
b. By the top ten (in terms of value of purchases and sales, respectively) value chain partners - Nil

सिद्धांत 7 : सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करनेवाले व्यवसाय उत्तरदायित्वपूर्ण और पारदर्शी तरीके से किए जाने चाहिए।

Principle 7 : Businesses, When Engaging in Influencing Public and Regulatory Policy, Should do so in a Manner that is Responsible and Transparent

आवश्यक संकेतक

1. (ए) सम्बद्ध व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की संख्या - सात

(बी) 10 शीर्ष व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं जो संस्था के सदस्य हैं / या संस्था से संबद्ध हैं।

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations - Seven

b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.

क्र.सं. S.No.	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों के नाम Name of the trade and industry chambers/ associations	व्यापार और उद्योग कार्यालयों /संघों का फैलाव (राज्य/राष्ट्रीय) Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	भारतीय बैंक संघ (आईबीए) Indian Banks Association (IBA)	राष्ट्रीय National
2	भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय व्यापारी संघ (एफ़ईडीएआई) Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI)	राष्ट्रीय National
3	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)	राष्ट्रीय National
4	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL)	राष्ट्रीय National
5	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)	राष्ट्रीय National
6	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) National Payment Corporation of India (NPCI)	राष्ट्रीय National
7	वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड Financial Benchmarks India Pvt Ltd	राष्ट्रीय National

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण दें।

लागू नहीं

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anticompetitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

Not Applicable

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति की स्थितियों का विवरण:

बैंक नीति की वकालत नहीं करता है, परंतु सरकार और बैंकिंग उद्योग के अन्य निकायों के साथ परामर्श/विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

The Bank does not engage in policy advocacy, but is actively involved in consultation/ discussion forums with the Government and other bodies in the banking industry.

सिद्धांत 8 : व्यवसायों को समावेशी विकास और निष्पक्ष उत्थान को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रयोज्य विधियों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव के आकलन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है (हां/ नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है (हां/नहीं)	संबंधित वेब लिंक
Name and brief details of project	SIA Notification No.	Date of notification	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
लागू नहीं / Not Applicable					

2. उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी दें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) चलाये जा रहे हैं।

लागू नहीं

3. समुदाय से शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

बैंक के परिचालन से आस-पास के समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। हालाँकि, किसी भी शिकायत निवारण के लिए, ग्राहकों/ समुदायों को बैंक की सेवा, उत्पादों के खिलाफ मामला उठाने और अपनी प्रतिक्रिया/सुझाव देने के लिए कई विकल्प दिए जाते हैं।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त निवेशित सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट के लिए इनपुट)।

Principle 8 Businesses Should Promote Inclusive Growth and Equitable Development

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity.

Not applicable

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

Bank's operations do not adversely impact nearby communities. However, for any grievance redressal, customers/communities are given multiple options to raise the matter against the Bank's service, products and to provide their feedback / suggestions.

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers

मानदंड / Parameter	वित्तीय वर्ष /FY 2024-25	वित्तीय वर्ष /FY 2023-24
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त Directly sourced from MSMEs/ small producers	एक वित्तीय संस्थान के रूप में, हमारी खरीद मुख्य रूप से तकनीकी अवसंरचना, प्लेटफॉर्म और डिजिटल सेवाओं के इर्द-गिर्द घूमती है। हालाँकि, देश भर में हमारी व्यापक शाखा नेटवर्क को देखते हुए, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि स्टेशनरी आइटम जैसी उपभोग्य वस्तुएँ हमारी शाखाओं के आस-पास के विक्रेताओं से स्थानीय रूप से प्राप्त की जाएँ।	
भारत के भीतर सीधे स्रोत Directly sourced within India	As a financial institution, our procurement largely revolves around technological infrastructure, platforms, and digital services. However, given our wide branch network across the country, we ensure that consumables such as stationery items are sourced locally from vendors in the vicinity of our branches.	

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों पर नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को कुल वेतन लागत के % के रूप में भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें

5. Job creation in smaller towns - Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost.

स्थान/Location	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24
ग्रामीण/Rural	21.92%	22.76 %
अर्ध शहरी/Semi-urban	20.14%	21.22 %
शहरी/Urban	27.34%	27.44%
महानगरीय/Metropolitan	30.59%	28.58 %

(आरबीआई वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार स्थान वर्गीकृत) /

(Place categorized as per RBI Classification system)

नेतृत्व संकेतक

- सामाजिक प्रभाव आकलन में चिन्हित किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण दें। (संदर्भ: उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न1) - लागू नहीं
- सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित नामित आकांक्षी जिलों में अपनी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें।

क्र.सं. S. No.	राज्य State	आकांक्षी जिला Aspirational District	व्यय की गई राशि(रु.) Amount Spent (Rs.)
1	बिहार/Bihar	जमुई/Jamui	2,80,000.00
2	बिहार/Bihar	बांका/Banka	10,000.00
3	बिहार/Bihar	बेगूसराय/Begusarai	44,500.00
4	झारखंड/Jharkhand	रामगढ़/Ramgarh	36,000.00
5	झारखंड/Jharkhand	रांची/Ranchi	19,700.00
6	ओडिशा/Odisha	निमापारा/Nimapara	10,60,000.00
7	त्रिपुरा/Tripura	धलाई/Dhalai	5,00,000.00

- (ए) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप सीमांत/सुभेद्य समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं?
 • नहीं।
 (बी) आप किन सीमांत/ सुभेद्य समूहों से खरीदारी करते हैं?
 • लागू नहीं
 (सी) यह कुल खरीद (मूल्य से) का कितना प्रतिशत है?
 • लागू नहीं
- पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहित प्रज्ञात्मक सम्पत्तियों से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण।
 • लागू नहीं
- प्रज्ञात्मक सम्पत्तियों से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।
 • लागू नहीं
- सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

एक जिम्मेदार और प्रतिबद्ध कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला को सक्रिय रूप से शुरू किया है। ये प्रयास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रामीण विकास, आपदा राहत और सामुदायिक कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ रणनीतिक सहयोग के माध्यम से, हमने देश भर के लोगों के जीवन में एक सार्थक और स्थायी प्रभाव पैदा करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि लाभार्थियों की सही संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन सीएसआर गतिविधियों ने कई क्षेत्रों में अनगिनत लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए प्रमुख सीएसआर योगदान और गतिविधियों का विस्तृत सारांश नीचे दिया गया है:

Leadership Indicators

- Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above)- Not applicable
- Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies

- (a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups?
 • No
 (b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure?
 • Not applicable
 (c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?
 • Not Applicable
- Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge.
 • Not applicable
- Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.
 • Not applicable
- Details of Beneficiaries of CSR Projects :

As a responsible and committed corporate citizen, Bank has actively undertaken a wide range of CSR initiatives during the Financial Year 2024-25. These efforts span across various sectors including education, healthcare, sanitation, environmental sustainability, rural development, disaster relief, and community welfare.

Through strategic collaborations with government bodies, educational institutions, healthcare centers, NGOs, and local communities, we have aimed to create a meaningful and lasting impact in the lives of people across the country. While the exact number of beneficiaries cannot be ascertained, it is evident that these CSR activities have positively impacted countless lives across multiple regions.

Below is a comprehensive summary of key CSR contributions and activities carried out during the financial year 2024-25 :

सीएसआर परियोजना CSR Project	सीएसआर परियोजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या No. of persons benefitted from CSR Project	कमजोर और सीमांत लाभार्थियों का प्रतिशत % % of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
1. एमएसएमई के लिए आजीविका संवर्धन और समर्थन Livelihood Enhancement & Support for MSMEs - पूर्णार्था एंड कंपनी के साथ साझेदारी में एमएसएमई ग्राहकों के लिए 16 समूह-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। Conducted 16 cohort-based training programs for MSME customers in partnership with Poornatha & Co. - स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए असम के सोनितपुर में एक दिव्यांग व्यक्ति को ई-रिक्शा प्रदान किया गया। Provided an E-rickshaw to a differently-abled individual in Sonitpur, Assam to promote self-employment. - डिजिटल और स्मार्ट कक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए गुरुनानक देव विश्वविद्यालय (अमृतसर) और मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय (बरहामपुर) को कंप्यूटर दान किए। Donated computers to Guru Nanak Dev University (Amritsar) and Murshidabad University (Berhampore) for enhancing digital and smart classroom infrastructure. 2. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता Health & Sanitation - सोलन (हिमाचल प्रदेश) के उपायुक्त कार्यालय को एक मोबाइल टीबी एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराई गई। Supplied a mobile TB X-ray machine to the Deputy Commissioner's office, Solan (Himachal Pradesh). - पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य शिविरों के लिए जोरहाट (असम) क्षेत्र को चिकित्सा वाहन (बोलरो) दान किए। Donated medical vehicles (Boleros) to Jorhat (Assam) zone for rural health camps in hilly areas. - निमापारा (ओडिशा) में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्स-रे उपकरण स्थापित किया गया। Installed X-Ray equipment at a Community Health Centre in Nimapara (Odisha). - जीबीपीयूएटी (देहरादून), सन वैली अस्पताल (गुवाहाटी) और सिटी अस्पताल (कटक) को एम्बुलेंस और आवश्यक चिकित्सा उपकरण दान किए। Donated ambulances and essential medical equipment to GBPUAT (Dehradun), Sun Valley Hospital (Guwahati), and City Hospital (Cuttack). - रांची, हुगली, उत्तरपाड़ा और जयपुर में संस्थानों को व्हीलचेयर और ट्राइसाइकिल की आपूर्ति की गई। Supplied wheelchairs and tricycles to institutions in Ranchi, Hooghly, Uttarpara, and Jaipur. - प्रायोजित रक्तदान शिविर (जैसे, तेरापंथ युवक परिषद द्वारा कोलकाता के लेक टाउन में 108 घंटे का शिविर)। Sponsored blood donation camps (e.g., 108-hour camp in Lake Town, Kolkata by Terapanth Yuvak Parishad).	सटीक संख्या का पता नहीं चल पाया है Exact number not ascertained	50%

सीएसआर परियोजना CSR Project	सीएसआर परियोजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या No. of persons benefitted from CSR Project	कमजोर और सीमांत लाभार्थियों का प्रतिशत % % of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
- अंबाला, धर्मशाला, अगरतला और कोयंबटूर में स्वास्थ्य सेवा और शैक्षणिक संस्थानों को एयर कंडीशनर और व्हीलचेयर प्रदान किए गए Provided air conditioners and wheelchairs to healthcare and educational institutions in Ambala, Dharamshala, Agartala, and Coimbatore 3. शिक्षा और क्षमता निर्माण Education & Capacity Building - स्कूलों और कॉलेजों को आईटी उपकरण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराए गए, जिनमें शामिल हैं: Provided IT equipment and lab peripherals to schools and colleges including: - राजस्थान मेडिकल काउंसिल (जयपुर) Rajasthan Medical Council (Jaipur) - मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय (बेरहामपुर) Murshidabad University (Berhampore) - डॉ. पडियार होम्योपैथिक कॉलेज (एर्नाकुलम) Dr. Padiyar Homeopathic College (Ernakulam) - तिहू कॉलेज (गुवाहाटी) Tihu College (Guwahati) - सिद्धार्थ कॉलेज (मुंबई) Siddhartha College (Mumbai) - जमुई (बिहार), दुर्गापुर, साल्टलेक और पटना में 40 से अधिक सरकारी स्कूलों में वाटर प्यूरीफायर, कूलर और बुनियादी ढांचे की स्थापना की गई। Installed water purifiers, coolers, and basic infrastructure in over 40 government schools in Jamui (Bihar), Durgapur, Saltlake, and Patna. - प्रायोजित कार्यक्रम और शैक्षिक पहल जिनमें निर्यात जागरूकता कार्यक्रम (जयपुर), अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (भागलपुर), बधिर जागरूकता कार्यक्रम (जयपुर), महिला सशक्तिकरण कार्यशाला (जयपुर), और 'अग्नेय 2025' (देंकनाल, ओडिशा) शामिल हैं। Sponsored events and educational initiatives including export awareness programs (Jaipur), International Yoga Day (Bhagalpur), Deaf Awareness Program (Jaipur), Women Empowerment Workshop (Jaipur), and "Agneya 2025" (Dhenkanal, Odisha). 4. पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छता Environmental Sustainability & Sanitation - पंचायत कार्यालय और सीएसबी जिला स्कूल (संबलपुर) में वृक्षारोपण अभियान के लिए 500 धातु वृक्ष रक्षक दान किए। Donated 500 metal tree guards for plantation drives at Panchayat Office and CSB Zilla School (Sambalpur). - ACTS को वृक्षों की देखभाल के लिए पानी की टंकी सहित टाटा ऐस वाहन की आपूर्ति की गई (स्थान निर्दिष्ट नहीं)। Supplied a Tata Ace vehicle with water tank for tree care to ACTS (location not specified).		

सीएसआर परियोजना CSR Project	सीएसआर परियोजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या No. of persons benefitted from CSR Project	कमजोर और सीमांत लाभार्थियों का प्रतिशत % % of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
- डॉ. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय (सोलन, हिमाचल प्रदेश) और बरहामपुर नगर पालिका (सिलीगुड़ी) में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में सहयोग दिया। Supported construction of public toilets at Dr. Y.S. Parmar University (Solan, HP) and with Berhampur Municipality (Siliguri). - कीझमाडू ग्राम पंचायत (एर्नाकुलम) को कूड़ेदान की आपूर्ति करके “अपशिष्ट मुक्त केरल” मिशन में योगदान दिया। Contributed to the “Waste-Free Kerala” mission by supplying bins to Keezhmadu Grama Panchayat (Ernakulam). 5. पेयजल एवं स्वच्छता Drinking Water & Sanitation - कई सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर, डिस्पेंसर और आरओ इकाइयाँ स्थापित की गईं, जिनमें शामिल हैं: Installed water coolers, dispensers, and RO units at numerous public places including: - गुरुद्वारा पटना साहिब (पटना) Gurdwara Patna Sahib (Patna) - एसीजेएम कोर्ट (जयपुर) ACJM Court (Jaipur) - जिला सत्र न्यायालय (वानापथी) District Sessions Court (Wanaparthi) - आईआईटी भागलपुर IIT Bhagalpur - डीसी कार्यालय (रामगढ़, कामरूप) DC Offices (Ramgarh, Kamrup) - माताबारी मंदिर (अगरतला) Matabari Temple (Agartala) - विकास भवन (श्रावस्ती) Vikas Bhawan (Shrawasti) - गोसाईगंज ब्लॉक कार्यालय (लखनऊ) Gosaiganj Block Office (Lucknow) - छोटानिकारा ग्राम पंचायत (एर्नाकुलम) Chotanikkara Grama Panchayat (Ernakulam) - नगर पंचायत कादीपुर (अयोध्या) Nagar Panchayat Kadipur (Ayodhya) - जम्मू में अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों के लिए पेयजल आपूर्ति प्रायोजित की गई। Sponsored drinking water supply for Amarnath Yatra pilgrims at Jammu.		

सीएसआर परियोजना CSR Project	सीएसआर परियोजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या No. of persons benefitted from CSR Project	कमजोर और सीमांत लाभार्थियों का प्रतिशत % % of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
6. बुनियादी ढांचा विकास और लोक कल्याण Infrastructure Development & Public Welfare - बेलूर मठ (हावड़ा) में माँ सारदा भवन (यात्री निवास) का निर्माण। Constructed Maa Sarada Bhavan (Yatri Nivas) at Belur Math (Howrah). - गुवाहाटी, लखनऊ और जोरहाट में वरिष्ठ नागरिक कोनों, सामुदायिक हॉल और मनोरंजन कक्षों को समर्थन दिया गया। Supported senior citizen corners, community halls, and recreation rooms in Guwahati, Lucknow, and Jorhat. - स्कूलों में सीसीटीवी लगाने (मेरठ) और पार्कों के सौंदर्यीकरण (धनबाद) को प्रायोजित किया। Sponsored installation of CCTV at schools (Meerut) and beautification of parks (Dhanbad). - ऊना (हिमाचल प्रदेश), भिवानी, रांची और अयोध्या सहित स्थानों पर डीसी कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों, आंगनवाड़ी केंद्रों और मंदिरों को फर्नीचर और उपकरण दान किए। Donated furniture and equipment to DC offices, police stations, Anganwadi centers, and temples in locations including Una (HP), Bhiwani, Ranchi, and Ayodhya. 7. सामुदायिक कल्याण एवं राहत Community Welfare & Relief - बाढ़ राहत के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष, त्रिपुरा में योगदान दिया। Contributed to CM Relief Fund, Tripura for flood relief. - वाराणसी, महाराजगंज और मेरठ में आंगनवाड़ी किट उपलब्ध कराई गई। Provided Anganwadi kits in Varanasi, Maharajganj, and Meerut. - पटना, विजयवाड़ा और इंदौर में वृद्धाश्रमों और अनाथालयों को राशन, सैनिटरी आइटम और बर्तन उपलब्ध कराए गए। Supplied ration, sanitary items, and utensils to old age homes and orphanages in Patna, Vijayawada, and Indore. - लोक महोत्सव (संबलपुर) और नलवारी मेला (बिलासपुर) का समर्थन किया। Supported Lok Mahotsav (Sambalpur) and Nalwari Fair (Bilaspur). - देव दिवाली (वाराणसी), पितृपक्ष मेला (गया), और जिला दिवस (जोरहाट) जैसे कार्यक्रमों का समर्थन किया। Supported events like Dev Diwali (Varanasi), Pitrapaksha Mela (Gaya), and District Day (Jorhat).		

सिद्धांत 9 : व्यवसाय को एक जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें अहमियत देनी चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता से शिकायतें और प्रतिक्रिया प्राप्त करने और प्रत्युत्तर देने हेतु स्थापित प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

बैंक ने उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए व्यापक तंत्र स्थापित किया है:

शिकायत चैनल:

व्यक्तिगत रूप से: ग्राहक सीधे शाखा, आंचलिक कार्यालय या मुख्य कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और पावती प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत को शिकायत बॉक्स में भी डाला जा सकता है।

फोन: बैंक की 24/7 उपलब्ध टोल-फ्री हेल्पलाइन (1800 103 0123) के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

ईमेल/वेबसाइट: शिकायतें hosp.cscell@ucobank.co.in पर या ऑनलाइन शिकायत प्रणाली <https://spgrs.ucoonline.in> के माध्यम से भेजी जा सकती हैं, जो 24/7 उपलब्ध है।

पावती: लिखित शिकायतों की पावती तीन दिनों के भीतर दी जाती है, जबकि फोन या ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों को संदर्भ या पावती संख्या प्रदान की जाती है।

ग्राहक प्रतिक्रिया तंत्र:

वेबसाइट लिंक: ग्राहक बैंक के होमपेज पर एक समर्पित लिंक के माध्यम से फीडबैक प्रस्तुत कर सकते हैं।

लेन-देन संबंधी फीडबैक: वित्तीय/गैर-वित्तीय लेनदेन और एटीएम उपयोग के बाद एसएमएस/ईमेल अनुरोध भेजे जाते हैं, जिनमें फीडबैक के लिए लिंक भी शामिल होते हैं।

सोशल मीडिया और क्यूआर कोड: फीडबैक शाखाओं और ग्राहक संपर्क बिंदुओं पर प्रदर्शित क्यूआर कोड या सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

ये तंत्र सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक शिकायतों और फीडबैक का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, जिससे निरंतर सेवा सुधार को समर्थन मिले। इसके अलावा, बैंक के पास हेड ऑफिस में शेयरधारकों के प्रश्नों/शिकायतों के निवारण के लिए अलग सेल है। शेयरधारकों के प्रश्नों/शिकायतों के लिए एक विशेष ईमेल आईडी hosgr.calcutta@ucobank.co.in है।

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं का पण्यवर्त जिनके बारे में जानकारी है, से उत्पादों/सेवाओं के पण्यवर्त का प्रतिशत :पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में As a percentage to total turnover
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड Environmental and social parameters relevant to the product	लागू नहीं / Not Applicable
सुरक्षित और उत्तरदायी उपयोग Safe and responsible usage	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान Recycling and/or safe disposal	

Principle 9 : Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.

The Bank has established comprehensive mechanisms to efficiently handle consumer complaints and feedback:

Complaint Channels:

In Person: Customers can submit complaints directly at the branch, zonal office, or head office, and receive an acknowledgment. Complaints can also be dropped in the complaint box.

Phone: Grievances can be lodged via the bank's toll-free helpline (1800 103 0123) available 24/7.

Email/Website: Complaints can be sent to hosp.cscell@ucobank.co.in or through the online grievance system at <https://spgrs.ucoonline.in>, accessible 24/7.

Acknowledgment: Written complaints are acknowledged within three days, while complaints lodged via phone or the online system are provided with a reference or acknowledgment number.

Customer Feedback Mechanism:

Website Link: Customers can submit feedback via a dedicated link on the bank's homepage.

Transaction Feedback: SMS/Email requests are sent post-financial/non-financial transactions and ATM usage, including links for feedback.

Social Media & QR Codes: Feedback can be submitted through QR codes displayed at branches and customer touchpoints or via social media campaigns.

These mechanisms ensure that customer complaints and feedback are efficiently managed and acted upon, supporting continuous service improvement. Further, Bank has separate cell for redressing the grievances of the shareholder queries/complaints at Head Office. An exclusive email id for shareholders queries/complaint is hosgr.calcutta@ucobank.co.in

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या: / Number of consumer complaints in respect of the following:

	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25			वित्तीय वर्ष/FY 2023-24		
	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks
डाटा गोपनीयता Data Privacy	-	-	-	-	-	-
विज्ञापन Advertising	-	-	-	-	-	-
साइबर सुरक्षा Cyber-Security	-	-	-	-	-	-
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति Delivery of essential services	-	-	-	-	-	-
प्रतिबंधात्मक व्यापार कार्यप्रणाली Restrictive trade practices	-	-	-	-	-	-
अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली Unfair trade practices	-	-	-	-	-	-
अन्य Other (एटीएम/ई-बैंकिंग/अतिरिक्त प्रभार लगाना/खाता खोलने संबंधी आदि) (ATM/e-banking /levy of excess charges/Account opening related etc.)	85474	2128	-	103636	1985	-

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद प्रत्याहार के उदाहरणों का विवरण /
Details of instances of product recalls on account of safety issues:

	संख्या/Number	प्रत्याहार के कारण/Reason for recall
स्वैच्छिक प्रत्याहार/Voluntary recalls	लागू नहीं/Not applicable	
बाध्य प्रत्याहार/Forced recalls		

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों के संबंध में कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक दें।

बैंक के बोर्ड ने साइबर सुरक्षा नीति और डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता नीति को मंजूरी दे दी है और उपरोक्त नीतियां बैंक के आंतरिक यूसीओ ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद प्रत्याहार के उदाहरणों की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड/कार्रवाई संबंधी मुद्दों पर की गई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Bank has Board approved Cyber Security Policy and Data Security & Privacy Policy and the aforesaid policies are available at Bank's Internal UCO Online Portal.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty/action taken by regulatory authorities on safety of products/services.

मानवीय भेद्यता से उत्पन्न होने वाले साइबर जोखिमों को संबोधित करने के लिए, बैंक उभरते साइबर खतरों और संबंधित सुरक्षा प्रथाओं के बारे में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए कई निवारक उपाय करता है।

- बैंक के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राफिक और उदाहरणात्मक साइबर सुरक्षा सलाह प्रसारित की जाती है।
- सुरक्षा युक्तियों और अलर्ट के साथ ग्राहकों को समय-समय पर पुश नोटिफिकेशन और कस्टमाइज्ड ईमेल भेजे जाते हैं।
- कर्मचारियों की साइबर सुरक्षा जागरूकता को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से जागरूकता सेमिनार, वेबिनार और आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- शाखाओं और एटीएम परिसरों में साइबर सुरक्षा सलाह प्रमुखता से प्रदर्शित की जाती है।
- एटीएम स्क्रीन, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर भी महत्वपूर्ण सुरक्षा संदेश अपलोड किए जाते हैं।
- आम जनता के बीच साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर एक समर्पित 'साइबर सुरक्षा जागरूकता कॉर्नर' बनाए रखा गया है।

उपरोक्त पहलों के माध्यम से, बैंक ग्राहक सुरक्षा को बढ़ावा देता है और अपनी साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

- क) डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या - शून्य
- ख) ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत - लागू नहीं
- ग) डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो - लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफॉर्म जहां संस्था के उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक दें।)

उत्पादों/सेवाओं के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

सोशल मीडिया चैनलों की सूची जहां बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करता है:

To address cyber risks arising out of human vulnerability, Bank undertakes multiple preventive measures to enhance customer awareness about emerging cyber threats and associated safety practices.

- Graphic and illustrative cyber security advisories are disseminated through the Bank's official social media platforms.
- Push notifications and customized emails are periodically sent to customers with security tips and alerts.
- Awareness seminars, webinars, and internal training programs are conducted regularly to strengthen employees' cyber security awareness.
- Cyber security advisories are displayed prominently at branches and ATM premises.
- Important security messages are also uploaded on ATM screens, Internet Banking, and Mobile Banking platforms.
- A dedicated 'Cyber Security Awareness Corner' is maintained on the Bank's official website to promote cyber safety among the general public.

Through above initiatives, the Bank promotes customer security and bolster its cyber defence capabilities.

7. Provide the following information relating to data breaches:

- a. Number of instances of data breaches - Nil
- b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers - Not Applicable
- c. Impact, if any, of the data breaches - Not Applicable

Leadership Indicators

1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).

Information about products/services offered can be accessed through Bank's Website (www.ucobank.com)

List of Social Media Channels where bank disseminates information on its products and services :

फेसबुक/Facebook	www.facebook.com/official.ucobank/
एक्स (पूर्व में ट्विटर)/X (Formerly Twitter)	www.twitter.com/UCOBANKOfficial/
लिंकडइन/LinkedIn	www.linkedin.com/company/uco-bank
इंस्टाग्राम/Instagram	www.instagram.com/official.ucobank/
यूट्यूब/YouTube	www.youtube.com/@ucobankofficial7390

2. उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

बैंक नियमित रूप से एसएमएस, ई-मेल, पुश नोटिफिकेशन के साथ-साथ बैंक के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ग्राहकों को डिजिटल उत्पादों और उनके सुरक्षित उपयोग पर साइबर शिक्षा/जागरूकता संदेश भेज रहा है।

3. उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं।

उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए बैंक के पास निम्नलिखित तंत्र हैं:

क) एम-बैंकिंग, ई-बैंकिंग और एटीएम जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों को प्रभावित करने वाली किसी भी निर्धारित रखरखाव गतिविधियों से पहले, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को एसएमएस और पुश नोटिफिकेशन जैसे प्रत्यक्ष सूचना चैनलों के माध्यम से पहले से सूचित किया जाए, जिससे ग्राहक तदनुसार योजना बना सकें और किसी भी असुविधा को कम कर सकें।

ख) बैंक अपनी वेबसाइट, ई-बैंकिंग पोर्टल और एटीएम स्क्रीन सहित कई प्लेटफार्मों पर सूचनात्मक संदेश प्रदर्शित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहकों को किसी भी आगामी सेवा व्यवधान के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जा सके।

4. क्या इकाई स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य से अधिक उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां नहीं)

जी नहीं, बैंक स्थानीय कानूनों के अनुसार उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करता है।

जी हाँ, बैंक ने एम-बैंकिंग, ई-बैंकिंग, कियोस्क आदि जैसे प्रमुख चैनलों पर उपलब्ध फीडबैक प्रणाली के माध्यम से प्रमुख उत्पादों/सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की संतुष्टि पर विभिन्न सर्वेक्षण किए हैं।

इसके अलावा, बैंक किसी भी लेनदेन पर ग्राहकों को उनके बहुमूल्य फीडबैक/रेटिंग/सुझाव के लिए फीडबैक लिंक भी भेजता है।

2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

Bank is regularly sending cyber education/awareness messages to the customers on Digital Products and their safe usage through SMS, E-Mail, Push notifications as well as through Bank's Social Media handles.

3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.

Bank has following mechanism in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services :

a) Prior to any scheduled maintenance activities affecting vital systems such as M-Banking, E-Banking, and ATMs, bank ensures customers are informed in advance through direct communication channels like SMS and push notifications, allowing customers to plan accordingly and mitigate any inconvenience.

b) Bank displays informative messages on multiple platforms including the bank's website, e-banking portal and ATM screens, ensuring customers are kept well-informed about any upcoming service interruptions.

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/Not Applicable) If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)

No, Bank displays product information as per local laws.

Yes, Bank carried out various surveys among customers on their satisfaction relating to major products/services through feedback system, made available on major channels like M-Banking, E-Banking, Kiosk etc.

Further, Bank also sends feedback link to customers on any transaction for their valuable feedback/rating/suggestion.

**कारोबारी उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) 2024-25 में चयनित गैर-वित्तीय धारणीयता प्रकटीकरण पर
यूको बैंक को स्वतंत्र यथोचित आश्वासन रिपोर्ट**

**सेवा में
निदेशक मंडल
यूको बैंक
कोलकाता**

हमें, मेसर्स के घोष एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को यूको बैंक ('बैंक') द्वारा चयनित गैर-वित्तीय धारणीयता प्रकटीकरण ('परिचिह्नित धारणीयता सूचना') पर स्वतंत्र उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है जिसे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए बैंक की व्यावसायिक जिम्मेदारी और धारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) 2024-25 में प्रस्तुत किया गया।

परिचिह्नित धारणीयता सूचना

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए परिचिह्नित की गई धारणीयता सूचना का सारांश निम्नलिखित है:

धारणीयता जानकारी जहां यथोचित आश्वासन पूरा दिया जाता है	बीआरएसआर 2024-25 का क्रॉस संदर्भ
• देय खातों के दिनों की संख्या • कारोबार में खुलापन	सिद्धांत 1 के तहत आवश्यक संकेतकों का प्र: 8 आवश्यक संकेतकों का प्र: 9
• कर्मचारियों की भलाई के उपायों पर खर्च • कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण	सिद्धांत 3 के तहत आवश्यक संकेतकों का प्र: 1(सी) आवश्यक संकेतकों का प्र: 11
• भुगतान की गई मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को सकल मजदूरी का भुगतान • पीओएसएच पर शिकायतें	सिद्धांत 5 के तहत आवश्यक संकेतकों का प्र: 3(बी) आवश्यक संकेतकों का प्र: 7
• ऊर्जा फुटप्रिंट • जल फुटप्रिंट • गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन • ग्रीन-हाउस गैस (जीएचजी) फुटप्रिंट • अवशिष्ट प्रबंधन	सिद्धांत 6 के तहत आवश्यक संकेतकों का प्र: 1 आवश्यक संकेतकों का प्र: 3 आवश्यक संकेतकों का प्र: 4 आवश्यक संकेतकों का प्र: 7 आवश्यक संकेतकों का प्र: 9
• सोर्स की गई इनपुट सामग्री • छोटे शहरों में रोजगार सृजन	सिद्धांत 8 के तहत आवश्यक संकेतकों का प्र: 4 आवश्यक संकेतकों का प्र: 5
• ग्राहकों के डेटा के नुकसान / उल्लंघन से जुड़े मामले	सिद्धांत 9 के तहत आवश्यक संकेतकों का प्र: 7

हमारा यथोचित आश्वासन केवल दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष की जानकारी के संबंध में था जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और हम पहले की अवधि या बीआरएसआर में शामिल किसी भी अन्य तत्व के संबंध में कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

मानदंड

चिह्नित की गई धारणीयता सूचना तैयार करने के लिए बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड अनुलग्नक-ए के रूप में संलग्न हैं।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन धारणीयता सूचना पर रिपोर्टिंग, प्रमुख पहलुओं की पहचान, हितधारकों के साथ जुड़ाव, सामग्री तैयारी और लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, बीआरएसआर तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंड चुनने या स्थापित करने के लिए मानदंड के अनुसार चिह्नित की गई धारणीयता संबंधी जानकारी की प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में बीआरएसआर की तैयारी और परिचिह्नित धारणीयता सूचना की माप के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, तथा जो धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से संभव महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त है। बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह बीआरएसआर की सामग्री की वार्षिक रूप से समीक्षा करे।

अंतर्निहित सीमाएं

गैर-वित्तीय जानकारी का मूल्यांकन और माप करने के लिए स्थापित प्रथा के एक महत्वपूर्ण निकाय की अनुपस्थिति अलग-अलग, लेकिन स्वीकार्य, उपायों और माप तकनीकों की अनुमति देती है और यह संस्थाओं के बीच तुलना को प्रभावित कर सकती है।

हमारी स्वतंत्रता और गुणवत्ता नियंत्रण

हमने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है और हम पुष्टि करते हैं कि हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं को पूरा किया है और इस आश्वासन कार्य को संचालित करने के लिए हमारे पास आवश्यक योग्यताएं और अनुभव हैं।

यह फर्म गुणवत्ता नियंत्रण (एसक्यूसी) 1 पर मानक, 'ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं के कार्यों की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण' लागू करती है, और तदनुसार नैतिक आवश्यकताओं, पेशेवर मानकों और लागू कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं सहित गुणवत्ता नियंत्रण की एक व्यापक प्रणाली बनाए रखती है।

हमारा उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी बीआरएसआर 2024-25 में निहित चिन्हित स्थिरता सूचना पर, बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई प्रक्रियाओं और जानकारी के आधार पर, एक यथोचित आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त करना है। इस कार्य में, हमने बैंक की प्रमुख नीतियों का संदर्भ लिया है, जिनमें ईएसजी नीति, सीएसआर एवं दान नीति, और विसल ब्लोअर नीति शामिल हैं। चूंकि हमने पूर्व में बीआरएसआर 2023-24 में प्रकथित चिन्हित स्थिरता सूचना पर यथोचित आश्वासन कार्य किया था, अतः हमने उस कार्य पर भरोसा किया है और तदनुसार, बीआरएसआर 2024-25 में सम्मिलित तुलनात्मक जानकारी पर भी, जहां तक वह जानकारी संगत और तुलनीय है, हमारा आश्वासन व्यक्त करना जारी रखा है।

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स (एसएसई) 3000, 'स्थिरता सूचना पर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स' पर मानक के अनुसार अपना कार्य किया। इस मानक के लिए आवश्यक है कि हम रिपोर्टिंग मानदंड के अनुसार, सभी भौतिक मामलों में, परिचिह्नित स्थिरता जानकारी तैयार की गई है या नहीं, इसके बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की योजना बनाएं और उसका पालन करें। एक उचित आश्वासन संलग्नता में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण परिचिह्नित स्थिरता जानकारी के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन करना, परिस्थितियों में आवश्यक रूप से मूल्यांकन किए गए जोखिमों का जवाब देना शामिल है।

हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाएँ हमारे व्यावसायिक निर्णय पर आधारित थीं, जिनमें पृष्ठताछ, निष्पादित प्रक्रियाओं का अवलोकन, दस्तावेजों का निरीक्षण, मात्रात्मक विधियों और रिपोर्टिंग नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ तथा मूल अभिलेखों से मिलान या सामंजस्य स्थापित करना शामिल था। यह उल्लेख किया गया है कि प्लारिस्टिक अपशिष्ट वर्तमान में मात्रात्मक रूप से मापने योग्य नहीं है, और इस कारण से हमारे मूल्यांकन में इसकी मात्रात्मकता को शामिल नहीं किया गया है।

संलग्नता की परिस्थितियों को देखते हुए, ऊपर सूचीबद्ध प्रक्रियाओं को निष्पादित करने में, हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई प्रक्रियाओं और सूचनाओं के साथ-साथ आश्वासन संलग्नता के दौरान प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए माप दृष्टिकोण के आधार पर पहचानी गई स्थिरता जानकारी पर उचित आश्वासन प्रदान किया। इस सहभागिता के एक भाग के रूप में, हमने परिमाणीकरण विधियों की उपयुक्तता, पहचानी गई स्थिरता जानकारी तैयार करने में बैंक द्वारा उपयोग किए गए मानदंडों की उपयुक्तता और बीआरएसआर 2024-25 में निहित पहचानी गई स्थिरता जानकारी को सुनिश्चित करने/तैयार करने के लिए बैंक द्वारा किए गए अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन किया।

अपवर्जन:

हमारे आश्वासन के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं है और इसलिए हम उस पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं:

- बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित जानकारी।
- बीआरएसआर के पहलू और पहचानी गई स्थिरता जानकारी के अलावा डेटा/सूचना (गुणात्मक या मात्रात्मक)
- परिभाषित रिपोर्टिंग अवधि यानी 31.03.2024 के बाहर का डेटा और सूचना।
- वे कथन जो कंपनी द्वारा प्रदान किए गए विचार, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा, लक्ष्य या भविष्य के इरादों की अभिव्यक्ति का वर्णन करते हैं।

मन्तव्य

हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कि दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए परिचिह्नित स्थिरता सूचना (जैसा कि 'परिचिह्नित स्थिरता सूचना' के अंतर्गत बताया गया है) सभी भौतिक मामलों में मानदंडों के अनुसार तैयार की गई है और हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि बैंक के बीआरएसआर 2024-25 में बताई गई परिचिह्नित स्थिरता संबंधी जानकारी सेबी द्वारा अपने परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122 दिनांक 12.07.2023 द्वारा निर्धारित मानकों/दृष्टिकोण के आधार पर, भौतिक संबंध में निष्पक्ष रूप से नहीं बताई गई है। व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) कोर पर उद्योग मानक नोट और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2025/42 दिनांक 28.03.2025।

जीएचजी उत्सर्जन की गणना के लिए जिन धारणाओं का पालन किया जा रहा है, उनकी और समीक्षा की जा सकती है और उन्हें मजबूत किया जा सकता है और डेटा मालिकों के बीच स्थिरता से संबंधित प्रकटीकरण की समझ को बढ़ाने की गुंजाइश है।

प्रयोग पर प्रतिबंध

हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से बैंक के अनुरोध पर तैयार की गई है और बैंक के निदेशक मंडल को संबोधित की गई है। तदनुसार, हम बैंक के अलावा किसी अन्य के प्रति कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। बैंक के अलावा कोई भी पक्ष जो हमारी रिपोर्ट या उसकी प्रति तक पहुंच प्राप्त करता है और हमारी रिपोर्ट (या उसके किसी भी हिस्से) पर भरोसा करता है, वह अपने जोखिम पर ऐसा करेगा। हमारे डिलिवरेबल्स का उपयोग बैंक के अलावा किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। फर्म न तो किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य पक्ष के लिए देखभाल या दायित्व के किसी भी कर्तव्य को स्वीकार करती है और न ही मानती है, जिसे हमारे डिलिवरेबल्स दिखाए जाते हैं या जिनके हाथों में यह लिखित रूप में हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है।

कृते के घोष एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म का पंजीकरण क्रमांक 326664ई)

ह/-

(सीए कौशिक घोष)

पदनाम : स्वत्वाधिकारी

सदस्यता संख्या :061176

यूडीआईएन: 25061176BMUPEN5554

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 08.05.2025

अनुलग्नक-ए

(कारोबारी उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) 2024-25 में चुनिंदा गैर-वित्तीय स्थिरता प्रकटीकरण पर यूको बैंक को स्वतंत्र उचित आश्वासन रिपोर्ट का हिस्सा बनाना)

सिद्धांत संख्या	परिचिह्नित संधारणीयता संबंधी जानकारी	मापन दृष्टिकोण
1.	- देय खातों के दिनों की संख्या - व्यवसाय का खुलापन	देय खातों के दिनों की संख्या. देय खातों के दिनों की इस संख्या की गणना करने के लिए, डेटा ऑडिटेड वित्तीय विवरण से लिया गया है। (देय खाते*365 / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत)। अन्य देयता अनुसूची और परिचालन व्यय अनुसूची के तहत प्रासंगिक मदों पर विचार किया गया है। व्यवसाय का खुलापन व्यवसाय की प्रकृति के कारण, यह सीधे लागू नहीं होता है। हालाँकि, बैंक द्वारा अपने सहयोगी (पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक 31.03.2025 तक) में किए गए निवेश पर विचार किया गया है। डेटा 2024-25 के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण की निवेश अनुसूची से लिया गया है।
3.	- कर्मचारियों की भलाई के उपायों पर व्यय - कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण	कर्मचारियों की भलाई के उपायों पर खर्च कर्मचारियों की भलाई के लिए किए गए व्यय जैसे स्वास्थ्य जांच, चश्मा, नेत्र जांच, मनोरंजन भत्ता, असुविधा भत्ता, सफाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम आदि की लागत की प्रतिपूर्ति को ध्यान में रखा जाता है और बैंक के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परिचालन से कुल राजस्व ब्याज अर्जित अनुसूची और अन्य आय अनुसूची लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से लिया गया था। परिचालन से राजस्व निकालने के लिए भवन/अन्य परिसंपत्तियों (शुद्ध) की बिक्री पर लाभ/(हानि) को अन्य आय से घटाया गया। बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां हैं, जिनमें विभिन्न कर्मचारी कल्याण उपाय शामिल हैं। कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण कारोबार की प्रकृति को देखते हुए यह प्रयोज्य नहीं है। हालाँकि, बैंक अपने कार्य परिवेश में स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है और उनका पालन करता है।
5.	- भुगतान की गई मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को सकल मजदूरी का भुगतान - पीओएसएच पर शिकायतें	महिलाओं को भुगतान की गई मजदूरी के % के रूप में सकल वेतन का भुगतान इस जानकारी के लिए हमने बैंक के कर्मचारियों के वेतन से संबंधित संबंधित विभाग/सेल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर भरोसा किया है। पीओएसएच पर शिकायतें इस जानकारी के लिए, हमने बैंक के संबंधित विभाग/सेल द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा किया है। वर्ष 2024-25 के दौरान पीओएसएच पर कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई।
6.	- ग्रीन-हाउस गैस (जीएचजी) फुटप्रिंट - ऊर्जा फुटप्रिंट - जल फुटप्रिंट - गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन - अवशिष्ट प्रबंधन	ग्रीन-हाउस गैस (जीएचजी) फुटप्रिंट स्कोप I. उत्सर्जन केवल बैंक के स्वामित्व वाले वाहन को कवर करता है। हम स्कोप I. उत्सर्जन की गणना के चरणों का सारांश प्रस्तुत करते हैं - चरण I: शाखाओं/कार्यालयों द्वारा किया गया राज्यवार पेट्रोल व्यय चरण II: राज्यवार पेट्रोल की कीमत

सिद्धांत संख्या	परिचिह्नित संधारणीयता संबंधी जानकारी	मापन दृष्टिकोण
		चरण III: लीटर में राज्यवार पेट्रोल की खपत का पता लगाना (चरण I / चरण II) चरण IV: सभी राज्यों की पेट्रोल खपत का योग और उत्सर्जन कारक से गुणा किया गया चरण V: चरण IV से KgCo2 में अनुमानित दायरा। उत्सर्जन KgCo2 को tCo2 में बदला गया। नोट: वित्त वर्ष 2024-25 और 2023-24 के लिए उपयोग किए जाने वाले पेट्रोल के लिए उत्सर्जन कारक 2.27 है (भारत जीएचजी कार्यक्रम के अनुसार) कुल ईंधन खपत (2024-25): 3,92,271 लीटर स्कोप II उत्सर्जन ग्रिड से केवल बैंक की बिजली खपत को कवर करता है। हम स्कोप II उत्सर्जन की गणना के चरणों का सारांश प्रस्तुत करते हैं - चरण I: शाखाओं/कार्यालयों द्वारा किया गया राज्यवार बिजली व्यय चरण II: राज्यवार प्रति यूनिट बिजली शुल्क चरण III: Kwh में राज्यवार बिजली की खपत का पता लगाना (चरण I / चरण II) चरण IV: सभी राज्यों की बिजली खपत का योग और उत्सर्जन कारक से गुणा किया गया चरण V: चरण IV से KgCo2 में स्कोप II उत्सर्जन का पता लगाया गया KgCo2 को tCo2 में बदला गया। नोट: वित्त वर्ष 2024-25 और 2023-24 के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली के लिए उत्सर्जन कारक 0.727 है (भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के Co2 बेसलाइन डेटाबेस, संस्करण 20.0 से प्राप्त) कुल विद्युत खपत (2024-25): 3,40,096.60 गीगा जूल ऊर्जा फुटप्रिंट बिजली की खपत (किलोवाट घंटे में) और ईंधन की खपत (लीटर में) को स्कोप II उत्सर्जन और स्कोप I उत्सर्जन गणना के रूप में लिया जाता है और इसे गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के तहत गीगाजूल में परिवर्तित किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का उल्लेख 2024-25 के लिए किया गया है और इसे कुल ऊर्जा खपत में शामिल किया गया है। जल फुटप्रिंट एवं सतत जल प्रतिदिन जल उपभोग का निर्धारण करने के लिए भारतीय मानक दस्तावेज - जल आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की संहिता (चौथा संशोधन) का संदर्भ लिया गया। दस्तावेज के अनुसार प्रति व्यक्ति (कार्यालयों) को प्रतिदिन 45 लीटर जल आपूर्ति की आवश्यकता के अनुमान के साथ प्रति वर्ष 250 कार्य दिवसों के लिए डेटा की गणना की गई। संख्या की गणना करने के लिए, हमने वर्ष के अंत तक कर्मचारियों की संख्या का उपयोग किया है और उसके अनुसार गणना की है। टर्नओवर के आधार पर जल तीव्रता: 8.05 किलोलीटर / प्रति करोड़ रुपये

सिद्धांत संख्या	परिचिह्नित संधारणीयता संबंधी जानकारी	मापन दृष्टिकोण
		गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन कारोबार की प्रकृति को देखते हुए यह प्रयोज्य नहीं है। अवशिष्ट प्रबंधन इसके तहत बैंक के संबंधित विभाग/सेल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ई-कचरे पर डेटा रिपोर्ट किया गया है। कारोबार की प्रकृति को देखते हुए अन्य अपशिष्ट श्रेणियां महत्वपूर्ण / प्रयोज्य नहीं हैं। नोट: इस रिपोर्ट में जहां भी उपयोग किया गया है, वित्त वर्ष 2024-25 और 2023-24 के लिए पीपीपी रूपांतरण दर 20.66 रुपये प्रति अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी डॉलर है (स्रोत- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) - वर्ल्ड इकनोमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) डेटाबेस)
8.	- सोर्स की गई इनपुट सामग्री - छोटे शहरों में रोजगार सृजन	सोर्स की गई इनपुट सामग्री व्यवसाय की प्रकृति के कारण, यह लागू नहीं है छोटे शहरों में रोजगार सृजन 31.03.2025. हमने कर्मचारियों के एमआईएस पर भरोसा किया है और 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारियों की नौकरी पोस्टिंग के आधार पर डेटा प्राप्त किया गया है।
9.	ग्राहकों के डेटा की हानि / उल्लंघन से जुड़े मामले	बैंक के संबंधित विभाग/प्रकोष्ठ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्राहकों के डेटा के नुकसान/उल्लंघन से संबंधित कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

कृते के घोष एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म का पंजीकरण क्रमांक 326664ई)

ह/-

(सीए कौशिक घोष)
पदनाम : स्वत्वाधिकारी
सदस्यता संख्या :061176
यूडीआईएन: 25061176BMUPEN5554

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 08.05.2025

INDEPENDENT REASONABLE ASSURANCE REPORT TO UCO BANK ON SELECT NON-FINANCIAL SUSTAINABILITY DISCLOSURES IN THE BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT (BRSR) 2024-25

To
The Board of Directors
UCO Bank
Kolkata

We ("M/s K Ghosh & Associates, Chartered Accountants or the Firm") have been engaged by the UCO Bank ("Bank") for the purpose of providing Independent Reasonable Assurance on the select non-financial sustainability disclosures ("Identified Sustainability Information") presented in the Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) 2024-25 of the Bank for the period covering 1st April 2024 to 31st March 2025.

Identified Sustainability Information

The Identified Sustainability Information for the year ended 31.03.2025 is summarized below:

Sustainability Information where reasonable assurance is carried out	Cross Reference to BRSR 2024-25
- Number of days of accounts payable. - Open-ness of business	Under Principle 1 Q: 8 of Essential Indicators Q: 9 of Essential Indicators
- Spending on measures towards well-being of employees - Details of safety related incidents for employees	Under Principle 3 Q : 1(c) of Essential Indicators Q : 11 of Essential Indicators
- Gross wages paid to females as % of wages paid - Complaints on POSH	Under Principle 5 Q : 3(b) of Essential Indicators Q : 7 of Essential Indicators
- Energy footprint - Water footprint - Water Discharge by destination and levels of Treatment - Green-house gas (GHG) footprint - Waste Management	Under Principle 6 Q : 1 of Essential Indicators Q : 3 of Essential Indicators Q : 4 of Essential Indicators Q : 7 of Essential Indicators Q : 9 of Essential Indicators
- Input material sourced - Job creation in smaller towns	Under Principle 8 Q : 4 of Essential Indicators Q : 5 of Essential Indicators
Instances involving loss / breach of data of customers	Under Principle 9 Q : 7 of Essential Indicators

Our reasonable assurance engagement was with respect to the year ended 31.03.2025 information only unless otherwise stated and we have not performed any procedures with respect to earlier periods or any other elements included in the BRSR and, therefore, do not express any conclusion thereon.

Criteria

The criteria used by the Bank to prepare the Identified Sustainability Information is enclosed as Annexure-A

Management's Responsibility

The management at the Bank is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the BRSR, taking into account applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Sustainability Information, Identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the measurement of Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error. The management at the Bank is responsible reviewing the contents of the BRSR on an annual basis.

Inherent limitations

The absence of a significant body of established practice on which to draw to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities.

Our Independence and Quality Control

We have maintained our independence and confirm that we have met the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement.

The firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements", and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards, and applicable legal and regulatory requirements.

Our Responsibility

Our responsibility is to express a reasonable assurance conclusion on the Identified Sustainability Information contained in the BRSR 2024-25 based on the procedures and information provided by the Management of the Bank. In carrying out our engagement, we have referred to key policies of the Bank, including the ESG Policy, CSR & Donation Policy, and Whistle Blower Policy. As we had previously conducted a reasonable assurance engagement on the Identified Sustainability Information disclosed in the BRSR 2023-24, we have placed reliance on that engagement and, accordingly, continue to express our assurance on the corresponding comparative information included in the BRSR 2024-25, to the extent that such data remains consistent and comparable.

We conducted our engagement in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information", issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the Institute of Chartered Accountants of India. This standard requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Identified Sustainability Information are prepared, in all material respects, in accordance with the Reporting Criteria. A reasonable assurance engagement involves assessing the risks of material misstatement of the Identified Sustainability Information whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances.

The procedures we performed were based on our professional judgment and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records. It is noted that plastic waste are currently not quantifiable and, therefore, were excluded from quantification in our assessment.

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, we provided Reasonable Assurance on Identified Sustainability Information based on the procedures and information as provided by the Management as well measurement approach used by the Management during the assurance engagement. As a part of this engagement, we evaluated appropriateness of the quantification methods, suitability of the criteria used by the Bank in preparing the Identified Sustainability Information and the reasonableness of the estimates made by the Bank for ascertaining/preparing the Identified Sustainability Information contained in the BRSR 2024-25.

Exclusions:

Our assurance scope excludes the following and therefore we do not express a conclusion on the same:

- Information related to the Bank's Financial Performance
- Aspects of the BRSR and the data/information (qualitative or quantitative) other than the Identified Sustainability Information.
- The statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, aim, or future intentions provided by the Company

Opinion

Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, the Identified Sustainability Information for the year ended 31.03.2025 (as stated under "Identified Sustainability Information") are prepared in all material respects, in accordance with the criteria and nothing has come to our attention that causes us to believe that Identified Sustainability Information disclosed in the Bank's BRSR 2024-25 are not fairly stated and properly prepared, in material respects, based on the standards/approach stipulated by the SEBI vide their circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated 12.07.2023, Industry Standards Note on Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) Core and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2025/42 dated 28.03.2025.

The assumptions that are being followed for calculation of GHG emissions can be further reviewed and strengthened and there is a scope of enhancing the understanding of the sustainability related disclosures among the data owners.

Restriction on use

Our report has been prepared and addressed to the Board of Directors of the Bank at the request of the Bank solely. Accordingly, we accept no liability to anyone, other than the Bank. Any party other than the Bank who obtains access to our report or a copy thereof and chooses to rely on our report (or any part thereof) will do so at its own risk. Our Deliverables should not be used for any other purpose or by any person other than the Bank. The firm neither accepts nor assumes any duty of care or liability for any other purpose or to any other party to whom our Deliverables are shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For K Ghosh & Associates
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. 326664E)

sd/-

(C A Kausik Ghosh)
Designation: Proprietor
Membership No: 061176
UDIN : 25061176BMUPEN5554

Place: Kolkata
Date: 08.05.2025

Annexure - A

(Forming part of Independent Reasonable Assurance Report to UCO Bank on Select Non-Financial Sustainability Disclosures in the Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) 2024-25)

Principle No.	Identified Sustainability Information	Measurement Approach
1.	- Number of days of accounts payable. - Open-ness of business	Number of days of accounts payable. To compute this number of days of accounts payable, data has been taken from Audited financial statement.(Accounts Payable*365 / Cost of goods/services procured). Relevant items under Other Liabilities Schedule and Operating Expenses Schedule have been considered. Open-ness of business Owing to the nature of business, this is not directly applicable. However, Bank's investment in its Associate (Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2025) has been considered. Data has been taken from Investment Schedule of Audited financial statement for 2024-25.
3.	- Spending on measures towards well-being of employees - Details of safety related incidents for employees	Spending on measures towards well-being of employees Expenditure incurred towards well-being of employees viz. reimbursement to Cost of Health check-up, Spectacles, Eye Check-up, Entertainment Allowance, Discomfort Allowance, Cleaning Allowance, Medical Allowance and Health Insurance Premium etc. are taken into consideration and presented as a percentage of total revenue of the Bank. Total revenue from operations was taken from Interest Earned Schedule and Other Income Schedule audited financial statements. Profit/(Loss) on sale of building/Other assets (net) deducted from Other income for arriving at Revenue from Operations. The Bank has Board-approved policies in place that encompass various employee well-being measures. Details of safety related incidents for employees Owing to the nature of business, this is not applicable. However, the Bank actively promotes and adheres to health and safety standards within its work environment.
5.	- Gross wages paid to females as % of wages paid - Complaints on POSH	Gross wages paid to females as % of wages paid For this information, we have relied on the information provided by the respective department/cell dealing with Salaries of the employees of the Bank. Complaints on POSH For this information, we have relied on the information provided by the respective department/cell of the Bank. No complaints on POSH reported during the year 2024-25.
6.	- Green-house gas (GHG) footprint - Energy footprint - Water footprint - Water Discharge by destination and levels of Treatment - Waste Management	Green-house gas (GHG) footprint Scope I emission covers only Bank's owned vehicle. We summarize the steps for computation of Scope I emission - Step I : State Wise Petrol Expenditure incurred by the Branches /Offices

Principle No.	Identified Sustainability Information	Measurement Approach
		Step II : State Wise Petrol Price Step III : Ascertained State wise Petrol Consumption in litres (Step I / Step II) Step IV : Summation of Petrol Consumption of all States and multiplied by emission factor Step V : Ascertained Scope I Emission in KgCo2 from Step IV. Converted the KgCo2 into tCo2 Note : Emission Factor for Petrol used for FY 2024-25 and 2023-24 is 2.27 (As per India GHG Programme) Total Fuel Consumption (2024 - 25) : 392271 litre Scope II emission covers only bank's electricity consumption from Grid. We summarize the steps for computation of Scope II emission - Step I : State Wise electricity expenditure incurred by the Branches /Offices Step II : State Wise per unit electricity charges Step III : Ascertained State wise electricity Consumption in Kwh (Step I / Step II) Step IV : Summation of electricity consumption of all States and multiplied by emission factor Step V : Ascertained Scope II Emission in KgCo2 from Step IV. Converted the KgCo2 into tCo2 Note : Emission factor for electricity used for FY 2024-25 and 2023-24 is 0.727 (derived from the Central Electricity Authority (CEA)'s Co2 Baseline Database for the Indian Power Sector, Version 20.0) Total electricity Consumption (2024 -25) : 3,40,096.60 Giga Joule Energy footprint Electricity Consumption (in Kwh) and Fuel Consumption (in litres) is taken Scope II emission and Scope I emission calculation and converted the same into Gigajoules under non-renewable energy. Usage of renewable energy is mentioned for 2024-25 and considered in the total energy consumption. Water Footprint and sustainable water In order to determine water consumption per day, Indian Standard document - Code of basic requirements for water supply, drainage, and sanitation (Fourth Revision) was referred. Data for 250 working days per year was calculated with an estimate of 45 litres per day per head (offices) as daily water supply requirement as per the document. To compute the number, we have used the employee count as on year end and worked out accordingly. Water Intensity based on Turnover- 8.05 KI/Rs. in crore

Principle No.	Identified Sustainability Information	Measurement Approach
		Water Discharge by destination and levels of Treatment Owing to the nature of business, this is not applicable. Waste Management Data on E-waste has been reported under this based on the information provided by the respective department/cell of the Bank. Owing to the nature of business, other wastes categories are not material/applicable. Note : PPP conversion rate, wherever used in this report, for FY 2024-25 and 2023-24 is Rs.20.66 INR per international US dollar (Source- International Monetary Fund (IMF) - World Economic Outlook (WEO) database)
8.	- Input material sourced - Job creation in smaller towns	Input material sourced Owing to the nature of business, this is not applicable Job creation in smaller towns We have relied on the MIS of Employees and data has been fetched based on the job posting of employees for the year ended 31.03.2025.
9.	Instances involving loss / breach of data of customers	No instances involving loss / breach of data of customers has been reported for the FY 2024-25 as per the information furnished by the respective department/cell of the Bank

For K Ghosh & Associates
Chartered Accountants
(Firm's Registration No. 326664E)

sd/-

(C A Kausik Ghosh)
Designation: Proprietor
Membership No: 061176
UDIN : 25061176BMUPEN5554

Place: Kolkata
Date: 08.05.2025

कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन :

यूको बैंक कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धति के लिए अक्षरशः प्रतिबद्ध है। सर्वोत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं का पालन करना बैंक के कार्यों का एक अभिन्न हिस्सा है। बैंक का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन अधिक से अधिक सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन से है। सुशासन उच्च स्तर का व्यावसायिक सदाचार प्रदान करता है और बड़े पैमाने पर अपने सभी हितधारकों और समाज को अत्यधिक महत्व देता है।

यूको बैंक का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कॉर्पोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कॉर्पोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपनी सर्वोत्तम पद्धति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार धारा 9 (3ए) (ए) के अंतर्गत खंड एच के अंतर्गत नामित निदेशकों तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) के क्लॉज (आई) के अंतर्गत शेरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों को निम्न में से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारी क्षेत्र (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या विशेष ज्ञान का कोई और क्षेत्र और व्यावहारिक अनुभव जिसे बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक समझे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. एपीपीटी. बीसी. संख्या 38/29.39.001/ 2016-17 दिनांक 24.11.2016 द्वारा अधिसूचित किया है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यापार प्रबंधन को बैंकिंग के लिए विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव के क्षेत्र में उपयोगी समझा जाए।

बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

2.1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) 9(3) (क) से 9 (3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त /

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank:

UCO Bank is committed to the best practices in the area of corporate governance practices, in letter and in spirit. Adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations. Bank believes that good corporate governance is much more than complying with statutory and regulatory requirements. Good governance facilitates high level of business ethics and to optimise the value for all its stakeholders and the society, at large.

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavours to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value for all its stakeholders and the society, at large.

2. Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are to be read along with these statutes.

In terms of Section 9 (3A) (A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the directors nominated under Clause (h) and elected by the shareholders under Clause (i) of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely: (i) agricultural and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operative, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank.

Reserve Bank of India vide its circular No. DBR.Appt.BC.No.38/ 29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 notified that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, would be useful to a banking company.

The Directors of the Bank are experienced and have requisite expertise in the fields of banking, finance, and risk management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

2.1 Managing Director & Chief Executive Officer and two Executive Directors are the whole-time directors. All directors including the whole-time directors are appointed/nominated by Government of India under various sections viz. 9(3) (a) to 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act). Besides,

नामांकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन शेयरधारक अपने में से एक निदेशक का निर्वाचन (केन्द्र सरकार से भिन्न) कर सकते हैं।

2.2 दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन किया गया है। प्रत्येक निदेशक का विवरण, निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ जिनमें वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों में अध्यक्ष या निदेशक होने तथा बैंक में हितधारिता की जानकारी नीचे प्रस्तुत की जा रही है:

under Section 9(3) (i) of the said Act, the shareholders of the Bank are entitled to elect one director (other than the Central Government) from among themselves.

2.2 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2025:

The Board is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The details of each Director, no. of various Board Committees where he/she is a member or Chairperson, directorship of other companies and shareholding in the Bank are as follows:

क्रम सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार धारित यूको बैंक शेयर	बैंक की समितियों में सदस्यता की संख्या (बोर्ड को छोड़कर)	अन्य बैंक/कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद
Sl. No.	Name & Designation of Director	Date of assuming office	No. of UCO Bank shares held as on 31.03.2024	No. of membership in Committees of the Bank excluding Board	No. of membership/ Chairmanship in committees of the board of other bank/companies	Directorship held in other companies
1.	श्री अरवमुदन कृष्णा कुमार, अंशकालिक गैर - सरकारी निदेशक एवम गैर - कार्यपालक अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part-time Non-Official Director and Non-Executive Chairman of the Board	21.02.2024	शून्य/Nil	7	4	3
2.	श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer	01.06.2023	शून्य/Nil	13	शून्य/Nil	1*
3.	श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक अधिकारी Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director	21.11.2022	शून्य/Nil	13	शून्य/Nil	शून्य/Nil
4.	श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले, कार्यपालक अधिकारी Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble, Executive Director	09.10.2023	शून्य/Nil	13	शून्य/Nil	शून्य/Nil
5.	श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार के नामित निदेशक Shri Sudhir Shyam Government Nominee Director	13.05.2024	शून्य/Nil	10	शून्य/Nil	शून्य/Nil
6.	डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक Dr. Sarada Prasan Mohanty RBI Nominee Director	05.08.2024	शून्य/Nil	4	शून्य/Nil	शून्य/Nil

क्रम सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार धारित यूको बैंक शेयर	बैंक की समितियों में सदस्यता की संख्या (बोर्ड को छोड़कर)	अन्य बैंक/कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद
Sl. No.	Name & Designation of Director	Date of assuming office	No. of UCO Bank shares held as on 31.03.2024	No. of membership in Committees of the Bank (excluding Board)	No. of membership/ Chairmanship in committees of the board of other bank/companies	Directorship held in other companies
7.	श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Subhash Shankar Malik Part-time Non-Official Director	08.05.2023	शून्य/Nil	4	शून्य/Nil	शून्य/Nil
8.	सुश्री रचना खरे, शेयर धारक निदेशक Ms. Rachna Khare Shareholder Director	10.01.2025	120	14	शून्य/Nil	शून्य/Nil

*Shri Ashwani Kumar, MD & CEO, was nominated by Central Government as Director on the Board of Export Import Bank of India w.e.f. 13th May 2024 till further orders.

(* श्री अश्विनी कुमार, एमडी और सीईओ, को केंद्र सरकार द्वारा 13 मई 2024 से अगले आदेश तक भारतीय निर्यात आयात बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है।)

नोट: 31.03.2025 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार के निदेशकत्व का विवरण:

Note : Details of Directorship of Shri Aravamudan Krishna Kumar in other listed entities as on 31.03.2025 :

क्र.सं. Sl no	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम Name of other listed entities	निदेशकत्व की श्रेणी Category of Directorship
1.	एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड MTAR TECHNOLOGIES LIMITED	स्वतंत्र निदेशक Independent Director
2.	जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड ZAGGLE PREPAID OCEAN SERVICES LIMITED	स्वतंत्र निदेशक Independent Director
3.	डेल्टा टीवीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड DELHI TVS TECHNOLOGIES LTD.	स्वतंत्र निदेशक Independent Director

2.2.1 दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त /इस्तीफा देने वाले निदेशकगण

2.2.1 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2025:

क्र. सं. Sl. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख Date of Cessation of Directorship w.e.f.	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	श्री रवि कुमार अग्रवाल Shri Ravi Kumar Agrawal	21.12.2021	20.12.2024	12
2	अंजन तालुकदार, Shri Anjan Talukdar	21.12.2021	20.12.2024	11
3	श्री प्रमोदा रंजन मिश्रा Shri Pramoda Ranjan Mishra	01.02.2024	14.11.2024	14

2.2.2 दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान शामिल होने वाले निदेशक:
2.2.2 Directors who joined during the year ended on 31.03.2025:

क्र. सं. Sl. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख Date of Cessation of Directorship w.e.f.	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	श्री सुधीर श्याम Shri. Sudhir Shyam	13.05.2024	अगले आदेश तक Till further orders	10
2	डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती Dr. Sarada Prasan Mohanty	05.08.2024	अगले आदेश तक Till further orders	4
3	सुश्री रचना खरे Ms. Rachna Khare	10.01.2025	09.01.2028	14

2.2.3 निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, गैर- कार्यपालक अध्यक्ष

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि धारक और भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं। उनका भारतीय स्टेट बैंक में 39 वर्षों का लंबा और प्रतिष्ठित करियर रहा है। उन्होंने अप्रैल-2011 से नवंबर-2014 की अवधि में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया।

वे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, आंध्र बैंक, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई काइर्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड जैसी कई प्रतिष्ठित कंपनियों के बोर्ड में भी रहे हैं।

वर्तमान में वे एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डेल्टा टीवीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टीवीएस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड जैसी कई कंपनियों के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक हैं।

श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री अश्वनी कुमार वाणिज्य में स्नातकोत्तर, चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के सर्टिफाइड सदस्य भी हैं। उन्हें बैंकिंग में दो दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है।

श्री अश्वनी कुमार सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अब पंजाब नेशनल बैंक में विलय), पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक में कार्यरत रहे। उनके व्यावसायिक अनुभव में थोक बैंकिंग प्रभाग और औद्योगिक वित्त शाखाओं और बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं सहित कई शाखाओं के प्रमुख के रूप में काम करने का अनुभव शामिल है। महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने मिड कॉर्पोरेट और लार्ज कॉर्पोरेट वर्टिकल का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंचल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है, विभिन्न अंचलों कार्यालयों के प्रधान का दायित्व निभाया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में भी कार्य किया है।

एक उत्साही ज्ञानार्जक के रूप में, उन्होंने आईआईएम और कैफ़रल सहित भारत और विदेशों में प्रमुख संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों

2.2.3 Brief Profile of the Directors

Shri Aravamudan Krishna Kumar, Non-Executive Chairman

Shri Aravamudan Krishna Kumar holds Bachelor degree in Economics from Delhi University and Certified Associate of the Indian Institute of Bankers (CAIIB). He has had a long and distinguished career of 39 years at State Bank of India. He served as the Managing Director of the State Bank of India for the period April' 2011 - November' 2014.

He has also been on the Board of several reputed companies such as Central Depository Services (India) Limited, Andhra Bank, Rural Electrification Corporation Limited, SBI Life Insurance Company Limited, SBI Commercial and International Bank Limited, SBI Cap Securities Limited, SBI General Insurance Company Limited, SBI Cards and Payment Services Limited to name a few.

At present he is an independent director on the Board of several companies such as MTAR Technologies Limited, Delphi TVS Technologies Limited, Zaggie Prepaid Ocean Services Limited to name a few.

Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer

Shri Ashwani Kumar is a Chartered Accountant, Post Graduate in Commerce and also a Certified Member of Indian Institute of Banking and Finance. He has more than two decades of rich experience in banking.

Shri Ashwani Kumar rose through the ranks serving in various Public Sector Banks such as Bank of Baroda, Corporation Bank, Oriental Bank of Commerce (now merged with Punjab National Bank), Punjab National Bank and Indian Bank. His experience includes Wholesale Banking Division and Head of several branches including Industrial Finance Branches and Large Corporate Branches. As a General Manager, he was heading Mid Corporate and Large Corporate verticals. He has served as a Zonal Manager, heading various Zones and also as the Chief Financial Officer (CFO).

As an avid learner, he has attended various training programs in premier institutes in India and abroad including IIM and CAFRAL.

में भाग लिया है। उन्होंने आईबीए के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा क्यूरेट किए गए आईआईएम बैंगलोर तथा एगॉन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है।

एमडी और सीईओ के रूप में यूको बैंक में शामिल होने से पहले, वे इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक थे।

श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक

श्री राजेन्द्र कुमार साबू ने दिनांक 21.11.2022 को यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री राजेन्द्र कुमार साबू ने वर्ष 1994 में तत्कालीन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें क्षेत्रीय और प्रशासनिक कार्यालयों में विभिन्न पदों पर बैंकिंग-कार्य का वृहत् अनुभव है। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और क्लस्टर प्रमुख के रूप में कार्य किया है। उन्होंने महाप्रबंधक के रूप में एकीकृत ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और कोष प्रबंधन का नेतृत्व किया। यूको बैंक में शामिल होने से पहले श्री साबू पंजाब नेशनल बैंक में कार्यनीति प्रबंधन, आर्थिक सलाहकार, एमआईएस और डेटा एनालिटिक्स के मुख्य महाप्रबंधक थे।

श्री राजेन्द्र कुमार साबू वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं और उन्हें व्यवसाय प्रशासन (बैंकिंग और वित्त) में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं और वे एडवॉरुड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट के सर्टिफिकेटधारी हैं। उन्होंने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा संचालित क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार साबू को कई बैंकिंग डोमेनों यथा, ब्रांच बैंकिंग, क्रेडिट, एचआर, ट्रेजरी आदि में काम करने का अनुभव है।

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले, कार्यपालक निदेशक

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले बैंकिंग क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक के व्यापक कैरियर वाले एक अनुभवी बैंकर हैं। उन्होंने 1990 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक कृषि क्षेत्र अधिकारी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और तब से वे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते आए हैं। उन्हें नागपुर अंचल, मुंबई अंचल आदि जैसे प्रमुख स्थानों में अंचल प्रबंधक के रूप में काम करने का अनुभव है। इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड आदि के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया है।

श्री कांबले की शैक्षिक योग्यताओं में पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्राप्त मास्टर डिग्री शामिल है। वे भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने भारत में प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिनमें आईआईएम, आईडीबीआरटी, एनआईबीएम शामिल हैं। विशेष रूप से, उन्होंने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) के माध्यम से आयोजित आईआईएम बैंगलोर में पीएसबी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया।

यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक की भूमिका ग्रहण करने से पूर्व श्री कांबले बैंक ऑफ महाराष्ट्र में महाप्रबंधक के पद पर थे, जहां उन्होंने मुंबई अंचल के प्रचालन का पर्यवेक्षण किया। श्री कांबले को संसाधन नियोजन, कृषि में ऋण प्राथमिकता, और व्यवसाय विकास कार्यक्षेत्र आदि सहित विविध बैंकिंग डोमेनों में काम की व्यापक विशेषज्ञता प्राप्त है।

श्री सुधीर श्याम भारत सरकार के नामित निदेशक

श्री सुधीर श्याम भारतीय आर्थिक सेवा (IES) के 1999 बैच के अधिकारी हैं, जो भारत सरकार के आर्थिक विकास कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा में पेशेवर सहायता प्रदान

He has also completed the Leadership Development Programme of IIM Bangalore, curated by the Banks Board Bureau in consultation with IBA and Egon Zehnder International Pvt. Ltd.

Prior to joining UCO Bank as MD & CEO, he was Executive Director of Indian Bank.

Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director

Shri Rajendra Kumar Saboo assumed the charge as Executive Director of UCO Bank on 21.11.2022. Shri Rajendra Kumar Saboo started his career as a Probationary Officer in erstwhile Oriental Bank of Commerce in the year 1994 and has a rich banking experience in various capacities at field and administrative offices. He acted as Branch Head, Regional Head and Cluster Head at various locations. In his capacity as General Manager, he headed Integrated Treasury & International Banking, Digital Banking and Wealth Management. Before joining UCO Bank, Shri Saboo was the Chief General Manager in Punjab National Bank heading Strategic Management, Economic Advisory, MIS and Data Analytics.

Shri Rajendra Kumar Saboo is a Post Graduate in Commerce and holds a Master Degree in Business Administration (Banking & Finance). He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIB) and holds a certificate for Advanced Diploma in Management. He had undergone the Leadership Development Program for Senior Management of PSBs conducted through Financial Services Institutions Bureau (FSIB).

Shri Rajendra Kumar Saboo has experience across multiple banking domains viz. Branch Banking, Credit, HR, Treasury etc.

Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble, Executive Director

Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble is a seasoned banker with an extensive career spanning over 33 years in the banking sector. He embarked on his journey in 1990 as an Agriculture Field Officer at Bank of Maharashtra and has since held various significant positions. His experience includes working as a Zonal Manager in key locations such as Nagpur Zone, Mumbai Zone etc. Furthermore, he has contributed his expertise as a Director on the Board of Maharashtra Gramin Bank, PSB Alliance Pvt. Ltd. etc.

Shri Kamble's educational qualifications include a Master's Degree in Economics from Pune's Savitribai Phule University and he is also a Certified Associate of the Indian Institute of Banking and Finance. Throughout his career, he has actively participated in numerous training programs conducted by prestigious institutions in India, including IIM, IDBRT, NIBM, among others. Notably, he successfully completed the Leadership Development Programme for Senior Management of PSBs at IIM Bangalore conducted through Financial Services Institutions Bureau (FSIB).

Before assuming the role of Executive Director at UCO Bank, Shri Kamble held the position of General Manager at Bank of Maharashtra, where he oversaw the operations of the Mumbai Zone. Shri Kamble possesses extensive expertise across diverse banking domains, including Resource Planning, Credit Prioritization in Agriculture, and Business Development Verticals, etc.

Shri Sudhir Shyam, GOI Nominee Director

Shri Sudhir Shyam is an officer of 1999 batch of Indian Economic Service (IES) which provides professional backup in the formulation, implementation, monitoring and review of Economic

करते हैं। उन्होंने दिल्ली विविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया है। इसके बाद, उन्होंने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से स्नातकोत्तर और दर्शनशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उनका करियर तीन दशकों की अवधि में अर्थशास्त्र, प्रशासन और संबंधित क्षेत्रों में अनुभव के साथ फैला हुआ है। श्री सुधीर श्याम को वित्तीय क्षेत्र में काफी अनुभव है और उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग में बैंकिंग, बीमा और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्षेत्र में जिम्मेदारी संभाली है। वह वर्तमान में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (RDDBFI अधिनियम) के पहले स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक रह चुके हैं। वर्तमान में वे ओरिएंटल इंयोरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं और सीईआरएसआई के बोर्ड में भी हैं।

डॉ. सरदा प्रसन मोहंती, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक

डॉ. सरदा प्रसन मोहंती को भारत सरकार द्वारा 05 अगस्त, 2024 से यूको बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

डॉ. मोहंती के पास बैंकिंग क्षेत्र में 28 वर्षों का समृद्ध अनुभव है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक में 25 वर्ष शामिल हैं। उन्हें विनियमन, पर्यवेक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान प्रणाली, मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय समावेशन और विकास, मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में अनुभव है। उन्होंने पूर्व में आरबीआई के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय और नई दिल्ली, कोलकाता और भुवनेश्वर स्थित आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य किया है।

डॉ. मोहंती ने फेडरल रिज़र्व, बेसल समिति, केडिट रिपोर्टिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया है और अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यूकेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में साइबर सुरक्षा, लेखा मानकों, परिचालन जोखिम, मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण/कार्यशालाओं में भाग लिया है।

डॉ. मोहंती ने उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विविद्यालय से कृषि में मास्टर ऑफ साइंस, टेक्सास ऑस्टिन विश्वविद्यालय से डेटा साइंस एवं बिजनेस एनालिटिक्स में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, आईआईएम बैंगलोर से सार्वजनिक नीति एवं प्रबंधन में पीजीडीएम और अंतर्राष्ट्रीय वित्त में पीएचडी की है। वे भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं।

वर्तमान में वे भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में ओडिशा राज्य के क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक में एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।

श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री सुभाष शंकर मलिक को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ संख्या 6/8/2022-बीओ दिनांक: 08.05.2023 के तहत यूको बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। उनके पास कला स्नातक की डिग्री है और वे गोवा में कुछ सहकारी समितियों में वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। वर्तमान में, वे आईपीबी, गोवा से जुड़े हुए हैं।

सुश्री रचना खरे, शेयर धारक निदेशक

सुश्री रचना खरे ने 10 जनवरी, 2025 को यूको बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।

Development Programmes and Policies of the Government of India. He has done his graduation in Economics from Delhi University. Subsequently, he completed his post-graduation and Master of Philosophy from Jawahar Lal Nehru University (JNU). His career spans over a period of three decades with experience in Economics, Administration & related fields. Shri Sudhir Shyam has considerable experience in Financial Sector and has handled responsibility in the area of Banking, Insurance and National Pension system in the Department of Financial Services. He is currently looking after the functioning of Debt recovery Tribunals (DRTs) and Debt Recovery Appellate Tribunals (DRATs) set up under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (RDDBFI Act) [renamed as Recovery of Debts and Bankruptcy Act (RDB) Act in 2019]. He has been Government Nominee Director on the Board of State Bank of Patiala and IDBI Bank in the past. Currently he is Government Nominee Director on the Board of Oriental Insurance Co. Ltd and also on the Board of CERSAI.

Dr. Sarada Prasan Mohanty, RBI Nominee Director

Dr. Sarada Prasan Mohanty has been nominated by Government of India as Director on the Board of UCO Bank with effect from August 05, 2024.

Dr. Mohanty has 28 years of rich experience in banking sector inclusive of 25 years in Reserve Bank of India. He has experience in the areas of Regulation, Supervision, Information Technology, Payment Systems, Currency Management, Financial Inclusion & Development, Human Resource Management. He has served RBI's Central Office at Mumbai and RBI's regional offices at New Delhi, Kolkata and Bhubaneswar in the past.

Dr Mohanty has represented RBI in various international forums like Federal Reserve, Basel Committee, International Committee on Credit Reporting and participated in the trainings / workshops in the areas of Cybersecurity, Accounting Standards, Operational Risk, Currency Management in countries such as USA, Switzerland, Ukraine, Russia, Australia, New Zealand, Singapore, Hongkong and Australia.

Dr. Mohanty has completed his Master of Science in Agriculture at Orissa University of Agriculture & Technology, Post Graduate Program in Data Science & Business Analytics from Texas Austin University, PGDM in Public Policy and Management from IIM Bangalore and Ph.D. in International Finance. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking & Finance (CAIIB).

Presently he holds the position of Regional Director for the State of Odisha, Reserve Bank of India, Bhubaneswar and additional Charge of Director of Enterprise Computing & Cybersecurity Training Institute, Reserve Bank of India.

Shri Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director

Shri Subhash Shankar Malik nominated as Director on the Board of UCO Bank vide GOI notification no. F no. 6/8/2022-BO. Dated 08.05.2023. He possesses degree of Bachelor of Arts and held senior positions in few co-operative societies at Goa. Currently, he is associated with IPB, Goa.

Ms. Rachna Khare, Shareholder Director

Ms. Rachna Khare has assumed charge as Shareholder Director of UCO Bank on January 10, 2025.

नवंबर 2024 में भारतीय जीवन बीमा निगम से कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले, उन्होंने अत्याधुनिक ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए रणनीतियों को डिजाइन करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने पुणे में एलआईसी के इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट-एंड संचालन के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की है और सिंगापुर में आईटी, संचालन और अनुपालन के प्रबंधक के रूप में कार्य किया है, जबकि निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एलआईसी सिंगापुर पीटीई लिमिटेड की स्थापना की है।

उन्होंने अपने कार्यकाल में सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा शासित नियामक परिदृश्य का अनुपालन किया है, केपीएमजी में लेखा परीक्षकों की क्रॉस फंक्शनल टीमों का नेतृत्व किया है, टॉवर्स वॉटसन और ईवाई से एक्यूअरी नियुक्त किए हैं और निगम के वैश्विक पदचिह्न के विस्तार के लिए वर्ष 2013 में पहली पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एलआईसी सिंगापुर पीटीई लिमिटेड के नियोजन निष्पादन और सफल लॉन्च में मेसर्स विप्रो द्वारा निष्पादित सिंगटेल के स्वामित्व वाले डेटा केंद्रों में सहायक कंपनी के आईटी इंस्टॉलेशन की सुविधा प्रदान की है।

उन्होंने डिजिटल भुगतान क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ संगठनात्मक क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए प्रभावशाली डिजिटल व्यवधान का लाभ उठाया है, एक प्रासंगिक और इष्टतम ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं और एनपीसीआई द्वारा प्रशासित भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से आरबीआई-अनुमोदित डिजिटल भुगतान समाधानों के साथ एकीकरण को आगे बढ़ाया है।

उनकी रुचियों में डिजिटल परिवर्तन, टिकाऊ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक सेना कल्याण संघ और जैव-विविधता शामिल हैं।

Prior to her superannuation as Executive Director from LIC of India in November 2024, she led the team responsible for designing and implementing strategies to deliver a state-of-the-art customer experience. She has set up a Software Development Centre for the electronic front-end operations of LIC at Pune and served as a Manager of IT, operations and compliance in Singapore while setting up LIC Singapore Pte Ltd as a wholly owned subsidiary of the Corporation.

She has, in her tenure complied with the regulatory landscape governed by the Monetary Authority of Singapore, led cross functional teams of auditors at KPMG, appointed actuary from Towers Watson and EY and facilitated IT installations of the subsidiary at the SingTel owned data Centres executed by M/s WIPRO in planning execution and successful launch of the first ever wholly owned subsidiary LIC Singapore Pte Ltd in the year 2013 for expansion of the Corporation's global footprint.

She has leveraged the impactful digital disruption for converging the organizational capabilities with the adoption of emerging technologies in the digital payments space, driving integrations with RBI-approved digital payment solutions through platform service providers and the Bharat Bill Payments System, administered by the NPCI, to ensure a relevant and optimal customer experience.

Her interests include digital transformation, sustainable energy, climate change, the Armed Forces Welfare Association, and bio-diversity.

2.2.4. निदेशक मंडल की विशेषज्ञता / Expertise of the Board of Directors

क्र. सं. SI No	निदेशक के नाम एवं पदनाम Name & Designation of Director	विशेषज्ञता Expertise
1.	श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, गैर- कार्यपालक अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar, Non-Executive Chairman	बैंकिंग, वित्त, कॉर्पोरेट अभिशासन और नेतृत्व Banking, Finance , Corporate Governance and Leadership
2	श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer	बैंकिंग और वित्त, कार्यनीतिक प्रबंधन और नेतृत्व Banking and Finance, Strategic Management and Leadership
3.	श्री राजेन्द्र कुमार साबू कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo Executive Director	बैंकिंग, कार्यनीतिक प्रबंधन और नेतृत्व Banking, Strategic Management and Leadership
4.	श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले कार्यपालक निदेशक Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble Executive Director	बैंकिंग, कार्यनीतिक प्रबंधन और नेतृत्व Banking, Strategic Management and Leadership
5.	श्री सुधीर श्याम भारत सरकार के नामिती निदेशक Shri Sudhir Shyam Government Nominee Director	प्रशासन और शासन ओवरसाइट Administration and Governance Oversight
6.	डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक Shri Sarada Prasan Mohanty RBI Nominee Director	बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण Banking Regulation and Supervision
7.	श्री सुभाष शंकर मलिक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Subhash Shankar Malik Part-time Non-Official Director	प्रशासन Administration
8.	सुश्री रचना खरे, शेयर धारक निदेशक Ms. Rachna Khare Shareholder Director	बीमा और डिजिटल परिवर्तन Insurance and Digital transformation

2.3 निदेशक मंडल की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 (छह) बैठकों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित न्यूनतम 4 (चार) बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मंडल की 12 (बारह) बैठकें आयोजित की गईं :

29.04.2024	30.05.2024	29.06.2024	22.07.2024	28.08.2024	26.09.2024	19.10.2024
12.12.2024	06.01.2025	21.01.2025	13.02.2025	28.03.2025		

3. निदेशक मंडल की समितियां:

भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारु और कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करना है। निदेशक मंडल की विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

3.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने केवल गैर-कार्यपालक निदेशकों के साथ निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। समिति के सभी निदेशक वित्तीय दृष्टि से शिक्षित हैं।

3.1.1 एसीबी एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा संबंधी कार्य - उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में लेखांकन नीतियों, रीतियों, अहंताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत/लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। इसके साथ ही यह भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

3.1.2 एसीबी की अध्यक्ष सुश्री रचना खरे, शेयरधारक निदेशक, श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार के नामित निदेशक, डॉ. शारदा प्रसन मोहंती आरबीआई के नामित निदेशक, श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक हैं। श्री प्रमोद रंजन मिश्रा, शेयरधारक निदेशक 14.11.2024 तक एसीबी के सदस्य थे। श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक और श्री विजय एन कांबले, कार्यकारी निदेशक एसीबी की बैठकों में आमंत्रित हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एसीबी की 09 (नौ) बैठकें हुईं, जबकि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 के विनियमन 18 में निर्धारित एक वर्ष में न्यूनतम 4 (चार) बैठकें होनी चाहिए।

2.3 Dates of Board Meetings:

During the period under review, 12 (Twelve) meetings of the Board were held on following dates, as against a minimum of 6 (six) prescribed under Clause 12 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of 04 (four) meetings stipulated under SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

3. Committees of the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India/Government of India/SEBI, various committees of the Board have been constituted with the objective of streamlining the decision-making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Details of the various committees of the Board are as under:

3.1 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board (ACB) with only Non-Executive Directors. All the Directors on the Committee are financial literates.

3.1.1 The ACB oversees, reviews and provides directions to the internal audit/ inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Committee reviews the internal inspection/ audit function of the Bank - the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed / audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualifications in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. Besides, the committee also reviews the internal control system, the areas of housekeeping, reconciliation, fraud and other related matters.

3.1.2 ACB is chaired by Ms. Rachna Khare, Shareholder Director as its Chairperson, Shri. Sudhir Shyam, GOI Nominee Director, Dr. Sarada Prasan Mohanty RBI Nominee Director, Shri. Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director. Shri Pramoda Ranjan Mishra, Shareholder Director was the member of the ACB till 14.11.2024. Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director & Shri Vijay N Kamble, Executive Director are invitees to the meetings of ACB. During the period under review, 09 (Nine) meetings of the ACB were held as against a minimum of 4 (four) meetings in a year stipulated in Regulation 18 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

3.1.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 9 (नौ) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

29.04.2024	30.05.2024	22.07.2024	18.09.2024
25.09.2024	19.10.2024	22.11.2024	21.01.2025
28.03.2025			

3.2 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी):

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के खंड (ड), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित तीन निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में एक वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

- अधिक राशि के उधार/ऋण, समझौता और बड़े खाते डालने के प्रस्ताव,
- पूँजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित बड़ी राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/किराए पर लेने के मानदंडों से विचलन भी शामिल है,
- कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव और
- समय-समय पर इस समिति के पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

3.2.2 एमसीबी के अध्यक्ष श्री अविनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। एमसीबी के अन्य सदस्य हैं श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक, श्री विजय एन. कांबले, कार्यकारी निदेशक, डॉ. सारदा प्रसन मोहंती, आरबीआई नामित निदेशक। इसके अलावा श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक 20.12.2024 को अपने कार्यकाल के समापन तक एमसीबी के सदस्य थे।

3.2.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 15 (पन्द्रह) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

29.04.2024	01.05.2024	22.05.2024	18.06.2024	23.07.2024
20.08.2024	18.09.2024	27.09.2024	29.10.2024	22.11.2024
13.12.2024	26.12.2024	28.01.2025	21.02.2025	20.03.2025

3.1.3

During the period under review, 09 (Nine) meetings of the ACB were held on following dates:

29.04.2024	30.05.2024	22.07.2024	18.09.2024
25.09.2024	19.10.2024	22.11.2024	21.01.2025
28.03.2025			

3.2 Management Committee of the Board (MCB):

The Management Committee of the Board (MCB) is constituted as per provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. Its members are the Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors, directors referred in section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and three directors nominated by the Board from amongst the directors referred to in section 9(3)(e), 9(3)(f), 9(3)(h) and 9(3)(i) of the Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than one year at a time. The Managing Director & Chief Executive Officer acts as the Chairman of the MCB.

3.2.1 The objectives of the MCB are to consider and approve -

- High value credit / loan, compromise and write-off proposals,
- High value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition / hiring of premises,
- Proposal for high value investments in GOI and other approved securities including investment in shares / debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations, and
- Any other matter of similar nature referred to it from time to time.

3.2.2 MCB is chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer. Other members of MCB are Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N. Kamble, Executive Director, Dr. Sarada Prasan Mohanty, RBI Nominee Director. Further Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director was a member of MCB till the conclusion of his term on 20.12.2024.

3.2.3 During the period under review, 15 (Fifteen) meetings of the MCB were held on the dates as follows:

29.04.2024	01.05.2024	22.05.2024	18.06.2024	23.07.2024
20.08.2024	18.09.2024	27.09.2024	29.10.2024	22.11.2024
13.12.2024	26.12.2024	28.01.2025	21.02.2025	20.03.2025

3.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति :

3.3.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) बैंक के व्यवसाय के लिए जोखिम की विभिन्न श्रेणियों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और मार्गदर्शन करती है और समय-समय पर समीक्षा और निगरानी के आधार पर ऐसी रणनीति तैयार करती है जिससे बैंक के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय संचालन की स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित हो सके। यह बैंक में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट (एएलएम) सिस्टम के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण भी करती है।

3.3.2 आरएमसीबी में अध्यक्ष के रूप में श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और साथ ही गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, श्री अविनी कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यकारी निदेशक और सुश्री रचना खरे, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक इसके सदस्य हैं। श्री अंजन तालुकदार, पूर्व अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक 20.12.2024 को अपने कार्यकाल के समापन तक आरएमसीबी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा श्री रवि कुमार अग्रवाल और श्री प्रमोद रंजन मिश्रा भी अपने कार्यकाल के समापन / पद छोड़ने तक आरएमसीबी के सदस्य थे।

3.3.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरएमसीबी की 7 (सात) बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं :

30.05.2024	29.06.2024	22.07.2024	28.08.2024	19.10.2024	12.12.2024	27.03.2025

3.4.0 निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति :

3.4.1 शेयरधारकों/अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों यथा- धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में शिकायतकर्ता की तृप्ति के अनुरूप शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 20 के अनुसार इस समिति का गठन किया गया है।

3.4.2 समिति के सदस्य हैं श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यकारी निदेशक और सुश्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक। रचना खरे, श्री अंजन तालुकदार, पूर्व अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री रवि कुमार अग्रवाल, पूर्व अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री प्रमोद रंजन मिश्रा, भूतपूर्व शेयरधारक निदेशक, अपने कार्यकाल के समापन / पद छोड़ने तक समिति के सदस्य थे।

3.4.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, श्री प्रमोद रंजन मिश्रा की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2024 को समिति की 1 (एक) बैठक आयोजित की गई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण किया गया।

3.4.4 श्री विकास गुप्ता, कंपनी सचिव, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2025 के विनियम 6(1) के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं।

3.4.5 वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की स्थिति:

- वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या -1
- वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या - 860
- शेयरधारकों कीसंतुष्टि के अनुसार हल न की गई शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या - 847
- वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या - 14

3.3 Risk Management Committee of the Board:

3.3.1 The Risk Management Committee of the Board (RMCB) identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and based on periodical review and monitoring, devises such strategies as would ensure stability and efficiency of the domestic and international business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of the Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

3.3.2 The RMCB comprises of Shri Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director as Chairman, Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part-Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman, Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, and Ms. Rachna Khare, Director under Shareholder Category as its members. Mr. Anjan Talukdar, erstwhile Part-time non-official director was the chairperson of RMCB till the conclusion of his term on 20.12.2024. In addition to this Mr. Ravi Kumar Agrawal & Mr. Pramoda Ranjan Mishra were also members of the RMCB till the conclusion of their terms / demitting of office.

3.3.3 During the period under review, 7 (Seven) meetings of the RMCB were held on the dates as follows:

3.4. Stakeholders' Relationship Committee of the Board:

3.4.1 The Committee is constituted in terms of regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for speedy redressal of complaints/grievances of shareholders/other security holders like non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc., to the satisfaction of the complainants.

3.4.2 Members of the committee are Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director and Ms. Rachna Khare. Shri Anjan Talukdar, erstwhile Part-time Non-Official Director and Shri Ravi Kumar Agrawal, erstwhile Part-time Non-Official Director and Shri. Pramoda Ranjan Mishra, erstwhile Shareholder Director were the members of the committee till the conclusion of their term / demitting of office.

3.4.3 During the period under review, 1 (one) meeting of the Committee was held on 26.09.2024 under the chairmanship of Mr. Pramoda Ranjan Mishra. All the complaints received during the period under review were redressed.

3.4.4 Shri Vikash Gupta, Company Secretary, is the compliance officer in terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

3.4.5 Status of shareholders' complaints received during the financial year:

- No. of shareholders' complaints pending at the beginning of the financial year -1
- No. of shareholders' complaints received during the financial year - 860
- No. of shareholders' complaints not solved to the satisfaction of shareholders - 847
- No. of pending complaints at the end of the financial year - 14

3.5 निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसीबी)

3.5.1 समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है और निदेशक के रूप में निर्वाचित होने या चुने जाने वाले व्यक्तियों की "उचित एवं सही स्थिति" का निर्धारण करती है।

3.5.2 भारत सरकार और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, समिति में बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे।

3.5.3 समिति के सदस्य हैं श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा सुश्री रचना खरे, शेयरधारक निदेशक तथा श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक। श्री अंजन तालुकदार, पूर्व अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा श्री रवि कुमार अग्रवाल, पूर्व अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अपने कार्यकाल के समापन/समिति के पुनर्गठन तक समिति के सदस्य थे।

3.5.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, समिति की 1 (एक) बैठक 09.01.2025 को श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

3.6 बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति :

3.6.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, 'वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देश', उनकी अधिसूचना संदर्भ संख्या, RBI/DOS/2024-25/IIS, DOS,CO,FMG,SEC, संख्या,5/23,04,OOI/2024-25 दिनांक 15.07.2024 के अनुसार। इस संदर्भ में, उक्त RBI मास्टर निर्देशों दिनांक 15.07.2024 के अनुसार, मौजूदा समिति, यानी बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति (SCBMLVF) को धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति (SCBMF) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा 19.10.2024 को कोलकाता में आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था।

3.6.2 समिति की अध्यक्षता श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्यों में श्री अविनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक, श्री शामिल हैं। विजय एन कांबले, कार्यकारी निदेशक, श्री. सुधीर श्याम, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक; रचना खरे, शेयरधारक निदेशक। श्री रवि कुमार अग्रवाल, पूर्व अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक और श्री प्रमोदा रंजन मिश्रा, पूर्व शेयरधारक निदेशक, अपने कार्यकाल के समापन / कार्यालय छोड़ने तक समिति के सदस्य थे।

3.6.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 3 (तीन) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

31.05.2024	11.12.2024	13.02.2025

3.7 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

3.7.1 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में किया गया है।

3.7.2 समिति का उद्देश्य:

- जनसेवा प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन एवं पालन, साथ ही उसकी संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु,

3.5 Nomination and Remuneration Committee of the Board (NRCB):

3.5.1 The Committee evaluates performance of Bank's Whole-time Directors and determines "Fit & Proper status" of elected or to be elected Director.

3.5.2 As per Government of India and RBI guidelines, the Committee shall comprise of non-executive Directors of the Board.

3.5.3 Members of the committee are Shri. Aravamudan Krishna Kumar, Part-time non-official Director as well as non-executive chairman, Shri. Sudhir Shyam, GOI nominee director and Ms. Rachna Khare, Shareholder director and Shri. Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director. Shri. Anjan Talukdar, erstwhile Part-time Non-Official Director and Shri Ravi Kumar Agrawal, erstwhile Part-time Non-Official Director were members of the committee till the conclusion of their terms / reconstitution of committee.

3.5.4 During the period under review, 1 (One) meeting of the Committee was held on 09.01.2025 under the Chairmanship of Shri Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director.

3.6 Special Committee of the Board for Monitoring and follow-up of cases of frauds:

3.6.1 In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, "Master Directions on Fraud Risk Management in Commercial Banks (including Regional Rural Banks) and All India Financial Institutions", vide their notification bearing reference no, RBI/DOS/2024-25/IIS, DOS,CO,FMG,SEC, No.5/23,04,OOI/2024-25 dated 15.07.2024. In this context, as per the said RBI Master Directions dated 15.07.2024, the existing Committee, i.e. Special Committee of the Board for Monitoring Large Value Frauds (SCBMLVF) was substituted by the Special Committee of the Board for Monitoring and follow-up of cases of Frauds (SCBMF) as approved by the Board of Directors in its meeting held on 19.10.2024 at Kolkata.

3.6.2 The Committee is chaired by Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part-time Non-Official Director and Non-Executive Chairman. Other members of the committee are Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri. Vijay N Kamble, Executive Director, Shri. Sudhir Shyam, GOI Nominee Director and Ms. Rachna Khare, Shareholder director. Shri Ravi Kumar Agrawal, erstwhile Part-time Non-Official Director and Shri Pramoda Ranjan Mishra, erstwhile Shareholder Director were members of the committee till the conclusion of their term / demitting of office.

3.6.3 During the period under review, 3 (three) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

31.05.2024	11.12.2024	13.02.2025

3.7 Customer Service Committee of the Board (CSCB):

3.7.1 In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, the Customer Service Committee of the Board has been constituted.

3.7.2 Objectives of the Committee:

- To ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;

ii) सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु,

iii) ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु।

3.7.3 समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अविनी कुमार करेंगे। समिति के अन्य सदस्यों में श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यकारी निदेशक, श्री शामिल हैं। सुधीर श्याम, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक; रचना खरे, शेयरधारक निदेशक। श्री अंजन तालुकदार, पूर्व अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, पूर्व अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक और श्री प्रमोदा रंजन मिश्रा, पूर्व शेयरधारक निदेशक अपने कार्यकाल के समापन / कार्यालय छोड़ने तक समिति के सदस्य थे।

3.7.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 4 (चार) बैठकें इन तारीखों को हुई:

31.05.2024	26.07.2024	11.12.2024	27.03.2025

3.8 बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय लें। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.8.1 समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अविनी कुमार करेंगे। समिति के अन्य सदस्यों में श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और सुश्री रचना खरे, शेयरधारक निदेशक। श्री अंजन तालुकदार, पूर्व अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक और श्री प्रमोदा रंजन मिश्रा, पूर्व शेयरधारक निदेशक, अपने कार्यकाल के समापन / कार्यालय छोड़ने तक समिति के सदस्य थे।

3.8.2 समिति का उद्देश्य :

- स्टाफ ढांचा, भर्ती, पदस्थापना, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना,
- पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश के स्तरों आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना,
- अधिकारियों एवं स्टाफ के पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना,
- बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना एवं
- शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना।

उपर्युक्त मामले सीधे बोर्ड से संबंधित हैं और इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.8.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 8 (आठ) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित हुई:

30.05.2024	26.07.2024	26.09.2024	19.10.2024
11.12.2024	06.01.2025	13.02.2025	27.03.2025

ii) To bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;

iii) To consider innovative measures to enhance the quality of customer service.

3.7.3 The Committee is chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer. Other members of the committee are Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Shri. Sudhir Shyam, GOI Nominee Director and Ms. Rachna Khare, Shareholder director. Shri Anjan Talukdar, erstwhile Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, erstwhile Part-time Non-Official Director and Shri Pramoda Ranjan Mishra, erstwhile Shareholder Director were members of the committee till the conclusion of their term / demitting of office.

3.7.4 During the period under review, 4 (four) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

31.05.2024	26.07.2024	11.12.2024	27.03.2025

3.8 Committee on HR Related Issues of the Bank (HR Committee of the Board):

In the light of directive of GOI of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted the freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.8.1 The Committee is chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer. Other members of the committee are Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Shri. Sudhir Shyam, GOI Nominee Director & Ms. Rachna Khare, shareholder director. Shri Anjan Talukdar, erstwhile Part-time Non-Official Director and Shri Pramoda Ranjan Mishra, erstwhile Shareholder Director were members of the committee till the conclusion of their term / demitting of office.

3.8.2 Objectives of the Committee:

- To decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions, etc.,
- To frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry, etc.,
- To take decisions on remuneration and compensation of officers and staff,
- To lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials, and
- To prescribe standards for categorization of branches.

The matters pertaining to aforesaid areas were taken up directly with the Board, and therefore no meeting of the Committee was held during the period under review.

3.8.3 During the period under review, 8 (eight) meeting of the Committee was held on dates as follows:

30.05.2024	26.07.2024	26.09.2024	19.10.2024
11.12.2024	06.01.2025	13.02.2025	27.03.2025

3.9 निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति

3.9.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहल से संबंधित मामलों पर कार्यनीति बनाने हेतु निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति का गठन किया गया है।

3.9.2 समिति के अध्यक्ष श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार हैं, जो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। समिति के अन्य सदस्यों में श्री अश्विनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यकारी निदेशक, शामिल हैं। श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक; रचना खरे, शेयरधारक निदेशक। श्री अंजन तालुकदार, पूर्व अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, पूर्व अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री प्रमोद रंजन मिश्रा, पूर्व शेयरधारक निदेशक।

3.9.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 5 (पाच) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

30.05.2024	29.06.2024	28.08.2024	12.12.2024	28.03.2025

3.10 एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति:

3.10.1 बैंक में एक सख्त निगरानी प्रणाली स्थापित कराने के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में दिनांक 07.12.2012 को एनपीए वसूली की निगरानी के लिए एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति बनाई गई है, जो अनर्जक आस्तियों में वसूली की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगी।

3.10.2 समिति के अध्यक्ष श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हैं। समिति के अन्य सदस्यों में श्री अविनी कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यकारी निदेशक, शामिल हैं। श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक। श्री अंजन तालुकदार, पूर्व अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक भी अपने कार्यकाल के समापन तक समिति के सदस्य थे।

3.10.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

18.06.2024	26.09.2024	11.12.2024	27.03.2025

3.11 अपील मामलों के निपटान के लिए निदेशक मंडल की समिति:

3.11.1 अनुशासनिक प्राधिकारी की क्षमता में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलों का निपटान करने के लिए अपील मामलों के निपटान के लिए समिति गठित की गई है।

3.11.2 वर्तमान में समिति में शामिल हैं। श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक; डा सारदा प्रसन्न मोहंती, आरबीआई नामित निदेशक; सुश्री रचना खरे, शेयरधारक निदेशक। श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री प्रमोद रंजन मिश्रा, शेयरधारक निदेशक अपने कार्यकाल की समाप्ति/कार्यालय छोड़ने तक समिति के सदस्य थे।

3.11.3 समीक्षाधीन अवधि में समिति की बैठक नहीं हुई।

3.9 IT Strategy Committee of the Board:

3.9.1 The IT Strategy Committee of the Board has been constituted to formulate strategies in the matters relating to technology upgradation and other IT initiatives.

3.9.2 The committee is chaired by Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman. Other members of the committee are Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Shri. Sudhir Shyam, GOI Nominee Director and Ms. Rachna Khare, Shareholder Director. Shri Anjan Talukdar, erstwhile Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal erstwhile Part-time Non-Official Director and Shri Pramoda Ranjan Mishra, erstwhile Shareholder Director were members of the committee till the conclusion of their term / demitting of office.

3.9.3 During the period under review 05 (five) meetings of the committee were held on the dates as follows:

30.05.2024	29.06.2024	28.08.2024	12.12.2024	28.03.2025

10 Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPAs accounts:

3.10.1 In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, to have a robust monitoring mechanism in the Bank, a Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs was constituted on 07.12.2012 to monitor progress in recovery of Non-Performing Assets on regular basis.

3.10.2 The Committee is chaired by Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman. Other members of the committee are Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director, Shri. Sudhir Shyam, GOI Nominee Director. Shri Anjan Talukdar, erstwhile Part-time Non-Official Director was also a member of committee till the conclusion of his term.

3.10.3 During the period under review, 4 (four) meetings of the committee were held on dates as follows:

18.06.2024	26.09.2024	11.12.2024	27.03.2025

3.11 Committee of the Board for disposal of Appeal Cases:

3.11.1 The Committee for disposal of Appeal Cases is constituted to dispose off appeals preferred by the employees against the orders issued by Managing Director & Chief Executive Officer in the capacity of Disciplinary Authority.

3.11.2 At present, the Committee is comprised of Shri. Sudhir Shyam, GOI Nominee Director, Dr. Sarada Prasan Mohanty, RBI Nominee Director and Ms. Rachna Khare, Shareholder Director. Shri Anjan Talukdar, erstwhile Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, erstwhile Part-time Non-Official Director & Shri Pramoda Ranjan Mishra, erstwhile Shareholder Director were members of the committee till the conclusion of their term / demitting of office.

3.11.3 During the period under review, no meeting of the Committee was held.

3.12 समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करने वाले):

3.12.1 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति (जानबूझकर चूक करने वाले) तथा इसमें बैंक के दो स्वतंत्र निदेशक/गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं, जो जानबूझकर चूक करने वालों की घोषणा के लिए कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली जानबूझकर चूक करने वालों की पहचान करने वाली समिति के आदों की पुष्टि करते हैं।

3.12.2 वर्तमान में, समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अविनी कुमार कर रहे हैं। समिति की एक अन्य सदस्य सुश्री रचना खरे हैं। श्री अंजन तालुकदार, पूर्व अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, पूर्व अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री प्रमोद रंजन मिश्रा, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक अपने कार्यकाल की समाप्ति/कार्यालय से हटने तक समिति के सदस्य थे।

3.12.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 3 (तीन) बैठकें निम्नलिखित आयोजित की गईं:

18.06.2024	26.09.2024	11.12.2024

3.13 बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति

3.13.1 समिति का गठन भारत सरकार, एमओएफ, ज़ीएफएस के दिशानिर्देश दिनांक 30.08.2019 के अनुसार किया गया है। समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक, एसीबी अध्यक्ष, शेयरधारक निदेशक शामिल हैं।

3.13.2 14.03.2024 से, समिति की अध्यक्षता श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। समिति के अन्य सदस्य श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार के नामित निदेशक, श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और सुश्री रचना खरे, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक हैं। श्री अंजन तालुकदार, पूर्व अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, पूर्व अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री प्रमोद रंजन मिश्रा, पूर्व शेयरधारक निदेशक अपने कार्यकाल के समापन/कार्यालय से हटने तक समिति के सदस्य थे।

3.13.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 01 (एक) बैठक; दिनांक 28.08.2024 को आयोजित की गई।

3.14 गैर-पदोन्नति न होने के विरुद्ध अपील के निपटान के लिए बोर्ड की समिति

3.14.1 समिति की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अविनी कुमार करेंगे। समिति के अन्य सदस्यों में श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक; रचना खरे, श्री. पूर्व शेयरधारक निदेशक प्रमोद रंजन मिश्रा 14.11.24 को अपने पद से इस्तीफा देने तक इस समिति के सदस्य थे।

3.14.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.15 ऋण अनुमोदन समिति

3.15.1 समिति के अध्यक्ष श्री अविनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। समिति के अन्य सदस्य श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक, श्री विजय एन कांबले, कार्यकारी निदेशक हैं।

3.12 Review Committee (Willful Defaulters):

3.12.1 The Review Committee (Willful Defaulters) headed by the Managing Director & Chief Executive Officer and consisting in addition, two independent directors/non-executive directors of the Bank confirm the order of the ED-headed Committee for Identification of Willful Defaulters for declaration of willful defaulters.

3.12.2 At present, the Committee is chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer. Another member of the committee is Ms. Rachna Khare. Shri Anjan Talukdar, erstwhile Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, erstwhile Part-time Non-Official Director and Shri Pramoda Ranjan Mishra, Director under Shareholder Category were members of the committee till the conclusion of their term / demitting of office.

3.12.3 During the period under review, 03 (three) meetings of the Committee were held.

18.06.2024	26.09.2024	11.12.2024

3.13 Performance Evaluation Committee of the Board

3.13.1 The committee is constituted in terms of GOI, MOF, DFS guideline dated 30.08.2019. The committee comprises of Non-executive Chairman, Government Nominee Director, ACB Chairperson, Independent Directors.

3.13.2 W.e.f.14.03.2024, the Committee is chaired by Shri Aravamudan Krishna Kumar, Part Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman. Other members of the committee are Shri. Sudhir Shyam, GOI Nominee Director, Shri. Subhash Shankar Malik, Part-time Non-Official Director and Ms. Rachna Khare, Director under Shareholder category. Shri Anjan Talukdar, erstwhile Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, erstwhile Part-time Non-Official Director and Shri. Pramoda Ranjan Mishra ,erstwhile Shareholder Director were members of the committee till the conclusion of their term / demitting of office.

3.13.3 During the period under review, 01 (one) meeting of the Committee was held on 28.08.2024.

3.14 Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-Promotion

3.14.1 The Committee is chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer. Other members of the Committee are Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director and Ms. Rachna Khare. Shri. Pramoda Ranjan Mishra, erstwhile Shareholder Director was a member of this committee till his demitting of office on 14.11.2024.

3.14.2 During the period under review, no meeting was held.

3.15 Credit Approval Committee

3.15.1 The Committee is chaired by Shri Ashwani Kumar, Managing Director and Chief Executive Officer. Other members of the committee are Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive

महाप्रबंधक-क्रेडिट, महाप्रबंधक-जोखिम प्रबंधन, महाप्रबंधक-मध्य कॉर्पोरेट क्रेडिट और महाप्रबंधक-वित्त इसके सदस्य हैं।

3.15.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 33 बैठकें आयोजित की गईं।

3.16 बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति

3.16.1 समिति की अध्यक्षता श्रीमान अश्विनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ करते हैं। श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यकारी निदेशक, श्री विजय एन. कांबले, कार्यकारी निदेशक समिति के अन्य सदस्य हैं। श्री. रवि कुमार अग्रवाल, पूर्व अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक और श्री प्रमोदा रंजन मिश्रा, पूर्व शेयरधारक निदेशक, अपने कार्यकाल के समापन/पद छोड़ने तक समिति के सदस्य थे।

3.16.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कोई बैठक नहीं हुई।

4.1 निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का व्योरा :

Director, Shri Vijay N Kamble, Executive Director. General Manager- Credit, General Manager-Risk Management, General Manager - Mid Corporate Credit and General Manager - Finance are its members.

3.15.2 During the period under review, 33 meetings of the Committee were held.

3.16 Board Level CSR Committee

3.16.1 The committee is chaired by Shri. Ashwani Kumar, Managing Director & CEO. Other members of the committee are Shri. Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri. Vijay N. Kamble, Executive Director. Shri. Ravi Kumar Agrawal, erstwhile Part-time Non-Official director & Shri Pramoda Ranjan Mishra, erstwhile Shareholder director were members of the committee till the conclusion of their term / demitting of office.

3.16.2 During the period under review no meeting was held.

4.1 The details of attendance of meetings of the Board by the directors and of various Committees of the Board are as under:

बैठक/ Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल Board of Directors		निदेशक मंडल की प्रबंध समिति Management Committee of the Board		निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board		निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee of the Board		बैंक के मानव संसाधन संबंधी मामले (मानव संसाधन समिति) Committee on HR related issues of the Bank	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, गैर कार्यपालक अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar, Non-Executive Chairman	12	12	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं 07	लागू नहीं 07	लागू नहीं 08	लागू नहीं 08
श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.06.2023 से) Shri Ashwani Kumar, MD & CEO (From 01.06.2023)	12	12	15	15	04	04	07	07	08	08
श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo Executive Director	12	12	15	15	04	04	07	07	08	08
श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक Shri. Vijay N Kamble Executive Director	12	11	15	15	04	04	07	07	08	08
डा संजय कुमार, भारत सरकार के नामित निदेशक (12.05.2024) Dr Sanjay Kumar, GOI Nominee Director (12.05.2024)	01	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार के नामित निदेशक (13.05.2024) Shri Sudhir Shyam GOI Nominee Director (13.05.2024)	11	09	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	08	06
श्री राजेश कुमार, भारिबैं के नामित निदेशक (05.08.2024) Shri Rajesh Kumar RBI Nominee Director (05.08.2024)	04	04	05	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक (05.08.2024) Dr. Sarada Prasan Mohanty RBI Nominee Director (05.08.2024)	08	07	10	10	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar, Part time Non-Official Director	12	12	11	10	04	03	06	06	05	05
श्री रविकुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal, Part time Non-Official Director	08	08	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	03	06	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri. Subhash Shankar Malik Part time Non-Official Director	12	12	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	07	07	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री प्रमोद रंजन मिश्रा, शेयरधारक निदेशक Shri. Pramoda Ranjan Mishra, Shareholder Director	07	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	02	02	05	05	04	04
सुश्री रचना खरे, शेयर धारक निदेशक Ms Rachna Khare Shareholder Director	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	01	01	02	02

बैठक/ Meetings of the										
निदेशक का नाम	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति Board Level Committee for monitoring of recovery in NPA Account		बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति Special Committee of Board for Monitoring Large Value Frauds		निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of the Board		निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति IT Strategy Committee of the Board		निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति Stake Holders' Relationship Committee of the Board	
Name of Director	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, गैर कार्यपालक अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar, Non-Executive Chairman	04	04	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	05	05	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.06.2023 से) Shri Ashwani Kumar, MD & CEO (From 01.06.2023)	04	04	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	05	05	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo Executive Director	04	04	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	05	05	01	01
श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक से) Shri. Vijay N Kamble Executive Director	04	04	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	05	05	01	01
डा संजय कुमार, भारत सरकार के नामित निदेशक (12.05.2024) Dr Sanjay Kumar, GOI Nominee Director (12.05.2024)	00	00	00	00	01	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार के नामित निदेशक (13.05.2024) Shri Sudhir Shyam GOI Nominee Director (13.05.2024)	04	03	03	01	08	06	05	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री राजेश कुमार, भारिबैं के नामित निदेशक (05.08.2024) Shri Rajesh Kumar RBI Nominee Director (05.08.2024)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक (05.08.2024) Dr. Sarada Prasan Mohanty RBI Nominee Director (05.08.2024)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	05	05	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar, Part time Non-Official Director	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	11	02	04	04	02	02
श्री रविकुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal, Part time Non-Official Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	02	02	11	11	04	04	02	02
श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri. Subhash Shankar Malik Part time Non-Official Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	10	08	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री प्रमोद रंजन मिश्र, शेयरधारक निदेशक Shri. Pramoda Ranjan Mishra, Shareholder Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	00	02	02	03	02	01	01
सुश्री रचना खरे, शेयर धारक निदेशक Ms Rachna Khare Shareholder Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	02	02	01	01		

बैठक/ Meetings of the												
निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति		निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति		निदेशक मंडल की अपील मामलों की निपटान समिति		समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूककर्ता)		गैर पदोन्नति के विरुद्ध अपील के निपटान हेतु निदेशक मंडल की समिति		कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	
Name of Director	Performance Evaluation Committee of the Board		Nomination and Remunerations Committee of the Board		Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases		Review Committee (Wilful Defaulters)		Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-promotion		Corporate Social Responsibility Committee	
	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended
श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, गैर कार्यपालक अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar, Non-Executive Chairman	1	1	1	1	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.06.2023 से) Shri Ashwani Kumar, MD & CEO (From 01.06.2023)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	03	01	01	02	02
श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo Executive Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	02	02
श्री विजय एन कांबले, कार्यपालक निदेशक से) Shri. Vijay N Kamble Executive Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	02	02
डा संजय कुमार, भारत सरकार के नामित निदेशक (12.05.2024) Dr Sanjay Kumar, GOI Nominee Director (12.05.2024)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	0	0	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार के नामित निदेशक (13.05.2024) Shri Sudhir Shyam GOI Nominee Director (13.05.2024)	01	01	01	01	00	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री राजेश कुमार, भारिबैं के नामित निदेशक (05.08.2024) Shri Rajesh Kumar RBI Nominee Director (05.08.2024)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar, Part time Non-Official Director	01	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री रविकुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal, Part time Non-Official Director	01	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01
श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri. Subhash Shankar Malik Part time Non-Official Director	01	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री प्रमोद रंजन मिश्र, शेयरधारक निदेशक Shri. Pramoda Ranjan Mishra, Shareholder Director	01	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00	02	02	01	01	01	01
सुश्री रचना खरे, शेयर धारक निदेशक Ms Rachna Khare, Shareholder Director	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	01

नोट/Notes: 1. * समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या / No. of meetings held during the tenure of the Director during the review period, 2. लागू नहीं - समिति के सदस्य नहीं / NA - Not a member

4.2. 31.03.2025 तक वरिष्ठ प्रबंधन पद:

4.2. Senior Management Position as on 31.03.2025 :

क्रमांक Sl. No.	नाम Name	पदनाम Designation
1	श्री मनीष कुमार Shri Manish Kumar	महाप्रबंधक, क्रेडिट मॉनिटरिंग विभाग General Manager, Credit Monitoring Department
2	श्री वी शंकर नारायण Shri V Sankara Narayanan	महाप्रबंधक, कोलकाता एफआई General Manager, Kolkata FI
3	श्रीमती आशा राजीव Smt. Asha Rajiv*	महाप्रबंधक General Manager
4	श्री सरोज रंजन नायक Shri Saroj Ranjan Nayak	महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवा विभाग General Manager, Operations and Services Department
5	श्री ए जेना Shri A Jena	महाप्रबंधक, निरीक्षण विभाग General Manager, Inspection Department
6	श्री गौतम पात्रा Shri Goutam Patra	महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास, भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय General Manager, Business Development, Bhubaneswar Zonal Office
7	श्री प्रेम शंकर झा Shri Prem Shankar Jha	महाप्रबंधक, एमएसएमई विभाग General Manager, MSME Department
8	श्री अंबिकानन्द झा Shri Ambikanand Jha	महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास, नई दिल्ली आंचलिक कार्यालय General Manager, Business Development, New Delhi Zonal Office
9	श्री शशि कान्त कुमार Shri Shashi Kant Kumar	महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग General Manager, Risk Management Department
10	श्री आशुतोष सुंदरम् Shri Ashutosh Sundaram	महाप्रबंधक, एकीकृत कोषागार, मुंबई General Manager, Integrated Treasury, Mumbai
11	श्री राजीव गुप्ता Shri Rajeev Gupta	महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास, मुंबई आंचलिक कार्यालय General Manager, Business Development, Mumbai Zonal Office
11	श्री सत्य रंजन पंडा Shri Satya Ranjan Panda	महाप्रबंधक, कृषि एवं ग्रामीण बैंकिंग विभाग General Manager, Agriculture and Rural Banking Department
13	श्री अभिमनू राजक Shri Abhimannu Rajak	महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग General Manager, Department of Information Technology
14	श्री रंजीत सिंह Shri Ranjeet Singh	महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास, चेन्नई आंचलिक कार्यालय। General Manager, Business Development, Chennai Zonal Office
15	श्री रवि शंकर नारायण Shri Ravi Shankar Narayan	महाप्रबंधक, अनुपालन विभाग General Manager, Compliance Department
16	श्री अविनाश शुक्ल Shri Avinash Shukla	महाप्रबंधक, डिजिटल बैंकिंग विभाग General Manager, Digital Banking Department
17	श्री राजेश नागर Shri Rajesh Nagar	महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन, कार्मिक सेवा विभाग, प्रशिक्षण एवं कार्यालय भाषा विभाग General Manager, HRM, Personnel Services Dept. Training & Off. Language Dept.
18	श्री धीरज पटवर्धन Shri Dheeraj Patwardhan	महाप्रबंधक, वसूली विभाग General Manager, Recovery & Law Department
19	श्री अमित श्रीवास्तव Shri Amit Srivastava	महाप्रबंधक, संसाधन विभाग General Manager, Resources Department
20	श्री राजेश उपाध्याय Shri Rajesh Upadhyay	महाप्रबंधक, खुदरा बैंकिंग विभाग General Manager, Retail Banking Department
21	श्री सुमित खंडेलवाल Shri Sumit Khandelwal	महाप्रबंधक, नई दिल्ली आंचलिक कार्यालय General Manager, New Delhi Zonal Office
23	श्री सुजय दत्ता Shri Sujoy Dutta	महाप्रबंधक, सीएफओ, फ्लैगशिप कॉर्पोरेट क्रेडिट एवं रणनीतिक योजना विभाग General Manager, CFO, Flagship Corporate Credit and Strategic Planning Department

*बैंक के बाहर तैनात/Deputed outside bank

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन में बदलाव का विवरण:-

Details of Changes in Senior Management during the FY 2024-25 :-

क्रमांक Sl. No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	परिवर्तन का विवरण Details of Changes
1	श्री अशोक वी तेलंग Shri Ashok V Telang	Superannuated on 31.05.2024 31.05.2024 को सेवानिवृत्त हुए
2	श्री प्रदीप कुमार जैन Shri Pradeep Kumar Jain	Superannuated on 31.12.2024 31.12.2024 को सेवानिवृत्त हुए
3	श्री संजय कुमार Shri Sanjoy Kumar	Superannuated on 31.01.2025 31.01.2025 को सेवानिवृत्त हुए
4	श्री राजेश उपाध्याय Shri Rajesh Upadhyay	Promoted to GM w.e.f. 01.04.2024 01.04.2024 से जीएम के पद पर पदोन्नत हुए
5	श्री अंकित राणा Shri Ankit Rana	Promoted to GM w.e.f. 01.06.2024 01.06.2024 से जीएम के पद पर पदोन्नत हुए
6	श्री सुमित खंडेलवाल Shri Sumit Khandelwal	Promoted to GM w.e.f. 01.01.2025 01.01.2025 से जीएम के पद पर पदोन्नत हुए
7	श्री सुजॉय दत्ता Shir Sujoy Dutta	Promoted to GM w.e.f. 01.02.2025 01.02.2025 से जीएम के पद पर पदोन्नत हुए

5.0 आम बैठक / General Body Meeting

5.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक / Shareholders Meetings held during the last three years :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के बारे में इस प्रकार हैं

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
19वीं वार्षिक आम बैठक 19 th Annual General Meeting	24 जून, 2022 24 th June, 2022	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700001 डीमड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
20वीं वार्षिक आम बैठक 20 th Annual General Meeting	17 जून, 2023 17 th June, 2023	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700001 डीमड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	24 जनवरी, 2024 24 th January, 2024	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700001 डीमड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
21वीं वार्षिक आम बैठक 21 st Annual General Meeting	18 जून, 2023 18 th June, 2023	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700001 डीमड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	22 जनवरी, 2025 22 nd January, 2025	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700001 डीमड स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001

5.2. पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति :

पिछली वार्षिक आम बैठक 18 जून 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक में निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अविनी कुमार, कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र साबू, कार्यकारी निदेशक श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले, कार्यकारी निदेशक श्री रवि कुमार अग्रवाल, निदेशक और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष और श्री प्रमोद रंजन मिश्रा, पूर्व निदेशक और बोर्ड की हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष शामिल हुए।

5.3. पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

- i) 24 जून, 2022 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में फालो-आन सार्वजनिक आफ़र/क्वालीफाइड संस्थागत प्लेसमेंट और/या अन्य पूंजी उगाही विकल्प के माध्यम से रु. 10/-के 100,00,00,000 तक इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।
- ii) 17 जून, 2023 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में फालो-आन सार्वजनिक आफ़र/क्वालीफाइड संस्थागत प्लेसमेंट और/या अन्य पूंजी उगाही विकल्प के माध्यम से रु. 10/-के 200,00,00,000 तक इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।
- iii) 17 जून, 2023 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में भारत सरकार की अधिसूचना एफ. संख्या 6/8/2022-बीओ.आई दिनांक 08.05.2023 के अनुसरण में अधिसूचना की तारीख यानी 08.05.2023 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री सुभाष शंकर मलिक की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।
- iv) 24 जनवरी 2024 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध) योजना 1970, आरबीआई और भारत सरकार के प्रयोज्य दिशानिर्देश के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक जो 1 फरवरी, 2024 से तीन साल की अवधि पूरी होने तक पद धारण करेगा, का चुनाव करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। श्री प्रमोद रंजन मिश्रा को 1 फरवरी, 2024 शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक के रूप में चुना गया।
- v) 18 जून, 2024 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव/योग्य संस्थागत प्लेसमेंट और/या अन्य पूंजी जुटाने के विकल्पों के माध्यम से 10/- पये प्रति शेयर मूल्य के 400,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।
- vi) 18 जून, 2024 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार को यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं.6/26(iii)/2023-बीओ.आई दिनांक 21.02.2024 के अनुसार अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

5.2. Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting:

The last Annual General Meeting was held on 18th June 2024 through Video Conference. Shri Aravamudan Krishna Kumar, Director and Non-Executive Chairman, Shri Ashwani Kumar, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Rajendra Saboo, Executive Director, Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble, Executive Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Director and Chairperson of Audit Committee of the Board and Shri Pramoda Ranjan Mishra, Former Director and Chairperson of Stakeholder Relationship Committee of the Board, attended the meeting.

5.3. Special Resolutions passed during last three years:

- i) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 24th June, 2022 a special resolution passed for issue of upto 100,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/or other capital raising options.
- ii) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 17th June, 2023 a special resolution passed for issue of upto 200,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/or other capital raising options.
- iii) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 17th June, 2023 a special resolution passed for appointment of Shri Subhash Shankar Malik as part-time non-official director on the Board of UCO Bank pursuant to GOI Notification F.No.6/8/2022-BO.I dated 08.05.2023 for a period of three years from the date of notification i.e. 08.05.2023 or until further orders, whichever is earlier.
- iv) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 24th January 2024, a special resolution was passed to elect one director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with Nationalised Bank (Management and Miscellaneous) Scheme 1970, applicable RBI and GOI Guidelines to assume office with effect from 1st February, 2024 and hold office until the completion of a period of three years. Shri Pramoda Ranjan Mishra was elected as Director under Shareholder Category w.e.f. 1st February, 2024.
- v) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 18th June, 2024 a special resolution passed for issue of upto 400,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/or other capital raising options.
- vi) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 18th June, 2024 a special resolution passed for appointment of Shri Aravamudan Krishna Kumar as Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of UCO Bank pursuant to GOI Notification F.No.6/26(iii)/2023-BO.I dated 21.02.2024 for a period of three years from the date of notification i.e. 21.02.2024 or until further orders, whichever is earlier.

6.0 संचार के साधन:

बैंक का मानना है कि सभी हितधारकों को बैंक की गतिविधियों, कार्य और उत्पाद पहल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बैंक की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध रखनेवाले स्टॉक एक्सचेंजों को बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन के संबंध में उस तारीख को ही सूचित कर दिया जाता है जिस दिन बैंक के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन/समीक्षा करनेवाली निदेशक मंडल की बैठक होती है। इसके अतिरिक्त बैंक का तिमाही/छमाही वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर प्रदर्शित किया जाता है। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञप्तियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य रचि लेनेवाले व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार 30.06.2023, 30.09.2023, 31.12.2023 एवं 31.03.2024 को समाप्त तिमाही के बैंक के गैर-लेखापरीक्षित किंतु समीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर कम से कम पूरे या अनौपचारिक रूप से पूरे भारत में प्रसारित होने वाले एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र, जहां बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है यानी बांग्ला में प्रकाशित किए गए।

पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती हैं, जिन्होंने अपना ई-मेल पता या तो बैंक के पास या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत किया है और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतिलिपि अन्य शेयरधारकों को भेजी जाती है।

7.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

7.1 रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद, बैंक का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों की सभी शिकायतें जैसे कि पता बदलना, बैंक अधिदेश में बदलाव/अपडेट, शेयरों का हस्तांतरण, शेयरों/बांडों के जारी करने से संबंधित अन्य गतिविधियाँ, उन्हें निम्नलिखित पते पर संबोधित की जा सकती हैं:

मे. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

(इकाई: यूको बैंक)

सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32

गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रामगुडा

हैदराबाद - 500032

फोन : 040-67162222, टोल फ्री नं. 1800 345 4001,

ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

बैंक ने निवेशकों के होल्डिंग के संबंध में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, कोलकाता में पूर्ण सुविधा संपन्न के साथ कक्ष स्थापना की है।

शेयरहोल्डिंग के संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंक ने वित्त विभाग, हेड ऑफिस, कोलकाता में 'शेयर्स सेक्शन' एक पूर्ण-क्रियात्मक सेल स्थापित किया है। बैंक के कार्यालयों या रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के कार्यालय में प्राप्त होने वाली निवेशकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाता है। सेबी दिशानिर्देश के अनुपालन में, यूको बैंक शेयर के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों द्वारा किए गए किसी भी शिकायतों के लिए एक विशेष ईमेल आईडी - hosgr.calcutta@ucobank.co.in का निर्माण किया गया है।

6.0. Means of Communication:

The Bank believes that all the stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank.com). Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2024, 30.09.2024 and 31.12.2024 were published within the prescribed time limit in at least one English Language national daily newspaper circulating in whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. in Bengali.

Soft copies of full Annual Report is sent to all those shareholders who have registered their e-mail address(es) either with the Depositories or Bank's Share Transfer Agent and physical copy of Annual Report is sent to other shareholders on request.

7.0. General Shareholders Information:

7.1 Registrar and Share Transfer Agent, Share Transfer system & Redressal of Investor's Grievances:

KFin Technologies Limited, Hyderabad is the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank. All grievances of shareholders holding shares in physical form regarding change of address, change/updation of bank mandate, transmission of shares, amongst other activities in connection with the issue of Shares/Bonds may be addressed to them in their following address:

KFin Technologies Limited

(Unit : UCO Bank)

Selenium Tower B, Plot No. 31&32,

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,

Hyderabad - 500032

Phone: 040-67162222, Toll Free No. 1800 345 4001

e-mail: einward.ris@kfintech.com

Shareholders holding shares in dematerialised form may approach their Depository Participant for any queries/updation/change of details.

To meet various requirements of investor regarding their shareholding, the Bank has established 'Shares Section' a full-fledged cell at Finance Department, Head Office, Kolkata. The investors' grievances received at the Bank's Offices or at the office of the registrar and share transfer agent are redressed expeditiously. In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated email id- hosgr.calcutta@ucobank.co.in has been created for any complaints by the shareholders/investors regarding UCO Bank Shares

निवेशक अपना अनुरोध / शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर मेल कर सकते हैं:

श्री विकास गुप्ता
कंपनी सचिव
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
वित्त विभाग
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल,
कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं. (033) 44557227
ई-मेल: hosgr.calcutta@ucobank.co.in

The investors can mail their request /complaint to the Bank in the following address :

Shri Vikash Gupta
Company Secretary
UCO Bank Head Office
Finance Department
2, India Exchange Place, 3rd Floor,
Kolkata - 700 001
Phone No. (033) 44557227
Email: hosgr.calcutta@ucobank.co.in

7.1.1 बैंक के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में सूचीबद्ध हैं। एनएसई प्रतीक UCOBANK है और बीएसई स्क्रिप कोड 532505 है। बैंक पर दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान समय से कर रहा है।

7.3. शेयरों का अमूर्तीकरण

7.3.1 सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 द्वारा निर्णय किया है कि प्रतिभूतियों के प्रसारण या स्थानांतरण के मामलों को छोड़कर, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से डिपॉजिटरी के साथ अमूर्तीकरण रूप में नहीं रखा जाता है। इसलिए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक होल्डिंग को तुरंत अमूर्तीकरण कर दें।

अमूर्तीकरण के लिए, शेयरधारक अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे अपने संबंधित डीमैट खाते को बनाए रखते हैं। अमूर्तीकरण के लाभ इस प्रकार हैं:

- i) इंड्रॉट रहित अंतरण;
- ii) शेयर प्रमाणपत्र के नुकसान का कोई खतरा नहीं;
- iii) लाभांश/कॉर्पोरेट लाभों का प्रत्यक्ष और शीघ्र जमा;
- iv) नामांकन सुविधा;
- v) एएसबीए/आईपीओ आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष आवेदन।

भौतिक/डीमैट रूप में शेयर रखने वाले और अभी तक अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे भारत सरकार की हरित पहल का समर्थन करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी को बैंक के आरटीए/अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के साथ पंजीकृत करें।

बैंक के इक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के साथ समझौता किया है। शेयरधारक अपना खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के जरिए करवा सकते हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट INE691A01018 है।

वर्ष 2024-25 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों तथा डिपॉजिटरी के वार्षिक सूचीकरण शुल्क तथा कस्टडी शुल्क का भुगतान नियत तारीख को किया गया है।

7.3.2 बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2025 तक भौतिक एवं अमूर्तीकरण रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नलिखित है:

7.1.1 Shares of the Bank are listed on National Stock Exchange of India Limited, Mumbai and Bombay Stock Exchange, Mumbai. NSE Symbol is UCOBANK and BSE Scrip code is 532505. Bank is timely making payment of Annual listing fee to both the stock exchanges.

7.3. Dematerialization of Shares

7.3.1 SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, shareholders are requested to dematerialize their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact any SEBI registered Depository Participant, where they may open demat account. Benefits of dematerialization are as follows:

- i) Hassle free transfer ;
- ii) No threat of loss of share certificate;
- iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits;
- iv) Nomination facility;
- v) Direct application through ASBA/IPO etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their email ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support GOI's green initiatives.

The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018.

Annual Custody Fee of both the depositories for the year 2024-25 are paid by the Bank within due dates.

7.3.2 As on 31st March, 2025, the bank has following number of equity shares in physical and dematerialized form :

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Shares	%शेयरधारिता % Shareholding
मूर्त/Physical	98,63,710	0.08
एनएसडीएल/NSDL	90,42,82,077	7.21
सीडीएसएल/CDSL	11,62,54,13,192	92.71
योग/Total	12,53,95,58,979	100

7.3.3 बैंक अपनी डी.एन. रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी) के रूप में कार्य कर रहा है।

7.3.3 The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai.

7.3.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

7.3.4 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review.

7.3.5 बैंक पण्य बाजार की गतिविधियां नहीं करता है।

7.3.5 The Bank does not undertake commodity market activities.

7.4 शेयरधारिता का वितरण / DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

7.4.1 दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप / Shareholding Pattern As on 31.03.2025

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	इक्विटी का % % of equity
अ. प्रवर्तक की शेयरधारिता A. Promoters' shareholding			
भारत सरकार / Government of India	1	11404910524	90.95
आ. संस्थाएं B. Institutions			
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक Foreign Portfolio Investors	24	54944927	0.44
वित्तीय संस्थाएं/बैंक / Financial Institutions/Banks	18	150130065	1.20
बीमा कंपनियां / Insurance Companies	10	431293999	3.44
म्यूचुअल फंड्स/ Mutual Funds	14	11280704	0.09
भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी / NBFCs Registered with RBI	3	5400	0.00
वैकल्पिक निवेश फंड/ Alternative Investment Funds	3	5801023	0.05
भविष्य निधि/पेंशन निधि/Provident Funds/Pension Funds	1	73136541	0.58
इ/सी. गैर-संस्थाएं / Non-Institutions			
i. ₹ 2 लाख तक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital up to ₹2 lakhs	788054	292059280	2.33
ii. ₹ 2 लाख से अधिक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 2 Lakhs	1394	77891142	0.62
ई/डी. अन्य/Others			
अनिवासी भारतीय / Non Resident Indians	3146	5978633	0.05
समाशोधन सदस्य / Clearing Members	12	73141	0.00
एचयूएफ/HUF	5229	9397488	0.07
कार्पोरेट निकाय / Bodies corporates	1086	22439941	0.18
न्यास / Trust	18	216051	0.00
विदेशी नागरिक / Foreign National	1	120	0.00
योग/ TOTAL	799014	12539558979	100.00

7.4.2 31.03.2025 को शेयरधारिता श्रेणी का वितरण/Distribution of Shareholders Category wise as on 31.03.2025

शेयरों की संख्या की श्रेणी / Category No. of Shares)		शेयरधारकों की सं. No. of Share – Holders	कुल शेयरधारकों का % % of the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % % of the total Shares
से/From	तक/To				
1	5000	788254	98.65	215198487	1.72
5001	10000	5913	0.74	43778444	0.35
10001	20000	3200	0.40	45772250	0.37
20001	30000	709	0.09	17487327	0.14
30001	40000	303	0.04	10646803	0.08
40001	50000	177	0.02	8160202	0.07
50001	100000	275	0.03	19974491	0.16
100001	और अधिक/And above	183	0.02	12178540975	97.12
कुल/TOTAL		799014	100.00	12539558979	100.00

7.4.3 दिनांक 31.03.2025 स्थिति के अनुसार बैंक के शीर्ष 10 शेयरधारक 7.4.3 Top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2025

क्र.सं. SN	शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	शेयरों की सं. No. of Share	कुल पूंजी में शेयर का % % if shares to total Capital
1	प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया /PRESIDENT OF INDIA	11404910524	90.95
2	लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	290046032	2.31
3	एनपीएस ट्रस्ट /NPS Trust	73136541	0.58
4	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/ ICICI Prudential Life Insurance Company Limited	71117843	0.57
5	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/SBI LIFE INSURANCE CO. LTD	56805081	0.45
6	सुस्केहाना पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड SUSQUEHANNA PACIFIC PTY LTD	19597753	0.16
7	पंजाब नेशनल बैंक/PUNJAB NATIONAL BANK	17041524	0.14
8	केनरा बैंक/CANARA BANK	14306773	0.11
9	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/CENTRAL BANK OF INDIA	14201770	0.11
10	बैंक ऑफ इंडिया /BANK OF BARODA	14201270	0.11

7.5 कार्पोरेट लाभ/लाभांश इतिहास

शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

7.5 Corporate Benefits/Dividend History

Details of dividend paid to the shareholders are as under:

वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)	वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)
2003-04	0.80	2011-12	3.00
2004-05	1.00	2012-13	1.60
2005-06	-	2013-14 (अंतरिम/Interim)	2.00
2006-07	1.00	अंतिम/Final	1.00
		2014-15	2.00
2007-08	1.00	2015-16 to 2022-23	NIL
2008-09	1.00	2023-24	0.28
2009-10	1.50	2024-25*	0.39
2010-11	3.00		

*नोट: वर्ष 2024-25 के लिए, बैंक के बोर्ड ने 10 रुपये प्रति शेयर पर 0.39 रुपये के लाभांश की सिफारिश की।

*Note : For the year 2024-25, Board of the Bank recommended a dividend of Rs.0.39 per share of Rs.10/- each.

7.6.1. निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावी लाभांश राशि का अंतरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (बी)(1) के अनुसार जो लाभांश राशियां अदावी लाभांश खातों में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावी रहती हैं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बैंक ने वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 (अंतरिम एवं फाइनल) एवं 2014-15 का अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित किया।

7.6.2. अदावी शेयर

बैंक के आरंभिक पब्लिक ऑफर जारी करने के बाद कुछ शेयर सर्टिफिकेट हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे हुए पते के ठीक नहीं होने के कारण वापस लौट आए हैं। इसके बाद हुए परिवर्तन में बैंक को बोनाफाइड शेयर होल्डरों और ऐसे शेयरों के मालिकों से दावे अथवा अनुरोध प्राप्त होने हैं। सेबी एलओडीआर विनियम के अनुसार बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह बोनाफाइड शेयर होल्डरों अथवा उसके मालिकों से अब तक दावे न किए गए ऐसे शेयरों को डिमैटेरलाइज़ करे।

दिनांक 31.03.2025 तक जिन शेयरों का दावा नहीं किया गया है उनका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं. Sl.No	विवरण Particulars	शेयरधारकों की सं. No. of shareholders	शामिल शेयरों की सं. No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर/ Shares unclaimed as on 01.04.2024	204	28100
ii.	वर्ष 2024-25 के दौरान दावाकृत और हिताधिकारी खाते में अंतरित शेयर/ Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2024-25	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii.	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2025	204	28100

असली धारक द्वारा दावा किए जाने तक दावा नहीं किए गए शेयरों के मामले में मताधिकार बद्धवत रहेगा।

7.7 बॉण्ड

7.7.1 बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर प्रकृति के असुरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड उठाए हैं। दिनांक 31.03.2025 को ऐसे बकाया बांडों का विवरण इस प्रकार है:

7.6.1 Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

As per Section 10 (B) (1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the dividend amounts which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unclaimed dividend accounts, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government. In pursuant to the above provisions, Bank transferred unclaimed dividend for the years 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14(interim& final) and 2014-15 to IEPF.

7.6.2. : Unclaimed Shares

Few of the share certificates were returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bona fide shareholders/owners of such shares. As per the SEBI LODR Regulations, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2025 :

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

7.7 BONDS

7.7.1 The Bank has raised unsecured, redeemable, non-convertible bonds in the nature of debentures from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2025 are as follows:

क्र.सं. निर्गम विवरण	आईएसआईएन नं.	आकार (₹ करोड़ में)	निर्गम की तारीख	परिपक्वता की तारीख	क्रय विकल्प की तारीख
SN. Issue Description	ISIN No.	Size (₹ in Rs. Crore)	Date of Issue	Date of Maturity	Call option date
1. 9.644% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला II) 9.644% Basel III Tier II Bonds (Series II)	INE691A08054	500	28.06.2019	28.06.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option
2. 9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला III) 9.71% Basel III Tier II Bonds (Series III)	INE691A08062	500	16.12.2019	16.12.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option
3. 8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला IV) 8.51% Basel III Tier II Bonds (Series IV)	INE691A08070	400	22.03.2022	22.03.2032	On or after 22.03.2027 को या इसके बाद
4. 8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला IV) 8.51% Basel III Tier II Bonds (Series IV)	INE691A08088	100	31.03.2022	31.03.2032	On or after 31.03.2027 को या इसके बाद
5. 9.50% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला I) 9.50% Basel III AT I Bonds (Series I)	INE691A08096	500	17.03.2023	लागू नहीं/NA	On or after 17.03.2028 को या इसके बाद

7.7.2 निर्गत करने के लिए बॉण्ड ट्रस्टी:

बैंक ने उपर्युक्त सभी बॉण्ड निर्गम बॉण्ड के निवेशकों के हितों के बचाव एवं सुरक्षा के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को नियुक्त किया है। ट्रस्टी का पता नीचे दिया गया है:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

एशियन भवन, भू-तल,
17, आर कमानी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001. फोन: (002) 40807000;
ई-मेल: itsl@idbitrustee.com

सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया-एमएमओ बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल (पूर्वी विंग), 55 एमजी रोड, फोर्ट,
मुंबई 400001. दूरभाष: (022) 2261 6217
ई-मेल: aarti.sharma@cfsi.in

7.7.2 Bond Trustee to the Issue:

The Bank has appointed IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai and Centbank Financial Services Limited as Bond Trustees to the Bond Issues, to safeguard and to protect the interest of the investors of the Bonds. Address of the Trustees are given below:

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor, 17,
R Kamani Marg, Ballard Estate
Mumbai - 400 001.
Tel: (002) 40807000;
e-mail: itsl@idbitrustee.com

Centbank Financial Services Ltd.
Central Bank of India-MMO Bldg,
3rd Floor (East Wing),
55 MG Road, Fort,
Mumbai 400001.
Tel: (022) 2261 6217
E-mail: md@cfsi.in

7.7.3 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा निर्गत बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग/

Credit Rating of Bonds Issued By The Bank As On 31.03.2025

रेटिंग एजेंसी का नाम	9.644% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला II	9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला II	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला IV	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला IV	9.50% बॉण्ड शृंखला XII बासेल III शृंखला I
Name of the Rating Agencies	9.644% Basel III Tier II Bonds Series II	9.71% Basel III Tier II Bonds Series III	8.51% Basel III Tier II Bonds Series IV	8.51% Basel III Tier II Bonds Series V	9.50% Basel III At I Bonds (Series I)
इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड India Rating & Research Pvt. Ltd.	(एए / स्थिर) (AA / Stable)	(एए / स्थिर) (AA / Stable)	(एए / स्थिर) (AA / Stable)	(एए / स्थिर) (AA / Stable)	---
एक्विट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड Acuite Ratings & Research Ltd.	(एए / स्थिर) (AA / Stable)	(एए / स्थिर) (AA / Stable)	---	---	(एए- / स्थिर) (AA- / Stable)
केयर रेटिंग लिमिटेड Care Rating Ltd.	---	---	---	(एए / स्थिर) (AA / Stable)	---
इंफोमेरिक्स वैल्यूएशंस एंड रेटिंग प्रा. लिमिटेड Infomerics Valuations and Rating Pvt. Ltd.	---	---	---	---	(एए- / पॉजिटिव) (AA- / Positive)

7.7.4 31.03.2025 को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर केडिट रेटिंग

रेटिंग एजेंसी का नाम	रेटिंग	मूल्यांकित राशि रु. करोड़ में
क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड	ए1+	10000

7.7.4 Credit Rating on Certificate of Deposits as on 31.03.2025

Name of Rating Agency	Rating	Rated Amount (Rs. in crore)
CRISIL Ratings Limited	A1+	10000

8.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। सेबी के निदेशों के अनुसार सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू, सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधान उसी सीमा तक लागू होंगे कि वह उन पर लागू संबंधित कानूनों एवं इस संबंध में भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है।

8.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है।

8.0. Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations are being complied to the extent it is not inconsistent with the Banking Laws i.e. Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. In case of inconsistency, Banking laws have been followed.

8.1. Remuneration of Whole time Directors:

Following are the details of remuneration paid to whole time director during the financial year 2024-25.

क्रमांक Sr No	नाम Name	मूल वेतन Basic Pay	महंगाई भत्ता Dearness Allowance	बकाया Arrear	प्रोत्साहन/ अन्य भत्ते Incentive/ other allowances	कुल Total	पीएफ/एनपीएस बैंक आदान PF / NPS Bank Contribution	कुल योग Grand Total
1	अविनी कुमार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी Shri Ashwani Kumar Managing Director & Chief Executive Officer	25.58	13.62	0.00	8.09	47.29	2.56	49.85
2	श्री राजेंद्र साबू कार्यकारी निदेशक Shri Rajendra Saboo Executive Director	24.42	13.00	0.00	4.62	42.04	2.44	44.48
3	श्री विजय एन कांबले कार्यकारी निदेशक Shri Vijay N Kamble Executive Director	21.69	11.55	0.00	3.98	37.22	2.17	39.39

8.1.1 गैर-कार्यपालक निदेशक को भुगतान किया गया बैठक शुल्क :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार के दिनांक 18.01.2019 के परिपत्र के साथ पठित, बैंक गैर-कार्यकारी निदेशकों को बैठने की फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं देता है, निम्नलिखित दरों पर)

8.1.1 Sitting Fee paid to Non-Executive director:

The Bank does not pay any remuneration to the non-Executive Directors except sitting fees as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with GOI Circular dated 18.01.2019, at the following rates :

क्रम संख्या/ Sl No.	बैठक Meeting	राशि (रु.) Amount (Rs.)
क a	बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए For attending Board meeting	40,000
ख b	बोर्ड समिति की बैठक में भाग लेने के लिए For attending meeting of Board Committee	20,000
ग c	बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करने के लिए [उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त] For chairing Board meeting [in addition to (a) above]	10,000
घ d	बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए [उपर्युक्त (ख) के अतिरिक्त] For chairing meeting of Board Committee [in addition to (b) above]	5,000

प्रति वर्ष 15 लाख रुपये की कुल सीमा के अधीन

Subject to an overall ceiling of Rs.15 lakhs per annum

गैर-कार्यकारी निदेशक को भुगतान करने के मानदंड बैंक की वेबसाइट (<https://ucobank.com/documents/d/guest/criteria-of-making-payments-to-non-executive-directors>) पर उपलब्ध हैं।)

The criteria for making payment to non-executive director is hosted on the Bank's website(<https://ucobank.com/documents/d/guest/criteria-of-making-payments-to-non-executive-directors>)

(बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) एवं 9(3)(सी) के अंतर्गत नियुक्त/नामित बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यकारी निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा सरकार द्वारा नामित आरबीआई नामित निदेशक

Sitting fees are not paid to the Managing Director & CEO, Executive Directors of the Bank, Government Nominee Director and Government nominated RBI Nominee Director appointed / nominated under Section 9(3)(b) & 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970

को बैठने की फीस नहीं दी जाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान की गई बैठने की फीस का विवरण निम्नानुसार है) :

respectively. Details of sitting fee paid during the Year 2024-25 are as under :

क्र. सं. SI No.	निदेशक का नाम Name of the Director	राशि (रु.) Amount (Rs)
1.	श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार / Shri Aravamudan Krishna Kumar	13,35,000.00
2.	श्री रवि कुमार अग्रवाल/Shri Ravi Kumar Agrawal	9,75,000.00
3.	श्री अंजन तालुकदार/Shri Anjan Talukdar	11,10,000.00
4.	श्री सुभाष शंकर मालिक/Shri Subhash Shankar Malik	10,20,000.00
5.	श्री प्रमोद रंजन मिश्र/ Shri Pramoda Ranjan Mishra	8,45,000.00
6.	सुश्री रचना खरे/Smt. Rachna Khares	3,50,000.00

8.2 भौतिक लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्त्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

8.3 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये जुटाए हैं।)

8.4. 31 मार्च, 2025 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले पर सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

8.5 बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण 31.03.2025 के तुलन-पत्र के लेखे पर नोट में किया गया है। संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट के तहत <https://www.ucobank.com/pdf/Policy-on-dealing-with-related-party-transactions.pdf> पर दी गई है।

8.6 बैंक पण्य बाजार की गतिविधियां नहीं करता है; इसलिए पण्य मूल्य जोखिम और पण्य हेजिंग गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

8.7 दिनांक 31 मार्च, 2025 को निदेशक मंडल के निदेशकों के बीच कोई अंतर्संबंध नहीं है।

8.8 बैंक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचनाओं के संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के तहत व्हिसल ब्लोअर नीति की शिकायतों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है जो बैंक की वेबसाइट <https://ucobank.com/documents/d/guest/whistle-blower-policy-of-the-bank-fy-2023-24> पर उपलब्ध है।

8.2. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

8.3. During the Financial year 2024-25, Bank has raised Rs.2000 Crore through Qualified Institutional Placement.

8.4. There is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets during the last three year ended on 31st March, 2025.

8.5. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Note to accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2025. The Policy on dealing with Related Party Transactions placed on website of the Bank under <https://www.ucobank.com/pdf/Policy-on-dealing-with-related-party-transactions.pdf>

8.6 The Bank does not undertake commodity market activities; hence there is no information on Commodity price risk and Commodity hedging activities.

8.7 Directors on the board have no inter se relationship as on 31st March, 2025

8.8 Bank follows Central Vigilance Commission (CVC) guidelines on Whistle Blower policy complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy which is available on the Bank's website at <https://ucobank.com/documents/d/guest/whistle-blower-policy-of-the-bank-fy-2023-24>

8.9 किसी भी कर्मियों को निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

8.10 बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34 और अनुसूची V के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है और सेबी / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी निदेशक को प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

8.11 गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किये गये परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है <https://www.ucobank.com/pdf/Details-of-familiarization-programmes-imparted-to-non-executive-independent-directors.pdf>

8.12 बैंक का लाभांश वितरण दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट <https://www.ucobank.com/pdf/Dividend-Distribution-Guidelines.pdf> पर उपलब्ध है।

8.13 सांविधिक लेखा परीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को समेकित आधार पर बैंक द्वारा भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क :

लेखापरीक्षकों 'शुल्क एवं व्यय' (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors' fee and expenses (including Branch auditors)	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2024
	₹./Rs. 45.60 करोड़/crore	₹./Rs. 46.43 करोड़/crore

8.14 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

8.9 No personnel have/ has been denied access to the Audit Committee of the Board.

8.10 The Bank has obtained certificate under Regulation 34 and schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and none of the directors have been debarred or disqualified from being appointed by SEBI/ Ministry of Corporate Affairs and any statutory authority.

8.11 Details of familiarisation programmes imparted to Non-Executive /Independent Directors is available on the bank's website at <https://ucobank.com/documents/d/guest/details-of-familiarizationprogrammes-imparted-to-non-executive-independent-directors-2025>

8.12 Dividend Distribution guidelines of the Bank is available on Bank's Website at <https://ucobank.com/documents/d/guest/dividend-distribution-guidelines>

8.13 Total fees for all services paid by the bank, on a consolidated basis to the Statutory Auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

8.14 Disclosure in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या Number of Complaints filed during the Financial year	Nil/शून्य
वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या Number of Complaints disposed off during the year	Nil/शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending as on end of the financial year	Nil/शून्य

8.15 यूको बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

8.16 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) 2015 के अनुसूची III के भाग A के अनुच्छेद A के अनुच्छेद 5ए के तहत निर्दिष्ट किए गए समझौते में प्रवेश नहीं किया।

8.15 UCO Bank does not have any subsidiaries.

8.16 During the FY 2024-25, Bank has not entered into any agreement as stipulated under clause 5A of Paragraph A of Part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 2015.

9.0 विवेकाधीन आवश्यकताओं का अनुपालन

बैंक ने समय - समय पर सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथासंशोधित, में प्रदान की गई सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन सीमा निम्नानुसार है :

9.0 COMPLIANCE TO DISCRETIONARY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time. The extent of implementation of discretionary requirements is as under:

क्र.सं. SN	विवेकाधीन आवश्यकताएं Discretionary Requirements	अनुपालन की स्थिति Status of Implementation
1.	निदेशक मंडल / The Board गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को चलाने का हकदार होगा है और उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति होगी। A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/her duties.	भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 21.02.2024 के माध्यम से, श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार को यूको बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। Government of India vide its notification dated 21.02.2024, had appointed Shri Aravamudan Krishna Kumar as Non-Executive Chairman, on the Board of UCO Bank
2.	शेयरधारक का अधिकार / Shareholders Rights पिछले छह महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा, प्रत्येक शेयरधारकों के घर में भेजी जा सकती है। A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	बैंक वित्तीय परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड कर अनुपालन सुनिश्चित करता है। The Bank ensures compliances by submitting the financial results to stock exchanges and uploading the same on Bank's website.
3.	ऑडिट रिपोर्ट में संशोधित राय सूचीबद्ध इकाई वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अनाशोधित लेखा परीक्षा विवक्षित की ओर बढ़ सकती है। Modified opinion(s) in audit report The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनधिकृत है। The Audit Report on the financial statements is unqualified.
4	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रथक-पृथक पद सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जैसे कि अध्यक्ष - (ए) एक गैर-कार्यकारी निदेशक हो ; और (बी) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित 'रिश्तेदार' शब्द की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संबंधित न हों। Separate posts of Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer The listed entity may appoint separate persons to the post of the Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer, such that the Chairperson shall - (a) be a non-executive director; and (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013.	भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 21.02.2024 के माध्यम से, श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार को यूको बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा, श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार का प्रबंध निदेशक एवं सीईओ से कोई संबंध नहीं है। Government of India vide its notification dated 21.02.2024, had appointed Shri Aravamudan Krishna Kumar as Non-Executive Chairman, on the Board of UCO Bank. Further, Shri Aravamudan Krishna Kumar is not related with Managing Director & CEO.

क्र.सं. विवेकाधीन आवश्यकताएं SN Discretionary Requirements	अनुपालन की स्थिति Status of Implementation
5. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग / Reporting of Internal Auditor आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है। The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	बैंक का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण होता है और उनकी रिपोर्ट को समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति के पास समीक्षा के लिए रखा जाता है। The Bank has its own Internal Audit/Inspection and their report are periodically placed to the Audit Committee for review.
6. स्वतंत्र निदेशक बाजार पूंजीकरण के अनुसार शीर्ष 2000 सूचीबद्ध संस्थाओं के स्वतंत्र निदेशकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति न हो और सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। Independent Directors The independent directors of top 2000 listed entities as per market capitalization shall endeavour to hold at least two meetings in a financial year, without the presence of non-independent directors and members of the management and all the independent directors shall endeavour to be present at such meetings.	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की दो बैठकें आयोजित की गईं। बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे। Two meetings of independent directors were held during the FY 2024-25. All the independent directors were present in the meeting.

बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 एवं विनियम 46 (2) के खंड (ख) से (झ) तथा अनुसूची V के पैरा ग, घ और ङ में निर्दिष्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का अनुपालन इस सीमा तक किया है कि विनियमों की आवश्यकताएं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों और समय-समय पर भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित दिशा-निर्देशों और निर्देशों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

10.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2024-25 का अभिन्न अंग है।

11.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2024-25 का अभिन्न अंग है।

12.0. बैंक-आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते यूको बैंक

ह/-

(श्री अश्वनी कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

The Bank has complied with Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C, D and E of Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent that the requirements of the regulations do not violate the provisions of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970 and the relative guidelines and directions issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time.

10.0. Auditors Report on Corporate Governance

As required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Auditors' Certificate on Corporate Governance for the year 2024-25 issued by the Statutory Central Auditors is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2024-25

11.0. CEO & CFO CERTIFICATE

The Certificate of CEO & CFO under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2024-25.

12.0. AFFIRMATION OF COMPLIANCE WITH THE BANK'S CODE OF CONDUCT

I declare that all Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the Financial Year 2024-25.

For UCO Bank

sd/-

(Shri Ashwani Kumar)
Managing Director &
Chief Executive Officer

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल,
यूको बैंक,
प्रधान कार्यालय,
10, वि.त्रै.म. सरणी
कोलकाता-700001

हमने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे आर.बी. आई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

हम स्पष्ट करते हैं कि रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार बैंक के खिलाफ 31 मार्च 2025 तक 14 निवेशक शिकायत लंबित है।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता अथवा बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 008567C

(सीए संदीप जैन)
भागीदार
एमआरएन 077281
यूडीआईएन: 25077281BMJCFL9191

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
यूडीआईएन: 25504134BMGZFD4486

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
यूडीआईएन: 25521742BMLMJV1569

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार
एमआरएन 515154
यूडीआईएन: 25515154BMGIEQ4837

Auditor's Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors,
UCO Bank
Head Office,
10, B.T. M. Sarani
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March 2025, as stipulated in SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Regulations to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that there are 14 investor grievances pending as on 31st March 2025 against the Bank as per the records maintained by the Registrar and Share Transfer Agent.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For P S M G & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN 008567C

(CA SANDEEP JAIN)

Partner
MRN 077281
UDIN: 25077281BMJCFL9191

For SANJAY DEEP & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN 015951N

(CA NAKUL MITTAL)

Partner
MRN 521742
UDIN: 25521742BMLMJV1569

FOR P V A R & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN 005223C

(CA RUCHI AGARWAL)

Partner
MRN 504134
UDIN: 25504134BMGZFD4486

For H D S G & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN 002871N

(CA CHARAN JEET)

Partner
MRN 515154
UDIN: 25515154BMGIEQ4837

Place : Kolkata
Dated : 28-04-2025

निदेशक मंडल
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कोलकाता

विषय : सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत अनुपालन का प्रमाण पत्र
महोदय,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैं:

- क) हमने बैंक के वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-
- इन विवरणों में कोई तात्त्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्त्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,
 - ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।
- ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।
- ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है। इसके साथ ही हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की ऐसी रूपरेखा या परिचालन संबंधी कमियों, यदि हों, का प्रकटीकरण किया है जिनका हमें पता चला है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का भी हवाला दिया है।
- घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है:
- वर्ष 2024-25 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है; और
 - हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रबंधन या बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो।

भवदीय,

ह/-

सुजय दत्ता

मुख्य वित्त अधिकारी

भवदीय,

ह/-

अश्वनी कुमार

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 28.04.2025

Annexure-II

To
The Board of Directors
UCO Bank
Head Office
Kolkata

Sub: Compliance Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sirs,

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby certify that:

- a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2024-25 and to the best of our knowledge and belief
 - i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;
 - ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2024-25 which are fraudulent, illegal or violates Bank's Code of Conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d) We have indicated to the Auditors and Audit Committee
 - i. significant changes in internal control over financial reporting during the year 2024-25
 - ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant roles in the Bank's internal control system over financial reporting.

For UCO Bank
Yours faithfully,

Sd/-
Sujoy Dutta
Chief Financial Officer

For UCO Bank
Yours faithfully,

Sd/-
Ashwani Kumar
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date : 28.04.2025

निदेशकों की अयोग्यता प्रमाण पत्र
[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3)
और अनुसूची V पैरा सी खंड 10(i) के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण

यूको बैंक

10, बीटीएम सरणी, कोलकाता -70001

मैंने यूको बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय 10, बीटीएम सरणी, कोलकाता - 700001 पर स्थित है (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है), से संबंधित आवश्यक रजिस्टर, अभिलेख, प्रपत्र, रिटर्न और प्राप्त प्रकटीकरणों की जाँच की है, ताकि यह प्रमाण पत्र भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) के साथ पढ़े गए अनुसूची V, पैरा-C, उपखंड 10(i) के अनुसार जारी किया जा सके।

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा निदेशकों से संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर, हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यूको बैंक के निदेशक मंडल में शामिल कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से अयोग्य या अपवर्जित नहीं किया गया है।

क्रमांक/SI No.	निदेशक का नाम / Name of Director	नियुक्ति की तारीख/Date of Appointment
1.	अरवमुदन कृष्ण कुमार	21.02.2024
2.	अश्वनी कुमार	01.06.2023
3.	राजेन्द्र कुमार साबू	21.11.2022
4.	विजयकुमार निवृत्ति कांबले	09.10.2023
5.	सुधीर श्याम	13.05.2024
6.	डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती	05.08.2024
7.	सुभाष शंकर मलिक	08.05.2023
8.	रचना खरे	10.01.2025

बैंक के निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी केवल हमारे सत्यापन के आधार पर इस संबंध में एक राय व्यक्त करने तक सीमित है। यह प्रमाण पत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

ए सारस्वत एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज

अनुज सारस्वत
संख्या - F10444
सी ओ पी - 13568
पीयर रिव्यू संख्या - 2539/2022
यूडीआईएन - F010444G000297610

Place: Kolkata

Date: 08-05-2025

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

***[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause 10(i) of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]***

To,
The Members,
UCO Bank
10,BTM Sarani, Kolkata-70001

I have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the UCO Bank, having Registered Office at 10, BTM Sarani, Kolkata, 700001 (hereinafter referred to as "the Bank"), for the purposes of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Based on information and explanations given to us and on verification of the relevant records and documents related to Directors of UCO bank, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ended on 31st March, 2025 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors by the Securities and Exchange Board of India/ Ministry of Corporate affairs or any such other Statutory Authority:

SI No.	Name of Director	Date of Appointment
1.	ARAVAMUDAN KRISHNA KUMAR	21.02.2024
2.	ASHWANI KUMAR	01.06.2023
3.	RAJENDRA KUMAR SABOO	21.11.2022
4.	VIJAYKUMAR NIVRITTI KAMBLE	09.10.2023
5.	SUDHIR SHYAM	13.05.2024
6.	SARADA PRASAN MOHANTY	05.08.2024
7.	SUBHASH SHANKAR MALIK	08.05.2023
8.	RACHNA KHARE	10.01.2025

Ensuring the eligibility for the appointment/ continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **A Saraswat & Associates**
Practicing Company Secretaries

Anuj Saraswat
No. - F10444
COP - 13568

Peer Review No -2539/2022
UDIN: F010444G000297610

Place: Kolkata
Date: 08-05-2025

**सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 24ए के अनुसरण में)

**प्रति
सदस्यगण
यूको बैंक
10, बीटीएम सारणी,
कोलकाता - 700001**

यूको बैंक (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कार्पोरेट व्यवहार के प्रति निष्ठा पर हमने सचिवीय लेखा परीक्षा की है। यह सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है कि उससे कार्पोरेट आचरणों /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन करने का तर्कसंगत आधार मिले। हम इसपर अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं:

सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए फार्मों तथा रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों, वेबसाइट, बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों की गई फाइलिंग तथा प्रस्तुतियां तथा बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हमारे विचार से बैंक ने नीचे सूचीकृत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक में नीचे दी हुई रिपोर्टिंग की सीमा तक, उसी तरीके से तथा उसके अध्यक्षीय निदेशक मंडल प्रक्रिया तथा अनुपालन-प्रणाली विद्यमान है:

हमने बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों 31 मार्च, 2025 की निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुरूप जांच की है:

- (i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए)(यथा संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- (iii) (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं);

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं उद्यम इक्विटी) विनियम, 2021 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं);

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जारी और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2021;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2009 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं).

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 1998 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड प्लेवार्डसी (अपने ग्राहक को जानें) पंजीकरण एजेंसीफ विनियमन, 2011

(ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जमाकर्ताओं एवं प्रतिभागियों) विनियमन, 2018;

- (iv) बैंक पर विशिष्ट रूप से प्रयोज्य अन्य विधि:

- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970,
- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970
- यूको बैंक सामान्य विनियम, 1998
- यूको बैंक (शेयर तथा बैठकें) संशोधित विनियम, 2003
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों, दिशानिर्देशों, मानदंडों का अनुपालन किया है:

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि,

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है जिसमें बोर्ड के कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संतुलन बनाया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में जो परिवर्तन हुए हैं वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल हैं। हालांकि, बैंक के कामगार कर्मचारियों में से एक निदेशक, बैंक के गैर-कर्मचारी कर्मचारियों में से एक को केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार नियुक्ति के लिए नामित नहीं किया जाता है। इसके अलावा, हमने पाया कि बैंक शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक है, लेकिन सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 17(1) (ए) के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तीन तिमाही के दौरान बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी।

बैंक ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड की ऑडिट कमेटी (एसीबी) का गठन किया है। निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण ऑडिट कमेटी का गठन सेबी (लिटिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 18 के अनुरूप नहीं था। परिणामस्वरूप, ऑडिट कमेटी के दो-तिहाई सदस्यों के स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकी।

बैंक ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और आरबीआई परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के अनुसार बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसीबी) का गठन किया है। 10.02.2025 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान, बैंक के बोर्ड में निदेशकों की अपर्याप्तता के कारण एनआरसीबी के अध्यक्ष का पद रिक्त था। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद 25.04.2025 को अध्यक्ष का रिक्त पद भर दिया गया था।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण, उसकी कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम-से-कम साथ दिन पहले दे दी जाती है। बैठक में सार्थक सहभागिता हो सके इसके लिए बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर और अधिक सूचना तथा स्पष्टीकरण ली जा सके इसकी व्यवस्था विद्यमान है।

निर्णय लिए गए तथा सदस्यों की असहमति नहीं हुई।

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों की निगरानी तथा उनके अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार तथा परिचालन के अनुरूप प्रणाली तथा प्रक्रिया बैंक में विद्यमान है।

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान बैंक ने उक्त विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा मानकों के अनुसरण में ऐसा कोई विशेष आयोजन/कार्रवाई नहीं की जिसका कोई भारी प्रभाव बैंक पर पड़े सिवा इसके कि:

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक पर कुछ दंड लगाए हैं, जिनका खुलासा वित्तीय विवरणों के लेखा-टिप्पणियों में किया गया है। हालांकि, सेबी विनियमों के गैर-अनुपालन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया।
2. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 0.39 रुपये के लाभांश की सिफारिश की है।
3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2018 के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से 34.27 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करके 2000 करोड़ रुपये (लगभग) जुटाए हैं।

कृते ए सारस्वत एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

ह/-

अनुज सारस्वत
मैंबर न. : F10444
सी ओ पी :13568

पीयर रिव्यू न. - 2539/2022
युडीआईएन: F010444G000297709

दिनांक : 08.05.2025

स्थान : कोलकाता

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2025

(Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015)

To,
**The Members,
UCO BANK
10, BTM Sarani,
Kolkata - 700001**

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by UCO Bank (hereinafter called "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the bank, the website, the filings and submissions made by the Bank to the Stock Exchanges and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit. We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2025 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2025 according to the provisions of:

- (i) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') (as amended) and the rules made thereunder;
- (ii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

- a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.
- b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ;
- d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);
- e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
- f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993.
- g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);
- h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);
- i) The Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011.
- j) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;
- (iv) Other laws specifically applicable to the Bank:
 - The Banking Regulation Act, 1949;
 - The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970;
 - Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970;
 - UCO Bank General Regulations, 1998;
 - UCO Bank (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2003;
 - Right to Information Act, 2005.

We have also examined compliance with the applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that,

The Board of Directors of the Bank is constituted under the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 which envisage optimum balance of Executive and Non-Executive Directors on the Board. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review happened in compliance with the provisions of the Act. However, one director among the workmen employees of the Bank, one among Non-workmen employees of the Bank are not nominated by the Central Government as per the requirement of the above-mentioned Act. However, the matter has been referred to the Ministry of Finance and Department of financial services for filling of the vacant positions. Furthermore, we noted that the Bank is among the top 1000 listed entities, but there was no Independent Woman Director on the Board during the first three quarter of FY 2024-25 pursuant to Regulation 17(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Bank has constituted Audit Committee of the Board (ACB) as per RBI guidelines. Constitution of Audit Committee was not in compliance with Regulation 18 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, due to an inadequate number of Directors. Consequently, the requirement that two-third member of the Audit Committee be Independent Director could not be fulfilled.

Bank has constituted Nomination and Remuneration Committee of Board (NRCB) as per GOI guidelines and RBI Circular dated 02.08.2019. During the period from 10.02.2025 to 31.03.2025, the Position of Chairperson of NRCB was vacant due to inadequacy of directors on the Board of the Bank. However, the vacant position of chairperson was filled on 25.04.2025, following the appointment of two independent director by the Central Government on the Board of the Bank vide GOI notification dated 11.04.2025.

Bank has constituted Stakeholders Relationship Committee of Board (SRC) as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. During the period from 15.11.2025 to 31.03.2025., the Position of Chairperson of SRC was vacant due to inadequacy of directors on the Board of the Bank. However, the vacant position of chairperson was filled on 25.04.2025, following the appointment of two independent director by the Central Government on the Board of the Bank vide GOI notification dated 11.04.2025

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were duly sent and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions were carried through and there were no dissenting members' views.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the Audit Period, the Bank has not incurred any specific event / action that can have a major bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standard etc.

1. During the period under review, the Reserve Bank of India imposed certain penalties on the Bank which have been disclosed in the notes to Accounts of the financial statements. However, no penalties were imposed for the non-compliance with SEBI Regulations.
2. During the period under review, Board of the Bank has recommended a dividend of Rs. 0.39 per Equity Shares for the Financial Year 2024-25.
3. During the period under review, the Bank has raised Rs. 2000 crore (approx.) through Qualified Institutional Placement (QIP) in terms of SEBI (ICDR) Regulations 2018 by issuing and allotting 58,36,00,803 equity shares of Rs.10/- each at the issue price of Rs. 34.27 per Equity Share.

For A Saraswat & Associates
Practicing Company Secretaries

sd/-

Anuj Saraswat
Mem No. - F10444
COP - 13568

Peer Review No -2539/2022
UDIN: F010444G000297709

Place: Kolkata
Date: 08-05-2025

31.03.2025 तक बैंक के सीवीओ और महाप्रबंधकों का विवरण

DETAILS OF CVO AND GENERAL MANAGERS OF THE BANK AS ON 31.03.2025

क्र.सं. SI No	नाम Name	पद Designation
1	श्री वी आनंद Shri V Anand	मुख्य सतर्कता अधिकारी Chief Vigilance Officer
2	श्री मनीष कुमार Shri Manish Kumar	महाप्रबंधक, ऋण निगरानी विभाग General Manager, Credit Monitoring Department
3	श्री वी शंकर नारायणन Shri V Sankara Narayanan	महाप्रबंधक, क्षेत्र निरीक्षण कोलकाता General Manager, Kolkata Field Inspection
4	श्रीमती आशा राजीव Smt. Asha Rajiv*	महाप्रबंधक General Manager
5	श्री सरोज रंजन नायक Shri Saroj Ranjan Nayak	महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवा विभाग General Manager, Operations and Services Dept.
6	श्री ए जेना Shri A Jena	महाप्रबंधक, निरीक्षण विभाग General Manager, Inspection Department
7	श्री गौतम पात्रा Shri Goutam Patra	महाप्रबंधक, व्यापार विकास, भुवनेश्वर अंचल कार्यालय General Manager, Business Development, Bhubaneswar Zonal Office
8	श्री प्रेम शंकर झा Shri Prem Shankar Jha	महाप्रबंधक, एमएसएमई विभाग General Manager, MSME Department
9	श्री अम्बिकानंद झा Shri Ambikanand Jha	महाप्रबंधक, व्यापार विकास नई दिल्ली अंचल कार्यालय General Manager, Business Development, New Delhi Zonal Office
10	श्री शशि कान्त कुमार Shri Shashi Kant Kumar	महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग General Manager, Risk Management Department
11	श्री अशुतोष सुंदरम Shri Ashutosh Sundaram	महाप्रबंधक, एकीकृत कोषागार, मुंबई General Manager, Integrated Treasury, Mumbai
12	श्री राजीव गुप्ता Shri Rajeev Gupta	महाप्रबंधक, व्यापार विकास मुंबई अंचल कार्यालय General Manager, Business Development, Mumbai Zonal Office
13	श्री सत्य रंजन पंडा Shri Satya Ranjan Panda	महाप्रबंधक, कृषि एवम ग्रामीण बैंकिंग विभाग General Manager, Agriculture and Rural Banking Department

क्र.सं. SI No	नाम Name	पद Designation
14	श्री अभिमन्नु रजक Shri Abhimannu Rajak	महाप्रबंधक, सूचना प्रद्योगिकी विभाग General Manager, Department of Information Technology
15	श्री रंजीत सिंह Shri Ranjeet Singh	महाप्रबंधक, व्यापार विकास चेन्नई अंचल कार्यालय General Manager, Business Development, Chennai Zonal Office
16	श्री रवि शंकर नारायण Shri Ravi Shankar Narayan	महाप्रबंधक, अनुपालन विभाग General Manager, Compliance Department
17	श्री अविनाश शुक्ला Shri Avinash Shukla	महाप्रबंधक, डिजिटल बैंकिंग विभाग General Manager, Digital Banking Department
18	श्री राजेश नागर Shri Rajesh Nagar	महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन, कार्मिक सेवा विभाग, प्रशिक्षण एवम् राजभाषा विभाग General Manager, HRM, Personnel Services Dept., Training and Official Language Department
19	श्री धीरज पटवर्धन Shri Dheeraj Patwardhan	महाप्रबंधक, वसूली विभाग General Manager, Recovery Department
20	श्री अमित श्रीवास्तव Shri Amit Srivastava	महाप्रबंधक, संसाधन विभाग General Manager, Resources Department
21	श्री राजेश उपाध्याय Shri Rajesh Upadhyay	महाप्रबंधक, खुदरा बैंकिंग विभाग General Manager, Retail Banking Department
23	श्री अंकित राना Shri Ankit Rana	महाप्रबंधक, वसूली एवम विधि विभाग General Manager, Recovery & Law Department
24	श्री सुमित खण्डेलवाल Shri Sumit Khandelwal	महाप्रबंधक, नई दिल्ली अंचल कार्यालय General Manager, New Delhi Zonal Office
25	श्री सुजय दत्ता Shri Sujoy Dutta	महाप्रबंधक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, फ्लैगशिप कॉर्पोरेट क्रेडिट एवम रणनीतिक योजना विभाग General Manager, Chief Financial Officer, Flagship Corporate Credit and Strategic Planning Department

* बैंक के बाहर नियुक्ति / Deputation Outside Bank

(₹ करोड़ में/ ₹ in Crore)

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त 10 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं
FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 10 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2025

* शेयरों की संख्या का भारित औसत/ * Weighted average number of Share

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र

STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.3.2025 की स्थिति	31.3.2024 की स्थिति
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule	As on 31.3.2025	As on 31.3.2024
		₹	₹
पूंजी /Capital	1	12539 55 90	11955 95 82
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	18465 31 80	15400 87 70
जमा राशियां / Deposits	3	293542 17 82	263129 77 27
उधार Borrowings	4	28687 48 53	25331 44 09
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	9246 54 21	7873 45 28
योग /TOTAL		362481 08 26	323691 45 16

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए संदीप जैन)
भागीदार
एमआरएन 077281
(CA SANDEEP JAIN)
Partner
MRN 077281

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार
एमआरएन 515154
(CA CHARAN JEET)
Partner
MRN 515154

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र (जारी)

STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां	अनुसूची	31.3.2025 की स्थिति As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति As on 31.3.2024 ₹
ASSETS	Schedule		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	10358 91 52	10197 17 22
बैंकों में अधिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	25767 99 65	18828 18 90
निवेश/Investments	8	94272 49 01	92904 39 55
अग्रिम/Advances	9	215134 57 88	182021 86 51
अचल आस्तियां/Fixed Assets	10	3851 95 03	3781 47 33
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	13095 15 17	15958 35 65
योग /TOTAL		362481 08 26	323691 45 16
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	128834 25 71	60950 98 92
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection	-	7595 29 35	8001 35 97

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के आनुसूचियां 1 से 18 लेख के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts.
As per our report of even date

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर- कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती
निदेशक
Dr. Sarada Prasan Mohanty
Director

श्री सुधीर श्याम
निदेशक
Shri Sudhir Shyam
Director

सुश्री रचना खरे
निदेशक
Ms. Rachna Khare
Director

श्री अंजन तालुकदार
निदेशक
Shri Anjan Talukdar
Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
निदेशक
Shri. Subhash Shankar Malik
Director

श्री रवि कुमार अग्रवाल
निदेशक
Shri Ravi Kumar Agrawal
Director

सुजय दत्ता
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sujoy Dutta
General Manager & Chief Financial Officer

शैलेश नवलखा
सहायक महाप्रबंधक
Shelesh Navlakha
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 28-04-2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ और हानि लेखा

STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2024 ₹
I. आय/INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	25066 91 14	21854 33 58
अन्य आय /Other Income	14	4406 63 43	3265 52 94
योग/TOTAL		29473 54 57	25119 86 52
II. व्यय/EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	15436 82 73	13753 55 55
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	7999 40 83	6790 06 39
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		3592 32 08	2922 50 17
योग/TOTAL		27028 55 64	23466 12 11
III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS			
वर्ष का निवल लाभ/(हानि) / Net Profit/(Loss) for the Year		2444 98 93	1653 74 41
लाभ/(हानि) पिछला अग्रणीत / Net Profit/(Loss) Brought Forward		2513 73 80	1618 57 29
योग/TOTAL		4958 72 73	3272 31 70

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए संदीप जैन)
भागीदार
एमआरएन 077281
(CA SANDEEP JAIN)
Partner
MRN 077281

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार
एमआरएन 515154
(CA CHARAN JEET)
Partner
MRN 515154

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ और हानि लेखा (जारी)

STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025 (CONTD.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

अनुसूची को समाप्त वर्ष Schedule	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2024 ₹
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS		
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves	611 24 73	413 43 60
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Capital Reserves	3 72 49	10 37 62
निवेश अस्थिरता आरक्षित में अंतरण / Transfer to Investment Fluctuation Reserves	134 28 42	—
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend	489 04 28	334 76 68
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई		
Balance Carried over to Balance Sheet	3720 42 81	2513 73 80
योग /TOTAL	4958 72 73	3272 31 70
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणी / Notes on Accounts	18	
मूल एवं न्युनीकृत ईपीएस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)	₹ 2.04	₹ 1.38

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूची 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts
As per our Report of even date

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

डॉ. सारदा प्रसान मोहन्ती
निदेशक
Dr. Sarada Prasan Mohanty
Director

श्री सुधीर श्याम
निदेशक
Shri Sudhir Shyam
Director

सुश्री रचना खरे
निदेशक
Ms. Rachna Khare
Director

श्री अंजन तालुकदार
निदेशक
Shri Anjan Talukdar
Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
निदेशक
Shri. Subhash Shankar Malik
Director

श्री रवि कुमार अग्रवाल
निदेशक
Shri Ravi Kumar Agrawal
Director

सुजय दत्ता
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sujoy Dutta
General Manager & Chief Financial Officer

शैलेश नवलखा
सहायक महाप्रबंधक
Shelesh Naviakha
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 28-04-2025

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 1 — पूंजी Schedule 1 — CAPITAL

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
प्राधिकृत पूंजी/Authorised Capital प्रत्येक ₹ 10/- के 1500,00,00,000 (1500.00,00,000) ईक्विटी शेयर 1500,00,00,000 (1500,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each	15000 00 00 <u>15000 00 00</u>	15000 00 00 <u>15000 00 00</u>
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी Subscribed, Issued and Paid up Capital प्रत्येक ₹ 10/- के 1253, 95, 58, 979 (1195, 59, 58,176) ईक्विटी शेयर 1253, 95, 58, 979 (1195, 59, 58, 176) Equity Shares of ₹ 10/- each [केन्द्र सरकार द्वारा धारित 1140,49,10,524 (1140,49,10,524) शेयर इसमें शामिल हैं] [includes 1140,49,10,524 (1140,49,10,524) shares held by Central Govt.]	12539 55 90	11955 95 82
योग /TOTAL	12539 55 90	11955 95 82

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष

Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025		31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024	
	₹	₹	₹	₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियां/Statutory Reserve:				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	3409 13 15		2995 69 54	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / कटौती				
Addition / Deduction during the year	611 24 73		413 43 61	
		4020 37 88		3409 13 15
II. पूंजी आरक्षित निधियां/Capital Reserve :				
क) पूंजीगत प्राप्ति/ a) Capital Gain				
अंतिम लेखे के अनुसार शेष				
Balance as per last account		1 17 00		1 17 00
ख/ब) निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	954 25 71		943 88 09	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/				
Transfer from Profit and Loss Account	3 72 49		10 37 62	
		957 98 20		954 25 71
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन :				
c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2997 55 47		2803 29 89	
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
Addition during the year	10 57 04		218 55 14	
वर्ष के दौरान कटौती/	3008 12 51		3021 85 03	
Deduction during the year	-38 75 16		24 29 56	
		3046 87 67		2997 55 47
III. शेयर प्रीमियम/ Share Premium				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	3625 71 03		3625 71 03	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/				
Addition during the year	1416 39 91		—	
वर्ष के दौरान कटौती/				
Deduction during the year	—		—	
		5042 10 94		3625 71 03
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/ Revenue & Other Reserves				
क/ a) सामान्य आरक्षित निधि/ General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	686 04 61		661 96 70	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	-731 04 54		24 07 91	
	-44 99 93		686 04 61	
वर्ष के दौरान कटौती/				
Deduction during the year	—		—	
		-44 99 93		686 04 61

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी) Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025		31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024	
	₹	₹	₹	₹
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि/ b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	792 01 40		737 04 70	
जोड़ें : विनिमय उचत लेखे में अंतरण/ Add: Transfer to/from Exchange Suspense				
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	80 53 48		54 96 70	
	872 54 88		792 01 40	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year	—		—	
		872 54 88		792 01 40
ग) निवेश आरक्षित निधि c) Investment Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	5 16 79		5 16 79	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/कटौती/ Addition/Deduction during the year	5 16 79		—	
		—		5 16 79
d) निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व Investment Fluctuation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	416 03 74		416 03 74	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/कटौती/ Addition/Deduction during the year	134 28 42		—	
		550 32 16		416 03 74
e) एएफएस रिजर्व AFS Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	—		—	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition/Deduction during the year	298 50 19		—	
		298 50 19		—
V. लाभ-शेष/Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2513 73 80		1618 57 29	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit and Loss Account	1206 69 01		895 16 51	
		3720 42 81		2513 73 80
TOTAL(I to V)		18465 31 80		15400 82 70

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 3 — जमाराशियां/Schedule 3 — DEPOSITS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024
	₹	₹
अ/आ. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	1346 60 97	578 88 74
ii) अन्य से/From Others	13336 82 11	11888 70 83
II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits	90481 50 04	86084 06 25
III. मीयादी जमाराशियां/Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	14174 79 82	9855 98 33
ii) अन्य से/From Others	174202 44 88	154722 13 12
योग/TOTAL (I, II & III)	293542 17 82	263129 77 27
अ/आ. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches in India	276209 02 06	249965 00 40
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches outside India	17333 15 76	13164 76 87
योग/TOTAL (i & ii)	293542 17 82	263129 77 27

अनुसूची 4 — उधार

Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024
	₹	₹
I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India	5000 00 00	4152 00 00
ii) अन्य बैंक/Other Banks	15556 45 00	16847 81 00
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	7831 50 55	3934 22 35
II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India	299 52 98	397 40 74
योग (I एवं II) TOTAL (I & II)	28687 48 53	25331 44 09
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	26387 95 55	22934 03 35
* इसमें शामिल है/* Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	2761 50 00	1404 30 00
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	3070 00 55	55
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance		
मुद्रा पुनर्वित्त/MUDRA Refinance		36 38 00
गौण ऋण/Subordinated Debt		
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond		
बासेल III कंप्लायंट टीयर - II बॉण्ड Basel-III Compliant Tier-II Bonds	1500 00 00	1500 00 00
ट्रेप्स/TREPS		493 53 80
एटि-1/AT - 1	500 00 00	500 00 00

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
I. संदेय बिल/Bills Payable	593 70 98	670 88 60
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)	184 61 50	
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	657 61 54	553 01 35
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others (including provisions)*	7810 60 16	6649 55 33
योग/TOTAL	9246 54 18	7873 45 28
इसमें शामिल हैं / Includes		
मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	1278 74 60	1090 20 01

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष Schedule 6 — CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/ Cash in hand (including Foreign Currency Notes)	587 39 65	716 82 02
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Account	9771 51 87	9480 35 12
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts		8
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)	10358 91 52	10197 17 22

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
I. भारत में/In India		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में		
a) In Current Accounts	3 68 74	4 76 48
ख) अन्य जमा खातों में		
b) In Other Deposit Accounts	16175 10 43	16947 32 18
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास		
a) With Banks	7297 49 57	1500 00 00
ख) अन्य संस्थाओं के पास		
b) With Other Institutions		
योग / TOTAL	23476 28 74	18452 08 66
II. भारत के बाहर/ Outside India		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	248 90 16	167 58 08
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	2042 80 75	208 52 16
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice		
योग /TOTAL	2291 70 91	376 10 24
कुल योग (I एवं II)/GRAND TOTAL (I&II)	25767 99 65	18828 18 90

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 8 — निवेश

Schedule 8 — INVESTMENTS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/ Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	66470 16 12	66167 49 52
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ Other Approved Securities	-	-
iii) शेयर/Shares	1044 45 83	349 64 64
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	22239 63 71	23657 14 97
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/एसोशिएट्स Investment in Associates	252 78 51	239 00 23
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, अन्य / Others	1227 50 60	198 78 26
योग/TOTAL	91234 54 77	90612 07 62
II. भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं)/ Government Securities (including Local Authorities)	3037 94 24	2292 31 93
ii) अन्य निवेश / Other Investments		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	-	-
ग/c) अन्य/Others	-	-
योग/TOTAL	3037 94 24	2292 31 93
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II)**	94272 49 01	92904 39 55

** निवेशों पर मूल्यह्रास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /

** Net of provision for Depreciation on Investments & Provision for Non-Performing Investments

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025			31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024		
निवेश INVESTMENTS	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹
I. भारत में/ In India	91829 78 97	595 24 20	91234 54 77	92970 05 44	2357 97 82	90612 07 62
II. भारत के बाहर Outside India	3037 94 24		3037 94 24	2294 92 96	2 61 03	2292 31 93
योग/TOTAL	94867 73 21	595 24 20	94272 49 01	95264 98 40	2360 58 85	92904 39 55

निवेश पर मूल्यह्रास/अनर्जक आस्ति निवेशों के लिए प्रावधान

Provision for Depreciation on Investment & Provision for Non-Performing Investments.

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 9 — अग्रिम Schedule 9 — ADVANCES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	5587 54 69	6920 31 39
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण / Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	75413 98 40	67346 73 22
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	134133 04 79	107754 81 90
योग/TOTAL	215134 57 88	182021 86 51
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित)/ Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	163398 65 44	137943 47 27
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	7093 91 01	4235 08 66
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	44642 01 43	39843 30 58
योग/TOTAL	215134 57 88	182021 86 51
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	79734 23 16	68904 67 82
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sectors	27598 02 10	24340 82 55
(iii) बैंक/Banks	3956 55 49	1779 75 22
(iv) अन्य/Others	79335 07 21	62438 38 70
योग/TOTAL	190623 87 96	157463 64 29
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल		
(a) Bills Purchased and Discounted	2470 95 29	3087 68 91
(ख) सामूहिक उधार		
(b) Syndicated loans	18499 69 61	19290 06 05
(ग) अन्य		
(c) Others	3540 05 02	2180 47 26
योग/TOTAL	24510 69 92	24558 22 22
कुल योग (इ-I एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	215134 57 88	182021 86 51

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र

STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
I. परिसर/ Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	364 58 97	343 52 57
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	- 50 12	41
	364 08 85	343 52 98
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन Additions/adjustments during the year	6 52 25	21 23 84
	370 61 10	364 76 82
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	10 39	17 85
	370 50 71	364 58 97
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	3256 00 86	3245 43 82
	3626 51 57	3610 02 79
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	-
	3626 51 57	3610 02 79
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	401 83 64	391 50 96
योग/ TOTAL	3224 67 93	3218 51 83
II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं)		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	2717 55 16	2438 69 91
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	- 25 22	19 42
	2717 29 94	2438 89 33
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	368 66 20	332 55 81
	3085 96 14	2771 45 14
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	34 75 04	53 89 98
	3051 21 10	2717 55 16
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	2485 16 03	2219 43 57
योग/ TOTAL	566 05 06	498 11 59
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal		
निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
अ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
योग/TOTAL	-	-
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	61 22 04	64 83 91
योग/TOTAL		
कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II & III+IV)	3851 95 03	3781 47 33

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार एकल तुलन-पत्र STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां Schedule 11— OTHER ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)	—	220 81 67
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	2098 91 07	2050 84 34
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	146 46 76	160 97 75
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप/Stationery and Stamps	4 24 61	4 87 15
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	5978 04 00	7313 37 00
VII. अन्य/Others	4867 48 73	6207 47 74
योग/TOTAL	13095 15 17	15958 35 65

अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	210 33 77	199 86 18
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	1 10 52	2 28 87
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	107561 36 98	40827 85 23
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents - क) भारत में A) In India	7912 62 57	6487 52 81
ख) भारत के बाहर B) Outside India	29 39 14	23 75 17
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	4674 60 80	4874 81 70
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other Items for which the bank is contingently liable #	8444 81 93	8534 88 96
योग/ TOTAL	128834 25 71	60950 98 92
# इसमें आईआरएस शामिल हैं/Includes IRS	4315 40 46	5502 78 96

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ और हानि लेखा

STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹
I. ब्याज/अग्रिमों पर बट्टा/बिल/Interest/Discount on Advances/Bills	17117 09 32	14162 19 26
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	6346 74 14	6123 81 21
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	1502 05 15	1410 90 27
IV. अन्य/Others	101 02 53	157 42 s84
योग/TOTAL	25066 91 14	21854 33 58

अनुसूची 14 — अन्य आय

Schedule 14 — OTHER INCOME

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)	265 83 79	262 52 12
II. निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments	395 36 81 1 48 78	367 06 49 367 06 49
III. निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से लाभ Profit on Revaluation of Investments घटाएं : निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से हानि Less: Loss on Revaluation of Investments	13 89 53 -38 45 67	655 16 33 414 15 53
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	1 12 71 71 86	115 40 57 61
V. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	321 92 24 376 99 03	50 16 72 20 28 06
VI. भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	8 69 10	4 05 03
VII. विविध आय/ Miscellaneous Income #	3740 53 25	2360 42 05
योग/TOTAL	4406 63 43	3265 52 94

इसमें राइट ऑफ अकाउंट्स की रिकवरी शामिल है /

Includes Recovery in Written Off Accounts

2623 53 62

551 30 16

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ और हानि STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज

Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹
I. जमा राशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	13068 00 09	11833 15 48
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	1805 74 31	1493 80 76
III. अन्य/Others	563 08 33	426 59 31
योग/TOTAL	15436 82 73	13753 55 55

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय

Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	5453 10 54	4886 66 56
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	434 92 41	332 18 16
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	45 63 37	43 48 48
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	13 98 68	9 22 33
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास/ Depreciation on Bank's Property	311 25 82	280 92 27
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय/ Directors' fees, allowances and expenses	1 21 57	1 21 36
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा-लेखापरीक्षकों सहित)/ Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	45 60 06	46 43 85
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	4 14 65	3 46 84
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	19 21 23	16 50 27
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	20 34 50	19 57 07
XI. बीमा/Insurance	395 04 86	288 65 51
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	1254 93 14	861 73 69
योग/TOTAL	7999 40 83	6790 06 39

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण के साथ संलग्न और उसका भाग)

1. सामान्य

1.1 लेखांकन का आधार

ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, लाभकारी कारोबारवाली संस्था की संकल्पना के तहत लेखांकन के परंपरागत लागत एवं प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के तात्त्विक परिवर्तन के अनुरूप हैं। इनमें भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रयोज्य एवं सामान्यतः प्रचलित रीतियों की सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा निर्धारित प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानक निहित हैं। विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के मामले में, विशेष रूप से उल्लेख किए गए को छोड़कर, विदेशों में लागू सांविधिक प्रावधानों एवं लेखांकन प्रथाओं का अनुपालन किया गया।

1.2 अनुमानों का उपयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा समीक्षा अवधि के दौरान आय-व्यय की रिपोर्टिंग करते समय प्रबंधन को अनुमान लगाने होते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि उक्त वित्तीय विवरण तैयार करने में लगाए गये अनुमान सटीक और वाजिब हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखा अनुमान मौजूदा एवं भविष्य की अवधियों में प्रत्याशित रूप से चिह्नित किया जाएगा।

2. अग्रिम

- 2.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है और अग्रिम के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है।
भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।
- 2.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान संबंधित विदेशी राज्यों में लागू नियामक अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।
- 2.3 मानक पुनर्संचित आस्तियों एवं परियोजना ऋण के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेक सम्मत दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुसार किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ग्लोबल पोर्टफोलियो के आधार पर मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए जाते हैं।
- 2.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।
- 2.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बड़े खाते डाले जाते हैं।
- 2.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बड़े खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।
- 2.7 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त पुनर्संचित/पुर्ननिर्धारित आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है जिसे पुनर्संचना किए जाने के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य बीच के अंतर को उपलब्ध कराना होता है। शुद्ध अग्रिम का आकलन करते समय उचित मूल्य (डीएफयू) में कमी के लिए प्रावधान एवं उपर्युक्त के फलस्वरूप ब्याज में कमी लाई जाती है।
- 2.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बड़े डाले गए कर्ज में वसूली गई राशि को वसूली वर्ष में राजस्व के रूप में दिखाया जाता है।
- 2.9 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्ति की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है।

3. निवेश

- 3.1 बैंक निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए सावधानीपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।
- 3.2 निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं:

- परिपक्वता तक रखे जाने वाले
- बिक्री के लिए उपलब्ध
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य निर्धारण। व्यापार के लिए रखे गए निवेश एक अलग उप-श्रेणी के रूप में रखे जाएंगे।

सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में किए गए सभी निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा। बैलेंस शीट में रिपोर्टिंग के लिए, निवेशों को आगे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, शेयर, ऋणपत्र और बांड, सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उपक्रम तथा अन्य।

3.3

- i. परिपक्वता तक रखे गए निवेशों को उनकी लागत पर रखा जाता है। इन प्रतिभूतियों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को सीधी रेखा विधि के अनुसार शेष अवधि में समायोजित किया जाता है। बिक्री पर प्राप्त लाभ को प्रारंभ में लाभ-हानि खाते में लिया जाता है और फिर करों की कटौती और सांविधिक आरक्षित खाते में स्थानांतरण के बाद पूंजी आरक्षित खाते में स्थानांतरित किया जाता है। संपत्ति की बिक्री पर होने वाला नुकसान सीधे लाभ-हानि खाते में लिया जाता है।
 - ii. बिक्री के लिए उपलब्ध निवेशों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। इन प्रतिभूतियों की अधिग्रहण लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को सीधी रेखा विधि से समायोजित किया जाता है। सभी निवेशों की समग्र मूल्यांकन वृद्धि या गिरावट को सीधे एक आरक्षित खाते में लिया जाता है, बिना इसे लाभ-हानि खाते से गुजारने की आवश्यकता।
 - ii. उचित मूल्य निर्धारण श्रेणी में रखे गए निवेशों का उचित मूल्यांकन किया जाता है, और उत्पन्न शुद्ध लाभ या हानि सीधे लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाता है। इन प्रतिभूतियों का दैनिक मूल्यांकन किया जाता है, और इनमें छूट या प्रीमियम को सीधी रेखा विधि से समायोजित किया जाता है।
- 3.4 सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में किए गए निवेशों को उनकी अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- 3.5 वाणिज्यिक पत्र और कोषागार बिल को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- 3.6 प्रसारित या उद्धृत निवेशों के लिए, बाजार मूल्य को स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध मूल्य के आधार पर लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार मूल्य या वित्तीय बैचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घोषित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।
- 3.7 अप्रकाशित निवेशों के लिए, इनकी कीमत नवीनतम बैलेंस शीट के ब्रेकअप मूल्य के आधार पर तय की जाती है, जो 12 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए; अन्यथा, प्रति कंपनी ₹1 की दर से मूल्यांकन किया जाता है।
- 3.8 बैंक द्वारा किए गए निवेशों को वसूली रेटिंग के आधार पर घोषित शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।
- 3.9 निवेश लेन-देन पर आयोग, दलाली और टूटा हुआ अवधि ब्याज सीधे लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाता है।
- 3.10 बैंक निवेशों से आय की मान्यता और गैर-प्रदानकारी निवेशों के निर्धारण एवं प्रावधान के लिए सावधानीपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

4. संपदा, सयंत्र एवं उपकरण

- 4.1 भूमि तथा भवन को छोड़ कर संपदा, सयंत्र एवं उपकरण की मदों के लिए लागत मॉडल का उपयोग कर संचित मूल्य ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले अधिशेष को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित नीधि में जमा किया गया है।
- 4.2 भारत में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उचित मानी गई अवमूल्यन की दर तथा उसे भारित करने की पद्धति निम्नानुसार हैं:-

परिसंपत्ति की श्रेणी	अवमूल्यन		मॉडल
	दर	पद्धति	
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत भूमि सहित भूमि	शून्य	शून्य	पुनर्मूल्यांकन
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत धारित भूमि पर भवन सहित भवन	शेष उपयोगी जीवन में परिशोधित	एस एल एम	पुनर्मूल्यांकन
अन्य पट्टाधृत भूमि एवं भवन तथा ऐसी पट्टाधृत भूमि पर भवन	पट्टे की अवधि में परिशोधित	एस एल एम	लागत
फर्नीचर और उपस्कर	18.10	डब्ल्यूडीवी	लागत
कार्यालय उपकरण	20.00	डब्ल्यूडीवी	लागत
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, वातानुकूलन मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपी मशीन इत्यादि	20.00	डब्ल्यूडीवी	लागत
मशीनरी जैसे, फ्रैंकिंग मशीन, ऑफिस मशीनरी, तोलन मशीन, टाइप राईटर, एडिंग मशीन, डुप्लिकेटिंग मशीन	13.91	डब्ल्यूडीवी	लागत
मोटर वाहन	25.89	डब्ल्यूडीवी	लागत
साइकिल	20.00	डब्ल्यूडीवी	लागत
कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के सहायक उपकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार) *	33.33	एस एल एम	लागत

* कंप्यूटर हार्डवेयर के आंतरिक हिस्सा वाले सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर 33.33% की दर पर किया जाता है।

- 4.3 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।
- 4.4 पुनर्मूल्यन के कारण अतिरिक्त मूल्यहास की सममूल्य राशि पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आस्ति निधि में अंतरित की जाती है।
- 4.5 कम मूल्य की संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण की मदें जिनकी लागत ₹1000/- तक है को प्रभारित किया गया है जबकि ऐसी मदें जिनकी लागत ₹1001/- से लेकर ₹5000/- है प्रत्येक को जिस तिमाही में इसे क्रय किया गया है 100% की दर से मूल्यहास प्रभारित किया गया है।
- 4.6 30 सितंबर तक के लिए योग पर मूल्यहास संपूर्ण दर पर तथा इसके बाद योग पर आधे दर पर मूल्यहास किया गया है।

5. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव

5.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन

- विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।
- विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीआई) की बंद / हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।
- विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।
- विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।
- मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।
- बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।
- जो विदेशी विनिमय स्वैप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्केट टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वाप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वैप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

5.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अदला-बदली

- मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंदी विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।
- गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।
- गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षित में संचित किया जाता है।

6. कर्मचारी हितलाभ

6.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में सेवावधि के दौरान उनकी सेवा के लिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

6.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

सेवोपरांत हितलाभ

अ/आ) निर्धारित अंशदान योजना

- एनपीएस भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा में भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।
- 1 अप्रैल 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कर्मचारी वेतन व महंगाई भत्ते (DA) का 10% अंशदान करते हैं और बैंक वेतन व महंगाई भत्ते का 14% अंशदान करता है। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से लागू की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होती है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।

आ) निर्धारित हितलाभ योजना

बैंक ग्रेज्युटी और पेंशन योजनाएं संचालित करता है, जो कि निर्धारित लाभ योजनाएं (Defined Benefit Plans) हैं।

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेज्युटी प्रदान करता है। यह लाभ सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, मृत्यु या सेवा के दौरान किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण अक्षम हो जाने की स्थिति में पात्र कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है। भुगतान की राशि निम्न में से जो भी अधिक हो, उसके अनुसार निर्धारित होती है:

- ग्रेज्युटी अधिनियम, 1972 के अनुसार: प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा या छह महीने से अधिक की आंशिक सेवा के लिए, अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर पंद्रह दिनों के वेतन के हिसाब से ग्रेज्युटी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹20,00,000/- तक है।
- OSR/ द्विपक्षीय समझौते (Bipartite) के अनुसार: प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए एक माह का वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा 15 माह के वेतन तक

है। यदि कोई अधिकारी 30 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण करता है, तो उसे 30 वर्षों से अधिक प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए आधे माह के वेतन के अतिरिक्त भुगतान के रूप में ग्रेजुटी दी जाएगी।

वेस्टिंग (अधिकार प्राप्ति) सेवा के पाँच वर्षों (ग्रेजुटी अधिनियम, 1972) या दस वर्षों (OSR/ द्विपक्षीय समझौते, जैसा लागू हो) के पूर्ण होने पर होती है। बैंक एक स्वतंत्र बाह्य गणनाकार (Actuary) द्वारा नियमित अंतराल पर किए गए आंकिक मूल्यांकन के आधार पर एक ट्रस्टी द्वारा प्रशासित कोष में वार्षिक अंशदान करता है।

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन भी प्रदान करता है। यह लाभ सेवा समाप्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या नियमन के अनुसार सेवा समाप्ति की स्थिति में वेस्टिंग होने पर मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। वेस्टिंग विभिन्न नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में होती है। बैंक एक स्वतंत्र बाह्य गणनाकार द्वारा नियमित रूप से किए गए आंकिक मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्टी द्वारा प्रशासित कोष में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है, साथ ही प्रत्येक माह वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है।

निर्धारित लाभ प्रदान करने की लागत परियोजना इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर गणनाकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जो सामान्यतः त्रैमासिक आधार पर की जाती है। शुद्ध देनदारियों को लाभ-हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है और इन्हें स्थगित नहीं किया जाता।

इ) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

क. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

ख. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

ग. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

6.3 विदेशी शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी हित लाभ का मूल्यांकन एवं लेखा जोखा संबंधित स्थानिय विधि/विनियमों के अनुसार किया जाता है।

7. ब्याज दर स्वैप

7.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वैप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यहास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

7.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वैप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वैप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्त या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

7.3 क्रय-विक्रय स्वैप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

7.4 क्रय-विक्रय स्वैप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

8. आस्तियों की अनर्जकता

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु संपदा सयंत्र एवं उपकरण की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बड़ाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्ति के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है।

9. गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां

गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों को लागत के रूप में वर्णित किया जाता है

10. राजस्व की पहचान

10.1 उपचय आधार पर आय की पहचान की जाती है, जब तक अन्यथा न कहा जाए।

10.2 विदेशी कार्यालयों के मामले में स्थानीय नियम/संबंधित देश के मानकों अनुसार आय की पहचान की जाती है।

10.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों निवेशों से आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है।

10.4 साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने पर प्राप्त कमीशन का निर्धारण साख पत्र/बैंक गारंटी की आवधि के आधार पर होता है। लाभान्श का हिसाब उसके प्राप्ति के अधिकार के स्थापित होने पर किया जाता है।

10.5 किराया आय, म्यूचुअल फंडों एवं विभिन्न जमा खातों के सेवा प्रभार से प्राप्त आय की पहचान वसूली के आधार पर की जाती है।

10.6 आयकर रिफंड पर ब्याज की पहचान वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर की जाती है।

10.7 निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है।

10.8 बड़े खाते डाले गए अग्रिमों में वसूली/निवेश का लेखा जोखा "विविध आय" में रखा जाता है।

11. पट्टा

ए एस 19 के अनुसार-पट्टे, परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के पट्टे के भुगतान की पहचान पट्टे की अवधि हेतु लाभ और हानि खाते में की जाती है तथा वित्तीय पट्टे के मामले में परिसंपत्तियों की पहचान पट्टे के प्रीमियम के लागत के रूप में लेखा बही में की जाती है तथा यह पट्टे की अवधि के साथ परिशोधित हो जाती है।

12. आय पर कर

12.1 चालू कर

लागू कर नियमों, न्यायिक उद्घोषणाओं/वैधिक मतों एवं विगत मूल्यांकन के आधार पर कर योग्य निर्धारित आय पर, लागू ब्याज दर के अनुसार चालू कर उपलब्ध करवाया जाता है।

12.2 आस्थगित कर

क/अ) आस्थगित कर, कर योग्य आय एवं लेखा आय में होने वाले एक समय अंतर को यथोचित रूप में लेने तथा एक या अधिक परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किए जाने को संकेतित करने वाला मान्य विषय है।

ख/ब) आय पर कर के हेतु लेखा मानक 22 द्वारा अधिनियमित अथवा तुलन पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर दर का उपयोग करते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताओं की पहचान की जाती है।

ग/क) प्रबंधन का निर्णय के अनुसार आस्थगित कर/देयताओं की वसूली निश्चित रूप से होगी या नहीं इसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

घ) असमाविष्ट मूल्य ह्रास एवं कर हानि को आगे बढ़ाने से आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान तभी होगी जब विश्वसनीय प्रभावयुक्त अमूर्त निश्चितता हो ताकि इस प्रकार की आस्थगित कर परिसंपत्ति को भविष्य में होने वाले लाभ से प्राप्त किया जा सके।

13. प्रति शेयर अर्जन

13.1 बैंक एएस 20 —'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।

13.2 प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

14. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स)

बैंक बहुत कम ही डेरिवेटिव्स यथा विदेशी वायदा संविदा, ब्याज-दर एवं मुद्रा डेरिवेटिव्स का काम करता है। रुपया ब्याज दर स्वेप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वेप, वायदा दर करार एवं ब्याज दर फ्यूचर बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले ब्याज-दर डेरिवेटिव्स हैं। मुद्रा स्वेप एवं मुद्रा फ्यूचर बैंक के साथ मुद्रा डेरिवेटिव्स संव्यवहार करने वाले विकल्प हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार डेरिवेटिव्स का मूल्यंकन निम्नप्रकार से किया जाता है:

(क) बचाव-व्यवस्था पर आय/व्यय का आकलन उपचय आधार पर किया जाता है।

(ख) विदेशी वायदा संविदा बाजार के लिए चिह्नित होता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

(ग) विनिमय व्यापार अनुबंध व्यापार उद्देश्य से किया जाता है जिसका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित दर के आधार पर मौजूदा बाजार के अनुसार किया जाता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

(घ) व्यापार स्वेप के समाप्ति से होने वाले हानि/लाभ को समाप्ति की तारीख में आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रतिरक्षा स्वेप की समाप्ति से होने वाले किसी लाभ/हानि को आस्थगित रखा है और स्वेप की बची हुई संविदागत अवधि या नामित आस्ति/देयताओं की शेष बची हुई अवधि के अनुसार चिह्नित किया जाता है।

(ङ) लाभ एवं हानि लेखे में देय रहने पर मुद्रा विकल्प के लिए प्रदत्त एवं प्राप्त प्रीमियम को लेखे में शामिल किया जाता है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्ति संबंधी लेखा विधि

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

16. खंड रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 अनुपालन कर व्यवसायिक खंड को प्राथमिक खंड रिपोर्टिंग के रूप में एवं भौगोलिक खंड को गौण मान्यता प्रदान करता है।

Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(Annexed to and Forming Part of Standalone Financial Statement for the year ended 31st March, 2025)

1. GENERAL

1.1 BASIS OF ACCOUNTING

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost convention and on accrual basis of accounting unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to the extent applicable and generally the practices prevailing in the banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

1.2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the Management to make estimates and assumptions while reporting assets and liabilities (including contingent liabilities) as at the date of the financial statements and income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

2. ADVANCES:

2.1 Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI and provisions for advances are made as per prudential norms of the Reserve Bank of India.

Non-performing advances in India are ascertained as per the prudential norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

2.2 Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of regulatory requirement prevailing at the respective foreign countries or RBI guidelines whichever is higher.

2.3 Provision on standard restructured assets and project loans have been made as per RBI prudential norms and directives. A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis as per prudential norms of RBI.

2.4 The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue is treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked

2.5 In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realization.

2.6 Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

2.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require the difference between the fair value of loan before and after restructuring is provided, in addition to provisions for NPAs. The provision for diminution in fair value (DFU) and interest sacrifice arising out of the above is reduced while arriving at net advance.

2.8 Amount recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

2.9 Sale of Financial asset to Securitised Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines.

3. INVESTMENTS

3.1 Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India for classification, valuation and operation of investment portfolio.

3.2 Investments are classified into following categories

- i) Held to Maturity
- ii) Available for Sale
- iii) Fair Value through Profit & Loss. Held for Trading (HFT) shall be a separate investment sub-category within FVTPL.

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL). For Reporting in Balance Sheet, Investments are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

3.3 (i) Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Any discount or premium on the securities under HTM shall be amortised over the remaining life of the instrument as per straight line method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

(ii) Investments classified as Available for Sale, are fair valued on a daily basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS is amortised over the remaining life of the instrument as per Straight Line method. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS is aggregated. The net appreciation or depreciation is directly credited or debited to a reserve named AFS-Reserve without routing through the Profit & Loss Account.

(iii) Investments held in FVTPL are fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities that are classified under the FVTPL are fair valued on a daily basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL is amortised over the remaining life of the instrument as per straight line method.

3.4 Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures are valued at acquisition cost.

3.5 Investment in Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

3.6 In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Financial Benchmarks India Private Ltd. (FBIL). For securities whose prices are not published by FBIL, the fair value of the quoted security shall be based upon quoted price as available from the trades/ quotes on recognised stock exchanges, reporting platforms or trading platforms authorized by RBI/SEBI.

3.7 In respect of unquoted investments:- at breakup value (without considering Revaluation Reserve, if any) as per the latest Balance sheet (not more than 12 months old) otherwise Rs. 1 per company.

3.8 Investments by Bank in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. Provided that when transferors invest in the SRs/PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by them to the ARC, the transferors shall carry the investment in their books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer. SRs guaranteed by the Government of India are valued by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. However, any unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account on account of fair valuation of such investments is deducted from CET 1 capital, and no dividends be paid out of such unrealized gains.

3.9 Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction. Broken period interest paid/received on debt instruments are excluded from cost/sale consideration.

3.10 The bank follows the prudential norms for recognition income from investments and for ascertaining and provisioning non-performing investments.

4. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

4.1 Items of property, plant & equipment except land and building are stated at historical cost less accumulated depreciation using cost model. Land and building are stated at revalued amount less accumulated depreciation using revaluation model. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

4.2 The rates of depreciation and method of charging depreciation as considered appropriate by the management in respect of fixed assets situated in India are as below:-

CATEGORY OF ASSETS	Depreciation		Model
	Rate	Method	
Land including land held under long-term or perpetual/renewable lease	NIL	NA	Revaluation
Building including building on land held under long-term or perpetual/renewable lease	Amortized over remaining useful life	SLM	Revaluation
Other lease-hold land & building and building on such leasehold land	Amortized over lease period	SLM	Cost
Furniture and Fixtures	18.10	WDV	Cost
Office Equipment	20.00	WDV	Cost
Electrical Installation, Air-conditioning Machinery, Refrigerator, Photo copying Machine etc.	20.00	WDV	Cost
Machinery e.g. Franking machine, office machinery, weighing machine typewriter, adding machine, Duplicating Machine	13.91	WDV	Cost
Motor Vehicle	25.89	WDV	Cost
Cycle	20.00	WDV	Cost
Computers and computer peripherals (as per RBI guidelines) *	33.33	SLM	Cost

* Depreciation on computer software including the software forming integral part of computer hardware is provided at Straight Line Method at the rate of 33.33%.

4.3 Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

4.4 Equivalent amount of additional depreciation arising out of revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

4.5 Items of property, plant and equipment of small value costing upto Rs.1000 each are charged off whereas items costing between Rs.1001 and Rs.5000 each are depreciated @ 100% in the quarter in which the same are purchased.

4.6 Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

5. EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

5.1 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.
- ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/spot rate.
- iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- iv) Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.
- v) Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.
- vi) Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of each month.
- vii) The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

5.2 FOREIGN OPERATIONS

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as non-integral operations.

Translation

- i) Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.
- ii) Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.
- iii) Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

6. EMPLOYEE BENEFITS

6.1 Short Term Employee Benefits

Short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid in exchange for the services rendered by employees are recognized during the period when the employee renders the service.

6.2 Long Term Employee Benefits

Post-employment Benefits

A) Defined Contribution Plan

- a) Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

- b) The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA the bank makes a contribution of 14% of the Pay plus DA. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

B) Defined Benefit Plan

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans. The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum / onetime payment to vested employees on superannuation or retirement or resignation or death or disablement due to accident or disease while in employment, for an amount equivalent to :

1. As per Gratuity Act 1972, For every completed year of service or part thereof in excess of six months, gratuity to an employee at the rate of fifteen days' wages based on the rate of wages last drawn by the employee concerned, subject to a maximum amount of Rs.20,00,000/- or
2. As per OSR/ Bipartite, the amount of gratuity shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 months' pay. Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years (Payment of Gratuity Act, 1972) / ten years (OSR/ Bipartite) (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

C) Other Long Term Employee benefits

- a. All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long-term employee benefits are internally funded by the Bank.
 - b. The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.
 - c. Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post-retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.
- 6.3 Employee benefits relating to employees employed at foreign branches and offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

7. INTEREST RATE SWAPS

- 7.1 The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation is provided for whereas appreciation, if any, is ignored.
- 7.2 Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.
- 7.3 Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.
- 7.4 Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

8. IMPAIRMENT OF ASSETS

Items of property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

9. NON-BANKING ASSETS

Non-Banking Assets are stated at cost.

10. REVENUE RECOGNITION

- 10.1 Income is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.
- 10.2 In respect of foreign offices, income is recognized as per local laws/ standards of respective country.
- 10.3 Income from non-performing assets/investments is recognized on realization basis in terms of RBI guidelines.
- 10.4 Commission on issuance of Letters of Credit/ Bank Guarantees is recognized over the tenure of LC/BG. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.
- 10.5 Rental Income, Income on Units of Mutual Funds and Service Charges on various Deposit Accounts are recognized on realization basis.
- 10.6 Interest on Income-tax refund is recognized in the year it was actually received.
- 10.7 Profit or loss on sale of investments is recognized as per RBI guidelines.
- 10.8 Recoveries in Written off Advances / Investments are accounted for as 'Miscellaneous Income'.

11. LEASE

In accordance with AS 19 - Leases, lease payments for assets taken on operating lease are recognized in the profit & loss account over the period of lease and in respect of assets taken on finance lease, the asset is recognized in the books taking the lease premium as the cost and the same is amortized over the period of the lease.

12. TAXES ON INCOME

12.1 Current Tax

Current tax is provided using applicable tax rates on the taxable income determined on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

12.2 Deferred Tax

- a) Deferred Tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing difference, representing the difference between the taxable income and accounting income that originated in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

- b) Deferred tax asset or liability is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income.
- c) Deferred tax assets/liabilities are re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain.
- d) Deferred Tax Assets on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses are recognized only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

13. EARNINGS PER SHARE

- 13.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.
- 13.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. Derivatives

The Bank rarely deals in derivatives i.e. Forex Forward Contracts, interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

- (a) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.
- (b) Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.
- (c) Exchange Traded Contracts entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.
- (d) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.
- (e) Premium paid and received on currency options is accounted when due in the profit and loss account.

15. ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In conformity with Accounting Standard AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

16. Segment Reporting

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

अनुसूची / SCHEDULE 18

अनुबंध III / Annexure III

लेखे के संबंध में टिप्पणियां (एकल)/ NOTES ON ACCOUNTS (Standalone)

1. विनियामक पूंजी / Regulatory Capital:

ए/अ) नियामक पूंजी की संरचना/Composition of Regulatory Capital

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे/Items	चालू वर्ष/ Current Year	पिछला वर्ष/ Previous Year
	बासेल/Basel-III	बासेल/Basel-III
(i) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)/ Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	23682.47	17525.52
(ii) अतिरिक्त टियर 1 पूंजी /Additional Tier 1 capital	500.00	500.00
(iii) टियर 1 पूंजी/Tier 1 capital (i + ii)	24182.47	18025.52
(iv) टियर 2 पूंजी/Tier 2 Capital	3133.60	3024.15
(v) कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)/Total capital (Tier 1+Tier 2)	27316.06	21049.67
(vi) कुल जोखिम अनिर्धारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) / Total Risk Weighted Assets (RWAs)	147707.34	123965.13
(vii) सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)* / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs)	16.03	14.14
(viii) टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)/ Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	16.37	14.54
(ix) टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)/ Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.12	2.44
(x) पूंजी-जोखिम अनिर्धारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)/ Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	18.49	16.98%
(xi) उत्तोलन अनुपात/Leverage Ratio	6.49	5.49
(xii) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत/ Percentage of the shareholding of Government of India	90.95	95.39
(xiii) वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि/ Amount of paid-up equity capital raised during the year	583.60	-
(xiv) वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि; अ) बासेल III अनुपालन स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)/ Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year; a) Basel III compliant Perpetual Debt Instrument (PDI):	0.00	0.00
(xv) वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि;/ Amount of Tier 2 capital raised during the year;	0.00	0.00

बी) रिज़र्व से ड्रा डाउन - शून्य

b) Draw Down from Reserves - Nil

2. आस्ति देयता प्रबंध/Asset Liability Management

ए) दिनांक 31.03.2025 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूपः/

a) Maturity pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.3.2025:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण	1दिन	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 30 दिन तक	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से अधिक से लेकर 3 माह तक	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक	1 वर्ष अधिक से लेकर 3 वर्ष तक	3 वर्ष तक अधिक से लेकर 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
PARTICULARS	1 Day	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31days to 2 months	Over 2 months and upto 3 months	Over 3 months and upto 6 months	Over 6 months and upto 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 years and upto 5 year	Over 5 years	Total
जमा/Deposits	3,017	7,969	3,354	12,006	19,121	10,927	40,229	71,826	35,735	10,063	79,295	2,93,542
अग्रिम / Advances	1361	4813	4835	3583	4701	6882	12105	18559	30153	28476	104516	219985
निवेश / Investments	899	927	155	552	1,349	654	635	2,047	11,520	18,558	57,571	94,868
उधार/Borrowings	43	5,000	39	-	296	2,005	1,033	4,296	12,821	2,654	500	28,688
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	1,381	3,736	756	1,613	2,592	4,988	7,090	9,145	16,880	6,322	1,526	56,027
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	438	617	521	976	3,829	4,739	9,646	14,825	18,736	2,475	4,005	60,806

ख) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) /b) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

प्रमाणात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosure:

चलनिधि कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	30.06.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2024		30.09.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2024		31.12.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2024		31.03.2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2025	
	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां/ High Quality Liquid Assets								
1 कुल उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तिया (HQLA) Total High quality Liquid Assets(HQLA)		64,059.74		67,480.57		63,377.25		61,461.36
नकदी निकासी/Cash Outflows								
2 खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा, जिनमें से Retail Deposit and deposits from small business customers, of which	1,81,227.44	18,057.44	1,86,251.22	18,557.79	1,89,152.56	18,849.20	1,86,861.44	18,603.42
(i) स्थिर जमा /Stable Deposit	1,306.05	65.30	1,346.71	67.34	1,321.13	66.06	1,654.41	82.72
(ii) अल्प स्थिर जमा/Less Stable Deposit	1,79,921.38	17,992.14	1,84,904.51	18,490.45	1,87,831.43	18,783.14	1,85,207.03	18,520.70
3 अरक्षित थोक वित्त पोषण, जिनमें से Unsecured Wholesale Funding, of which	68,396.14	26,544.17	72,301.58	28,906.65	68,693.46	26,637.88	75,633.02	30,616.28
(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Operational Deposits (All Counter Parties)	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Non- Operational Deposits (All Counter Parties)	68,396.14	26,544.17	72,301.58	28,906.65	68,693.46	26,637.88	75,633.02	30,616.28
(iii) अप्रतिभूत ऋण/Unsecured Debt								
4 प्रतिभूत थोक निधियन / Secured Wholesale Funding		-		-		-		-
5 अतिरिक्त जरूरतें, जिनमें/ Additional Requirements, of Which	22,675.81	4,110.66	24,895.17	4,104.13	27,398.82	4,237.75	31,058.96	4,498.38
(i) व्युत्पन्न एक्सपोजर एवं अन्य संपार्श्विक जरूरतों से संबंधित निकासी Outflows related to derivative exposures and other Collateral Requirements	879.02	879.02	554.24	554.24	932.55	932.55	953.95	953.95

	30.06.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2024		30.09.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2024		31.12.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2024		31.03.2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2025	
	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित निकासी Outflows related to loss of funding on debt Products	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं Credit and Liquidity facilities	12,796.79	3,231.64	24,340.93	3,549.89	34,655.98	4,124.17	35,842.15	4,118.15
6 अन्य संविदा निधियन दायित्व Other Contractual funding Obligations	1,746.67	1,746.67	2,082.78	2,082.78	2,204.23	2,204.23	3,037.60	3,037.60
7 अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other Contingent Funding Obligations	12,647.84	401.07	13,078.67	414.45	12,686.66	380.60	12,982.38	389.47
8 कुल नकदी निकासी/ Total Cash Outflows		50,861.01		54,065.80		53,128.63		57,718.87
नकदी आगमन/ Cash Inflows								
9 प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured Lending (eg. Reverse Repos)	124.14	124.14	217.29	217.29	100.01	100.01	1.39	1.39
10 पूर्णतः अर्जक एक्सपोजर से आगमन Inflows from Fully Performing Exposures	4,399.97	3,317.69	6,488.90	5,224.44	5,142.99	4,020.65	7,267.83	6,222.55
11 अन्य नकदी आगमन/ Other Cash inflows	348.34	348.34	648.30	648.30	1,065.72	1,065.72	1,290.17	1,286.42
12 कुल नकदी आगमन/Total Cash inflows	4,872.45	3,790.09	7,354.49	6,090.03	6,308.72	5,186.38	8,559.39	7,510.36
13 कुल एचक्यूएलए/ Total HQLA		64,059.74		67,480.57		63,377.25		61,461.36
14 कुल निवल नकदी निकासी/ Total Net Cash Outflow		47,070.93		47,975.77		47,942.25		50,208.51
15 चलनिधि कवरेज अनुपात/ Liquidity Coverage Ratio (%)		136.09%		140.66%		132.19%		122.41%

*2024-25 का औसत एलसीआर यानी अप्रैल 2025 से मार्च 2025 = 132.70% / Average of Daily LCR of 2024-25, i.e. April 2024 to March 2025 = 132.70%

एलसीआर डेटा और परिणाम का गुणात्मक मूल्यांकन:

तरलता कवरेज अनुपात (LCR) की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई है कि बैंक पर्याप्त स्तर पर अप्रभावित उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLAs) बनाए रखे, जिसे अगले 30 कैलेंडर दिनों के समय के लिए अपने तनावग्रस्त बहिर्वाह को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सके। RBI ने बैंकों को बैंक स्तर पर न्यूनतम 100% LCR बनाए रखने का आदेश दिया है।

तदनुसार, बैंक बैंक स्तर पर एलसीआर का खुलासा कर रहा है। बैंक की हांगकांग और सिंगापुर में दो विदेशी शाखाएँ हैं, जिनके लिए अलग से एलसीआर की आवश्यकता नहीं है।

एलसीआर के संचालक:

बैंक मुख्य संचालन को निरंतर आधार पर न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से काफी ऊपर एलसीआर को बनाए रखता है, जो निम्नप्रकार हैं:

संचालक / Drivers	विवरण/Particulars
उच्च गुणवत्ता वाली चल परिसंपत्तियों का स्तर (एचक्यूएलए) Level of High Quality Liquid Assets (HQLA)	बैंक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एचक्यूएलए का पर्याप्त स्तर बनाए हुए है, अर्थात् डीटीएल का 18% जिसे आसानी से परिसमाप्त किया जा सकता है या तनावपूर्ण स्थितियों में त्वरित तरलता उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 31.03.2025 तक बैंक के पास अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता से अधिक डीटीएल का 5.19% हिस्सा था। The Bank is maintaining substantial level of HQLA in the form of Government Securities in excess of the mandatory SLR requirement, i.e. 18% of DTL which can be easily liquidated or could be used for generating quick liquidity in stressed conditions. Bank was holding 5.19% of DTL in excess of mandatory SLR requirement as on 31.03.2025.
रिटेल जमा/लघु कारोबार करने वाले ग्राहकों से निधि की प्राप्ति Funding from Retail Deposits / Small Business Customers	चूंकि खुदरा ग्राहकों से मिलने वाले वित्तपोषण के साथ-साथ छोटे व्यवसाय ग्राहकों से मिलने वाले वित्तपोषण को तनाव की स्थिति में स्थिर माना जाता है, इसलिए बैंक इन स्रोतों से वित्तपोषण प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और कॉर्पोरेट जमा तथा बैंक/एफआई/एनबीएफसी से मिलने वाले जमा पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। वर्तमान में, 31.03.2025 तक इस खंड में बैंक की जमा राशियों की कुल संरचना कुल वैश्विक जमा राशियों का 69.09% है। As funding from Retail customers as well as funding from Small business customers are considered stable during Stress Scenario and accordingly, Bank is focusing on sourcing funding from these sources and is reducing its dependence on corporate deposits and deposits from Bank / FI / NBFC. Presently, Bank's total composition of Deposits in this segment is 69.09% of Total Global Deposits as on 31.03.2025.

उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियाँ (एचक्यूएलए): हमारे एचक्यूएलए में निम्नांकित शामिल हैं:

• स्तर 1 की परिसंपत्तियाँ

- उपलब्ध तैयार नकदी जिसमें सीआरआर के अतिरिक्त मौजूद नकदी रिजर्व शामिल है।
- बाध्यकारी एसएलआर के अतिरिक्त मौजूद सरकारी प्रतिभूतियाँ।
- एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मियादी देयताओं के 2% तक की सीमांत स्थायी सुविधा।
- तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा कुल निवल मांग और समय देनदारियों के 16 प्रतिशत तक की सीमा में एसएलआर वाली प्रतिभूतियों के रूप में उपलब्ध है।

• स्तर 2 की परिसंपत्तियाँ (बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा जारी न की गई)

• स्तर 2ए परिसंपत्तियाँ - 15% हेयरकट के साथ

- सॉवरेन सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों (पीएसई) पर दावों या उनके द्वारा गारंटीकृत दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विक्रय योग्य प्रतिभूतियाँ जिनका जोखिम भार 20% का है।
- कारपोरेट बॉन्ड एवं वाणिज्यिक कागजात जिनकी न्यूनतम रेटिंग एए- है।

Qualitative Assessment of LCR data and Result :

Liquidity Coverage Ratio (LCR) has been introduced with the objective to ensure that Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its stressed outflows for next 30 calendar day time horizon. RBI mandates Banks to maintain minimum LCR of 100% at Bank level.

Accordingly, Bank is disclosing the LCR at Bank level. The Bank is having two overseas branches at Hong Kong and Singapore for which there is no separate LCR requirement.

Drivers of LCR:

The Bank has been maintaining the LCR well above the minimum regulatory requirement on an ongoing basis on the main drivers of which are as under:

High Quality liquid Assets (HQLA): Our HQLA comprises of following

• Level 1 Assets

- Cash in hand including Cash Reserve in excess of CRR
- Govt. Securities in Excess of Mandatory SLR
- Marginal standing Facility up to 2% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
- Facility to Avail Liquidity for liquidity Coverage Ratio up to 16% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.

• Level 2 Assets (Not issued by Banks/Financial Institution)

• Level 2A assets - With Haircut of 15%

- Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by Sovereigns Public Sector Entities (PSEs) having risk weight 20%
- Corporate Bonds and Commercial Papers having minimum rating of AA-

● स्तर 2बी परिसंपत्तियों के अंतर्गत - 50% हेयरकट के साथ

1. सॉवरेन द्वारा निर्गमित या गारंटीकृत प्रतिभूतियां जिनका जोखिम भार 20% से अधिक परंतु 50% से अधिक नहीं है (जैसे एए एवं ए रेटिंग के बॉन्ड)।
2. कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक कागजात सहित) जिनकी बाह्य रेटिंग ए+ से बीबीबी- के मध्य है।
3. एनएसई सीएनएसएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल कॉमन इक्विटी शेयर

एचक्यूएलए की संरचना: 31 मार्च 2025 को समाप्त तीन महीनों के दौरान बैंक ने 61461.36 करोड़ रुपये का औसत HQLA बनाए रखा, जिसमें लेवल 1 की संपत्ति HQLA के कुल स्टॉक का लगभग 99.80% हिस्सा है। लेवल 1 की संपत्ति अधिक स्थिर प्रकार की संपत्ति है, जिसमें किसी भी नकदी बहिर्वाह को पूरा करने के लिए कोई हेयरकट नहीं है या कम है। लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (FALLCR) के लिए लिक्विडिटी का लाभ उठाने की सुविधा HQLA का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी 31.03.2025 तक कुल औसत HQLA का लगभग 74.30%।

कुल एचक्यूएलए में भारत अतिरिक्त एसएलआर का प्रतिशत 31.12.2024 को 13.37% से बढ़कर 31.03.2025 को 15.46% हो गया है, क्योंकि अभारित कुल नकदी बहिर्वाह के प्रतिशत के रूप में उधार 31.12.2024 को 2.82% से घटकर 31.03.2025 को 1.54% हो गया है।

लेवल 1 परिसंपत्तियों की तुलना में लेवल 2 की परिसंपत्ति गुणवत्ता में कम है, 40% के अधिकतम अनुमत स्तर के मुकाबले एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 0.20% है।

धन स्रोतों की एकाग्रता: हमारे फंडिंग स्रोत विविध देनदारियों के पोर्टफोलियो के साथ अच्छी तरह से फैले हुए हैं जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

- गैर-परिपक्व जमा (चालू जमा/बचत जमा)
- सावधि जमा जिसका अधिकांश हिस्सा खुदरा ग्राहकों से आ रहा है।

फंडिंग प्रोफाइल : 31.03.2025 तक खुदरा जमा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा राशि कुल भारत नकदी बहिर्वाह (कुल गैर-भारित नकदी बहिर्वाह का 62.56%) का लगभग 34.97% योगदान देती है। गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट, केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से जमा राशि 31.03.2025 तक कुल भारत नकदी बहिर्वाह (कुल गैर-भारित नकदी बहिर्वाह का 15.84%) का 35.57% योगदान देती है।

31.03.2025 तक कुल अ-भारित नकदी बहिर्वाह में अन्य कानूनी इकाई से अ-भारित देयता का प्रतिशत 2.62% था।

बैंक नियमित अंतराल पर निधि स्रोतों की निगरानी कर रहा है, जिसका उद्देश्य कम स्थिरता वाले निधियों के संकेन्द्रण की निगरानी करना/उसे कम करना है। बैंक नियमित अंतराल पर शीर्ष 20 जमाकर्ताओं के संकेन्द्रण की भी निगरानी करता है।

बैंक ने ट्रिगर सीमा भी निर्धारित की है जो न्यूनतम एलसीआर विनियामक आवश्यकता 100% से अधिक है, ताकि बैंक सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि बैंक एलसीआर विनियामक सीमा 100% से ऊपर रहे।

● Level 2B assets - With Haircut of 50%

1. Securities issued or guaranteed by sovereigns having risk weight higher than 20% but not higher than 50% (i.e. Bonds with Rating AA & A)
2. Corporate Debt Securities (including Commercial Paper) having external rating between A+ and BBB-
3. Common Equity Shares Included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index

Composition of HQLA: : The Bank during the three months ended 31st March 2025 maintained average HQLA of Rs.61461.36 crore of which Level 1 Assets contribute to approximately 99.80% of the total stock of HQLA. Level 1 assets are more stable form of asset with no or lower haircut for meeting any cash outflow. Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) constitutes the highest portion to HQLA i.e. around 74.30% approx. of the total average HQLA as on 31.03.2025.

The percentage of weighted excess SLR to total HQLA has increased from 13.37% as on 31.12.2024 to 15.46% as on 31.03.2025 as Borrowing as a percentage of unweighted total cash outflows decreased from 2.82% as on 31.12.2024 to 1.54% as on 31.03.2025.

Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets constitute 0.20% of the total stock of HQLA against maximum permissible level of 40%.

Concentration of Funding Sources: Our Funding sources is well diversified comprising mainly of :

- Non-maturing deposits (Current Deposit/ Saving Deposit)
- Term Deposit of which majority portion is from Retail Customers.

Funding Profile: Retail Deposits along with Deposits from Small Business Customer put together contribute around 34.97% of total weighted Cash outflow (62.56% of total un-weighted Cash outflow) as on 31.03.2025. Deposits from Non-financial Corporates, Central Banks, Multilateral development banks and PSEs contribute to 35.57% of total weighted Cash outflows (15.84% of total un-weighted Cash outflows) as on 31.03.2025.

The percentage of Unweighted Liability from Other Legal entity to Total Un-weighted Cash outflows stood at 2.62% as on 31.03.2025.

Bank is monitoring the funding sources on regular interval with the objective to monitor/reduce the concentration of funds having lower stability. Bank also monitors the concentration of top 20 depositors on regular intervals.

Bank has also placed trigger limit which is above the minimum LCR regulatory requirement of 100% so that the Bank initiate corrective actions to ensure that Bank LCR remains above Regulatory ceiling of 100%.

ग) निवल स्थिर निधीयन अनुपाल (एनएसएफआर):

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट:																				
तिमाही 1					तिमाही 2					तिमाही 3					तिमाही 4					
(₹ करोड़ में)	अवशिष्ट परियोजना द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परियोजना द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परियोजना द्वारा अनिर्धारित मूल्य				अवशिष्ट परियोजना द्वारा अनिर्धारित मूल्य					
	कोई परियोजना नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परियोजना नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परियोजना नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कोई परियोजना नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		
एएसएफ मद																				
1 पूंजी: (2+3)	-	-	-	75879	75879	-	-	-	80340	80340	-	-	-	73753	73753	-	-	-	79813	79813
2 विनियामक पूंजी	-	-	-	21796	21796	-	-	-	22493	22493	-	-	-	22641	22641	-	-	-	27408	27408
3 अन्य पूंजी साधन	-	-	-	54083	54083	-	-	-	57847	57847	-	-	-	51113	51113	-	-	-	52405	52405
4 खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों के जमा: (5 अ 6)	87608	0	86012.18	-	161203	89372	-	84761	-	161862	93763	-	84319.48	-	165388	95628	-	83186	-	166024
5 स्थिर जमा	63185	0	35686.6	-	93928	62915	-	35760.88	-	93951	66293	-	35989.01	-	97168	67068	-	34767.48	-	96744
6 अल्प स्थिर जमा	24424	0	50325.58	-	67275	26457	-	49000.01	-	67911	27470	-	48330.47	-	68221	28560	-	48418.49	-	69280
7 शोध वित्त पोषण: (8+9)	9569	3114	49014	-	30849	5458	0	47766	-	34788	8514	0	57539	-	34832	10214	442	70861	-	40759
8 प्रधानात्मक जमा	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0
9 अन्य शोध वित्त पोषण	9569	3114.21	49014.04	-	30849	5458	-	47765.73	-	34788	8514	-	57538.5	-	34832	10214	441.89	70861	-	40759
10 अन्य देवतार: (11 + 12)	-3544	8970	-	-	0	3928	1202	294	-	0	2504	12274	6746	2489	0	8316	10804	-	-	0
11 एनएसएफआर व्युत्पन्न देवतार	-3544	-	-	-	0	-4403	-	-	-	0	-3191	-	-	-	0	-6358	-	-	-	0
12 अन्य समी देवतार और इक्विटी जो कि उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई हैं	8970	-	-	0	8331	1202.24	294.03	-	0	0	5696	12273.68	6745.68	2489	0	14674	10803.56	-	-	0
13 कुल एसएफ (1+4+7+10)	93634	12084	135026	75879	267930	98758	1202	132821	80340	276990	104781	12274	148604	76242	273974	114158	11245	154047	79813	286596
14 कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली सरल संगति (एकव्युत्पन्न)	-	82347.69			4365		88103.63			4723		81061.98			4342		90248.45			4498
15 परिवर्तन प्रयोजनों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमाएं	104.83		-	-	52	106	-	-	-	53	50	-	-	-	25	135	-	-	-	67
16 अर्जक ऋण और प्रतिभूतियां: (17 + 18 + 19 + 21 + 23)	-	63227.82	109635.61	115695		-		67788.35	111503.79	119304	-		73454.82	116633.97	125416.4	-		95586.34	108889.53	129473.96
17 स्तर 1 एकव्युत्पन्न द्वारा रक्षित वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों के असुरक्षित अर्जक ऋण।			-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
18 गैर-स्तर 1 एकव्युत्पन्न द्वारा रक्षित वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित अर्जक ऋण			-	3780.51	1890	-		25666.02	-	1283	-		5035.83	-	2518	-		6649.84	-	3325

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट:											
तिमाही 1				तिमाही 2				तिमाही 3			
(₹ करोड़ में)	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिवारित मूल्य			अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिवारित मूल्य			निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिवारित मूल्य			निर्धारित मूल्य
	कई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	कई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष		कई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	
एएसएफ मंद											
19 गैर-नितीय कोरिस्ट शाखाओं, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों के अर्जक ऋण, और सामूहिक, क्षेत्रीयवर्गी और सार्वजनिक उपक्रमों के अर्जक ऋण, जिनमें से:	-	-	59447.31	63216	79266	82034	85736	-	-	88936.5	88535
20 ऋण जोखिम के लिए बसल II मातृकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	10000.73	17599	16439.68	16445.33	18556	-	-	6384.64	16897.56
21 अर्जक आवासीय बैंक, जिनमें से:	-	-	-	24587	15981.69	17341.69	18556	-	-	-	19115.86
22 केडिट जोखिम के लिए बसल II मातृकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	24587	15982	17342	18556	-	-	-	19116
23 प्रतिभूतियाँ जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेंडेड इन्विटरी सहित एक्सचेंज-ट्रेंडेड रूप में योग्य नहीं हैं	-	-	-	21833	18557.84	18644.81	21890	-	-	-	18498.63
24 अन्य संपत्तियाँ (25 से 29 पंक्तियों का योग)	37366	-	-	37043	74351	37543	72530	37290	-	33395	67069
25 सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं		-	-	-	0	-	0	-	-	-	0
26 खुदरा अनुबंधों और बीपीपी के डिफॉल्ट फंड में अभिदायों के लिए प्रारंभिक मॉडल के रूप में प्रविष्ट की गई अस्तित्वों	382	-	-	-	325	384	326	390	-	390	331
27 एनएसएफआर खुदरा अस्तित्वों	0	-	-	-	0	0	0	0	-	81.93	81.93
28 प्रविष्ट किए गए घट-बढ़ मॉडल की कटौती से पूर्व एनएसएफआर खुदरा देयताएं	259	-	-	-	259	259	259	0	-	0	0
29 अन्य सभी संपत्तियाँ जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	36725.05	-	-	37043	79768	36900.45	71945	36900.45	-	33763	66666
30 कुल पत्र में शामिल नहीं होने वाली मंद	24265	-	-	-	1201	24357	1204	29625	-	35753	1762.6
31 कुल आरएसएफ	61736	82347.69	63228	146678	195685	62006	88104	67788.35	14654.8	197814	202871
32 तिरल स्थिर निधियन अनुपात (%)					136.93%		140.03%		135.48%		141.27%

c) Net Stable Funding Ratio(NSFR):

NSFR Disclosure Template:																					
QUARTER 1					QUARTER 2					QUARTER 3					QUARTER 4						
	(₹ in Crore)	Unweighted value by residual maturity			Weighted value	Unweighted value by residual maturity			Weighted value	Unweighted value by residual maturity			Weighted value	Unweighted value by residual maturity			Weighted value				
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr		≥ 1yr	No maturity*	< 6 months		6 months to < 1yr	≥ 1yr	No maturity*		< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr
ASF Item																					
1	Capital: (2+3)	-	-	-	75879	75879	-	-	-	80340	80340	-	-	-	73753	73753	-	-	-	79813	79813
2	Regulatory capital	-	-	-	21796	21796	-	-	-	22493	22493	-	-	-	22641	22641	-	-	-	27408	27408
3	Other capital instruments	-	-	-	54083	54083	-	-	-	57847	57847	-	-	-	51113	51113	-	-	-	52405	52405
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	87608	0	86012.18	-	161203	89372	-	84761	-	161862	93763	-	84319.48	-	165388	95628	-	83186	-	166024
5	Stable deposits	63185	0	35686.6	-	93928	62915	-	35760.88	-	93951	66293	-	35989.01	-	97168	67068	-	34767.48	-	96744
6	Less stable deposits	24424	0	50325.58	-	67275	26457	-	49000.01	-	67911	27470	-	48330.47	-	68221	28560	-	48418.49	-	69280
7	Wholesale funding: (8+9)	9569	3114	49014	-	30849	5458	0	47766	-	34788	8514	0	57539	-	34832	10214	442	70861	-	40759
8	Operational deposits	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0
9	Other wholesale funding	9569	3114.21	49014.04	-	30849	5458	-	47765.73	-	34788	8514	-	57538.5	-	34832	10214	441.89	70861	-	40759
10	Other liabilities: (11+12)	-3544	8970	-	-	0	3928	1202	294	-	0	2504	12274	6746	2489	0	8316	10804	-	-	0
11	NSFR derivative liabilities	-3544	-	-	-	0	-4403	-	-	-	0	-3191	-	-	-	0	-6358	-	-	-	0
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	8970	-	-	-	0	8331	1202.24	294.03	-	0	5696	12273.68	6745.68	2489	0	14674	10803.56	-	-	0
13	Total ASF (1+4+7+10)	93634	12084	135026	75879	267930	98758	1202	132821	80340	276990	104781	12274	148604	76242	273974	114158	11245	154047	79813	286596
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)	-	824769	-	-	4365	-	88103.63	-	-	4723	-	81061.98	-	-	4342	-	93248.45	-	-	4498
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	104.83	-	-	-	52	106	-	-	-	53	50	-	-	-	25	135	-	-	-	67
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+ 23)	-	63227.82	106356.61	-	115665	-	-	67788.35	111533.79	119304	-	-	73454.82	116633.97	1254164	-	-	95586.34	108866.53	129473.96
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA and unsecured performing loan to financial institutions.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	-	3780.51	-	1890	-	-	2566.02	-	1283	-	-	5035.83	-	2518	-	6649.84	-	-	3325

NSFR Disclosure Template:																					
QUARTER 1					QUARTER 2					QUARTER 3					QUARTER 4						
	(₹ in Crore)	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value	Unweighted value by residual maturity				Weighted value					
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
ASF Item																					
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	-	-	59447.31	63216	79266	-	-	65222.33	62889	82034	-	-	68418.99	66196	85736	-	-	88936.5	57817	88535
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	10000.73	17599	16439.68	-	-	10897.09	16918	16445.33	-	-	32856.67	23702	53403.62	-	-	6384.64	21085	16897.56
21	Performing residential mortgages, of which:	-	-	-	24587	15981.69	-	-	-	26680	17341.69	-	-	-	28548	18556	-	-	-	29409	19115.86
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	-	24587	15982	-	-	-	26680	17342	-	-	-	28548	18556	-	-	-	29409	19116
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	-	-	-	21833	18557.84	-	-	-	21935	18644.81	-	-	-	21890	18606.77	-	-	-	21763	18498.63
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	37366	-	-	37043	74351	37543	-	-	35044	72530	37290	-	-	33763	70995	33395	-	-	33733	67069
25	Physical traded commodities, including gold	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	382	-	-	-	325	384	-	-	-	326	390	-	-	-	331	390	-	-	-	331
27	NSFR derivative assets	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	81.93	-	-	-	81.93
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	259	-	-	-	259	259	-	-	-	259	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
29	All other assets not included in the above categories	36725.05	-	-	37043	73768	36300.45	-	-	35044	71945	36300.45	-	-	33763	70663	32622.77	-	-	33733	66656
30	Off-balance sheet items	24265	-	-	-	1201	24357	-	-	-	1204	29625	-	-	-	1449	35753	-	-	-	1762.6
31	Total RSF	61736	82347.69	63228	146678	195665	62006	88104	67788.35	146548	197814	66605	81062	73455	150397	202228	69282	90248	95586	142722	202871
32	Net Stable Funding Ratio (%)					136.93%					140.03%					135.48%					141.27%

गुणात्मक चर्चा:

पृष्ठभूमि:

नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो (NSFR) दिशा-निर्देश बैंकों को फंडिंग तनाव के जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त स्तर से स्थिर संसाधनों के साथ अपनी परिसंपत्तियों को वित्तपोषित करने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि के समय क्षितिज पर फंडिंग जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं। NSFR को आवश्यक स्थिर फंडिंग राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। RBI ने मई 2018 में नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो के कार्यान्वयन पर नियम जारी किए हैं, जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कम से कम 100% के बराबर है। कार्यान्वयन 01 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है।

एनएसएफआर का उद्देश्य:

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। एक स्थायी वित्त पोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के वित्त पोषण के नियमित स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता का जोखिम बढ़ जाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत तनाव हो सकता है।

एनएसएफआर की परिभाषा:

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (एसएफ) की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

एनएसएफआर की गणना :

एनएसएफआर की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:-

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन}} \geq 100\%$$

उपर्युक्त अनुपात चालू आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए। एनएसएफआर बैंकों पर दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी है और आरबीआई की पोर्टल पर तिमाही फाइलिंग अनिवार्य है। तदनुसार, हमें दिनांक 31.03.2025 के लिए आरबीआई की पोर्टल पर एनएसएफआर को अपलोड कर दिया है।

“उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण” (एसएफ) को पूँजी और देयताएं के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है और एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक बढ़ा है।

उदाहरण :

- कुल विनियामक पूँजी (एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली टियर 2 लिखतों को छोड़कर)।
- एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता के साथ अन्य पूँजीगत लिखत और देयताएं।
- रिटेल एवं लघु व्यवसाय ग्राहकों (इसे बड़े कॉर्पोरेट/ संस्थान से जमा राशि की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है) द्वारा प्रदान की गई स्थिर और कम स्थिर गैर-परिपक्वता (मांग) जमा राशि तथा एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सावधि जमा
- सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंकों से एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तपोषण।

Qualitative Disclosure:

Background:

Net Stability Funding Ratio (NSFR) guidelines ensure reduction in funding risk over longer duration time horizon by requiring bank to fund their assets with sufficiently stable resources of funding in order to mitigate the risk of funding stress. The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount required stable funding. RBI has issued the regulations on the implementation of Net stability funding Ratio in May 2018 with minimum requirement of equal to at least 100%. The implementation is effective from 01st October 2021.

Objective of NSFR:

The objective of NSFR is to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the assets requiring stable funding. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of bank's liquidity position due to disruptions in bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress.

Definition of NSFR:

The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding (ASF) relative to the amount of Required Stable Funding (RSF).

Computation of NSFR:

The NSFR is computed as follows:

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding}}{\text{Required Stable Funding}} \geq 100\%$$

The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. The NSFR is binding on Banks w.e.f. 01.10.2021 and quarterly filing in RBI portal is mandatory. Accordingly, we have uploaded NSFR in RBI portal for 31.03.2025

“Available Stable Funding” (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year.

Example:

- Total regulatory capital (excluding Tier 2 instruments with residual maturity of less than one year).
- Other capital instruments and liabilities with effective residual maturity of one year or more.
- Stable & less stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers (it is considered more stable than deposits from large corporates/ institution)
- Funding with residual maturity of less than one year from sovereigns, PSEs, and multilateral and national development banks.

किसी विशिष्ट संस्थान के लिए आवश्यक स्थिर वित्तपोषण ("आवश्यक स्थिर वित्तपोषण") (आरएसएफ) उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसके तुलन-पत्र से इतर जोखिमों का एक कार्य है।

उदाहरण :

- क) भार रहित स्तर 1 की परिसंपत्तियां, सिक्कों, बैंक नोटों, सीआरआर और एसएलआर प्रतिभूतियों को छोड़कर
- ख) भार रहित स्तर 2ए एवं स्तर 2बी परिसंपत्तियां
- ग) अन्य सभी परिसंपत्तियां जो एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिसमें गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को 'मानक' ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों को और सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों को 'मानक' ऋण शामिल हैं।
- घ) एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ भार रहित 'मानक' आवासीय बंधक और मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत न्यूनतम जोखिम भार निर्धारित किया गया।
- ङ) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले अन्य भार रहित निष्पादन ऋण तथा एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता, वित्तीय संस्थानों के ऋण को छोड़कर।

गैर-निष्पादित ऋण, एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तीय संस्थानों को ऋण, गैर-विनिमय-व्यापारिक इक्विटी, अचल परिसंपत्तियां, नियामक पूंजी से कटौती की गई मर्दे, प्रतिधारित ब्याज, बीमा परिसंपत्तियां, सहायक हितों एवं चूक प्रतिभूतियों सहित उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल अन्य सभी परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

"Required Stable Funding" (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

Example:

- a) Unencumbered Level 1 assets, excluding coins, banknotes, CRR and SLR Securities
- b) Unencumbered Level 2A & Level 2B assets
- c) All other assets not included in the above categories with residual maturity of less than one year, including 'standard' loans to non-financial corporate clients, to retail and small business customers, and 'standard' loans to sovereigns and PSEs
- d) Unencumbered 'standard' residential mortgages with a residual maturity of one year or more and assigned the minimum risk weight under the Standardized Approach
- e) Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardized Approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions.
- f) All other assets not included in the above categories, including non-performing loans, loans to financial institutions with a residual maturity of one year or more, non-exchange-traded equities, fixed assets, items deducted from regulatory capital, retained interest, insurance assets, subsidiary interests and defaulted securities.

प्रमुख संचालक/ Key Drivers

उपलब्ध स्थिर निधियन (एसएएफ)	पूंजी आधार, गैर-वित्तीय कंपनियों से खुदरा जमा आधार, निधियन और वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक वित्त पोषण मुख्य संचालक हैं। रिटेल ग्राहकों से अपरिपक्व जमा राशियां और एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता वाली जमा राशियां या देयताएं बेहतर स्रोत के रूप में मानी जाती हैं क्योंकि वे अधिक स्थायी प्रकृति की होती हैं।
Available Stable Funding (ASF)	The main drivers are Capital, Retail Deposit, funding from Non-Financial Companies and Long term funding from financial Institutions. Non-Maturing deposits from Retail Customers and Deposits or Liabilities having with effective residual maturity of one year or more are better source considered as they are more stable in nature.
वांछित स्थिर निधियन	सीआरआर और एचक्यूएलए यानी भारमुक्त एसएलआर प्रतिभूतियों को कम निधि की आवश्यकता होती है, इसलिए उनकी उच्च तरलता के कारण स्थिर निधियन की कम राशि को आकर्षित किया जाता है। अर्जक ऋणों की अवशिष्ट परिपक्वता पर अलग-अलग निधियन की आवश्यकता होती है।
Required Stable Funding	CRR and HQLA i.e. Unencumbered SLR securities are considered to have lower fund requirement considered hence require low amount of stable funding due to their high liquidity. Performing loans have different funding requirement based on their residual Maturity.

यूको बैंक की स्थिति:

बैंक न्यूनतम नियामकीय आवश्यक अनुपात से बहुत ऊपर एनएसएफआर को बनाए रख रहा है, जो दर्शाता है कि बैंक के पास अपनी निधि आवश्यकता को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं।

UCO Bank's Position:

Bank is maintaining NSFR much above the maximum regulatory required ratio which shows Bank has sufficient stable source of fund to manage its fund requirement.

3. निवेश/Investments:

ए/अ) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना / Composition of Investment Portfolio:

As on 31.03.2025

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	भारत में निवेश / Investments in India						भारत के बाहर निवेश / Investments outside India					कुल निवेश																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतिया	शेयर	डिबेंचर और बॉन्ड	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम		अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम	अन्य		भारत के बाहर कुल निवेश																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					Government Securities	Other Approved Securities								Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

246

वी/b) मूल्यहास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन / Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl. no	विवरण / Particulars	31.03.2025	31.03.2024
i)	निवेश पर मूल्यहास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	1713.78	1676.23
	(ख)/(b) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Provisions made during the year	0.00	41.04
	(ग)/(c) घटाएं : बट्टे खाते /वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन / Less: Write off / write back of excess provisions during the year	1630.48	3.49
	(घ)/(d) विनिमय अन्तर / Exchange Difference	0.07	0
	(इ)/(e) अंतिम शेष / Closing Balance	83.37	1713.78
ii)	निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन / Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	416.04	416.04
	(ख)/(b) जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि / Add: Amount transferred during the year	134.28	-
	(ग)/(c) घटाएं: आहरण / Less: Drawdown	-	-
	(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing Balance	550.32	416.04
iii)	एफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अन्तिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अन्तिम शेष राशि Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	2%	2.28%

सी) एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण :

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है। इसमें निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण शामिल नहीं है।

डी) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग :

(i) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश -

c) Sale and transfers to/from HTM category:

The value of sales and transfers of securities to/from HTM Category, excluding the one-time transfer of securities undertaken by the Bank with the approval of Board of Directors, has not exceeded 5 % of the book value of Investments held in HTM Category at the beginning of the year.

d) Non-SLR Investment Portfolio:

(i) Non performing Non-SLR investments -

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2025	31.03.2024
प्रारंभिक शेष / Opening balance	646.81	960.98
01-04-2021 वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year since 01-04-2021	68.52	0.00
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the above period	203.46	314.17
विनिमय का अंतर / Exchange Difference	0.00	0.00
अंतिम शेष / Closing balance	511.87	646.81
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	511.87	646.81

ii) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रमांक No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी तौर पर शेयर आवंटन की सीमा Extent of Private Placement		'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities		'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities	
		चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
क/अ)	स.क्षे.के उपक्रम/ PSUs	21154.73	21646.46	19608.75	21085.18	0.00	0.00	18085.79	19787.49	19151.63	18410.80
ख/ब)	वित्तीय संस्थाएं /FIs	691.20	1957.52	246.84	465.20	49.54	541.93	54.48	336.29	147.08	353.25
ग/क)	बैंक / Banks	1983.03	425.66	464.70	13.78	0.00	0.00	179.33	0.00	0.00	0.00
घ/द)	निजी कंपनियां / Private Corporates	1091.62	1183.80	898.67	635.76	31.36	229.06	933.91	979.64	532.40	780.74
ड/े)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associates	252.79	239.00	252.79	239.00	0.00	0.00	252.79	239.00	252.79	239.00
च/फ)	अन्य /Others	229.29	1099.45	227.45	1098.48	0.00	0.00	204.31	0.00	227.45	1098.48
छ/ग)	घटाएं- मूल्यहास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	83.37	1460.49	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00
	योग / Total	25319.29	25091.40	21699.20	23537.40	80.90	770.97	19710.61	21342.40	20311.35	20882.25

ड/े) रेपो लेनदेन / Repo transactions (in face value terms):

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	168.32	9903.80	3728.79	169.25
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	-	-	-	-
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	-	2150.00	60.54	1800.25
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	-	-	-	-
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security	-	-	-	-

(एफ) सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(f) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)

31 मार्च, 2025 तक/As at 31st March 2025

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत Daily Average outstanding during the year	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल प्रमाणा Total volume of transactions during the year	वर्ष के दौरान 31 मार्च Outstanding as on March 31
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपाश्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपाश्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2024 तक/As at 31st March 2024

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत Daily Average outstanding during the year	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल प्रमाणा Total volume of transactions during the year	वर्ष के दौरान 31 मार्च Outstanding as on March 31
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपाश्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपाश्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तियाँ प्रारंभिक जमा राशि जोड़ें: वर्ष के दौरान योग घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां अंतिम शेष राशि *सकल एनपीए में कमी का कारण: i) उन्नयन छद्र ii) वसूली (उन्नयित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते iv) बिंदु (iii) के अलावा बड़े खाते डालना प्रावधान (excluding Floating Provisions) धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान घटाएं: लौटाए गए अतिरिक्तप्रावधान/बढ़ा खातेडाले गए ऋण धारित प्रावधानों का अंतिम जमशोष	180413.74	1138.57	3883.74	1441.00	6463.31	186877.05
	214066.27	1184.74	3329.33	1404.47	5918.54	219984.81
					524.52	
					702.06	
					1329.43	
					236.67	
निवल अनर्जक संपत्तियां प्रारंभिक जमा शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती अंतिम जमा शेष प्लवमान प्रावधान प्रारंभिक जमा शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान प्लवमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष तकनीकी बड़े खाते तथा उनपर किए गए वसूली तकनीकी/अधिषि बड़े खातों का प्रारंभिक जमाोष जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिषि बड़े खाते घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ अधिषि बड़े खातों में वसूली अंतिम जमशोष	1090.20	228.50	3090.94	1440.97	4760.41	5850.61
	1278.74	305.48	3124.10	1404.47	1639.15	6112.79
					1565.51	
					4834.05	
					1621.65	
					1085.81	
					1639.15	
					1068.31	
						4760.41
						1639.74
						1566.10
						4834.05
						28645.64
						1114.28
						3373.20
						26386.72

के अनुसार 31.03.2024 (राशि करोड़ ₹ में)				
	मानक	अनर्जक		
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम
				कुल अनर्जक अग्रिम
				कुल
सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तित्वों प्रारंभिक जमा राशि जोड़ें: वर्ष के दौरान योग घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां अंतिम शेष राशि *सकल एनपीए में कमी का कारण: i) उन्नयन छद्म ii) वसूली (उन्नयित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली) iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते iv) बिंदु (iii) के अलावा बड़े खाते खलना प्रावधान (excluding Floating Provisions) धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान घटाएं: लौटाए गए अतिरिक्तप्रावधान/बड़ा खातेडाले गए ऋण धारित प्रावधानों का अंतिम जमशोध निवल अनर्जक संपत्तियां प्रारंभिक जमा शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती अंतिम जमा शोध प्लवमान प्रावधान प्रारंभिक जमा शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान प्लवमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष तकनीकी बड़े खाते तथा उनपर किए गए वसूली तकनीकी/अधिश बड़े खातों का प्रारंभिक जमाशोध जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिश बड़े खाते घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/अधिश बड़े खातों में वसूली अंतिम जमशोध	153902.99	999.90	6228.55	7726.46 2072.39 3335.54 6463.31 657.54 740.08 1726.81 211.11
	884.03	165.56	4956.26	5619.83 1078.50 1937.92 4760.41
	1090.20	228.50	3090.94	5850.00
				2018.02 479.49 875.86 1621.65
				5619.83 1078.50 1937.92 4760.41
				28955.70 1726.81 2036.87 28645.64

4. Asset Quality:

a) Classification of advances and provisions held

As on 31.03.2025 (Amount in ₹ Crore)

	Standard		Non-Performing			Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	180413.74	1138.57	3883.74	1441.00	6463.31	186877.05
Add: Additions during the year					2247.91	
Less: Reductions during the year					2792.68	
Closing balance	214066.27	1184.74	3329.33	1404.47	5918.54	219984.81
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					524.52	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					702.06	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					1329.43	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					236.67	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	1090.20	228.50	3090.94	1440.97	4760.41	5850.61
Add: Fresh provisions made during the year					1639.15	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					1565.51	
Closing balance of provisions held	1278.74	305.48	3124.10	1404.47	4834.05	6112.79
Net NPAs						
Opening Balance					1621.65	
Add: Fresh additions during the year					1085.81	
Less: Reductions during the year					1639.15	
Closing Balance					1068.31	
Floating Provisions						
Opening Balance						4760.41
Add: Additional provisions made during the year						1639.74
Less: Amount drawn down during the year						1566.10
Closing balance of floating provisions						4834.05
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						28645.64
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						1114.28
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						3373.20
Closing balance						26386.72

	Standard Total Standard Advances	Non-Performing			Total
		Sub- standard	Doubtful	Loss	
Gross Standard Advances and NPAs					
Opening Balance	153902.99	999.90	6228.55	498.01	161629.45
Add: Additions during the year					2072.39
Less: Reductions during the year					3335.54
Closing balance					6463.31
*Reductions in Gross NPAs due to:					186877.06
i) Up gradation					657.54
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					740.08
iii) Technical/ Prudential Write-offs					1726.81
iv) Write-offs other than those under (iii) above					211.11
Provisions (excluding Floating Provisions)					
Opening balance of provisions held	884.03	165.56	4956.26	498.01	6503.86
Add: Fresh provisions made during the year					1078.50
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					1937.92
Closing balance of provisions held	1090.20	228.50	3090.94	1440.97	5850.00
Net NPAs					
Opening Balance					2018.02
Add: Fresh additions during the year					479.49
Less: Reductions during the year					875.86
Closing Balance					1621.65
Floating Provisions					
Opening Balance					5619.83
Add: Additional provisions made during the year					1078.50
Less: Amount drawn down during the year					1937.92
Closing balance of floating provisions					4760.41
Technical write-offs and the recoveries made thereon					
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts					28955.70
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year					1726.81
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year					2036.87
Closing balance					28645.64

अनुपात (प्रतिशत में) Ratios (in per cent)	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
सकल अनर्जक अस्ति से सकल अग्रिम / Gross NPA to Gross Advances	2.69%	3.46%
निवल अनर्जक अस्ति से निवल अग्रिम / Net NPA to Net Advances	0.50%	0.89%
प्रावधान व्याप्ति अनुपात / Provision coverage ratio	96.69%	95.38%

ख) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए :/B) Sector-wise Advances and Gross NPAs:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	क्षेत्र /Sector	चालू वर्ष/Current Year (31.03.2025)			गत वर्ष/Previous Year (31.03.2024)		
		कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (आरआईडीएफ सहित)/ Priority Sector(excluding RIDF)						
क)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	29575	3275	11.07%	24641	3267	13.26%
ख)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	2598	52	2.00%	1742	131	7.52%
ग/क)	सेवा क्षेत्र/Services	36185	2090	5.77%	31113	2274	7.31%
घ/द)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans	17388	187	1.07%	16267	298	1.83%
	उप-योग / Sub-total (i)	85746	5604	6.53%	73763	5970	8.09%
ii)	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-priority Sector						
क)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	0	0	0.00%	0	0	0.00%
ख/ब)	उद्योग/Industry	25019	5	0.02%	21620	37	0.17%
ग/क)	सेवा क्षेत्र/Services	0	0	0.00%	0	0	0.00%
घ/द)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans	84709	310	0.36%	91494	456	0.49%
	उप-योग / Sub-total (ii)	109728	315	0.29%	113114	493	0.44%
	कुल/Total (I + ii)	195474	5919	3.03%	186877	6463	3.46%

सी/क) विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व /Overseas Assets, NPA's and Revenue

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
कुल आस्तियां/Total Assets	29227.83	14932.48
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	0.00	46.73
कुल राजस्व/Total revenue	1935.75	1775.78

घ) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे के संबंध में आरबीआई परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी बीसी 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 का प्रभाव निम्नानुसार है :

d) Particulars of resolution plan and restructuring

Impact of RBI circular DBR No BP BC 45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on prudential framework for resolution of stressed assets is as under :

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋण राशि (ए) Amount of loans impacted by RBI Circular (a)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किये जाने वाले ऋण राशि (बी) Amount of loans to be classified as NPA (b)	31.03.2025 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से ऋणों की राशि (सी) Amount of loans as on 31.03.2025 out of (b) classified as NPA (c)	आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत आने वाले ऋणों के लिए अतिरिक्त वांछित प्रावधान (डी) Additional Provision required for loans covered under RBI Circular (d)	(डी) में से प्रावधान 31.03.2025 तक पहले ही कर दिया गया है (इ) Provision out of (d) already made by 31.03.2025 (e)
1042.41	236.13	236.13	277.84	277.84

ड) आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन

यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो बैंक नीचे दी गई तालिका के अनुसार उपयुक्त प्रकटीकरण करेंगे:

i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के भाग के रूप में एनपीए के लिए मूल्यांकित अतिरिक्त प्रावधान, संदर्भ अवधि के लिए प्रावधान और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक है और

ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए, संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए के पांच प्रतिशत से अधिक हैं।

iii) ऋण अन्तरण प्रकृतिकरण

ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश दिनांक 24.09.2021 के तहत 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण निम्नलिखित है :-

i) बैंक ने एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण नहीं किया है। हस्तांतरित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का विवरण निम्नानुसार है :-
(खातों की संख्या छोड़कर रुपये करोड़ में)

e) Divergence in Asset Classification and Provisioning:

Banks shall make suitable disclosures as tabulated below, if either or both of the following conditions are satisfied:

i) The additional provisioning for NPA assessed by Reserve Bank of India as part of its supervisory processes, exceeds five per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and

ii) The additional Gross NPA identified by the Reserve Bank of India as part of its supervisory process exceed five percent of the reported incremental Gross NPAs for the reference period.

iii) Disclosure of transfer of loan exposures:

Details of loans transferred/acquired during the financial year ended on 31.03.2025 under the RBI Master Direction on Transfer of Loan Exposures dated 24.09.2021 are given below:-

i) The details of Non-Performing Assets (NPAs) transferred are as under:
(Rs. in Crore except number of accounts)

विवरण Particulars	एआरसी के लिए To ARCs	अनुमति प्राप्त स्थानांतरितियों के लिए To permitted transferees	अन्य स्थानांतरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें) To other transferees (please specify)
खातों की संख्या / No: of accounts	4	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	530.57	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवधि अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल प्रतिफल राशि Aggregate consideration	355.49*	शून्य/NIL	शून्य/NIL
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसुली Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	224.82	शून्य/NIL	शून्य/NIL

*हालांकि 31.03.2025 तक 52.73 करोड़ रुपये की नगद राशि प्राप्त होने है। 30.06.2025 तक आगामी तिमाहियों में 274.95 करोड़ रुपये की एस आर राशि प्राप्त होगी।।

*Cash Amount Rs. 52.73 Crore has been received till 31.03.2025, however, SR amount of Rs. 274.95 Crore to be received in subsequent quarters upto 30.06.2025.

- ii) बैंक ने विशेष वर्णित खाते के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण नहीं किया है।
- iii) समनुदेशन के माध्यम से चूक के रूप से नहीं प्राप्त ऋणों का विवरण निम्नलिखित है :-
- ii) Bank has not acquired and transferred loans classified as Special Mention Account.
- iii) The details of loans not in default acquired through assignment is given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान During Financial Year ended on 31.03.2025			
	खुदरा Retail	कृषि Agriculture	एमएसएमई MSME	अन्य OTHER
अधिग्रहित ऋण की कुल राशि (करोड़ रुपये में) Aggregate amount of loans acquired (Rs. in crore)	6188.78	1381.03	699.29	499.90
भारित औसत शेष परिपक्वता (माह में) Weighted average residual maturity (in months)	124	50	18	21
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में) Weighted average holding period by originator (in months)	109	10	6	10
लाभकारी आर्थिक हितों का प्रतिधारण Retention of beneficial economic interest	10%	10%	10%	10%
मूर्त जमानत व्याप्ति Tangible security coverage	206%	171%	शून्य/NIL	149%
मूल्यांकित ऋणों का रेटिंग के आधार पर वितरण* Rating wise distribution of rated loans*	NA	NA	NA	NA

* अर्जित ऋणों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं से संबंधित होते हैं।

* Loans acquired are not rated as these relate to non-corporate borrowers.

- iv) दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर के वितरण का विवरण: -
- iv) Details of the distribution of the SRs held across various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31.03.2025:

वसूली रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही लागत (राशि करोड़ में) Book Cost (amount in crores)
आरआर/RR1+ (Above 150%)	शून्य/NIL
आरआर/RR1 (Above 100% upto 150%)	24.98
आरआर/RR2 (Above 75% upto 100%)	शून्य/NIL
आरआर/RR3 (Above 50% upto 75%)	शून्य/NIL
आरआर/RR4 (Above 25% upto 50%)	शून्य/NIL
आरआर/RR5 (upto 25%)	शून्य/NIL
अनरेटेड/Unrated	23.81
कुल/Grand Total	48.80

छ) कपट खाते :

g)Fraud accounts :

विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	गत वर्ष/ Previous year
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या/ Number of frauds reported	139	171
शामिल राशि (₹ करोड़)/ Amount involved in fraud (₹ crore)	338.74	149.47
इस तरह की धोखाधड़ी के लिए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)/ Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	290.35*	148.23
वर्ष के अंत में 'अन्य भंडार' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़) Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 31.03.2025 तक बकाया शेष राशि 290.35 करोड़ रुपये है और पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 141.47 करोड़ रुपये है।/
Balance outstanding as on 31.03.2025 for current FY 2024-25 is Rs 290.35 Crore & for previous FY 2023-24 is Rs141.47 Crore.

ज) कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण:

आरबीआई परिपत्र दिनांक 06.08.2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और 05.05.2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0) के अनुसार 31 मार्च 2025 को कोविड 19 संबंधित तनाव के लिए रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण निम्नानुसार है:

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress:

Details of resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular dated 06.08.2020 (Resolution Framework 1.0) and 05.05.2021 (Resolution Framework 2.0) at 31st March 2025 are as under:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

उधारकर्ता के प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर-पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half-year (A)	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में फिसल गया Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि Of (A) amount written off during the half-year	(ए) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year	(ए) छमाही के दौरान बंद खाते में राशि Of (A) amount in closed account during the half-year	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half-year
वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	793.95	17.91	00	26.05	2.78	747.21
कारपोरेट व्यक्ति / Corporate Persons*	815.26	20.14	00	22.81	190.51	581.72
में से एमएसएमई / Of which MSME's	651.78	20.14	00	22.81	27.11	581.72
अन्य / Others	110.73	4.99	00	5.02	1.25	99.77
कुल / Total	1719.94	43.04	00	53.88	194.54	1428.70

* दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 की धारा 3(7) में यथा विश्लेषित

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

5. ऋण/Exposure:

क) स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण / Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Category	2024-25	2023-24
i) प्रत्यक्ष ऋण/Direct exposure		
क) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं) एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी		
(a) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits	32793.60 13807.69	28325.15 13395.03
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है।		
(b) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings retail space multi-purpose commercial premises multi-family residential buildings multi-tenanted commercial premises industrial or warehouse space land acquisition development and construction etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	2083.94	976.33
(सी) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश -		
(c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -		-
i. आवासीय / Residential		-
ii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा /Commercial Real Estate.		-
ii) अप्रत्यक्ष ऋण / Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	4837.96	7554.70
स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण / Total Exposure to Real Estate Sector	39715.50	36856.18

ख/ब पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2024-25	2023-24
(i)	ऐसे ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	514.95	219.68
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;		--
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;		--
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपादित प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो; Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;		--
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	266.22	166.22
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;		--
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;		--
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बाबत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;		--
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;		--
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	5.00	39.22
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market	786.17	425.12

सी/स) जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2025	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2025	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2024	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2024
महत्वहीन/Insignificant	13260.81	6.0045	12882.67	7.1633
कम/Low	10254.53	4.7630	13591.82	8.2091
मामूली रूप से कम/ Moderately low	433.12	0.0000	24.02	0
संतुलित /Moderate	370.07	0.0000	10.02	0
माध्यम उच्च/ Moderately high	216.57	0.0000	219.52	0
उच्च /High	1.86	0.0000	0	0
अत्यंत उच्च / Very High	0.00	0.0000	0	0
कुल/TOTAL	24536.96	10.7675	26728.05	15.3725

डी/द अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार/ As at 31 st March 2025	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार/ As at 31 st March 2024
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	41149.67	37233.56
क) उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है a) Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	शून्य/Nil	शून्य/Nil
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	शून्य/Nil	शून्य/Nil

ड) अंतः समूह एक्सपोजर - शून्य
च) फैक्ट्रिंग एक्सपोजर्स - शून्य
छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने एसएमई एवं कारपोरेट सहित उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर नीति बनाई है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के अलावा निम्न प्रावधान हैं:

- एसएमई सहित सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) की निगरानी एवं समीक्षा।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर युक्त निकायों के एक्सपोजर के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधानगत आवश्यकताएं।
- संरक्षण प्रदान करने के लिए यूएफसीई प्रभार का निर्धारण और यूएफसीई रखनेवाले निकायों को हतोत्साहित करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों तथा हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप उनके घटकों के लिए उपलब्ध आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने पूंजी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) हेतु 31.03.2025 को ₹57.22 लाख की देयता का अनुमान लगाया है।

e) Intra-group exposures - Nil
f) Factoring Exposures - Nil
g) Unhedged foreign currency exposure

In terms of RBI Guidelines, our Bank has framed a policy on 'Unhedged Foreign Exchange Exposure by borrowers including SMEs and Corporates duly approved by the Board. The policy inter-alia provides for:

- Monitoring and review of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of all customers including SMEs.
- Incremental capital and provisioning requirements for exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.
- Stipulation of UFCE Charge in order to provide protection and discourage entities having UFCE.

Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability of Rs. 57.22 Lakhs as on 31.03.2025 on Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents in terms of RBI Circulars and our Board approved policy and provision for the same has been provided in the books.

6. जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण एवं एनपीए /Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

क)/a) जमाराशियों का संकेंद्रण/Concentration of deposits

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2025 (Current Year)	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष) As on 31.03.2024 (Previous Year)
बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total deposits of the twenty largest depositors11.81%	40763.58	31080.05
कुल जमाराशियों के % के अनुपात में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ता/ Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	13.89%	11.81%

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण

b) Concentration of Advances

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष/ Current Year 2024-25	पिछले वर्ष/ Previous Year 2023-24
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम / Total advances to twenty largest borrowers	43284.41	41068.06
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत/ Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	16.27%	19.44%

ग) ऋण का संकेंद्रण

c) Concentration of Exposures

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष/Current Year 2024-25	पिछले वर्ष/Previous Year 2023-24
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	45138.38	42197.48
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	15.59%	17.85%

घ) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

d) Concentration of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2024-25	2023-24
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर Total Exposure to the top twenty NPA accounts	244.83	438.59
सकल एनपीए में से शीर्ष बीस एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत। Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	4.14%	6.79%

7. व्युत्पन्न / Derivatives

क/अ) अग्रिम दर समझौता/ब्याज दर स्वेप / Forward rate agreement/Interest rate swap

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Items	2024-25	2023-24
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	4315.40	5502.79
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	15.16	12.84
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपादिक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	1.68	0.62

*नोट : स्वेप की प्रकृति और शर्तें, जिसमें क्रेडिट और बाजार जोखिम की जानकारी और स्वेप को रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियां शामिल हैं, का भी खुलासा किया जाएगा : स्वेप रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीतियाँ हमारी मौजूदा डेरिवेटिव नीति के अनुसार हैं। यह व्यापार तिथि, ब्याज उपार्जन, आंतराधिक ब्याज निपटान तिथि, क्रांति तिथि और समाप्ति तिथि पर की जाने वाली लेखांकन प्रविष्टियों को परिभाषित करता है। किए जाने वाले स्वेप की प्रकृति में ओवरनाइट इंडेक्स स्वेप और क्रॉस करेंसी स्वेप शामिल हैं।

*Note : Nature and terms of the swaps including information on credit and market risk and the accounting policies adopted for recording the swaps shall also be disclosed.

The accounting policies for recording Swaps is as per our extant Derivatives policy. It defines accounting entries to be undertaken on trade date, interest accrual, intermittent interest settlement date, revolution date and termination date. The nature of Swaps undertaken comprises of overnight Index Swaps and cross currency Swaps.

ख) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2024-25	2023-24
i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
ii)	दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2024 (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

सी) व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

I) Qualitative disclosures-

- i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन :

- i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशकगण अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेन देन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors, Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

- ii) जोखिम मूल्यांकन, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप:
- क) बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर स्वाप (आईआरएस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रयविक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। व्युत्पन्न भी एक उत्पाद के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये लेन देन भारिबैंक की नीतियों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।
- ख) ब्याज दर स्वैप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंच मार्क ब्याज दरों की उतार चढ़ाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेन देन पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। सभी ब्याजदर व्युत्पन्न लेनदेन को जोखिम मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट प्र.नि एवं मु.का.अ./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम की निगरानी की जाती है।
- (iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव/शमन की निरंतर प्रभाविता की निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रिया:
- परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। अनुमानिक मूल धन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य/परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।
- ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तनकारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की अनुमानिक मूल राशि और प्रति पार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।
- iv) बचाव और गैर-बचाव लेनदेन रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की मान्यता; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम न्यूनीकरण:
- स्वॉप्स को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीतियां हमारी मौजूदा डेरिवेटिव्स नीति के अनुसार हैं। यह विभिन्न लेखांकन प्रविष्टियों को परिभाषित करती है जो व्यापार तिथि, ब्याज एकत्रीकरण, अंतरालिक ब्याज निपटान तिथि, पुनरावृत्ति तिथि और समाप्ति तिथि पर किए जाने चाहिए।
- आय की पहचान, प्रीमियम और डिस्काउंट, असमाप्त अनुबंधों का मूल्यांकन, प्रावधान, कोलेटरल और केडिट रिस्क मिटिगेशन हमारे बैंक की डेरिवेटिव्स नीति के अनुसार है।
- v) ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप) हेतु अन्य प्रकटीकरण :
- बैंक ने अंतर्निहित आस्थितियों एवं देयताओं पर नियत से अस्थिर और अस्थिर से नियत ब्याज दर स्वैप का कार्य किया है। यदि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उपर्युक्त आईआरएस पर आय का नुकसान रु. 15.16 करोड़ होगा। आईआरएस लेनदेन से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की कोई संकेद्रण नहीं है क्योंकि प्रतिपक्ष भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड है और एक्सपोजर की अनुमति सीमा के भीतर है।
- ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:
- a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the Bank formulated based on RBI guidelines.
- b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.
- (iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigates:
- IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.
- Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.
- (iv) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation:
- The accounting policies for recording swaps is as per our extant derivative policy. It defines accounting entries to be undertaken on trade date, interest accrual, intermittent interest settlement date, revolution date and termination date.
- For recognition of income, premiums and discounts, valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation is as per our Bank's Derivative Policy.
- (vi) Other Disclosures for Interest Rate Swaps:
- The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be Rs.15.16 Cr, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are the Clearing Corporation of India Ltd. and the exposure is within the exposure limit permitted.

II) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative disclosures-

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl.No. Particulars	2024-2025		2023-2024	
	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives
1 व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
क)/a) बचाव के लिए / For Hedging	25169.00	400.00	8595.44	1050.00
ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए / For Trading	82392.37	3915.40	32232.42	4452.79
2 मार्केड टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions [1]				
क)/a) आस्ति (+) / Assets (+)	14.00	1.68	19.20	0.62
ख)/b) देयता (-) / Liabilities (-)	9.38	0.00	6.44	0.00
3 ऋण एक्सपोजर / Credit Exposure	3294.30	48.57	885.24	61.54
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
क) / a) बचाव व्युत्पन्न पर / On hedging derivatives				
अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	1.49	लागू नहीं/NA	12.75
न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	-2.44	लागू नहीं/NA	-5.08
ख)/b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर / Trading derivatives				
अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	-10.26	लागू नहीं/NA	9.60
न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	13.62	लागू नहीं/NA	4.16
5 वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
क) / a) बचाव-व्यवस्था पर- / On hedging				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	0.82	लागू नहीं/NA	6.74
न्यूनतम / Minimum		-0.48	लागू नहीं/NA	1.84
ख)/b) क्रय-विक्रय पर / On trading				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	-6.09	लागू नहीं/NA	-2.22
न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	1.65	लागू नहीं/NA	2.62

* उपरोक्त आईआरएस पर आय का नुकसान अगर प्रतिपक्षी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹15.16 करोड़।

*The loss of income on above IRS if counterparties fail to fulfil their obligation will be Rs. 15.16 crore for F.Y. 2024-25

सी) क्रेडिट चूक विनिमय

बैंक का दिनांक 31.03.2025 को क्रेडिट चूक विनिमय पर कोई एक्सपोजर नहीं है।

c) Credit default swaps

Bank has no exposure on Credit Default Swap as on 31.03.2025.

8. प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण

8. Disclosures relating to securitisation

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl. Particulars No.	मार्च 31/ Mar 31 2025	मार्च 31/ Mar 31 2024
1. प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की सूचना दी जाएगी) No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. एसपीई के बहीखातों के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	शून्य/NIL	शून्य/NIL
3. तुलन पत्र की तिथि को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा बनाए गए एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet ए/अ) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL
• पहला नुकसान/First loss	शून्य/NIL	शून्य/NIL
• अन्य /Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ब) तुलनपत्र पर एक्सपोजर / On-balance sheet exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL
• पहला नुकसान/First loss	शून्य/NIL	शून्य/NIL
• अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
4. एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन में एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR ए/अ) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL
i) Exposure to own securitisations		
• पहला नुकसान/First loss		
• अन्य/Others		
ii) Exposure to third party securitisations		
• पहला नुकसान/First loss		
• अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बी/ब) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / On-balance sheet exposures		
i) Exposure to own securitisations		
• पहला नुकसान/First loss		
• अन्य/Others		
ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर / Exposure to third party securitisations		
• पहला नुकसान/First loss		
• अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
5. प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	शून्य/NIL	शून्य/NIL
6. नकदी सहायता, प्रतिभूतिकरण के उपरान्त अस्त-शोधन आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रकार और मात्रा (बकाया मूल्य) Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL

क्र.सं. विवरण Sl. Particulars No.	मार्च 31/ Mar 31 2025	मार्च 31/ Mar 31 2024
7. प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात् ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention per cent in bracket as of total value of facility provided. ए/अ) भुगतान की गई राशि/Amount paid बी/ब) चुकौती प्राप्त/Repayment received सी/स) बकाया राशि/Outstanding amount	शून्य/NIL	शून्य/NIL
8. पूर्व में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	शून्य/NIL	शून्य/NIL
9. समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL
10. निवेशकों की शिकायतें/Investor complaints ए/अ) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और;/Directly/Indirectly received and; बी/ब) बकाया शिकायतें/Complaints outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL

9. तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंड के अनुसार समेकित किया जाना है)

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Bank has not sponsored any SPVs.

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएफ) में राशि अंतरण

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF Fund)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
डीईएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष opening balance of amounts transferred to DEAF	686.47	594.97
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	649.04	121.64
घटाएं : दावों हेतु डीईएफ द्वारा प्रतिपूरित राशि Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	65.18	30.14
डीईएफ को अंतरित राशि का अंत शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	1270.33	686.47

11. शिकायतों का प्रकटन

ए) बैंक को ग्राहकों और ओम्बड्समैन के कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	पिछले वर्ष/ Previous year
1.	बैंक को उसके ग्राहकों द्वारा प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers		
2.	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	1985	1432
3.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	83127	103636
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	83028	103083
3.1	उनमें से बैंक द्वारा अस्वीकार की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	7343	41266
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	2084	1985
5.	ओम्बड्समैन कार्यालय से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5.	ओम्बड्समैन से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	2347	2759
5.1.	मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	1465	1662
5.2	मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा जारी समझौता/ मध्यस्थता/परामर्श के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	882	1097
5.3	मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के विरुद्ध पारित दण्ड के पश्चात निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	00	00
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए दंडों की संख्या (अपील किए गये के अलावा) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	00	00

नोट : संपोषणीय शिकायतें ओम्बड्समैन योजना 2006 में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और इस योजना के दायरे में आती हैं।

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

बैंकिंग लोकपाल शिकायत विवरण/ Banking Ombudsman Complaints Details : -

क्र.सं. Sr. No	बैंकिंग लोकपाल की शिकायतें Banking Ombudsman Complaints	वित्तीय वर्ष/ FY 2024-25	वित्तीय वर्ष/ FY 2023-24
1	वर्ष की शुरुआत में बैंकिंग लोकपाल की लंबित शिकायतों की संख्या No of BO Complaints Pending at the Beginning of the year	24	39
2	वर्ष के दौरान प्राप्त बैंकिंग लोकपाल शिकायतों की संख्या No of BO Complaints Received during the year	2347	2759
3	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल की शिकायतों का निवारण किया गया No of BO Complaints Redressed during the year	2327	2774
4	वर्ष के अंत में लंबित बैंकिंग लोकपाल शिकायतों की संख्या No of BO Complaints Pending at the End of the year	44	24

ख) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार /

b) Top Five Grounds of Complaints by the bank from Customers

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / Top Five Grounds of Complaints by the bank from customers					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें Number of Complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का % % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष/Current Year 2024-25					
इंटरनेट मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/ Electronic Banking	1867	69590	-22%	2053	118
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	43	1379	-63%	2	0
ऋण एवं अग्रिम/ Loans and advances	6	1737	9%	4	0
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	14	6553	160%	9	0
पूर्वज्ञाति के बिना शुल्क का लगाया जाना / अत्यधिक शुल्क / पूर्व-बंदी शुल्क Levy of charges without prior notice / excessive charges / foreclosure charges	3	1664	69%	5	0
अन्य / Others	52	2204	-61%	11	2
अन्य / Total	1985	83127	-20%	2084	120

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / Top Five Grounds of Complaints by the bank from customers					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of Complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी का % % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of com- plaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
विगत वर्ष/Previous Year 2023-24					
इंटरनेट मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/ Electronic Banking	1310	89075	336%	1867	122
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	1	2520	71%	14	0
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	68	3803	17%	43	0
ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित / Loans & Advances	8	1584	1%	6	0
शाखा आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधा/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य समय का अनुपालन / Facilities for customers visiting the branch/ adherence to prescribed working hours by the branch, etc	0	985	23%	3	0
अन्य / Others	45	5669	-16%	52	2
अन्य / Total	1432	103636	204%	1985	124

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित जुर्माने का प्रकटन

वित्तीय वर्ष 01-04-2024 से 31.03.2025 तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 47(A)(1)(c) के तहत अधिकार प्राप्त करने के उपयोग में होने वाले शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, अन्य मुद्रा चेस्ट ऑपरेशन के अलावा रुपये 2,69,05,770.00/- (दो करोड़ उनहत्तर लाख पाँच हजार सात सौ सत्तर मात्र) का दंड लगाया है। आरबीआई नियामक के अलावा कोई अन्य जुर्माना नहीं है।

वित्तीय वर्ष 01.04.2024 से 31.03.2025 तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 47(A)(1)(c) के तहत अधिकार प्राप्त करने के उपयोग में होने वाले शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, मुद्रा चेस्ट ऑपरेशन के लिए रुपये 40,29,118.63 (चालीस लाख उनतीस हजार एक सौ अठारह रुपये त्रैसठ पैसे) का दंड लगाया है।

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

विवरण Details	2024-2025	2023-2024
श्री अश्विनी कुमार एमडी और सीईओ वेतन और परिलब्धियां Shri Ashwani Kumar MD & CEO Salary & Emoluments Paid	49.85	32.60
श्री राजेंद्र साबू (ईडी) वेतन और परिलब्धियां Shri Rajendra Saboo (ED) Salary & Emoluments Paid	44.48	37.82
श्री विजय एन कांबले (ईडी) वेतन और परिलब्धियां Shri Vijay N Kamble (ED) Salary & Emoluments Paid	39.39	15.84

14. अन्य प्रकटीकरण

ए) कारोबार अनुपात

विवरण/ Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
i) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय/ Interest Income as a percentage to Working Funds	7.76%	7.36%
ii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय/ Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.36%	1.10%
iii) जमा मूल्य / Cost of Deposits	4.85%	4.78%
iv) निवल ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin	3.08%	2.92%
v) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.87%	1.54%
vi) आस्तियों पर आय / Return on Assets	0.76%	0.56%
vii) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) (करोड़ ₹ में) / Business (deposits plus advances) per employee (in ₹ crore)	24.35	20.93
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (लाखों ₹ में) / Profit per employee (in ₹ crore)	0.12	0.08

बी) बैंकाश्योरेंस से काराबार :

बैंकाश्योरेंस से आय का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं./Sl. No.	कारोबार का प्रकार / Type of Business	2024-25	2023-24
1	लाइफ/Life	49.67	47.19
2	नॉन-लाइफ/Non-Life	12.36	14.62

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

During the Financial Year from 01.04.2024 to 31.03.2025, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51 and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 2,69,05,770.00 (Two Core Sixty Nine Lakhs Five Thousand Seven Hundred Seventy only) for other than currency chest operations. There is no penalty from other than RBI Regulator.

During the Financial Year from 01.04.2024 to 31.03.2025, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51 and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 40,29,118.63 (Forty lakh Twenty Nine Thousand One hundred Eighteen & Paise Sixty Three only) for Currency Chest Operations only.

13. Disclosures on remuneration

(राशि लाख में)/Amount in Lakh)

14. Other Disclosures

a) Business Ratios

b) Bancassurance business:

Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

c) मार्केटिंग और वितरण/Marketing and distribution:

फ़िस्डम के माध्यम से वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स का डिजिटल वितरण /

Digital distribution of Wealth Management Products through Fisdom

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार / Type of Business	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24
म्युचुअल फंड/Mutual Fund	1.57	1.25

यूको-एसबीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से अर्जित क्रेडिट कार्ड कमीशन
Credit Card Commission earned through usage of UCO-SBI Co-Branded Credit Card

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार / Type of Business	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24
क्रेडिट कार्ड / Credit Card	2.62	5.05

डी) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

- वित्त वर्ष 2024-25 में खरीदे गए कुल PLSC शून्य (लघु एवं सीमांत, कृषि, सूक्ष्म, सामान्य)
- वित्त वर्ष 2024-25 में बेचे गए कुल PLSC शून्य (लघु एवं सीमांत, कृषि, सूक्ष्म, सामान्य)

इ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

- Total PSLC- purchased in FY 2024-25: Rs. NIL(Small & Marginal,Agri,Micro,General)
- Total PSLC- Sold in FY 2024-25 : Nil (Small & Marginal,Agri,Micro,General)

e) Provisions and contingencies

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

लाभ और हानि खाते में नाम (डेबिट) किया गया प्रावधान Provision debited to Profit and Loss Account	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
एनपीआई के लिए प्रावधान / Provision towards NPI	35.4	582.01
एनपीए के प्रति प्रावधान /Provision towards NPA	1632.82	1068.27
आयकर के लिए किया गया प्रावधान/Provision made towards Income Tax	53.26	19.37
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय:-/Other Provisions and Contingencies :-		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	185.61	205.18
कानूनी मामले/आकस्मिक व्यय/धोखाधड़/Legal Cases / Contingencies/Frauds	1.66	4.99
उचित मूल्य में कमी /Diminution in Fair Value	0.76	6.60
आस्थगित कर आस्तियां /Deferred Tax Assets	1335.33	895.74
बकाया वेतन संोधन /Arrear Wage Revision	0	0
विविध प्रावधान /Miscellaneous Provision	347.52	140.35

एफ) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) पृष्ठभूमि का कार्यान्वयन

पृष्ठभूमि:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) लागू करना था। तथापि आरबीआई द्वारा यथासंस्तुत वैधानिक संशोधनों के कारण भारत सरकार की दिनांक 22.03.2019 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन होने के कारण आरबीआई ने आईएनडी एस के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक आस्थगित रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ईमेल दिनांक 8 अगस्त, 2021 के माध्यम से भारतीय लेखा मानक प्रोफार्मा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति को तिमाही से घटाकर अर्धवार्षिक करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 30 सितंबर को समाप्त होने वाली छमाही के लिए प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण और 31 मार्च के लिए पूर्ण वर्षीय प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।)

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standard (IND AS)

Background:

Scheduled Commercial Banks (SCBs), excluding Regional Rural Banks (RRBs), were required to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1, 2018 vide RBI Circular dated February 11, 2016. However RBI has deferred implementation of Ind AS till further notice due to the legislative amendments as recommended by RBI are under consideration of the Government of India vide its notification dated 22.03.2019. RBI vide email dated 8th August'2021 decided to reduce the frequency of Ind AS proforma financial statement submission from quarterly to half yearly. Accordingly, Banks are advised to submit proforma Ind AS based financial statements for the half year ending September 30 and full year proforma Ind AS based financial statements for March 31.

आईएनडी एस के कार्यान्वयन की प्रगति:

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रोफॉर्मा इंड-एस वित्तीय बयानों को जमा कर दिया है, जिसमें पूंजी और लाभ में परिवर्तन का समाधान है, छमाही आधार पर और पिछले जीएपी आंकड़ों की तुलना की गई है। यह आखिरी बार 30 नवंबर, 2024 को सितंबर, 2024 को समाप्त होने वाले छमाही के लिए प्रस्तुत किया गया था।

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान /Payment of DICGC Insurance Premium	321.06	300.26
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया/Arrears in payment of DICGC premium	शून्य/Nil	शून्य/Nil

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

ज) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 11वें द्विपक्षीय समझौते और 11 नवंबर, 2020 के संयुक्त नोट के तहत पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण कोई अतिरिक्त देनदारी नहीं थी क्योंकि बैंक ने पहले ही 31 मार्च 2023 तक पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण पूरी अतिरिक्त देनदारी वसूल कर ली थी। 31 मार्च 2025 तक अपरिशोधित प्रावधान शून्य है।

इ) एमएसएमई पुनर्संरचित खाते

ए) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना पर आरबीआई सिक्यूरिटी क्रमांक DBR No. BP. BC. 18/ 21.04.048/ 2018-19 दिनांक 01.01.2019, DOR No. BP.BC.34/ 21.04.048/ 2019-20 दिनांक 11.02.2020 तथा RBI/2020-21/17 DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार, एमएसएमई पुनर्संरचित खातों का विवरण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नानुसार है:

पुनर्गठित खातों की संख्या No. of Accounts Restructured	सम्मिलित राशि (करोड़ रुपये में) Amount Involved (Rs. in Crore)	धारित प्रावधान (करोड़ रुपये में) Provisions held (Rs. in Crore)
294	93.28	9.32

बी) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सिक्यूरिटी संख्या DOR.STR.REC.12/ 21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार 'रिज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 - कोविड-19 संबंधित छोटे, लघु, और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के तनाव का समाधान', 31 मार्च 2025 को पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नलिखित है:

पुनर्गठित खातों की संख्या No. of Accounts Restructured	सम्मिलित राशि (करोड़ रुपये में) Amount Involved (Rs. in Crore)	धारित प्रावधान (करोड़ रुपये में) Provisions held (Rs. in Crore)
7530	488.44	48.84

झ) आकस्मिक देयताएं

क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थता पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती हैं तथा जहां बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।

Progress on IND AS implementation:

Bank has submitted the Proforma IND-AS Financial statements to Reserve Bank of India with reconciliation of change in Equity & profit on half yearly basis and last submitted on November 30, 2024 for the half year ended September, 2024 compared with the previous GAAP figures.

ग) Payment of DICGC Insurance Premium Strategic Planning

h) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

During the FY 2024-25, there was no additional liability on account of revision in family pension consequent to the 11th Bipartite Settlement and Joint Note dated November 11, 2020 as Bank had already charged the entire additional liability on account of revision in family pension upto the year ended 31st March 2023. As on 31st March 2025, unamortized provision is Nil.

इ) MSME Restructured Accounts:

a) In accordance with the RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.18/ 21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, DOR.No.BP.BC.34/ 21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 and RBI/2020-21/17 DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 on Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector - Restructuring of Advances, the details of MSME restructured accounts as on 31st March 2025 are as under:

b) In accordance with RBI Circular no.DOR.STR.REC.12/ 21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework 2.0 - Resolution for Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises(MSME)", the details of restructured accounts as on 31st March 2025 are as under:

j) Contingent Liabilities

a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgment of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvment and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.

- ख) आयकर, जीएसटी एवं सेवा कर के संबंध में आयकर/सेवा कर/ जीएसटी विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विवादित मांग को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 12 में दर्शाया गया है। प्रबंधन द्वारा कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि उक्त मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष निपटान हेतु लंबित हैं।
- त्र) हरित जमा से जुटाई गई निधियों के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तरीय जानकारी।

- b) Disputed demand as per orders passed by Income Tax/ service tax/GST Department on account off income tax, GST and Service tax has been shown in schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as matters are pending for disposal before various Competent Authorities.
- k) **Portfolio - Level information on the use of Funds raised from green deposits.**

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	चालू वित्तीय वर्ष Current Financial Year	पिछला वित्तीय वर्ष Previous Financial Year	संचयी* Cumulative*
कुल हरित जमा राशि जुटाई गई (ए)/ Total green deposits raised (A)	45.70	0	45.70
हरित जमा राशि निधियों का उपयोग** / Use of green deposit funds**			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा / Renewable Energy	45.70		45.70
(2) ऊर्जा दक्षता / Energy Efficiency			
(3) स्वच्छ परिवहन / Clean Transportation			
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / Climate Change Adaptation			
(5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन / Sustainable Water and Waste Management			
(6) प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण / Pollution Prevention and Control			
(7) हरित भवन / Green Buildings			
(8) सजीव प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन / Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use			
(9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण कुल हरित जमा राशि निधि आवंटित (बी उ 1 से 9 का योग) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	45.70		45.70
हरित जमा राशि निधियों की आवंटित नहीं की गई राशि (सी उ ए - बी) Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A - B)	0		0
पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को उनके आवंटन के लंबित हरित जमा राशि आय के अस्थायी आवंटन का विवरण Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects	0		0

* इसमें वह संचयी राशि शामिल होगी, जब से आरई ने ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश शुरू की है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक ने 1 जून, 2023 से ग्रीन डिपॉजिट जुटाना शुरू किया है, तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में 1 जून, 2023 से 31 मार्च, 2025 तक जुटाई गई और आवंटित की गई जमा राशियों का विवरण शामिल होगा। इसके अलावा, वर्ष के दौरान जुटाई गई ग्रीन डिपॉजिट की वास्तविक राशि और ऐसे फंडों के उपयोग के बारे में इस प्रकटीकरण के तहत जानकारी दी जाएगी।

**प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान प्रत्येक उप-क्षेत्र को आवंटित निधियों के आधार पर उप-श्रेणियाँ प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान 'नवीकरणीय ऊर्जा' के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जैसी उप-श्रेणियाँ प्रदान कर सकते हैं।

* This shall contain the cumulative amount since the RE started offering green deposits. For example, if a bank has commenced raising green deposits from June 1, 2023, then the annual financial statement for the period ending March 31, 2025, would contain particulars of deposits raised and allocated from June 1, 2023, till March 31, 2025. Further, the actual amount of green deposits raised during the year and use of such funds shall be given under this disclosure.

**Under each category, REs may provide sub-categories based on the funds allocated to each sub-sector. For example, REs may provide sub-categories like solar energy, wind energy, etc. under "Renewable Energy"

15. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

15. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/ re-casted wherever considered necessary.

अनुलग्नक II / Annexure II
पार्ट बी / Part B

लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)

लाभ-हानि लेखा में कोई "अवधि पूर्व मद" शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है (सिवाय निवेश सम्बंधित आरबीआई के दिशा निर्देश के)।

2 राजस्व को मान्यता (एएस-9):

राजस्व को मान्यता अनुसूची-17 की लेखांकन नीति सं. 10 के अनुसार दी गई है।

3 एएस-11: विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव:

i) क) एकीकृत विदेशी परिचालन : प्रतिनिधि कार्यालय, तेहरान, ईरान

ख) गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन: सिंगापुर केंद्र और हांगकांग केंद्र

ii) गैर-एकीकृत केंद्र के लिए विनिमय दरें

एसजीडी	63.71
एचकेडी	10.9875

iii) लेखाबंदी दर

एसजीडी	63.71
एचकेडी	10.9875

iv) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित (एफसीटीआर)

बैंक ने लाभ और हानि खाते में विदेशी परिचालन से लाभ के प्रत्यावर्तन पर विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित में रखे गए आनुपातिक विनिमय लाभ या हानि को मान्यता नहीं दी है।

Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

1. Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5):

There were no material "prior period item" included in Profit and Loss account required to be disclosed as per AS - 5 issued by ICAI read with RBI guidelines. There is no change in the Significant Accounting Policies (except investment related guidelines issued by RBI) adopted during the year ended 31st March 2025 as compared to those followed in the previous financial year 2023-24.

2. Revenue Recognition (AS-9):

Revenue is recognized as per accounting policy No. 10 of Schedule -17.

3. AS-11: The Effects of changes in foreign Exchange Rates:

i) a) Integral Foreign Operations : Representative Office, Tehran, Iran

b) Non - Integral Foreign Operations: Singapore Centre & Hong Kong Centre

ii) Exchange rates for Non - Integral Centre

SGD	63.71
HKD	10.9875

iii) Closing Rate

SGD	63.71
HKD	10.9875

iv) Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)

Bank has not recognized in profit and loss account the proportionate exchange gains or losses held in foreign currency translation reserve on repatriation of profits from overseas operations.

4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एस-17) / Segment Reporting (AS- 17)

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार सेगमेंट	(ए) ट्रेजरी		(बी) कारपोरेट/ होलसेल बैंकिंग		(सी) रिटेल बैंकिंग		(1) डिजिटल बैंकिंग		(2) अन्य रिटेल बैंकिंग		(डी) अन्य बैंकिंग परिचालन		योग	
Business Segment	(a)Treasury		(b)Corporate/ Wholesale Banking		(c)Retail Banking		(1)Digital Banking		(2)Other Retail Banking		(d)Other Banking Operations		Total	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
Particulars	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
राजस्व/ Revenue	8294.18	8251.69	11306.48	9122.81	9816.60	7697.13	.017	0.06	9816.43	7697.07	56.28	48.25	29473.54	25119.86
परिणाम/ Result	1794.73	1528.83	1035.76	490.54	946.81	501.23	-2.61	-1.45	949.42	502.67	56.28	48.25	3833.58	2568.85
अनावंटित व्यय/ Unallocated Expenses													0.00	0.00
परिचालन लाभ/ Operating Profit													3833.58	2568.85
आयकर/ Income Tax													1388.59	915.11
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ/ Net Profit													2444.99	1653.71
सेगमेंट आस्तियां/ Segment Assets	135026.42	127877.74	121815.13	106506.27	105199.46	88784.01	0.95	1.63	105198.51	88782.38	440.07	523.44	362481.08	323691.46
अनावंटित आस्तियां/ Unallocated assets													0.00	0.00
कुल आस्तियां/ Total Assets													362481.08	323691.46
सेगमेंट देयताएं/ Segment Liabilities	109835.63	108158.08	135568.55	117546.33	117076.90	97987.04	16.28	11.28	117060.62	97975.76	0.00	0.00	362481.08	323548.45
अनावंटित देयताएं/ Unallocated Liabilities													0.00	0.00
कुल देयताएं/ Total Liabilities													362481.08	323548.45

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	देशी/Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	चालू वर्ष/ Current Year 2024-25	पिछला वर्ष/ Previous Year 2023-24	चालू वर्ष/ Current Year 2024-25	पिछला वर्ष/ Previous Year 2023-24	चालू वर्ष/ Current Year 2024-25	पिछला वर्ष/ Previous Year 2023-24
राजस्व/Revenue	27537.80	23344.08	1935.75	1775.78	29473.55	25119.87
आस्तियां/Assets	333253.25	308615.97	29227.83	14932.48	362481.08	323548.45

5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एस-18) :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

- i) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री अश्वनी कुमार (01.04.2024 to 31.03.2025)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री राजेंद्र कुमार साबू (01.04.2024 to 31.03.2025)
श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले (01.04.2024 to 31.03.2025)

5. Related Party Disclosures (AS-18):

a) Key Management Personnel

- i) Managing Director (MD) & CEO
Shri Ashwani Kumar (01.04.2024 to 31.03.2025)

ii) Executive Directors (ED)

Shri Rajendra Kumar Saboo (01.04.2024 to 31.03.2025)
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble (01.04.2024 to 31.03.2025)

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिकों के लेनदेन / b) Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

Details	2024-2025	2023-2024
श्री अश्वनी कुमार (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ) Shri Ashwani Kumar (Managing Director & Chief Executive Officer) Salary & Emoluments Paid	49.85	32.60
श्री राजेंद्र कुमार साबू (कार्यपालक निदेशक) Shri Rajendra Saboo (Executive Director) Salary & Emoluments Paid	44.48	37.82
श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले (कार्यपालक निदेशक) Shri Vijay N Kamble (Executive Director) Salary & Emoluments Paid	39.39	15.84

नोट: एस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक संबंधों की प्रकृति में लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेनदेन शामिल हैं।

Note: In terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel.

सी) सहयोगी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) है जिसका मुख्यालय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है, दिनांक 31.03.2025 तक इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और 230 शाखाएं हैं।

आरआरबी की पूंजी की स्थिति

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की दिनांक 31.03.2025 को कुल पूंजी 682.86 करोड़ रुपये की थी, जिसमें भारत सरकार से 341.43 करोड़ रुपये, यूको बैंक (प्रायोजक बैंक के रूप में) से 239 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 102.43 करोड़ रुपये शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आरआरबी का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक

असंपरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार, 31.03.2025 तक पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की कुल जमा राशि 5.63% की वृद्धि दर्ज करते हुए 7295.00 करोड़ रुपये थी। 31.03.2025 तक कुल अग्रिम राशि 6.41% की वार्षिक वृद्धि के साथ 4415.00 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई। 31.03.2025 तक सीडी अनुपात 60.52% रहा, जबकि 31.03.2024 को यह 60.08% था।

31.03.2025 को सकल एनपीए 343.00 करोड़ रुपये रहा, जबकि 31.03.2024 को यह 339.00 करोड़ रुपये था। 31.03.2025 को सकल एनपीए से सकल अग्रिम 7.77% रहा, जबकि 31.03.2024 को यह 8.18% था। आरआरबी का शुद्ध एनपीए अनुपात 31.03.2025 को 0.00% रहा, जबकि 31.03.2024 को यह 0.83% था।

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक ने 31.03.2025 को 65.78 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जबकि 31.03.2024 को 50.65 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया था, जिससे संचित घाटा 31.03.2024 के 408.81 करोड़ रुपये से घटकर 31.03.2025 को 355.03 करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया (12.00 करोड़ रुपये के निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व सहित)।

उपरोक्त सभी आंकड़े असंपरीक्षित हैं।

6. एसएस-21 और 23 की प्रयोज्यता :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और लेखा मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2025 के अनुसार बनाये गये हैं

7. अमूर्त आस्तियां (एस-26) :

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्ति की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

c) Associates

Regional Rural Banks (RRBs)

UCO Bank sponsored RRB namely, Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) is head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices and 230 branches as on 31.03.2025.

Capital position of RRB

The total capital of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2025 stood at Rs.682.86 Cr. comprising Rs. 341.43 Cr. from Govt. of India, Rs.239 Cr. from UCO Bank (as sponsor Bank) & Rs. 102.43 Cr. from West Bengal State Govt.

Performance of RRBs during 2024-25

Paschim Banga Gramin Bank:

As per unaudited financial results, total deposit of Paschim Banga Gramin Bank stood at Rs.7295.00 Cr. as on 31.03.2025, registering growth of 5.63%. Total advance reached a level of Rs.4415.00 Cr. with an annual growth of 6.41 % 31.03.2025. CD ratio stood at 60.52% as on 31.03.2025 as against 60.08 % on 31.03.2024.

The gross NPA stood at Rs. 343.00 Cr. as on 31.03.2025 vis-a-vis Rs. 339.00 Cr. as on 31.03.2024. Gross NPA to Gross Advance stood at 7.77 % as on 31.03.2025 as against 8.18% as of 31.03.2024. The net NPA ratio of the RRB stood at 0.00% as on 31.03.2025 as against 0.83% as of 31.03.2024.

Paschim Banga Gramin Bank has recorded a net profit of Rs 65.78 Cr as on 31.03.2025 as compared to net profit of Rs 50.65 Cr as on 31.03.2024 thereby decreasing accumulated loss from Rs 408.81 Cr as on 31.03.2024 to Rs 355.03 Cr (tentative) as on 31.03.2025 (including Investment Fluctuation Reserve of Rs 12.00 Core) .

All the above figures are unaudited.

6. APPLICABILITY OF AS- 21 and 23:

The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21-" Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23-" Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the ICAI.

The financial statement of the associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn upto 31st March 2025.

7. Intangible Assets (AS-26):

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets as on 31.03.2025 (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम. सं. Sl. No	विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
1	वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	188.01	113.77
2	घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के खातों का समाधान Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	12.44	-
3	वर्ष के आरंभ में निवल अवरुद्ध Net Block at the beginning of the year	175.57	-
4	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	95.02	87
5	घटाएं: अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	48.32	12.76
6	योग/Total	222.27	188.01
7	घटाएं: अद्वयित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	113.47	90.2
8	घटाएं: अपसामान्य हानि / Less: Impairment Loss	-	-
9	वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	108.80	97.81

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां-परिशोधन/Intangible Assets - Amortization as on 31.03.2025 (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
10 सकल प्रारंभिक शेष/Gross Opening balance	90.2	38.05
11 घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के कारण समायोजन Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	4.14	-
12 शुद्ध प्रारंभिक शेष /Net Opening Balance	86.06	38.05
13 जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	-	-
14 जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	75.73	64.91
15 घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	48.32	12.76
16 अंतिम शेष/Closing Balance	113.47	90.20

8. आस्तियों की अनर्जकता (एस-28) :

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्त्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

9(क) एस-24 की प्रयोज्यता

चूंकि बैंक की कोई सहायक कंपनियाँ या सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों में नियंत्रक हित नहीं है, अतः आईसीएआई द्वारा जारी एस-24 - डिस्कन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस बैंक पर लागू नहीं होता है।

9(ख) एस-27 की प्रयोज्यता

आईसीएआई द्वारा जारी एस -27 - संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग बैंक पर लागू नहीं होता है।

10. एस-15-कर्मचारी हितलाभ (संशोधित) :

- बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित) 'कर्मचारी लाभ' को अपनाया गया।

8. Impairment of Assets (AS-28):

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard - 28 "Impairment of Assets" no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

9(a) APPLICABILITY OF AS- 24

As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS-24 - Discontinuing Operations issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

9(b) APPLICABILITY OF AS- 27

AS 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures Operations issued by the ICAI are not applicable to the Bank

10. AS - 15 -Employee Benefits (Revised):

- The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.

ii. लेखा मानक -15 (संशोधित) के अनुसार आवयक लाभ और हानि खाते और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में मान्यता प्राप्त रोजगार पूर्व लाभों और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की सारांश स्थिति निम्नानुसार है: -

ii. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance sheet as required in accordance with Accounting Standard -15 (Revised) are as under:

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

Defined Benefit Schemes:

(ए) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(a) Changes in the present value of the obligations

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

निधिक/FUNDED					अनिधिक/UNFUNDED							
विवरण Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of obligation as at the beginning of the year	9531.08	9074.64	9222.21	698.82	779.10	626.66	42.56	42.15	22.28	17.59	2.92	2.48
ब्याज लागत Interest Cost	598.03	610.50	61.21	46.61	54.46	45.24	2.97	3.04	1.56	1.27	0.20	0.18
चालू सेवा लागत Current Service Cost	489.91	484.34	70.83	64.04	182.78	168.77	0	0	0	5.06	0	0
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	1421.00	1214.60	93.00	106.50	0	0	0	0	0	0	0	0
बीमांकिक हानि/(लाभ) दायित्व Actuarial loss/(gain) on Obligations	897.44	576.20	159.00	219.24	55.74	61.57	1.38	2.64	2.94	1.64	(0.20)	(0.26)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligation at year end	10095.47	9531.08	1120.25	922.21	960.60	779.10	44.15	42.56	26.12	22.28	3.33	2.92

(b) (बी) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(b) Change in Fair Value of Plan Asset

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/ Particulars	पेंशन/ Pension 2025	पेंशन/ Pension 2024	उपदान/ Gratuity 2025	उपदान/ Gratuity 2024
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति के उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	9241.98	8864.53	709.92	678.49
योजना आस्ति पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on Plan Assets	747.67	716.26	56.62	54.82
नियोक्ता अंशदान /Employer's contribution	1450.40	869.69	372.83	82.70
प्रदत्त हितलाभ /Benefit Paid	1531.00	1214.60	103.00	106.50
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial gain/(loss) on Obligation	(116.18)	6.10	28.88	0.41
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य Fair Value of Plan Asset at the end of the year	9792.87	9241.98	1065.25	709.92

(सी) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(c) Amount recognized in Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

निधि/FUNDED					अनिधि/UNFUNDED							
विवरण Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य Estimated Present value of obligations as at the end of the year	10095.47	9531.08	1120.25	922.21	960.60	779.10	44.15	42.56	26.11	22.27	3.33	2.92
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का वास्तविक उचित मूल्य Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	9792.87	9241.98	1065.25	709.92	930.92	681.73	42.56	42.15	22.27	17.58	2.92	2.48
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयताएँ/आस्ति Net Liability /Asset rec- ognized in Balance Sheet	302.60	289.10	55.00	212.29	29.68	97.37	1.59	0.41	3.84	4.69	0.41	0.44

(d) लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in the Profit and Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

		पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
चालू सेवा लागत (ए) Current Service Cost (A)		489.91	484.37	70.83	64.04	182.78	168.77	0	0	5.22	5.06	0	0
ब्याज लागत (बी) / Interest Cost (B)		598.03	610.49	61.21	46.61	54.46	45.24	2.97	3.04	1.56	1.27	0.21	0.18
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल (सी) Expected Return on Plan Asset (C)		747.68	716.25	56.62	54.82	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (डी) Net Actuarial Loss/Gain Recognized in the Year (D)		1013.62	570.10	130.12	218.83	(55.74)	(61.57)	(1.38)	(2.63)	(2.94)	(1.64)	0.20	0.26
राशि /Amount (A+B-C+D)		1353.89	948.68	205.54	274.66	181.50	152.44	1.59	0.41	3.84	4.69	0.41	0.44
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभ-हानि लेखा विवरणी में व्यय को शामिल किया गया Expenses Recognized in Statement of Profit/ Loss during the FY 2021-22	प्रावधान खाता के माध्यम से - नोट 1(ए) Through Provision Account-Note 1 (A)	1353.89	948.68	205.54	274.66	181.50	152.44	1.59	0.41	3.84	4.69	0.41	0.44
	बैंक का सामान्य अंशदान (बी) Banks Ordinary Contribution (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, As per RBI direction, (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल/Total (A+B+C)	1353.89	948.68	205.54	274.66	181.50	152.44	1.59	0.41	3.84	4.69	0.41	0.44

बीमांकिक लाभ/हानि समाधान/ **Actuarial Gain/Loss Reconciliation**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

निधित्त/FUNDED					अनिधित्त/UNFUNDED							
विवरण Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
वर्ष के लिए बीमांकिक हानि/(लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	897.44	576.20	159.00	219.24	55.74	61.57	1.38	2.63	2.94	1.64	0.20	0.26
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)- आस्ति योजना Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	1013.62	570.10	130.12	218.83	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष के लिए कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	1911.06	1146.30	289.12	438.07	55.74	61.57	1.38	2.63	2.94	1.64	0.20	0.26
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain) Recognized in the Year	1911.06	1146.30	289.12	438.07	55.74	61.57	1.38	2.63	2.94	1.64	0.20	0.26

निवेश के ब्योरे :

- क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%
- ख) पेंशन निधि की बाबत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

Investment Details:

- a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%
- b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund

निवेश की प्रकृति /Nature of Investment	% of Total Investment
ईक्विटी /Equities	-
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियाँ Fixed income & debt securities	100.00%
विशेष जमा / Special Deposit	-
अन्य आस्तियाँ एन्युटी कांट्रैक्टर Other Assets / Annuity contractor	-
कुल/Total	100.00%

मूल बीमांकिक अनुमान / Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 / 6 Above age 45 29 से 45 वर्ष के बीच के 3 / 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 / 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	6.78%
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	6.00%
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	8.09%
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	11 वर्ष/11 years
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

11. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) -(एस-20) / Earnings Per Share (EPS)- (AS-20):

ईपीएस का परिकलन/Calculation of EPS

	31.3.2025	31.3.2024
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	2444.99	1671.56
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	12539558979	11955958176
जोखिम धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	11963952708	11955958176
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	2.04 2.04	1.38 1.38

12. आय पर कर का लेखांकन (एस-22)

- क) बैंक का वर्ष के दौरान कोई वर्तमान आयकर दायित्व नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखा मानक एस-22 के अनुसार ₹1335.32 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 895.74 करोड़ वापस कर दिया गया है) की निवल राशि की पहचान डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

12. Accounting for Taxes on Income (AS-22) :

- a) The Bank does not have any current Income Tax obligation during the year. During the FY 2024-25, net amount of Rs. 1335.32 Crore (Rs. 895.74 Crore has been reversed for FY 2023-24) has been reversed as Deferred Tax Assets as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
आस्थगित कर आस्तियाँ / Deferred Tax Assets		
आगे ले जायी गई हानि / Carried Forward Loss	4860.77	6380.28
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	395.08	272.25
उचित मूल्य में हास / Diminution in fair value	0.00	0.00
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान/ Provision for Employee Benefits	0.00	19.92
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	445.82	380.96
निवेश मूल्यांकन में अंतर / Difference in investment valuation	0.00	0.00
अचल आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	90.57	74.26
आकस्मिक देयताएँ /अन्य के लिए प्रावधान /Provision held for Contingent Liabilities/Others	185.81	185.71
योग:/TOTAL :	5978.05	7313.37

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	--	--
निवेश मूल्यन में अंतर / Difference in Investment valuations	--	--
योग:/TOTAL:	--	--
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	5978.05	7313.37

भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीए की घोषणा की है, जो घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी दर से कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने का एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है। बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115बीए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया है तथा 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 के पुराने प्रावधानों के अनुसार आय पर करों को मान्यता देना जारी रखने का विकल्प चुना है।

The Government of India has pronounced Section 115BAA of Income Tax Act, 1961 through Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 which provides domestic companies a non-reversible option to pay corporate tax at reduced rate effective from 1st April, 2019 subject to compliance of certain conditions. Bank has evaluated the options available under section 115BAA of the Income Tax Act 1961 and opted to continue to recognize the taxes on income as per the old provisions of the Income Tax Act 1961 for the quarter and year ended 31st March 2025.

13. आरबीआई सर्कुलर संख्या डीओआर.एसीसी.आरईसी. सं.91/21.04.018/2022-23 दिनांक 13.12.2022 के अनुसार, "अनुसूची 14-अन्य आय" शीर्षक के तहत उपशीर्षक "विविध आय" के तहत आइटम से संबंधित प्रकटीकरण कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक, निम्नानुसार हैं:

13. In terms of RBI Circular No. DOR.ACC.REC.No.91/21.04.018/2022-23 dated 13.12.2022, the disclosure relating to item under subhead "Miscellaneous Income" under the head "Schedule 14-Other Income" exceeds one percent of total income, are as under:

प्रमुख/उप-शीर्षक का विवरण Particulars of Head/ Sub-Head	उप-शीर्षक के अंतर्गत मद Item under the Sub-Head	राशि (करोड़ रुपये में) Amount (Rs. In Crore)	प्रतिशत में In Percentage Terms
अनुसूची 14-अन्य आय उप शीर्ष- विविध आय Schedule 14-Other Income Sub Head- Misc Income	बट्टे खाते में वसूली Recovery in Written off	2623.54	8.90%

14. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

14. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/re-casted wherever considered necessary.

बैंकों द्वारा जारी किए गए लेटर्स ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटीकरण।

बैंक ने वित्त वर्ष 2024-2025 और वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान कोई भी लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoCs) जारी नहीं किया है
31.03.2025 तक तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की सतत संरचना (एस4ए) योजना पर प्रकटीकरण

Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by banks.

Bank has not issued any letter of Comfort (LoCs) during the FY 2024-2025 and FY 2023-2024
Disclosure on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2025

विवरण Particulars	उन खातों की संख्या जहां S4A लागू किया गया है No of Accounts where S4A has been applied	कुल बकाया राशि Aggregate Amount outstanding	बकाया राशि Amount Outstanding		प्रावधान रखा गया Provision Held
			भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार/ As on 31.03.2025					
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard		शून्य/Nil			
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA		शून्य/Nil			
दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार/ As on 31.03.2024					
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard		शून्य/Nil			
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA		शून्य/Nil			

ऋण जोखिम के संबंध में बैंक का प्रकटीकरण जहां 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यक्तिगत / समूह उधारकर्ताओं के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित बड़े एक्सपोजर (एलई) ढांचे के अनुसार विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं पार हो गई थीं।

31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए टियर -1 पूंजी पर आधारित किसी भी व्यक्तिगत और समूह खातों के संबंध में जिन खातों में बैंक ने बड़े एक्सपोजर (एलई) ढांचे के अनुसार विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं को पार कर लिया है, उनका विवरण नीचे दिया गया है।

Bank's Disclosure in respect of Credit Exposure where the same had exceeded the Prudential Exposure limits as per Large Exposure (LE) framework prescribed by RBI for Individual / Group Borrowers for the Financial year ended 31.03.2025.

Details of accounts where Bank has exceeded the Prudential Exposure limits as per Large Exposure (LE) framework in respect of any Individual and Group Accounts based on Tier -1 capital for the financial year ended 31.03.2025 are as below.

क्र. सं	उधारकर्ता का नाम	निर्धारित सीमा	एक्सपोजर (31.03.2025 तक)	31.03.2025 तक टियर-1 पूंजी के % के रूप में कुल जोखिम	बकाया (31.03.2025 तक)	31.03.2025 तक टियर-1 पूंजी के % के रूप में एलई फ्रेमवर्क के अनुसार कुल बकाया जोखिम
Sr No	Name of Borrower	Prescribed Ceiling	Exposure (As On 31.03.2025)	Total Exposure as % of Tier-1 Capital as on 31.03.2025	Outstanding (As on 31.03.2025)	Total Outstanding Exposure as per LE Framework as % of Tier-1 Capital as on 31.03.2025
व्यक्तिक/ Individual						
			शून्य/Nil			
समूह/ Group						
			शून्य/Nil			

वित्तीय वर्ष 31.03.2024 को समाप्त/FY Ended 31.03.2024

क्र. सं	उधारकर्ता का नाम	निर्धारित सीमा	एक्सपोजर (31.03.2024 तक)	31.03.2024 तक टियर-1 पूंजी के % के रूप में कुल जोखिम	बकाया (31.03.2024 तक)	31.03.2024 तक टियर-1 पूंजी के % के रूप में एलई फ्रेमवर्क के अनुसार कुल बकाया जोखिम
Sr No	Name of Borrower	Prescribed Ceiling	Exposure (As On 31.03.2024)	Total Exposure as % of Tier-1 Capital as on 31.03.2024	Outstanding (As on 31.03.2024)	Total Outstanding Exposure as per LE Framework as % of Tier-1 Capital as on 31.03.2024
व्यक्तिक/ Individual						
			शून्य/Nil			
समूह/ Group						
			शून्य/Nil			

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का एकल नकदी प्रवाह विवरण

STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
A. Cash Flow from Operating Activities :		
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	38335837	25688535
समायोजन/Adjustments for :		
अचल आस्तियों पर अवक्षयण/ Depreciation on fixed assets	3112582	2809227
निवेश पर अवक्षयण/प्रावधान/Depreciation/Provision on investments	(169972)	3409994
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for non-performing assets	16328235	10682695
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for Standard Assets	1856098	2051761
अन्य मदों के लिए प्रावधान/Provision for other items	16852682	10476792
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि/(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(4085)	(5779)
गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग माना गया)		
Interest paid on subordinated debt (treated separately)	1390549	1395851
गौण ऋण पर ब्याज के एटी-1 (इसे अलग माना गया)		
Interest paid on AT-1 debts (treated separately)	475000	475000
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश/Dividend Received	(86910)	(40503)
उप-योग/Sub-total	78090016	56943573
घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	0	0
	78090016	56943573
समायोजन/Adjustments for :		
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	(13510974)	19239503
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in advances	(347455372)	(272199559)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in other assets	15278748	7317565
उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	(15238184)	47380397
जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	304124055	137920357
अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु		
Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	(2162863)	13415644
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ)		
Net Cash Flow from Operating Activities (A)	19125426	10017480
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
B. Cash Flow from Investing Activities :		
अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets	(3715658)	(3536222)
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान/Sale/disposal of fixed assets	352628	546562
प्राप्त लाभांश/Dividend Received	86910	40503
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)		
Net Cash Flow from Investing Activities (B)	(3276120)	(2949157)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का एकल नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/		
C. Cash Flow from Financing Activities :		
इक्विटी शेयरों का आवंटन/Allotment of Equity Shares	5836008	0
इक्विटी शेयरों के जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम Share Premium on issue of Equity Shares	14163991	0
भारत सरकार द्वारा पूंजी निवेश (शेयर आवेदन राशि में रखा गया) Capital infusion by GOI (Kept in Share Application Money)	0	0
ईएसपीएस आवेदन धनराशि /Amount of ESPS Application Money	0	0
एटी - 1 बॉन्ड को जारी करना / Issue of AT-1 Bonds	0	0
बेसल-III अनुरूप टियर-2 बॉण्ड्स का निर्गम Issue of Basel-III compliant Tier 2 Bonds	0	0
एटी-1 बांड्स का मोचन/Redemption of AT-1 Bonds	0	0
अपर टियर-2 बांडों का मोचन/Redemption of Upper Tier-2 Bonds	0	0
Redemption of Subordinated Debts	0	0
नाबार्ड / सिडबी/एनएचबी से पुनर्वित्त प्राप्त/ को मोचन / Refinance from / Redemption to - NABARD/SIDBI/NHB	43908200	(2424456)
Dividend Paid	(3347668)	0
एटी -1 बॉन्ड पर भुगतान किया गया ब्याज / Interest paid on AT-1 Bonds	(475000)	(475000)
अपर टी-2 ऋण उपकरणों पर दिया गया ब्याज Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments	0	0
गौण ऋण पर दिया गया ब्याज/ Interest paid on subordinated debts	(1390549)	(1395851)
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ) Net Cash Flow from Financing Activities (C)	58694982	(4295307)

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार

गैर- कार्यपालक अध्यक्ष

Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू

कार्यपालक निदेशक

Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले

कार्यपालक निदेशक

Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती

निदेशक

Dr. Sarada Prasan Mohanty
Director

श्री सुधीर श्याम

निदेशक

Shri Sudhir Shyam
Director

सुश्री रचना खरे

निदेशक

Ms. Rachna Khare
Director

श्री अंजन तालुकदार

निदेशक

Shri Anjan Talukdar
Director

श्री सुभाष शंकर मलिक

निदेशक

Shri. Subhash Shankar Malik
Director

श्री रवि कुमार अग्रवाल

निदेशक

Shri Ravi Kumar Agrawal
Director

सुजय दत्ता

महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

Sujoy Dutta
General Manager & Chief Financial Officer

शैलेश नवलखा

सहायक महाप्रबंधक

Shelesh Navlakha
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata

दिनांक/Dated : 28-04-2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का एकल नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025 (CONTD.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ)		
Net increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	74544288	2773016
विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन (ई)/ Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation (D)	(3528782)	199592
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ+ई)/ Net increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C+D)	71015506	2972608
क्रमशः 1 अप्रैल 2024 और 2023 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents as on April 1, 2024 & 2023 respectively	290253611	287281003
क्रमशः 31 मार्च 2025 और 2024 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents as on March 31, 2025 & 2024 respectively	361269117	290253612
इ. वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
D Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	7168202	9142317
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	94803520	93857827
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	188281890	184280859
	290253612	287281003
उ. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		
E Cash and Cash Equivalents at the end of the Year		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	5873965	7168202
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	97715187	94803520
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	257679965	188281890
	361269117	290253612

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए संदीप जैन)
भागीदार - एमआरएन 077281
(CA SANDEEP JAIN)
Partner - MRN 077281

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार - एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner - MRN 504134

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार - एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner - MRN 521742

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार - एमआरएन 515154
(CA CHARAN JEET)
Partner - MRN 515154

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

यूको बैंक के सदस्य

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने यूको बैंक (बैंक) की संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 के तुलन-पत्र, एवं लाभ और हानि लेखे तथा तत्संबंधी समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरणों पर नोट तथा अन्य विवेचनात्मक सूचना सम्मिलित है।

इनमें:

- प्रधान कार्यालय, 43 जोन, 1 ट्रेज़री शाखा को शामिल करते हुए 21 शाखाओं की लेखापरीक्षा हमने की है,
- 950 शाखाओं (सेवा शाखाओं को शामिल करते हुए) की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों ने की है
- 2 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय विदेशी लेखा परीक्षकों ने की है।

हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई है उन शाखाओं का चयन बैंक के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। इसी में 2429 शाखाओं से प्राप्त तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाते को भी, जिनका लेखा परीक्षण नहीं किया गया है, शामिल हैं। जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा नहीं हुई है उन शाखाओं से 21.31% अग्रिम का, 46.58% जमा का, 26.31% ब्याज आय का तथा 48.78% ब्याज व्यय का कारोबार होता है।

- हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के द्वारा बैंक के संबंध में यथा अपेक्षित, यथारूप अपेक्षित सूचना देता है तथा वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप है और यह निम्नलिखित बातों की जानकारी देता है:

क) बैलेंस शीट, उस पर दिए गए नोट्स के साथ पढ़ी जाए तो यह एक पूर्ण और निष्पक्ष बैलेंस शीट है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, इसे ठीक से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च, 2025 तक बैंक के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित किया जा सके;

ख) लाभ और हानि खाता, उस पर दिए गए नोटों के साथ पढ़ने पर लाभ का सही संतुलन पता चलता है और

ग) नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और उचित विवरण देता है।

अभिमत का आधार

- हमने अपना लेखा-परीक्षण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षण मानकों (SAs) के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार जो एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशा-निर्देशों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक ('RBI') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अधीन समय-समय पर संशोधित ICAI लेखांकन मानक शामिल हैं। इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा-परीक्षण साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

- मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबंधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है:

अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान करना और उनका प्रावधान
अग्रिमों के अंतर्गत खरीदे एवं भुनाए गए बिल, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण और मीयादी ऋण। इन्हें बैंक / सरकारी गारंटी और असुरक्षित अग्रिमों के रूप में कवर की गई मूर्त संपत्ति (बुक देट के बदले अग्रिम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया जाता है। वर्गीकरण तथा प्रावधान बैंक के कोर बैंकिंग सौल्यूशन (सीबीएस) के तहत बैंक के आईटी साफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान मुख्यतः उसके एनपीए होने की अवधि तथा उसके एवज में रखी हुई प्रतिभूति की वसूलीयोग्यता पर निर्भर है।

क्योंकि प्रतिभूति के मूल्यांकन में अनुमान और निर्णय का उच्च स्तर शामिल होता है, विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के अवास्तविक मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का अभिव्यक्त मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत तरीके से कहा जा सकता है और वित्तीय विवरणियों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए, अग्रिमों का वर्गीकरण तथा उन पर प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय माना गया है।

निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेश की पहचान और प्रावधान

निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।

ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अधीन प्रचालित होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की संगत गैर-मान्यता और इसके एवज में किए प्रावधान को शामिल किए जाते हैं।

उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा / सूचना का संग्रह शामिल है, जैसे बीएसई / एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण इत्यादि का मूल्यांकन, लेनदेन की मात्रा, त्वरित निवेश और विनियामक फोकस की डिग्री, जटिलताओं और निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है।

तदनुसार, हमारा ऑडिट मूल रूप से निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित था।

हमने आरिस्त वर्गीकरण और इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों दिशानिर्देशों तथा निदेशों और बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई।

हमने अग्रिमों की निगरानी, पहचान / वर्गीकरण जिसमें संगत डाटा गुणता की जांच भी शामिल है, के संबंध में आईटी सॉफ्टवेयर नियंत्रण तथा अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता तथा सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा की समीक्षा, मूल्यांकन एवं जांच की।

वृहद और दबावग्रस्त अग्रिमों के टेस्ट जांच द्वारा परिचालनों / कार्यनिष्पादनों और निगरानी की समीक्षा, एवं दस्तावेज़ीकरण ताकि किसी भी अग्रिम खाते में असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके, यह सत्यापित किया जा सके कि इसका वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप है। इसके अलावा, हमने आंतरिक / विनियामक निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षाओं आदि की कई रिपोर्टों का भी उल्लेख किया है और बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो पर इसकी टिप्पणियों के परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन किया है स्वचालन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की गुंजाइश है।

निवेश के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों के संदर्भ में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान (एनपीआई), निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और ठोस लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है।

हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया और देखा कि वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई निर्देशों का अनुपालन किया जाता है या नहीं।

हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई / एनएसई आदि पर उद्धृत दरों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया;

वर्तमान निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने आरबीआई के मास्टर परिपत्रों एवं निहित दिशा-निर्देश के साथ सटीकता और अनुपालन हेतु प्रत्येक वर्ग की प्रतिभूति का पुनर्मूल्यांकन कर परीक्षण किया।

हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया का और इसके विपरीत आय और प्रावधान के सृजन के उलट का आकलन और मूल्यांकन भी किया;

उपर्युक्त के अलावा, हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यहास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं भी कीं। हमने आरबीआई के निर्देशों के संदर्भ में विभिन्न निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े खुलासों की प्रस्तुतियों का भी मूल्यांकन किया स्वचालन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की गुंजाइश है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधान और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए।

बैंक कई कराधान और अन्य विवादों में शामिल है, जिसके अंतिम परिणामों की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप भारी देनदारियां हो सकती हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन जटिल धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए निर्णय करने की आवश्यकता होती है और इस तरह के निर्णय, मुख्य रूप से, कार्यवाही के परिणाम की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन और वित्तीय वक्तव्यों में खुलासे की पर्याप्तता से संबंधित होते हैं। आवश्यक निर्णय, इस तरह के मुकदमों का महत्व और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण यह क्षेत्र हमारे ऑडिट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था।

इस प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले के प्रत्युत्तर में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल था :

- कानूनी और कर मुकदमों, और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रण का आकलन।
- विधिक पूर्वोदाहरणों तथा समान वादों के अन्य रूढ़िगों का विचार करते हुए बैंक द्वारा संभावित विधिक तथा कर जोखिमों के मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई धारणा का आकलन।
- सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखों के निरीक्षण के बारे में कानूनी विभाग के साथ पृष्ठताल।
- जहां कहीं उपलब्ध हो विशेषज्ञों से प्राप्त विचारों का विश्लेषण।
- वित्तीय विवरणी के नोट में प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा।

5. अन्य बातें

क) इन एकल वित्तीय विवरणों में 952 शाखाओं की प्रासंगिक विवरणियां शामिल हैं, जिनमें इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई जिसमें 2 विदेशी शाखाएं शामिल हैं। अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित इन शाखाओं में 31 मार्च 2025 को 42.24% अग्रिम, 45.98% जमा और 79.88% गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व का 26.28%/31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 25.93% शामिल हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियां और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय में, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

ख) अपनी लेखापरीक्षा के संचालन में, हमने 31 मार्च, 2025 तक 2429 शाखाओं के संबंध में अलेखापरीक्षित रिटर्न पर ध्यान दिया है, जिसमें 21.31% अग्रिम, 46.58% जमा और 15.44% गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व का 17.74% तथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 16.75% शामिल हैं।

इस विषयक के संबंध में हमारे मन में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणी तथा उसपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से इतर सूचना

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, निदेशक की रिपोर्ट, बासेल III के तहत आधार 3 प्रकटन, लिवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है। लेकिन उसमें वित्तीय विवरण और उसपर हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और बेसल III के तहत स्तम्भ 3 प्रकटीकरण और हम उसपर कोई आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपर्युक्त में पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते हुए, हमें विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ गंभीर रूप से असंगत है या ऑडिट के संबंध में हमारी जानकारी, या और कोई बात प्रधान रूप से गलत रूप से कही (मिसस्टेमेंट) गई प्रतीत होती है।

यदि, इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण गलत कथन (मिसस्टेमेंट) है। हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट करने की अपेक्षा है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक, यदि कोई हो, तो, यदि हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को इससे संबंधित विभाग को बताने की अपेक्षा होगी।

प्रबंधन तथा गवर्नर्स के प्रभारीजनों का एकल वित्तीय विवरणी के प्रति दायित्व

7. बैंक के निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणियों जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और समय-समय पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश को शामिल करते हुए वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और बैंक के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, की प्रस्तुति के संबंध में जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उसका प्रयोग; जो उचित और विवेकपूर्ण हैं जैसे निर्णय करना और धारणा बनाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन करना, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जिसमें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही सही खास बातों का गलत कथन नहीं हो, भी शामिल है।

वित्तीय विवरणी तैयार करने में प्रबंधन का यह दायित्व है कि वह यथा प्रयोज्य रूप में चल संस्थान के संबंध में मामलों को प्रकट करते हुए यदि प्रबंधन लिविडेट करने, परिचालन बंद करने अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न बचा हो इनमें से किसी प्रकार की योजना न हो तो चल संस्थान लेखाकरण आधारों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करे कि बैंक एक चल संस्थान के रूप में कारोबार करने में सक्षम है।

वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों के दायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो, प्रमुख रूप से गलत कथन से मुक्त हैं, और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी ओपीनियन भी शामिल होगी। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई परीक्षा यदि विद्यमान हो तो, किसी महत्वपूर्ण गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) का पता हमेशा लगा ही लेगी। गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें मेटेरियल तभी माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने में समर्थ हों। इस के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के एक अंग के रूप में हम संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संशयवादिता रखते हैं।
- वित्तीय विवरणी के महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम की पहचान तथा उसका आकलन करने है चाहे वे कपट के कारण हुए हों या त्रुटि वश। हम अपनी लेखा परीक्षा को उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए डिजाइन तथा उसे पूरा करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्तकरते हैं जो हमारे अभिमत को आधार देने में पर्याप्त तथा समुचित सिद्ध हों। चूंकि कपट में मिलीभगत, कपट, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई चूक, मिस रिप्रेजेंटेशन अथवा इंटरनेट नियंत्रण की अवहेलना शामिल है, कपट के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाना त्रुटि के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाने से ज्यादा गंभीर बात है।
 - वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, इस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करने है।
 - प्रयुक्त लेखाकरण मानदंडों की समुचितता का मूल्यांकन करते हैं तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण प्राक्कलन तथा संबंधित प्रकटन की तार्किकता का पता लगाते हैं।
 - लेखाकरण के गोइंग कंसर्न आधार के प्रबंधन प्रयोग की तर्कसंगतता पर निष्कर्ष व्यक्त करने है तथा प्राप्त किए गए लेखाकरण साक्ष्यों के आधार पर एक चल संस्थान के रूप में बैंक के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करनेवाली महत्वपूर्ण अनिश्चयता है या नहीं यह बताने हैं। यदि हम यह निष्कर्ष दें कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता है तो हमें अपने लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी में संबंधित प्रकटन के अंतर्गत इस ओर ध्यान खींचना होगा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हुए तो हमें अपने अभिमत में आशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं तथा परिस्थितियां बैंक को एक चल संस्थान (गोइंग कंसर्न) के रूप में जारी रहने से रोक भी सकती हैं।
 - प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।
9. मेटेरियल होना एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन में।
10. जो गवर्नर्स के दायित्व में हैं हम उन लोगों से अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल हैं, के विषय में संपर्क में रहने हैं।

11. जो गवर्नेस के दायित्व में हैं हम उन लोगों को स्वतंत्रता के ऊपर बनाई गई वह विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने संगत आचारगत अपेक्षाओं के साथ तैयार किया है तथा उनसे हम उन संबंधों तथा अन्य बातों के विषय में भी बताते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ता हुआ समझा जा सकता है। जहां आवश्यक हुआ हम संबंधित सुरक्षा के विषय में भी बताते हैं।
12. जो गवर्नेस के प्रभार में हैं उनसे हुई बातों से हमने उन बातों का निश्चय किया जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले (की ऑडिट मैटर) हैं। यदि हमें विधि एवं विनियम मामले को सार्वजनिक प्रकटन से वारित न करें अथवा जब अत्यंत विरल दशा में हमें किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में प्रकट न करने का निर्णय करें करें क्योंकि ऐसा करने का विपरीत प्रभाव वैसे संवाद के लोकहित लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, हम इन बातों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

13. बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;
14. उक्त पैराग्राफ में दर्शित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यक्षीन तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा उसमें अभिव्यक्त प्रकटन की सीमाओं के अध्यक्षीन जैसा कि बैंकिंग विनियमन, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- क) हमने वे सभी जानकारीयों और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;
- ख) बैंक के जो लेन देन जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हुए हैं; तथा
- ग) हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न पर्याप्त पाए गए हैं ।

15. इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि

- क) हमारी राय में, विधि द्वारा यथावश्यक खातों की उचित बहियां बैंक द्वारा तक रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए पर्याप्त हैं;
- ख) इस रिपोर्ट में बरता गया तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी, खाते की बहियों के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों के साथ संगत हैं;
- ग) शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट जिनका लेखा परीक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसरण के प्रावधान के अनुसार में बैंक के लेखापरीक्षकों ने किया है जो हमारे पास भेजे गए हैं, इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उन्हें भली-भांति बरता गया है।
- घ) हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखाकरण नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
16. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए दायित्वों की रिपोर्टिंग, के साथ पठित बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संचार दिनांक 19 मई, 2020, के संबंध में पत्र सं. डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 की आवश्यकता के अनुसार आगे उपर्युक्त पत्र में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत हैं जो इस प्रकार है:
- क) हमारे विचार में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का प्रत्येक दृष्टिकोण से अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
- ख) वित्तीय लेनदेन या उन मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- ग) 31 मार्च, 2024 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

घ) खातों के रखरखाव और संबंधित अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ड) इस रिपोर्ट के साथ बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के परिचालन प्रभावशीलता संबंधी हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक-ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 2025 के अनुसार बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता पर असंशोधित राय व्यक्त करता है।

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 008567C

(सीए संदीप जैन)
भागीदार
एमआरएन 077281
यूडीआईएन: 25077281BMJCFJ9774

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
यूडीआईएन: 25521742BMLMJT2436

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
यूडीआईएन: 25504134BMGZFB7454

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार
एमआरएन 515154
यूडीआईएन: 25515154BMGIEO7246

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28-04-2025

Independent Auditors' Report

To
The Members of UCO Bank
Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of UCO Bank("the Bank"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2025, and the Statement of Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated the returns for the year ended on that date of:

- i) the Head Office, 43 Zones, 21 branches inclusive of 1 treasury branch audited by us
- ii) 950 branches (including Service branches) audited by statutory branch auditors
- iii) 2 overseas branches audited by overseas local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 2429 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 21.31% of advances, 46.58% of deposits, 26.31% of interest income and 48.78% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:
 - a. The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2025;
 - b. The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit and
 - c. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone financial statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the ICAI Accounting Standards, as amended from time to time subject to Directions/ Guidelines issued by the Reserve Bank of India, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

4. Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the year ended 31st March 2025. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
Classification of Advances, Identification and Provisioning for non-performing advances Advances include Bills purchased and discounted, Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans. These are further categorized as secured by Tangible assets (including advances against Book Debts), covered by Bank/ Government Guarantees and Unsecured advances. The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The classification and provisioning is done by Bank's IT software under its Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of asset classification and its provisioning and adopted the following audit procedures: We evaluated and tested of the effectiveness of the IT software controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification/ classification, including testing of relevant data quality, and review of the data entered in the software. Review of the documentations, operations/ performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to verify that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI. Further, we have also referred many of the reports of the internal/regulatory inspection, concurrent auditors etc. and evaluated the consequent impact of the observations therein on the advance portfolio of the Bank. There is scope for further strengthening the automation process.
Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. We evaluated and made an understanding of the Bank's internal control mechanism to comply with relevant RBI directions regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments; We also assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources like FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE etc., for determining fair value of these investments; For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. We also assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision thereagainst; In addition to above, we also carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. We also evaluated the presentations of the various investment portfolio related disclosures in terms of RBI directions. There is scope for further strengthening the automation process.

Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debt

The Bank is involved in a number of taxation and other disputes for which final outcomes cannot be easily predicted and which could potentially result in significant liabilities. The assessment of the risks associated with the litigations is based on complex assumptions, which require the use of judgement and such judgement relates, primarily, to the assessment of the uncertainties connected to the prediction of the outcome of the proceedings and to the adequacy of the disclosures in the financial statements. Because of the judgement required, the materiality of such litigations and the complexity of the assessment process, the area was considered a key matter for our audit.

Our audit procedure in response to this key Audit Matter included

- Assessment of the process and relevant controls implemented to identify legal and tax litigations, and pending administrative proceedings.
 - Assessment of assumptions used in the evaluation of potential legal and tax risks performed by the Bank considering the legal precedence and other rulings in similar cases.
 - Inquiry with the legal department regarding the status of the most significant disputes and inspection of the key relevant documentation.
 - Analysis of opinion received from the experts where ever available.
 - Review of the adequacy of the disclosures in the notes to the financial statements.
-

5. Other Matters

- A) These standalone financial statements incorporate the relevant returns of 952 branches including 2 foreign branches audited by the other auditors specially appointed for this purpose. These branches audited by other auditors cover 42.24% of advances, 45.98% of deposits and 79.88% of non-performing assets as on 31st March 2025 and 26.28% /25.93% of revenue for the quarter ended 31st March, 2025/ for the year ended 31st March 2025. The financial statements/ information of these branches have been audited by the Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.
- B) In conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 2429 branches cover 21.31% of advances, 46.58% of deposits and 15.44% of Non-Performing assets as on 31st March, 2025 and 17.74%/16.75% of revenue for the quarter ended 31st March, 2025/ for the year ended 31st March 2025.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information primarily comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Director's Report, Pillar 3 Disclosures under Basel III, Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio, Corporate Governance and Shareholders Information but does not include the financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the other information, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of this standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation

and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 - Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit for expressing our opinion on whether the bank has adequate internal financial controls with reference to financial statements and the operating effectiveness of such control.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
9. Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.
10. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
11. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
12. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

13. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
14. Subject to the limitations of the audit indicated in above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation, 1949, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

15. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from branches/offices not visited by us;
 - b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
 - c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
 - d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
- 16. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters as specified in the aforesaid letter as under:**
- a) In our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
 - c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2025, none of the directors is disqualified as on March 31, 2025 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.
 - d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - e) Our audit report on the operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting of the Bank is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of the Bank as at 31st March 2025.

For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(CA SANDEEP JAIN)
Partner
MRN 077281
UDIN:25077281BMJCFJ9774

FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134
UDIN: 25504134BMGZFB7454

For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742
UDIN: 25521742BMLMJT2436

For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(CA CHARAN JEET)
Partner
MRN 515154
UDIN: 25515154BMGIEO7246

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट- अनुबंध- ए
Annexure A to the Independent Auditor's Report

(सम तिथि पर हमारी रिपोर्ट खंड 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 11(ई) में संदर्भित)

(Referred to in paragraph 11(e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

भारतीय रिजर्व बैंक (द 'आरबीआई') के पत्र डीओएस.एआरजी.सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथासंशोधित), (द 'आरबीआई पत्राचार') द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग के अतिरिक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्ट

Report on the Operating Effectiveness of Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No. 6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), (the "RBI communication")

1. हमने उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु बैंक की वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षा के साथ संयोजक के रूप में 31 मार्च, 2025 तक यूको बैंक ('बैंक') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का लेखापरीक्षा किया है जिसमें बैंक शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

We have audited the Operating Effectiveness of Internal Financial Controls over Financial Reporting of UCO Bank ('the "Bank"') as of 31st March 2025 in conjunction with our audit of the financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes Internal Financial Controls over Financial Reporting of the Banks branches.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

Management's Responsibility for Internal Financial Controls over Financial Reporting

2. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों के बारे में विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के अतिरिक्त आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने एवं स्थापित करने की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी शामिल है जिसे बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाना एवं निवारण, लेखा संबंधी अभिलेखों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सहित इसके कारोबार को व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से संचालित किया गया तथा बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय पर तैयार करना भी शामिल है।

The Management of the Bank is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी/Auditor's Responsibility

3. हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन एवं कार्यान्वयन डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन शामिल है।

Our responsibility is to express an opinion on the operating effectiveness of Internal Financial Controls over Financial Reporting of the Bank based on our audit. Our audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting includes an evaluation of the adequacy of the design and implementation of such internal financial controls over financial reporting.

4. हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आरबीआई') द्वारा जारी ('मार्गदर्शन नोट') तथा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (एसए) के गाइडेंस नोट के अनुसार लेखापरीक्षा किया है जोकि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर किसी सीमा तक प्रयोज्य है। उन मानदंडों एवं गाइडेंस नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुआ है, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting operated effectively in all material respects.

5. हमारी लेखापरीक्षा में बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाणन प्राप्त करने हेतु कार्यनिष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया वित्तीय विवरणियों के गलत अनुमान चाहे धोखाधड़ी के हों या गलती से किए गए हों, के जोखिम के मूल्यांकन के साथ वित्तीय विवरणियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करते हैं।

Our audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the operating effectiveness of the internal financial control over financial reporting of the Bank. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

6. हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य हमें मिले हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ -

Meaning of internal Financial Controls over Financial Reporting

7. किसी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा लेखा सिद्धांतों पर सामान्यतः स्वीकार्य के अनुसार बाह्य प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में यथोचित आश्वासन देती है। किसी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल हैं जो- (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित जिसमें बैंक की आस्तियों के लेनदेन एवं वृत्तियां में सही और निष्पक्ष रूप से उचित विवरण हों (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं और बैंक की प्राप्तियां एवं व्यय केवल बैंक के प्रबंधन एवं निदेशकों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वरूप का समय पर पता लगाना या निवारण के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान कराना जिससे वित्तीय विवरणियों के भौतिक प्रभाव का पता लगाया जा सके।

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank, (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank, and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

8. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रण पर अनुचित प्रज्ञान का दबाव या आपसी सांठगांठ की संभावना या चूक या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गड़बड़ी हो सकती है और जिसका पता नहीं चला हो। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का कोई पूर्वानुमान जोखिम के अधीन है क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा स्थितियों में बदलाव, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

अन्य मामले / Other Matters

9. बैंक ने अपने विभागों और परिचालन इकाइयों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तहत अनुपालन की समीक्षा और परीक्षण के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए सलाहकार नियुक्त किया था और गैप- अध्ययन के दौरान आकलित किए गए गैप को कम करने के लिए रिपोर्ट/सुझाव प्रदान किया था। इस संबंध में सलाहकार द्वारा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट दी गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में सलाहकार द्वारा दिए गए रिपोर्ट/सुझावों की प्रबंधन द्वारा सकारात्मक समीक्षा की गई है और बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में आवश्यक सुधार लागू किए गए हैं। हालांकि बैंक की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

Bank had appointed consultant for internal financial controls over financial reporting for review and testing of compliance under internal financial controls over financial reporting for their departments & operational units and provided report/suggestion to mitigate the gap assessed during gap study. In this regard, report has been given by consultant for the year ended 31st March 2025. The report/suggestions given by consultant for internal financial controls over financial reporting has been reviewed by the management positively and necessary improvement has been implemented in the internal financial control system of the Bank. However, there is no impact on the financials of the Bank.

10. हमारी उक्त रिपोर्ट अब तक 971 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, जिसमें 950 शाखाओं की लेखा परीक्षा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है और 21 शाखाओं की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा की गई है। 950 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का पता लगाने के दौरान हमने उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर भरोसा किया है।

Our aforesaid report insofar related to the operating effectiveness of Internal Financial Control over Financial Reporting of 971 branches, in which 950 branches are audited by the branch auditors appointed for this purpose and 21 branches audited by us. While ascertaining the operating effectiveness of Internal Financial Control over Financial Reporting of 950 branches, we have relied on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Our opinion is not modified in respect of this matter.

अभिमत/Opinion

11. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे और यह भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के बारे में विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित है।

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2025, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए संदीप जैन)

भागीदार

एमआरएन 077281

(CA SANDEEP JAIN)

Partner

MRN 077281

यूडीआईएन/UDIN:25077281BMJCFJ9774

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)

भागीदार

एमआरएन 521742

(CA NAKUL MITTAL)

Partner

MRN 521742

यूडीआईएन/UDIN : 25521742BMLMJT2436

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)

भागीदार

एमआरएन 504134

(CA RUCHI AGARWAL)

Partner

MRN 504134

यूडीआईएन/UDIN : 25504134BMGZFB7454

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए चरण जीत)

भागीदार

एमआरएन 515154

(CA CHARAN JEET)

Partner

MRN 515154

यूडीआईएन/UDIN:25515154BMGIEO7246

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.3.2025 की स्थिति	31.3.2024 की स्थिति
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule	As on 31.3.2025	As on 31.3.2024
		₹	₹
पूंजी /Capital	1	12539 55 90	11955 95 82
आरक्षित निधियां और अधिशेष			
Reserves & Surplus	2	18345 34 26	15257 82 78
जमा राशियां / Deposits	3	293542 17 82	263129 77 27
उधार Borrowings	4	28687 48 53	25331 44 09
अन्य देयताएं और प्रावधान			
Other Liabilities & Provisions	5	9246 54 21	7873 45 28
योग /TOTAL		362361 10 72	323548 45 24

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए संदीप जैन)
भागीदार
एमआरएन 077281
(CA SANDEEP JAIN)
Partner
MRN 077281

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार
एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner
MRN 521742

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner
MRN 504134

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार
एमआरएन 515154
(CA CHARAN JEET)
Partner
MRN 515154

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 28-04-2025

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र (जारी)

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां	अनुसूची	31.3.2025 की स्थिति As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति As on 31.3.2024 ₹
ASSETS	Schedule		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	10358 91 52	10197 17 22
बैंकों में अधिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	25767 99 65	18828 18 90
निवेश/Investments	8	94152 51 47	92761 39 63
अग्रिम/Advances	9	215134 57 88	182021 86 51
अचल आस्तियां/Fixed Assets	10	3851 95 03	3781 47 33
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	13095 15 17	15958 35 65
योग /TOTAL		362361 10 72	323548 45 24
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	128834 25 71	60950 98 92
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection	-	7595 29 35	8001 35 97

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसूचियां 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts.
As per our report of even date

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती
निदेशक
Dr. Sarada Prasan Mohanty
Director

श्री सुधीर श्याम
निदेशक
Shri Sudhir Shyam
Director

सुश्री रचना खरे
निदेशक
Ms. Rachna Khare
Director

श्री अंजन तालुकदार
निदेशक
Shri Anjan Talukdar
Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
निदेशक
Shri. Subhash Shankar Malik
Director

श्री रवि कुमार अग्रवाल
निदेशक
Shri Ravi Kumar Agrawal
Director

सुजय दत्ता
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sujoy Dutta
General Manager & Chief Financial Officer

शैलेश नवलखा
सहायक महाप्रबंधक
Shelesh Naviakha
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 28-04-2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2024 ₹
	Schedule		
I. आय/INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	25066 91 14	21854 33 58
अन्य आय / Other Income	14	4406 63 43	3265 52 94
योग/TOTAL		29473 54 57	25119 86 52
II. व्यय/EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	15436 82 73	13753 55 55
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	7999 40 83	6790 06 39
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		3592 32 08	2922 50 17
योग/TOTAL		27028 55 64	23466 12 11
III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS			
वर्ष का निवल लाभ/(हानि)/Net Profit/(Loss) for the Year		2444 98 93	1653 74 41
सहयोगी में लाभ/हानि का हिस्सा/Share of earnings / loss in Associates		23 02 38	17 81 10
निवल लाभ/(हानि) पिछला अग्रानीत/Net Profit/(Loss) Brought Forward		2370 73 88	1457 76 27
योग/TOTAL		4838 75 19	3129 31 78

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए संदीप जैन)
भागीदार - एमआरएन 077281
(CA SANDEEP JAIN)
Partner - MRN 077281

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार - एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner - MRN 504134

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार - एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner - MRN 521742

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार - एमआरएन 515154
(CA CHARAN JEET)
Partner - MRN 515154

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा (जारी)

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025 (CONTD.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

अनुसूची	31.3.2025	31.3.2024
Schedule	Year Ended	Year Ended
	31.3.2025	31.3.2024
	₹	₹
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS		
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves	611 24 73	413 43 60
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Capital Reserves	3 72 49	10 37 62
निवेश अस्थिरता आरक्षित में अंतरण / Transfer from Investment Fluctuation Reserves	134 28 42	—
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend	489 04 28	334 76 68
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई		
Balance Carried over to Balance Sheet	3600 45 27	2370 73 88
योग /TOTAL	4838 75 19	3129 31 78
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणी / Notes on Accounts	18	
मूल एवं न्युनीकृत ईपीएस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)	₹ 2.06	₹ 1.40
हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूची 1 से 18 लेख के अभिन्न अंग हैं The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts As per our Report of even date		

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती
निदेशक
Dr. Sarada Prasan Mohanty
Director

श्री सुधीर श्याम
निदेशक
Shri Sudhir Shyam
Director

सुश्री रचना खरे
निदेशक
Ms. Rachna Khare
Director

श्री अंजन तालुकदार
निदेशक
Shri Anjan Talukdar
Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
निदेशक
Shri. Subhash Shankar Malik
Director

श्री रवि कुमार अग्रवाल
निदेशक
Shri Ravi Kumar Agrawal
Director

सुजय दत्ता
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sujoy Dutta
General Manager & Chief Financial Officer

शैलेश नवलखा
सहायक महाप्रबंधक
Shelesh Navlakha
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 28-04-2025

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 1 — पूंजी

Schedule 1 — CAPITAL

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
प्राधिकृत पूंजी/Authorised Capital प्रत्येक ₹ 10/- के 1500,00,00,000 (1500.00,00,000) ईक्विटी शेयर 1500,00,00,000 (1500,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each	15000 00 00 <u>15000 00 00</u>	15000 00 00 <u>15000 00 00</u>
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी Subscribed, Issued and Paid up Capital प्रत्येक ₹ 10/- के 1253, 95, 58, 979 (1195, 59, 58,176) ईक्विटी शेयर 1253, 95, 58, 979 (1195, 59, 58, 176) Equity Shares of ₹ 10/- each [केन्द्र सरकार द्वारा धारित 1140,49,10,524 (1140,49,10,524) शेयर इसमें शामिल हैं] [includes 1140,49,10,524 (1140,49,10,524) shares held by Central Govt.]	12539 55 90	11955 95 82
योग /TOTAL	12539 55 90	11955 95 82

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष

Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025		31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024	
	₹	₹	₹	₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियां/Statutory Reserve:				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	3409 13 15		2995 69 54	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / कटौती				
Addition / Deduction during the year	611 24 73		413 43 61	
		4020 37 88		3409 13 15
II. पूंजी आरक्षित निधियां/Capital Reserve :				
क) पूंजीगत प्राप्ति/ a) Capital Gain				
अंतिम लेखे के अनुसार शेष				
Balance as per last account		1 17 00		1 17 00
ख/ब)निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	954 25 71		943 88 09	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/				
Transfer from Profit and Loss Account	3 72 49		10 37 62	
		957 98 20		954 25 71
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन :				
c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2997 55 47		2803 29 89	
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
Addition during the year	10 57 04		218 55 14	
वर्ष के दौरान कटौती/	3008 12 51		3021 85 03	
Deduction during the year	-38 75 16		24 29 56	
		3046 87 67		2997 55 47
III. शेयर प्रीमियम/ Share Premium				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	3625 71 03		3625 71 03	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/				
Addition during the year	1416 39 91		—	
	5042 10 94		3625 71 03	
वर्ष के दौरान कटौती/				
Deduction during the year	—		—	
		5042 10 94		3625 71 03
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/				
Revenue & Other Reserves				
क/अ) सामान्य आरक्षित निधि/ General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	686 04 61		661 96 70	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	-731 04 54		24 07 91	
	-44 99 93		686 04 61	
वर्ष के दौरान कटौती/	—		—	
Deduction during the year		-44 99 93		686 04 61

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025
अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025		31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024	
	₹	₹	₹	₹
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि/ b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	792 01 40		737 04 70	
जोड़ें : विनिमय उचंत लेखे में अंतरण/ Add: Transfer to/from Exchange Suspense				
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	80 53 48		54 96 70	
	<u>872 54 88</u>		<u>792 01 40</u>	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year	—		—	
	<u>—</u>	872 54 88	<u>—</u>	792 01 40
ग) निवेश आरक्षित निधि c) Investment Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	5 16 79		5 16 79	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer to Profit and Loss Account	5 16 79	—	—	
	<u>—</u>		<u>—</u>	5 16 79
d) निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व Investment Fluctuation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	416 03 74		416 03 74	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition/Deduction during the year	134 28 42		—	
	<u>—</u>	550 32 16	<u>—</u>	416 03 74
इ) एएफएस रिजर्व e) AFS Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	—		—	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/कटौती/ Addition/Deduction during the year	298 50 19		—	
	<u>—</u>	298 50 19	<u>—</u>	—
V. लाभ-शेष/Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2370 73 88		1457 76 27	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit and Loss Account	1229 71 39		912 97 61	
	<u>—</u>	3600 45 27	<u>—</u>	2370 73 88
TOTAL(I to V)		18345 34 25		15257 82 78

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 3 — जमाराशियां/Schedule 3 — DEPOSITS

(000' को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024
	₹	₹
अ/आ. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	1346 60 97	578 88 74
ii) अन्य से/From Others	13336 82 11	11888 70 83
II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits	90481 50 04	86084 06 25
III. मीयादी जमाराशियां/Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	14174 79 82	9855 98 33
ii) अन्य से/From Others	174202 44 88	154722 13 12
योग/TOTAL (I, II & III)	293542 17 82	263129 77 27
अ/आ. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches in India	276209 02 06	249965 00 40
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches outside India	17333 15 76	13164 76 87
योग/TOTAL (i & ii)	293542 17 82	263129 77 27

अनुसूची 4 — उधार

Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024
	₹	₹
I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India	5000 00 00	4152 00 00
ii) अन्य बैंक/Other Banks	15556 45 00	16847 81 00
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	7831 50 55	3934 22 35
II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India	299 52 98	397 40 74
योग (I एवं II) TOTAL (I & II)	28687 48 53	25331 44 09
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	26387 95 55	22934 03 35
* इसमें शामिल है/* Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	2761 50 00	1404 30 00
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	30700 00 55	55
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance		
मुद्रा पुनर्वित्त/MUDRA Refinance		36 38 00
गौण ऋण/Subordinated Debt		
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond		
बासेल III कंप्लायंट टीयर - II बॉण्ड Basel-III Compliant Tier-II Bonds	1500 00 00	1500 00 00
ट्रेप्स/TREPS		493 53 80
एटि-1/AT - 1	500 00 00	500 00 00

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
I. संदेय बिल/Bills Payable	593 70 98	670 88 60
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)	184 61 50	
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	657 61 54	553 01 35
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others (including provisions)*	7810 60 16	6649 55 33
योग/TOTAL	9246 54 18	7873 45 28
इसमें शामिल हैं / Includes		
मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	1278 74 60	1090 20 01

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष Schedule 6 — CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/ Cash in hand (including Foreign Currency Notes)	587 39 65	716 82 02
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Account	9771 51 87	9480 35 12
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts		8
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)	10358 91 52	10197 17 22

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
I. भारत में/In India		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में		
a) In Current Accounts	3 68 74	4 76 48
ख) अन्य जमा खातों में		
b) In Other Deposit Accounts	16175 10 43	16947 32 18
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास		
a) With Banks	7297 49 57	1500 00 00
ख) अन्य संस्थाओं के पास		
b) With Other Institutions		
योग / TOTAL	23476 28 74	18452 08 66
II. भारत के बाहर/ Outside India		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	248 90 16	167 58 08
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	2042 80 75	208 52 16
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice		
योग /TOTAL	2291 70 91	376 10 24
कुल योग (I एवं II)/GRAND TOTAL (I&II)	25767 99 65	18828 18 90

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 8 — निवेश

Schedule 8 — INVESTMENTS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/ Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	66470 16 12	66167 49 52
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ Other Approved Securities	-	-
iii) शेयर/Shares	1044 45 83	349 64 64
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	22239 63 71	23657 14 97
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/एसोशिएट्स Investment in Associates*	132 80 97	96 00 31
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, अन्य / Others	1227 50 60	198 78 26
योग/TOTAL	91114 57 23	90469 07 70
II. भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं)/ Government Securities (including Local Authorities)	3037 94 24	2292 31 93
ii) अन्य निवेश / Other Investments		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	-	-
ग/c) अन्य/Others	-	-
योग/TOTAL	3037 94 24	2292 31 93
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II)**	94152 51 47	92761 39 63

** निवेशों पर मूल्यह्रास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /

** Net of provision for Depreciation on Investments & Provision for Non-Performing Investments

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025			31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024		
निवेश INVESTMENTS	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹
I. भारत में/ In India	91709 81 43	595 24 20	91114 57 23	92827 05 52	2357 97 82	90469 07 70
II. भारत के बाहर Outside India	3037 94 24		3037 94 24	2294 92 96	2 61 03	2292 31 93
योग/TOTAL	94747 75 67	595 24 20	94152 51 47	95121 98 48	2360 58 85	92761 39 63

निवेश पर मूल्यह्रास/अनर्जक आस्ति निवेशों के लिए प्रावधान

Provision for Depreciation on Investment & Provision for Non-Performing Investments.

*Investment in Associates	₹ '000	₹ '000
Total Investment/ Cost of Investment in Associates	252 78 51	239 00 23
Add: Post-acquisition profit/(Loss) and Reserve of Associates (Equity method)	-119 97 54	-142 99 92
योग/Total	132 80 97	96 00 31

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025
अनुसूची 9 — अग्रिम
Schedule 9 — ADVANCES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	5587 54 69	6920 31 39
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण / Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	75413 98 40	67346 73 22
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	134133 04 79	107754 81 90
योग/TOTAL	215134 57 88	182021 86 51
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित)/ Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	163398 65 44	137943 47 27
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	7093 91 01	4235 08 66
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	44642 01 43	39843 30 58
योग/TOTAL	215134 57 88	182021 86 51
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	79734 23 16	68904 67 82
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sectors	27598 02 10	24340 82 55
(iii) बैंक/Banks	3956 55 49	1779 75 22
(iv) अन्य/Others	79335 07 21	62438 38 70
योग/TOTAL	190623 87 96	157463 64 29
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल		
(a) Bills Purchased and Discounted	2470 95 29	3087 68 91
(ख) सामूहिक उधार		
(b) Syndicated loans	18499 69 61	19290 06 05
(ग) अन्य		
(c) Others	3540 05 02	2180 47 26
योग/TOTAL	24510 69 92	24558 22 22
कुल योग (इ-I एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	215134 57 88	182021 86 51

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
I. परिसर/ Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	364 58 97	343 52 57
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	- 50 12	41
	364 08 85	343 52 98
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन Additions/adjustments during the year	6 52 25	21 23 84
	370 61 10	364 76 82
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	10 39	17 85
	370 50 71	364 58 97
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	3256 00 86	3245 43 82
	3626 51 57	3610 02 79
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	-
	3626 51 57	3610 02 79
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	401 83 64	391 50 96
योग/ TOTAL	3224 67 93	3218 51 83
II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं)		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	2717 55 16	2438 69 91
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	- 25 22	19 42
	2717 29 94	2438 89 33
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	368 66 20	332 55 81
	3085 96 14	2771 45 14
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	34 75 04	53 89 98
	3051 21 10	2717 55 16
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	2485 16 03	2219 43 57
योग/ TOTAL	566 05 06	498 11 59
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal		
निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
योग/TOTAL	-	-
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	61 22 04	64 83 91
योग/TOTAL		
कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II & III+IV)	3851 95 03	3781 47 33

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां Schedule 11— OTHER ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)	—	220 81 67
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	2098 91 07	2050 84 34
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	146 46 76	160 97 75
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप/Stationery and Stamps	4 24 61	4 87 15
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	5978 04 00	7313 37 00
VII. अन्य/Others	4867 48 73	6207 47 74
योग/TOTAL	13095 15 17	15958 35 65

अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2025 ₹	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2024 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	210 33 77	199 86 18
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	1 10 52	2 28 87
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	107561 36 98	40827 85 23
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents - क) भारत में A) In India	7912 62 57	6487 52 81
ख) भारत के बाहर B) Outside India	29 39 14	23 75 17
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	4674 60 80	4874 81 70
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other Items for which the bank is contingently liable #	8444 81 93	8534 88 96
योग/ TOTAL	128834 25 71	60950 98 92
# इसमें आईआरएस शामिल हैं/Includes IRS	4315 40 46	5502 78 96

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹
I. ब्याज/अग्रिमों पर बट्टा/बिल/Interest/Discount on Advances/Bills	17117 09 32	14162 19 26
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	6346 74 14	6123 81 21
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	1502 05 15	1410 90 27
IV. अन्य/Others	101 02 53	157 42 84
योग/TOTAL	25066 91 14	21854 33 58

अनुसूची 14 — अन्य आय Schedule 14 — OTHER INCOME

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)	265 83 79	262 52 12
II. निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments	395 36 81 <u>1 48 78</u>	367 06 49 <u>367 06 49</u>
III. निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से लाभ Profit on Revaluation of Investments घटाएं : निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से हानि Less: Loss on Revaluation of Investments	13 89 53 <u>-38 45 67</u>	655 16 33 <u>414 15 53</u>
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	1 12 71 <u>71 86</u>	115 40 <u>57 61</u>
V. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	321 92 24 <u>376 99 03</u>	50 16 72 <u>20 28 06</u>
VI. भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	8 69 10	4 05 03
VII. विविध आय/ Miscellaneous Income #	3740 53 25	2360 42 05
योग/TOTAL	4406 63 43	3265 52 94

इसमें राइट ऑफ अकाउंट्स की रिकवरी शामिल हैं /

Includes Recovery in Written Off Accounts

2623 53 62

551 30 16

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH, 2025

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज

Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹
I. जमा राशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	13068 00 09	11833 15 48
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	1805 74 31	1493 80 76
III. अन्य/Others	563 08 33	426 59 31
योग/TOTAL	15436 82 73	13753 55 55

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय

Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	5453 10 54	4886 66 56
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	434 92 41	332 18 16
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	45 63 37	43 48 48
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	13 98 68	9 22 33
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास/ Depreciation on Bank's Property	311 25 82	280 92 27
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय/ Directors' fees, allowances and expenses	1 21 57	1 21 36
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा-लेखापरीक्षकों सहित)/ Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	45 60 06	46 43 85
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	4 14 65	3 46 84
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	19 21 23	16 50 27
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	20 34 50	19 57 07
XI. बीमा/Insurance	395 04 86	288 65 51
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	1254 93 14	861 73 69
योग/TOTAL	7999 40 83	6790 06 39

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न और उसका भाग)

1. सामान्य

1.1 लेखांकन का आधार

ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, लाभकारी कारोबारवाली संस्था की संकल्पना के तहत लेखांकन के परंपरागत लागत एवं प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के तात्त्विक परिवर्तन के अनुरूप हैं। इनमें भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रयोज्य एवं सामान्यतः प्रचलित रीतियों की सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा निर्धारित प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानक निहित हैं। विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के मामले में, विशेष रूप से उल्लेख किए गए को छोड़कर, विदेशों में लागू सांविधिक प्रावधानों एवं लेखांकन प्रथाओं का अनुपालन किया गया।

1.2 अनुमानों का उपयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा समीक्षा अवधि के दौरान आय-व्यय की रिपोर्टिंग करते समय प्रबंधन को अनुमान लगाने होते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि उक्त वित्तीय विवरण तैयार करने में लगाए गये अनुमान सटीक और वाजिब हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखा अनुमान मौजूदा एवं भविष्य की अवधियों में प्रत्याशित रूप से चिह्नित किया जाएगा।

2. अग्रिम

- 2.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है और अग्रिम के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है।
भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।
- 2.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान संबंधित विदेशी राज्यों में लागू नियामक अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।
- 2.3 मानक पुनर्संरचित आस्तियों एवं परियोजना ऋण के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेक सम्मत दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुसार किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ग्लोबल पोर्टफोलियो के आधार पर मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए जाते हैं।
- 2.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।
- 2.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बड़े खाते डाले जाते हैं।
- 2.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बड़े खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।
- 2.7 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है जिसे पुनर्संरचना किए जाने के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य बीच के अंतर को उपलब्ध कराना होता है। शुद्ध अग्रिम का आकलन करते समय उचित मूल्य (डीएफयू) में कमी के लिए प्रावधान एवं उपर्युक्त के फलस्वरूप ब्याज में कमी लाई जाती है।
- 2.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बड़े डाले गए कर्ज में वसूली गई राशि को वसूली वर्ष में राजस्व के रूप में दिखाया जाता है।
- 2.9 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्ति की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है।

3. निवेश

- 3.1 बैंक निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए सावधानीपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।
- 3.2 निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं:

- परिपक्वता तक रखे जाने वाले
- बिक्री के लिए उपलब्ध
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य निर्धारण। व्यापार के लिए रखे गए निवेश एक अलग उप-श्रेणी के रूप में रखे जाएंगे।

सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में किए गए सभी निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा। बैलेंस शीट में रिपोर्टिंग के लिए, निवेशों को आगे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, शेयर, ऋणपत्र और बांड, सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उपक्रम तथा अन्य।

3.3

- i. परिपक्वता तक रखे गए निवेशों को उनकी लागत पर रखा जाता है। इन प्रतिभूतियों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को सीधी रेखा विधि के अनुसार शेष अवधि में समायोजित किया जाता है। बिक्री पर प्राप्त लाभ को प्रारंभ में लाभ-हानि खाते में लिया जाता है और फिर करों की कटौती और सांविधिक आरक्षित खाते में स्थानांतरण के बाद पूंजी आरक्षित खाते में स्थानांतरित किया जाता है। संपत्ति की बिक्री पर होने वाला नुकसान सीधे लाभ-हानि खाते में लिया जाता है।
 - ii. बिक्री के लिए उपलब्ध निवेशों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। इन प्रतिभूतियों की अधिग्रहण लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को सीधी रेखा विधि से समायोजित किया जाता है। सभी निवेशों की समग्र मूल्यांकन वृद्धि या गिरावट को सीधे एक आरक्षित खाते में लिया जाता है, बिना इसे लाभ-हानि खाते से गुजारने की आवश्यकता।
 - ii. उचित मूल्य निर्धारण श्रेणी में रखे गए निवेशों का उचित मूल्यांकन किया जाता है, और उत्पन्न शुद्ध लाभ या हानि सीधे लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाता है। इन प्रतिभूतियों का दैनिक मूल्यांकन किया जाता है, और इनमें छूट या प्रीमियम को सीधी रेखा विधि से समायोजित किया जाता है।
- 3.4 सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में किए गए निवेशों को उनकी अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- 3.5 वाणिज्यिक पत्र और कोषागार बिल को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- 3.6 प्रसारित या उद्धृत निवेशों के लिए, बाजार मूल्य को स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध मूल्य के आधार पर लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार मूल्य या वित्तीय बैचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घोषित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।
- 3.7 अप्रकाशित निवेशों के लिए, इनकी कीमत नवीनतम बैलेंस शीट के ब्रेकअप मूल्य के आधार पर तय की जाती है, जो 12 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए; अन्यथा, प्रति कंपनी ₹1 की दर से मूल्यांकन किया जाता है।
- 3.8 बैंक द्वारा किए गए निवेशों को वसूली रेटिंग के आधार पर घोषित शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।
- 3.9 निवेश लेन-देन पर आयोग, दलाली और टूटा हुआ अवधि ब्याज सीधे लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाता है।
- 3.10 बैंक निवेशों से आय की मान्यता और गैर-प्रदानकारी निवेशों के निर्धारण एवं प्रावधान के लिए सावधानीपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

4. संपदा, सयंत्र एवं उपकरण

- 4.1 भूमि तथा भवन को छोड़ कर संपदा, सयंत्र एवं उपकरण की मदों के लिए लागत मॉडल का उपयोग कर संचित मूल्य ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले अधिशेष को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि में जमा किया गया है।
- 4.2 भारत में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उचित मानी गई अवमूल्यन की दर तथा उसे भारित करने की पद्धति निम्नानुसार हैं:-

परिसंपत्ति की श्रेणी	अवमूल्यन		मॉडल
	दर	पद्धति	
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत भूमि सहित भूमि	शून्य	शून्य	पुनर्मूल्यांकन
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत धारित भूमि पर भवन सहित भवन	शेष उपयोगी जीवन में परिशोधित	एस एल एम	पुनर्मूल्यांकन
अन्य पट्टाधृत भूमि एवं भवन तथा ऐसी पट्टाधृत भूमि पर भवन	पट्टे की अवधि में परिशोधित	एस एल एम	लागत
फर्नीचर और उपस्कर	18.10	डब्ल्यूडीवी	लागत
कार्यालय उपकरण	20.00	डब्ल्यूडीवी	लागत
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, वातानुकूलन मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपी मशीन इत्यादि	20.00	डब्ल्यूडीवी	लागत
मशीनरी जैसे, फ्रैंकिंग मशीन, ऑफिस मशीनरी, तोलन मशीन, टाइप राईटर, एडिंग मशीन, डुप्लिकेटिंग मशीन	13.91	डब्ल्यूडीवी	लागत
मोटर वाहन	25.89	डब्ल्यूडीवी	लागत
साइकिल	20.00	डब्ल्यूडीवी	लागत
कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के सहायक उपकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार) *	33.33	एस एल एम	लागत

* कंप्यूटर हार्डवेयर के आंतरिक हिस्सा वाले सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर 33.33% की दर पर किया जाता है।

- 4.3 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।
- 4.4 पुनर्मूल्यन के कारण अतिरिक्त मूल्यहास की सममूल्य राशि पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आस्ति निधि में अंतरित की जाती है।
- 4.5 कम मूल्य की संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण की मदें जिनकी लागत ₹1000/- तक है को प्रभारित किया गया है जबकि ऐसी मदें जिनकी लागत ₹1001/- से लेकर ₹5000/- है प्रत्येक को जिस तिमाही में इसे क्रय किया गया है 100% की दर से मूल्यहास प्रभारित किया गया है।
- 4.6 30 सितंबर तक के लिए योग पर मूल्यहास संपूर्ण दर पर तथा इसके बाद योग पर आधे दर पर मूल्यहास किया गया है।

5. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव

5.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन

- विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।
- विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीआई) की बंद / हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।
- विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।
- विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।
- मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।
- बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।
- जो विदेशी विनिमय स्वैप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्केट टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वाप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वैप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

5.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अदला-बदली

- मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंदी विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।
- गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।
- गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षित में संचित किया जाता है।

6. कर्मचारी हितलाभ

6.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में सेवावधि के दौरान उनकी सेवा के लिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

6.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

सेवोपरांत हितलाभ

अ/आ) निर्धारित अंशदान योजना

- एनपीएस भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा में भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।
- 1 अप्रैल 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कर्मचारी वेतन व महंगाई भत्ते (DA) का 10% अंशदान करते हैं और बैंक वेतन व महंगाई भत्ते का 14% अंशदान करता है। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से लागू की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होती है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।

आ) निर्धारित हितलाभ योजना

बैंक ग्रेज्युटी और पेंशन योजनाएं संचालित करता है, जो कि निर्धारित लाभ योजनाएं (Defined Benefit Plans) हैं।

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेज्युटी प्रदान करता है। यह लाभ सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, मृत्यु या सेवा के दौरान किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण अक्षम हो जाने की स्थिति में पात्र कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है। भुगतान की राशि निम्न में से जो भी अधिक हो, उसके अनुसार निर्धारित होती है:

- ग्रेज्युटी अधिनियम, 1972 के अनुसार: प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा या छह महीने से अधिक की आंशिक सेवा के लिए, अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर पंद्रह दिनों के वेतन के हिसाब से ग्रेज्युटी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹20,00,000/- तक है।
- OSR/ द्विपक्षीय समझौते (Bipartite) के अनुसार: प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए एक माह का वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा 15 माह के वेतन तक

है। यदि कोई अधिकारी 30 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण करता है, तो उसे 30 वर्षों से अधिक प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए आधे माह के वेतन के अतिरिक्त भुगतान के रूप में ग्रेजुटी दी जाएगी।

वेस्टिंग (अधिकार प्राप्ति) सेवा के पाँच वर्षों (ग्रेजुटी अधिनियम, 1972) या दस वर्षों (OSR/ द्विपक्षीय समझौते, जैसा लागू हो) के पूर्ण होने पर होती है। बैंक एक स्वतंत्र बाह्य गणनाकार (Actuary) द्वारा नियमित अंतराल पर किए गए आंकिक मूल्यांकन के आधार पर एक ट्रस्टी द्वारा प्रशासित कोष में वार्षिक अंशदान करता है।

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन भी प्रदान करता है। यह लाभ सेवा समाप्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या नियमन के अनुसार सेवा समाप्ति की स्थिति में वेस्टिंग होने पर मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। वेस्टिंग विभिन्न नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में होती है। बैंक एक स्वतंत्र बाह्य गणनाकार द्वारा नियमित रूप से किए गए आंकिक मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्टी द्वारा प्रशासित कोष में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है, साथ ही प्रत्येक माह वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है।

निर्धारित लाभ प्रदान करने की लागत परियोजना इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर गणनाकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जो सामान्यतः त्रैमासिक आधार पर की जाती है। शुद्ध देनदारियों को लाभ-हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है और इन्हें स्थगित नहीं किया जाता।

इ) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

क. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

ख. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

ग. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

6.3 विदेशी शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी हित लाभ का मूल्यांकन एवं लेखा जोखा संबंधित स्थानिय विधि/विनियमों के अनुसार किया जाता है।

7. ब्याज दर स्वेप

7.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वेप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यहास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

7.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वेप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वेप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्तिय या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

7.3 क्रय-विक्रय स्वेप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

7.4 क्रय-विक्रय स्वेप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

8. आस्तियों की अनर्जकता

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु संपदा सयंत्र एवं उपकरण की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बड़ाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्ति के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है।

9. गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां

गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों को लागत के रूप में वर्णित किया जाता है

10. राजस्व की पहचान

10.1 उपचय आधार पर आय की पहचान की जाती है, जब तक अन्यथा न कहा जाए।

10.2 विदेशी कार्यालयों के मामले में स्थानीय नियम/संबंधित देश के मानकों अनुसार आय की पहचान की जाती है।

10.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों निवेशों से आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है।

10.4 साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने पर प्राप्त कमीशन का निर्धारण साख पत्र/बैंक गारंटी की आवधि के आधार पर होता है। लाभान्श का हिसाब उसके प्राप्ति के अधिकार के स्थापित होने पर किया जाता है।

10.5 किराया आय, म्यूचुअल फंडों एवं विभिन्न जमा खातों के सेवा प्रभार से प्राप्त आय की पहचान वसूली के आधार पर की जाती है।

10.6 आयकर रिफंड पर ब्याज की पहचान वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर की जाती है।

10.7 निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है।

10.8 बड़े खाते डाले गए अग्रिमों में वसूली/निवेश का लेखा जोखा "विविध आय" में रखा जाता है।

11. पट्टा

ए एस 19 के अनुसार-पट्टे, परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के पट्टे के भुगतान की पहचान पट्टे की अवधि हेतु लाभ और हानि खाते में की जाती है तथा वित्तीय पट्टे के मामले में परिसंपत्तियों की पहचान पट्टे के प्रीमियम के लागत के रूप में लेखा बही में की जाती है तथा यह पट्टे की अवधि के साथ परिशोधित हो जाती है।

12. आय पर कर

12.1 चालू कर

लागू कर नियमों, न्यायिक उद्घोषणाओं/वैधिक मतों एवं विगत मूल्यांकन के आधार पर कर योग्य निर्धारित आय पर, लागू ब्याज दर के अनुसार चालू कर उपलब्ध करवाया जाता है।

12.2 आस्थगित कर

क/अ) आस्थगित कर, कर योग्य आय एवं लेखा आय में होने वाले एक समय अंतर को यथोचित रूप में लेने तथा एक या अधिक परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किए जाने को संकेतित करने वाला मान्य विषय है।

ख/ब) आय पर कर के हेतु लेखा मानक 22 द्वारा अधिनियमित अथवा तुलन पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर दर का उपयोग करते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताओं की पहचान की जाती है।

ग/क) प्रबंधन का निर्णय के अनुसार आस्थगित कर/देयताओं की वसूली निश्चित रूप से होगी या नहीं इसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

घ) असमाविष्ट मूल्य ह्रास एवं कर हानि को आगे बढ़ाने से आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान तभी होगी जब विश्वसनीय प्रभावयुक्त अमूर्त निश्चितता हो ताकि इस प्रकार की आस्थगित कर परिसंपत्ति को भविष्य में होने वाले लाभ से प्राप्त किया जा सके।

13. प्रति शेयर अर्जन

13.1 बैंक एएस 20 —'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।

13.2 प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

14. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स)

बैंक बहुत कम ही डेरिवेटिव्स यथा विदेशी वायदा संविदा, ब्याज-दर एवं मुद्रा डेरिवेटिव्स का काम करता है। रुपया ब्याज दर स्वेप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वेप, वायदा दर करार एवं ब्याज दर फ्यूचर बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले ब्याज-दर डेरिवेटिव्स हैं। मुद्रा स्वेप एवं मुद्रा फ्यूचर बैंक के साथ मुद्रा डेरिवेटिव्स संव्यवहार करने वाले विकल्प हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार डेरिवेटिव्स का मूल्यंकन निम्नप्रकार से किया जाता है:

(क) बचाव-व्यवस्था पर आय/व्यय का आकलन उपचय आधार पर किया जाता है।

(ख) विदेशी वायदा संविदा बाजार के लिए चिह्नित होता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

(ग) विनिमय व्यापार अनुबंध व्यापार उद्देश्य से किया जाता है जिसका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित दर के आधार पर मौजूदा बाजार के अनुसार किया जाता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

(घ) व्यापार स्वेप के समाप्ति से होने वाले हानि/लाभ को समाप्ति की तारीख में आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रतिरक्षा स्वेप की समाप्ति से होने वाले किसी लाभ/हानि को आस्थगित रखा है और स्वेप की बची हुई संविदागत अवधि या नामित आस्ति/देयताओं की शेष बची हुई अवधि के अनुसार चिह्नित किया जाता है।

(ङ) लाभ एवं हानि लेखे में देय रहने पर मुद्रा विकल्प के लिए प्रदत्त एवं प्राप्त प्रीमियम को लेखे में शामिल किया जाता है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्ति संबंधी लेखा विधि

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

16. खंड रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 अनुपालन कर व्यवसायिक खंड को प्राथमिक खंड रिपोर्टिंग के रूप में एवं भौगोलिक खंड को गौण मान्यता प्रदान करता है।

Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(Annexed to and Forming Part of Consolidated Financial Statement for the year ended 31st March, 2025)

1. GENERAL

1.1 BASIS OF ACCOUNTING

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost convention and on accrual basis of accounting unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to the extent applicable and generally the practices prevailing in the banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

1.2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the Management to make estimates and assumptions while reporting assets and liabilities (including contingent liabilities) as at the date of the financial statements and income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

2. ADVANCES:

2.1 Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI and provisions for advances are made as per prudential norms of the Reserve Bank of India.

Non-performing advances in India are ascertained as per the prudential norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

2.2 Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of regulatory requirement prevailing at the respective foreign countries or RBI guidelines whichever is higher.

2.3 Provision on standard restructured assets and project loans have been made as per RBI prudential norms and directives. A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis as per prudential norms of RBI.

2.4 The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue is treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked

2.5 In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realization.

2.6 Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

2.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require the difference between the fair value of loan before and after restructuring is provided, in addition to provisions for NPAs. The provision for diminution in fair value (DFU) and interest sacrifice arising out of the above is reduced while arriving at net advance.

2.8 Amount recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

2.9 Sale of Financial asset to Securitised Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines.

3. INVESTMENTS

3.1 Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India for classification, valuation and operation of investment portfolio.

3.2 Investments are classified into following categories

- i) Held to Maturity
- ii) Available for Sale
- iii) Fair Value through Profit & Loss. Held for Trading (HFT) shall be a separate investment sub-category within FVTPL.

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL). For Reporting in Balance Sheet, Investments are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

3.3 (i) Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Any discount or premium on the securities under HTM shall be amortised over the remaining life of the instrument as per straight line method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

(ii) Investments classified as Available for Sale, are fair valued on a daily basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS is amortised over the remaining life of the instrument as per Straight Line method. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS is aggregated. The net appreciation or depreciation is directly credited or debited to a reserve named AFS-Reserve without routing through the Profit & Loss Account.

(iii) Investments held in FVTPL are fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities that are classified under the FVTPL are fair valued on a daily basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL is amortised over the remaining life of the instrument as per straight line method.

3.4 Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures are valued at acquisition cost.

3.5 Investment in Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

3.6 In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Financial Benchmarks India Private Ltd. (FBIL). For securities whose prices are not published by FBIL, the fair value of the quoted security shall be based upon quoted price as available from the trades/ quotes on recognised stock exchanges, reporting platforms or trading platforms authorized by RBI/SEBI.

3.7 In respect of unquoted investments:- at breakup value (without considering Revaluation Reserve, if any) as per the latest Balance sheet (not more than 12 months old) otherwise Rs. 1 per company.

3.8 Investments by Bank in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. Provided that when transferors invest in the SRs/PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by them to the ARC, the transferors shall carry the investment in their books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer. SRs guaranteed by the Government of India are valued by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. However, any unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account on account of fair valuation of such investments is deducted from CET 1 capital, and no dividends be paid out of such unrealized gains.

3.9 Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction. Broken period interest paid/received on debt instruments are excluded from cost/sale consideration.

3.10 The bank follows the prudential norms for recognition income from investments and for ascertaining and provisioning non-performing investments.

4. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

4.1 Items of property, plant & equipment except land and building are stated at historical cost less accumulated depreciation using cost model. Land and building are stated at revalued amount less accumulated depreciation using revaluation model. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

4.2 The rates of depreciation and method of charging depreciation as considered appropriate by the management in respect of fixed assets situated in India are as below:-

CATEGORY OF ASSETS	Depreciation		Model
	Rate	Method	
Land including land held under long-term or perpetual/renewable lease	NIL	NA	Revaluation
Building including building on land held under long-term or perpetual/renewable lease	Amortized over remaining useful life	SLM	Revaluation
Other lease-hold land & building and building on such leasehold land	Amortized over lease period	SLM	Cost
Furniture and Fixtures	18.10	WDV	Cost
Office Equipment	20.00	WDV	Cost
Electrical Installation, Air-conditioning Machinery, Refrigerator, Photo copying Machine etc.	20.00	WDV	Cost
Machinery e.g. Franking machine, office machinery, weighing machine typewriter, adding machine, Duplicating Machine	13.91	WDV	Cost
Motor Vehicle	25.89	WDV	Cost
Cycle	20.00	WDV	Cost
Computers and computer peripherals (as per RBI guidelines) *	33.33	SLM	Cost

* Depreciation on computer software including the software forming integral part of computer hardware is provided at Straight Line Method at the rate of 33.33%.

4.3 Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

4.4 Equivalent amount of additional depreciation arising out of revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

4.5 Items of property, plant and equipment of small value costing upto Rs.1000 each are charged off whereas items costing between Rs.1001 and Rs.5000 each are depreciated @ 100% in the quarter in which the same are purchased.

4.6 Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

5. EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

5.1 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.
- ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/spot rate.
- iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- iv) Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.
- v) Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.
- vi) Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of each month.
- vii) The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

5.2 FOREIGN OPERATIONS

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as non-integral operations.

Translation

- i) Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.
- ii) Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.
- iii) Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

6. EMPLOYEE BENEFITS

6.1 Short Term Employee Benefits

Short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid in exchange for the services rendered by employees are recognized during the period when the employee renders the service.

6.2 Long Term Employee Benefits

Post-employment Benefits

A) Defined Contribution Plan

- a) Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

- b) The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA the bank makes a contribution of 14% of the Pay plus DA. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

B) Defined Benefit Plan

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans. The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum / onetime payment to vested employees on superannuation or retirement or resignation or death or disablement due to accident or disease while in employment, for an amount equivalent to :

1. As per Gratuity Act 1972, For every completed year of service or part thereof in excess of six months, gratuity to an employee at the rate of fifteen days' wages based on the rate of wages last drawn by the employee concerned, subject to a maximum amount of Rs.20,00,000/- or
2. As per OSR/ Bipartite, the amount of gratuity shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 months' pay. Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years (Payment of Gratuity Act, 1972) / ten years (OSR/ Bipartite) (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

C) Other Long Term Employee benefits

- a. All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long-term employee benefits are internally funded by the Bank.
 - b. The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.
 - c. Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post-retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.
- 6.3 Employee benefits relating to employees employed at foreign branches and offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

7. INTEREST RATE SWAPS

- 7.1 The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation is provided for whereas appreciation, if any, is ignored.
- 7.2 Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.
- 7.3 Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.
- 7.4 Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

8. IMPAIRMENT OF ASSETS

Items of property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

9. NON-BANKING ASSETS

Non-Banking Assets are stated at cost.

10. REVENUE RECOGNITION

- 10.1 Income is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.
- 10.2 In respect of foreign offices, income is recognized as per local laws/ standards of respective country.
- 10.3 Income from non-performing assets/investments is recognized on realization basis in terms of RBI guidelines.
- 10.4 Commission on issuance of Letters of Credit/ Bank Guarantees is recognized over the tenure of LC/BG. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.
- 10.5 Rental Income, Income on Units of Mutual Funds and Service Charges on various Deposit Accounts are recognized on realization basis.
- 10.6 Interest on Income-tax refund is recognized in the year it was actually received.
- 10.7 Profit or loss on sale of investments is recognized as per RBI guidelines.
- 10.8 Recoveries in Written off Advances / Investments are accounted for as 'Miscellaneous Income'.

11. LEASE

In accordance with AS 19 - Leases, lease payments for assets taken on operating lease are recognized in the profit & loss account over the period of lease and in respect of assets taken on finance lease, the asset is recognized in the books taking the lease premium as the cost and the same is amortized over the period of the lease.

12. TAXES ON INCOME

12.1 Current Tax

Current tax is provided using applicable tax rates on the taxable income determined on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

12.2 Deferred Tax

- a) Deferred Tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing difference, representing the difference between the taxable income and accounting income that originated in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

- b) Deferred tax asset or liability is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income.
- c) Deferred tax assets/liabilities are re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain.
- d) Deferred Tax Assets on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses are recognized only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

13. EARNINGS PER SHARE

- 13.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.
- 13.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. Derivatives

The Bank rarely deals in derivatives i.e. Forex Forward Contracts, interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

- (a) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.
- (b) Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.
- (c) Exchange Traded Contracts entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.
- (d) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.
- (e) Premium paid and received on currency options is accounted when due in the profit and loss account.

15. ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In conformity with Accounting Standard AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

16. Segment Reporting

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

अनुसूची / SCHEDULE 18

अनुबंध III / Annexure III

लेखे के संबंध में टिप्पणियां (समेकित)/ NOTES ON ACCOUNTS (Consolidated)

1. विनियामक पूंजी / Regulatory Capital:

ए/अ) नियामक पूंजी की संरचना/Composition of Regulatory Capital

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे/Items	चालू वर्ष/ Current Year	पिछला वर्ष/ Previous Year
	बासेल/Basel-III	बासेल/Basel-III
(i) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)/ Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	23562.49	17382.52
(ii) अतिरिक्त टियर 1 पूंजी /Additional Tier 1 capital	500.00	500.00
(iii) टियर 1 पूंजी/Tier 1 capital (i + ii)	24062.49	17882.52
(iv) टियर 2 पूंजी/Tier 2 Capital	3133.60	3024.15
(v) कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)/Total capital (Tier 1+Tier 2)	27196.09	20906.67
(vi) कुल जोखिम अनिर्धारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) / Total Risk Weighted Assets (RWAs)	147441.86	123607.64
(vii) सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)* / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs)	15.98	14.06
(viii) टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)/ Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	16.32	14.46
(ix) टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)/ Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.13	2.45
(x) पूंजी-जोखिम अनिर्धारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)/ Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	18.45	16.91
(xi) उत्तोलन अनुपात/Leverage Ratio		
(xii) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत/ Percentage of the shareholding of Government of India	90.95	95.39
(xiii) वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि/ Amount of paid-up equity capital raised during the year	583.60	-
(xiv) वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि; अ) बासेल III अनुपालन स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)/ Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year; a) Basel III compliant Perpetual Debt Instrument (PDI):	0.00	0.00
(xv) वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि;/ Amount of Tier 2 capital raised during the year;	0.00	0.00

बी) रिज़र्व से ड्रा डाउन - शून्य

b) Draw Down from Reserves - Nil

2. आस्ति देयता प्रबंध/Asset Liability Management

ए) दिनांक 31.03.2025 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूपः/

a) Maturity pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.3.2025:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण	1दिन	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 30 दिन तक	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से अधिक से लेकर 3 माह तक	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक	1 वर्ष अधिक से लेकर 3 वर्ष तक	3 वर्ष तक अधिक से लेकर 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
PARTICULARS	1 Day	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31days to 2 months	Over 2 months and upto 3 months	Over 3 months and upto 6 months	Over 6 months and upto 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 years and upto 5 year	Over 5 years	Total
जमा/Deposits	3,017	7,969	3,354	12,006	19,121	10,927	40,229	71,826	35,735	10,063	79,295	2,93,542
अग्रिम / Advances	1361	4813	4835	3583	4701	6882	12105	18559	30153	28476	104516	219985
निवेश / Investments	899	927	155	552	1,349	654	635	2,047	11,520	18,558	57,571	94,868
उधार/Borrowings	43	5,000	39	-	296	2,005	1,033	4,296	12,821	2,654	500	28,688
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	1,381	3,736	756	1,613	2,592	4,988	7,090	9,145	16,880	6,322	1,526	56,027
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	438	617	521	976	3,829	4,739	9,646	14,825	18,736	2,475	4,005	60,806

ख) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) /b) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosure:

चलनिधि कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio: (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	30.06.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2024		30.09.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2024		31.12.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2024		31.03.2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2025	
	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां/ High Quality Liquid Assets								
1 कुल उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तिया (HQLA) Total High quality Liquid Assets(HQLA)		64,059.74		67,480.57		63,377.25		61,461.36
नकदी निकासी/Cash Outflows								
2 खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा, जिनमें से Retail Deposit and deposits from small business customers, of which	1,81,227.44	18,057.44	1,86,251.22	18,557.79	1,89,152.56	18,849.20	1,86,861.44	18,603.42
(i) स्थिर जमा /Stable Deposit	1,306.05	65.30	1,346.71	67.34	1,321.13	66.06	1,654.41	82.72
(ii) अल्प स्थिर जमा/Less Stable Deposit	1,79,921.38	17,992.14	1,84,904.51	18,490.45	1,87,831.43	18,783.14	1,85,207.03	18,520.70
3 अरक्षित थोक वित्त पोषण, जिनमें से Unsecured Wholesale Funding, of which	68,396.14	26,544.17	72,301.58	28,906.65	68,693.46	26,637.88	75,633.02	30,616.28
(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Operational Deposits (All Counter Parties)	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Non- Operational Deposits (All Counter Parties)	68,396.14	26,544.17	72,301.58	28,906.65	68,693.46	26,637.88	75,633.02	30,616.28
(iii) अप्रतिभूत ऋण/Unsecured Debt								
4 प्रतिभूत थोक निधियन / Secured Wholesale Funding		-		-		-		-
5 अतिरिक्त जरूरतें, जिनमें/ Additional Requirements, of Which	22,675.81	4,110.66	24,895.17	4,104.13	27,398.82	4,237.75	31,058.96	4,498.38
(i) व्युत्पन्न एक्सपोजर एवं अन्य संपार्श्विक जरूरतों से संबंधित निकासी Outflows related to derivative exposures and other Collateral Requirements	879.02	879.02	554.24	554.24	932.55	932.55	953.95	953.95

	30.06.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2024		30.09.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2024		31.12.2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2024		31.03.2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2025	
	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित निकासी Outflows related to loss of funding on debt Products	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं Credit and Liquidity facilities	12,796.79	3,231.64	24,340.93	3,549.89	34,655.98	4,124.17	35,842.15	4,118.15
6 अन्य संविदा निधियन दायित्व Other Contractual funding Obligations	1,746.67	1,746.67	2,082.78	2,082.78	2,204.23	2,204.23	3,037.60	3,037.60
7 अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other Contingent Funding Obligations	12,647.84	401.07	13,078.67	414.45	12,686.66	380.60	12,982.38	389.47
8 कुल नकदी निकासी/ Total Cash Outflows		50,861.01		54,065.80		53,128.63		57,718.87
नकदी आगमन/ Cash Inflows								
9 प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured Lending (eg. Reverse Repos)	124.14	124.14	217.29	217.29	100.01	100.01	1.39	1.39
10 पूर्णतः अर्जक एक्सपोजर से आगमन Inflows from Fully Performing Exposures	4,399.97	3,317.69	6,488.90	5,224.44	5,142.99	4,020.65	7,267.83	6,222.55
11 अन्य नकदी आगमन/ Other Cash inflows	348.34	348.34	648.30	648.30	1,065.72	1,065.72	1,290.17	1,286.42
12 कुल नकदी आगमन/Total Cash inflows	4,872.45	3,790.09	7,354.49	6,090.03	6,308.72	5,186.38	8,559.39	7,510.36
13 कुल एचक्यूएलए/ Total HQLA		64,059.74		67,480.57		63,377.25		61,461.36
14 कुल निवल नकदी निकासी/ Total Net Cash Outflow		47,070.93		47,975.77		47,942.25		50,208.51
15 चलनिधि कवरेज अनुपात/ Liquidity Coverage Ratio (%)		136.09%		140.66%		132.19%		122.41%

*2024-25 का औसत एलसीआर यानी अप्रैल 2025 से मार्च 2025 = 132.70% / Average of Daily LCR of 2024-25, i.e. April 2024 to March 2025 = 132.70%

एलसीआर डेटा और परिणाम का गुणात्मक मूल्यांकन:

तरलता कवरेज अनुपात (LCR) की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई है कि बैंक पर्याप्त स्तर पर अप्रभावित उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLAs) बनाए रखे, जिसे अगले 30 कैलेंडर दिनों के समय के लिए अपने तनावग्रस्त बहिर्वाह को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सके। RBI ने बैंकों को बैंक स्तर पर न्यूनतम 100% LCR बनाए रखने का आदेश दिया है।

तदनुसार, बैंक बैंक स्तर पर एलसीआर का खुलासा कर रहा है। बैंक की हांगकांग और सिंगापुर में दो विदेशी शाखाएँ हैं, जिनके लिए अलग से एलसीआर की आवश्यकता नहीं है।

एलसीआर के संचालक:

बैंक मुख्य संचालन को निरंतर आधार पर न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से काफी ऊपर एलसीआर को बनाए रखता है, जो निम्नप्रकार हैं:

संचालक / Drivers	विवरण/Particulars
उच्च गुणवत्ता वाली चल परिसंपत्तियों का स्तर (एचक्यूएलए) Level of High Quality Liquid Assets (HQLA)	बैंक अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एचक्यूएलए का पर्याप्त स्तर बनाए हुए है, अर्थात् डीटीएल का 18% जिसे आसानी से परिसमाप्त किया जा सकता है या तनावपूर्ण स्थितियों में त्वरित तरलता उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 31.03.2025 तक बैंक के पास अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता से अधिक डीटीएल का 5.19% हिस्सा था। The Bank is maintaining substantial level of HQLA in the form of Government Securities in excess of the mandatory SLR requirement, i.e. 18% of DTL which can be easily liquidated or could be used for generating quick liquidity in stressed conditions. Bank was holding 5.19% of DTL in excess of mandatory SLR requirement as on 31.03.2025.
रिटेल जमा/लघु कारोबार करने वाले ग्राहकों से निधि की प्राप्ति Funding from Retail Deposits / Small Business Customers	चूंकि खुदरा ग्राहकों से मिलने वाले वित्तपोषण के साथ-साथ छोटे व्यवसाय ग्राहकों से मिलने वाले वित्तपोषण को तनाव की स्थिति में स्थिर माना जाता है, इसलिए बैंक इन स्रोतों से वित्तपोषण प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और कॉर्पोरेट जमा तथा बैंक/एफआई/एनबीएफसी से मिलने वाले जमा पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। वर्तमान में, 31.03.2025 तक इस खंड में बैंक की जमा राशियों की कुल संरचना कुल वैश्विक जमा राशियों का 69.09% है। As funding from Retail customers as well as funding from Small business customers are considered stable during Stress Scenario and accordingly, Bank is focusing on sourcing funding from these sources and is reducing its dependence on corporate deposits and deposits from Bank / FI / NBFC. Presently, Bank's total composition of Deposits in this segment is 69.09% of Total Global Deposits as on 31.03.2025.

उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियाँ (एचक्यूएलए): हमारे एचक्यूएलए में निम्नांकित शामिल हैं:

• स्तर 1 की परिसंपत्तियाँ

- उपलब्ध तैयार नकदी जिसमें सीआरआर के अतिरिक्त मौजूद नकदी रिजर्व शामिल है।
- बाध्यकारी एसएलआर के अतिरिक्त मौजूद सरकारी प्रतिभूतियाँ।
- एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मियादी देयताओं के 2% तक की सीमांत स्थायी सुविधा।
- तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा कुल निवल मांग और समय देनदारियों के 16 प्रतिशत तक की सीमा में एसएलआर वाली प्रतिभूतियों के रूप में उपलब्ध है।

• स्तर 2 की परिसंपत्तियाँ (बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा जारी न की गई)

• स्तर 2ए परिसंपत्तियाँ - 15% हेयरकट के साथ

- सॉवरेन सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों (पीएसई) पर दावों या उनके द्वारा गारंटीकृत दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विक्रय योग्य प्रतिभूतियाँ जिनका जोखिम भार 20% का है।
- कारपोरेट बॉन्ड एवं वाणिज्यिक कागजात जिनकी न्यूनतम रेटिंग एए- है।

Qualitative Assessment of LCR data and Result :

Liquidity Coverage Ratio (LCR) has been introduced with the objective to ensure that Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its stressed outflows for next 30 calendar day time horizon. RBI mandates Banks to maintain minimum LCR of 100% at Bank level.

Accordingly, Bank is disclosing the LCR at Bank level. The Bank is having two overseas branches at Hong Kong and Singapore for which there is no separate LCR requirement.

Drivers of LCR:

The Bank has been maintaining the LCR well above the minimum regulatory requirement on an ongoing basis on the main drivers of which are as under:

High Quality liquid Assets (HQLA): Our HQLA comprises of following

• Level 1 Assets

- Cash in hand including Cash Reserve in excess of CRR
- Govt. Securities in Excess of Mandatory SLR
- Marginal standing Facility up to 2% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
- Facility to Avail Liquidity for liquidity Coverage Ratio up to 16% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.

• Level 2 Assets (Not issued by Banks/Financial Institution)

• Level 2A assets - With Haircut of 15%

- Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by Sovereigns Public Sector Entities (PSEs) having risk weight 20%
- Corporate Bonds and Commercial Papers having minimum rating of AA-

● स्तर 2बी परिसंपत्तियों के अंतर्गत - 50% हेयरकट के साथ

1. सॉवरेन द्वारा निर्गमित या गारंटीकृत प्रतिभूतियां जिनका जोखिम भार 20% से अधिक परंतु 50% से अधिक नहीं है (जैसे एए एवं ए रेटिंग के बॉन्ड)।
2. कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक कागजात सहित) जिनकी बाह्य रेटिंग ए+ से बीबीबी- के मध्य है।
3. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल कॉमन इक्विटी शेयर

एचक्यूएलए की संरचना: 31 मार्च 2025 को समाप्त तीन महीनों के दौरान बैंक ने 61461.36 करोड़ रुपये का औसत HQLA बनाए रखा, जिसमें लेवल 1 की संपत्ति HQLA के कुल स्टॉक का लगभग 99.80% हिस्सा है। लेवल 1 की संपत्ति अधिक स्थिर प्रकार की संपत्ति है, जिसमें किसी भी नकदी बहिर्वाह को पूरा करने के लिए कोई हेयरकट नहीं है या कम है। लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (FALLCR) के लिए लिक्विडिटी का लाभ उठाने की सुविधा HQLA का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी 31.03.2025 तक कुल औसत HQLA का लगभग 74.30%।

कुल एचक्यूएलए में भारत अतिरिक्त एसएलआर का प्रतिशत 31.12.2024 को 13.37% से बढ़कर 31.03.2025 को 15.46% हो गया है, क्योंकि अभारित कुल नकदी बहिर्वाह के प्रतिशत के रूप में उधार 31.12.2024 को 2.82% से घटकर 31.03.2025 को 1.54% हो गया है।

लेवल 1 परिसंपत्तियों की तुलना में लेवल 2 की परिसंपत्ति गुणवत्ता में कम है, 40% के अधिकतम अनुमत स्तर के मुकाबले एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 0.20% है।

धन स्रोतों की एकाग्रता: हमारे फंडिंग स्रोत विविध देनदारियों के पोर्टफोलियो के साथ अच्छी तरह से फैले हुए हैं जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

- गैर-परिपक्व जमा (चालू जमा/बचत जमा)
- सावधि जमा जिसका अधिकांश हिस्सा खुदरा ग्राहकों से आ रहा है।

फंडिंग प्रोफाइल : 31.03.2025 तक खुदरा जमा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा राशि कुल भारत नकदी बहिर्वाह (कुल गैर-भारित नकदी बहिर्वाह का 62.56%) का लगभग 34.97% योगदान देती है। गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट, केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से जमा राशि 31.03.2025 तक कुल भारत नकदी बहिर्वाह (कुल गैर-भारित नकदी बहिर्वाह का 15.84%) का 35.57% योगदान देती है।

31.03.2025 तक कुल अ-भारित नकदी बहिर्वाह में अन्य कानूनी इकाई से अ-भारित देयता का प्रतिशत 2.62% था।

बैंक नियमित अंतराल पर निधि स्रोतों की निगरानी कर रहा है, जिसका उद्देश्य कम स्थिरता वाले निधियों के संकेन्द्रण की निगरानी करना/उसे कम करना है। बैंक नियमित अंतराल पर शीर्ष 20 जमाकर्ताओं के संकेन्द्रण की भी निगरानी करता है।

बैंक ने ट्रिगर सीमा भी निर्धारित की है जो न्यूनतम एलसीआर विनियामक आवश्यकता 100% से अधिक है, ताकि बैंक सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि बैंक एलसीआर विनियामक सीमा 100% से ऊपर रहे।

● Level 2B assets - With Haircut of 50%

1. Securities issued or guaranteed by sovereigns having risk weight higher than 20% but not higher than 50% (i.e. Bonds with Rating AA & A)
2. Corporate Debt Securities (including Commercial Paper) having external rating between A+ and BBB-
3. Common Equity Shares Included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index

Composition of HQLA: : The Bank during the three months ended 31st March 2025 maintained average HQLA of Rs.61461.36 crore of which Level 1 Assets contribute to approximately 99.80% of the total stock of HQLA. Level 1 assets are more stable form of asset with no or lower haircut for meeting any cash outflow. Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) constitutes the highest portion to HQLA i.e. around 74.30% approx. of the total average HQLA as on 31.03.2025.

The percentage of weighted excess SLR to total HQLA has increased from 13.37% as on 31.12.2024 to 15.46% as on 31.03.2025 as Borrowing as a percentage of unweighted total cash outflows decreased from 2.82% as on 31.12.2024 to 1.54% as on 31.03.2025.

Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets constitute 0.20% of the total stock of HQLA against maximum permissible level of 40%.

Concentration of Funding Sources: Our Funding sources is well diversified comprising mainly of :

- Non-maturing deposits (Current Deposit/ Saving Deposit)
- Term Deposit of which majority portion is from Retail Customers.

Funding Profile: Retail Deposits along with Deposits from Small Business Customer put together contribute around 34.97% of total weighted Cash outflow (62.56% of total un-weighted Cash outflow) as on 31.03.2025. Deposits from Non-financial Corporates, Central Banks, Multilateral development banks and PSEs contribute to 35.57% of total weighted Cash outflows (15.84% of total un-weighted Cash outflows) as on 31.03.2025.

The percentage of Unweighted Liability from Other Legal entity to Total Un-weighted Cash outflows stood at 2.62% as on 31.03.2025.

Bank is monitoring the funding sources on regular interval with the objective to monitor/reduce the concentration of funds having lower stability. Bank also monitors the concentration of top 20 depositors on regular intervals.

Bank has also placed trigger limit which is above the minimum LCR regulatory requirement of 100% so that the Bank initiate corrective actions to ensure that Bank LCR remains above Regulatory ceiling of 100%.

ग) निवल स्थिर निधीयन अनुपाल (एनएसएफआर):

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट:																				
तिमाही 1					तिमाही 2					तिमाही 3					तिमाही 4					
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिवारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिवारित मूल्य				निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिवारित मूल्य				अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिवारित मूल्य					
	कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		
एनएसएफ मद																				
1	ए पूंजी: (2+3)	-	-	75879	75879	-	-	-	80340	80340	-	-	-	73753	73753	-	-	-	79813	79813
2	वित्तियामक पूंजी	-	-	21796	21796	-	-	-	22493	22493	-	-	-	22641	22641	-	-	-	27408	27408
3	अन्य पूंजी साधन	-	-	54083	54083	-	-	-	57847	57847	-	-	-	51113	51113	-	-	-	52405	52405
4	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों के जमा: (5 अ 6)	87608	0	86012.18	-	161203	89372	-	84761	-	161862	93763	-	84319.48	-	165388	95628	-	83186	-
5	स्थिर जमा	63185	0	35686.6	-	93928	62915	-	35760.88	-	93951	66293	-	35989.01	-	97168	67068	-	34767.48	-
6	अल्प स्थिर जमा	24424	0	50325.58	-	67275	26457	-	49000.01	-	67911	27470	-	48330.47	-	68221	28560	-	48418.49	-
7	शोध वित्त पोषण: (8+9)	9569	3114	49014	-	30849	5458	0	47766	-	34788	8514	0	57539	-	34832	10214	442	70861	-
8	प्रधानात्मक जमा	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
9	अन्य शोध वित्त पोषण	9569	3114.21	49014.04	-	30849	5458	-	47765.73	-	34788	8514	-	57538.5	-	34832	10214	441.89	70861	-
10	अन्य देयताएं: (11 + 12)	-3544	8970	-	-	0	3928	1202	294	-	0	2504	12274	6746	2489	0	8316	10804	-	0
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	-3544	-	-	-	0	-4403	-	-	-	0	-3191	-	-	-	0	-6358	-	-	0
12	अन्य समी देयताएं और इक्विटी जो कि चरमर्क श्रेणियों में शामिल नहीं की गई हैं	8970	-	-	0	8331	1202.24	294.03	-	0	5696	12273.68	6745.68	2489	0	14674	10803.56	-	-	0
13	कुल एनएसफ (1+4+7+10)	93634	12084	135026	75879	267930	98758	1202	132821	80340	276990	104781	12274	148604	76242	273974	114158	11245	154047	79813
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली सल संपत्ति (एकव्युएलए)	-	82347.69		4365		88103.63			4723		81061.98			4342		90248.45			4488
15	परिचालन प्रयोजनों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमाएं	104.83		-	52	106	-	-	-	53	50	-	-	-	25	135	-	-	-	67
16	अर्जक ऋण और प्रतिभूतियां: (17 + 18 + 19 + 21 + 23)	-	63227.82		108356.61	115886	-	67788.35	111503.79	119304	-		73454.82	116633.97		12516.4	-	95586.34	108889.53	129473.96
17	स्तर 1 एकव्युएलए द्वारा रक्षित वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों के असुरक्षित अर्जक ऋण।	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0
18	गैर-स्तर 1 एकव्युएलए द्वारा रक्षित वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों के असुरक्षित अर्जक ऋण	-	-	3780.51	-	1890	-	2566.02	-	1283	-		5035.83	-	2518	-	6649.84		-	3325

		तिमाही 1				तिमाही 2				तिमाही 3				तिमाही 4							
	(₹ करोड़ में)	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिवारित मूल्य		निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिवारित मूल्य		निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिवारित मूल्य		निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिवारित मूल्य		निर्धारित मूल्य	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिवारित मूल्य		निर्धारित मूल्य					
		कई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह		6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह		6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष		कई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह		6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष			
	एसएफ मंद																				
19	गैर-नितीय कोपोरेट ग्राहकों, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों के अर्जक ऋण, और समूह, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के अर्जक ऋण, जिनमें से:	-	-	59447.31	63216	79266	-	-	65222.33	62889	82034	-	-	68418.99	66196	85736	-	-	88936.5	57817	88535
20	ऋण जोखिम के लिए बास्ल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	10000.73	17599	16439.68	-	-	10897.09	16918	16445.33	-	-	32856.67	23702	53403.62	-	-	6384.64	21085	16897.56
21	अर्जक आवासीय बैंक, जिनमें से:	-	-	-	24587	15981.69	-	-	-	26680	17341.69	-	-	-	28548	18556	-	-	-	29409	19115.86
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बास्ल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	24587	15982	-	-	-	26680	17342	-	-	-	28548	18556	-	-	-	29409	19116
23	प्रतिभूतियाँ जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेंडेड इन्विटरी सहित एक्सचेंज के रूप में योग्य नहीं हैं	-	-	-	21833	18557.84	-	-	-	21935	18644.81	-	-	-	21890	18606.77	-	-	-	21763	18498.63
24	अन्य संयोजन: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	37366	-	-	37043	74351	37543	-	-	35044	72530	37290	-	-	33763	70995	33395	-	-	33733	67069
25	सोने सहित मौलिक व्यापार वाली वस्तुएं	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
26	खुदरा अनुबंधों और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में अभिदायों के लिए प्रारंभिक मॉडल के रूप में प्रविष्ट की गई अस्तित्वों	382	-	-	-	325	384	-	-	-	326	390	-	-	-	331	390	-	-	-	331
27	एनएसएफआर खुदरा अस्तित्वों	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	81.93	-	-	-	81.93
28	प्रविष्ट किए गए घट-बढ़ मॉडल की कटौती से पूर्व एनएसएफआर खुदरा देयताएं	259	-	-	-	259	259	-	-	-	259	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
29	अन्य सभी संयोजन जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	36725.05	-	-	37043	79768	36800.45	-	-	35044	71945	36800.45	-	-	33763	70663	32922.77	-	-	33733	66666
30	कुल पत्र में शामिल नहीं होने वाली मंद	24265	-	-	-	1201	24357	-	-	-	1204	29625	-	-	-	1449	35753	-	-	-	1762.6
31	कुल आरएसएफ	61736	82347.69	63228	146678	195665	62006	88104	67788.35	146548	197814	66605	81062	73455	150397	202228	69282	90248	95586	142722	202871
32	निपटल स्थिर निधियन अनुपात (%)					136.93%					140.03%					135.48%					141.27%

c) Net Stable Funding Ratio(NSFR):

NSFR Disclosure Template:															
	QUARTER 1					QUARTER 2					QUARTER 3				
	Unweighted value by residual maturity				Weighted value ≥ 1yr	Unweighted value by residual maturity				Weighted value ≥ 1yr	Unweighted value by residual maturity				Weighted value ≥ 1yr
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	> 1yr		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	> 1yr		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	> 1yr	
ASF Item															
1 Capital: (2+3)	-	-	-	75879	75879	-	-	-	80340	80340	-	-	-	73753	73753
2 Regulatory capital	-	-	-	21796	21796	-	-	-	22493	22493	-	-	-	22641	22641
3 Other capital instruments	-	-	-	54083	54083	-	-	-	57847	57847	-	-	-	51113	51113
4 Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	87608	0	86012.18	-	161203	89372	-	84761	-	161862	93763	-	84319.48	-	165388
5 Stable deposits	63185	0	35686.6	-	93928	62915	-	35760.88	-	93951	66293	-	35989.01	-	97168
6 Less stable deposits	24424	0	50325.58	-	67275	26457	-	49000.01	-	67911	27470	-	48330.47	-	68221
7 Wholesale funding: (8+9)	9569	3114	49014	-	30849	5458	0	47766	-	34788	8514	0	57539	-	34832
8 Operational deposits	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
9 Other wholesale funding	9569	3114.21	49014.04	-	30849	5458	-	47765.73	-	34788	8514	-	57538.5	-	34832
10 Other liabilities: (11+12)	-3544	8970	-	-	0	3928	1202	294	-	0	2504	12274	6746	2489	0
11 NSFR derivative liabilities	-3544	-	-	-	0	-4403	-	-	-	0	-3191	-	-	-	0
12 All other liabilities and equity not included in the above categories	8970	-	-	-	0	8331	1202.24	294.03	-	0	5696	12273.66	6745.68	2489	0
13 Total ASF (1+4+7+10)	93634	12084	135026	75879	267930	98758	1202	132821	80340	276990	104781	12274	148604	76242	273974
14 Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)	-	82247.69	-	-	4365	-	88103.63	-	-	4723	-	81061.98	-	-	4342
15 Deposits held at other financial institutions for operational purposes	104.83	-	-	-	52	106	-	-	-	53	50	-	-	135	25
16 Performing loans and securities: (17+18+19+21+ 23)	-	6327.82	109535.61	-	115695	-	67788.35	11503.79	-	119304	-	73454.82	-	95536.34	123473.96
17 Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA and unsecured performing loan to financial institutions.	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
18 Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	-	3780.51	-	1890	-	2566.02	-	-	1283	-	5035.83	-	6649.84	3325

NSFR Disclosure Template:																					
QUARTER 1					QUARTER 2				QUARTER 3				QUARTER 4								
	(₹ in Crore)	Unweighted value by residual maturity			Weighted value	Unweighted value by residual maturity			Weighted value	Unweighted value by residual maturity			Weighted value	Unweighted value by residual maturity			Weighted value				
		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr		≥ 1yr	No maturity*	< 6 months		6 months to < 1yr	≥ 1yr	No maturity*		< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr		No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	-	-	59447.31	63216	79266	-	-	65222.33	62889	82034	-	-	68418.99	66196	85736	-	-	88936.5	57817	88535
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	10000.73	17599	16439.68	-	-	10897.09	16918	16445.33	-	-	32856.67	23702	53403.62	-	-	6384.64	21085	16897.56
21	Performing residential mortgages, of which:	-	-	-	24587	15981.69	-	-	-	26680	17341.69	-	-	-	28548	18556	-	-	-	29409	19115.86
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	-	24587	15982	-	-	-	26680	17342	-	-	-	28548	18556	-	-	-	29409	19116
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	-	-	-	21833	18557.84	-	-	-	21935	18644.81	-	-	-	21890	18606.77	-	-	-	21763	18498.63
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	37366	-	-	37043	74351	37543	-	-	35044	72530	37290	-	-	33763	70995	33395	-	-	33733	67069
25	Physical traded commodities, including gold	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	382	-	-	-	325	384	-	-	-	326	390	-	-	-	331	390	-	-	-	331
27	NSFR derivative assets	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0	81.93	-	-	-	81.93
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	259	-	-	-	259	259	-	-	-	259	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
29	All other assets not included in the above categories	36725.05	-	-	37043	73768	36900.45	-	-	-	71945	36900.45	-	-	-	70683	32622.77	-	-	33733	66656
30	Off-balance sheet items	24265	-	-	-	1201	24357	-	-	-	1204	29625	-	-	-	1449	35753	-	-	-	1762.6
31	Total RSF	61736	82347.69	63228	146678	195665	62006	88104	67788.35	146548	197814	66605	81062	73455	150397	202228	69282	90248	95586	142722	202871
32	Net Stable Funding Ratio (%)					136.93%					140.03%					135.48%					141.27%

गुणात्मक चर्चा:

पृष्ठभूमि:

नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो (NSFR) दिशा-निर्देश बैंकों को फंडिंग तनाव के जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त स्तर से स्थिर संसाधनों के साथ अपनी परिसंपत्तियों को वित्तपोषित करने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि के समय क्षितिज पर फंडिंग जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं। NSFR को आवश्यक स्थिर फंडिंग राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। RBI ने मई 2018 में नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो के कार्यान्वयन पर नियम जारी किए हैं, जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कम से कम 100% के बराबर है। कार्यान्वयन 01 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है।

एनएसएफआर का उद्देश्य:

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। एक स्थायी वित्त पोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के वित्त पोषण के नियमित स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता का जोखिम बढ़ जाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत तनाव हो सकता है।

एनएसएफआर की परिभाषा:

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (एसएफ) की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

एनएसएफआर की गणना :

एनएसएफआर की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:-

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन}} \geq 100\%$$

उपर्युक्त अनुपात चालू आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए। एनएसएफआर बैंकों पर दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी है और आरबीआई की पोर्टल पर तिमाही फाइलिंग अनिवार्य है। तदनुसार, हमें दिनांक 31.03.2025 के लिए आरबीआई की पोर्टल पर एनएसएफआर को अपलोड कर दिया है।

“उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण” (एसएफ) को पूँजी और देयताएं के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है और एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक बढ़ा है।

उदाहरण :

- कुल विनियामक पूँजी (एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली टियर 2 लिखतों को छोड़कर)।
- एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता के साथ अन्य पूँजीगत लिखत और देयताएं।
- स्टैबल एवं लघु व्यवसाय ग्राहकों (इसे बड़े कॉर्पोरेट/ संस्थान से जमा राशि की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है) द्वारा प्रदान की गई स्थिर और कम स्थिर गैर-परिपक्वता (मांग) जमा राशि तथा एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सावधि जमा
- सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंकों से एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तपोषण।

Qualitative Disclosure:

Background:

Net Stability Funding Ratio (NSFR) guidelines ensure reduction in funding risk over longer duration time horizon by requiring bank to fund their assets with sufficiently stable resources of funding in order to mitigate the risk of funding stress. The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount required stable funding. RBI has issued the regulations on the implementation of Net stability funding Ratio in May 2018 with minimum requirement of equal to at least 100%. The implementation is effective from 01st October 2021.

Objective of NSFR:

The objective of NSFR is to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the assets requiring stable funding. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of bank's liquidity position due to disruptions in bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress.

Definition of NSFR:

The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding (ASF) relative to the amount of Required Stable Funding (RSF).

Computation of NSFR:

The NSFR is computed as follows:

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding}}{\text{Required Stable Funding}} \geq 100\%$$

The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. The NSFR is binding on Banks w.e.f. 01.10.2021 and quarterly filing in RBI portal is mandatory. Accordingly, we have uploaded NSFR in RBI portal for 31.03.2025

“Available Stable Funding” (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year.

Example:

- Total regulatory capital (excluding Tier 2 instruments with residual maturity of less than one year).
- Other capital instruments and liabilities with effective residual maturity of one year or more.
- Stable & less stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers (it is considered more stable than deposits from large corporates/ institution)
- Funding with residual maturity of less than one year from sovereigns, PSEs, and multilateral and national development banks.

किसी विशिष्ट संस्थान के लिए **आवश्यक स्थिर वित्तपोषण** ("आवश्यक स्थिर वित्तपोषण") (आरएसएफ) उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसके तुलन-पत्र से इतर जोखिमों का एक कार्य है।

उदाहरण :

- क) भार रहित स्तर 1 की परिसंपत्तियां, सिक्कों, बैंक नोटों, सीआरआर और एसएलआर प्रतिभूतियों को छोड़कर
- ख) भार रहित स्तर 2ए एवं स्तर 2बी परिसंपत्तियां
- ग) अन्य सभी परिसंपत्तियां जो एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिसमें गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को 'मानक' ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों को और सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों को 'मानक' ऋण शामिल हैं।
- घ) एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ भार रहित 'मानक' आवासीय बंधक और मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत न्यूनतम जोखिम भार निर्धारित किया गया।
- ङ) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले अन्य भार रहित निष्पादन ऋण तथा एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता, वित्तीय संस्थानों के ऋण को छोड़कर।

गैर-निष्पादित ऋण, एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तीय संस्थानों को ऋण, गैर-विनिमय-व्यापारिक इक्विटी, अचल परिसंपत्तियां, नियामक पूंजी से कटौती की गई मर्दे, प्रतिधारित ब्याज, बीमा परिसंपत्तियां, सहायक हितों एवं चूक प्रतिभूतियों सहित उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल अन्य सभी परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

"Required Stable Funding" (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

Example:

- a) Unencumbered Level 1 assets, excluding coins, banknotes, CRR and SLR Securities
- b) Unencumbered Level 2A & Level 2B assets
- c) All other assets not included in the above categories with residual maturity of less than one year, including 'standard' loans to non-financial corporate clients, to retail and small business customers, and 'standard' loans to sovereigns and PSEs
- d) Unencumbered 'standard' residential mortgages with a residual maturity of one year or more and assigned the minimum risk weight under the Standardized Approach
- e) Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardized Approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions.
- f) All other assets not included in the above categories, including non-performing loans, loans to financial institutions with a residual maturity of one year or more, non-exchange-traded equities, fixed assets, items deducted from regulatory capital, retained interest, insurance assets, subsidiary interests and defaulted securities.

प्रमुख संचालक/ Key Drivers

उपलब्ध स्थिर निधियन (एसएएफ)	पूंजी आधार, गैर-वित्तीय कंपनियों से खुदरा जमा आधार, निधियन और वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक वित्त पोषण मुख्य संचालक हैं। रिटेल ग्राहकों से अपरिपक्व जमा राशियां और एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता वाली जमा राशियां या देयताएं बेहतर स्रोत के रूप में मानी जाती हैं क्योंकि वे अधिक स्थायी प्रकृति की होती हैं।
Available Stable Funding (ASF)	The main drivers are Capital, Retail Deposit, funding from Non-Financial Companies and Long term funding from financial Institutions. Non-Maturing deposits from Retail Customers and Deposits or Liabilities having with effective residual maturity of one year or more are better source considered as they are more stable in nature.
वांछित स्थिर निधियन	सीआरआर और एचक्यूएलए यानी भारमुक्त एसएलआर प्रतिभूतियों को कम निधि की आवश्यकता होती है, इसलिए उनकी उच्च तरलता के कारण स्थिर निधियन की कम राशि को आकर्षित किया जाता है। अर्जक ऋणों की अवशिष्ट परिपक्वता पर अलग-अलग निधियन की आवश्यकता होती है।
Required Stable Funding	CRR and HQLA i.e. Unencumbered SLR securities are considered to have lower fund requirement considered hence require low amount of stable funding due to their high liquidity. Performing loans have different funding requirement based on their residual Maturity.

यूको बैंक की स्थिति:

बैंक न्यूनतम नियामकीय आवश्यक अनुपात से बहुत ऊपर एनएसएफआर को बनाए रख रहा है, जो दर्शाता है कि बैंक के पास अपनी निधि आवश्यकता को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं।

UCO Bank's Position:

Bank is maintaining NSFR much above the maximum regulatory required ratio which shows Bank has sufficient stable source of fund to manage its fund requirement.

3. निवेश/Investments:

ए/अ) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना / Composition of Investment Portfolio:

As on 31.03.2025

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	भारत में निवेश / Investments in India						भारत के बाहर निवेश / Investments outside India					कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर और बांड	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	Total Investments
परिपक्वता के लिए धारित / Held to Maturity												
सकल/Gross	64945.66	0.00	0.00	1849.79	0.00	0.00	66795.45	907.16	0.00	0.00	907.16	67702.61
घटाएँ : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान												
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	88.37	0.00	0.00	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	88.37
निवल/Net	64945.66	0.00	0.00	1761.42	0.00	0.00	66707.08	907.16	0.00	0.00	907.16	67614.24
बिक्री के लिए उपलब्ध/ Available for Sale												
सकल/ Gross	18865.51	0.00	0.00	2575.00	0.00	1166.84	22607.35	2130.78	0.00	0.00	2130.78	24738.13
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए												
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	87.56	0.00	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	87.56
निवल/Net	18865.51	0.00	0.00	2487.44	0.00	1166.84	22519.79	2130.78	0.00	0.00	2130.78	24650.57
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य												
Fair Value through Profit & Loss												
सकल/Gross	525.33	0.00	1387.58	200.62	0.00	60.66	2174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2174.19
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए												
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	343.13	76.19	0.00	0.00	419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	419.32
निवल/Net	525.33	0.00	1044.45	124.43	0.00	60.66	1754.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1754.87
सहायक एवं सहयोगी कंपनियों के माध्यम से निवेश												
Investment through Subsidiary & Associates												
सकल/Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	252.79	0.00	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	252.79
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए												
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल/Net	0.00	0.00	0.00	0.00	252.79	0.00	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	252.79
कुल निवेश / Total Investments	84336.50	0.00	1387.58	4625.41	252.79	1227.50	91829.78	3037.94	0.00	0.00	3037.94	94867.72
घटाएँ : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान												
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	343.13	168.75	0.00	0.00	511.88	0.00	0.00	0.00	0.00	511.88
घटाएँ : मूल्यहास के लिए												
Less: Provision for depreciation	0.00	0.00	0.00	83.37	0.00	0.00	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	83.37
निवल/Net	84336.50	0.00	1044.45	4373.29	252.79	1227.50	91234.53	3037.94	0.00	0.00	3037.94	94272.47

346

वी/b) मूल्यहास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिज़र्व के प्रावधानों का संचलन / Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl. no	विवरण / Particulars	31.03.2025	31.03.2024
i)	निवेश पर मूल्यहास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	1713.78	1676.23
	(ख)/(b) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Provisions made during the year	0.00	41.04
	(ग)/(c) घटाएं : बट्टे खाते /वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन / Less: Write off / write back of excess provisions during the year	1630.48	3.49
	(घ)/(d) विनिमय अन्तर / Exchange Difference	0.07	0
	(इ)/(e) अंतिम शेष / Closing Balance	83.37	1713.78
ii)	निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व का संचलन / Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	416.04	416.04
	(ख)/(b) जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि / Add: Amount transferred during the year	134.28	-
	(ग)/(c) घटाएं: आहरण / Less: Drawdown	-	-
	(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing Balance	550.32	416.04
iii)	एफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अन्तिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अन्तिम शेष राशि Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	2%	2.28%

सी) एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण :

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है। इसमें निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण शामिल नहीं है।

डी) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग :

(i) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश -

c) Sale and transfers to/from HTM category:

The value of sales and transfers of securities to/from HTM Category, excluding the one-time transfer of securities undertaken by the Bank with the approval of Board of Directors, has not exceeded 5 % of the book value of Investments held in HTM Category at the beginning of the year.

d) Non-SLR Investment Portfolio:

(i) Non performing Non-SLR investments -

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2025	31.03.2024
प्रारंभिक शेष / Opening balance	646.81	960.98
01-04-2021 वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year since 01-04-2021	68.52	0.00
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the above period	203.46	314.17
विनिमय का अंतर / Exchange Difference	0.00	0.00
अंतिम शेष / Closing balance	511.87	646.81
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	511.87	646.81

ii) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रमांक No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी तौर पर शेयर आवंटन की सीमा Extent of Private Placement		'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities		'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities	
		चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
क/अ)	स.क्षे.के उपक्रम/ PSUs	21154.73	21646.46	19608.75	21085.18	0.00	0.00	18085.79	19787.49	19151.63	18410.80
ख/ब)	वित्तीय संस्थाएं /FIs	691.20	1957.52	246.84	465.20	49.54	541.93	54.48	336.29	147.08	353.25
ग/क)	बैंक / Banks	1983.03	425.66	464.70	13.78	0.00	0.00	179.33	0.00	0.00	0.00
घ/द)	निजी कंपनियां / Private Corporates	1091.62	1183.80	898.67	635.76	31.36	229.06	933.91	979.64	532.40	780.74
ड/े)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associates	252.79	239.00	252.79	239.00	0.00	0.00	252.79	239.00	252.79	239.00
च/फ)	अन्य /Others	229.29	1099.45	227.45	1098.48	0.00	0.00	204.31	0.00	227.45	1098.48
छ/ग)	घटाएं- मूल्यहास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	83.37	1460.49	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00
	योग / Total	25319.29	25091.40	21699.20	23537.40	80.90	770.97	19710.61	21342.40	20311.35	20882.25

ड/े) रेपो लेनदेन / Repo transactions (in face value terms):

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2025 को As on 31 st March 2025
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	168.32	9903.80	3728.79	169.25
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	-	-	-	-
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	-	2150.00	60.54	1800.25
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	-	-	-	-
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security	-	-	-	-

(एफ) सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(f) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)

31 मार्च, 2025 तक/As at 31st March 2025

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत Daily Average outstanding during the year	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल प्रमाणा Total volume of transactions during the year	वर्ष के दौरान 31 मार्च Outstanding as on March 31
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपाश्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपाश्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2024 तक/As at 31st March 2024

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत Daily Average outstanding during the year	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल प्रमाणा Total volume of transactions during the year	वर्ष के दौरान 31 मार्च Outstanding as on March 31
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपाश्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपाश्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

4. आस्ति गुणवत्ता :

क) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

के अनुसार 31.03.2025

(राशि करोड़ ₹ में)

	मानक	अनर्जक				कुल
		अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तित्वाँ प्रारंभिक जमा राशि जोड़ें: वर्ष के दौरान योग घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ अंतिम शेष राशि *सकल एनपीए में कमी का कारण: i) उन्नयन छद्म ii) वसूली (उन्नयित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते iv) बिंदु (iii) के अलावा बड़े खाते डालना प्रावधान (excluding Floating Provisions) धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान घटाएं: लौटाए गए अतिरिक्तप्रावधान/बट्टा खातेडाले गए ऋण धारित प्रावधानों का अंतिम जमशेष	180413.74	1138.57	3883.74	1441.00	6463.31 2247.91 2792.68 5918.54	186877.05
	214066.27	1184.74	3329.33	1404.47		219984.81
					524.52 702.06 1329.43 236.67	
	1090.20	228.50	3090.94	1440.97	4760.41 1639.15 1565.51	5850.61
	1278.74	305.48	3124.10	1404.47	4834.05	6112.79
					1621.65 1085.81 1639.15 1068.31	
						4760.41 1639.74 1566.10 4834.05
						28645.64 1114.28
						3373.20 26386.72
निवल अनर्जक संपत्तियाँ प्रारंभिक जमा शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती अंतिम जमा शेष प्लवमान प्रावधान प्रारंभिक जमा शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान प्लवमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष तकनीकी बड़े खाते तथा उनपर किए गए वसूली तकनीकी/अधिश बड़े खातों का प्रारंभिक जमाशेष जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिश बड़े खाते घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ अधिश बड़े खातों में वसूली अंतिम जमशेष						

[illegible]

4. Asset Quality:

a) Classification of advances and provisions held

As on 31.03.2025 (Amount in ₹ Crore)

	Standard	Non-Performing				Total Non-Performing Advances
		Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	180413.74	1138.57	3883.74	1441.00	6463.31	186877.05
Add: Additions during the year					2247.91	
Less: Reductions during the year					2792.68	
Closing balance	214066.27	1184.74	3329.33	1404.47	5918.54	219984.81
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					524.52	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					702.06	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					1329.43	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					236.67	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	1090.20	228.50	3090.94	1440.97	4760.41	5850.61
Add: Fresh provisions made during the year					1639.15	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					1565.51	
Closing balance of provisions held	1278.74	305.48	3124.10	1404.47	4834.05	6112.79
Net NPAs						
Opening Balance					1621.65	4760.41
Add: Fresh additions during the year					1085.81	1639.74
Less: Reductions during the year					1639.15	1566.10
Closing Balance					1068.31	4834.05
Floating Provisions						
Opening Balance						4760.41
Add: Additional provisions made during the year						1639.74
Less: Amount drawn down during the year						1566.10
Closing balance of floating provisions						4834.05
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						28645.64
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						1114.28
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						3373.20
Closing balance						26386.72

	Standard Total Standard Advances	Non-Performing			Total
		Sub- standard	Doubtful	Loss	
Gross Standard Advances and NPAs					
Opening Balance	153902.99	999.90	6228.55	498.01	161629.45
Add: Additions during the year					2072.39
Less: Reductions during the year					3335.54
Closing balance					186877.06
*Reductions in Gross NPAs due to:					
i) Up gradation					657.54
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					740.08
iii) Technical/ Prudential Write-offs					1726.81
iv) Write-offs other than those under (iii) above					211.11
Provisions (excluding Floating Provisions)					
Opening balance of provisions held	884.03	165.56	4956.26	498.01	6503.86
Add: Fresh provisions made during the year					1078.50
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					1937.92
Closing balance of provisions held	1090.20	228.50	3090.94	1440.97	5850.00
Net NPAs					
Opening Balance					2018.02
Add: Fresh additions during the year					479.49
Less: Reductions during the year					875.86
Closing Balance					1621.65
Floating Provisions					
Opening Balance					5619.83
Add: Additional provisions made during the year					1078.50
Less: Amount drawn down during the year					1937.92
Closing balance of floating provisions					4760.41
Technical write-offs and the recoveries made thereon					
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts					28955.70
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year					1726.81
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year					2036.87
Closing balance					28645.64

अनुपात (प्रतिशत में) Ratios (in per cent)	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
सकल अनर्जक अस्ति से सकल अग्रिम / Gross NPA to Gross Advances	2.69%	3.46%
निवल अनर्जक अस्ति से निवल अग्रिम / Net NPA to Net Advances	0.50%	0.89%
प्रावधान व्याप्ति अनुपात / Provision coverage ratio	96.69%	95.38%

ख) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए :/B) Sector-wise Advances and Gross NPAs:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	क्षेत्र /Sector	चालू वर्ष/Current Year (31.03.2025)			गत वर्ष/Previous Year (31.03.2024)		
		कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (आरआईडीएफ सहित)/ Priority Sector(excluding RIDF)						
क)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	29575	3275	11.07%	24641	3267	13.26%
ख)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	2598	52	2.00%	1742	131	7.52%
ग/क)	सेवा क्षेत्र/Services	36185	2090	5.77%	31113	2274	7.31%
घ/द)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans	17388	187	1.07%	16267	298	1.83%
	उप-योग / Sub-total (i)	85746	5604	6.53%	73763	5970	8.09%
ii)	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-priority Sector						
क)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	0	0	0.00%	0	0	0.00%
ख/ब)	उद्योग/Industry	25019	5	0.02%	21620	37	0.17%
ग/क)	सेवा क्षेत्र/Services	0	0	0.00%	0	0	0.00%
घ/द)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans	84709	310	0.36%	91494	456	0.49%
	उप-योग / Sub-total (ii)	109728	315	0.29%	113114	493	0.44%
	कुल/Total (I + ii)	195474	5919	3.03%	186877	6463	3.46%

सी/क) विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व /Overseas Assets, NPA's and Revenue

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
कुल आस्तियां/Total Assets	29227.83	14932.48
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	0.00	46.73
कुल राजस्व/Total revenue	1935.75	1775.78

घ) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे के संबंध में आरबीआई परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी बीसी 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 का प्रभाव निम्नानुसार है :

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋण राशि (ए) Amount of loans impacted by RBI Circular (a)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किये जाने वाले ऋण राशि (बी) Amount of loans to be classified as NPA (b)	31.03.2025 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से ऋणों की राशि (सी) Amount of loans as on 31.03.2025 out of (b) classified as NPA (c)	आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत आने वाले ऋणों के लिए अतिरिक्त वांछित प्रावधान (डी) Additional Provision required for loans covered under RBI Circular (d)	(डी) में से प्रावधान 31.03.2025 तक पहले ही कर दिया गया है (इ) Provision out of (d) already made by 31.03.2025 (e)
1042.41	236.13	236.13	277.84	277.84

ड) आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन

यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो बैंक नीचे दी गई तालिका के अनुसार उपयुक्त प्रकटीकरण करेंगे:

i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के भाग के रूप में एनपीए के लिए मूल्यांकित अतिरिक्त प्रावधान, संदर्भ अवधि के लिए प्रावधान और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक है और

ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए, संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए के पांच प्रतिशत से अधिक हैं।

iii) ऋण अन्तरण प्रकृतिकरण

ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश दिनांक 24.09.2021 के तहत 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण निम्नलिखित है :-

i) बैंक ने एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण नहीं किया है। हस्तांतरित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का विवरण निम्नानुसार है :-
(खातों की संख्या छोड़कर रुपये करोड़ में)

d) Particulars of resolution plan and restructuring

Impact of RBI circular DBR No BP BC 45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on prudential framework for resolution of stressed assets is as under :

e) Divergence in Asset Classification and Provisioning:

Banks shall make suitable disclosures as tabulated below, if either or both of the following conditions are satisfied:

i) The additional provisioning for NPA assessed by Reserve Bank of India as part of its supervisory processes, exceeds five per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and

ii) The additional Gross NPA identified by the Reserve Bank of India as part of its supervisory process exceed five percent of the reported incremental Gross NPAs for the reference period.

iii) Disclosure of transfer of loan exposures:

Details of loans transferred/acquired during the financial year ended on 31.03.2025 under the RBI Master Direction on Transfer of Loan Exposures dated 24.09.2021 are given below:-

i) The details of Non-Performing Assets (NPAs) transferred are as under:
(Rs. in Crore except number of accounts)

विवरण Particulars	एआरसी के लिए To ARCs	अनुमति प्राप्त स्थानांतरितियों के लिए To permitted transferees	अन्य स्थानांतरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें) To other transferees (please specify)
खातों की संख्या / No: of accounts	4	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन Aggregate principal outstanding of loans transferred	530.57	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवधि अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल प्रतिफल राशि Aggregate consideration	355.49*	शून्य/NIL	शून्य/NIL
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसुली Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	224.82	शून्य/NIL	शून्य/NIL

*हालांकि 31.03.2025 तक 52.73 करोड़ रुपये की नगद राशि प्राप्त होने है। 30.06.2025 तक आगामी तिमाहियों में 274.95 करोड़ रुपये की एस आर राशि प्राप्त होगी।।

*Cash Amount Rs. 52.73 Crore has been received till 31.03.2025, however, SR amount of Rs. 274.95 Crore to be received in subsequent quarters upto 30.06.2025.

- ii) बैंक ने विशेष वर्णित खाते के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण नहीं किया है।
- iii) समनुदेशन के माध्यम से चूक के रूप से नहीं प्राप्त ऋणों का विवरण निम्नलिखित है :-
- ii) Bank has not acquired and transferred loans classified as Special Mention Account.
- iii) The details of loans not in default acquired through assignment is given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान During Financial Year ended on 31.03.2025			
	खुदरा Retail	कृषि Agriculture	एमएसएमई MSME	अन्य OTHER
अधिग्रहित ऋण की कुल राशि (करोड़ रुपये में) Aggregate amount of loans acquired (Rs. in crore)	6188.78	1381.03	699.29	499.90
भारित औसत शेष परिपक्वता (माह में) Weighted average residual maturity (in months)	124	50	18	21
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में) Weighted average holding period by originator (in months)	109	10	6	10
लाभकारी आर्थिक हितों का प्रतिधारण Retention of beneficial economic interest	10%	10%	10%	10%
मूर्त जमानत व्याप्ति Tangible security coverage	206%	171%	शून्य/NIL	149%
मूल्यांकित ऋणों का रेटिंग के आधार पर वितरण* Rating wise distribution of rated loans*	NA	NA	NA	NA

* अर्जित ऋणों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं से संबंधित होते हैं।

* Loans acquired are not rated as these relate to non-corporate borrowers.

- iv) दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर के वितरण का विवरण: -
- iv) Details of the distribution of the SRs held across various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31.03.2025:

वसूली रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही लागत (राशि करोड़ में) Book Cost (amount in crores)
आरआर/RR1+ (Above 150%)	शून्य/NIL
आरआर/RR1 (Above 100% upto 150%)	24.98
आरआर/RR2 (Above 75% upto 100%)	शून्य/NIL
आरआर/RR3 (Above 50% upto 75%)	शून्य/NIL
आरआर/RR4 (Above 25% upto 50%)	शून्य/NIL
आरआर/RR5 (upto 25%)	शून्य/NIL
अनरेटेड/Unrated	23.81
कुल/Grand Total	48.80

छ) कपट खाते :

g)Fraud accounts :

विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	गत वर्ष/ Previous year
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या/ Number of frauds reported	139	171
शामिल राशि (₹ करोड़)/ Amount involved in fraud (₹ crore)	338.74	149.47
इस तरह की धोखाधड़ी के लिए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)/ Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	290.35*	148.23
वर्ष के अंत में 'अन्य भंडार' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़) Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 31.03.2025 तक बकाया शेष राशि 290.35 करोड़ रुपये है और पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 141.47 करोड़ रुपये है।/
Balance outstanding as on 31.03.2025 for current FY 2024-25 is Rs 290.35 Crore & for previous FY 2023-24 is Rs141.47 Crore.

ज) कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण:

आरबीआई परिपत्र दिनांक 06.08.2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और 05.05.2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0) के अनुसार 31 मार्च 2025 को कोविड 19 संबंधित तनाव के लिए रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण निम्नानुसार है:

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress:

Details of resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular dated 06.08.2020 (Resolution Framework 1.0) and 05.05.2021 (Resolution Framework 2.0) at 31st March 2025 are as under:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

उधारकर्ता के प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर-पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half-year (A)	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में फिसल गया Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि Of (A) amount written off during the half-year	(ए) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year	(ए) छमाही के दौरान बंद खाते में राशि Of (A) amount in closed account during the half-year	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half-year
वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	793.95	17.91	00	26.05	2.78	747.21
कारपोरेट व्यक्ति / Corporate Persons*	815.26	20.14	00	22.81	190.51	581.72
में से एमएसएमई / Of which MSME's	651.78	20.14	00	22.81	27.11	581.72
अन्य / Others	110.73	4.99	00	5.02	1.25	99.77
कुल / Total	1719.94	43.04	00	53.88	194.54	1428.70

* दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 की धारा 3(7) में यथा विश्लेषित

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

5. ऋण/Exposure:

क) स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण / Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Category	2024-25	2023-24
i) प्रत्यक्ष ऋण/Direct exposure		
क) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं) एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी		
(a) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits	32793.60 13807.69	28325.15 13395.03
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है।		
(b) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings retail space multi-purpose commercial premises multi-family residential buildings multi-tenanted commercial premises industrial or warehouse space land acquisition development and construction etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	2083.94	976.33
(सी) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश -		
(c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -		-
i. आवासीय / Residential		-
ii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा /Commercial Real Estate.		-
ii) अप्रत्यक्ष ऋण / Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	4837.96	7554.70
स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण / Total Exposure to Real Estate Sector	39715.50	36856.18

ख/ब पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2024-25	2023-24
(i)	ऐसे ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	514.95	219.68
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;		--
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;		--
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपादित प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो; Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;		--
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	266.22	166.22
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;		--
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;		--
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बाबत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;		--
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;		--
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	5.00	39.22
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market	786.17	425.12

सी/स) जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2025	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2025	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2024	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2024
महत्वहीन/Insignificant	13260.81	6.0045	12882.67	7.1633
कम/Low	10254.53	4.7630	13591.82	8.2091
मामूली रूप से कम/ Moderately low	433.12	0.0000	24.02	0
संतुलित /Moderate	370.07	0.0000	10.02	0
माध्यम उच्च/ Moderately high	216.57	0.0000	219.52	0
उच्च /High	1.86	0.0000	0	0
अत्यंत उच्च / Very High	0.00	0.0000	0	0
कुल/TOTAL	24536.96	10.7675	26728.05	15.3725

डी/द अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार/ As at 31 st March 2025	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार/ As at 31 st March 2024
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	41149.67	37233.56
क) उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है a) Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	शून्य/Nil	शून्य/Nil
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	शून्य/Nil	शून्य/Nil

ड) अंतः समूह एक्सपोजर - शून्य
च) फैक्ट्रिंग एक्सपोजर्स - शून्य
छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने एसएमई एवं कारपोरेट सहित उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर नीति बनाई है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के अलावा निम्न प्रावधान हैं:

- एसएमई सहित सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) की निगरानी एवं समीक्षा।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर युक्त निकायों के एक्सपोजर के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधानगत आवश्यकताएं।
- संरक्षण प्रदान करने के लिए यूएफसीई प्रभार का निर्धारण और यूएफसीई रखनेवाले निकायों को हतोत्साहित करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों तथा हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप उनके घटकों के लिए उपलब्ध आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने पूंजी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) हेतु 31.03.2025 को ₹57.22 लाख की देयता का अनुमान लगाया है।

e) Intra-group exposures - Nil
f) Factoring Exposures - Nil
g) Unhedged foreign currency exposure

In terms of RBI Guidelines, our Bank has framed a policy on 'Unhedged Foreign Exchange Exposure by borrowers including SMEs and Corporates duly approved by the Board. The policy inter-alia provides for:

- Monitoring and review of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of all customers including SMEs.
- Incremental capital and provisioning requirements for exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.
- Stipulation of UFCE Charge in order to provide protection and discourage entities having UFCE.

Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability of Rs. 57.22 Lakhs as on 31.03.2025 on Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents in terms of RBI Circulars and our Board approved policy and provision for the same has been provided in the books.

6. जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण एवं एनपीए /Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

क)/a) जमाराशियों का संकेंद्रण/Concentration of deposits

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2025 (Current Year)	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष) As on 31.03.2024 (Previous Year)
बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total deposits of the twenty largest depositors11.81%	40763.58	31080.05
कुल जमाराशियों के % के अनुपात में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ता/ Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	13.89%	11.81%

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण

b) Concentration of Advances

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष/ Current Year 2024-25	पिछले वर्ष/ Previous Year 2023-24
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम / Total advances to twenty largest borrowers	43284.41	41068.06
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत/ Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	16.27%	19.44%

ग) ऋण का संकेंद्रण

c) Concentration of Exposures

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष/Current Year 2024-25	पिछले वर्ष/Previous Year 2023-24
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	45138.38	42197.48
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	15.59%	17.85%

घ) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

d) Concentration of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2024-25	2023-24
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर Total Exposure to the top twenty NPA accounts	244.83	438.59
सकल एनपीए में से शीर्ष बीस एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत। Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	4.14%	6.79%

7. व्युत्पन्न / Derivatives

क/अ) अग्रिम दर समझौता/ब्याज दर स्वेप / Forward rate agreement/Interest rate swap

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Items	2024-25	2023-24
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	4315.40	5502.79
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	15.16	12.84
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपादिक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	1.68	0.62

*नोट : स्वेप की प्रकृति और शर्तें, जिसमें क्रेडिट और बाजार जोखिम की जानकारी और स्वेप को रिकॉर्ड करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियां शामिल हैं, का भी खुलासा किया जाएगा : स्वेप रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीतियाँ हमारी मौजूदा डेरिवेटिव नीति के अनुसार हैं। यह व्यापार तिथि, ब्याज उपार्जन, आंतराधिक ब्याज निपटान तिथि, क्रांति तिथि और समाप्ति तिथि पर की जाने वाली लेखांकन प्रविष्टियों को परिभाषित करता है। किए जाने वाले स्वेप की प्रकृति में ओवरनाइट इंडेक्स स्वेप और क्रॉस करेंसी स्वेप शामिल हैं।

*Note : Nature and terms of the swaps including information on credit and market risk and the accounting policies adopted for recording the swaps shall also be disclosed.

The accounting policies for recording Swaps is as per our extant Derivatives policy. It defines accounting entries to be undertaken on trade date, interest accrual, intermittent interest settlement date, revolution date and termination date. The nature of Swaps undertaken comprises of overnight Index Swaps and cross currency Swaps.

ख) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2024-25	2023-24
i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
ii)	दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2024 (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

सी) व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

I) Qualitative disclosures-

- i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन :

- i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशकगण अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेन देन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors, Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

- ii) जोखिम मूल्यांकन, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप:
- क) बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर स्वाप (आईआरएस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रयविक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। व्युत्पन्न भी एक उत्पाद के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये लेन देन भारिबैंक की नीतियों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।
- ख) ब्याज दर स्वैप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंच मार्क ब्याज दरों की उतार चढ़ाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेन देन पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। सभी ब्याजदर व्युत्पन्न लेनदेन को जोखिम मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट प्र.नि एवं मु.का.अ./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम की निगरानी की जाती है।
- (iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव/शमन की निरंतर प्रभाविता की निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रिया:
- परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। अनुमानिक मूल धन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य/परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।
- ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तनकारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की अनुमानिक मूल राशि और प्रति पार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।
- iv) बचाव और गैर-बचाव लेनदेन रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की मान्यता; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम न्यूनीकरण:
- स्वॉप्स को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीतियां हमारी मौजूदा डेरिवेटिव्स नीति के अनुसार हैं। यह विभिन्न लेखांकन प्रविष्टियों को परिभाषित करती है जो व्यापार तिथि, ब्याज एकत्रीकरण, अंतरालिक ब्याज निपटान तिथि, पुनरावृत्ति तिथि और समाप्ति तिथि पर किए जाने चाहिए।
- आय की पहचान, प्रीमियम और डिस्काउंट, असमाप्त अनुबंधों का मूल्यांकन, प्रावधान, कोलेटरल और केडिट रिस्क मिटिगेशन हमारे बैंक की डेरिवेटिव्स नीति के अनुसार है।
- v) ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप) हेतु अन्य प्रकटीकरण :
- बैंक ने अंतर्निहित आस्थितियों एवं देयताओं पर नियत से अस्थिर और अस्थिर से नियत ब्याज दर स्वैप का कार्य किया है। यदि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उपर्युक्त आईआरएस पर आय का नुकसान रु. 15.16 करोड़ होगा। आईआरएस लेनदेन से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की कोई संकेद्रण नहीं है क्योंकि प्रतिपक्ष भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड है और एक्सपोजर की अनुमति सीमा के भीतर है।
- ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:
- a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the Bank formulated based on RBI guidelines.
- b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.
- (iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigates:
- IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.
- Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.
- (iv) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation:
- The accounting policies for recording swaps is as per our extant derivative policy. It defines accounting entries to be undertaken on trade date, interest accrual, intermittent interest settlement date, revolution date and termination date.
- For recognition of income, premiums and discounts, valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation is as per our Bank's Derivative Policy.
- (vi) Other Disclosures for Interest Rate Swaps:
- The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be Rs.15.16 Cr, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are the Clearing Corporation of India Ltd. and the exposure is within the exposure limit permitted.

II) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative disclosures-

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl.No. Particulars	2024-2025		2023-2024	
	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives
1 व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
क)/a) बचाव के लिए / For Hedging	25169.00	400.00	8595.44	1050.00
ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए / For Trading	82392.37	3915.40	32232.42	4452.79
2 मार्केट टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions [1]				
क)/a) आस्ति (+) / Assets (+)	14.00	1.68	19.20	0.62
ख)/b) देयता (-) / Liabilities (-)	9.38	0.00	6.44	0.00
3 ऋण एक्सपोजर / Credit Exposure	3294.30	48.57	885.24	61.54
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
क) / a) बचाव व्युत्पन्न पर / On hedging derivatives				
अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	1.49	लागू नहीं/NA	12.75
न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	-2.44	लागू नहीं/NA	-5.08
ख)/b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर / Trading derivatives				
अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	-10.26	लागू नहीं/NA	9.60
न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	13.62	लागू नहीं/NA	4.16
5 वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
क) / a) बचाव-व्यवस्था पर- / On hedging				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	0.82	लागू नहीं/NA	6.74
न्यूनतम / Minimum		-0.48	लागू नहीं/NA	1.84
ख)/b) क्रय-विक्रय पर / On trading				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	-6.09	लागू नहीं/NA	-2.22
न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	1.65	लागू नहीं/NA	2.62

* उपरोक्त आईआरएस पर आय का नुकसान अगर प्रतिपक्षी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹15.16 करोड़।

*The loss of income on above IRS if counterparties fail to fulfil their obligation will be Rs. 15.16 crore for F.Y. 2024-25

सी) क्रेडिट चूक विनिमय

बैंक का दिनांक 31.03.2025 को क्रेडिट चूक विनिमय पर कोई एक्सपोजर नहीं है।

c) Credit default swaps

Bank has no exposure on Credit Default Swap as on 31.03.2025.

8. प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण

8. Disclosures relating to securitisation

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl. Particulars No.	मार्च 31/ Mar 31 2025	मार्च 31/ Mar 31 2024
1. प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की सूचना दी जाएगी) No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. एसपीई के बहीखातों के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	शून्य/NIL	शून्य/NIL
3. तुलन पत्र की तिथि को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा बनाए गए एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet ए/अ) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL
• पहला नुकसान/First loss	शून्य/NIL	शून्य/NIL
• अन्य /Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ब) तुलनपत्र पर एक्सपोजर / On-balance sheet exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL
• पहला नुकसान/First loss	शून्य/NIL	शून्य/NIL
• अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
4. एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन में एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR ए/अ) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL
i) Exposure to own securitisations		
• पहला नुकसान/First loss		
• अन्य/Others		
ii) Exposure to third party securitisations		
• पहला नुकसान/First loss		
• अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बी/ब) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / On-balance sheet exposures		
i) Exposure to own securitisations		
• पहला नुकसान/First loss		
• अन्य/Others		
ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर / Exposure to third party securitisations		
• पहला नुकसान/First loss		
• अन्य/Others	शून्य/NIL	शून्य/NIL
5. प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	शून्य/NIL	शून्य/NIL
6. नकदी सहायता, प्रतिभूतिकरण के उपरान्त अस्त-शोधन आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रकार और मात्रा (बकाया मूल्य) Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL

क्र.सं. विवरण Sl. Particulars No.	मार्च 31/ Mar 31 2025	मार्च 31/ Mar 31 2024
7. प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात् ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention per cent in bracket as of total value of facility provided. ए/अ) भुगतान की गई राशि/Amount paid बी/ब) चुकौती प्राप्त/Repayment received सी/स) बकाया राशि/Outstanding amount	शून्य/NIL	शून्य/NIL
8. पूर्व में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	शून्य/NIL	शून्य/NIL
9. समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL
10. निवेशकों की शिकायतें/Investor complaints ए/अ) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और;/Directly/Indirectly received and; बी/ब) बकाया शिकायतें/Complaints outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL

9. तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंड के अनुसार समेकित किया जाना है)

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Bank has not sponsored any SPVs.

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएफ) में राशि अंतरण

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF Fund)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
डीईएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष opening balance of amounts transferred to DEAF	686.47	594.97
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	649.04	121.64
घटाएं : दावों हेतु डीईएफ द्वारा प्रतिपूरित राशि Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	65.18	30.14
डीईएफ को अंतरित राशि का अंत शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	1270.33	686.47

11. शिकायतों का प्रकटन

ए) बैंक को ग्राहकों और ओम्बड्समैन के कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	पिछले वर्ष/ Previous year
1.	बैंक को उसके ग्राहकों द्वारा प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers		
2.	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	1985	1432
3.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	83127	103636
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	83028	103083
3.1	उनमें से बैंक द्वारा अस्वीकार की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	7343	41266
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	2084	1985
5.	ओम्बड्समैन कार्यालय से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		
5.	ओम्बड्समैन से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	2347	2759
5.1.	मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	1465	1662
5.2	मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा जारी समझौता/ मध्यस्थता/परामर्श के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	882	1097
5.3	मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के विरुद्ध पारित दण्ड के पश्चात निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	00	00
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए दंडों की संख्या (अपील किए गये के अलावा) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	00	00

नोट : संपोषणीय शिकायतें ओम्बड्समैन योजना 2006 में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और इस योजना के दायरे में आती हैं।

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

बैंकिंग लोकपाल शिकायत विवरण/ Banking Ombudsman Complaints Details : -

क्र.सं. Sr. No	बैंकिंग लोकपाल की शिकायतें Banking Ombudsman Complaints	वित्तीय वर्ष/ FY 2024-25	वित्तीय वर्ष/ FY 2023-24
1	वर्ष की शुरुआत में बैंकिंग लोकपाल की लंबित शिकायतों की संख्या No of BO Complaints Pending at the Beginning of the year	24	39
2	वर्ष के दौरान प्राप्त बैंकिंग लोकपाल शिकायतों की संख्या No of BO Complaints Received during the year	2347	2759
3	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल की शिकायतों का निवारण किया गया No of BO Complaints Redressed during the year	2327	2774
4	वर्ष के अंत में लंबित बैंकिंग लोकपाल शिकायतों की संख्या No of BO Complaints Pending at the End of the year	44	24

ख) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार /

b) Top Five Grounds of Complaints by the bank from Customers

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / Top Five Grounds of Complaints by the bank from customers					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें Number of Complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का % % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष/Current Year 2024-25					
इंटरनेट मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/ Electronic Banking	1867	69590	-22%	2053	118
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	43	1379	-63%	2	0
ऋण एवं अग्रिम/ Loans and advances	6	1737	9%	4	0
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	14	6553	160%	9	0
पूर्वज्ञाति के बिना शुल्क का लगाया जाना / अत्यधिक शुल्क / पूर्व-बंदी शुल्क Levy of charges without prior notice / excessive charges / foreclosure charges	3	1664	69%	5	0
अन्य / Others	52	2204	-61%	11	2
अन्य / Total	1985	83127	-20%	2084	120

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / Top Five Grounds of Complaints by the bank from customers					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of Complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी का % % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of com- plaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
विगत वर्ष/Previous Year 2023-24					
इंटरनेट मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/ Electronic Banking	1310	89075	336%	1867	122
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	1	2520	71%	14	0
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	68	3803	17%	43	0
ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित / Loans & Advances	8	1584	1%	6	0
शाखा आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधा/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य समय का अनुपालन / Facilities for customers visiting the branch/ adherence to prescribed working hours by the branch, etc	0	985	23%	3	0
अन्य / Others	45	5669	-16%	52	2
अन्य / Total	1432	103636	204%	1985	124

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित जुर्माने का प्रकटन

वित्तीय वर्ष 01-04-2024 से 31.03.2025 तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 47(A)(1)(c) के तहत अधिकार प्राप्त करने के उपयोग में होने वाले शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, अन्य मुद्रा चेस्ट ऑपरेशन के अलावा रुपये 2,69,05,770.00/- (दो करोड़ उनहत्तर लाख पाँच हजार सात सौ सत्तर मात्र) का दंड लगाया है। आरबीआई नियामक के अलावा कोई अन्य जुर्माना नहीं है।

वित्तीय वर्ष 01.04.2024 से 31.03.2025 तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 47(A)(1)(c) के तहत अधिकार प्राप्त करने के उपयोग में होने वाले शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, मुद्रा चेस्ट ऑपरेशन के लिए रुपये 40,29,118.63 (चालीस लाख उनतीस हजार एक सौ अठारह रुपये त्रैसठ पैसे) का दंड लगाया है।

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

विवरण Details	2024-2025	2023-2024
श्री अश्विनी कुमार एमडी और सीईओ वेतन और परिलब्धियां Shri Ashwani Kumar MD & CEO Salary & Emoluments Paid	49.85	32.60
श्री राजेंद्र साबू (ईडी) वेतन और परिलब्धियां Shri Rajendra Saboo (ED) Salary & Emoluments Paid	44.48	37.82
श्री विजय एन कांबले (ईडी) वेतन और परिलब्धियां Shri Vijay N Kamble (ED) Salary & Emoluments Paid	39.39	15.84

14. अन्य प्रकटीकरण

ए) कारोबार अनुपात

विवरण/ Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
i) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय/ Interest Income as a percentage to Working Funds	7.76%	7.36%
ii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजोत्तर आय/ Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.36%	1.10%
iii) जमा मूल्य / Cost of Deposits	4.85%	4.78%
iv) निवल ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin	3.08%	2.92%
v) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.87%	1.54%
vi) आस्तियों पर आय / Return on Assets	0.76%	0.56%
vii) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) (करोड़ ₹ में) / Business (deposits plus advances) per employee (in ₹ crore)	24.35	20.93
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (लाखों ₹ में) / Profit per employee (in ₹ crore)	0.12	0.08

बी) बैंकाश्योरेंस से काराबार :

बैंकाश्योरेंस से आय का विवरण नीचे दिया गया है:

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

During the Financial Year from 01.04.2024 to 31.03.2025, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51 and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 2,69,05,770.00 (Two Core Sixty Nine Lakhs Five Thousand Seven Hundred Seventy only) for other than currency chest operations. There is no penalty from other than RBI Regulator.

During the Financial Year from 01.04.2024 to 31.03.2025, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51 and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 40,29,118.63 (Forty lakh Twenty Nine Thousand One hundred Eighteen & Paise Sixty Three only) for Currency Chest Operations only.

13. Disclosures on remuneration

(राशि लाख में)/Amount in Lakh)

14. Other Disclosures

a) Business Ratios

b) Bancassurance business:

Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं./Sl. No.	कारोबार का प्रकार / Type of Business	2024-25	2023-24
1	लाइफ/Life	49.67	47.19
2	नॉन-लाइफ/Non-Life	12.36	14.62

c) मार्केटिंग और वितरण/Marketing and distribution:

फ़िस्डम के माध्यम से वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स का डिजिटल वितरण /

Digital distribution of Wealth Management Products through Fisdom

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार / Type of Business	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24
म्युचुअल फंड/Mutual Fund	1.57	1.25

यूको-एसबीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से अर्जित क्रेडिट कार्ड कमीशन
Credit Card Commission earned through usage of UCO-SBI Co-Branded Credit Card

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार / Type of Business	वित्तीय वर्ष/FY 2024-25	वित्तीय वर्ष/FY 2023-24
क्रेडिट कार्ड / Credit Card	2.62	5.05

डी) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

- वित्त वर्ष 2024-25 में खरीदे गए कुल PLSC शून्य (लघु एवं सीमांत, कृषि, सूक्ष्म, सामान्य)
- वित्त वर्ष 2024-25 में बेचे गए कुल PLSC शून्य (लघु एवं सीमांत, कृषि, सूक्ष्म, सामान्य)

इ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

- Total PSLC- purchased in FY 2024-25: Rs. NIL(Small & Marginal,Agri, Micro, General)
- Total PSLC- Sold in FY 2024-25 : Nil (Small & Marginal,Agri, Micro, General)

e) Provisions and contingencies

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

लाभ और हानि खाते में नाम (डेबिट) किया गया प्रावधान Provision debited to Profit and Loss Account	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
एनपीआई के लिए प्रावधान / Provision towards NPI	35.4	582.01
एनपीए के प्रति प्रावधान /Provision towards NPA	1632.82	1068.27
आयकर के लिए किया गया प्रावधान/Provision made towards Income Tax	53.26	19.37
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय:-/Other Provisions and Contingencies :-		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	185.61	205.18
कानूनी मामले/आकस्मिक व्यय/धोखाधड़/Legal Cases / Contingencies/Frauds	1.66	4.99
उचित मूल्य में कमी /Diminution in Fair Value	0.76	6.60
आस्थगित कर आस्तियां /Deferred Tax Assets	1335.33	895.74
बकाया वेतन संोधन /Arrear Wage Revision	0	0
विविध प्रावधान /Miscellaneous Provision	347.52	140.35

एफ) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) पृष्ठभूमि का कार्यान्वयन

पृष्ठभूमि:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) लागू करना था। तथापि आरबीआई द्वारा यथासंस्तुत वैधानिक संशोधनों के कारण भारत सरकार की दिनांक 22.03.2019 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन होने के कारण आरबीआई ने आईएनडी एस के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक आस्थगित रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ईमेल दिनांक 8 अगस्त, 2021 के माध्यम से भारतीय लेखा मानक प्रोफार्मा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति को तिमाही से घटाकर अर्धवार्षिक करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 30 सितंबर को समाप्त होने वाली छमाही के लिए प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण और 31 मार्च के लिए पूर्ण वर्षीय प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।)

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standard (IND AS)

Background:

Scheduled Commercial Banks (SCBs), excluding Regional Rural Banks (RRBs), were required to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1, 2018 vide RBI Circular dated February 11, 2016. However RBI has deferred implementation of Ind AS till further notice due to the legislative amendments as recommended by RBI are under consideration of the Government of India vide its notification dated 22.03.2019. RBI vide email dated 8th August'2021 decided to reduce the frequency of Ind AS proforma financial statement submission from quarterly to half yearly. Accordingly, Banks are advised to submit proforma Ind AS based financial statements for the half year ending September 30 and full year proforma Ind AS based financial statements for March 31.

आईएनडी एस के कार्यान्वयन की प्रगति:

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को प्रोफॉर्मा इंड-एस वित्तीय बयानों को जमा कर दिया है, जिसमें पूंजी और लाभ में परिवर्तन का समाधान है, छमाही आधार पर और पिछले जीएपी आंकड़ों की तुलना की गई है। यह आखिरी बार 30 नवंबर, 2024 को सितंबर, 2024 को समाप्त होने वाले छमाही के लिए प्रस्तुत किया गया था।

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान /Payment of DICGC Insurance Premium	321.06	300.26
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया/Arrears in payment of DICGC premium	शून्य/Nil	शून्य/Nil

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

ज) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 11वें द्विपक्षीय समझौते और 11 नवंबर, 2020 के संयुक्त नोट के तहत पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण कोई अतिरिक्त देनदारी नहीं थी क्योंकि बैंक ने पहले ही 31 मार्च 2023 तक पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण पूरी अतिरिक्त देनदारी वसूल कर ली थी। 31 मार्च 2025 तक अपरिशोधित प्रावधान शून्य है।

इ) एमएसएमई पुनर्संरचित खाते

ए) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्संरचना पर आरबीआई सिक्यूरिटी क्रमांक DBR No. BP. BC. 18/ 21.04.048/ 2018-19 दिनांक 01.01.2019, DOR No. BP.BC.34/ 21.04.048/ 2019-20 दिनांक 11.02.2020 तथा RBI/2020-21/17 DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06.08.2020 के अनुसार, एमएसएमई पुनर्संरचित खातों का विवरण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नानुसार है:

पुनर्गठित खातों की संख्या No. of Accounts Restructured	सम्मिलित राशि (करोड़ रुपये में) Amount Involved (Rs. in Crore)	धारित प्रावधान (करोड़ रुपये में) Provisions held (Rs. in Crore)
294	93.28	9.32

बी) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिक्यूरिटी संख्या DOR.STR.REC.12/ 21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार 'रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 - कोविड-19 संबंधित छोटे, लघु, और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के तनाव का समाधान', 31 मार्च 2025 को पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नलिखित है:

पुनर्गठित खातों की संख्या No. of Accounts Restructured	सम्मिलित राशि (करोड़ रुपये में) Amount Involved (Rs. in Crore)	धारित प्रावधान (करोड़ रुपये में) Provisions held (Rs. in Crore)
7530	488.44	48.84

झ) आकस्मिक देयताएं

क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थ पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्त, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती है तथा जहां बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।

Progress on IND AS implementation:

Bank has submitted the Proforma IND-AS Financial statements to Reserve Bank of India with reconciliation of change in Equity & profit on half yearly basis and last submitted on November 30, 2024 for the half year ended September, 2024 compared with the previous GAAP figures.

ग) Payment of DICGC Insurance Premium Strategic Planning

h) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

During the FY 2024-25, there was no additional liability on account of revision in family pension consequent to the 11th Bipartite Settlement and Joint Note dated November 11, 2020 as Bank had already charged the entire additional liability on account of revision in family pension upto the year ended 31st March 2023. As on 31st March 2025, unamortized provision is Nil.

इ) MSME Restructured Accounts:

a) In accordance with the RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.18/ 21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, DOR.No.BP.BC.34/ 21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 and RBI/2020-21/17 DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 on Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector - Restructuring of Advances, the details of MSME restructured accounts as on 31st March 2025 are as under:

b) In accordance with RBI Circular no.DOR.STR.REC.12/ 21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework 2.0 - Resolution for Covid-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises(MSME)", the details of restructured accounts as on 31st March 2025 are as under:

j) Contingent Liabilities

a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgment of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvment and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.

- ख) आयकर, जीएसटी एवं सेवा कर के संबंध में आयकर/सेवा कर/ जीएसटी विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विवादित मांग को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 12 में दर्शाया गया है। प्रबंधन द्वारा कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि उक्त मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष निपटान हेतु लंबित हैं।
- त्र) हरित जमा से जुटाई गई निधियों के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तरीय जानकारी।

- b) Disputed demand as per orders passed by Income Tax/ service tax/GST Department on account off income tax, GST and Service tax has been shown in schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as matters are pending for disposal before various Competent Authorities.
- k) **Portfolio - Level information on the use of Funds raised from green deposits.**

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	चालू वित्तीय वर्ष Current Financial Year	पिछला वित्तीय वर्ष Previous Financial Year	संचयी* Cumulative*
कुल हरित जमा राशि जुटाई गई (ए)/ Total green deposits raised (A)	45.70	0	45.70
हरित जमा राशि निधियों का उपयोग** / Use of green deposit funds**			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा / Renewable Energy	45.70		45.70
(2) ऊर्जा दक्षता / Energy Efficiency			
(3) स्वच्छ परिवहन / Clean Transportation			
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / Climate Change Adaptation			
(5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन / Sustainable Water and Waste Management			
(6) प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण / Pollution Prevention and Control			
(7) हरित भवन / Green Buildings			
(8) सजीव प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन / Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use			
(9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण कुल हरित जमा राशि निधि आवंटित (बी उ 1 से 9 का योग) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	45.70		45.70
हरित जमा राशि निधियों की आवंटित नहीं की गई राशि (सी उ ए - बी) Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A - B)	0		0
पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को उनके आवंटन के लंबित हरित जमा राशि आय के अस्थायी आवंटन का विवरण Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects	0		0

* इसमें वह संचयी राशि शामिल होगी, जब से आरई ने ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश शुरू की है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक ने 1 जून, 2023 से ग्रीन डिपॉजिट जुटाना शुरू किया है, तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में 1 जून, 2023 से 31 मार्च, 2025 तक जुटाई गई और आवंटित की गई जमा राशियों का विवरण शामिल होगा। इसके अलावा, वर्ष के दौरान जुटाई गई ग्रीन डिपॉजिट की वास्तविक राशि और ऐसे फंडों के उपयोग के बारे में इस प्रकटीकरण के तहत जानकारी दी जाएगी।

**प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान प्रत्येक उप-क्षेत्र को आवंटित निधियों के आधार पर उप-श्रेणियाँ प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान 'नवीकरणीय ऊर्जा' के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जैसी उप-श्रेणियाँ प्रदान कर सकते हैं।

* This shall contain the cumulative amount since the RE started offering green deposits. For example, if a bank has commenced raising green deposits from June 1, 2023, then the annual financial statement for the period ending March 31, 2025, would contain particulars of deposits raised and allocated from June 1, 2023, till March 31, 2025. Further, the actual amount of green deposits raised during the year and use of such funds shall be given under this disclosure.

**Under each category, REs may provide sub-categories based on the funds allocated to each sub-sector. For example, REs may provide sub-categories like solar energy, wind energy, etc. under "Renewable Energy"

15. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

15. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/ re-casted wherever considered necessary.

अनुलग्नक II / Annexure II
पार्ट बी / Part B

लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)

लाभ-हानि लेखा में कोई 'अवधि पूर्व मद' शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2 राजस्व को मान्यता (एएस-9):

राजस्व को मान्यता अनुसूची-17 की लेखांकन नीति सं. 10 के अनुसार दी गई है।

3 एएस-11: विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव:

i) क) एकीकृत विदेशी परिचालन : प्रतिनिधि कार्यालय, तेहरान, ईरान

ख) गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन: सिंगापुर केंद्र और हांगकांग केंद्र

ii) गैर-एकीकृत केंद्र के लिए विनिमय दरें

एसजीडी	63.71
एचकेडी	10.9875

iii) लेखाबंदी दर

एसजीडी	63.71
एचकेडी	10.9875

iv) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित (एफसीटीआर)

बैंक ने लाभ और हानि खाते में विदेशी परिचालन से लाभ के प्रत्यावर्तन पर विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित में रखे गए आनुपातिक विनिमय लाभ या हानि को मान्यता नहीं दी है।

Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

1. Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5):

There were no material "prior period item" included in Profit and Loss account required to be disclosed as per AS - 5 issued by ICAI read with RBI guidelines. There is no change in the Significant Accounting Policies adopted during the year ended 31st March 2024 as compared to those followed in the previous financial year 2022-23.

2. Revenue Recognition (AS-9):

Revenue is recognized as per accounting policy No. 10 of Schedule -17.

3. AS-11: The Effects of changes in foreign Exchange Rates:

i) a) Integral Foreign Operations : Representative Office, Tehran, Iran

b) Non - Integral Foreign Operations: Singapore Centre & Hong Kong Centre

ii) Exchange rates for Non - Integral Centre

SGD	63.71
HKD	10.9875

iii) Closing Rate

SGD	63.71
HKD	10.9875

iv) Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)

Bank has not recognized in profit and loss account the proportionate exchange gains or losses held in foreign currency translation reserve on repatriation of profits from overseas operations.

4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एस-17) / Segment Reporting (AS- 17)

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार सेगमेंट	(ए) ट्रेजरी		(बी) कारपोरेट/ होलसेल बैंकिंग		(सी) रिटेल बैंकिंग		(1) डिजिटल बैंकिंग		(2) अन्य रिटेल बैंकिंग		(डी) अन्य बैंकिंग परिचालन		योग	
Business Segment	(a)Treasury		(b)Corporate/ Wholesale Banking		(c)Retail Banking		(1)Digital Banking		(2)Other Retail Banking		(d)Other Banking Operations		Total	
विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
Particulars	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
राजस्व/ Revenue	8294.19	825.16	11306.48	9122.81	9816.60	7697.13	0.17	0.06	9816.43	7697.07	56.28	48.25	29473.55	25119.86
परिणाम/ Result	1794.73	1528.83	1035.76	490.54	946.81	501.23	-2.61	-1.45	949.42	502.68	56.28	48.25	3833.58	2568.85
अनावंटित व्यय/ Unallocated Expenses													0.00	0.00
परिचालन लाभ/ Operating Profit													3833.58	2568.85
आयकर/ Income Tax													1388.59	915.11
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ/ Net Profit													2444.99	1653.74
सेगमेंट आस्तियां/ Segment Assets	135026.42	127737.74	121815.13	106506.27	105199.46	88784.01	0.95	1.63	105198.51	88782.38	440.07	523.44	362481.08	323548.46
अनावंटित आस्तियां/ Unallocated assets													0.00	0.00
कुल आस्तियां/ Total Assets													362481.08	323548.46
सेगमेंट देयताएं/ Segment Liabilities	109835.63	108158.08	135568.55	117468.34	117076.90	97922.03	16.28	11.28	117060.62	9791075	0.00	0.00	362481.08	323548.46
अनावंटित देयताएं/ Unallocated Liabilities													0.00	0.00
कुल देयताएं/ Total Liabilities													362481.08	323691.46

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	देशी/Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	चालू वर्ष/ Current Year 2024-25	पिछला वर्ष/ Previous Year 2023-24	चालू वर्ष/ Current Year 2024-25	पिछला वर्ष/ Previous Year 2023-24	चालू वर्ष/ Current Year 2024-25	पिछला वर्ष/ Previous Year 2023-24
राजस्व/Revenue	27537.80	23344.08	1935.75	1775.78	29473.55	25119.87
आस्तियां/Assets	333133.27	308615.97	29227.83	14932.48	362361.10	323548.45

5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एस-18) :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

- i) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री अश्वनी कुमार (01.04.2024 to 31.03.2025)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री राजेंद्र कुमार साबू (01.04.2024 to 31.03.2025)
श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले (01.04.2024 to 31.03.2025)

5. Related Party Disclosures (AS-18):

a) Key Management Personnel

- i) Managing Director (MD) & CEO
Shri Ashwani Kumar (01.04.2024 to 31.03.2025)

ii) Executive Directors (ED)

Shri Rajendra Kumar Saboo (01.04.2024 to 31.03.2025)
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble (01.04.2024 to 31.03.2025)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लेनदेन / b) Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

Details	2024-2025	2023-2024
श्री अश्वनी कुमार (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ) Shri Ashwani Kumar (Managing Director & Chief Executive Officer) Salary & Emoluments Paid	49.85	32.60
श्री राजेंद्र कुमार साबू (कार्यपालक निदेशक) Shri Rajendra Saboo (Executive Director) Salary & Emoluments Paid	44.48	37.82
श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले (कार्यपालक निदेशक) Shri Vijay N Kamble (Executive Director) Salary & Emoluments Paid	39.39	15.84

नोट: एस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक संबंधों की प्रकृति में लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेनदेन शामिल हैं।

Note: In terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel.

सी) सहयोगी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) है जिसका मुख्यालय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है, दिनांक 31.03.2025 तक इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और 230 शाखाएं हैं।

आरआरबी की पूंजी की स्थिति

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की दिनांक 31.03.2025 को कुल पूंजी 682.86 करोड़ रुपये की थी, जिसमें भारत सरकार से 341.43 करोड़ रुपये, यूको बैंक (प्रायोजक बैंक के रूप में) से 239 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 102.43 करोड़ रुपये शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आरआरबी का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक

असंपरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार, 31.03.2025 तक पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की कुल जमा राशि 5.63% की वृद्धि दर्ज करते हुए 7295.00 करोड़ रुपये थी। 31.03.2025 तक कुल अग्रिम राशि 6.41% की वार्षिक वृद्धि के साथ 4415.00 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई। 31.03.2025 तक सीडी अनुपात 60.52% रहा, जबकि 31.03.2024 को यह 60.08% था।

31.03.2025 को सकल एनपीए 343.00 करोड़ रुपये रहा, जबकि 31.03.2024 को यह 339.00 करोड़ रुपये था। 31.03.2025 को सकल एनपीए से सकल अग्रिम 7.77% रहा, जबकि 31.03.2024 को यह 8.18% था। आरआरबी का शुद्ध एनपीए अनुपात 31.03.2025 को 0.00% रहा, जबकि 31.03.2024 को यह 0.83% था।

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक ने 31.03.2025 को 65.78 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जबकि 31.03.2024 को 50.65 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया था, जिससे संचित घाटा 31.03.2024 के 408.81 करोड़ रुपये से घटकर 31.03.2025 को 355.03 करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया (12.00 करोड़ रुपये के निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व सहित)।

उपरोक्त सभी आंकड़े असंपरीक्षित हैं।

6. एसएस-21 और 23 की प्रयोज्यता :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और लेखा मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2025 के अनुसार बनाये गये हैं

7. अमूर्त आस्तियां (एस-26) :

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्ति की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

c) Associates

Regional Rural Banks (RRBs)

UCO Bank sponsored RRB namely, Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) is head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices and 230 branches as on 31.03.2025.

Capital position of RRB

The total capital of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2025 stood at Rs.682.86 Cr. comprising Rs. 341.43 Cr. from Govt. of India, Rs.239 Cr. from UCO Bank (as sponsor Bank) & Rs. 102.43 Cr. from West Bengal State Govt.

Performance of RRBs during 2024-25

Paschim Banga Gramin Bank:

As per unaudited financial results, total deposit of Paschim Banga Gramin Bank stood at Rs.7295.00 Cr. as on 31.03.2025, registering growth of 5.63%. Total advance reached a level of Rs.4415.00 Cr. with an annual growth of 6.41 % 31.03.2025. CD ratio stood at 60.52% as on 31.03.2025 as against 60.08 % on 31.03.2024.

The gross NPA stood at Rs. 343.00 Cr. as on 31.03.2025 vis-a-vis Rs. 339.00 Cr. as on 31.03.2024. Gross NPA to Gross Advance stood at 7.77 % as on 31.03.2025 as against 8.18% as of 31.03.2024. The net NPA ratio of the RRB stood at 0.00% as on 31.03.2025 as against 0.83% as of 31.03.2024.

Paschim Banga Gramin Bank has recorded a net profit of Rs 65.78 Cr as on 31.03.2025 as compared to net profit of Rs 50.65 Cr as on 31.03.2024 thereby decreasing accumulated loss from Rs 408.81 Cr as on 31.03.2024 to Rs 355.03 Cr (tentative) as on 31.03.2025 (including Investment Fluctuation Reserve of Rs 12.00 Core) .

All the above figures are unaudited.

6. APPLICABILITY OF AS- 21 and 23:

The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21-" Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23-" Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the ICAI.

The financial statement of the associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn upto 31st March 2025.

7. Intangible Assets (AS-26):

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets as on 31.03.2025

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम. सं. Sl. No	विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
1	वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	188.01	113.77
2	घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के खातों का समाधान Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	12.44	-
3	वर्ष के आरंभ में निवल अवरुद्ध Net Block at the beginning of the year	175.57	-
4	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	95.02	87
5	घटाएं: अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	48.32	12.76
6	योग/Total	222.27	188.01
7	घटाएं: अद्वयित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	113.47	90.2
8	घटाएं: अपसामान्य हानि / Less: Impairment Loss	-	-
9	वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	108.80	97.81

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां-परिशोधन/Intangible Assets - Amortization as on 31.03.2025

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
10 सकल प्रारंभिक शेष/Gross Opening balance	90.2	38.05
11 घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के कारण समायोजन Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	4.14	-
12 शुद्ध प्रारंभिक शेष /Net Opening Balance	86.06	38.05
13 जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	-	-
14 जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	75.73	64.91
15 घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	48.32	12.76
16 अंतिम शेष/Closing Balance	113.47	90.20

8. आस्तियों की अनर्जकता (एस-28) :

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्त्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

9(क) एस-24 की प्रयोज्यता

चूंकि बैंक की कोई सहायक कंपनियाँ या सहयोगी/संयुक्त उपक्रमों में नियंत्रक हित नहीं है, अतः आईसीएआई द्वारा जारी एस-24 - डिस्कन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस बैंक पर लागू नहीं होता है।

9(ख) एस-27 की प्रयोज्यता

आईसीएआई द्वारा जारी एस -27 - संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग बैंक पर लागू नहीं होता है।

10. एस-15-कर्मचारी हितलाभ (संशोधित) :

- बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित) 'कर्मचारी लाभ' को अपनाया गया।

8. Impairment of Assets (AS-28):

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard - 28 "Impairment of Assets" no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

9(a) APPLICABILITY OF AS- 24

As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS-24 - Discontinuing Operations issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

9(b) APPLICABILITY OF AS- 27

AS 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures Operations issued by the ICAI are not applicable to the Bank

10. AS - 15 -Employee Benefits (Revised):

- The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.

ii. लेखा मानक -15 (संशोधित) के अनुसार आवयक लाभ और हानि खाते और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में मान्यता प्राप्त रोजगार पूर्व लाभों और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की सारांश स्थिति निम्नानुसार है: -

ii. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance sheet as required in accordance with Accounting Standard -15 (Revised) are as under:

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

Defined Benefit Schemes:

(ए) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(a) Changes in the present value of the obligations

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

निधिक/FUNDED					अनिधिक/UNFUNDED							
विवरण Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of obligation as at the beginning of the year	9531.08	9074.64	9222.21	698.82	779.10	626.66	42.56	42.15	22.28	17.59	2.92	2.48
ब्याज लागत Interest Cost	598.03	610.50	61.21	46.61	54.46	45.24	2.97	3.04	1.56	1.27	0.20	0.18
चालू सेवा लागत Current Service Cost	489.91	484.34	70.83	64.04	182.78	168.77	0	0	0	5.06	0	0
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	1421.00	1214.60	93.00	106.50	0	0	0	0	0	0	0	0
बीमांकिक हानि/(लाभ) दायित्व Actuarial loss/(gain) on Obligations	897.44	576.20	159.00	219.24	55.74	61.57	1.38	2.64	2.94	1.64	(0.20)	(0.26)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligation at year end	10095.47	9531.08	1120.25	922.21	960.60	779.10	44.15	42.56	26.12	22.28	3.33	2.92

(b) (बी) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(b) Change in Fair Value of Plan Asset

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/ Particulars	पेंशन/ Pension 2025	पेंशन/ Pension 2024	उपदान/ Gratuity 2025	उपदान/ Gratuity 2024
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति के उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	9241.98	8864.53	709.92	678.49
योजना आस्ति पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on Plan Assets	747.67	716.26	56.62	54.82
नियोक्ता अंशदान /Employer's contribution	1450.40	869.69	372.83	82.70
प्रदत्त हितलाभ /Benefit Paid	1531.00	1214.60	103.00	106.50
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial gain/(loss) on Obligation	(116.18)	6.10	28.88	0.41
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य Fair Value of Plan Asset at the end of the year	9792.87	9241.98	1065.25	709.92

(सी) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(c) Amount recognized in Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

निधि/FUNDED					अनिधि/UNFUNDED							
विवरण Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य Estimated Present value of obligations as at the end of the year	10095.47	9531.08	1120.25	922.21	960.60	779.10	44.15	42.56	26.11	22.27	3.33	2.92
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का वास्तविक उचित मूल्य Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	9792.87	9241.98	1065.25	709.92	930.92	681.73	42.56	42.15	22.27	17.58	2.92	2.48
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयताएँ/आस्ति Net Liability /Asset rec- ognized in Balance Sheet	302.60	289.10	55.00	212.29	29.68	97.37	1.59	0.41	3.84	4.69	0.41	0.44

(d) लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in the Profit and Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

		पेंशन		उपदान		छुट्टी का नकदीकरण		एलएफसी/ एलटीसी		बीमारी छुट्टी		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा	
		Pension		Gratuity		Leave Encashment		LFC / LTC		Sick Leave		Medical Benefits to Directors	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
चालू सेवा लागत (ए) Current Service Cost (A)		489.91	484.37	70.83	64.04	182.78	168.77	0	0	5.22	5.06	0	0
ब्याज लागत (बी) / Interest Cost (B)		598.03	610.49	61.21	46.61	54.46	45.24	2.97	3.04	1.56	1.27	0.21	0.18
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल (सी) Expected Return on Plan Asset (C)		747.68	716.25	56.62	54.82	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (डी) Net Actuarial Loss/Gain Recognized in the Year (D)		1013.62	570.10	130.12	218.83	(55.74)	(61.57)	(1.38)	(2.63)	(2.94)	(1.64)	0.20	0.26
राशि /Amount (A+B-C+D)		1353.89	948.68	205.54	274.66	181.50	152.44	1.59	0.41	3.84	4.69	0.41	0.44
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभ-हानि लेखा विवरणी में व्यय को शामिल किया गया Expenses Recognized in Statement of Profit/ Loss during the FY 2021-22	प्रावधान खाता के माध्यम से - नोट 1(ए) Through Provision Account-Note 1 (A)	1353.89	948.68	205.54	274.66	181.50	152.44	1.59	0.41	3.84	4.69	0.41	0.44
	बैंक का सामान्य अंशदान (बी) Banks Ordinary Contribution (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, As per RBI direction, (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल/Total (A+B+C)	1353.89	948.68	205.54	274.66	181.50	152.44	1.59	0.41	3.84	4.69	0.41	0.44

बीमांकिक लाभ/हानि समाधान/ **Actuarial Gain/Loss Reconciliation**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

निधित्त/FUNDED					अनिधित्त/UNFUNDED							
विवरण Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
वर्ष के लिए बीमांकिक हानि/(लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	897.44	576.20	159.00	219.24	55.74	61.57	1.38	2.63	2.94	1.64	0.20	0.26
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)- आस्ति योजना Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	1013.62	570.10	130.12	218.83	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष के लिए कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	1911.06	1146.30	289.12	438.07	55.74	61.57	1.38	2.63	2.94	1.64	0.20	0.26
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain) Recognized in the Year	1911.06	1146.30	289.12	438.07	55.74	61.57	1.38	2.63	2.94	1.64	0.20	0.26

निवेश के ब्योरे :

- क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%
- ख) पेंशन निधि की बाबत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

Investment Details:

- a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%
- b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund

निवेश की प्रकृति /Nature of Investment	% of Total Investment
ईक्विटी /Equities	-
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियाँ Fixed income & debt securities	100.00%
विशेष जमा / Special Deposit	-
अन्य आस्तियाँ एन्युटी कांट्रैक्टर Other Assets / Annuity contractor	-
कुल/Total	100.00%

मूल बीमांकिक अनुमान / Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 / 6 Above age 45 29 से 45 वर्ष के बीच के 3 / 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 / 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	6.78%
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	6.00%
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	8.09%
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	11 वर्ष/11 years
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

11. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) -(एस-20) / Earnings Per Share (EPS)- (AS-20):

ईपीएस का परिकलन/Calculation of EPS

	31.3.2025	31.3.2024
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	2468.01	1671.56
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	12539558979	11955958176
जोखिम धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	11963952708	11955958176
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	2.06 2.06	1.40 1.40

12. आय पर कर का लेखांकन (एस-22)

- क) बैंक का वर्ष के दौरान कोई वर्तमान आयकर दायित्व नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखा मानक एस-22 के अनुसार ₹1335.32 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹895.74 करोड़ वापस कर दिया गया है) की निवल राशि की पहचान डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

12. Accounting for Taxes on Income (AS-22) :

- a) The Bank does not have any current Income Tax obligation during the year. During the FY 2024-25, net amount of Rs. 1335.32 Crore (Rs. 895.74 Crore has been reversed for FY 2023-24) has been reversed as Deferred Tax Assets as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
आस्थगित कर आस्तियाँ / Deferred Tax Assets		
आगे ले जायी गई हानि / Carried Forward Loss	4860.77	6380.28
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	395.08	272.25
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in fair value	0.00	0.00
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान/ Provision for Employee Benefits	0.00	19.92
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	445.82	380.96
निवेश मूल्यांकन में अंतर / Difference in investment valuation	0.00	0.00
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	90.57	74.26
आकस्मिक देयताएँ /अन्य के लिए प्रावधान /Provision held for Contingent Liabilities/Others	185.81	185.71
योग:/TOTAL :	5978.05	7313.37

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2024
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	--	--
निवेश मूल्यन में अंतर / Difference in Investment valuations	--	--
योग:/TOTAL:	--	--
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	5978.05	7313.37

भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीए की घोषणा की है, जो घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी दर से कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने का एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है। बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115बीए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया है तथा 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 के पुराने प्रावधानों के अनुसार आय पर करों को मान्यता देना जारी रखने का विकल्प चुना है।

The Government of India has pronounced Section 115BAA of Income Tax Act, 1961 through Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 which provides domestic companies a non-reversible option to pay corporate tax at reduced rate effective from 1st April, 2019 subject to compliance of certain conditions. Bank has evaluated the options available under section 115BAA of the Income Tax Act 1961 and opted to continue to recognize the taxes on income as per the old provisions of the Income Tax Act 1961 for the quarter and year ended 31st March 2025.

13. आरबीआई सर्कुलर संख्या डीओआर.एसीसी.आरईसी. सं.91/21.04.018/2022-23 दिनांक 13.12.2022 के अनुसार, "अनुसूची 14-अन्य आय" शीर्षक के तहत उपशीर्षक "विविध आय" के तहत आइटम से संबंधित प्रकटीकरण कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक, निम्नानुसार हैं:

13. In terms of RBI Circular No. DOR.ACC.REC.No.91/21.04.018/2022-23 dated 13.12.2022, the disclosure relating to item under subhead "Miscellaneous Income" under the head "Schedule 14-Other Income" exceeds one percent of total income, are as under:

प्रमुख/उप-शीर्षक का विवरण Particulars of Head/ Sub-Head	उप-शीर्षक के अंतर्गत मद Item under the Sub-Head	राशि (करोड़ रुपये में) Amount (Rs. In Crore)	प्रतिशत में In Percentage Terms
अनुसूची 14-अन्य आय उप शीर्ष- विविध आय Schedule 14-Other Income Sub Head- Misc Income	बट्टे खाते में वसूली Recovery in Written off	2623.54	8.90%

14. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

14. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/re-casted wherever considered necessary.

बैंकों द्वारा जारी किए गए लेटर्स ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटीकरण।

बैंक ने वित्त वर्ष 2024-2025 और वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान कोई भी लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoCs) जारी नहीं किया है
31.03.2025 तक तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की सतत संरचना (एस4ए) योजना पर प्रकटीकरण

Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by banks.

Bank has not issued any letter of Comfort (LoCs) during the FY 2024-2025 and FY 2023-2024
Disclosure on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2025

विवरण Particulars	उन खातों की संख्या जहां S4A लागू किया गया है No of Accounts where S4A has been applied	कुल बकाया राशि Aggregate Amount outstanding	बकाया राशि Amount Outstanding		प्रावधान रखा गया Provision Held
			भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार/ As on 31.03.2025					
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard		शून्य/Nil			
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA		शून्य/Nil			
दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार/ As on 31.03.2024					
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard		शून्य/Nil			
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA		शून्य/Nil			

ऋण जोखिम के संबंध में बैंक का प्रकटीकरण जहां 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यक्तिगत / समूह उधारकर्ताओं के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित बड़े एक्सपोजर (एलई) ढांचे के अनुसार विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं पार हो गई थीं।

31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए टियर -1 पूंजी पर आधारित किसी भी व्यक्तिगत और समूह खातों के संबंध में जिन खातों में बैंक ने बड़े एक्सपोजर (एलई) ढांचे के अनुसार विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं को पार कर लिया है, उनका विवरण नीचे दिया गया है।

Bank's Disclosure in respect of Credit Exposure where the same had exceeded the Prudential Exposure limits as per Large Exposure (LE) framework prescribed by RBI for Individual / Group Borrowers for the Financial year ended 31.03.2025.

Details of accounts where Bank has exceeded the Prudential Exposure limits as per Large Exposure (LE) framework in respect of any Individual and Group Accounts based on Tier -1 capital for the financial year ended 31.03.2025 are as below.

क्र. सं	उधारकर्ता का नाम	निर्धारित सीमा	एक्सपोजर (31.03.2025 तक)	31.03.2025 तक टियर-1 पूंजी के % के रूप में कुल जोखिम	बकाया (31.03.2025 तक)	31.03.2025 तक टियर-1 पूंजी के % के रूप में एलई फ्रेमवर्क के अनुसार कुल बकाया जोखिम
Sr No	Name of Borrower	Prescribed Ceiling	Exposure (As On 31.03.2025)	Total Exposure as % of Tier-1 Capital as on 31.03.2025	Outstanding (As on 31.03.2025)	Total Outstanding Exposure as per LE Framework as % of Tier-1 Capital as on 31.03.2025
व्यक्तिक/ Individual						
			शून्य/Nil			
समूह/ Group						
			शून्य/Nil			

वित्तीय वर्ष 31.03.2024 को समाप्त/FY Ended 31.03.2024

क्र. सं	उधारकर्ता का नाम	निर्धारित सीमा	एक्सपोजर (31.03.2024 तक)	31.03.2024 तक टियर-1 पूंजी के % के रूप में कुल जोखिम	बकाया (31.03.2024 तक)	31.03.2024 तक टियर-1 पूंजी के % के रूप में एलई फ्रेमवर्क के अनुसार कुल बकाया जोखिम
Sr No	Name of Borrower	Prescribed Ceiling	Exposure (As On 31.03.2024)	Total Exposure as % of Tier-1 Capital as on 31.03.2024	Outstanding (As on 31.03.2024)	Total Outstanding Exposure as per LE Framework as % of Tier-1 Capital as on 31.03.2024
व्यक्तिक/ Individual						
			शून्य/Nil			
समूह/ Group						
			शून्य/Nil			

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
A. Cash Flow from Operating Activities :		
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	38566075	25866645
समायोजन/Adjustments for :		
अचल आस्तियों पर अवक्षयण/ Depreciation on fixed assets	3112582	2809227
निवेश पर अवक्षयण/प्रावधान/Depreciation/Provision on investments	(169972)	3409994
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for non-performing assets	16328235	10682695
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for Standard Assets	1856098	2051761
अन्य मदों के लिए प्रावधान/Provision for other items	16852682	10476792
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि/(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(4085)	(5779)
गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग माना गया)		
Interest paid on subordinated debt (treated separately)	1390549	1395851
गौण ऋण पर ब्याज के एटी-1 (इसे अलग माना गया)		
Interest paid on AT-1 debts (treated separately)	475000	475000
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश/Dividend Received	(86910)	(40503)
उप-योग/Sub-total	78320254	57121683
घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	0	0
	78320254	57121683
समायोजन/Adjustments for :		
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	(13741212)	19061393
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in advances	(347455372)	(272199559)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in other assets	15278748	7317565
उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	(15238184)	47380397
जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	304124055	137920357
अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु		
Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	(2162863)	13415644
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ)		
Net Cash Flow from Operating Activities (A)	19125426	10017480
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
B. Cash Flow from Investing Activities :		
अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets	(3715658)	(3536222)
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान/Sale/disposal of fixed assets	352628	546562
प्राप्त लाभांश/Dividend Received	86910	40503
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)		
Net Cash Flow from Investing Activities (B)	(3276120)	(2949157)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/		
C. Cash Flow from Financing Activities :		
इक्विटी शेयरों का आवंटन/Allotment of Equity Shares	5836008	0
इक्विटी शेयरों के जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम Share Premium on issue of Equity Shares	14163991	0
भारत सरकार द्वारा पूंजी निवेश (शेयर आवेदन राशि में रखा गया) Capital infusion by GOI (Kept in Share Application Money)	0	0
ईएसपीएस आवेदन धनराशि /Amount of ESPS Application Money	0	0
एटी - 1 बॉन्ड को जारी करना / Issue of AT-1 Bonds	0	0
बेसल-III अनुरूप टियर-2 बॉण्ड्स का निर्गम Issue of Basel-III compliant Tier 2 Bonds	0	0
एटी-1 बांड्स का मोचन/Redemption of AT-1 Bonds	0	0
अपर टियर-2 बांडों का मोचन/Redemption of Upper Tier-2 Bonds	0	0
Redemption of Subordinated Debts	0	0
नाबार्ड / सिडबी/एनएचबी से पुनर्वित्त प्राप्त/ को मोचन / Refinance from / Redemption to - NABARD/SIDBI/NHB	43908200	(2424456)
लाभांश भुगतान/Dividend Paid	(3347668)	
एटी -1 बॉन्ड पर भुगतान किया गया ब्याज / Interest paid on AT-1 Bonds	(475000)	(475000)
अपर टी-2 ऋण उपकरणों पर दिया गया ब्याज Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments	0	0
गौण ऋण पर दिया गया ब्याज/ Interest paid on subordinated debts	(1390549)	(1395851)
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ) Net Cash Flow from Financing Activities (C)	58694982	(4295307)

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
गैर- कार्यपालक अध्यक्ष
Shri Aravamudan Krishna Kumar
Non-Executive Chairman

श्री अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashwani Kumar
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
Shri Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले
कार्यपालक निदेशक
Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती
निदेशक
Dr. Sarada Prasan Mohanty
Director

श्री सुधीर श्याम
निदेशक
Shri Sudhir Shyam
Director

सुश्री रचना खरे
निदेशक
Ms. Rachna Khare
Director

श्री अंजन तालुकदार
निदेशक
Shri Anjan Talukdar
Director

श्री सुभाष शंकर मलिक
निदेशक
Shri. Subhash Shankar Malik
Director

श्री रवि कुमार अग्रवाल
निदेशक
Shri Ravi Kumar Agrawal
Director

सुजय दत्ता
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sujoy Dutta
General Manager & Chief Financial Officer

शैलेश नवलखा
सहायक महाप्रबंधक
Shelesh Navlakha
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 28-04-2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹	31.3.2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2024 ₹
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ) Net increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	74544288	2773016
विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन (ई)/ Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation	(3528782)	199592
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ+ई)/ Net increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C+D)	71015506	2972608
क्रमशः 1 अप्रैल 2024 और 2023 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents as on April 1, 2024 & 2023 respectively	290253611	287281003
क्रमशः 31 मार्च 2025 और 2024 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents as on March 31, 2025 & 2024 respectively	361269117	290253612
ई. वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
D Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	7168202	9142317
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	94803520	93857827
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	188281890	184280859
	290253612	287281003
उ. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		
E Cash and Cash Equivalents at the end of the Year हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	5873965	7168202
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	97715187	94803520
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	257679965	188281890
	361269117	290253612

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए संधीप जैन)
भागीदार - एमआरएन 077281
(CA SANDEEP JAIN)
Partner - MRN 077281

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
FOR P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार - एमआरएन 504134
(CA RUCHI AGARWAL)
Partner - MRN 504134

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार - एमआरएन 521742
(CA NAKUL MITTAL)
Partner - MRN 521742

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए चरण जीत)
भागीदार - एमआरएन 515154
(CA CHARAN JEET)
Partner - MRN 515154

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

यूको बैंक के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने यूको बैंक ('बैंक') के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक समेकित तुलन-पत्र और उस समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण शामिल है, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें शामिल हैं:
 - यूको बैंक (बैंक) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, जिनका लेखा परीक्षण सभी चार सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों अर्थात् हमारे द्वारा किया गया है।
 - एक अनुषंगी (पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक) का अलखापरीक्षित वित्तीय विवरण।
- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और बैंक के अलग-अलग लेखा अपरीक्षित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी और सहयोगी के लेखा परीक्षित वित्तीय पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, जैसा कि बैंक प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रावधानों के लिए आवश्यक जानकारी देता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों ('आरबीआई दिशानिर्देश') को आवश्यक तरीके से और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2025 को बैंक के समेकित लाभ की उनकी समेकित स्थिति, और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।

अभिमत का आधार

हमने अपना लेखा-परीक्षण भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षण मानकों (SAs) के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक और उसके सहयोगी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं, जिसमें समय-समय पर संशोधित ICAI लेखांकन मानक शामिल हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशा-निर्देशों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक ('RBI') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अधीन हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा-परीक्षण साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

3. तथ्य पर बल

एकल और समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के हिस्से के रूप में सहयुक्त नोट की अनुसूची 18 के नोट संख्या 6 (भाग बी) की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया है कि इस विवरणी में अनुषंगी पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक (35% हिस्सेदारी) से संबंधित परिणाम भी शामिल हैं। 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणाम/खातों की लेखा परीक्षा इस रिपोर्ट की तारीख तक नहीं की गई है। इस विवरणी में उस अनुषंगी से संबंधित 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 23.02 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की बैंक हिस्सेदारी शामिल है, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा इस रिपोर्ट की तारीख तक नहीं की गई है। ये वित्तीय विवरण अनुषंगी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं और विवरण पर हमारी राय, जहां तक यह इस इकाई के संबंध में शामिल मात्रा और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा तैयार वित्तीय विवरण पर आधारित है तथा हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उपरोक्त पैराग्राफ में कही गई है। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अनुषंगी की लेखा अपरीक्षित वित्तीय जानकारी बैंक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

उक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

मूल लेखा परीक्षा मामले

- मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबंधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है:

अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान करना और उनका प्रावधान अग्रिमों के अंतर्गत

खरीदे एवं भुनाए गए बिल, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण और मीयादी ऋण। इन्हें बैंक / सरकारी गारंटी और असुरक्षित अग्रिमों के रूप में कवर की गई मूर्त संपत्ति (बुक डेट के बदले अग्रिम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया जाता है। वर्गीकरण तथा प्रावधान बैंक के कोर बैंकिंग सौल्यूशन (सीबीएस) के तहत बैंक के आईटी साफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान मुख्यतः उसके एनपीए होने की अवधि तथा उसके एवज में रखी गई प्रतिभूति की वसूली योग्यता पर निर्भर है।

क्योंकि प्रतिभूति के मूल्यांकन में अनुमान और निर्णय का उच्च स्तर शामिल होता है, विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के अवास्तविक मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का अभिव्यक्त मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत तरीके से कहा जा सकता है और वित्तीय विवरणियों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए, अग्रिमों का वर्गीकरण तथा उन पर प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय माना गया है।

निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेश की पहचान और प्रावधान

निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।

ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अधीन प्रचालित होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की संगत गैर-मान्यता और इसके एवज में किए प्रावधान को शामिल किए जाते हैं।

उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा / सूचना का संग्रह शामिल है, जैसे बीएसई / एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण इत्यादि का मूल्यांकन, लेनदेन की मात्रा, त्वरित निवेश और विनियामक फोकस की डिग्री, जटिलताओं और निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है।

तदनुसार, हमारा लेखापरीक्षा मूल रूप से निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित था।

हमने आरिस्त वर्गीकरण और इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों दिशानिर्देशों तथा निदेशों और बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई।

हमने अग्रिमों की निगरानी, पहचान / वर्गीकरण जिसमें संगत डाटा गुणता की जांच भी शामिल है, के संबंध में आईटी सॉफ्टवेयर नियंत्रण तथा अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता तथा सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा की समीक्षा, मूल्यांकन एवं जांच की।

वृहद और दबावग्रस्त अग्रिमों के टेस्ट जांच द्वारा परिचालनों / कार्यनिष्पादनों और निगरानी की समीक्षा, एवं दस्तावेज़ीकरण ताकि किसी भी अग्रिम खाते में असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके, यह सत्यापित किया जा सके कि इसका वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप है। इसके अलावा, हमने आंतरिक / विनियामक निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षाओं आदि की कई रिपोर्टों का भी उल्लेख किया है और बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो पर इसकी टिप्पणियों के परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन किया है स्वचालन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की गुंजाइश है।

निवेश के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों के संदर्भ में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान (एनपीआई), निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और ठोस लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है।

हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया और देखा कि वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई निर्देशों का अनुपालन किया जाता है या नहीं।

हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई / एनएसई आदि पर उद्धृत दरों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया;

वर्तमान निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने आरबीआई के मास्टर परिपत्रों एवं निहित दिशा-निर्देश के साथ सटीकता और अनुपालन हेतु प्रत्येक वर्ग की प्रतिभूति का पुनर्मूल्यांकन कर परीक्षण किया।

हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया का और इसके विपरीत आय और प्रावधान के सृजन के उलट का आकलन और मूल्यांकन भी किया;

उपर्युक्त के अलावा, हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यहास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं भी कीं। हमने आरबीआई के निर्देशों के संदर्भ में विभिन्न निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े खुलासों की प्रस्तुतियों का भी मूल्यांकन किया स्वचालन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की गुंजाइश है।

लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय

प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधान और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना

बैंक कई कराधान और अन्य विवादों में शामिल है, जिसके अंतिम परिणामों की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप भारी देनदारियां हो सकती हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन जटिल धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए निर्णय करने की आवश्यकता होती है और इस तरह के निर्णय, मुख्य रूप से, कार्यवाही के परिणाम की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन और वित्तीय वक्तव्यों में खुलासे की पर्याप्तता से संबंधित होते हैं। आवश्यक निर्णय, इस तरह के मुकदमों का महत्व और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण यह क्षेत्र हमारे ऑडिट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था।

इस प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले के प्रत्युत्तर में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल था :

- कानूनी और कर मुकदमों, और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रण का आकलन।
- विधिक पूर्वोदाहरणों तथा समान वादों के अन्य रुझानों का विचार करते हुए बैंक द्वारा संभावित विधिक तथा कर जोखिमों के मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई धारणा का आकलन।
- सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखों के निरीक्षण के बारे में कानूनी विभाग के साथ पूछताछ।
- जहां कहीं उपलब्ध हो विशेषज्ञों से प्राप्त विचारों का विश्लेषण।
- वित्तीय विवरणों के नोट में प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा।

अन्य मामले

5. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में एक (01) अनुषंगी के संबंध में लेखा अपरीक्षित वित्तीय परिणाम/विवरण शामिल हैं, जिनके वित्तीय परिणाम/विवरणों में कर की कटौती के बाद जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय परिणाम/विवरण अनुषंगी के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और हमारी राय पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत ऐसे वित्तीय विवरणों/परिणामों पर आधारित है, में बैंक के हिस्से के 23.02 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दिखाया गया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरणों बैंक के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, निदेशक की रिपोर्ट, बासेल III के तहत आधार 3 प्रकटन, लिवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है। लेकिन उसमें वित्तीय विवरण और उसपर हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।
7. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आवासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।
8. समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपर्युक्त में पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते हुए, हमें विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ गंभीर रूप से असंगत है या ऑडिट के संबंध में हमारी जानकारी, या और कोई बात प्रधान रूप से गलत रूप से कही (मिसस्टेमेंट) गई प्रतीत होती है।
9. यदि, इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण गलत कथन (मिसस्टेमेंट) है। हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट करने की अपेक्षा है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।
10. जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक, यदि कोई हो, तो, यदि हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को इससे संबंधित विभाग को बताने की अपेक्षा होगी।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व और उन पर अभिशासन का दायित्व

11. बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदान और बैंक और उसके सहयोगी के समेकित नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं। जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं। संबंधित निदेशक मंडल बैंक और उसके

सहयोगी इसके लिए उत्तरदायी हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उसका प्रयोग; जो उचित और विवेकपूर्ण हैं जैसे निर्णय करना और धारणा बनाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन करना, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जिसमें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही सही खास बातों का गलत कथन नहीं हो, भी शामिल है।

12. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, बैंक के संबंधित निदेशक मंडल और उसके सहयोगी, बैंक और उसके सहयोगी से संबंधित जो तथ्य लागू हो, उन्हें प्रकट करना है। यह एक संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी हैं। जब तक प्रबंधन बैंक और उसके सहयोगी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने नहीं चाहता है, तो ऐसा करने के अतिरिक्त कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

13. बैंक और उसके सहयोगी के संबंधित निदेशक मंडल भी बैंक और उसके सहयोगी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों के दायित्व

14. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से समेकित वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो, प्रमुख रूप से गलत कथन से मुक्त हैं, और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी ओपीनियन भी शामिल होगी। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई परीक्षा यदि विद्यमान हो तो, किसी महत्वपूर्ण गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) का पता हमेशा लगा ही लेगी। गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें मेटेरियल तभी माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने में समर्थ हों।

15. इस के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के एक अंग के रूप में हम संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संशयवादिता रखते हैं। हम यह भी कहते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम की पहचान तथा उसका आकलन चाहे वे कपट के कारण हुए हों या त्रुटि वश। हम अपनी लेखा परीक्षा को उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए डिजाइन तथा उसे पूरा करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्तकरते हैं जो हमारे अभिमत को आधार देने में पर्याप्त तथा समुचित सिद्ध हों। चूंकि कपट में मिलीभगत, कपट, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई चूक, मिस रिप्रेजेंटेशन अथवा इंटरनेट नियंत्रण की अवहेलना शामिल है, कपट के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाना त्रुटि के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाने से ज्यादा गंभीर बात है।
- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन किया जा सके, लेकिन बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- प्रयुक्त लेखाकरण मानदंडों की समुचितता का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण प्राक्कलन तथा संबंधित प्रकटन की तार्किकता का पता लगाना।
- लेखाकरण के गोइंग कंसर्न आधार के प्रबंधन प्रयोग की तर्कसंगतता पर निष्कर्ष व्यक्त करना तथा प्राप्त किए गए लेखाकरण साक्ष्यों के आधार पर एक चल संस्थान के रूप में बैंक के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करनेवाली महत्वपूर्ण अनिश्चयता है या नहीं यह बताना। यदि हम यह निष्कर्ष दें कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता है तो हमें अपने लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन के अंतर्गत इस ओर ध्यान खींचना होगा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हुए तो हमें अपने अभिमत में आशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं तथा परिस्थितियां बैंक को एक चल संस्थान (गोइंग कंसर्न) के रूप में जारी रहने से रोक भी सकती हैं।
- प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह और उसके सहयोगियों के भीतर संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

16. तथ्यता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

17. जो गवर्नेस के प्रभार में हैं हम उन लोगों से अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल हैं, के विषय में बताने हैं।
18. जो गवर्नेस के प्रभार में हैं हम उन लोगों को स्वतंत्रता के ऊपर बनाई गई वह समेकित विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने संगत आचारगत अपेक्षाओं के साथ तैयार किया है तथा उनसे हम उन संबंधों तथा अन्य बातों के विषय में भी बताते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ता हुआ समझा जा सकता है। जहां आवश्यक हुआ हम संबंधित सुरक्षा के विषय में भी बताते हैं।
19. जो गवर्नेस के प्रभार में हैं उनसे हुई बातों से हमने उन बातों का निश्चय किया जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। यदि हमें विधि एवं विनियम मामले को सार्वजनिक प्रकटन से वारित न करें अथवा जब अत्यंत विरल दशा में हमें किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में प्रकट न करने का निर्णय करें क्योंकि ऐसा करने का विपरीत प्रभाव वैसे संवाद के लोकहित लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, हम इन बातों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

20. समेकित बैलेंस शीट और समेकित लाभ और हानि खाते का विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है :
21. उक्त पैराग्राफ में दर्शित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यक्षीन तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा उसमें अभिव्यक्त प्रकटन की सीमाओं के अध्यक्षीन जैसा कि बैंकिंग विनियमन, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने वे सभी जानकारीयां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;
 - ख) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखाकरण नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
 - ग) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली समेकित वित्तीय विवरणों पर लागू नहीं होती है।
22. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 30(2) के प्रावधानों के तहत और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 मार्च, 2020 के पत्र संख्या **DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019- 20** के अनुसार, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (SCA) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से SCAs के लिए रिपोर्टिंग दायित्व", को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 19 मई, 2020 के बाद के संचार के साथ पढ़ें, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमारी राय में, बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से पता चलता है और हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए शाखाओं से हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं;
 - ख) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ-हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, संबंधित खाता बहियों और हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के अनुरूप हैं;
 - ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा उनका समुचित ढंग से निपटान किया गया है;
 - घ) हमारी राय में, समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
 - ङ) वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
 - च) चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने से अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है। भारत में निगमित सीमा तक सरकारी कंपनी के अलावा अन्य सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित इसके सहयोगी के किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से 31 मार्च, 2025 तक अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

छ) खातों के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ज) आईसीएआई द्वारा जारी 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी गाइड' के पैरा 1.14 के अनुसार, आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आरबीआई द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर लागू होगी। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार,
एफआरएन 008567C

(सीए संदीप जैन)

भागीदार
एमआरएन 077281
यूडीआईएन: 25077281BMJCFK3371

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार,
एफआरएन 015951N

(सीए नकुल मित्तल)

भागीदार
एमआरएन 521742
यूडीआईएन: 25521742BMLMJU4101

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार,
एफआरएन 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)

भागीदार
एमआरएन 504134
यूडीआईएन: 25504134BMGZFC7576

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार,
एफआरएन 002871N

(सीए चरण जीत)

भागीदार
एमआरएन 515154
यूडीआईएन: 25515154BMGIEP5896

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28-04-2025

Independent Auditors' Report

To
The Members of UCO Bank
Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of UCO Bank (the "Bank") & its associate ("together referred to as Group"), which comprises the consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2025, and the consolidated Statement of Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated financial statements") which includes:
 - i) Audited Financial Statements of UCO Bank (the Bank), which have been audited by all the four Statutory Central Auditors i.e. by us.
 - ii) Unaudited Financial Statements of one associate (Paschim Banga Gramin Bank).
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on consideration of reports of the other auditors on separate audited financial statement/ financial information of Bank and unaudited financials of associate as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statement give the information required by the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, the Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the relevant provisions of Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of their consolidated state of affairs of the Bank as at 31st March, 2025, of consolidated profit, and its consolidated Cash flows for the year then ended.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated financial statements section of our report. We are independent of the Bank and its associate in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the ICAI Accounting Standards, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We draw attention to Note no.6 (Part B) in Schedule 18 to the accompanying notes forming part of standalone and Consolidated Audited financial Results which states that the statement also includes the results in respect of the Associate Paschim Banga Gramin Bank (Holding 35%) for which financial results/accounts for the quarter and year ended 31st March, 2025, have not been audited as on the date of this report. The statement includes the Bank's share of net profit of Rs.23.02 crore for the year ended 31st March 2025 in respect of the associate whose financial statements have not been audited. These financial statements have been prepared by the Management of the associate and our opinion on the statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this entity, is based solely on the financial statement prepared by the management and procedures performed by us are stated in paragraph above. According to the information and explanation given to us by the Management, the unaudited financial information of the associate is not material to the Bank.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the year ended March 31, 2025. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
Classification of Advances, Identification and Provisioning for non-performing advances Advances include Bills purchased and discounted, Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans. These are further categorized as secured by Tangible assets (including advances against Book Debts), covered by Bank/ Government Guarantees and Unsecured advances. The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The classification and provisioning is done by Bank's IT software under its Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security. In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of asset classification and its provisioning and adopted the following audit procedures: We evaluated and tested of the effectiveness of the IT software controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification/ classification, including testing of relevant data quality, and review of the data entered in the software. Review of the documentations, operations/ performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to verify that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI. Further, we have also referred many of the reports of the internal/regulatory inspection, concurrent auditors etc. and evaluated the consequent impact of the observations therein on the advance portfolio of the Bank. There is scope for further strengthening the automation process.
Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. We evaluated and made an understanding of the Bank's internal control mechanism to comply with relevant RBI directions regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments; We also assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources like FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE etc, for determining fair value of these investments; For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security. We also assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision there against; In addition to above, we also carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. We also evaluated the presentations of the various investment portfolio related disclosures in terms of RBI directions. There is scope for further strengthening the automation process.

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debt The Bank is involved in a number of taxation and other disputes for which final outcomes cannot be easily predicted and which could potentially result in significant liabilities. The assessment of the risks associated with the litigations is based on complex assumptions, which require the use of judgement and such judgement relates, primarily, to the assessment of the uncertainties connected to the prediction of the outcome of the proceedings and to the adequacy of the disclosures in the financial statements. Because of the judgement required, the materiality of such litigations and the complexity of the assessment process, the area was considered a key matter for our audit.	Our audit procedure in response to this key Audit Matter included • Assessment of the process and relevant controls implemented to identify legal and tax litigations, and pending administrative proceedings. • Assessment of assumptions used in the evaluation of potential legal and tax risks performed by the Bank considering the legal precedence and other rulings in similar cases. • Inquiry with the legal department regarding the status of the most significant disputes and inspection of the key relevant documentation. • Analysis of opinion received from the experts where ever available. • Review of the adequacy of the disclosures in the notes to the financial statements.

Other Matters

5. The accompanying Consolidated Financial Statements includes the unaudited financial result/statements in respect of one (01) associate whose financial result/ statements reflect Bank's share of net profit after tax of Rs. 23.02 crore for the year ended 31st March, 2025, as considered in the consolidated financial statements whose financial result/ statements have been furnished by the management of the associate and our opinion is based solely on such financial statements/results furnished by the management. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Bank.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), which we obtained prior to the date of this auditor's report, and Directors' Report, including annexures, if any, thereon, which is expected to be made available to us after that date.
7. Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
8. In connection with our audit of the Consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
9. If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
10. When we read the other information, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

11. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Bank and its associate in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued

by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the Bank and its associate are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

12. In preparing the consolidated financial statements, respective Board of Directors of the Bank and its associate is responsible for assessing the ability of the Bank and its associate to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank and its associate or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
13. The respective Board of directors of the Bank and its associate are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Bank and its associate.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

14. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.
15. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 - Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Bank and its associate to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
 - Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities within the Group and its associates to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors. We remain solely responsible for our audit opinion.
16. Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the consolidated financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the consolidated financial statements.

17. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
18. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
19. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

20. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Statement of Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
21. Subject to the limitations of the audit indicated in above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation, 1949, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
 - c) The Bank's internal financial controls over financial reporting is not applicable on the Consolidated Financial Statement.
22. As required under the provisions of Section 30(2) of the Banking Regulation Act 1949 and by the RBI letter No. DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, We further report that:
 - a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and report of the other auditors and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
 - b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;
 - c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
 - d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss account and Consolidated Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - e) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank .
 - f) As the Bank is not registered under the Companies Act, 2013, the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank. On the basis of the reports of the statutory auditors of subsidiaries, associate and joint ventures companies other than Government Company to the extent incorporated in India, none of the directors of its associates incorporated in India is disqualified as on 31st March, 2025 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013.

- g) There are no qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- h) As per para 1.14 of the "Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks" issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone financial statements of Public sector bank. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over financial reporting with reference to Consolidated financial statements.

For P S M G & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN 008567C

(CA SANDEEP JAIN)

Partner
MRN 077281
UDIN:25077281BMJCFK3371

For SANJAY DEEP & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN 015951N

(CA NAKUL MITTAL)

Partner
MRN 521742
UDIN: 25521742BMLMJU4101

FOR P V A R & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN 005223C

(CA RUCHI AGARWAL)

Partner
MRN 504134
UDIN:25504134BMGZFC7576

For H D S G & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN 002871N

(CA CHARAN JEET)

Partner
MRN 515154
UDIN: 25515154BMGIEP5896

Place : Kolkata
Dated : 28-04-2025

लाभांश वितरण दिशानिर्देश /DIVIDEND DISTRIBUTION GUIDELINES

बैंक के शेयरधारकों को लाभांश के वितरण के समय बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करता है:

Bank follows the following guidelines issued by RBI while making payment of Dividend to the shareholders of the Bank:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं आरबीआई/451/2005 डीबीओडी/सं बीपी.बीसी 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 4 मई, 2005 के माध्यम से बताया था कि बैंक यदि पूंजी पर्याप्तता, निवल एनपीए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 15 एवं 17 के संबंध में विशेषीकृत पात्रता मानदंडों का अनुपालन करता है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार अपनी आस्तियों में क्षय, स्टाफ अनुलाभ, लाभ की प्रारक्षितियों में अंतरण आदि के लिए प्रावधान कर के रखता है तो उसे लाभांश की घोषणा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

Reserve Bank of India vide Circular No. RBI/451/2005 DBOD. NO. BP.BC. 88/21.02.067/2004-05 dated 4th May, 2005 advised that prior approval of Reserve Bank of India is not necessary for declaration of Dividend, if the Bank complies with the specified eligibility criteria regarding capital adequacy, Net NPA, Compliance of provision of Sec. 15 & 17 of Banking Regulation Act, and makes provision for impairment of assets, staff benefits, transfer of profit to reserve etc. as per RBI guidelines.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने उक्त परिपत्र में आगे कहा है कि लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ से ही किया जाए। अधिकतम अनुमत लाभांश पेआउट अनुपात रेंज के लिए मानदंड मैट्रिक्स का जो विवरण नीचे दिया जा रहा है वह भी भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त परिपत्र में विहित है :

RBI in their aforesaid circular have further stipulated that the dividend should be paid out of the current year's profit. The matrix of criteria for maximum permissible range of Dividend pay-out ratio as detailed below has also been stipulated in the aforesaid RBI circular:

कोटि Category	सीआरएआर /CRAR	निवल एनपीए अनुपात/Net NPA Ratio			
		शून्य Zero	शून्य से अधिक पर 3% से कम More than Zero but less than 3%	3% से लेकर 5% से कम तक From 3% to less than 5%	5% से लेकर 7% से कम तक From 5% to less than 7%
		लाभांश पेआउट अनुपात का रेंज (कर के बाद लाभ का %) Range of Dividend Pay out Ratio (% of Profit after Tax)			
क/A	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 11% अथवा उससे अधिक 11% or more for each of last 3 years	40 तक Upto 40	35 तक Upto 35	25 तक Upto 25	15 तक Upto 15
ख/B	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 10% अथवा उससे अधिक 10% or more for each of last 3 years	35 तक Upto 35	30 तक Upto 30	20 तक Upto 20	10 तक Upto 10
ग/C	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 9% अथवा उससे अधिक 9% or more for each of last 3 years	30 तक Upto 30	25 तक Upto 25	15 तक Upto 15	5 तक Upto 5
घ/D	चालू वर्ष में 9% अथवा उससे अधिक 9% or more in the current year	10 तक Upto 10		5 तक Upto 5	निरंक NIL

31 मार्च 2025 की स्थिति में बासेल III प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बासेल III पूंजी नियमन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को बासेल III पूंजी आवश्यकताओं के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटीकरण करना आवश्यक है। उक्त प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर निम्नलिखित वेब-लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है: <https://ucobank.com/basel-iii-disclosures>

BASEL III Disclosure as on 31st March 2025

In accordance with guidelines issued by the Reserve Bank of India on Basel III Capital Regulations, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements. The said disclosures are available on Bank's website www.ucobank.com under the following web-link: <https://ucobank.com/basel-iii-disclosures>

83rd YEAR OF
THE NATION'S
TRUST



Scan for E- Annual Report

यूको बैंक



UCO BANK

Head Office 10, B.T.M., Sarani, Kolkata-700001

यूको बैंक  **UCO BANK**

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust